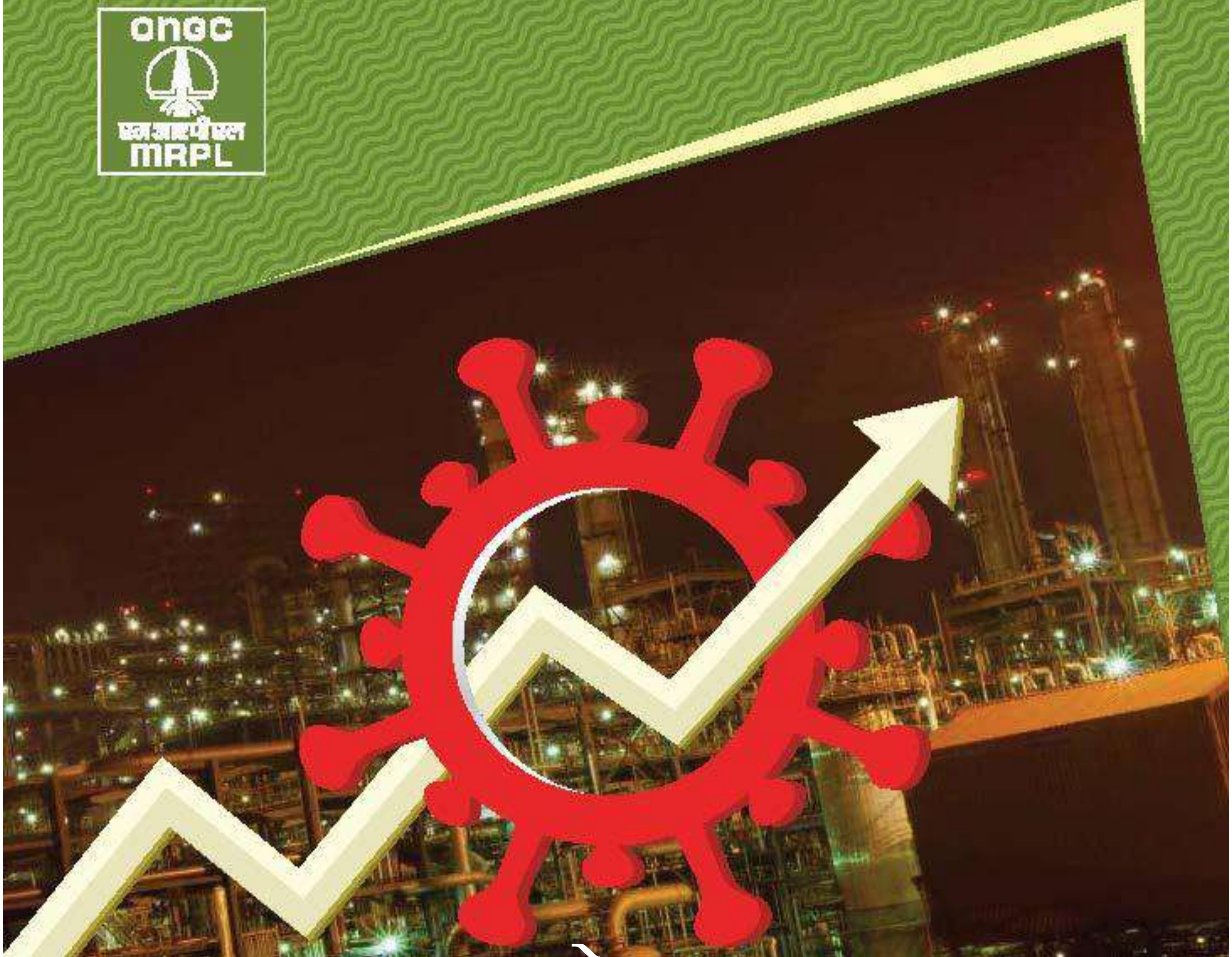

बदलाहट को अपनाकर,
संधारित तरक्की की रणनीति बनाते हुए

33वीं वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम और ओएनजीसी की सहायक कंपनी)

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम और ओएनजीसी की सहायक कंपनी)

CIN: L23209KA1988GOI008959

वेबसाइट : www.mrpl.co.in ई-मेल: investor@mrpl.co.in

विषय-वस्तु

विषय-वस्तु	पृष्ठ सं.
हिस्सेदारों को अध्यक्ष का पत्र	2
दूरदर्शिता और मिशन	5
मंडल की रिपोर्ट	11
C & AG की टिप्पणियां	82
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	83
कार्पोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट	97
कार्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र ...	131
वार्षिक कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट (ABRR)	135
लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट ...	149
स्वतंत्र तुलन-पत्र	162
स्वतंत्र लाभ-हानि विवरण...............................	163
स्वतंत्र नकदी प्रवाह विवरण	164
स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ	165
लेखा परीक्षकों की समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट	242
समेकित तुलन-पत्र	256
समेकित लाभ-हानि विवरण	257
समेकित नकदी प्रवाह विवरण	258
समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां................	259
गत निष्पादन	353
33वीं वार्षिक महासभा (AGM) की नोटिस	355

कंपनी सचिव
श्री के बी श्याम कुमार

संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक
मेसर्स राम राज एण्ड कं,
सनदी लेखाकार, बेंगलूरु
मेसर्स संकर एण्ड मूर्ती,
सनदी लेखाकार, कण्णूर

लागत लेखा परीक्षक
मेसर्स चंद्रा वाधवा एण्ड कं,
लागत लेखाकार, नई दिल्ली

साचिविक लेखा परीक्षक
सी एस उल्लास कुमार मेलिनमोगरु,
पेशेवर कंपनी सचिव, मंगलूरु

डिबेंचर न्यासी
मेसर्स SBICAP ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
मुंबई

पंजीकृत कार्यालय और निवेशकर्ता संबंध कक्ष
मुडपदव, कुत्तेतूर, डाक घर, वाया काटिपल्ला
मंगलूर-575030, कर्नाटक
टेलीफोन: 0824-2270400 फैक्स: 0824-2273300
ई-मेल: investor@mrpl.co.in

निवेशकर्ता संबंध कक्ष :
दिल्ली :
स्कोप कांप्लेक्स, 7वीं मंजिल, कोर-8, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110003 टेलीफोन : 011-24306400 फैक्स: 011-24361744

मुंबई :
मेकर टावर्स, 'ई' विंग, 15वीं मंजिल, कफ परेड,
मुंबई – 400005 टेलीफोन : 022-22173000 फैक्स: 022-22173233

बेंगलूरु :
प्लॉट A-1, केएसएसआईडीसी, प्र.का. भवन के सामने,
इंडस्ट्रियल एस्टेट, राजाजीनगर, बेंगलूरु – 560010 (कर्नाटक)
टेलीफोन : 080-22642200 फैक्स: 080-23505501

रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट
मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि
सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग,
विख्रोली (पश्चिम),
मुंबई- 400083
टेलीफोन: 022-49186270 फैक्स: 022-49186060
ई-मेल: mrplirc@linkintime.co.in

निदेशक मंडल

श्री सुभाष कुमार
अध्यक्ष

श्री एम वेंकटेश
प्रबंध निदेशक

श्रीमती पोमिला जसपाल
निदेशक (वित्त)

श्री संजय वर्मा
निदेशक (रिफ़ाइनरी)

श्री ओम प्रकाश सिंह
ओएनजीसी नामिती

श्री विनोद एस शेणै
एचपीसीएल नामिती

श्री रोहित माथुर
एचपीसीएल नामिती

सुश्री ईशा श्रीवास्तव
सरकारी नामिती

श्री आर टी अगरवाल
स्वतंत्र निदेशक

हिस्सेदारों को अध्यक्ष का संदेश

प्रिय हिस्सेदारों,

मैं, अपने सम्मान्य हिस्सेदारों के समक्ष वर्ष 2020-21 की 33वीं वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही वर्ष के निष्पादन की कुछ उल्लेखनीय तथ्य पेश करता हूँ.

दुनिया भर में COVID-19 महामारी फैलने और परिणामस्वरूप भारत सहित कई देशों में लॉकडाउन जारी करने से आपकी कंपनी के कारोबार पर असर पड़ा. फलस्वरूप क्रूड तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कम होने के कारण इस दौरान दुनिया भर में इनकी कीमतों और परिष्करण मार्जिन पर प्रभाव पड़ा. इनके चलते आपकी कंपनी की बिक्रियों में अवनति नज़र आई. बाद में धीरे-धीरे क्षमता उपयोग में बढ़त देखने को मिली. प्रबंधन ने, COVID 19 के संभावित प्रभाव का आकलन किया है और आशा करता है कि लंबे समय तक प्रचालन जारी रखने से कारोबार पर / आस्ति की उपयोगी अवधि पर / दीर्घावधि वित्तीय स्थिति आदि पर उल्लेखनीय प्रभाव नहीं होगा भले ही निकट भविष्य में राजस्व और रिफ़ाइनरी थ्रूपुट की मात्रा में गिरावट आए. विव 2020-21 के दौरान COVID-19 सर्वव्यापी महामारी के कारण रिफ़ाइनरी, घटाई गई क्षमता पर चलाई गई. बहुत कम मांग और नकारात्मक ATF क्रैक्स के कारण, इस अवधि के दौरान ATF उत्पाद को BS VI ग्रेड HSD तक अपग्रेड किया गया.

भारत भी, इस वैश्विक महामारी के प्रभाव से लड़ रहा है. पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के अधिकांश भाग में जनता, घर में बंद रहीं. व्यवसाय ठप्प हुआ, खपत गिर गई, निवेश प्रभावित हुए और नौकरियां खो दी गईं. यद्यपि सरकार ने वित्तीय घाटा संबंधी लक्ष्य में काफ़ी हद तक ढील देते हुए खर्च करने के लिए प्रोत्साहन दिया लेकिन लॉकडाउन के कारण राजस्व की उगाही कम होने पर व्यय पर दबाव पड़ा है. लेकिन मार्च 2021 में जब उम्मीद की किरण नज़र आते हुए सर्वाधिक जीएसटी संग्रहीत होते हुए सरकार के लिए राजस्व बढ़ने के संकेत मिले, सर्वव्यापी महामारी की दूसरी लहर उमड़ पड़ी और देश में चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल, मई और जून में शटडाउन करना पड़ा. बहाली की रफ़्तार बढ़ाने के लिए बुनियादी संरचना और सामाजिक क्षेत्रों पर सरकार का प्रोत्साहन जारी रहना होगा. इन कमियों के बावजूद आपकी कंपनी ने भी चुनौतियों का मुकाबला करते हुए अपने परिचालन बरकरार रखे. मैं वर्ष 2019-2020 के कुछ वैशिष्ट्यपूर्ण तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ:

वित्तीय निष्पादन

- आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 2019-20 के ₹ 60,728 करोड़ की तुलना में कुल ₹ 50,974 करोड़ का कुल कारोबार किया.
- कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान उठाई गई ₹ 2,740.35 करोड़ की हानि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 240.46 करोड़ की कर उपरांत हानि उठाई.
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान (0.23) $/bbl के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3.71 $/bbl का कुल परिष्करण मार्जिन (GRM) हासिल किया गया.
- कंपनी ने ₹ 3,000 करोड़ NCDs के लिए ICRA, CARE और CRISIL से AAA दर्जा हासिल किया.

प्रत्यक्ष निष्पादन

- विव 2020-21 के दौरान 11.475 MMT क्रूड प्रोसेस किया गया जब कि रिफ़ाइनरी का इन्पुट 11.497 MMT रहा.
- पहली बार ऐरोमैटिक कॉम्प्लेक्स के लिए नैफ़्ता फ़ीडस्टॉक के साथ भारी रीफ़ॉर्मेट मुहैया कराया गया जिससे कि

क्यू1: 2020-21 के दौरान कम Px – नैफ़्ता स्प्रेड के कारण ओएमपीएल में रीफ़ॉर्मेट का उत्पादन किया जा सके. इससे एमआरपीएल को MS मिश्रित घटक स्टॉक संभालने का भी समर्थन मिला.

- अप्रैल 2020 में पहली बार किराए पर लिए गए जहाजों में HSD उत्पाद (50,500 KL) भेजा गया जिससे कि मार्च के अंत में OMCs द्वारा एकाएक उत्पाद न उठाने के कारण उत्पन्न HSD अलिज के संकट और निर्यात कार्गो के मामले में सर्वव्यापी महामारी से प्रभावित लोड पोर्ट से आने वाले कर्मियों के साथ जहाज के बर्थिंग के बारे में अनिश्चितताओं से उभारा जा सके.
- एमआरपीएल, COVID-19 के कारण उत्प्रेरक विक्रेताओं की रीमोट सहायता और ऑफलाइन समर्थन से HCU- 2 और GOHDS यूनिटों के उत्प्रेरक को बदलने में कामयाब हुआ. HCU-1 में साइट पर उत्प्रेरक के विक्रेता के समर्थन से उत्प्रेरक को बदला गया. HCU-1, HCU-2 और GOHDS, वापस सफलता से काम करने लगे हैं.
- मार्च 21 महीने में अब तक का सर्वाधिक 43.054 TMT का पॉलीप्रॉपीलीन उत्पादन किया गया.
- आपकी कंपनी ने ऊर्जा की बचत को बड़ी गंभीरता से लिया है और 81.41 MMBTU/BBL/NRGF की मीन बैरल सं (MBN) हासिल की.

संरक्षा

- आपकी कंपनी ने संरक्षा पर अधिक ध्यान देना जारी रखा और 31/03/2021 को 1755 दुर्घटना मुक्त दिवस हासिल किए. आपकी कंपनी ने 31/03/2021 को एमआरपीएल कर्मचारियों द्वारा काम किए गए 24.17 दशलक्ष श्रम घंटे भी हासिल किए. आपकी कंपनी ने वर्ष 2020-21 में काम किए गए 24.17 दशलक्ष श्रम घंटे भी हासिल किए, जब कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान काम किए गए 13.032 दशलक्ष श्रम घंटे हासिल किए गए थे.
- लोगों, प्रक्रियाओं और आस्तियों की हिफ़ाजत करने के लिए रिफाइनरी में कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए. आपकी कंपनी, उद्योग में बेहतरीन पद्धतियां अपनाते हुए अपने कर्मचारियों, ठेकेदारों और रिफाइनरी में आने वाले सभी आगंतुकों को काम करने का स्वस्थ एवं सुरक्षित माहौल प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है. सुदृढ़ प्रणालियां एवं मानक बनाए गए हैं जिससे कि स्वास्थ्य, संरक्षा और पर्यावरण (HSE) से जुड़े रिफाइनरी में अंतर्निहित जोखिम लगातार कम किए जा सके.
- टूल बॉक्स टॉक और बड्डी सिस्टम जैसे संरक्षा उपायों के प्रति नवीन दृष्टिकोण अपनाए गए हैं जिससे संरक्षा का निष्पादन और सुधारा जा सकेगा. रिफ़ाइनरी में दो व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र (OHC) और टाउनशिप में एक अस्पताल में उपलब्ध आपातकालीन चिकित्सा सहायक उपकरणों के साथ-साथ 10 डॉक्टरों और परा चिकित्सीय के साथ दिन-रात एंबुलेंस सुविधा के अलावा रासायनिक संपर्क, आपातकालीन दवाओं और एंटीडोड्स के लिए शावर सुविधा भी है.

प्रत्यक्ष विपणन

- आपकी कंपनी, अपने उत्पादों को पुरजोर तरीके से बेचने पर ध्यान देती रही है जिससे कि उत्पादों को बेहतर मूल्य मिल सके.
- विव 2020-21 के दौरान, तमाम उत्पादों की कुल प्रत्यक्ष देशी बिक्री की मात्रा, 1691 TMT रही जिसका बिक्री मूल्य ₹ 7207 करोड़ रहा.
- आपकी कंपनी ने अपना पॉलीप्रॉपीलीन मार्केटिंग नेटवर्क, देश भर में फैलाया जिससे कि देशी बाजार में एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की जा सके. एक निरंतर व्यावसायिक विकास गतिविधि के रूप में आपकी कंपनी ने अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाने की खातिर एक आला ग्रेड वाले रफ्फिया सामान्य प्रयोजन का ग्रेड (4.5 MI) पेश किया. आपकी कंपनी ने देश की सेवा में, न केवल आला PP ग्रेड (35 MI HY035R - जिसका मास्क जैसे चिकित्सकीय त्याज्य योग्य मास्क बनाने के लिए उपयोग किया जाता है) का उत्पादन कर बेचा बल्कि तुरंत आवश्यकताओं में इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्टॉक बनाए रखा.
- एमआरपीएल, कर्नाटक, केरल और गोवा राज्यों में अगले 5 वर्षों में हर वर्ष 50 नए केंद्र जोड़ते हुए खुदरा बाज़ार में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है. एमआरपीएल के खुदरा केंद्रों का जाल, दीर्घावधि में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक फैलाया जाएगा.

कर्मचारियों के साथ संबंध

- आपकी कंपनी, अपने कर्मचारियों को सर्वाधिक सम्मान देती है और तदनुसार बेहतरीन मासं पद्धतियां अपनाती हैं, उनकी वक्त-वक्त पर समीक्षा करती है एवं उसमें और सुधार करने का प्रयास करती है.

फलस्वरूप कर्मचारियों के साथ उसके संबंध हार्दिक एवं सौजन्यपूर्ण रहे हैं. वर्ष के दौरान कर्मचारी यूनियन के साथ दीर्घावधि समझौता किया गया. मुझे यह बताने में खुशी है कि गत वर्षों की भांति, इस वर्ष भी यानी वर्ष 2020-21 में किसी औद्योगिक उपद्रव के कारण एक भी श्रम घंटा गंवाया नहीं गया.

पर्यावरण, सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास

- भविष्य में गतिशील बाजार में तैयार रहने के लिए आपकी कंपनी ने संधारणीयता को एक प्रमुख कारक के रूप में लिया है. इस प्रक्रिया में हमने सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चुनौतियां स्वीकार कीं और तदनुसार हमारी परिष्करण प्रक्रिया में परिवर्तन किया. इस प्रक्रिया के दौरान एमआरपीएल, ऊर्जा की बचत करते हुए, अपनी प्रक्रियाओं में ऊर्जा दक्षता बढाते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हुए कार्बन के पद चिह्न कम करने से जुड़ी परियोजनाएं, संधारणीय जल प्रबंधन परियोजना चलाता रहा है जिससे पुन:चक्रण करते हुए ताजा जल की खपत कम की जा सकेगी/उपचारित बहिस्राव का उपयोग किया जा सकेगा और घटाने, पुन: उपयोग करने और पुन:चक्रण जैसी पहल से प्रभावशाली अपशिष्ट प्रबंधन किया जा सकेगा.

- आपकी कंपनी, करीब 41 एकड़ों की कच्छ भूमि में जैव विविध पार्क बना रही है. इस प्रक्रिया में, एमआरपीएल ने इस क्षेत्र में डोमेन विशेषज्ञ डॉ. शिवराम कारंत पिलिकुला निसर्ग धामा के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए. इस पार्क को स्थापित करने के लिए लगभग 60 महीने लगेंगे और उम्मीद है यह पार्क, 2024 में पूरी तरह से विकसित होगा. इस प्रक्रिया में, कच्छ भूमि को पूर्ण रूपेण जैव-विविधता पार्क में परिवर्तित किया जाएगा जिसमें स्थानिक पेड़-प्रजातियां होंगी जिससे पक्षियों, कीटों आदि को आकर्षित करने में मदद मिलेगी. इसमें जलीय पौधे भी होंगे जिससे मछली और अन्य जलचर की विविधता बढ़ाने में मदद मिलेगी.

- आपकी कंपनी ने, पेड़/पौधे के अपशिष्टों जैसे पत्तों, शाखाओं आदि का खाद में परिवर्तन करने की खातिर अपने परिसर के अंदर कृमि खाद उत्पादन सुविधा स्थापित की है जिसका बागबानी गतिविधियों और हरित पट्टी विकास में खाद की तरह इस्तेमाल किया जाएगा. इससे हम इस समय इस्तेमाल किए जाते रहे अकार्बनिक उर्वरक पर अपनी निर्भरता कम कर पाएंगे. 40 kg के वर्मी कांपोस्ट के पहले बैच की 26/03/2021 को कटाई की गई.

- आपकी कंपनी, बेंगरे, पणंबूर, मंगलूरु में लगभग 25 एकड़ की भूमि में एक ट्री पार्क स्थापित करने जा रही है जो हमारे विलवणन संयंत्र के नज़दीक है. यह कार्य, कर्नाटक वन विभाग (KFD) के सहयोग से किया जा रहा है;

- एमआरपीएल ने ज़िला प्रशासन के अलावा स्कूलों, कॉलेजों और अन्य एजेंसियों के साथ हाथ मिलाकर हद के परे जाने के कार्यक्रमों के जरिए मंगलूर के नागरिकों की खातिर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए.

- अपने निगमित सामाजिक दायित्व के अंग के तौर पर आपकी कंपनी ने, ग्रामीण रूपांतरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया और अपने प्रचालन क्षेत्रों के इर्द-गिर्द बसे समुदायों के लाभार्थ कार्यक्रम हाथ में लिए जिसके परिणामस्वरूप वक्त के साथ स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक स्थिति में सुधार आया है.

- एमआरपीएल अस्पताल में डॉक्टर और प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मचारी चौबीसों घंटे सेवारत हैं और इनके अलावा विभिन्न विशेषज्ञ सलाहकार भी उपलब्ध हैं जिनका आसपास के गांव के निवासी उपयोग कर सकते हैं.

- आस-पास के गांवों में कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) के सहयोग से वक्त-वक्त पर पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. ध्वनि और वायु प्रदूषण के बुरे प्रभावों और एकल-उपयोग की प्लास्टिक वस्तुओं को धीरे-धीरे मिटाने आदि के बारे में सुग्राही कार्यक्रम चलाया गया.

मैं, निदेशक मंडल को, उसकी विशेषज्ञता एवं मार्गदर्शन के लिए अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ. बोर्ड की तरफ़ से मैं, अपने उन तमाम हिस्सेदारों का भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिनका समर्थन, सहयोग, विश्वास और भरोसा लगातार मिलता रहा है.

हस्ता/-

(सुभाष कुमार)

अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 29/07/2021

दूरदर्शिता और मिशन

दूरदर्शिता

उत्पादकता, ग्राहक की संतुष्टि, संरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन, निगमित सामाजिक दायित्व और कर्मचारियों की देखभाल पर अधिक बल देते हुए विश्व दर्जे की परिष्करण और पेट्रोकेमिकल्स कंपनी बनना.

मिशन

- ऊर्जा की बचत करने, दक्षता, उत्पादकता बढ़ाने और नवीनता लाने वाले नेतृत्व को बढ़ावा देना.
- देशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उभरते हुए अवसरों का फायदा उठाना.
- ग्राहकों के संतोषपर्यंत उनकी अपेक्षाएं पूरी करने की दिशा में भरपूर कोशिश करना.
- स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी मानदंडों में वैश्विक दर्जा कायम करने के साथ सामुदायिक कल्याण के प्रति अधिक प्रतिबद्धता दिखाना.
- कर्मचारियों के कल्याण और कर्मचारियों के साथ संबंधों पर लगातार ध्यान देते रहना.
- व्यावसायिक नीति और मूल्यों में सर्वोच्च मानक स्थापित करना

सांसद, श्री नलिन कुमार कटील से FCCI पुरस्कार प्राप्त करते हुए

गणतंत्र दिवस समारोह

जैव विविध पार्क स्थापित करने के लिए डॉ. शिवराम कारंत पिलिकुला निसर्ग धामा के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए

बेंगरे में बागबानी वृक्षारोपण परियोजना को अमल में लाने के लिए कर्नाटका वन विभाग के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए

साइक्लोथॉन का उद्घाटन

रिफ़ाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी बैठक का आयोजन करने के लिए PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करते

PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए

पारायणगाट में खुदरा केंद्र सं.18 का उद्घाटन

मूडबिद्री में खुदरा केंद्र सं.19 का उद्घाटन

एमआरपीएल एंप्लाईस यूनियन के साथ दीर्घावधि समझौता ज्ञापन

बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों, उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारतीय नियंत्रक एवं महा लेखा नियंत्रक (सी एण्ड एजी) की, वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों समेत अपनी पिछली रिपोर्ट के बाद आपकी कंपनी के विकास संबंधी वैशिष्ट्य और प्रगति को आपके समक्ष सहर्ष पेश करता है.

कंपनी के कामकाज की स्थिति

आपका बोर्ड, विव 2020-21 के लिए कंपनी के कामकाज की स्थिति के बारे में निम्नानुसार रिपोर्ट कर रहा है:

वित्तीय निष्पादन

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के स्वतंत्र / समेकित वित्तीय निष्पादन के वैशिष्ट्य का सारांश यहां नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

	स्वतंत्र		समेकित	
	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष *	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष *
कर पूर्व लाभ	**(345.10)**	**(3,957.50)**	**(918.93)**	**(5,403.61)**
घटाएं: चालू कर	(1.09)	103.74	(1.09)	103.74
आस्थगित कर	(103.55)	(1,320.89)	(152.87)	(1,464.83)
वर्ष का लाभ	**(240.46)**	**(2,740.35)**	**(764.97)**	**(4,042.52)**
जोड़ें: अन्य व्यापक आय	2.00	(8.57)	2.09	(8.89)
वर्ष की कुल व्यापक आय	**(238.46)**	**(2,748.92)**	**(762.88)**	**(4,051.41)**
घटाएं: गैर-नियंत्रक हित के कारण वर्ष की कुल व्यापक आय	-	-	(197.45)	(688.02)
कंपनी के मालिकों के कारण वर्ष की कुल व्यापक आय	**(238.46)**	**(2,748.92)**	**(565.43)**	**(3,363.39)**
जोड़ें: लाभ-हानि लेखा में प्रारंभिक शेषराशि	5,532.51	8,492.72	4,127.97	7,690.97
उप जोड़	**5,294.05**	**5,743.80**	**3,562.54**	**4,327.58**
घटाएं: विनियोजन				
पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि में/(से) अंतरित	-	-	-	(11.68)
इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	-	175.26	-	175.26
लाभांश पर कर	-	36.03	-	36.03
अंतिम शेषराशि (अन्य व्यापक आय सहित)	**5,294.05**	**5,532.51**	**3,562.54**	**4,127.97**

* पुन: कथित

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल मिलाकर ₹ 50,974 करोड़ का कुल कारोबार किया जब कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 60,728 करोड़ का कुल कारोबार किया गया था. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान उठाई गई ₹ 2,740.35 करोड़ की कर उपरांत हानि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 240.46 करोड़ की कर उपरांत हानि उठाई. वित्तीय वर्ष 2019-20 के (0.23) $/bbl के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3.71 $/bbl का कुल परिष्करण मार्जिन (GRM) हासिल किया गया.

COVID का वित्तीय निष्पादन पर प्रभाव

दुनिया भर में COVID-19 महामारी फैलने और परिणामस्वरूप कई देशों में लॉकडाउन जारी करने से आपकी कंपनी के कारोबार पर असर पड़ा. फलस्वरूप क्रूड तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कम होने के कारण इस दौरान दुनिया भर में इनकी कीमतों और परिष्करण मार्जिन पर प्रभाव पड़ा, नतीजतन कंपनी की बिक्री में गिरावट आई. बाद में धीरे-धीरे क्षमता उपयोग में बढ़त देखने को मिली. प्रबंधन ने, COVID 19 के संभावित प्रभाव का आकलन किया है और आशा करता है कि लंबे समय तक प्रचालन जारी रखने से कारोबार पर / आस्ति की उपयोगी अवधि पर / दीर्घावधि वित्तीय स्थिति आदि पर उल्लेखनीय प्रभाव नहीं होगा भले ही निकट भविष्य में राजस्व और रिफ़ाइनरी थ्रूपुट की मात्रा में गिरावट आए.

विव 2020-21 के दौरान कंपने ने कुल मिलाकर ₹1,217 करोड़ के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर निर्गमित किए. NCDs को BSE लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर सूचीबद्ध किया गया है.

ICRA ने ₹ 12,600 करोड़ बैंक सुविधाओं पर [ICRA] AAA (जिसका उच्चारण है स्थिर दृष्टिकोण के साथ ICRA ट्रिपल A) की दीर्घावधि रेटिंग और [ICRA] A1+ (जिसका उच्चारण है ICRA A वन्न प्लस्स) की अल्पावधि रेटिंग देने की दोबारा पुष्टि की है तथा ₹ 3,000 के वाणिज्यिक पत्र (CP) / अल्पावधि सावधि कर्ज़ (STD कार्यक्रम के लिए "[ICRA] A1+" (जिसका उच्चारण है ICRA A वन्न प्लस्स) रेटिंग देने की भी दोबारा पुष्टि की है. ICRA ने, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) के ₹ 3,000 करोड़ के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) कार्यक्रम के लिए [ICRA] AAA (जिसका उच्चारण है स्थिर दृष्टिकोण के साथ ICRA ट्रिपल A) रेटिंग दी है.

CRISIL ने, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के ₹ 3,000 करोड़ के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के लिए "CRISIL AAA//स्थिर" (जिसका उच्चारण है "CRISIL ट्रिपल A, स्थिर दृष्टिकोण के साथ") रेटिंग दी है और साथ ही मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) के लिए अपनी कार्पोरेट क्रेडिट रेटिंग (CCR) 'CCR AAA/स्थिर' देने की भी दोबारा पुष्टि की है.

CARE ने, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) के ₹ 5,000 करोड़ के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर और ₹ 3,000 करोड़ के वाणिज्यिक पत्र (CP) / अल्पावधि कर्ज (STD) कार्यक्रम के लिए "CARE AAA/स्थिर (जिसका उच्चारण है "स्थिर दृष्टिकोण के साथ ट्रिपल A") रेटिंग दी है.

इंडिया रेटिंग्स (फिच्च ग्रूप) ने, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के ₹ 5,000 करोड़ के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर कार्यक्रम के लिए "IND AAA/स्थिर (जिसका उच्चारण है " स्थिर दृष्टिकोण के साथ ट्रिपल A ") रेटिंग दी है.

परिचालनगत निष्पादन

वर्ष 2020-21 के कुछ प्रमुख वैशिष्ट्य निम्नानुसार हैं:

- विव 2020-21 के दौरान 11.475 MMT क्रूड प्रोसेस किया गया जब कि रिफ़ाइनरी का इन्पुट 11.497 MMT रहा.
- विव 2020-21 के दौरान COVID-19 सर्वव्यापी महामारी के कारण रिफ़ाइनरी, घटाई गई क्षमता पर चलाई गई. बहुत कम मांग और नकारात्मक ATF क्रैक्स के कारण, इस अवधि के दौरान ATF उत्पाद को BS VI ग्रेड HSD तक अपग्रेड किया गया.
- विव 2020-21 के लिए MBN, 81.41 MMBTU/BBL/NRGF रहा.
- पहली बार ऐरोमैटिक कॉम्प्लेक्स के लिए नैफ़्ता फ़ीडस्टॉक के साथ भारी रीफ़ॉर्मेट मुहैया कराया गया जिससे कि क्यू1:2020-21 के दौरान कम Px – नैफ़्ता स्प्रेड के कारण ओएमपीएल में रीफ़ॉर्मेट का उत्पादन किया जा सके. इससे एमआरपीएल को MS मिश्रित घटक स्टॉक संभालने का भी समर्थन मिला.
- अप्रैल 2020 में पहली बार किराए पर लिए गए जहाजों में HSD उत्पाद (50,500 KL) भेजा गया जिससे कि मार्च के अंत में OMCs द्वारा एकाएक उत्पाद न उठाने के कारण उत्पन्न HSD अलिज के संकट और निर्यात कार्गो के मामले में सर्वव्यापी महामारी से प्रभावित लोड पोर्ट से आने वाले कर्मियों के साथ जहाज के बर्थिंग के बारे में अनिश्चितताओं से उभारा जा सके.
- एमआरपीएल, COVID-19 के कारण उत्प्रेरक विक्रेताओं की रीमोट सहायता और ऑफलाइन समर्थन से HCU- 2 और GOHDS यूनिटों के उत्प्रेरक को बदलने में कामयाब हुआ. HCU-1 में साइट पर उत्प्रेरक के विक्रेता के समर्थन से उत्प्रेरक को बदला गया. HCU-1, HCU-2 और GOHDS, वापस सफलता से काम करने लगे हैं.

- नीचे उल्लिखित क्रूडों का पहली बार प्रोसेसिंग किया गया:

  अगस्त-20 के दौरान प्रोसेस किया गया अंगोलन (मेसर्स सोनंगल) LS क्रूड नेंबा, नवंबर 20 के दौरान यूएसए में प्रोसेस हुए मार्स (API 29.2) एण्ड बैक्कन (API 42.5) क्रूड, जनवरी-2021 के दौरान यूएई से प्रोसेस हुआ उम्म लुलु क्रूड (API 41.2), फरवरी-21 के दौरान प्रोसेस हुआ नाइजीरिया का एप्को (API- 48.18) और यूएसए का WTI मिडलैंड (API- 41.67),मार्च-21 के दौरान प्रोसेस किया गया यूएसए का पोसीडॉन (API- 31.02) और अंगोला का गिरस्सोल (API-30.16).

- रिलाएंस (RIL) को अक्तूबर-20 के महीने में HSD और MS की आपूर्ति शुरु की गई.
- दिसंबर-20 के महीने में LNHT और PENEX (ISOM यूनिट) (105%) में अब तक सर्वाधिक क्षमता उपयोग हासिल किया गया.
- दिसंबर-20 के महीने में PMHBL के जरिए महीने में अब तक का सर्वाधिक (89 TMT) MS पंपिंग किया गया.
- जनवरी-2021 के महीने में अब तक का सर्वाधिक 44.708 TMT, PP देशी प्रेषण किया गया. (इससे पहले दिसंबर 2017 के महीने में अब तक का सर्वाधिक 43.530 TMT देशी प्रेषण किया गया था)
- जनवरी-2021 के महीने में अब तक का सर्वाधिक 101.818 प्रेषण किया गया. (इससे पहले मार्च 2018 में सर्वाधिक 101.800 हासिल किया गया था)
- मार्च 21 महीने में अब तक का सर्वाधिक 43.054 TMT का पॉलीप्रॉपीलीन उत्पादन किया गया. (इससे पहले जनवरी 21 के महीने में सर्वाधिक 41.983 TMT का उत्पादन किया गया था)
- 10 मार्च, 2021 को पहली बार RLNG को रिफ़ाइनरी में लिया गया.

मार्केटिंग और कारोबार विकास

- आपकी कंपनी, कर्नाटक राज्य और उसके आस-पास के राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों के प्रत्यक्ष बिक्री खंड में अपना बाजार अंश लगातार बढ़ाती रही है. आपकी कंपनी ने, अपने मार्केटिंग अंचल में बिटूमेन, डीज़ल, गंधक, पेट्र कोक, ATF, पॉलीप्रॉपीलीन, ज़ाइलॉल (ज़ाइलीन) आदि जैसे तमाम प्रत्यक्ष बिक्री उत्पादों के लिए सबसे पहला स्थान बरकरार रखा. विव 2020-21 के दौरान, तमाम उत्पादों की कुल प्रत्यक्ष देशी बिक्री की मात्रा, 1691 TMT रही जिसका बिक्री मूल्य ₹ 7207 करोड़ रहा.

- एमआरपीएल, कर्नाटक और केरल राज्यों में अपने खुदरा विस्तार में लगातार अधिक ध्यान देता आ रहा है और अब तक आपकी कंपनी ने 18 खुदरा केंद्र चालू किए हैं जब कि और 20 खुदरा केंद्र, निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं. एमआरपीएल रीटेल में, अगले 5 वर्षों में हर वर्ष 50 नए खुदरा केंद्र जोड़े जाएंगे और निकट भविष्य में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नए भौगोलिक क्षेत्रों में कदम रखा जाएगा.
- आपकी कंपनी ने अपना पॉलीप्रॉपीलीन मार्केटिंग नेटवर्क, देश भर में फैलाया जिससे कि देशी बाजार में एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की जा सके. एक निरंतर व्यावसायिक विकास गतिविधि के रूप में आपकी कंपनी ने अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाने की खातिर एक आला ग्रेड वाले रफ्फिया सामान्य प्रयोजन का ग्रेड (4.5 MI) पेश किया. आपकी कंपनी ने देश की सेवा में, न केवल आला PP ग्रेड (35 MI HY035R - जिसका मास्क जैसे चिकित्सकीय त्याज्य योग्य मास्क बनाने के लिए उपयोग किया जाता है) का उत्पादन कर बेचा बल्कि तुरंत आवश्यकताओं में इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्टॉक बनाए रखा.
- आपकी कंपनी, संयुक्त उद्यम शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल एण्ड सर्विसेस लिमिटेड ने भारतीय हवाई अड्डों पर विमानन टर्बाईन ईंधन (ATF) बेचने के लिए स्थाई तौर पर कारोबार हासिल किया है. कंपनी ने पूर्व विव 2019-20 के ₹ 823.58 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 252.40 करोड़ का कुल कारोबार हासिल किया.

मान्यता

1. इंडियन ग्रीन मैनुफैक्चरिंग चैलेंज (IGMC) 2019-2020 - रजत पदक
2. **FICCI पुरस्कार 2020-** तटवर्ती कर्नाटक को भारत का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के लिए सर्वोत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार
3. **PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-** Covid-19 स्थिति के दौरान उद्योगों की प्रतिक्रिया
4. **PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2020** – घटना प्रबंधन
5. **CHT का सक्षम 2020 पुरस्कार** - फ़र्नेस दक्षता में एमआरपीएल ने प्रथम पुरस्कार हासिल किया
6. रिफ़ाइनरी भुक्तशेष कास्टिक के आक्सीकारक उपचार में पेटेंट और क्रूड तेल का प्रभाजित आसवन करने की प्रक्रिया.

MSME से वस्तुएं और सेवाएं हासिल करना

वर्ष 2020-21 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक प्रापण नीति, 2012 के अनुरूप, आपकी कंपनी ने सूक्ष्म और लघु उद्यम से वस्तुएं और सेवाएं हासिल करने की दिशा में 25% के लक्ष्य के मुकाबले 41.54% हासिल किया.

परियोजनाएं

BS VI उन्नयन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) से प्राप्त ऑटो ईंधन नीति और निदेशों के अनुसार, समग्र देश को MS और HSD के मामले में BS VI संबंधी गुणवत्ता विनिर्देश की तरफ कदम बढ़ाना होगा. इस परियोजना में नई यूनिटें और अतिरिक्त सुविधाएं स्थापित की जाएंगी. मेसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को इस कार्य के लिए इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण प्रबंध सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है. परियोजना, मार्च 2020 में Covid की पहली लहर और दूसरी लहर एवं अप्रैल 2021 के अंतिम सप्ताह में कर्नाटक में लॉकडाउन से प्रभावित हुई. लेकिन प्रमुख यूनिट – FGTU का यांत्रिक कार्य 31.12.2020 को पूरा हुआ. यह यूनिट, चालू होने के चरण में है और उत्पाद, जुलाई 2021 के महीने में बाहर निकलने की आशा है. FGTU प्रक्रिया यूनिट चालू कर उसका स्थिरीकरण होने पर, इस कॉंप्लेक्स से अतिरिक्त 25 TMT/माह BS VI MS का उत्पादन होगा. सहायक यूनिटों का यांत्रिक समापन, विव 2021-22 में होने की उम्मीद है.

विलवणन संयंत्र

जल के एकमात्र साधन के रूप में नदी जल का जोखिम मिटाने के लिए समुद्र के पास विलवणन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है. इस संयंत्र की वर्तमान क्षमता 30 MLD (70 MLD तक बढ़ाया जा सकेगा) जो कंपनी के भावी जल की अपेक्षाएं पूरी कर पाएगी. मेसर्स फिच्चनर इंडिया, परियोजना का परियोजना प्रबंधन सलाहकार है और मेसर्स VA टेक्क व्याबैग लिमिटेड, LSTK ठेकेदार है. यह संयंत्र, विव 2020-21 की तीसरी तिमाही तक पूरा करना था. लेकिन, मार्च 2020 में Covid की पहली लहर और दूसरी लहर एवं अप्रैल 2021 के अंतिम सप्ताह में कर्नाटक में लॉकडाउन का यांत्रिक समापन पर गहरा असर पड़ा जो अब विव 2021-22 की द्वितीय तिमाही में पूरा करना है.

देवनगुंथी, बेंगलूरु में मार्केटिंग टर्मिनल

ख़ासकर कर्नाटक राज्य में कारोबार को ध्यान में रखकर देवनगुंथी, बेंगलूरु में मार्केटिंग टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है. टर्मिनल में, एमआरपीएल से मौजूदा PMHB पाइपिंग के जरिए तैयार पेट्रोलियम उत्पाद (MS, HSD और ATF) प्राप्त किए

जाएंगे. पेट्रोलियम उत्पादों की, रोड टैंकरों के जरिए खुदरा केंद्रों/ग्राहकों/विमानन केंद्रों में आपूर्ति की जाएगी. मेसर्स नौवता इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, परियोजना प्रबंधन सलाहकार है. परियोजना के क्रियान्वयन के लिए टेंडरिंग की प्रक्रिया चल रही है. यह टर्मिनल, विव 2023-24 की पहली तिमाही तक पूरा करना है.

2G एथनॉल

MOP&NG ने एमआरपीएल को सूचित किया है कि वह, कर्नाटक राज्य में 2G एथनॉल संयंत्र स्थापित करें. हम,2G एथनॉल का उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी की खोजबीन कर रहे हैं. इसके के लिए भूमि का आबंटन, KIADB ने हरिहर, दावणगेरे में किया है.

प्राकृतिक गैस फ़ाइरिंग के लिए गैस टर्बाइन में आशोधन

एमआरपीएल के पास दो गैस टर्बाईन हैं. इस समय, GT-1 को हल्के चक्र तेल के सहारे और GT-2 को रिफाइनरी ईंधन गैस से फायर किया जाता है. लेकिन प्राकृतिक गैस उपलब्ध होने के कारण, शुद्ध ईंधन होने के नाते प्राकृतिक गैस के सहारे गैस टर्बाइनों को फायर करना किफ़ायती होगा. मेसर्स L&T-SL, परियोजना प्रबंधन सलाहकार है और मेसर्स BGGTS, परियोजना के लाइसेंसकर्ता है. परियोजना का काम चल रहा है जिसे विव 2021-22 की चौथी तिमाही में चालू किया जाएगा.

CCR-1 का पुनर्योजन

CCR-1, भारी नैफ़्ता फ़ीडस्टॉक को अधिक ऑक्टेन युक्त रीफ़ॉर्मेट में रूपांतरण करता है जिससे कि गैसोलीन मिश्रण और जलोपचार / हाइड्रो क्रैकिंग के लिए हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सके. रीजनरेटर कोकर बर्न क्षमता को बढ़ाने की खातिर CCR-1 के रीजनरेटर खंड का पुनर्योजन किया जा रहा है जिससे कि समग्र क्षमता को 80 m^3/घंटे (वर्तमान 75 m^3/ घंटे से) तक बढ़ाया जा सके. मेसर्स ट्रायून एनर्जी सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना के लिए इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण प्रबंध सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है. परियोजना का यांत्रिक कार्य, विव 2021-22 की तीसरी तिमाही में पूरा करना है.

PFCC स्टैक वेंट्‌ गैस स्क्रब्बर प्रणाली

पेट्रोकेमिकल तरलीकृत उत्प्रेरकी भंजन यूनिट (PFCC), हाइड्रोक्रैकर यूनिट से निकले अरूपांतरित तेल का, स्ट्रेट रन्न कम गंधक युक्त निर्वात गैस तेल, जलोपचारित भारी कोकर गैस तेल का प्रसंस्करण करते हुए इनका मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे प्रॉपीलीन, एलपीजी और गैसोलीन में रूपांतरण करती है. इस प्रक्रिया में, उत्प्रेरक पर कार्बन जम जाता है जिससे भंजन की प्रक्रिया में मदद करने की उत्प्रेरक की क्षमता घट जाती है. तदनंतर कार्बन को जलाया जाता है और उत्प्रेरक का पुनर्जनन होता है. पुनर्जनन प्रक्रिया में धुआं गैस का उत्पादन होता है जो उत्प्रेरक के सूक्ष्म अंश हटाने के लिए एक साइक्लोन एवं विपाटकों की प्रणाली से गुजरता है. माना जाता है कि इस परियोजना के सहारे प्रदूषण नियंत्रक उपाय के तौर पर PFCC के धुआं गैस में SPM सीमा घट जाती है. मेसर्स थाइसेनक्रुप्प इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, परियोजना के परियोजना प्रबंधन सलाहकार है. परियोजना का यांत्रिक कार्य, विव 2023-24 की पहली तिमाही में पूरा करना है.

PFCC LPG + प्रॉपीलीन अमाइन स्क्रब्बर

पेट्रोकेमिकल तरलीकृत उत्प्रेरकी भंजन यूनिट (PFCC) में अधिक गंधक अंश के साथ फ़ीड का प्रोसेसिंग तो होता है लेकिन LPG और प्रॉपीलीन में अधिक हाइड्रोजन सल्फ़ाइड (H_2S) अंश की अपेक्षा होती है. वर्तमान प्रणाली में, LPG और प्रॉपीलीन उत्पाद में H_2S की पूर्ति, कास्टिक वाश से होती है. अमाइन स्क्रब्बर प्रणाली में कास्टिक वाश पर निर्भरता काफ़ी हद तक कम हो जाती है. यह प्रणाली, LPG और प्रॉपीलीन धाराओं में H_2S को हटाती है और मौजूदा कास्टिक उपचार प्रणाली में भुक्तशेष कास्टिक उत्पादन को कम करती है. परियोजना का यांत्रिक कार्य, विव 2023-24 की पहली तिमाही में पूरा करना है.

डिजिटल रूपांतरण और IT सुरक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी

संगठनात्मक मांगों का समर्थन करने और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने की दृष्टि से एमआरपीएल, डिजिटल रूपांतरण की दिशा में कई पहल करता रहा है. एमआरपीएल में अत्याधुनिक SAP डेटा सेंटर (DC) और आपदा निस्तार (DR) केंद्र है. डेटा सेंटर में कई हार्डवेयर सुविधाएं हैं जो संगठन की दैनंदिन व्यावसायिक ज़रूरतें पूरी करता है. एमआरपीएल ने हाल में अपने ERP और उससे जुड़ी हार्डवेयर संरचना का तकनीकी माइग्रेशन, सफलता से किया. इससे कारोबार में बेहतर निष्पादन करने में मदद मिली है और भविष्य में आने वाले नए संस्करणों से संगत होगा.

सूचना प्रौद्योगिकी के छोर पर, एमआरपीएल को एमआरपीएल SAP डेटा सेंटर और आपदा निस्तार केंद्र के लिए, ISO-27001:2013 प्रमाणीकरण दिया गया है. ISO 27001:2013 अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणालियों (ISMS) के लिए एक ढांचा प्रदान करता है जिससे कि सूचना की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता लगातार प्रदान की जा सके. इस मानक में, सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणालियों (ISMS) के लिए अपनाई जा रही बेहतरीन पद्धतियों का वर्णन किया गया है जिससे संगठनों को अपनी सुरक्षा में सुधार करने, साइबर सुरक्षा विनियमों का अनुपालन करने और अपनी प्रतिष्ठा की हिफ़ाजत कर उसे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

एमआरपीएल ने हमेशा, अपनी व्यावसायिक प्रक्रिया और वितरण तंत्र में प्रभावशीलता एवं पारदर्शिता लाने की ज़रूरत पर बल देता रहा है. उक्त उद्देश्य पूरा करने की दिशा में एमआरपीएल ने ई-कार्यालय प्रणाली लागू की है. यह एक डिजिटल वर्क स्पेस समाधान है जो फ़ाइलें और दस्तावेज हाथ से संभालने की मौजूदा पद्धति का स्थान लेता है जिसमें दक्ष इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अपनाई जाती है. इस समाधान से कई उद्देश्य हासिल करने की संभावना है जैसे एमआरपीएल के अंदर, प्रक्रियाओं की दक्षता और प्रभावशीलता, कर्मचारी उत्पादकता बढ़ाना और डेटा, दस्तावेजों, फ़ाइलों, सूचना और ज्ञान, परियोजना का ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग आदि का दक्ष प्रबंधन जिससे कि विभागों में बेहतर कम्युनिकेशन और समन्वय स्थापित किया जा सके.

साचिविक मानक

साचिविक लेखा परीक्षक ने प्रमाणित किया है कि आपकी कंपनी ने लागू साचिविक मानकों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ' निदेशक मंडल की बैठक ' और ' सामान्य बैठक ' से संबंधित क्रमश: SS-1 और SS-2 का पालन किया है.

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी निष्पादन

HSE पर कंपनी की नीति है, कानून में अपेक्षित न्यूनतम मानदंड से बेहतर प्रदर्शन करना. पर्यावरण प्रबंधन के छोर पर प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार रहीं:

पर्यावरण प्रबंधन

- PFCC यूनिट में वेट्ट गैस स्क्रब्बर, पुन:गैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (RLNG) सुविधा, CCR1 पुनर्योजन, BBU, LPG ATU समेत प्रस्तावित आधुनिकीकरण परियोजना के लिए MoEF&CC से पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिली है.
- 2G-एथनॉल परियोजना के सिलसिले में पर्यावरण संबंधी मंजूरी पाने के लिए, राज्य पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण, कर्नाटक सरकार ने सिफ़ारिश की थी. संशोधित वन्यजीव संरक्षण योजना, DCF, हावेरी के समक्ष प्रमाणीकरण के लिए पेश की गई है.
- MRPL BS-VI परियोजना के सिलसिले में परिचालन की सहमति (CFO) संबंधी आवेदन पत्र पेश किया गया है और KSPCB ने स्थल का निरीक्षण पूरा किया है.
- तण्णीरभावी गांव में विलवणन यूनिट के सिलसिले में परिचालन की सहमति (CFO) संबंधी आवेदन दर्ज किया गया है.
- देवनगुंथी में प्रस्तावित मार्केटिंग टर्मिनल के लिए स्थापना की सहमति संबंधी आवेदन दर्ज किया गया है. इसके लिए वन विभाग, कर्नाटक सरकार से NOC प्राप्त किया गया है.
- PACE परियोजना का पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन करने के लिए आधारभूत निगरानी शुरु की गई है.

- बांस की फ़सल का दोहन करने और जलवायु में होते रहे परिवर्तन से लड़ने के लिए बांस वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की खातिर मरुस्थल में बांस के पौधे लगाए गए.
- 348 MT, चिपचिपा कीचड़ , 976 MT, PFCC भुक्तशेष उत्प्रेरक, 230 MT, भुक्तशेष मिट्टी और 311 MT, अपशिष्ट इन्स्यूलेशन का SPCB प्राधिकृत सिमेंट उद्योगों में सह प्रोसेसिंग किया गया.
- 538 MT, भुक्तशेष उत्प्रेरक और 141 MT, भुक्तशेष कार्बन, SPCB द्वारा प्राधिकृत रीसाइक्लर्स/रीप्रोसेर्स के जरिए बेचा गया.
- 2.2 MT, E-अपशिष्ट (फ्यूस हुए लैंप), SPCB द्वारा प्राधिकृत रीसाइक्लर्स के जरिए निपटाया गया.
- 15.9 MT, अपशिष्ट श्वेत तेल, SPCB द्वारा प्राधिकृत इन्सिनरेशन सुविधा के जरिए बेचा गया.
- विव 20-21 के दौरान मंगलूरु शहर से तिगुना उपचारित 6185314 M^3 नगरपालिका मल-जल का एमआरपीएल में उपयोग किया गया.
- NMPT और कोस्ट गार्ड की मदद से SPM इलाके में तेल छलकने के बारे में नकली प्रदर्शन किया गया.

संरक्षा

- एमआरपीएल कर्मचारियों के मामले में, 31/03/2021 को, घायल होने पर समय नष्ट हुए बगैर (RLTI) 1755 दिनों तक और 31/03/2021 को ठेका कामगारों के मामले में RLTI के बगैर 273 दिनों तक काम किया गया.
- आपकी कंपनी ने 31/03/2021 को एमआरपीएल कर्मचारियों द्वारा काम किए गए 24.17 दशलक्ष श्रम घंटे भी हासिल किए.
- आपदा प्रबंधन की दिशा में तैयार रहने का प्रदर्शन करने के लिए उप आयुक्त, मंगलूरु और कारखाना उप निदेशक के समक्ष ऑन-साइट नकली प्रदर्शन किया गया.
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, कर्नाटका चाप्टर ने बाह्य संरक्षा संबंधी लेखा परीक्षा की.
- PNGRB से मान्यता प्राप्त निरीक्षण एजेंसी ने ERDMP दस्तावेज का प्रमाणीकरण करने के लिए साइट आकलन सर्वेक्षण किया.
- तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (OISD) ने रिफ़ाइनरी की बाह्य सुरक्षा लेखा परीक्षा की और FGTU यूनिट की चालू पूर्व सुरक्षा लेखा परीक्षा की.

व्यावसायिक स्वास्थ्य

- रिफ़ाइनरी में दो व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र (OHC) और टाउनशिप में एक अस्पताल में उपलब्ध आपातकालीन चिकित्सा सहायक उपकरणों के साथ-साथ 10 डॉक्टरों और परा चिकित्सीय के साथ दिन-रात एंबुलेंस सुविधा के अलावा रासायनिक संपर्क, आपातकालीन दवाओं और एंटीडोट्स के लिए शॉवर सुविधा भी है.
- Covid-19 के दौरान, एमआरपीएल का व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र ने प्रतिक्रिया स्वरूप सबसे पहले सलाहकार परिपत्र जारी किया. बाद में, स्थिति की गंभीरता को आजमाते हुए Covid-19 को फैलने से रोकने और उससे लड़ने की खातिर हर संभव व्यवस्थाएं करते हुए व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र को मुनासिब तरीके से और पर्याप्त रूप से समर्थन दिया गया. एमआरपीएल अस्पताल को अनुमोदित प्रोटोकॉल के अनुसार पर्याप्त रूप से सुसज्जित बनाया गया जिसे Covid-19 से लड़ने के लिए ज़रूरत पड़ने पर आगे की चिकित्सा के लिए निर्दिष्ट करने से पहले प्रारंभिक जांच और चिकित्सा के प्रयोजन से सभी हिस्सेदारों के लाभार्थ नाम निर्दिष्ट स्थान घोषित किया गया.

संधारणीय विकास

- भविष्य में गतिशील बाजार में तैयार रहने के लिए आपकी कंपनी ने संधारणीयता को एक प्रमुख कारक के रूप में लिया है.

इस प्रक्रिया में हमने सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चुनौतियां स्वीकार कीं और तदनुसार हमारी परिष्करण प्रक्रिया में परिवर्तन किया. इस प्रक्रिया के दौरान एमआरपीएल, ऊर्जा की बचत करते हुए, अपनी प्रक्रियाओं में ऊर्जा दक्षता बढाते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हुए कार्बन के पद चिह्न कम करने से जुड़ी परियोजनाएं, संधारणीय जल प्रबंधन परियोजना चलाता रहा है जिससे पुन:चक्रण करते हुए ताजा जल की खपत कम की जा सकेगी/उपचारित बहिस्राव का उपयोग किया जा सकेगा और घटाने, पुन: उपयोग करने और पुन:चक्रण जैसी पहल से प्रभावशाली अपशिष्ट प्रबंधन किया जा सकेगा.

· एमआरपीएल, करीब 41 एकड़ों की कच्छ भूमि में जैव विविध पार्क बना रहा है. इस प्रक्रिया में, एमआरपीएल ने इस क्षेत्र में डोमेन विशेषज्ञ डॉ. शिवराम कारंत पिलिकुला निसर्ग धामा के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए. इस पार्क को स्थापित करने के लिए लगभग 60 महीने लगेंगे और उम्मीद है यह पार्क, 2024 में पूरी तरह से विकसित होगा. इस प्रक्रिया में, कच्छ भूमि को पूर्ण रूपेण जैव-विविधता पार्क में परिवर्तित किया जाएगा जिसमें स्थानिक पेड़-प्रजातियां होंगी जिससे पक्षियों, कीटों आदि को आकर्षित करने में मदद मिलेगी. इसमें जलीय पौधे भी होंगे जिससे मछली और अन्य जलचर की विविधता बढ़ाने में मदद मिलेगी.
- जैव विविधता का संरक्षण करने - पिलिकुला जैव पार्क में वन्य जीवी पार्क, द.क. के वन्य जीवियों को गोद लेने की खातिर डॉ. शिवराम कारंत पिलिकुला निसर्ग धामा के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.
- आपकी कंपनी ने, पेड़/पौधे के अपशिष्टों जैसे पत्तों, शाखाओं आदि का खाद में परिवर्तन करने की खातिर अपने परिसर के अंदर कृमि खाद उत्पादन सुविधा भी स्थापित की है जिसका बागबानी गतिविधियों और हरित पट्टी विकास में खाद की तरह इस्तेमाल किया जाएगा. इससे हम इस समय इस्तेमाल किए जाते रहे अकार्बनिक उर्वरक पर अपनी निर्भरता कम कर पाएंगे. 40 kg के वर्मी कांपोस्ट के पहले बैच की 26/03/2021 को कटाई की गई.
- एमआरपीएल, बेंगरे, पणंबूर, मंगलूरु में लगभग 25 एकड़ की भूमि में एक ट्री पार्क स्थापित करने जा रहा है जो हमारे विलवणन संयंत्र के नज़दीक है. यह कार्य, कर्नाटक वन विभाग (KFD) के सहयोग से किया जा रहा है;
- सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण संबंधी पहलुओं का एकीकरण करते हुए अल्पावधि और दीर्घावधि हितों का संतुलन करते हुए अधिक स्वच्छ ऊर्जा समाधान पेश करने के हर संभव प्रयास किए गए हैं. इससे हम अपना कारोबार, सुरक्षित ढंग से, दक्षता और जिम्मेदार तरीके से निभा सकेंगे.

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

एमआरपीएल द्वारा सामाजिक कल्याण और सामुदायिक विकास की तरफ पहल करते समय शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, स्वास्थ्य की देखभाल और स्वच्छता एवं प्रचालन क्षेत्रों के इर्द-गिर्द/दक्षिण कन्नड और उडुपी जिले/कर्नाटक राज्य में बुनियादी सुविधाओं का समग्र विकास करने पर ख़ास ध्यान दिया जाता है. ये परियोजनाएं, काफ़ी हद तक, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार हैं.

एमआरपीएल की CSR नीति का ख़ास मक़सद है, संगठन में हर एक स्तर पर अधिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना, अपना कारोबार आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय तरीके से चलाते हुए अपने तमाम हिस्सेदारों के हितों को मान्यता देना.

CSR प्रक्रिया के लिए कंपनी ने नीचे उल्लिखित ध्यान देने योग्य क्षेत्रों को पहचाना है:

1. शिक्षा संरक्षण
2. आरोग्य संरक्षण
3. बहुजन संरक्षण
4. प्रकृति संरक्षण
5. संस्कृति संरक्षण

CSR और SD नीति के बारे में जानकारी कंपनी के वेबसाइट http://www.mrpl.co.in/csr.पर उपलब्ध है. विव 2020-21 के लिए CSR गतिविधियों के बारे में वार्षिक रिपोर्ट, **" अनुबंध - अ "** के रूप में दी गई है.

सहायक / संयुक्त उद्यमों/सहबद्ध कंपनियों का निष्पादन और उनकी वित्तीय स्थिति

वित्त 2020-21 के दौरान एमआरपीएल ने ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (ओएमपीएल) में ओएनजीसी के शेयर खरीदे और 31 मार्च, 2021 को ओएमपीएल में एमआरपीएल के 99.99% शेयर रहें. मटीरियल सब्सिडीयरी नीति के अनुसार OMPL, वित्त 2020-21 के लिए मटीरियलिटी का परीक्षण लागू करने के लिए कंपनी की मटीरियल सब्सिडीयरी नहीं है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए ओएमपीएल का एमआरपीएल के साथ समामेलन करने की एक योजना, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष पेश की गई है. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम (5) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) का अनुसरण करते हुए, सहायक और संयुक्त उद्यमों के निष्पादन और उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में विवरण, समेकित वित्तीय विवरण के अनुबंध के रूप में दिए गए हैं. सहायक, सहबद्ध कंपनी और संयुक्त उद्यम के निष्पादन और उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में ब्यौरे, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (MDA) रिपोर्ट में दिए गए हैं.

सेबी के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने मटीरियल सब्सिडीयरीस का निर्धारण करने के लिए एक नीति बनाई है जिसे कंपनी के वेबसाइट पर देखा जा सकता है.

सहायक कंपनी एवं समेकित वित्तीय विवरण की वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और " सहबद्ध और संयुक्त उद्यमों में निवेश " के बारे में AS-28 के साथ पठित " समेकित वित्तीय विवरणों " के बारे में लेखा मानक AS 110 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट के ही एक भाग हैं. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों और कंपनी की संबंधित जानकारी और सहायक कंपनी के लेखा परीक्षित लेखे सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. ये दस्तावेज भी, मंगलूर में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कारोबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे.

भारतीय लेखा मानक (IND AS) – IFRS में अभिसरित मानक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने 16 फरवरी, 2015 को सूचित किया कि भारतीय लेखा मानक (Ind AS), कुछ श्रेणी की कंपनियों के लिए, संक्रमण दिनांक 1 अप्रैल, 2015 होते हुए 1 अप्रैल, 2016 से लागू होंगे. Ind AS ने कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (“the Act”) की धारा 133 के तहत निर्धारित पूर्व भारतीय GAAP का स्थान ले लिया है जो कंपनी के लिए 1 अप्रैल, 2016 से लागू होगा.

आरक्षित निधि में अंतरण

वित्तीय वर्ष 2020-21 में सामान्य आरक्षित निधि में कोई रकम अंतरित नहीं की गई.

लाभांश

हानि उठाने के कारण, आपके निदेशक, वित्त 2020-21 के लिए लाभांश की सिफ़ारिश करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग संबंधी दायित्व एवं प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (" सेबी लिस्टिंग संबंधी विनियम") के विनियम 43क के अनुसार लाभांश वितरण नीति, कंपनी के वेबसाइट पर अपलोड की गई है.

जमाराशियाँ

आपकी कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 74 और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुसरण करते हुए वर्ष के दौरान कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की.

ऋण, गारंटियों और निवेशों के विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 / 186 के प्रावधानों के तहत विव 2020-21 के दौरान कोई ऋण नहीं दिए गए / गारंटियां अथवा जमानत नहीं दी गईं. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत समाविष्ट पूर्व वर्षों में किए गए निवेशों के ब्यौरे, इस वार्षिक रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दिए गए हैं.

शेयर पूंजी

कंपनी ने विव 2020-21 के दौरान कोई शेयर निर्गमित नहीं किए. 31.03.2021 को आपकी कंपनी की निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी ₹ 1,753 करोड़ रही. कंपनी ने विव 2020-21 के दौरान किसी भी योजना के तहत अपने कर्मचारियों को लाभांश, मतदान के विषय में विभेदक अधिकारों के साथ अथवा अन्यथा कोई इक्विटी शेयर और साथ ही उद्यम इक्विटी शेयर निर्गमित नहीं किए.

वित्तीय वर्ष के अंत में और रिपोर्ट तारीख के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

वर्ष के दौरान कारोबार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. वर्ष की समाप्ति के बाद और इस रिपोर्ट की तारीख तक, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए न ही कोई प्रतिबद्धताएं की गईं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करें. लेकिन Covid-19 सर्वव्यापी महामारी का प्रभाव, कंपनी/समूह के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है.

मानव संसाधन

आपकी कंपनी, अपने मानव संसाधनों की सर्वाधिक कद्र करती है. उनका मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से, आपकी कंपनी, कर्मचारियों और उनके परिजनों को कई कल्याण फायदे प्रदान करती है जैसे क्षतिपूरक चिकित्सा, शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने अपने कर्मचारियों की खातिर कल्याण से जुड़ी विभिन्न नीतियां लागू कीं.

कंपनी, एमआरपीएल कर्मचारी मनोरंजन केंद्र चला रही है. इस केंद्र में, कर्मचारियों और उनके आश्रितों के मनोरंजन के लिए बहुत सारी गतिविधियां चलाई जाती हैं.

वर्ष 2020-21 के दौरान आपकी कंपनी का अपने सहयोगियों के साथ संबंध हार्दिक एवं सौजन्यपूर्ण रहा और इस दौरान किसी औद्योगिक उपद्रव के कारण एक भी श्रम घंटा गंवाया नहीं गया. सुलह करने की खातिर सहायक श्रम आयुक्त (C) के समक्ष 6 फरवरी 2021 को MEU(एमआरपीएल एंप्लाईस यूनियन) के साथ दीर्घावधि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

कंपनी की कल्याण नीतियों में उद्योग की नीतियों के अनुरूप संशोधन किया जा रहा है जिससे कि कर्मचारियों को अधिक लाभ मिले.

अ.जा / अ.ज.जा. / पीडब्ल्यूडी के बारे में रिपोर्ट करना

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण देने के बारे में सार्वजनिक उद्यम विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रपति के निदेश और अन्य दिशानिर्देशों का पालन किया गया है. संधारणीय एवं प्रभावशाली अनुपालन करने के लिए पर्याप्त निगरानी तंत्र लागू किया गया है.

सरकारी निदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. निदेशों के अनुसार आरक्षण रोस्टर रखे गए हैं जिनका कंपनी के संपर्क अधिकारी एवं MoP&NG के अधिकारी द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है ताकि निदेशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके. एमआरपीएल, नि:शक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को रोजगार के अवसर प्रदान करने से संबंधित नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत प्रावधानों का पालन भी करता है. यथा 31/03/2021, नि:शक्त 32 स्थाई कर्मचारी एमआरपीएल में काम कर रहे थे.

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 23 कर्मचारियों की भर्ती की जिनमें अनुसूचित जाति (SC) के 04 कर्मचारी, अनुसूचित जनजाति (ST)के 01 कर्मचारी समेत 05 महिला कर्मचारी हैं.

वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी ने प्रशिक्षण, विकास और सीखने के लिए 6510 श्रम दिवस लगाए जो प्रबंधन स्टाफ के मामले में प्रति कर्मचारी 5.44 औसत श्रम दिवस और गैर प्रबंधन स्टाफ के मामले में प्रति कर्मचारी 1.52 श्रम दिवस बनता है.

राष्ट्रपति के निदेश के परिच्छेद-29 के अनुसार, निर्धारित प्रोफार्मा अ.जा./अ.ज.जा./ OBC रिपोर्ट - I और अ.जा./अ.ज.जा./ OBC रिपोर्ट - II में अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यावेदन से संबंधित आंकड़ें इस रिपोर्ट के ' **अनुबंध - आ** ' के रूप में संलग्न किए गए हैं.

कौशल विकास केंद्र :

भारत सरकार के राष्ट्रीय कुशलता विकास मिशन के अंग के तौर पर एमआरपीएल ने कौशल विकास के प्रति पहल कीं. एमआरपीएल ने बेरोजगार युवकों को कुशलता विकास प्रशिक्षण देने के लिए NTTF, बेंगलूरु और CIPET, मैसूरु के साथ सहयोग किया. ये दोनों संस्थान, राष्ट्रीय कुशलता विकास परिषद (NSDC) से संबद्ध हैं. उक्त संस्थानों में अब तक 230 अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण पूरा किया है और 182 अभ्यर्थियों ने विभिन्न उद्योगों में नौकरी पाई है. शेष अभ्यर्थियों ने यातो उच्चतर कुशलता हासिल करने के इरादे से अपना ही कारोबार शुरु किया है या विदेश चले गए हैं.

महिलाओं का सशक्तीकरण

कंपनी के कार्य बल में महिला कर्मचारियों का अनुपात 7.23 प्रतिशत है.

आपकी कंपनी में, कार्य स्थान पर महिला का यौन उत्पीडन (रोकथाम, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाई है. विव 2020-21 के दौरान समिति को किसी मामले की खबर नहीं दी गई. कार्य स्थान पर महिला का यौन उत्पीडन से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट, ' **अनुबंध - इ** ' के रूप में संलग्न की गई है.

राजभाषा

वर्ष 2020-21 की वार्षिक हिन्दी कार्यान्वयन रिपोर्ट

आपकी कंपनी, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा नीति का अक्षरश: कार्यान्वयन कर रही है. कर्मचारियों में हिन्दी का, प्रचार-प्रसार करने और प्रवर्धन करने की दृष्टि से, मंगलूर, मुंबई, दिल्ली और बेंगलूर कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाएँ, नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं. नियमित अंतरालों में आंतरिक विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया.

साथ ही सितंबर 2020 के महीने में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया और कई ऑनलाइन प्रतियोगिताएं चलाई गईं जैसे हिन्दी ज्ञान प्रतियोगिता, प्रशासनिक शब्दावली, पत्र लेखन आदि इसके अलावा कर्मचारियों की खातिर जनवरी 2021 में एक और ऑनलाइन हिन्दी प्रतियोगिता चलाई गई (प्रशासनिक शब्दावली).

राष्ट्रीय संरक्षा दिवस, पर्यावरण दिवस, सुरक्षा जागरूकता सप्ताह और सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों लिए प्रतिस्पर्धाएँ, हिन्दी भाषा में आयोजित की गईं. हिन्दी मास संबंधी समारोहों के दौरान मुमप्र और समप्र जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विशेष प्रश्नोत्तरी प्रतिस्पर्धा चलाते हुए हिन्दी का प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है.

प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाओं में अर्हता हासिल करने के लिए कर्मचारियों की खातिर नियमित रूप में हिन्दी कक्षाएं चलाई गईं. नकद पुरस्कार और वैयक्तिक वेतन आदि जैसी प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए कर्मचारियों को हिन्दी परीक्षाएं पास करने के लिए प्रेरित किया जाता है. संगठन में हिन्दी पत्राचार बढ़ाने के लिए दैनिक कार्यालय कामकाज में इस्तेमाल किए जाते रहे सभी कंप्यूटरों पर यूनिकोड सुविधाएं सक्षम की गईं.

कक्षा-X की हिन्दी परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एमआरपीएल टाउनशिप में स्थित DPS (दिल्ली पब्लिक स्कूल) स्कूल के 14 छात्रों को विशेष पुरस्कार दिए गए.

आपकी कंपनी ने नराकास स्तर पर आयोजित हिन्दी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर तीन पुरस्कार जीते और नराकास स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया. अगस्त 2020 में नराकास सदस्य संगठनों के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन हिन्दी निबंध प्रतियोगिता चलाई गई.

कंपनी में हिन्दी का प्रचार-प्रसार और प्रवर्धन करने की खातिर " एमआरपीएल प्रतिबिंब " नामक एक गृह पत्रिका, हिन्दी में वर्ष में एक बार प्रकाशित की जा रही है. एमआरपीएल, राजभाषा (राभा) के दिशानिर्देशों का पालन करता आया है और इस दिशा में वर्ष की चारों तिमाहियों के दौरान प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (राभाकास) की बैठकें आयोजित की गईं जिनमें एमआरपीएल में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा की गई और हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाई गई. आपकी कंपनी, कर्मचारियों को प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और प्रोत्साहन के जरिए प्रेरित करते हुए संगठन में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की खातिर लगातार प्रयास कर रही है.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक व्यापक तंत्र बनाया है. कंपनी ने मंगलूर में पंजीकृत कार्यालय में एक नोडल अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी (FAA), एक केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (CPIO) और दो सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारियों(APIOs) का नाम निर्देशन किया है जो मंगलूर में कार्य करेंगे. RTI अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार आरटीआई मैनुअल, कंपनी के वेबसाइट पर प्रकट किया गया है. आपकी कंपनी ने DoPT द्वारा शुरु किए गए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के साथ संरेखण किया है और पोर्टल के जरिए प्राप्त तमाम आवेदन पत्रों/अपीलों को पोर्टल के जरिए निपटाए गए.

केंद्रीय सूचना आयोग के ऑनलाइन पोर्टल www.cic.gov.in के जरिए तिमाही रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट, निर्धारित समय सीमा के अंदर पेश की गईं हैं. आपकी कंपनी में प्राप्त एवं निपटाएं गए RTI संबंधी आवेदन पत्रों के आंकड़ें, ऑनलाइन www.mrpl.co.in/Content/RTI. पर उपलब्ध हैं.

सुरक्षा उपाय

रिफाइनरी में सुरक्षा का इंतजाम, तेल क्षेत्र के लिए बुनियादी संरक्षण योजना (OSIPP) का पालन करने और MHA द्वारा की गईं सुरक्षा लेखा परीक्षा संबंधी सिफारिशों के अनुरूप किया गया है.

रिफाइनरी का प्रत्यक्ष संरक्षण करने की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को सौंपी गई है. रिफ़ाइनरी को किसी प्रकार के सुरक्षा खतरों से दूर रखने के लिए, ये, पर्याप्त गैजेटों और हथियारों से पूरी तरह से लैस हैं. रिफाइनरी में समेकित CCTV सह इलेक्ट्रॉनिक अतिक्रमण जासूसी तंत्र के साथ अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षण प्रणाली है जिस पर केंद्रीय कमांड और नियंत्रण केंद्र से निगरानी रखी जाती है.

कंपनी, सुरक्षा को हमेशा से प्राथमिकता देती रही है और हर वक्त तत्पर रहने के लिए कार्य स्थान पर नकली प्रदर्शनों का इंतजाम किया जाता है. सभी हिस्सेदारों में सुरक्षा संबंधी मुद्दों की जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वक्त-वक्त पर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह आयोजित किया जाता है.

सतर्कता कार्य

आपकी कंपनी ने सतर्कता का कामकाज संभालने के लिए एक संरचित तंत्र बनाया है. इसमें सभी हिस्सेदारों के लिए मूल्य निर्मित करने के प्रति अधिक ध्यान दिया जाता है. इस पद्धति में, अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बहुत सारे स्तरों पर जांच-पड़ताल की जाती है और संतुलन बनाए रखा जाता है. वर्ष के दौरान सतर्कता जागरूकता और निवारक सतर्कता संबंधी गतिविधियां लगातार चलाई गईं. आपकी कंपनी में पूर्ण कालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी काम कर रहे हैं जिनकी एक समर्पित टीम मदद कर रही है.

CVC के विनियमों का अनुपालन करते हुए आपकी कंपनी ने शिकायत संभालने की क्रियाविधि अपनाई जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त तमाम शिकायतों का, सतर्कता द्वारा दस्तावेज बनाकर उनका परीक्षण किया जाता है. एमआरपीएल के कार्पोरेट वेबसाइट में बेहतरीन सतर्कता पद्धतियों के ब्यौरे और विभिन्न उपयोगी वेबसाइटों के लिंक भी दिए गए हैं. आपकी कंपनी ने ई-प्रापण, ई-टेंडर और ई-भुगतान के मामले में उच्चतर अनुपालन स्तर हासिल किया है. CVC के अनुदेशों के अनुरूप, आपकी कंपनी ने, ईमानदारी पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम चलाया. जीवन की हर विधा को प्रभावित करने वाली कई जागरूकता गतिविधियां बनाई गईं. सतर्कता विभाग की गृह पत्रिका "पारदर्शक" का पांचवां संस्करण ई-बुक के रूप में निर्मोचित किया गया. मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) ने सतर्कता संबंधी विषयों पर कॉलेजों के लिए सतर्कता जागरूकता ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जिससे कि कॉलेज के छात्रों और नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न की जा सके. इस प्रश्नोत्तरी में लगभग सभी राज्यों और 12 विभिन्न देशों के 4000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया. स्कूल और कॉलेज छात्रों की खातिर " सतर्क भारत - समृद्ध भारत " विषय पर ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई. कॉलेज छात्रों के लिए ऑनलाइन पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई. इस कार्यक्रम में कई स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिया. कर्मचारियों और आश्रितों के लिए प्रचार वीडियो और कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जैसे लघु फिल्म बनाना, पोस्टर बनाना, नारा लिखना, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन आदि, जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एमआरपीएल सामाजिक मीडिया हैंडल में लघु फिल्में, पोस्टर आदि लगाए गए. पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि से एमआरपीएल द्वारा प्रौद्योगिकी का फायदा उठाना, खास ध्यान देने लायक क्षेत्र रहा है.

मुखबिर नीति

निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता तंत्र उपलब्ध कराने के लिहाज से मुखबिर नीति बनाई गई है ताकि अनैतिक बरताव, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी अथवा कंपनी की आचरण संहित अथवा नैतिकता संबंधी नीति के उल्लंघन के बारे में प्रामाणिक मुद्दे उठाए जा सके. प्रतिशोध अथवा उत्पीडन के कारण सद्भाव से मुखबिर बनते हुए सतर्कता तंत्र का उपभोग करने वाले निदेशकों और कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करने और अपवादात्मक मामलों में निदेशकों और कर्मचारियों को सीधे लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से संपर्क करने का मौका प्रदान करने के लिए नीति में आवश्यक रक्षोपाय हैं. यह नीति, कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध है. वर्ष के दौरान, मुखबिर नीति के तहत कोई शिकायत नहीं मिली.

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने सरकारी संगठनों को सलाह दी है कि वे, खरीदारी की अपनी प्रमुख गतिविधियों में स्वेच्छा से सत्यनिष्ठा का इकरारनामा अपनाएं.

सत्यनिष्ठा इकरारनामा, अनिवार्य तौर पर, संभावित विक्रेताओं / बोली लगाने वालों और खरीदार के बीच एक करार है जिसमें दोनों पक्षकारों के व्यक्तियों/अधिकारियों को बाध्य किया जाता है कि वे किसी भी मामले में/ठेके के किसी भी चरण में भ्रष्ट पद्धतियों का सहारा न लें. उन्हीं विक्रेताओं / बोली लगाने वालों को, जो खरीदार के साथ ऐसा समझौता करने के लिए वचनबद्ध हों, बोली लगाने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम समझा जाएगा.

आगे CVC के दिशानिर्देशों में CPSUs को सलाह दी गई है कि वे, सत्यनिष्ठा इकरारनामे के तहत बाध्यताओं के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए CVC द्वारा यथा अनुमोदित स्वतंत्र बाह्य मॉनिटरों को नियुक्त करें.

एमआरपीएल ने CVC के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए सत्यनिष्ठा इकरारनामे का क्रियान्वयन किया है और उसकी सिफ़ारिशों के अनुसार, श्री प्रत्युष सिन्हा, भूतपूर्व CVC को स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया.

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय :

ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी के समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय के संबंध में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(द) का अनुसरण करते हुए प्रकट करने के लिए अपेक्षित जानकारी ' **अनुबंध ई** ' में दी गई है जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है.

प्रबंधन का पारिश्रमिक और कर्मचारियों के विवरण :

एक सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी को कारपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) की दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) और संबंधित नियमों के प्रावधानों से छूट दी गई है.

कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों को, डीपीई के दिशानिर्देशों के अंदर प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात्; एमओपी एण्ड एनजी द्वारा नियुक्त किया जाता है.

वार्षिक विवरणी :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क) के साथ पठित धारा 92(3) का अनुसरण करते हुए 31/03/2021 तक की वार्षिक विवरणी, कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in/shareholders/annualreturn. पर उपलब्ध है.

संबद्ध पक्षकारों के लेन-देन और संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए ठेकों अथवा व्यवस्थाओं के विवरण :

विव 2020-21 के दौरान संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए तमाम लेन-देन नजदीकी तेल भंडारों से और कारोबार के सामान्य क्रम में किए गए. आगे, वर्ष के दौरान प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन के महत्वपूर्ण कर्मचारियों के साथ सामग्री से जुड़े कोई लेन-देन नहीं किए गए और संबंधित पक्षकारों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया गया जिसका व्यापक रूप से कंपनी के हित के साथ संभावित संघर्ष हो सकता था. कंपनी, ख़ास संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन, आम तौर पर अपनी नियंत्रक कंपनी, सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम कंपनी और सहबद्ध कंपनी के साथ करती है. संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए तमाम ठेके/व्यवस्थाएं/लेन-देन नजदीकी तेल भंडारों से किए गए जिससे कि कंपनी के हितों को बढ़ावा मिले. कंपनी ने संबद्ध पक्षकार संबंधी नीति और कार्यविधि अपनाई जो कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में निर्दिष्ट संबद्ध पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा किए गए हर एक ठेके अथवा व्यवस्था के, निर्धारित फार्म सं. AOC - 2 में प्रकट विवरण, ' **अनुबंध - उ** ' के रूप में संलग्न किए गए हैं. MCA ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05.06.2015 के जरिए, दो सरकारी कंपनियों के बीच हुए लेन-देन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के परंतुक 1 और 2 की अनुप्रयोज्यता से छूट दी है.

निदेशक और प्रबंधन के महत्वपूर्ण कर्मचारी :

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कर्मचारियों में हुए परिवर्तन.

एमआरपीएल, एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम (CPSE) होने के नाते, कंपनी के मंडल पर निदेशकों की नियुक्ति, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात्; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoP&NG) द्वारा की जाती है और इस कारण, निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक से संबंधित नीति के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के प्रावधान, MCA की दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होते हैं.

- श्री एम विनयकुमार निदेशक (रिफ़ाइनरी) की 31/05/2020 से सेवानिवृत्ति होने पर एमआरपीएल के बोर्ड पर निदेशक नहीं रहें.
- श्री विजय शर्मा और श्री सुनील कुमार, क्रमश: 04/08/2020 और 10/12/2020 से एमआरपीएल के बोर्ड पर निदेशक नहीं रहें.
- श्री बलबीर सिंह, डॉ. जी.के. पटेल, श्री वी.पी. हरन और श्री सेवा राम, अपना कार्यकाल पूरा होने पर 07/09/2020 से एमआरपीएल के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशक नहीं रहें.
- श्री एम संजय वर्मा को 09/06/2020 से एमआरपीएल के बोर्ड पर निदेशक (रिफ़ाइनरी) के रूप में नियुक्त किया गया.
- श्री रोहित माथुर और सुश्री ईशा श्रीवास्तव (सरकारी नामिती) को 10/12/2020 को एमआरपीएल के बोर्ड पर अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
- श्री रोहित माथुर और सुश्री ईशा श्रीवास्तव, जिनको एमआरपीएल के बोर्ड पर अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, वार्षिक महासभा की तारीख तक अपर निदेशक का पद संभालेंगे और पात्र होने के नाते 33वीं वार्षिक महासभा में निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए पेशकश स्वयं करते हैं.

बोर्ड, संबंधित कार्यकाल के दौरान निर्गामी निदेशकों द्वारा प्रदान की गईं अमूल्य सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है.

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की है कि वे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी (लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अधीन यथा निर्धारित स्वतंत्रता के बारे में मानदंड पूरा करते हैं.

31/03/2021 के बाद निदेशक मंडल में परिवर्तन

- श्री शशि शंकर, अध्यक्ष/निदेशक-एमआरपीएल ने 31/03/2021 को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड की सेवाओं से निवृत्त होने के परिणामस्वरूप एमआरपीएल के बोर्ड से 01/04/2021 को इस्तीफ़ा दिया.
- ओएनजीसी ने श्री सुभाष कुमार को 05/04/2021 से एमआरपीएल के बोर्ड पर अध्यक्ष के रूप में नामित किया.
- ओएनजीसी ने श्री ओम प्रकाश सिंह को 07/06/2021 से एमआरपीएल के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया.

31/03/2021 के बाद महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारियों में परिवर्तन

- 02/05/2021 को दुखद निधन के कारण श्री दिनेश रंजन मिश्रा, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी नहीं रहें.
- श्री के बी श्याम कुमार को 17/05/2021 से कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया.

औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन

एक सरकारी कंपनी होने के नाते एमआरपीएल को, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) की दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में, बोर्ड समितियों और प्रत्येक निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (प) के प्रावधान लागू नहीं होंगे. लेकिन सेबी (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 17 के अनुसार, बोर्ड ने विव 2020-21 के लिए स्वतंत्र निदेशकों का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किया था.

निदेशकों की जिम्मेदारी का बयान :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, आपकी कंपनी का निदेशक मंडल, विव 2020-21 के लिए नीचे उल्लिखित बयान देता है:

क) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करते समय, महत्वपूर्ण विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण देने के साथ-साथ लागू Ind AS का पालन किया गया है.

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियां अपनाईं और उनको लगातार लागू किया तथा मुनासिब और विवेक पूर्ण ढंग से फ़ैसले और आकलन किए जिससे कि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कामकाज का और उस अवधि के लिए कंपनी की हानि का सही एवं निष्पक्ष चित्र पेश किया जा सके;

ग) निदेशकों ने कंपनी की आस्तियों की हिफ़ाज़त करने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा संबंधी पर्याप्त रेकॉर्ड रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती;

घ) निदेशकों ने वार्षिक वित्तीय विवरण, समुत्थान आधार पर तैयार किए हैं;

ङ) निदेशकों ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रक तय किए हैं जिनका कंपनी द्वारा पालन करना होगा और यह कि ऐसे आंतरिक नियंत्रक, पर्याप्त हैं और प्रभावशाली ढंग से चलाए जा रहे हैं; और

च) निदेशकों ने ऐसे उचित तंत्र बनाए हैं जिससे कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और यह कि ऐसे तंत्र, पर्याप्त हैं और प्रभावशाली ढंग से चलाए जा रहे हैं.

बोर्ड की बैठकों की संख्या :

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने विव 2020-21 के दौरान सात (7) बैठकें बुलाईं. दो बैठकों के बीच की अधिकतम अवधि, कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा निर्धारित 120 दिन से अधिक नहीं रही. बोर्ड की बैठकों के ब्यौरे, कार्पोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में पेश किए गए हैं जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है.

लेखा परीक्षा समिति :

लेखा परीक्षा समिति का गठन, कंपनी (मंडल की बैठकें और उसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सेबी लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 18 के तहत यथा निर्धारित विचारार्थ विषय और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कार्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के आधार पर किया गया. ऐसी कोई घटनाएँ नहीं रहीं जहां निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार न किया हो. लेखा परीक्षा समिति के ब्यौरे, कार्पोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दिए गए हैं जो इस रिपोर्ट का ही एक भाग है.

नामांकन, पारिश्रमिक (NR) और मानव संसाधन प्रबंधन (HRM) समिति :

एमआरपीएल, एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम (CPSE) होने के नाते, कंपनी के मंडल पर निदेशकों की नियुक्ति, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात्; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी) द्वारा की जाती है. तदनुसार कंपनी ने कोई नामांकन/पारिश्रमिक नीति नहीं अपनाई है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और सेबी (LODR) विनियम, 2015 तथा CPSE के लिए कार्पोरेट अभिशासन के बारे में DPE के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए आपकी कंपनी ने, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है.

नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा HRM/ NRC के ब्यौरे, कार्पोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में प्रकट किए गए हैं जो इस रिपोर्ट का ही एक भाग है.

एमआरपीएल, एक ' अनुसूची-A ' मिनीरत्न श्रेणी-1 का, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम (CPSE) है. प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) की नियुक्ति, संबंधित नियम, शर्तें और पारिश्रमिक, सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE), भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं.

जोखिम प्रबंधन नीति :

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के अनुरूप, आपकी कंपनी ने अपने समग्र संगठन में उद्यम-व्यापक जोखिम प्रबंधन (ERM) नीति बनाकर लागू की. लेखा परीक्षा समिति, वक्त-वक्त पर, एमआरपीएल में जोखिम निर्धारण और प्रक्रिया के न्यूनतमीकरण की समीक्षा करती है.

विनियामकों/अदालतों द्वारा पारित उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेश :

विनियामकों/अदालतों ने ऐसे कोई उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए हैं जो कंपनी की समुत्थान स्थिति और उसके भावी प्रचालन को प्रभावित करें.

कार्पोरेट अभिशासन :

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (LODR) विनियम, 2015 ने देश में अभिशासन प्रणाली को मजबूत बनाया है. आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी लिस्टिंग विनियम, 2015 के अधीन दी गई अभिशासन की अपेक्षाओं की पूर्ति की है और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तमाम आज्ञापक प्रावधानों एवं कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित सेबी (LODR) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं तथा DPE, भारत सरकार द्वारा CPSE के लिए जारी कंपनी अभिशासन संबंधी अनिवार्य दिशानिर्देशों का पालन किया है. विव 2020-21 की कार्पोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का एक भाग है.

SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 की अनुसूची V का अनुसरण करते हुए कंपनी अभिशासन के शर्तों का अनुपालन करने से संबंधित लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र भी वार्षिक रिपोर्ट का ही एक भाग है. लेखा परीक्षकों ने, कंपनी के बोर्ड पर 07/09/2020 से अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध न होने, लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति के गठन के बारे में लेख-टिप्पणियां की है. अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला, एमओपी एण्ड एनजी के साथ उठाया जा रहा है और एमओपी एण्ड एनजी, इस पर सक्रिय रूप से विचार रहा है.

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी लिस्टिंग विनियम, 2015 की अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए नीचे उल्लिखित नीतियां/संहिताएं बनाई गईं हैं जिनको कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in पर अपलोड किया गया है.

क) मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता;

ख) मुखबिर नीति;

ग) संबद्ध पक्षकार के लेन-देन - नीति और कार्यविधियां;

घ) CSR और SD संबंधी नीति;

ङ) मटीरियल सब्सिडीयरी संबंधी नीति;

च) एमआरपीएल की प्रतिभूतियों में लेन-देन करते समय भेदिया व्यापार को प्रतिबंधित करने संबंधी आंतरिक कार्यविधि और आचरण संहिता;

छ) शेयर बाजारों को घटनाओं का प्रकटन करने के लिए तात्विकता संबंधी नीति:

ज) दस्तावेजों का परिरक्षण करने संबंधी नीति;

झ) बोर्ड के निदेशकों के लिए प्रशिक्षण नीति;

ञ) लाभांश वितरण नीति.

निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) :

IEPF प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियम, 2016 ("the IEPF rules") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कंपनी को अदत्त अथवा अदावी लाभांश का, सात वर्ष के बाद केंद्र सरकार द्वारा स्थापित IEPF में अंतरण करना पड़ेगा. आगे, नियमों के अनुसार, उन शेयरों को, जिनका लाभांश अदा न किया गया हो अथवा जिनके संबंध में शेयरधारकों ने लगातार सात वर्षों से अथवा उससे अधिक वर्षों से दावा न किया हो, उसे भी IEPF प्राधिकरण के डीमैट खाते में जमा करना होगा. वित्तीय वर्ष के दौरान, अदावी लाभांश रकम और तदनुरूपी शेयरों का निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में अंतरण करना बाकी नहीं रहा. इस संबंध में ब्यौरे इस वार्षिक रिपोर्ट के शेयरधारक के बारे में जानकारी खंड में और साथ ही कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in. पर उपलब्ध हैं.

वार्षिक कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट :

सेबी लिस्टिंग विनियम, 2015 में बाजार के पूंजीकरण के आधार पर 1,000 सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों के लिए वार्षिक रिपोर्ट के अंग के तौर पर वार्षिक कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट (ABRR) शामिल करना आज्ञापक बनाया गया है. विनियम का पालन करने की दृष्टि से, विव 2020-21 का ABRR, इस रिपोर्ट का ही एक भाग है.

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण :

सेबी लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 34 के अनुसार, विव 2020-21 की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (MDA), इस रिपोर्ट का ही एक भाग बनती है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण :

आपकी कंपनी में, व्यवस्थित ढंग से सुस्थापित एवं दक्ष आंतरिक नियंत्रण तंत्र है जिससे आंतरिक नियंत्रण का एक ऐसा प्रभावशाली माहौल सुनिश्चित किया जा सकेगा जो कंपनी की नीतियों का अनुपालन करने, उसकी आस्तियों की हिफ़ाज़त करने, धोखाधड़ी और गलतियां होने से रोकने एवं उनका पता लगाने, लेखा संबंधी अभिलेखों की यथातथ्यता और परिपूर्णता एवं भरोसेमंद वित्तीय प्रकटन की वक्त पर तैयारी करने सहित कारोबार चलाने की दक्षता पर आश्वासन दे सके.

कंपनी में, प्रचालन आकार के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण विभाग काम कर रहा है. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा वक्त-वक्त पर लेखा परीक्षा संबंधी अभ्युक्तियों की समीक्षा की जाती है और जब कभी ज़रूरत पड़े, आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं. आंतरिक नियंत्रण तंत्र के बारे में ब्यौरे, प्रबंधन चर्चा संबंधी विश्लेषण रिपोर्ट में प्रकट किए गए हैं जो इस रिपोर्ट का ही अंग है.

जहां तक वित्तीय रिपोर्टिंग नियंत्रकों का संबंध है, आंतरिक लेखा परीक्षक, नियंत्रकों की पर्याप्तता और प्रभावशालिता का सत्यापन करेंगे. आपकी कंपनी ने, 31 मार्च, 2021 को वित्तीय रिपोर्टिंग और उसकी प्रचालन प्रभाविता के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की मौजूदगी के प्रति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया है.

लेखा परीक्षक :

संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स संकर एण्ड मूर्ती, सनदी लेखाकार, कण्णूर और मेसर्स राम राज एण्ड कं., सनदी लेखाकार, बेंगलूरु, विव 2020-21 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक रहें. इन्होंने विव 2020-21 के लिए वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की और अपनी रिपोर्ट पेश की जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कंपनी के वित्तीय विवरणों के बारे में किसी अर्हता का उल्लेख नहीं किया गया है. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निर्दिष्ट लेखों पर टिप्पणियां, स्वत: स्पष्ट हैं और इसलिए इन पर आगे टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को समेकित आधार पर कुल मिलाकर ₹ 25 लाख का शुल्क अदा किया गया.

साचिविक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 का अनुसरण करते हुए विव 2020-21 के लिए वार्षिक साचिविक लेखा परीक्षा करने के लिए मेसर्स उल्लास कुमार मेलिनमोगरु एण्ड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, मंगलूरु को मुकर्रर किया. मेसर्स उल्लास कुमार मेलिनमोगरु एण्ड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, मंगलूरु ने विव 2020-21 के लिए साचिविक लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्ट जारी की है जो **अनुबंध ' च '** के रूप में इस रिपोर्ट का ही एक भाग है. लेखा परीक्षकों ने, कंपनी के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति के बारे में बोर्ड की संरचना को लेकर लेख-टिप्पणियां की है. अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला, एमओपी एण्ड एनजी के साथ उठाया जा रहा है और एमओपी एण्ड एनजी, इस पर सक्रिय रूप से विचार रहा है.

लागत लेखा परीक्षक

कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 का अनुसरण करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लागत लेखों की लेखा परीक्षा, लागत लेखा परीक्षक, मेसर्स चंद्रा वाधवा एण्ड कं., नई दिल्ली द्वारा की जा रही है.

विव 2020-21 के समेकित एवं स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर सी एण्ड एजी की टिप्पणियाँ

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (C&AG) की टिप्पणियाँ, इस रिपोर्ट का ही एक अंग हैं और इसे अनुबंध **" छ "** के रूप में संलग्न किया गया है. आपको यह जानकार खुशी होगी कि विव 2020-21 के लिए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट अथवा वित्तीय विवरणों पर C&AG ने कोई टिप्पणी नहीं की है.

आभार

आपका निदेशक मंडल, शेयरधारकों का शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने अपनी कंपनी पर लगातार भरोसा रखा.आपके निदेशक, भारत सरकार (GoI), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoP&NG), वित्त मंत्रालय (MoF), कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA), सार्वजनिक उद्यम विभाग(DPE), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MoEF), विदेश मंत्रालय (MEA), जहाजरानी मंत्रालय (MoS), गृह मंत्रालय (MHA) और अन्य मंत्रालयों एवं केंद्र सरकार के विभागों को उनके अमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन एवं सतत सहयोग के लिए अपना तहेदिल से आभार प्रकट करते हैं. आपके निदेशक, कर्नाटक सरकार से मिले समर्थन के लिए भी अपना आभार प्रकट करते हैं.

आपके निदेशक, अपनी मूल कंपनी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) से मिलते रहे सतत समर्थन और निर्देश एवं कंपनी के प्रवर्तक होने के नाते, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के समर्थन के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं. आपके निदेशक, नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और बाकी सभी हिस्सेदारों से प्राप्त सतत सहयोग और समर्थन के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं. आपके निदेशक, कंपनी के उत्पादों के लिए बेशकीमती ग्राहकों से मिले सहयोग की कद्र करते हैं और उनके संतोष पर्यंत काम करने का वादा करते हैं. बोर्ड, वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी की उत्कृष्ट उपलब्धि में तमाम कर्मचारियों के, " टीम एमआरपीएल " के रूप में एकजुट होकर एक टीम की भांति संगठित रूप से किए गए सतत प्रयासों एवं अमूल्य सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है.

कृते बोर्ड और उसकी ओर से

हस्ता/-
(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष
(DIN: 07905656)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29/07/2021

अनुबंध - अ

रिपोर्ट अवधि: अप्रैल, 2020 से मार्च 2021 तक

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी गतिविधियों (CSR) पर वार्षिक रिपोर्ट

[अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (न) और कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के नियम 8(1) का अनुसरण करते हुए]

1. कंपनी सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) अनुसूची ' क ' का एक मिनीरत्न पीएसयू है और ONGC की सहायक कंपनी है जो वर्ष-दर-वर्ष भारतीय हाइड्रोकार्बन अनुप्रवाह क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करती आ रही है. प्रारंभ से लेकर एमआरपीएल, " संरक्षण " नाम के साए तले कार्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी गतिविधियां (CSR) चलाता आ रहा है.

एमआरपीएल की CSR नीति, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII तथा कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी नीति) नियम, 2014 और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी " कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और संधारणीयता पर दिशानिर्देश " के अनुरूप बनाई गई है जो 01/04/2014 से लागू हुई. CSR&SD समिति ने नीति की सिफ़ारिश की है और एमआरपीएल बोर्ड ने इसके लिए अपना अनुमोदन दिया है.

आगे, एमआरपीएल बोर्ड ने 10/04/2018 को संपन्न अपनी बैठक में " स्थानीय इलाका " की परिभाषा, अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि योजनाओं, स्थानीय इलाके, कर्नाटक राज्य के अंदर पड़ोसी ज़िलों और भारत में अन्य राज्यों पर खर्च करने के लिए रकम के प्रतिशत, अधिकारों के प्रत्यायोजन और निष्पादन रीति के क्षेत्रों में CSR&SD नीति में संशोधन के लिए अपना अनुमोदन दिया. संशोधित नीति को कंपनी के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है.

कंपनी द्वारा हाथ में ली गईं परियोजनाओं और कार्यक्रमों के वैशिष्ट्य इस रिपोर्ट के अंत में दिए गए हैं.

2. CSR समिति की संरचना:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पदनाम / स्वरूप	वर्ष के दौरान संपन्न सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की कितनी बैठकों में भाग लिया
1	सुश्री ईशा श्रीवास्तव (19/02/2021 से)	अध्यक्ष	लागू नहीं	लागू नहीं
2	श्री आर टी अगरवाल (19/02/2021 से)	सदस्य	लागू नहीं	लागू नहीं
3	डॉ. जी.के. पटेल (07/09/2020 तक)	अध्यक्ष	1	1
4	श्री बलबीर सिंह (07/09/2020 तक)	सदस्य	1	1
5	श्री एम. वेंकटेश (16/01/2019 से)	सदस्य	1	1
6	श्रीमती पोमिला जसपाल (08/09/2020) से)	सदस्य	1	1
7	श्री संजय वर्मा (19/02/2021 से)	सदस्य	1	1

3. वह वेब लिंक दें जिसमें कंपनी के वेबसाइट पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजना को प्रकट किया गया हो.
www.mrpl.co.in/CSR

4. कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी संबंधी नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) का अनुसरण करते हुए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के ब्यौरे :

रिपोर्ट के ब्यौरे **(अनुबंध -I)** के रूप में संलग्न किए गए हैं.

5. कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी संबंधी नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) का अनुसरण करते हुए मुजरा करने के लिए उपलब्ध रकम के ब्यौरे, यदि कोई हो.

क्रम सं.	**वित्तीय वर्ष**	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों से मुजरा करने के लिए उपलब्ध रकम (₹ में)	वित्तीय वर्ष में मुजरा करने के लिए अपेक्षित रकम (₹ में)
1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ : ₹ 26.6 करोड़

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत : ₹ 0.53 करोड़
(ख) पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा कार्यकलापों के कारण उत्पन्न अधिशेष : ₹ 46.51 करोड़
(ग) वित्तीय वर्ष में मुजरा करने के लिए अपेक्षित रकम, यदि कोई हो : कुछ नहीं
(घ) वित्तीय वर्ष का कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख+7ग) : ₹ 47.04 करोड़

8. (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए खर्च की गई अथवा खर्च न की गई सीएसआर रकम

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल रकम (₹ में)	खर्च न की गई रकम (₹ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार खर्च न की गई सीएसआर खाते में अंतरित कुल रकम		धारा 135(5) के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी कोष में अंतरित रकम		
	रकम	अंतरण दिनांक	कोष का नाम	रकम	अंतरण दिनांक
₹ 25.36 करोड़	₹ 21.68 करोड़	30/04/2021	लागू नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 में **चालू परियोजनाओं** के प्रति खर्च की गई सीएसआर रकम के ब्यौरे **(अनुबंध-II)**

(ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 में **चालू परियोजनाओं** से भिन्न परियोजनाओं के प्रति खर्च की गई सीएसआर रकम के ब्यौरे **(अनुबंध - III)**

(घ) प्रशासनिक ओवरहेड पर खर्च की गई रकम : ₹ 0.94 करोड़

(ङ) अगर लागू हो तो प्रभाव आकलन पर खर्च की गई रकम : ₹ 0.06 करोड़

(च) वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल रकम (8ख+8ग+8घ+8ङ): ₹ 25.36 करोड़

(छ) मुजरा करने के लिए अतिशय रकम, यदि कोई हो – कुछ नहीं

क्रम सं.	विवरण	रकम (₹ करोड़ों में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	0.53
(ii)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल रकम	25.36
(iii)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई अतिशय रकम [(ii)-(i)]	24.83
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा कार्यकलापों के कारण उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	46.51
(v)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों से मुजरा करने के लिए उपलब्ध रकम [(iii)-(iv)]	कुछ नहीं

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में खर्च न की गई सीएसआर रकम के ब्यौरे : (अनुबंध -IV)

(ख) पूर्व वित्तीय वर्षों में चालू परियोजनाओं के मामले में वित्तीय वर्ष में प्रति खर्च की गई सीएसआर रकम के ब्यौरे: (अनुबंध-V)

10. अगर पूंजीगत आस्ति का निर्माण अथवा अधिग्रहण किया गया हो तो वित्तीय वर्ष में सीएसआर खर्च के जरिए इस तरह से निर्मित अथवा अधिग्रहीत आस्ति से संबंधित ब्यौरे पेश करें

(आस्ति-वार ब्यौरे).

(क) पूंजीगत आस्ति(आस्तियों) के निर्माण अथवा अधिग्रहण की तारीख : लागू नहीं

(ख) पूंजीगत आस्ति का निर्माण अथवा अधिग्रहण करने के लिए खर्च की गई सीएसआर रकम : लागू नहीं

(ग) उस उद्यम अथवा सार्वजनिक प्राधिकारी अथवा हिताधिकारी के ब्यौरे जिनके नाम ऐसी पूंजीगत आस्ति का पंजीकरण किया गया हो, उनके पते आदि : लागू नहीं

(घ) निर्मित अथवा खरीदी गई पूंजीगत आस्ति(आस्तियों) के ब्यौरे दें (पूंजीगत आस्ति के संपूर्ण पते और स्थान सहित): लागू नहीं

11. अगर कंपनी, धारा 135 के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में नाकाम रही हो तो उसका कारण(उसके कारण) निर्दिष्ट करें

अधिकतर परियोजनाएं, कार्यान्वयन चरण में हैं. COVID-19 सर्वव्यापी महामारी के कारण विशेषकर सिविल निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं में उल्लेखनीय विलंब हुआ. आगे, साइट की स्थिति और डिज़ाइन/ड्राइंग्स में परिवर्तन के कारण, सरकार आदि द्वारा अनुमोदित दरों की अनुसूची में विलंब होता है जिनको अगले वित्तीय वर्ष में जारी किया जाता है.

हस्ता/-
एम वेंकटेश
(प्रबंध निदेशक)
DIN: 07025342

हस्ता/-
ईशा श्रीवास्तव
(अध्यक्ष सीएसआर समिति)
DIN: 08504560

प्रभाव आकलन रिपोर्ट

1. सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल, मंगलूर के एक स्कंध का निर्माण और सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य लाभ संबंधी फ़र्नीचर प्रदान करना

सारांश

मंगलूरु शहर के बीच में 1849 में स्थापित सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल समग्र कोंकण क्षेत्र में एक ही अस्पताल है जो अनन्य रूप से प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल करता है. हर महीने प्रसुति पूर्व/उपरांत चिकित्सा के लिए औसतन 500 महिलाओं को भर्ती कर उपचार किया जाता है. 167 वर्ष पुराना अस्पताल भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में था और मरीज़ों की संख्या बढ़ने के कारण इसमें अतिरिक्त सुविधाओं की सख्त ज़रूरत थी.

मरीज़ों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए अस्पताल में नए फ़र्नीचर और चिकित्सा उपकरणों की भी ज़रूरत थी.

नए अस्पताल स्कंध का निर्माण

मंगलूरु के ज़िला प्रशासन ने, अस्पताल कैंपस में एक नया स्कंध शुरु करने की खातिर वित्तीय समर्थन के लिए ओएनजीसी-एमआरपीएल से गुज़ारिश की. सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल, मंगलूर के नए 'ओएनजीसी-एमआरपीएल स्कंध' का निर्माण करने के प्रति ओएनजीसी-एमआरपीएल ने वित्तीय समर्थन दिया. नए स्कंध का निर्माण कार्य 2012-13 में शुरु होकर 2018-19 में पूर्ण हुआ.

ओएनजीसी-एमआरपीएल ने अस्पताल के लिए फ़र्नीचर और चिकित्सा साधन मुहैया कराए. कंपनी ने सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल, मंगलूर के 'ओएनजीसी-एमआरपीएल स्कंध' का निर्माण करने के प्रति ₹ 21.7 करोड़ और अनिवार्य स्वास्थ्य लाभ संबंधी फ़र्नीचर और चिकित्सा उपकरणों के लिए ₹ 8.31 करोड़ का वित्तीय समर्थन दिया.

नए अस्पताल स्कंध का प्रभाव

अस्पताल ने मंगलूरु में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में एक बड़ी खाई भर दी. यह, मंगलूरु और इर्द-गिर्द के इलाकों के लिए एक वरदान है. ओएनजीसी-एमआरपीएल ने न केवल अस्पताल का निर्माण किया बल्कि आवश्यक फ़र्नीचर और चिकित्सा उपकरण भी मुहैया कराए. ये उपकरण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हैं और जीवन सुधारने और बचाने में अच्छी खासी भूमिका निभा रहे हैं.

नया स्कंध स्वच्छ एवं आलीशान है और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने वाले लोगों को बैठने के लिए काफ़ी जगह है जो कि इससे पहले एक चुनौती रही. नए स्कंध में अधिक डॉक्टरों, नर्सस, समर्थक स्टाफ को काम करने का मौका मिला है और नाजुक देखभाल, ICU, नवजात शिशुओं की देखभाल आदि के लिए भी अधिक जगह मिली है. इससे अस्पताल में आने वाले और उसकी सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ उठाने वाले मरीज़ों की संख्या बढ़ी है. अस्पताल में देखभाल की गुणवत्ता और माँ एवं नवजात शिशु की जिंदगी बचाने में भी ख़ासा सुधार आया है. हिताधिकारियों का फ़ीडबैक, इस बात का प्रमाण है.

सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल के बारे में

सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल, मंगलूरु का 162 वर्ष पुराना इतिहास है. इस " महिलाओं के लिए अस्पताल " की स्थापना 1849 में हुई. यह मंगलूरु शहर के बीच स्थित है और संभवत: देश का पहला समर्पित प्रसूति अस्पताल है. कोंकण क्षेत्र में यह एक ही अस्पताल है जो अनन्य रूप से प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल करता है. 260 बिस्तरों वाला यह अस्पताल, ख़ासकर समाज के कमज़ोर वर्गों से आने वाले मरीज़ों की स्वास्थ्य की देखभाल की ज़रूरतें पूरी करता है.

लेडी गोशेन अस्पताल में एक कैलेंडर वर्ष में 6000 से 7000 प्रसव के मामले संभाले जाते हैं. वर्ष में तकरीबन 75000 मरीज़ों को इलाज के लिए अंतरंगी मरीज़ों के रूप में भर्ती किया जाता है और करीब 1.5 लाख मरीज़ों का बाहरी मरीज़ों की तरह इलाज किया जाता है. कर्नाटक के सभी भागों से और केरल के सीमांत जिलों से मरीज़ आते हैं.

सीएसआर परियोजना का नाम

167 वर्ष पुराना अस्पताल भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में था और मरीज़ों की संख्या बढ़ने के कारण इसमें अतिरिक्त सुविधाओं की सख्त ज़रूरत थी.

मंगलूरु के ज़िला प्रशासन ने, अस्पताल कैंपस में एक नया स्कंध शुरु करने की खातिर वित्तीय समर्थन के लिए ओएनजीसी-एमआरपीएल से गुज़ारिश की. ओएनजीसी-एमआरपीएल ने शहर की स्वास्थ्य देखभाल का पारिस्थितिकी तंत्र सुधारने की सहमति दी है. कंपनी ने एक नए स्कंध का निर्माण कर फ़र्नीचर और चिकित्सा उपकरण प्रदान करने का फ़ैसला किया.

ओएनजीसी-एमआरपीएल ने सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल, मंगलूर के 'ओएनजीसी-एमआरपीएल स्कंध' का निर्माण करने के प्रति ₹ 21.7 करोड़ और अनिवार्य स्वास्थ्य लाभ संबंधी फ़र्नीचर और चिकित्सा उपकरणों के लिए ₹ 8.31 करोड़ का वित्तीय समर्थन दिया.

नए ONGC-MRPL स्कंध का निर्माण करने के लिए परियोजना अवधि- (2012-13 से 2018-19)

अनिवार्य स्वास्थ्य लाभ संबंधी उपकरण प्रदान करने केलिए परियोजना अवधि-(2017-18 से 2018-19)

नए स्कंध का निर्माण कार्य, 2018 में पूरा हुआ और सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल का आधिकारिक तौर पर शनिवार, 2 मार्च, 2019 को उद्घाटन किया गया.

सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन के केंद्रीय मंत्री, श्री डी.वी. सदानंद गौडा और वित्त संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष, एम वीरप्पा मोइली ने सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल का उद्घाटन किया.

घिसे-पिटे उपकरणों और फ़र्नीचर के साथ काम करना अस्पताल के लिए चुनौती बन गई थी. ओएनजीसी-एमआरपीएल से सीएसआर निधि मिलने के बाद अस्पताल पूर्ण रूप से सुसज्जित हो गया. अब अस्पताल, आपातकालीन हस्तक्षेप चाहने वाले मरीज़ों सहित अधिक संख्या में आने वाले मरीज़ों को संभालने की बेहतर स्थिति में है.

बुनियादी सुविधाओं का निर्माण:

नया स्कंध, एक बहु मंज़िली भवन है जिसमें अनेक सुविधाएं मौजूद हैं.

भवन क्षेत्रफल	सुविधाएँ
बेसमेंट/अंडरग्राउंड	भवन में करीब 40 कारों के लिए बेसमेंट पार्किंग प्रदान की गई है.
भू तल	भू तल में फ़ार्मसी और OPD, पैथोलॉजिकल प्रयोगशाला, स्कैनिंग और X-रे खंड हैं.
पहली मंज़िल	पहली मंज़िल में प्रसूति-पूर्व वार्ड है.
दूसरी मंज़िल	लेबर थीएटर और डिलिवरी खंड: सामान्य और जटिल डिलिवरी के लिए अलग-अलग खंड हैं. सभी आपातकालीन मामले, इस खंड में संभाले जाते हैं.
तीसरी मंज़िल	नवजात ICU वार्ड: इस वार्ड में नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है. इसमें 24 बिस्तर हैं. इस वार्ड में वेंटिलेटर भी हैं. यह वार्ड अत्याधुनिक सुविधाओं और नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित है.
चौथी मंज़िल	OT कॉँप्लेक्स: 4 OTs और एक आपातकालीन यूनिट है. स्त्री रोग संबंधी मामलों को छोड़कर सभी सर्जिकल प्रक्रियाएं यहां की जाती हैं.
पाँचवीं मंज़िल	पाँचवीं मंज़िल में पोस्ट-ऑपरेटिव, प्रसवोत्तर और स्त्री रोग संबंधी मरीजों के लिए वार्ड है.

"इस समय, हमारे पास 32 स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं जो अस्पताल की चार यूनिटों में काम करते हैं. हमारा अस्पताल, दक्षिण कन्नड, उडुपी, शिवमोग्गा, हासन, कोडगू तथा केरल के कासरगोड़ और कण्णूर ज़िलों से आने वाले मरीज़ों के लिए एक रेफरल और तृतीयक केंद्र है, किसी भी जटिल स्थिति से निबटने के लिए हमारे पास तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं. हम अपने मरीज़ों को दूसरे केंद्रों में नहीं भेजते हैं क्योंकि हमारे पास सब प्रकार के उपकरण हैं. लोगों को भी अस्पताल में प्रदान की गईं सेवाओं पर पूरा भरोसा है". डॉ. दुर्गा प्रसाद.

उपलब्ध सेवाएं:

सेवाएँ	
मरीज़	*अस्पताल के OPD में हर महीने 10,000 से अधिक मरीज़ों की चिकित्सा की जाती है. अस्पताल में हर महीने करीब 550 से 600 बच्चों की डिलिवरी की जाती है.*
डॉक्टर	*अस्पताल में 2, स्त्री रोग विशेषज्ञ और एक, बच्चों के चिकित्सक हैं. इसके अलावा, अस्पताल मे पूर्णकालिक रूप से 25 से अधिक KMC डॉक्टर्स काम कर रहे हैं. कुल मिलाकर करीब 30 डॉक्टर्स हैं*
एंबुलेंस	*अस्पताल में एक स्थाई एंबुलेंस है. COVID-19 के कारण, सरकार ने अस्पताल के लिए एक और एंबुलेंस प्रदान किया है.*

मरीज़ों की आर्थिक दशा:

मरीज़, न केवल मंगलूरु के हैं बल्कि कर्नाटक और केरल के कई अन्य ज़िलों से ताल्लुक रखते हैं. मरीज़ों की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वे आम तौर पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले होते हैं.

" अस्पताल में वित्तीय दृष्टि से पिछड़ी महिलाओं की डिलिवरी मुफ़्त में की जाती है. शिशु मृत्यु दर शून्य है, जब कि मातृत्व मृत्यु दर, प्रति हजार माताएं पर, पांच है. " चिकित्सा अधीक्षक. लेडी गोशेन

> *"अस्पताल में डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की संख्या बढ़ने के कारण अस्पताल में आने वाले मरीज़ों की संख्या बढ़ रही हैं. कोविड ब्लॉक खोलने से भी अच्छे परिणाम मिले हैं. यह नोट करना होगा कि डिलिवरी के लिए आने वाली अधिकतर महिलाएं, दक्षिण कन्नड ज़िले की हैं." . डॉ. दुर्गा प्रसाद, अधीक्षक. सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल*

स्कंध का निर्माण होने से पहले अस्पताल की हालत

नए स्कंध का निर्माण करने से पहले अस्पताल में मरीज़ों का इलाज करने के लिए छोटी सी जगह थी. छोटा और पुराना भवन होने के कारण उसमें बहुत भीड़ हुआ करती थी और बाहरी मरीज़ों का विभाग तो बहुत ही छोटा था. वक्त के साथ मरीज़ों की संख्या बढ़ रही थी लेकिन भवन की क्षमता वही की वही रही. भवन, बड़ी तादाद में आने वाले मरीज़ों को संभालने की स्थिति में नहीं था. साथ ही भवन का खाका पुराना था और उसकी संरचना अलग-थलग हो रही थी. भवन, अपने मरीज़ों के लिए एक खतरा बन गया था.

निर्माण अवधि:

नए स्कंध का निर्माण कार्य 2012-13 में शुरु होकर 2018-19 में पूर्ण हुआ.

ओएनजीसी-एमआरपीएल द्वारा प्रदान किए गए फ़र्नीचर और उपकरणों की सूची

अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत, ओएनजीसी-एमआरपीएल ने सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल को अनिवार्य स्वास्थ्य लाभ संबंधी उपकरण और फ़र्नीचर प्रदान किए. इस परियोजना का कुल बजट ₹ 8.31 करोड़ रहा. प्रदान किए गए उपकरणों और फ़र्नीचर की सूची यहां नीचे दी गई है

उपकरण / फ़र्नीचर	परिमाण	उपकरण / फ़र्नीचर	परिमाण
ICU कॉट, मैट्रेस्स और पिलो के साथ	8	परीक्षण काउच	8
फौलर कॉट, कैस्टर व्हील्स के साथ मैट्रेस्स तथा पिलो	275	डॉक्टरों का OT ड्रेस्स	900
नए मॉड्यूलर क्रैश कार्ट	10	डीफ़ाइब्रिलेटर	3
आपातकालीन और रिकवरी ट्रॉली	4	एअर कंडीशनर	20
व्हील चेर	15	बुनियादी ECG मशीन	2
बेड साइड लॉकर	300	बबल C पैप मशीन, त्याज्य योग्य सेट के साथ	5
घुमावदार स्टूल	320	कोल्पोस्कोप	1
परिचारक कॉट	50	टोको और ट्विन प्रोब के साथ फोटर मॉनिटर	18
बहु उपयोगिता गाड़ियां	4	हिस्टरोस्कोप	1
लाँड्री गाडियां	6	इन्फ़्यूशन पंप	28
अपशेष पृथक्करण प्रणाली	5	लैप्रोस्कोपी हिस्टेरोक्टॉमी सेट	1
टेबल	8	कार्डियाक मॉनिटर	24
गोदरेज अलमारी	23	OT लाइटें	2
डॉक्टरों की कुर्सी	45	फोटोथेरपी LED	30
अल्ट्रासाउंड मशीन	2	रेडिएंट वार्मर	30
वेंटिलेटर	17	पल्स ऑक्सीमीटर	25

सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल का प्रभाव आकलन

सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल के हिताधिकारियों और अस्पताल स्टाफ में एक सर्वेक्षण किया गया. इसके परिणाम निम्नानुसार हैं.

- **पुराने अस्पताल भवन में झेली गईं समस्याएं**

  नए अस्पताल भवन का निर्माण करने से पहले मरीज़ों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा. पुराने भवन में पर्याप्त जगह नहीं थी और उसकी संरचना अलग-थलग हो रही थी. जगह की कमी और सीमित संख्या में डॉक्टरों की उपलब्धता के कारण वह हमेशा मरीज़ों से भरा पड़ा रहता था. मरीज़ों को काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था. 45% हिताधिकारियों को लगा कि पुराने भवन की स्थिति औसत से कम है और उपलब्ध सुविधाएं ठीक नहीं थीं. पुराने कॉम्प्लेक्स में प्रतीक्षा करने के लिए जगह ही नहीं थी.

- **चिकित्सा सेवाओं के लिए सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल को पसंद करने की वजह**

  हिताधिकारियों को अस्पताल पर भरोसा है और उनका मानना है कि अस्पताल का रख-रखाव अच्छी तरह से किया जा रहा है और उसमें प्रदान की गईं सेवाएँ अच्छी हैं. इनको लगता है कि इनको सही इलाज मिलेगा. इस अस्पताल में काम करते रहे डॉक्टर, गंभीर मरीज़ों का उपचार करने में सक्षम हैं. इस अस्पताल में उपलब्ध सेवाएं, मुफ़्त हैं.

" यह कहा जा रहा है कि अस्पताल में अधिक संख्या में डिलिवरी होने की वजह है, कोविड सर्वव्यापी महामारी के दौरान निजी अस्पतालों में वसूल की गई अधिक बिल दर, सरकारी अस्पतालों में प्रदान की गईं सेवाओं के बारे में लोगों का अधिक भरोसा तथा अस्पताल की बुनियादी सुविधाओं में हुआ बेइंतहा सुधार. " - डॉ. दुर्गाप्रसाद

- **सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल के नए भवन में अपनाए गए विभिन्न मापदंडों पर संतुष्टि**

विभिन्न मापदंडों को लेकर हिताधिकारियों, डॉक्टरों और मरीज़ों, दोनों का अधिक संतुष्टि स्तर देखते ही बनता है. डॉक्टरों, मरीज़ों और देखभाल करने वालों के लिए स्वच्छ एवं पर्याप्त जगह है.

नया स्कंध शुरु होने के बाद, अस्पताल को " काया कल्प " पुरस्कार मिला जिसे अस्पतालों को स्वच्छता के लिए दिया जाता है.

सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल ने अक्तूबर 2020 में रेकॉर्ड संख्या में शिशुओं की डिलिवरी की थी. 800 से अधिक महिलाओं ने अस्पताल में अपने बच्चों को सुरक्षित रूप में जन्म दिया. इनमें से 379 डिलिवरियां सिजेरियन और बाकी, सामान्य डिलिवरियां रहीं.

- **अनिवार्य स्वास्थ्य लाभ संबंधी फ़र्नीचर मिलने के बाद विभिन्न मापदंडों में हुए परिवर्तन**

पहले		बाद में
पुरानी X-रे और स्कैनिंग मशीनें, पुरानी सुविधाओं के साथ ICU तथा बहुत ही सीमित क्षमता."	*चिकित्सा उपकरण*	*"नई X-रे और अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ नवीनतम पैथलॉजिकल प्रयोगशाला "* *" नवजात शिशुओं के लिए नवीनतम उपकरण और इन्क्यूबेटर के साथ 24 बिस्तर वाला ICU "*
"फ़ार्मसी, बहुत छोटी थी और दवाएं, नियमित रूप से नहीं मिलती थीं	*दवाओं की उपलब्धता*	*"अच्छा स्टॉक रखने वाली और ठीक तरह से व्यवस्थित बड़ी फ़ार्मसी "*
"कैंटीन छोटी थी जो अधिक मरीज़ों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाती थी	*कैंटीन का आकार*	*"कैंटीन बड़ी और स्वच्छ है जिसमें मरीज़ों और देखभाल करने वालों के लिए जगह है*

- **नए भवन का निर्माण होने के बाद विभिन्न मापदंडों में हुए परिवर्तन**

पहले		बाद में
भवन, पूरी तरह से घिसी-पिटी हालत में था जिसमें जगह बहुत कम थी और जल सिक्त रहता था	*भवन की गुणवत्ता*	*नया भवन आरामदायक है. स्त्री रोग और बल चिकित्सा संबंधी मरीजों और परिवारों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए मरीजों की देखभाल का हर एक पहलू बनाया गया है .* *अस्पताल के कर्मचारियों के लिए अधिक जगह और वयस्क एवं बाल चिकित्सा संबंधी मरीज़ों के लिए अधिक क्षमता.*
100-120	**OPD मरीजों की संख्या**	*200-250*
चिकित्सा उपकरण पुराना और अपर्याप्त था. पैथोलॉजी प्रयोगशाला सुसज्जित नहीं था.	चिकित्सा सुविधा	*"नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए इंटेस्ट मशीनों के साथ सुसज्जित पैथलॉजिकल प्रयोगशाला "*
500+	प्रति माह डिलिवरियों की संख्या	*600+*
18-20	डॉक्टरों की उपलब्धता	*30+*
1 से 2 घंटे	OPD में प्रतीक्षा समय	*15 से 30 मिनट*
"गंभीर मरीज़ों का उपचार करने के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी "	गंभीर मरीज़ों का उपचार	*"गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों विशेषकर नवजात शिशुओं का उपचार करने के लिए उपलब्ध नवीनतम उपकरण और 24 बिस्तरों के साथ ICU*

- **परियोजना का सकारात्मक प्रभाव**

संस्थागत देखभाल आसानी से न होने और माताओं एवं बच्चों की ठीक तरह से देखभाल करने के बारे में जागरूकता स्तर कम होने से शिशुओं की, ख़ासकर कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के बच्चों की मृत्यु हो जाती है.
ओएनजीसी-एमआरपीएल की फ्लैगशिप सीएसआर परियोजना, सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल, मंगलूरु और उसके इर्द-गिर्द इलाकों की महिलाओं और बच्चों की चिकित्सीय ज़रूरतें पूरी करने में कामयाब रही है.
अस्पताल में, अर्हता प्राप्त डॉक्टरों से मुफ़्त में सलाह मिलती है और उसकी मातृ सेवाएं, दक्षिण कर्नाटक और अन्य इलाकों में मातृ स्वास्थ्य में सुधार करने पर अधिक ध्यान देने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य लाभ सेवाएं मजबूत करने में मददगार साबित हुई हैं.
सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल में गंभीर नवजात शिशुओं संबंधी सर्जरी मुफ़्त में की जाती रही हैं जो समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निषेधात्मक रूप में महंगी हैं. इससे बच्चे के स्वास्थ्य एवं हाल-चाल में सुधार हो रहा है जिससे अंततोगत्वा बच्चों को अपनी जिंदगी पूरी तरह से जीने का मौका मिलेगा जो उनके समुदाय की समृद्धि के लिए योगदान दे पाएंगे.

अस्पताल में पिछड़े गांवों और शहरी समुदायों का इलाज किया जाता रहा है.

इनके आधुनिकतम उपकरणों की बदौलत विभिन्न प्रकार की बीमारियों का बेहतर ढंग से पता लगाकर इलाज करने में मदद मिली है. इससे बीमारी का जड़ से निर्मूलन करने का समाधान मिलेगा क्योंकि अस्पताल में चिकित्सा, सर्जरी, प्रसूति और स्त्री रोग में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध हैं.

1. पिलिकुला निसर्ग धामा में जैव विविधता का संरक्षण.

समर्थन की ज़रूरत

पिलिकुला निसर्ग धामा, एक इको-शिक्षा और पर्यटन विकास परियोजना है जिसके लिए मंगलूरु के दक्षिण कन्नड के ज़िला प्रशासन ने प्रोत्साहन दिया है. पिलिकुला जैव विविध पार्क, पश्चिमी घाट के वनस्पतियों और जीवों के शिक्षण एवं संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. पिलिकुला, जैव विविधता और उनके संरक्षण से जुड़े मुद्दों से संबंधित जानकारी को साझा करते हुए संधारणीय भविष्य में योगदान देता है.

पशुओं और पक्षियों की देखभाल करने के लिए पिलिकुला निसर्ग धामा के पास धनराशि की कमी थी. पार्क प्रबंधन के लिए प्रमुख चुनौती रही, वित्तीय अभाव. पशुओं की ठीक तरह से देखभाल करने के लिए उनके पास पर्याप्त धनराशि नहीं थी.

पार्क में कोई प्राकृतिक वास स्थान नहीं था. अपने प्राकृतिक वास स्थान से चिड़ियाघर घर आए पशुओं को पर्यावरण से अभ्यस्त होने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा. पिलिकुला निसर्ग धामा मंगलूरु के कार्यपालक निदेशक ने एमआरपीएल से मिलकर पिलिकुला निसर्ग धामा में जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए मदद करने की दरख्वास्त की.

एमआरपीएल का समर्थन

एमआरपीएल ने पिलिकुला निसर्ग धामा का समर्थन कर एक वर्ष तक संपूर्ण समर्थन देने का फैसला किया. सीएसआर निधि सहायता में शामिल है, प्राकृतिक वास स्थान का निर्माण करना, जानवरों का गोद लेना और पर्यावरण के अनुकूल आश्रय घर बनाना. यह कार्यक्रम 2019-20 में अमल में लाया गया और इसके लिए INR 3.94 करोड़ का अंशदान दिया गया.

50 एकड़ की भूमि में पशु बाड़ों के अंदर बंदी जंगली जानवरों के लिए प्राकृतिक वास स्थान बनाया गया. प्रत्येक पौधे के साथ लेटराइट चिनाई का बाड़ भी बनाया गया.

एमआरपीएल ने खतरे में पड़े और बंदी दुर्लभ जंगली जानवरों की प्रजातियों, पक्षियों और सरीसृपों को गोद लिया, उनका संरक्षण कर उनकी देखभाल की. पश्चिमी घाट में वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा पर शैक्षिक कार्यक्रम चलाने की खातिर प्रोजेक्टर्स, डिस्प्ले पेनलों, साइनेज और अन्य सहायक उपकरणों सहित शैक्षिक सामग्री के साथ पर्यावरण के अनुकूल आश्रय घर बनाए गए.
इस परियोजना के साए तले प्रबंधन को, जैव-विविध पार्क को दक्षता से संभालने का मौका मिला. सभी जानवरों, पक्षियों और सरीसृपों के लिए पर्याप्त स्वस्थ खाद्य एवं चिकित्सा सामग्री उपलब्ध थी. प्राकृतिक वास स्थान के सहारे कुल मिलाकर जानवरों की हालत सुधर गई है.

एमआरपीएल की निधि सहायता से 120 प्रजातियों के 1,200 से अधिक स्तनधारी जानवरों, सरीसृपों और पक्षियों को गोद लिया गया है.

परियोजना की पृष्ठभूमि

पिलिकुला निसर्ग धामा, एक इको-शिक्षा और पर्यटन विकास परियोजना है जिसके लिए मंगलूरु के दक्षिण कन्नड के ज़िला प्रशासन ने प्रोत्साहन दिया है. पिलिकुला एक एकीकृत थीम पार्क है जिसमें विविध प्रकार की खूबियां हैं. इसमें सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रुचि के कई आकर्षण हैं. पिलिकुला जैविक पार्क, पिलिकुला निसर्ग धामा का प्रमुख आकर्षण है. इस पार्क का क्षेत्रफल 150 एकड़ है. भारत के केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने पार्क को एक बड़े चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी है. आधुनिक प्राणी पद्धतियों के अनुसार जानवरों को विशाल बाड़ों में रखा जाता है जो उनके वास स्थान के समान होते हैं.

जैविक पार्क, सौंदर्य की दृष्टि से देश का सबसे अच्छा डिज़ाइन किया गया परिसर है जो प्राणी प्रबंधन के सभी आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है. यह पार्क, वन्य जीवियों की सुरक्षा पर ज्ञान बढाने में हर उम्र के छात्रों और आगंतुकों के लिए एक अच्छा शिक्षा केंद्र है. हर वर्ष देश भर से और विदेश से स्कूली बच्चों सहित पर्यटक दस लाख से अधिक तादाद में पिलिकुला देखने आते हैं.

पिलिकुला जैव विविध पार्क, पश्चिम घाटी की वनस्पतियों और जीवों के शिक्षण एवं संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. पिलिकुला, जैव विविधता और उनके संरक्षण से जुड़े मुद्दों से संबंधित जानकारी को साझा करते हुए संधारणीय भविष्य में गंभीर योगदान देता है. पिलिकुला में बड़े क्लास रूम्स हैं जहां विशेषकर बच्चों, शिक्षकों, पेशेवरों और स्कूल समूहों की खातिर कई गतिविधियां चलाई जाती हैं. पिलिकुला जैविक पार्क के दुर्लभ और खतरे में पड़ी पश्चिमी घाट की वनस्पतियों और जीवियों की प्रजातियां, वन्य जीवियों और प्रकृति के लिए सार्वजनिक का ध्यान आकर्षित कर स्नेह प्राप्त कर सकती हैं जो किसी दूसरी संस्था में पाना संभव नहीं है.

सीएसआर परियोजना के ब्यौरे

पशुओं और पक्षियों को खिलाने और उनकी देखभाल करने के लिए पिलिकुला निसर्ग धामा के पास धनराशि की कमी थी. पिलिकुला ने एक कार्यक्रम लाँच किया है जिसका नाम है " जानवरों को गोद लेना ". इस कार्यक्रम में गोद लेने वाला, जानवर को खिलाने, उसकी चिकित्सा कराने, उसका भरण पोषण करने आदि की लागत के लिए दान देते हुए जानवर को गोद ले सकता है. पिलिकुला निसर्ग धामा मंगलूरु के कार्यपालक निदेशक ने एमआरपीएल से मिलकर पिलिकुला निसर्ग धामा में जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए मदद करने की दरख्वास्त की और एमआरपीएल ने समग्र पार्क के लिए समग्र वर्ष के लिए परियोजना की सहायता करने की सहमति दी.

यह कार्यक्रम 2019-20 में अमल में लाया गया और इसके लिए ₹ 3.94 करोड़ का अंशदान दिया गया.

एमआरपीएल ने जैव विविधता पार्क के नीचे उल्लिखित कार्यक्रमों के लिए धन सहायता दी.

I. दुर्लभ, खतरे में पड़े और अन्य बंदी जंगली जानवरों को गोद लेना, दुर्लभ, खतरे में पड़ी एवं बंदी जंगली जानवरों की प्रजातियों का संरक्षण कर उनकी देखभाल करना(उनको खिलाना और उनकी चिकित्सा करना).

   स्तनधारी: बंगाल टाइगर, भारतीय गौर, तेंदुआ, सुस्त भालू, शेर की पूंछ वाला मकाक, मालाबार विशालकाय गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी, छोटा भारतीय सिवेट, तेंदुआ, बिल्ली, जंगली कुत्ता, जंगली बिल्ली और अन्य स्तनधारी.

   पक्षी: भारतीय मोर, जंगली मुर्गी, आइबिस, चम्मच बिल, चील, उल्लू, पतंग, और अन्य पक्षी.
   सरीसृप: किंग कोबरा, भारतीय कोबरा, रसेल वाइपर, पिट वाइपर, मगरमच्छ और अन्य सरीसृप

II. प्राकृतिक वास स्थान का निर्माण:
करीब 50 एकड़ की भूमि के इर्द-गिर्द जानवरों के बाड़ों के अंदर सिंचाई सहित पश्चिमी घाट के पौधों की प्रजातियों के साथ हरियाली का निर्माण करते हुए बंदी जंगली जानवरों का प्राकृतिक वास स्थान बनाना, 150 अलग-अलग पौधों के साथ लेटराइट चिनाई बाड़ प्रदान करना और बनाना जिससे कि बंदी हिरणें और सांबर (dim 2.4 mtx2.4x2) को चरने से रोका जा सके और दूसरे संबंधित कार्य करना.

जैविक पार्क के बारे में

➢ निर्माण वर्ष : 2004
  पार्क में पसंदीदा स्थान:
  - विज्ञान केंद्र

- नक्षत्र-भवन
- बोटैनिकल गार्डन
- झील
- मनोरंजन

➢ प्रति वर्ष दर्शकों की संख्या करीब 7 लाख

➢ पार्क में काम करने वाले कुल कर्मचारी: 75

➢ चिड़ियाघर में जानवर:

- सिंह
- बाघ
- पंथोर
- विदेशी जानवर
- छोटी बिल्लियां
- सांप
- पक्षी
- हाथी

➢ पार्क में पक्षियों की संख्या: 140-150

➢ पार्क में सरीसृपों की संख्या: 150 से अधिक

प्रभाव का मूल्यांकन

- **एमआरपीएल से धन सहायता पाने से पहले किन-किन चुनौतियों का सामना किया**

पशुओं, कीड़े-मकौड़ों और पक्षियों की ठीक तरह से देखभाल करने के लिए उनके पास पर्याप्त धनराशि नहीं थी.

जानवरों को गोद लेने वाले बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती थी

लोगों के साथ बातचीत और समन्वय करना बेहद मुश्किल काम था

कोई प्राकृतिक वास स्थान नहीं था

पार्क प्रबंधन के लिए प्रमुख चुनौती रही, वित्तीय अभाव. पशुओं, कीड़े-मकौड़ों और पक्षियों की ठीक तरह से देखभाल करने के लिए उनके पास पर्याप्त धनराशि नहीं थी.

पार्क में प्राकृतिक वास स्थान का अभाव था. बाहर से चिड़ियाघर में आए पशुओं को पर्यावरण से अभ्यस्त होने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा.

जानवरों को गोद लेने वाले बहुत सारे लोगों के साथ नियमित रूप से बातचीत करना भी, प्रबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी.

- **चुनौतियों और समस्याओं का निराकरण करने में धन सहायता ने किस तरह से मदद की है**
  - जानवरों को बेहतर खाना और चारा
  - जानवरों के स्वास्थ्य की देखभाल
  - प्राकृतिक वास स्थान की स्थिति बेहतर हुई है
  - पर्यावरण के अनुकूल आश्रय घर बनाए गए हैं

  हिताधिकारियों में से 95%, एमआरपीएल से मिले समग्र समर्थन से अधिक संतुष्ट हैं. एमआरपीएल से मिली धन सहायता की बदौलत जैव-विविधता पार्क का पुनरुद्धार संभव हुआ.

- **एमआरपीएल से मिली धन सहायता का उपयोग**

  एमआरपीएल से मिली धन सहायता का 50%, जानवरों, पक्षियों और सरीसृपों के भोजन के लिए उपयोग किया जाता है. जानवरों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए 35% इस्तेमाल किया जाता है.

  सहायता धनराशि का 15%, पर्यावरण के अनुकूल आश्रय घर बनाने और शैक्षिक सामग्री जैसे प्रोजेक्टर्स, डिस्प्ले पेनलों, साइनेज और अन्य सहायक उपकरणों के लिए उपयोग किया जाता है.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान चलती रहीं परियोजनाओं के प्रति खर्च की गई सीएसआर रकम

अनुबंध -II (₹ लाखों में)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय इलाका (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आबंटित रकम	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई रकम	परियोजना के लिए धारा 135(6) के अनुसार खर्च न किए गए सीएसआर खाते में अंतरित रकम	कार्यान्वयन की रीति - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन रीति - कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए	
				राज्य	ज़िला						नाम	CSR पंजीकरण संख्या
I	**शिक्षा संरक्षण**											
1	बेल्तंगडी ताल्लुका में पी.यू. कॉलेज के लिए शौचालय का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.ii शिक्षा को बढ़ावा देना	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	5.27	4.81	0.46	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
2	सरकारी पी.यू. कॉलेज, कबका, पुत्तूर के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	0.13	0.13	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
3	दक्षिण कन्नड के 3 स्थानों में मॉडेल आंगनवाड़ी (चिन्नर अंगला) भवन का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	28.93	28.93	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
4	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, मंगलूरु में शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	9.57	9.57	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
5	सरकारी महिला पॉलिटेक्निक, बोंदेल, मंगलूर के लिए शौचालय और बाथ रूम का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	4.55	0.00	4.55	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
6	सरकारी जूनियर कॉलेज, चिक्कमगलूरु में क्लासरूम और विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण	- वही - -	हां	कर्नाटक	चिक्कमगलूरु	12 महीने	61.60	30.11	31.49	हां	लागू नहीं	लागू नहीं

7	सरकारी अपग्रेड किया गया HP स्कूल, बल्पा, सुल्या ताल्लुका की पहली मंज़िल में रंग मंदिरा के निर्माण की व्यवस्था करने सहित स्कूल के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	70.80	12.95	57.85	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
8	DKZP HP स्कूल कुद्रेबेट्टू, बंटवाल ताल्लुका के लिए क्लास रूम का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	4.09	4.09	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
9	सरकारी पीयू कॉलेज वेणूर में प्रयोगशाला और क्लास रूम भवन का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	13.15	13.15	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
10	DKZP HP स्कूल, अजिलमोगरु, बंटवाल ताल्लुका के लिए शौचालय का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	8.60	8.60	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
11	DKZP HP स्कूल कुद्रेबेट्टू, बंटवाल ताल्लुका के लिए शौचालय का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	2.15	2.15	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
12	सरकारी हाई स्कूल, नवूर के लिए शौचालय का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	12 महीने	7.30	0.00	7.30	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
13	DKZPHP स्कूल, कोइला के लिए शौचालय का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	4.55	4.55	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
14	DKZPLP स्कूल, कोंपदवु के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	2.50	0.00	2.50	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
15	DKZPHP स्कूल नडुगोडू के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	8.00	0.00	8.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
16	सरकारी उच्चतर प्राथमिक स्कूल, अलियूरु के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	10.00	10.00	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
17	कर्नाटका (सरकारी) पॉलिटेक्निक, कद्री हिल्ल, मंगलूरु के लिए वाशरूम के साथ महिला रेस्ट रूम भवन का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	50.00	26.48	23.52	हां	लागू नहीं	लागू नहीं

18	बेल्तंगडी ताल्लुका में सरकारी स्कूलों के लिए शौचालयों (55 शौचालयों) का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	340.00	281.25	58.75	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
19	DKZP HP स्कूल इरा, बले पुनी, बंटवाल ताल्लुका के लिए क्लास रूम का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	10.99	10.99	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
20	DKZP HP स्कूल, कडबेट्टू, बंटवाल ताल्लुका के लिए रूफ टॉप और ऑडिटोरियम का नवीकरण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	6.49	6.49	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
21	गोविंद दास फस्ट ग्रेड कॉलेज, सुरत्कल के लिए क्लास रूम और विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करना	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	10.09	10.09	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
22	सरकारी हाई स्कूल, गुरुवायनकेरे, बेल्तंगडी के लिए बहु उद्देशीय प्रदर्शन क्लास रूम का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	14.71	14.71	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
23	सरकारी पीयू कॉलेज, सवणूर, पुत्तूर ताल्लुका के लिए क्लास रूम का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	1.31	1.31	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
24	सरकारी हाई स्कूल मच्चूरु में रूफिंग और विकास का कार्य	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	1.56	1.56	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
25	DKZP उर्दू HP स्कूल, गुरुकंबला, किन्नीकंब्ला के स्कूल भवन का नवीकरण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	4.01	4.01	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
26	सरकारी हाई स्कूल, काटिपल्ला, 5वां ब्लॉक, कृष्णपुरा के लिए ऑडिटोरियम का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	6 महीने	16.59	15.87	0.72	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
27	सरकारी हाई स्कूल, हिरगना, कार्कला के लिए क्लास रूम का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	13.04	13.04	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं

28	DKZP HP स्कूल दड्डी बडगा एडपदवु, मंगलूरु के स्कूल भवन और कंपाउंड का नवीकरण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	7.12	0.00	7.12	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
29	DKZPHP स्कूल, मुच्चूरु, मंगलूरु के लिए अतिरिक्त क्लास रूम का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	76.48	36.68	39.80	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
30	मौजूदा सहायता प्राप्त कलवारु उच्चतर प्राथमिक स्कूल, चेलइरु गांव की पहली मंज़िल स्लैब और द्वितीय मंज़िल का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	लागू नहीं	10.02	10.02	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
31	DKZP HP स्कूल, बोलिया, मंगलूरु के लिए कंपाउंड की दीवार	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	4.73	4.73	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
32	DKZP HP स्कूल, बोलिया, मंगलूरु के स्कूल भवन का नवीकरण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	6.01	0.00	6.01	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
33	सरकारी हाई स्कूल भवन, किन्निकंबला, मंगलूरु का नवीकरण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	3.62	3.62	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
34	DKZP HP स्कूल भवन, मुंडबेट्टू, पदुपेरा का नवीकरण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	4.43	0.00	4.43	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
35	सरकारी हाई स्कूल, कल्लाडी, मंगलूरु के स्कूल भवन और शौचालय रूम का नवीकरण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	4.01	4.01	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
36	श्री नारायण गुरु पी यू कॉलेज, काटिपल्ला, मंगलूर की पहली मंज़िल में अतिरिक्त क्लास रूम का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	6 महीने	30.98	11.69	19.29	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
37	सरकारी प्राथमिक स्कूल, किन्नीकंब्ला, मंगलूर के लिए क्लास रूम और शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	6 महीने	47.20	17.22	29.98	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
38	सूरिंजे ग्राम पंचायत के लिए आंगनवाड़ी भवन का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	16.52	0.00	16.52	हां	लागू नहीं	लागू नहीं

39	सरकारी हाई स्कूल, जोकट्टे के लिए कांक्रीट अप्रोच रोड और जल निकास का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	7.09	7.09	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
40	DKZP HP उच्चतर प्राथमिक स्कूल, किलेंजरु, कुप्पेपदवू, मंगलूरु ताल्लुका के लिए स्कूल भवन का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	54.83	12.31	42.52	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
41	DKZP HP स्कूल, पदुपेररा, किन्निकंबला, मंगलूरु ताल्लुका के स्कूल भवन का नवीकरण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	5.13	0.00	5.13	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
42	पेरमुडे ग्राम पंचायत के लिए आंगनवाड़ी का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	11.80	0.00	11.80	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
43	बेल्तंगडी ताल्लुका में 19 सरकारी स्कूलों और सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल मंगलूरु में सोलर पेनलों की संस्थापना के लिए DFR की तैयारी	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. सं.iv प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	लागू नहीं	1.40	1.40	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
44	सरकारी पी यू कॉलेज (हाई स्कूल अनुभाग), गुरुपुरा के लिए ऑडिटोरियम का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. सं.ii शिक्षा को बढ़ावा देना	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	6.92	6.92	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
45	संस्कृत भारती, बेंगलूरु की तीसरी मंजिल का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	बेंगलूर	लागू नहीं	34.51	34.51	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
46	सरकारी हाई स्कूल, कौक्रडी में बुनियादी सुविधाओं का विकास	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	3.53	3.53	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
47	सरकारी हाई स्कूल, पोलाली के लिए स्कूल भवन का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	14.06	10.58	3.48	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
48	दक्षिण कन्नड ज़िला पंचायत, मंगलूरु द्वारा दक्षिण कन्नड ज़िले में आंगनवाडियों का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	12 महीने	74.25	11.80	62.45	हां	लागू नहीं	लागू नहीं

49	DKZP मॉडिल उच्चतर प्राथमिक स्कूल, कल्लडका, बंटवाल के लिए क्लास रूम और शौचालयों का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	लागू नहीं	16.31	16.31	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
50	DKZP मॉडेल उच्चतर प्राथमिक स्कूल, मजी, वीरकंब्ला के लिए क्लास रूम का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	लागू नहीं	17.94	17.94	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
51	सरकारी विश्वविद्यालय पूर्व कॉलेज (हाई स्कूल अनुभाग), चेलइरु के लिए क्लास रूम का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	31.50	4.88	26.62	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
52	सरकारी विश्वविद्यालय पूर्व कॉलेज (शिक्षा), हंपनकट्टा, मंगलूरु की पहली मंज़िल के लिए क्लास रूम का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	10.47	10.47	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
53	DKZP HP स्कूल, चंदलिके, विट्ला के लिए क्लास रूम का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	13.57	4.77	8.80	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
54	श्री देवी हाई स्कूल, पुनचा, बंटवाल ताल्लुका के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	लागू नहीं	20.77	20.77	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
55	मंगलूरु नगर निगम क्षेत्र के इर्द-गिर्द बसे स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विकास	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	12.08	1.11	10.97	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
56	DKZP HP उच्चतर प्राथमिक स्कूल, अनंताडी, बंटवाल ताल्लुका के लिए क्लास रूम का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	14.75	0.00	14.75	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
57	विवेकानंदा सहायता प्राप्त उच्चतर प्राथमिक स्कूल, जलसूर के लिए स्कूल भवन का विस्तार	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	6 महीने	105.87	82.21	23.66	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
58	कार्कला, उडुपी ज़िले के कडतला ग्राम पंचायत के लिए आंगनवाड़ी भवन का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	उडुपी	6 महीने	17.70	5.90	11.80	हां	लागू नहीं	लागू नहीं

59	श्री मारिकांबा सरकारी हाई स्कूल और पी.यू. कॉलेज, शिरसी, उत्तर कन्नड़ ज़िला के लिए शौचालयों का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	उत्तर कन्नड़	6 महीने	25.00	8.54	16.46	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
60	गोणीकोप्पल हाई स्कूल मैदान, कोडगू ज़िले में इंडोर स्टेडियम का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	कोडगू	12 महीने	59.00	17.70	41.30	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
61	यादगिर ज़िले में सरकारी हाई स्कूलों में प्रौद्योगिकी समर्थित शिक्षा को बढ़ावा देना	- वही -	हां	कर्नाटक	यादगिर	12 महीने	28.32	0.00	28.32	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
62	DKZP HP उच्चतर प्राथमिक स्कूल, कोडिंबाडी, पुत्तूर के लिए स्कूल भवन का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	26.09	26.09	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
63	DKZP LP स्कूल, अलकेमजलू, बंटवाल के लिए क्लास रूम का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	23.60	23.60	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
64	श्री रामकृष्ण सहायता प्राप्त उच्चतर प्राथमिक कन्नड माध्यम स्कूल, बड्डुडका, अलेट्टी गांव, सुल्या ताल्लुका में नए भवन का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	23.60	23.60	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
65	बजपे ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी को उपकरण प्रदान करना	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	लागू नहीं	1.75	1.75	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
66	श्री स्वामी विवेकानंदा हाई स्कूल हेग्गरणे, सिद्दापुरा, उत्तर कन्नड ज़िला के लिए सांस्कृतिक हॉल का निर्माण करने के लिए धन सहायता देना	- वही -	हां	कर्नाटक	उत्तर कन्नड़	6 महीने	13.22	11.80	1.42	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
67	DKZP उच्चतर प्राथमिक स्कूल, नडुमोगरु, मणिनल्कूर, बंटवाल ताल्लुका के लिए क्लास रूम का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	6 महीने	23.60	0.00	23.60	हां	लागू नहीं	लागू नहीं

68	विश्वविद्यालय, हंपनकट्टा, मंगलूरु को फ़र्नीचर और अन्य उपकरण प्रदान करना	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	16.99	16.99	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
69	DKZP HP स्कूल कुत्तेतूर, मंगलपेटे के लिए क्लास रूम का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	29.50	0.00	29.50	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
70	विश्वविद्यालय कॉलेज, मंगलूरु में वैज्ञानिक वर्मी कांपोस्टिंग यूनिट का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	3.54	3.54	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
71	श्री राम स्कूल कल्लडका में शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	0.36	0.36	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
72	BEM सहायक प्राप्त हाई स्कूल, मंगलूरु के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	7.08	0.00	7.08	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
73	बेसेंट नेशनल हाई स्कूल, मंगलूरु के लिए बुनियादी सुविधाएं	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	4.96	0.00	4.96	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
74	DKZP उच्चतर प्राथमिक स्कूल, दरेगुड्डे, मूडबिद्रे के लिए शौचालय का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	13.50	0.00	13.50	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
75	सरकारी हाई स्कूल, कल्लरकोडी, बंटवाल ताल्लुका के लिए फ़र्नीचर प्रदान करना	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	9 महीने	3.65	0.00	3.65	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
76	सहायता प्राप्त श्री वेंकटरमण उच्चतर प्राथमिक स्कूल, कुलई के लिए क्रीडा सामग्री प्रदान करना	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	3.54	0.00	3.54	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
77	DKZP उच्चतर प्राथमिक स्कूल, कल्लिगे, बंटवाल के लिए शौचालय का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	15.00	0.00	15.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
78	सहायता प्राप्त उच्चतर प्राथमिक स्कूल, कोडिकेरे, चेलइरु और जोकट्टे में यूनिफॉर्म और नोट बुक का वितरण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	1.83	0.00	1.83			
79	सरकारी महिला पॉलिटेक्निक, बोंदेल, मंगलूरु के लिए शौचालय और बाथरूम का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	13 महीने	6.01	6.01	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं

ii	**आरोग्य संरक्षण:**											
1	दांडेली/हलियाल, उत्तर कन्नड़ ज़िला में नकली अवयव शिविर चलाना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्र.सं.i निवारक स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देना	हां	कर्नाटक	उत्तर कन्नड़	6 महीने	5.90	0.00	5.90	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
2	चेलइरु पुनर्वास कॉलोनी में मुफ़्त में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाना	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	3.89	2.78	1.11	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
3	कलावर में मुफ़्त में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाना	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	8.33	2.21	6.12	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मुल्की के लिए ओपीडी ब्लॉक का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	59.00	18.50	40.50	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
5	मेसर्स ALIMCO, बेंगलूरु के सहयोग से विकलांगों को सहायक उपकरण और साधन प्रदान करना	- वही -	हां	कर्नाटक	द.क./ उडुपी/ यादगिर / रायचूर	लागू नहीं	118.44	118.44	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
6	सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल मंगलूरु में अनिवार्य स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ज़रूरी उपकरण और फर्नीचर प्रदान करना	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	1.67	1.67	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
7	एर्नाकुलम, केरल में प्रवासी कामगारों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए तमाम उपकरणों के साथ मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक की, सेंटर फॉर माइग्रेशन एण्ड इन्क्लूसीव डेवलपमेंट (CMID), एर्नाकुलम द्वारा खरीदारी	- वही -	नहीं	केरल	एर्नाकुलम्	लागू नहीं	0.76	0.76	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
8	मूडबिद्री स्वास्थ्य केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	25.96	0.00	25.96	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
9	सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल मंगलूरु के प्रति अतिशय बजट की वसूली	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	13.92	0.00	13.92	हां	लागू नहीं	लागू नहीं

10	जनौषधी केंद्रों के लिए ईसीजी मशीनें खरीदना	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	9 महीने	11.80	0.00	11.80	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
11	चेलइरु और कलावर में मुफ़्त में दवाओं सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाना	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	4.10	0.00	4.10	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
III	**बहुजन संरक्षण :**											
1	मंगलूरु ताल्लुका में पनंबूर/तण्णीर बावी/तलपाडी में शौचालय ब्लॉक का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. i स्वच्छता	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	70.08	21.36	48.72	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
2	87 घरों के लिए (23 अ.जा./अ.ज.जा. और शेष ओबीसी) प्रत्येक शौचालय का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	1.29	1.29	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
3	हलियाल, उत्तर कन्नड़ ज़िला में क्रीडा कॉंप्लेक्स के लिए क्रीडा उपकरण प्रदान करना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. vii राष्ट्रीय तौर पर मान्यता प्राप्त क्रीडाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	हां	कर्नाटक	उत्तर कन्नड़	लागू नहीं	11.80	11.80	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
4	दक्षिण कन्नड जिले में अ.जा./अ.ज.जा. हॉस्टेल के लिए पुस्तकालय भवन का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. ii सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समूहों के सम्मुख मौजूद असमानताएं कम करने के उपाय	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	लागू नहीं	13.79	13.79	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
5	बप्पनाडु मंदिर, मुल्की के लिए मल-जल उपचार संयंत्र	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. i स्वच्छता	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	49.62	49.62	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
6	करिंजे मंदिर, कवलमुदूर गांव, बंटवाल ताल्लुका में शौचालय ब्लॉक का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	3.01	3.01	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
7	कार्कला स्टेडियम के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	उडुपी	लागू नहीं	20.00	20.00	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं

8	स्वच्छ सुरत्कल: फ्लाइ ओवर के नीचे सजाए गए स्थान का अनुरक्षण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.i निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देना	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	2.76	2.76	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
9	गुडिगार, येक्कार में ओवरहेड वाटर टैंक का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.i सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	22.13	9.07	13.06	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
10	आड्यपाडी, कंदावरा गांव में ओवरहेड वाटर टैंक का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	29.50	17.70	11.80	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
11	नीरमर्गा, मंगलूरु में ओवरहेड टैंक का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	29.00	19.25	9.75	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
12	नीरमर्गा ग्राम पंचायत में छह स्थानों में बोर वेल्ल खोदना और पाइपलाइन कनेक्ट करना	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	8.29	8.29	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
13	मूडबिद्रे टाउन पंचायत के कक्केबेट्टु में ओवरहेड वाटर टैंक का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	47.20	0.00	47.20	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
14	मंगलूरु शहर सुरत्कल पुलीस स्टेशन के करीब 120 कर्मचारियों को रेन कोट प्रदान करना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. x ग्रामीण विकास	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	1.27	1.27	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
15	स्थानीय COVID-19 कोष में अंशदान	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. 1 निवारक स्वास्थ्य की देखभाल और क्रम. सं. xii राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	61.73	61.73	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं

16	बंटवाल ताल्लुका के सरपाडी गांव में सड़क	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. x ग्रामीण विकास	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	78.67	49.27	29.40	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
17	कर्नाटक राज्य फायर सर्वीस, मंगलूरु अंचल के लिए शीट रूफिंग प्रशिक्षण बैरैक का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. ii रोज़गार बढ़ाने वाली व्यावसायिक कुशलताएं	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	52.16	0.00	52.16	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
18	नलिके सेवा समाजा®, ओडिनाला, बेल्तंगडी में बुनियादी सुविधाओं का विकास	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. ii सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समूहों के सम्मुख असमानताओं को कम करने के उपाय करना	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	1.89	1.89	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
19	सूरिंजे ग्राम पंचायत के लिए ऑडिटोरियम का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. x ग्रामीण विकास	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	29.31	0.00	29.31	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
20	संबद्ध सरकारी विभाग के जरिए अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम. सं ii सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समूहों के सम्मुख असमानताओं को कम करने के उपाय करना	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	44.23	44.23	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
21	गोऊस्वर्गा - सिद्दापुरा, उत्तर कन्नड़ में गाय पालन पर अनुसंधान केंद्र का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.iv पशु कल्याण	हां	कर्नाटक	उत्तर कन्नड़	8 महीने	103.93	78.88	25.05	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
22	बाल समुदाय भवना में बुनियादी सुविधाओं का विकास	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. x ग्रामीण विकास	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	18.86	12.94	5.92	हां	लागू नहीं	लागू नहीं

23	उचिला, उडुपी ज़िला के दक्षिण कन्नड़ मोगवीरा महाजन संघा® द्वारा समुदाय हॉल का निर्माण करने के लिए समर्थन	- वही -	हां	कर्नाटक	उडुपी	12 महीने	602.39	353.02	249.37	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
24	केशव सेवा समिति, बेंगलूरु द्वारा कुशलता विकास कार्यक्रम	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. ii रोज़गार बढ़ाने वाली व्यावसायिक कुशलताएं	हां	कर्नाटक	बेंगलूरु	3 महीने	2.20	1.77	0.43	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
25	हूवीन हडगली, बेल्लारी में समुदाय भवन का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. x ग्रामीण विकास	हां	कर्नाटक	बेल्लारी	12 महीने	381.14	126.26	254.88	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
26	प्रज्ञा परामर्श केंद्र, मंगलूरु के लिए मुडुपा में महिला केंद्र का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.iii महिलाओं और अनाथों के लिए घर एवं हॉस्टेल बनाना	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	316.00	99.99	216.01	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
27	एमआरपीएल में कुशलता विकास कार्यक्रम	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. ii रोज़गार बढ़ाने वाली व्यावसायिक कुशलताएं	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	23.88	23.88	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
28	कोडिकल मोगवीरा महासभा, कोडिकल, मंगलूरु के लिए रंग मंदिरा और जिम्नैशियम भवन का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. x ग्रामीण विकास	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	6 महीने	41.62	29.79	11.83	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
29	बैकेरे, हासन में पशु चिकित्सा अस्पताल का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.iv पशु कल्याण	हां	कर्नाटक	हासन	लागू नहीं	25.15	25.15	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं

30	फ़र्नीचर की खरीदारी और बुनियादी विकास करने के लिए कुडमुल श्री रंगराव मेमोरियल सेवा संघा (पं) बिजई कपिकाड मंगलूरु द्वारा वित्तीय समर्थन	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. सं. ii सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समूहों के सम्मुख असमानताओं को कम करने के उपाय करना	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	8.80	8.80	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
31	पनंबूर कुलई मोगवीरा महासभा (पं) में समुदाय भवन का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. x ग्रामीण विकास	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	94.40	14.16	80.24	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
32	स्वच्छ सुरत्कल - सफ़ाई कार्यक्रम का द्वितीय चरण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. i स्वच्छता	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	3.54	0.54	3.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
33	बाला ग्राम पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. x ग्रामीण विकास	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	22.61	22.61	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
34	समुदाय भवन चेलइरु के इलेक्ट्रिकल शुल्क	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. x ग्रामीण विकास	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	0.30	0.08	0.22	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
35	सुरत्कल एजुकेशनल एण्ड चैरिटबल ट्रस्ट द्वारा सुरत्कल फ्लाइ ओवर का अनुरक्षण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.i निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देना	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	4.25	0.00	4.25	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
36	क्षेत्रीय पर्यावरण निदेशक, मंगलूरु के कार्यालय द्वारा सागर तट का विकास	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं. i स्वच्छता	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	4.72	0.00	4.72	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
37	बल्पा ग्राम पंचायत के लिए शौचालयों का निर्माण	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	9.16	2.99	6.18	हां	लागू नहीं	लागू नहीं

38	जनता कॉलोनी, सुरत्कल (एमसीसी लिमिटेड) में बोर वेल्ल खोदकर सबमर्सिबल पंप लगाना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.i सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	16.52	0.00	16.52	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
IV	**प्रकृति संरक्षण :**											
1	कार्कला ताल्लुका कार्यालय, कार्कला, उडुपी जिला के पास सार्वजनिक पार्क का विकास	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. क्रम सं.iv प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	हां	कर्नाटक	उडुपी	12 महीने	177.00	10.66	166.34	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
2	मूडबिद्री में झीलों का उद्धार और विकास	- वही -	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	लागू नहीं	25.02	25.02	0.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
V	**संस्कृति संरक्षण :**											
1	कोटी चेन्नय्या जोडुकरे कंबला समिति, ऑटिकट्टे, मूडबिद्री के लिए स्टेज भवन का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. सं.v कला और संस्कृति का संरक्षण	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	12 महीने	41.30	0.00	41.30	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
2	" उदयरंगा " कार्यक्रम के लिए मणिकृष्णस्वामी एकेडमी (पं) सुरत्कल का प्रायोजन	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. सं.v कला और संस्कृति का संरक्षण	हां	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	3 महीने	0.22	0.00	0.22	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
	विव 2019-20 के दौरान आगे ले जाई गईं विभिन्न परियोजनाओं से व्यय से अधिक धनराशि का वापस ऊपर सूचीबद्ध विभिन्न परियोजनाओं में विनियोजन						-7625	-76.26	0.00			
							4404.00	2236.30	2167.70			

अनुबंध - III

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान चलती रहीं परियोजनाओं के प्रति खर्च की गई सीएसआर रकम के ब्यौरे

1	2	3	4	5		6	7	8	9	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय इलाका (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना पर किया गया खर्च (₹ लाखों में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई रकम (₹ लाखों में)	कार्यान्वयन की रीति - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की रीति - कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए	
				राज्य	ज़िला				नाम	CSR पंजीकरण संख्या
1	PM-CARES विव 2020-21 कोष में अंशदान	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII क्र. सं I निवारक स्वास्थ्य की देखभाल और क्रम सं. xii राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	हां	भारत	लागू नहीं	200.00	200.00	हां	लागू नहीं	लागू नहीं

अनुबंध IV

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में खर्च न की गई सीएसआर रकम के ब्यौरे

क्र. सं.	पूर्व वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अनुसार खर्च न किए गए सीएसआर खाते में अंतरित रकम (₹ लाखों में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई रकम (₹ लाखों में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी कोष में अंतरित रकम, कोई हो तो.			उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में खर्च करने के लिए रह गई रकम (₹ लाखों में)
				कोष का नाम	**रकम (₹ में)**	**अंतरण दिनांक**	
1	2017-18	लागू नहीं	1030	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2357
2	2018-19	लागू नहीं	3132	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5931
3	2019-20	लागू नहीं	7609	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4651

अनुबंध V

पूर्व वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चलती रहीं परियोजनाओं के मामले में वित्तीय वर्ष में प्रति खर्च की गई सीएसआर रकम के ब्यौरे

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
क्र. सं.	परियोजना ID	परियोजना का नाम	परियोजना, किस वित्तीय वर्ष मे शुरु हुई.	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित रकम (₹ लाखों में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई रकम (₹ लाखों में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचई रकम (₹ लाखों में)	परियोजना की स्थिति - पूरी हुई है / चल रही है.	
1	लागू नहीं	बेल्तंगडी ताल्लुका में पी.यू. कॉलेज के लिए शौचालय का निर्माण	2017-18	12 महीने	10.00	4.81	9.37	चालू	0.63
2	लागू नहीं	मंगलूरु ताल्लुका में पणंबूर/तण्णीर बावी/तलपाडी में शौचालय ब्लॉक का निर्माण	2017-18	24 महीने	100.00	21.36	51.28	चालू	48.72
3	लागू नहीं	कार्कला ताल्लुका कार्यालय, कार्कला, उडुपी जिला के पास सार्वजनिक पार्क का विकास	2017-18	24 महीने	177.00	10.66	10.66	चालू	166.34
4	लागू नहीं	सरकारी अपग्रेड किया गया HP स्कूल, बल्पा, सुल्या ताल्लुका की पहली मंज़िल में रंग मंदिरा के निर्माण की व्यवस्था करने सहित स्कूल के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना	2018-19	12 महीने	70.80	12.95	12.95	चालू	57.85
5	लागू नहीं	कर्नाटका (सरकारी) पॉलिटेक्निक, कद्री हिल्ल, मंगलूरु के लिए वाशरूम के साथ महिला रेस्ट रूम भवन का निर्माण	2018-19	12 महीने	50.00	26.48	26.48	चालू	23.52
6.	लागू नहीं	DKZPHP स्कूल, मुच्चूरु, मंगलूरु के लिए अतिरिक्त क्लास रूम का निर्माण	2018-19	12 महीने	89.09	36.68	49.29	चालू	39.80
7	लागू नहीं	श्री नारायण गुरु पी यू कॉलेज, काटिपल्ला, मंगलूर की पहली मंज़िल में अतिरिक्त क्लास रूम का निर्माण	2018-19	12 महीने	35.40	11.69	16.12	चालू	19.28
8	लागू नहीं	प्राथमिक स्कूल, किन्नीकंब्ला, मंगलूर के लिए क्लास रूम और शौचालय ब्लॉक का निर्माण	2018-19	12 महीने	47.20	17.22	17.22	चालू	29.98
9	लागू नहीं	गुडिगार, येक्कारा में ओवरहेड वाटर टैंक का निर्माण	2018-19	12 महीने	22.13	9.07	9.07	चालू	13.06

10	लागू नहीं	आड्यपाडी, कंदावरा गांव में ओवरहेड वाटर टैंक का निर्माण	2018-19	12 महीने	29.50	17.70	17.70	चालू	11.80
11	लागू नहीं	नीरमर्गा, मंगलूरु में ओवरहेड टैंक का निर्माण	2018-19	12 महीने	29.00	19.25	19.25	चालू	9.75
12	लागू नहीं	बंटवाल ताल्लुका के सरपाडी गांव में सड़क	2018-19	12 महीने	118.00	49.27	88.60	चालू	29.40
13	लागू नहीं	गोऊस्वर्गा - सिद्दापुरा, उत्तर कन्नड़ में गाय पालन पर अनुसंधान केंद्र का निर्माण	2018-19	12 महीने	118.00	78.88	92.95	चालू	25.05
14	लागू नहीं	बाल समुदाय भवना में बुनियादी सुविधाओं का विकास	2018-19	24 महीने	21.06	12.94	15.14	चालू	5.92
15	लागू नहीं	सरकारी जूनियर कॉलेज, चिक्कमगलूरु में क्लासरूम और विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण	2018-19	24 महीने	88.50	30.11	57.01	चालू	31.49
16	लागू नहीं	बेल्तंगडी ताल्लुका में सरकारी स्कूलों के लिए शौचालयों (55 शौचालयों) का निर्माण	2019-20	24 महीने	550.00	281.25	491.25	चालू	58.75
17	लागू नहीं	सरकारी हाई स्कूल, काटिपल्ला, 5वां ब्लॉक, कृष्णपुरा के लिए ऑडिटोरियम का निर्माण	2019-20	12 महीने	16.59	15.87	15.87	चालू	0.72
18	लागू नहीं	DKZP HP उच्चतर प्राथमिक स्कूल, किलेंजरु, कुप्पेपदवू, मंगलूरु ताल्लुका के लिए स्कूल भवन का निर्माण	2019-20	12 महीने	59.00	12.31	16.48	चालू	42.52
19	लागू नहीं	सरकारी हाई स्कूल, पोलाली के लिए स्कूल भवन का निर्माण	2019-20	12 महीने	71.31	10.58	67.83	चालू	3.48
20	लागू नहीं	दक्षिण कन्नड़ा ज़िला पंचायत, मंगलूरु द्वारा दक्षिण कन्नड जिले में आंगनवाड़ी का निर्माण	2019-20	12 महीने	148.00	11.80	85.54	चालू	62.46
21	लागू नहीं	सरकारी विश्वविद्यालय पूर्व कॉलेज (हाई स्कूल अनुभाग), चेलइरु के लिए क्लास रूम का निर्माण	2019-20	12 महीने	61.07	4.88	34.45	चालू	26.62
22	लागू नहीं	DKZP HP स्कूल, चंदलिके, विट्ला के लिए क्लास रूम का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता	2019-20	12 महीने	37.76	4.77	28.96	चालू	8.80
23	लागू नहीं	मंगलूरु नगर निगम क्षेत्र के इर्द-गिर्द बसे स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विकास	2019-20	12 महीने	13.54	1.11	2.57	चालू	10.97
24	लागू नहीं	विवेकानंदा सहायता प्राप्त उच्चतर प्राथमिक स्कूल, जलसूर के लिए स्कूल भवन का विस्तार	2019-20	12 महीने	105.87	82.21	82.21	चालू	23.66

25	लागू नहीं	कार्कला, उडुपी ज़िले के कडतला ग्राम पंचायत के लिए आंगनवाड़ी भवन का निर्माण	2019-20	12 महीने	35.40	5.90	23.60	चालू	11.80
26	लागू नहीं	श्री मारिकांबा सरकारी हाई स्कूल और पी.यू. कॉलेज, शिरसी, उत्तर कन्नड़ ज़िला के लिए शौचालयों का निर्माण	2019-20	12 महीने	50.00	8.54	33.54	चालू	16.46
27	लागू नहीं	गोणीकोप्पल हाई स्कूल मैदान, कोडगू ज़िले में इंडोर स्टेडियम का निर्माण	2019-20	12 महीने	59.00	17.70	17.70	चालू	41.30
28	लागू नहीं	श्री स्वामी विवेकानंदा हाई स्कूल हेग्गरणे, सिद्दापुरा, उत्तर कन्नड के लिए सांस्कृतिक हॉल का निर्माण करने के लिए धन सहायता देना	2019-20	12 महीने	13.22	11.80	11.80	चालू	1.42
29	लागू नहीं	कलावर पुनर्वास कॉलोनी में मुफ़्त में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाना	2019-20	12 महीने	7.80	2.78	6.69	चालू	1.11
30	लागू नहीं	कलावर में मुफ़्त में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाना	2019-20	12 महीने	10.33	2.21	4.21	चालू	6.12
31	लागू नहीं	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मुल्की के लिए ओपीडी ब्लॉक का निर्माण	2019-20	12 महीने	118.00	18.50	77.50	चालू	40.50
32	लागू नहीं	उचिला, उडुपी ज़िला के दक्षिण कन्नड़ मोगवीरा महाजन संघा® द्वारा समुदाय हॉल का निर्माण करने के लिए समर्थन	2019-20	12 महीने	891.00	353.02	641.63	चालू	249.37
33	लागू नहीं	केशवा सेवा समिति, बेंगलूरु द्वारा कुशलता विकास कार्यक्रम	2019-20	24 महीने	7.41	1.77	6.98	चालू	0.43
34	लागू नहीं	हूवीन हडगली, बेल्लारी में समुदाय भवन का निर्माण	2019-20	12 महीने	381.14	126.26	126.26	चालू	254.88
35	लागू नहीं	प्रज्ञा परामर्श केंद्र, मंगलूरु के लिए मुडुपा में महिला केंद्र का निर्माण	2019-20	24 महीने	316.00	99.99	99.99	चालू	216.01
36	लागू नहीं	कोडिकल मोगवीरा महासभा, कोडिकल, मंगलूरु के लिए रंग मंदिरा और जिम्नैशियम भवन का निर्माण	2019-20	24 महीने	51.07	29.79	39.24	चालू	11.83
37	लागू नहीं	बल्पा ग्राम पंचायत के लिए शौचालयों का निर्माण	2019-20	12 महीने	9.16	2.99	2.99	चालू	6.17
38	लागू नहीं	पणंबूर कुलई मोगवीरा महासभा (पं) में समुदाय भवन का निर्माण	2019-20	12 महीने	94.40	14.16	14.16	चालू	80.24
39	लागू नहीं	स्वच्छ सुरत्कल - सफ़ाई कार्यक्रम का द्वितीय चरण	2019-20	24 महीने	3.54	0.54	0.54	चालू	3.00
40	लागू नहीं	समुदाय भवन चेलइरु के इलेक्ट्रिकल शुल्क	2019-20	12 महीने	0.30	0.08	0.08	चालू	0.22

नोट 1: जहां कहीं लागू हो, प्रत्येक परियोजना के प्रावधान के प्रति समायोजन को समाविष्ट किया गया है

नोट 2: विव 2017-18 और 2018-19 में शुरु किए गए सिविल निर्माण कार्य समेत सीएसआर परियोजनाएं, अभी भी चल रही हैं जिनको विव 2021-22 में पूरा किया जाएगा

अनुबंध ' आ '

अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी रिपोर्ट - I

1 जनवरी, 2021 को अ.जा., अ.ज.जा. और ओबीसी का प्रतिनिधित्व और पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सार्वजनिक उद्यम का नाम: मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

समूह	अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी का प्रतिनिधित्व				कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
	(यथा 01/01/2021)				प्रत्यक्ष भर्ती से				पदोन्नति से			प्रतिनियुक्ति/नियोजन से			
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओबीसी	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	ओबीसी	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	ओबीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
समूह A	399	61	27	99	28	3	3	11	289	22	10	-	-	-	-
समूह B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
समूह C	862	126	49	332	-	-	-	-	225	21	03	-	-	-	-
समूह D (सफाई कर्मचारियों को छोडकर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह D (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**1261**	**187**	**76**	**431**	**28**	**3**	**3**	**11**	**514**	**43**	**13**	-	-	-	-

यह आंकड़ें उन कर्मचारियों के हैं जिन्होंने एमआरपीएल, पीएसयू बनने यानी 06/01/2005 के बाद कार्यग्रहण किया.

अनुबंध ' आ '

अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी रिपोर्ट - II

1 जनवरी, 2021 को विभिन्न समूह 'A' सेवाओं में अ.जा., अ.ज.जा. और ओबीसी का प्रतिनिधित्व और पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष 2020 में की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सार्वजनिक उद्यम का नाम: मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

वेतन मान (₹ में)	अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी का प्रतिनिधित्व (यथा 01/01/2021)				कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
					प्रत्यक्ष भर्ती से				पदोन्नति से			प्रतिनियुक्ति/नियोजन से			
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओबीसी	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओबीसी	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओबीसी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
60000-180000 (A)	101	12	8	28	28	3	3	11	25	02	-	-	-	-	-
70000-200000 (B)	95	16	3	30	-	-	-	-	53	02	01	-	-	-	-
80000-220000 (C)	62	11	4	17	-	-	-	-	54	01	02	-	-	-	-
90000-240000 (D)	54	9	5	10	-	-	-	-	62	06	02	-	-	-	-
100000-260000 (E)	56	11	5	8	-	-	-	-	44	09	04	-	-	-	-
120000-280000 (F)	21	1	2	5	-	-	-	-	29	-	01	-	-	-	-
120000-280000 (G)	6	-	-	1	-	-	-	-	08	-	-	-	-	-	-
120000-280000 (H)	1	-	-	-	-	-	-	-	07	-	-	-	-	-	-
120000-280000(H2)	2	1	-	-	-	-	-	-	05	01	-	-	-	-	-
150000- 300000 (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	02	01	-	-	-	-	-
180000-340000 (Dir)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200000-370000 (MD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**399**	**61**	**27**	**99**	**28**	**3**	**3**	**11**	**289**	**22**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**

यह आंकड़ें उन कर्मचारियों के हैं जिन्होंने एमआरपीएल, पीएसयू बनने यानी 06/01/2005 के बाद कार्यग्रहण किया.

अनुबंध ' आ '

1 जनवरी 2021 को सेवारत अशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व और कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान प्रत्यक्ष भर्ती/पदोन्नति दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सार्वजनिक उद्यम का नाम: मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

समूह	कुल कर्मचारी (यथा 01/01/2021)				प्रत्यक्ष भर्ती - 2020 आरक्षित रिक्तियों की संख्या			भर्ती से की गईं नियुक्तियों की संख्या				पदोन्नति - 2020 आरक्षित रिक्तियों की संख्या				पदोन्नतियों से की गईं नियुक्तियों की संख्या		
	कुल	VH	HH	OH	VH	HH	OH	कुल	VH	HH	OH	VH	HH	OH	कुल	VH	HH	OH
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
A	399	1	3	7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	289	-	3	3
B	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	862	0	8	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	-	-	1
D/DS	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**1261**	**1**	**11**	**19**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**514**	**-**	**3**	**4**

एमआरपीएल में समूह B और समूह D में कोई प्रत्यक्ष भर्ती नहीं की गई

06/01/2005 से आंकड़ें (जिस दिन एमआरपीएल, पीएसयू हुआ)

(I) VH का मतलब है दृष्टि बाधित व्यक्ति (नेत्रहीनता अथवा कम दृष्टि से पीडित व्यक्ति)

(II) HH का मतलब है श्रवण बाधित व्यक्ति (श्रवण दोष से पीडित व्यक्ति)

(III) OH का मतलब है अंग विकलता से पीडित व्यक्ति (लोकोमोटर विकलांगता अथवा मस्तिष्क पक्षाघात से पीडित व्यक्ति).

अनुबंध - इ

कार्य स्थान पर महिला का यौन उत्पीडन (रोकथाम, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013 (PRSH अधिनियम) की धारा 21 के 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट

रिपोर्ट अवधि	:	वित्त 2020-21 (1/4/2020 से 31/3/2021)
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	:	कुछ नहीं
वर्ष के दौरान निपटाई गईं शिकायतों की संख्या	:	1(एक)
90 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या	:	कुछ नहीं
कार्यशालाओं अथवा जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	:	

i. कर्मचारियों के लिए संगठित लिंग सुग्राहीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम

ii. नए कर्मचारियों के परिचय कार्यक्रमों में लिंग सुग्राहीकरण के बारे में जागरूकता कार्यक्रम पेश किया गया

iii. आगंतुकों को भेजे गए ई-मेल संदेश में यह संदेश - " एमआरपीएल में यौन उत्पीड़न, एक प्रतिबंधित अधिनियम है " समाविष्ट किया गया

iv. यौन उत्पीडन अधिनियम, ऐसे कृत्य जिससे यौन उत्पीड़न हो, एमआरपीएल में आंतरिक समिति की मौजूदगी आदि के बारे में उनकी जागरूकता जांचने के लिए कर्मचारियों की खातिर ऑनलाइन सर्वेक्षण प्लैटफ़ार्म निर्मित किया गया

v. कार्य स्थान पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम , प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम 2013, निरसन और संशोधन अधिनियम 2016 के सांविधिक प्रावधानों पर एक पंक्ति, एमआरपीएल द्वारा जारी तमाम कार्य आदेशों के सामान्य नियमों और शर्तों में समाविष्ट की गई.

कार्रवाई का स्वरूप : अनुबंध - 1

अनुबंध - I

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों के संबंध में नियोजक ने नीचे उल्लिखित कार्रवाई की:

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	:	कुछ नहीं
समिति द्वारा जांच कर पूरी की गई	:	1(एक) सुलह होने पर शिकायतकर्ता ने लिखित रूप में शिकायत अभिव्यक्त रूप से वापस ली. एक समापन रिपोर्ट, कारखाना प्रबंधक और अधिभोगी, एमआरपीएल को भेजी गई.
की गई कार्रवाई	**:**	**लागू नहीं**
लिखित क्षमायाचना	:	
चेतावनी	:	
फटकार या निंदा	:	
पदोन्नति रोक रखना	:	
वेतन बढ़त /वेतनवृद्धि रोक रखना	:	
सेवा समाप्ति	:	
स्थानांतरण	:	
परामर्श किया जा रहा है	:	
सामुदायिक सेवा कर रहा है	:	

हस्ता/-
पीठासीन अधिकारी - आंतरिक समिति, एमआरपीएल

अनुबंध ग

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(द)

अ. ऊर्जा की बचत

आपकी कंपनी, ऊर्जा की बचत को सर्वाधिक प्राथमिकता देती है और उसने प्रक्रिया का इष्टतम उपयोग करते हुए सक्रिय उपाय किए, लगातार निगरानी रखते हुए ऊर्जा की बचत करने संबंधी कई उपाय किए.

i. विव 2020-21 के दौरान ऊर्जा की खपत कम करने के लिहाज से प्रमुख ऊर्जा बचत उपाय लागू किए जा रहे हैं/विचाराधीन हैं.

क्रम सं.	उपायों का वर्णन	MTOE में /वर्ष बचत
1	CDU 2 CAPH बदलना और उसका इष्टतमीकरण	2457.3
2	O2 विश्लेषक बदलकर / बर्नर्स को फाइन ट्यून करते हुए/ बर्नर घटकों को बदलते हुए CDU-II हीटर (BA-41001) में अतिशय वायु का इष्टतमीकरण किया गया	403.8
3	VDU 2 CAPH को बदला गया और उसका इष्टतमीकरण किया गया	654.2
4	अमाइन उपचार यूनिट में फ्लैशर बहिर्गैस रिकवरी	862
5	घटाए गए रीएक्टर में कम तापमान वाले Co-Mo उत्प्रेरक का उपयोग करना.	186
6	तप्त HCGO उत्पाद/तप्त धारा को सीधे कोकर गैस तेल जलोपचारक यूनिट में प्रवाहित करते हुए LP भाप का उत्पादन करना	368
7	KSU भाप री-बॉइलर चालू करना	168
8	GOHDS में APH को बदलना	59
9	हाइड्रोजन उत्पादन यूनिट-I में APH को बदलना	485
10	चरण III से MP भाप को OMS लोवर प्लैटो में प्रवाहित करना	187
11	IFO प्रोत्कर्ष नियंत्रण में आशोधन	45
12	संयंत्र क्षेत्र में, HPMV और HPSV लाइटों के स्थान पर ऊर्जा बचाने वाले जुड़नार	158
13	संयंत्र क्षेत्र में बदले गए / जोड़े गए नए HLMs (प्रत्येक HLM में 12 फिट्टिंग होते हैं) के प्रति नए HLM में LED जुड़नार	177
14	कर्मशाला रहित फ़र्श क्षेत्र फल में अदक्ष लाइटिंग जुड़नार के स्थान पर ऊर्जा बचाने वाले जुड़नार लगाना	230
15	HRSG में आशोधन - HRSG I/HRSG II में सहायक फायरिंग	1826

1 MTOE = 10000 kcal/kg ईंधन समतुल्य

अनुमान लगाया गया है कि उक्त उपायों से, 8268 मेट्रिक टन तेल के समतुल्य (MTOE) बचत हुई है.

ii. वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने की दिशा में कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

वित्तीय वर्ष के दौरान सौर संयंत्र पूरी तरह काम कर रहा था और 8.35 दशलक्ष यूनिटों के समतुल्य विद्युत उत्पादन किया गया, इस तरह से संधारणीय विकास और कार्बन उत्सर्जन घटाने की दिशा में प्रतिबद्धता झलकती है.

आ. प्रौद्योगिकी का समावेश

(i) प्रौद्योगिकी का समावेश करने की दिशा में किए गए प्रयास;

- RSU और MX यूनिटों के साथ CDU3, DCU में उन्नत प्रोसेस कंट्रोलर कार्यान्वयन पूरा किया. CDU2, DHDT और PFCC यूनिटों में उन्नत प्रोसेस प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन हो रहा है.

(ii) उत्पाद में सुधार, लागत में कटौती, उत्पाद का विकास अथवा आयात का प्रतिस्थापन आदि जैसे लाभ प्राप्त हुए.

- एमआरपीएल ने वर्ष के दौरान 5MFI सामान्य प्रयोजन के राफिया ग्रेड के पॉली प्रॉपीलीन को विकसित किया. ग्रेड का उन अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाएगा जिनमें कम ताकत और अधिक मशीन गति की ज़रूरत होती है.
- MARPOL विनिर्देशों (FO, 0.5 wt. % गंधक युक्त) के कार्यान्वयन के साथ IMO के विनियमों के अनुरूप बहुत कम गंधक युक्त ईंधन तेल (LSFO) का उत्पादन शुरु किया.
- CPP 1 और 2 में विद्युत उत्पादन और भाप उत्पादन का इष्टतम उपयोग करने की खातिर आंतरिक रूप से कलन विधि विकसित कर लागू की गई.
- CCRs में फ़ीड N+2A का इष्टतम उपयोग करने की खातिर आंतरिक रूप से कलन विधि विकसित कर DCS पर लागू की गई.

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पिछले 3 वर्ष के दौरान आयातित)

क. संस्फुरण गैस रिकवरी तंत्र (FGRS)

आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे:

संस्फुरण गैस को रिकवर करने के लिए FGRS, फेज-3 के हाइड्रोकार्बन संस्फुरण प्रणाली में संस्थापित की गई है. रिकवर किए गए संस्फुरण गैस का, रिफाइनरी ईंधन गैस के साथ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है. संस्फुरण गैस रिकवरी के लिए प्रयुक्त लिक्विड रिंग कंप्रेसर की आपूर्ति, मेसर्स गैरो डॉट इंग रॉबर्टो गब्बियोनेटा, S.P.A. ने की है.

आयात वर्ष: विव 2017-18

क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश किया जा चुका है: हां

ख. क्रूड आसवन यूनिट - 2 में मौजूदा दो चरण वाले बाय-इलेक्ट्रिक डीसाल्टर्स का दोहरे फ्रिक्वेंसी में उन्नयन

आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे:

कम API वाले भारी क्रूड को प्रोसेस करने के लिए, एमआरपीएल ने क्रूड आसवन यूनिट-2 में इलेक्ट्रिक ग्रिड्ड, ट्रांसफॉर्मर्स, वितरकों और स्तर ट्रांसमिटर्स को बदलते हुए मौजूदा दो चरण वाले बाय-इलेक्ट्रिक डीसाल्टर्स का दोहरे फ्रिक्वेंसी डीसाल्टर्स में उन्नयन किया. यह प्रौद्योगिकी, मेसर्स श्लुमबर्गर,पूर्ववती पेट्रेको इंटरनैशनल (मिडल ईस्ट) लि ने प्रदान की.

आयात वर्ष: विव 2017-18

क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश किया जा चुका है: हां

ग. FCC गैसोलीन उपचारक (FGT)

आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे:

BS-VI परियोजनाओं के अंग के तौर पर, BS-VI MS गंधक विनिर्देश की पूर्ति करने के लिए मेसर्स एक्सेन्स IFP ग्रूप टेक्नॉलॉजीस फ्रांस से प्राइम G+ प्रौद्योगिकी का आयात किया गया है.

आयात वर्ष: विव 2017-18

क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश किया जा चुका है: परियोजना, कार्यान्वयन के चरण में है.

अपेक्षा की जाती है कि यांत्रिक पूर्णता जुलाई 2021 तक होगी.

घ. CCR2 का पुनर्योजन

आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे:

एमआरपीएल ने यूनिट की डिज़ाइन क्षमता को 9,474 बैरल नया स्टॉक चार्ज प्रति प्रचालन दिन से 13,586 बैरल नया स्टॉक चार्ज प्रति प्रचालन दिन तक बढ़ाया है. क्षमता का पुनर्योजन, मूल यूनिट के प्रोसेस लाइसेंसकर्ता मेसर्स UOP इंटर-अमेरिकाना इंक के जरिए किया गया है.

आयात वर्ष: विव 2018-2019 प्रवर्तन दिनांक 18/10/2018

क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश किया जा चुका है: हां. प्रौद्योगिकी का विव 2018-19 में समावेश किया गया.

ङ. CCR यूनिट के लिए क्लोरोसॉर्ब प्रोसेस प्रौद्योगिकी

आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे:

पुनर्जनन प्रक्रिया का उप-उत्पाद है, HCl और क्लोरीन का निर्मोचन. पुनर्जनन अंचल से निकला वेंट गैस को वेंट गैस कूलर में शीतलित करने के लिए कूलर ब्लोअर से वायु की स्लिप धारा के साथ ताप विनिमय किया जाता है. शीतलन वायु का पूर्व तपन किया जाता है जिससे कि वेंट गैस कूलर में संघनन न हो. वेंट गैस कूलर के बहिर्गम पर तापमान नियंत्रित करने के लिए बटरफ्लाई वाल्व के सहारे कूलिंग वायु प्रवाह का समायोजन किया जाता है. वेंट गैस को सामान्यत: 143^0C पर शीतलित किया जाता है जो बाद में, पृथक्कृत होने वाले हॉपर के अधिशोषण अंचल के जरिए प्रवाहित होते हुए वायुमंडल में निकल जाता है.

भुक्तशेष उत्प्रेरक, पृथक्कृत होने वाले हॉपर के पृथक्कृत होने वाले अंचल से गुजरते हुए पूर्व तपन अंचल में प्रवेश करता है जहां उसका, भाप ताप विनिमायक में तप्त N_2 के प्रत्यक्ष संपर्क में तपन किया जाता है. तदनंतर उत्प्रेरक, पूर्व तपन अंचल से गुजरते हुए अधिशोषण अंचल में प्रवाहित होता है. उत्प्रेरक, अधिशोषण अंचल से गुजरते हुए अनेक उत्प्रेरक अंतरण पाइपों के जरिए पुनर्जनन टावर में प्रवाहित होता है.

आयात वर्ष, विव 2018-2019

क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश किया जा चुका है: हां

च. PSA का पुनर्योजन:

आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे:

एमआरपीएल ने PSA यूनिट की डिज़ाइन फ़ीड क्षमता को 21593Nm³/घंटे से 37469Nm³/घंटे तक बढ़ाया है. PSA यूनिट, न्यूनतम 99.9 vol% शुद्धता वाला शुद्ध हाइड्रोजन प्रदान करेगी. क्षमता का पुनर्योजन, मूल यूनिट के प्रोसेस लाइसेंसकर्ता मेसर्स UOP LLC के जरिए किया गया है.

आयात वर्ष: विव 2018-2019 प्रवर्तन दिनांक 24/10/2018

क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश किया जा चुका है: हां. प्रौद्योगिकी का विव 2018-19 में समावेश किया गया.

छ. LPG अमाइन अवशोषक

आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे:

पेट्रो फ्लूइडाइज़्ड कैटेलिटिक क्रैकिंग यूनिट के फ़ीड VGO में गंधक अंश बढ़ाने की दृष्टि से एक नया LPG अमाइन अवशोषक संस्थापित किया जा रहा है. LPG अमाइन अवशोषक के लिए प्रौद्योगिकी का आयात मेसर्स टेकचिप स्टोन एण्ड वेबस्टर प्रोसेस टेक्नॉलजी, यूएसए से किया जा रहा है.

क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश किया जा चुका है: परियोजना, कार्यान्वयन के चरण में है.

अपेक्षा की जाती है कि यांत्रिक पूर्णता अप्रैल 2023 तक होगी.

ज. वेट्ट गैस स्क्रब्बर

आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे

पेट्रो फ्लूइडाइज़्ड कैटेलिटिक क्रैकिंग यूनिट से धूल का उत्सर्जन कम करने की दृष्टि से वेट्ट गैस स्क्रब्बर प्रौद्योगिकी का मेसर्स हेम्मन रीसर्च - कोट्रेल्ल इंक, यूएसए से आयात किया जा रहा है.

आयात वर्ष: विव 2020-21

क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश किया जा चुका है: परियोजना, कार्यान्वयन के चरण में है.

अपेक्षा की जाती है कि यांत्रिक पूर्णता अप्रैल 2023 तक होगी.

(i) अनुसंधान और विकास

1. R&D के विशिष्ट क्षेत्र:

एमआरपीएल की R&D गतिविधियों का, आंतरिक और/अथवा अन्य संस्थाओं के साथ सहयोगी परियोजनाओं के जरिए मूल रूप से प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्प्रेरक के विकास, संक्षारण के न्यूनतमीकरण, प्रोसेस के इष्टतमीकरण और आला उत्पाद के विकास के अधीन वर्गीकरण किया जाता है. एमआरपीएल ने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे CSIR-NCL, IIT-गुवाहाती और NITK सुरत्कल और CIPET चेन्नई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए सहयोग किया है जिससे कि उक्त R&D के उद्देश्यों की पूर्ति हो.

2. प्राप्त फ़ायदे:

विकसित प्रौद्योगिकी, परिपक्वता के विभिन्न चरणों में हैं जिनका भविष्य में वाणिज्यीकरण होने की संभावना है. पेटेंट प्राप्त प्रौद्योगिकियों को स्क्रीन करने, वाणिज्यिक लाभ के साथ स्केल अप की संभावनाओं का आकलन करने की कार्यविधि बनाई गई है. तदनुसार प्राप्त हुए विभिन्न पेटेंटों के वाणिज्यीकरण की प्राथमिकता हाथ में ली जाएगी. एमआरपीएल ने वर्ष 2020-21 में तीन नए अनंतिम पेटेंट दर्ज किए हैं और पांच नए पूर्ण पेटेंट विनिर्देश दर्ज किए हैं. इसके साथ पेटेंट रूप में दर्ज की गई बौद्धिक संपदा की कुल मिलाकर गिनती विव 2020-21 तक 14 रही. इनमें से दो पेटेंटों को 2021 को पुरस्कृत किया गया:

1) पेट्रोलियम भाग के आसवन की प्रक्रिया (पेटेंट सं. 348528)

2) रिफ़ाइनरी भुक्तशेष कास्टिक का ऑक्सीकारक उपचार (पेटेंट सं. 359026)

3. भावी कार्य योजना

एमआरपीएल ने दो धारी भावी कार्य योजना बनाने की परिकल्पना की है: वाणिज्यीकरण प्राथमिकता कार्यविधि के जरिए पहचानी गईं पेटेंट प्राप्त प्रौद्योगिकियों को परिपक्व बनाना और आधारभूत अनुसंधान करना. आंतरिक और सहयोगात्मक तरीके से, दोनों तरफ से कई आधारभूत अनुसंधान परियोजना चल रही हैं. जिन प्रौद्योगिकियों के लिए पेटेंट प्राप्त हुए हैं उनका वाणिज्यीकरण प्राथमिकता कार्यविधि के तहत परीक्षण किया जा रहा है.

डेटा विश्लेषण का प्रयोग करने और मशीन लर्निंग से संबंधित विशिष्ट क्षेत्रों में भी अनुसंधान परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं. इस संबंध में आगे चलकर प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ सहयोगात्मक R&D परियोजनाएं चलाने की खोजबीन की जा रही है.

4. R&D पर व्यय:

विव 2020-21 में कुल R&D व्यय **₹ 75.62** लाख है.

व्यय का विश्लेषित विवरण निम्नानुसार है:

क. पूंजीगत परिव्यय: ₹ 51.84 लाख

ख. राजस्व: ₹ 23.78 लाख

इ. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	विव 2020-21	विव 2019-20
विदेशी मुद्रा अर्जन - (FOB निर्यात का मूल्य)	5,593.54	16,557
विदेशी मुद्रा व्यय	27,674.14	45,138

अनुबंध - 'उ'

फार्म AOC-2

[अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (न) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) का अनुसरण करते हुए]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट संबद्ध पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा, उसके तीसरे परंतुक के अधीन नज़दीकी तेल भंडारों के साथ किए गए लेन-देनों सहित ठेकों अथवा व्यवस्थाओं को प्रकट करने वाला फार्म

1. उन ठेकों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों के ब्यौरे जो नज़दीकी तेल भंडारों के साथ न किए गए

संबंधित पक्षकार का(के) नाम और संबंध का स्वरूप	ठेकों/व्यवस्थाओं/ लेन-देनों का स्वरूप	ठेकों/व्यवस्थाओं/ लेन-देनों की अवधि	अगर कोई मूल्य हो तो मूल्य सहित ठेकों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों के मुख्य नियम	ऐसे ठेके अथवा व्यवस्थाएं अथवा लेन-देन करने का औचित्य	बोर्ड से मिले अनुमोदन का(के) दिनांक	अग्रिम के रूप में प्रदत्त रकम, अगर कोई हो तो	धारा 188 के पहले परंतुक के अधीन यथा अपेक्षित सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प का दिनांक
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

2. सामग्री संबंधी उन ठेकों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों के ब्यौरे जो नज़दीकी तेल भंडारों के साथ किए गए

	संबंधित पक्षकार का/के नाम और उनके संबंध का स्वरूप	ठेकों/व्यवस्थाओं/ लेन-देनों का स्वरूप	ठेकों/व्यवस्थाओं/ लेन-देनों की अवधि	अगर कोई मूल्य हो तो मूल्य सहित ठेकों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों के मुख्य नियम	बोर्ड से मिले अनुमोदन का (के) दिनांक	अग्रिम के रूप में प्रदत्त रकम, अगर कोई हो तो
1(क)	ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) *	एमआरपीएल से फ़ीड स्टॉक का अंतरण और OMPL से वापसी धाराएं OMPL को सुकरण सुविधाएं प्रदान करना	15.01.2019 से विधिमान्यता 10 वर्ष, 23/10/2019 से करारनामे के साथ पक्ष पत्र	एमआरपीएल से फ़ीड स्टॉक का अंतरण और OMPL से वापसी धाराएं और OMPL को आपस में तय की गई शर्तों पर सुकरण सुविधाएं प्रदान करना. बिल भुनाई सुविधा के साथ क्रेडिट की अवधि बढ़ाने के लिए करारनामा संबंधी पक्ष पत्र. इनके नियमों और शर्तों में संशोधन के लिए COD द्वारा समय-समय पर अनुमोदन दिया जाता है.	#	कुछ नहीं
1(ख)	ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) *	जारी किए गए अनिवार्य तौर पर परिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए बैंक स्टॉपिंग समर्थन	5.03.2020 से 3 वर्ष तक विधिमान्य	पूंजीगत पुनर्निर्धारण योजना के अंग के तौर पर ओएमपीएल द्वारा निर्गमित अनिवार्य तौर पर परिवर्तनीय डिबेंचरों और उस पर उपचित ब्याज के लिए ओएमपीएल में शेयरधारण के अनुपात में बैंक स्टॉपिंग समर्थन.	#	कुछ नहीं
1(C)	ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड- (सहायक कंपनी)*	कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	चालू	एमआरपीएल कर्मचारियों की ओएमपीएल में प्रतिनियुक्ति और ओएमपीएल कर्मचारियों की एमआरपीएल में प्रतिनियुक्ति.	#	कुछ नहीं

2(क)	ओएनजीसी*	क्रूड तेल विक्रय संबंधी करारनामा	1.04.2018 से 31/03/2023 तक	पूर्व निर्धारित सूत्र के अनुसार तय की गई कीमतों पर आबंटित प्रमाण में सुपुर्दगी स्थल पर ONGC से क्रूड तेल की खरीदारी	#	कुछ नहीं
2(ख)	ओएनजीसी*	ONGC के अपतटीय स्थानों पर HFHSD की आपूर्ति	02.09.2016 से 25.07.2021 तक	जब कभी ज़रूरत पड़े एमआरपीएल जेटी पर मुफ़्त में वितरण से ONGC के अपतटीय स्थानों पर HFHSD की आपूर्ति.	#	कुछ नहीं
2(ग)	ओएनजीसी*	ओएनजीसी को वसूली का अधिकार होते हुए एमआरपीएल को आपूर्त MH क्रूड के लिए देशी बिक्री बिल संबंधी भुनाई	1.03.2021 से 30/04/2021 तक	बिल भुनाई सुविधा के जरिए MH क्रूड की क्रेडिट अवधि को और 180 दिनों तक बढ़ाना. रु.600 करोड़ की सुविधा, SBI से प्रारंभ में देय 4.00% पर लागू स्टांप शुल्क के साथ ली जा सकती है.	#	असमाप्त अवधि के लिए अग्रिम के रूप में भुनाई शुल्क अदा किए गए.
2(घ)	ओएनजीसी*	अरब ग्रेड क्रूड तेल उठाने के लिए मूल कंपनी ओएनजीसी ने एमआरपीएल की तरफ से साउदी अरेबिया की तेल कंपनी को गारंटी दी.	1.09.2020 से 31.08.2022 तक	एमआरपीएल द्वारा अरब ग्रेड क्रूड तेल उठाने के लिए मूल कंपनी ओएनजीसी ने एमआरपीएल की तरफ से साउदी अरेबिया की तेल कंपनी को गारंटी दी जिसके लिए ओएनजीसी, एमआरपीएल से, मूल कंपनी की ऐसी गारंटी के तहत एमआरपीएल द्वारा आयात किए गए क्रूड तेल के हर एक कार्गो/पार्सल के लिए गारंटी कमीशन लेता है.	#	कुछ नहीं
2(ङ)	ओएनजीसी*	ओएमपीएल से ओएनजीसी के इक्विटी शेयर खरीदना	लागू नहीं	ओएनजीसी से ओएमपीएल प्रत्येक ₹ 10/- के 1,24,66,53,746 इक्विटी शेयर ₹ 9.76 के मूल्य पर खरीदारी जिससे ओएमपीएल में एमआरपीएल का शेयरधारण 51% से 99.9998% हो गया है.	#	कुछ नहीं
2(च)	ओएनजीसी*	कार्यालय परिसर को पट्टे पर लिया गया	01.04.2016 से 31.03.2026 तक और 01.01.2017 से 31.12.2026 तक	मुंबई और दिल्ली में ओएनजीसी से कार्यालय परिसर को पट्टे पर लिया गया	#	कुछ नहीं
3	ओएनजीसी विदेश लि. *	क्रूड तेल की खरीदारी	फरवरी 2021	सोकोल क्रूड तेल की खरीदारी	#	कुछ नहीं
4	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लि.	जेट ईंधन की बिक्री, खरीदारी और बुनियादी सुविधाओं को साझा करने से संबंधित करारनामा		देशी बिक्री के अनुरूप भारत में तेल विपणन कंपनी को जेट ईंधन की बिक्री और खरीदारी तथा कीमत के संबंध में पूर्व निर्धारित सूत्र के अनुसार निश्चित कीमतों पर बुनियादी सुविधाओं को साझा करना.	#	कुछ नहीं

5(क)	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)- - प्रवर्तक कंपनी *	उत्पाद की बिक्री के लिए एमआरपीएल और HPCL के बीच एमओयू - खरीदारी के मामले में, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और ऊर्जा व संबंधित क्षेत्रों में सहयोग देना	चालू ठेका चालू ठेका	(1) उत्पाद की बिक्री- खरीदारी के मामले में, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और ऊर्जा व संबंधित क्षेत्रों में सहयोग देना उत्पादों (MS/HSD/SKO/ATF/LPG) का कीमत निर्धारण, जब तक अन्यथा परस्पर सहमति न हुई हो, समय-समय पर विद्यमान PSU OMC के मौजूदा शर्तों के अनुरूप होगा. (2) HPCL, RO/ग्राहकों को आपूर्ति करने के लिए अपने मंगलूरु, हासन और देवनगुंथी टर्मिनलों से एमआरपीएल तक आतिथ्य व्यवस्थाओं के अधीन सड़क और रेल टर्मिनलिंग सेवाएं प्रदान करेगा.	#	कुछ नहीं
5(ख)	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) - प्रवर्तक कंपनी *	KSRTC बिक्री के लिए HSD की खरीदारी के सिलसिले में एमआरपीएल और एचपीसीएल के बीच एमओयू	30.06.2023 तक 3 वर्ष तक जिसे और 2 वर्ष तक बढ़ाने का विकल्प है	एमओयू के सम्मत नियमों और शर्तों के अनुसार KSRTC और उसके सहयोगी निगमों की HSD की मांग की पूर्ति करने का उद्देश्य	#	कुछ नहीं
5 (ग)	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) - प्रवर्तक कंपनी *	एमआरपीएल और एचपीसीएल के बीच एचपीसीएल गुलबर्गा को ऑटो ईंधन (MS और HSD) की आपूर्ति करने की व्यवस्था	चालू व्यवस्था	व्यवस्था के तहत सम्मत नियमों और शर्तों के अनुसार एचपीसीएल के गुलबर्गा डिपो को HSD और MS की आपूर्ति करना	#	कुछ नहीं
5(घ)	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) - प्रवर्तक कंपनी *	एमआरपीएल और एचपीसीएल के बीच एचपीसीएल कोइंबत्तूर को HSD की आपूर्ति करने की व्यवस्था	चालू व्यवस्था	व्यवस्था के तहत सम्मत नियमों और शर्तों के अनुसार एचपीसीएल के कोइंबत्तूर डिपो को HSD की आपूर्ति करना	#	कुछ नहीं
5(ङ)	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)- प्रवर्तक कंपनी *	एमआरपीएल और एचपीसीएल के बीच एमओयू के तहत कर्नाटक में एचपीसीएल को ATF की आपूर्ति करना	31.03.2022 तक जिसे 31.03.2023 तक बढ़ाने का विकल्प है	एमओयू के तहत सम्मत नियमों और शर्तों के अनुसार कर्नाटक में एचपीसीएल डिपो को ATF की आपूर्ति करना	#	कुछ नहीं
5(च)	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)- प्रवर्तक कंपनी *	वार्षिक दर ठेका आधार पर स्नेहक तेल की आपूर्ति	24.07.2020 से 23.07.2021 तक	वार्षिक दर ठेका आधार पर चिकनाई तेल की आपूर्ति	#	कुछ नहीं

5(छ)	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) - प्रवर्तक कंपनी *	ULHSD के लिए लूब्रिसिटी इंप्रूवर की आपूर्ति	5.02.2021	ULHSD के लिए लूब्रिसिटी इंप्रूवर की आपूर्ति	#	कुछ नहीं
6(क)	मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड	जल की आपूर्ति और उपचारित बहिस्राव के निपटान से संबंधित करारनामा	चालू ठेका	MSEZL द्वारा खरीदी गई एमआरपीएल की भूमि में जल की बुनियादी सुविधाओं और उपचारित बहिस्राव के निपटान की बुनियादी सुविधाओं का विकास जिसमें शामिल है जल स्रोत की बुनियादी सुविधाएं स्थापित करना, एमआरपीएल की बैटरी सीमाओं तक पाइपलाइन कन्वेएंस सिस्टम, जल का संग्रहण और वितरण तथा उपचारित बहिस्राव का निपटान करने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं स्थापित करना.	#	कुछ नहीं
6(ख)	मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	पाइपलाइन-सह-सड़क कॉरिडॉर बनाना	19.03.2016 से	एमआरपीएल को हक है कि वह, प्रचालन के प्रयोजन से पाइपलाइन-सह-सड़क कॉरिडॉर के पाइप रैक/स्लीपर्स खंड का उपयोग करे और साथ ही उपयोग किए गए " प्रभावी जगह " की सीमा तक जाने का मार्ग निर्दिष्ट किया गया है.	#	कुछ नहीं
6(ग)	मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	PP- पेट्र कोक को खाली करने के लिए सड़क और ट्रक पार्किंग बनाना	5.12.2016 से	एमआरपीएल ने MSEZL को ट्रक पार्किंग क्षेत्र (1.30 एकड़) के साथ खाली करने के लिए सड़क निर्माण (10.1757 एकड़) के प्रति रु.11.34 करोड़ की एक बारगी लौटाने न योग्य रकम अदा की है. उक्त करारनामे की पट्टा अवधि 5.12.2016 से शुरु होकर 27.01.2060 तक विधिमान्य रहेगी.	#	कुछ नहीं
7(क)	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड *	पेट्रोलियम उत्पादों का पाइपलाइन के जरिए परिवहन	1.04.2003 से	मंगलूरु से हासन और देवनगुंथी तक पेट्रोलियम उत्पादों का PNGRB अधिसूचित टैरिफ के अनुसार अंतरण करने के लिए, एमआरपीएल, PMHBL की पाइपलाइन सेवाओं का उपयोग करता है.	#	कुछ नहीं
7(ख)	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड *	PMHBL को बिजली की आपूर्ति	1.06.2019 से	एमआरपीएल, PMHBL को बिजली की आपूर्ति करता है और विद्युत लागत की प्रतिपूर्ति, PMHBL द्वारा MESCOM अधिसूचित टैरिफ पर की जाती है.	#	कुछ नहीं
7(ग)	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड *	PMHBL मास फ्लो मीटर तक PMHBL पाइपलाइन कॉरिडॉर सुविधा को पट्टे पर देने की व्यवस्था	5.08.2019 से विधिमान्यता 10 वर्ष	हासन और देवनगुंथी के OMC's तक पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए एमआरपीएल, मंगलूरु में पेट्रोनेट के पंपिंग स्टेशन पर पाइपलाइन कॉरिडॉर का उपयोग करता है. पाइपलाइन कॉरिडॉर के लिए एमआरपीएल, पट्टा किराया देता है.	#	कुछ नहीं
7(घ)	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड *	PMHBL द्वारा सौर विद्युत की आपूर्ति	1.06.2019 से	PMHBL, एमआरपीएल को सौर विद्युत की आपूर्ति करता है और एमआरपीएल द्वारा PMHBL को विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति, MESCOM अधिसूचित टैरिफ पर की जाती है.	#	कुछ नहीं

*सरकारी कंपनियां

सरकारी कंपनियों के बीच लेन-देन के मामले में और उन लेन-देनों के मामले में जो कंपनी द्वारा, कारोबार के सामान्य क्रम में किए गए उन लेन-देनों के मामले में, जो उन लेन-देनों से भिन्न हों जो नजदीकी तेल भंडारों के साथ न किए गए हों, बोर्ड का अनुमोदन लेना आवश्यक नहीं है.

अनुबंध ' ऊ '

फ़ार्म सं. MR-3
साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कर्मचारियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 का अनुसरण करते हुए]

सेवा में,
सदस्य,
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
CIN: L23209KA1988GOI008959
पंजीकृत कार्यालय, मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर,
वाया काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030, कर्नाटक

हमने, **मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड** (जिसे इसके बाद "कंपनी" कहा गया है) (CIN: L23209KA1988GOI008959), पंजीकृत कार्यालय, मुडपदव, डाक घर कुत्तेतूर, वाया काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030 कर्नाटक, के लिए लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और इनके द्वारा अपनाई जाती रही अच्छे कंपनी व्यवहार के अनुपालन को लेकर साचिविक लेखा परीक्षा की. साचिविक लेखा परीक्षा इस तरह से की गई जिससे हमें कंपनी के आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार मिला.

साचिविक लेखा परीक्षा के दौरान, कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त संबंधी बहियों, दर्ज किए गए फार्मों और विवरणियों के हमारे सत्यापन और साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष को समाते हुए लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान यहां नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही कंपनी ने अपने यहां बोर्ड संबंधी प्रक्रियाओं और अनुपालन तंत्र को उस हद तक, उस तरीके से लागू किया है जिसका जिक्र इसके आगे रिपोर्टिंग में किया गया है.

हमने, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी द्वारा रखी गईं बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त संबंधी बहियों, फाइल किए गए फार्मों और विवरणियों एवं अन्य रेकॉर्डों का, यहां नीचे दिए गए प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013(दी ऐक्ट) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संबंधी ठेका (विनियम) अधिनियम, 1956 ('SCRA') और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उप-नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('SEBI Act') के तहत निर्धारित नीचे उल्लिखित विनियम और दिशानिर्देश:-

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार प्रतिबंध) विनियम, 1992;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2009;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (लागू नहीं, क्योंकि कंपनी ने, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारी लाभ योजना का अनुसरण करते हुए किसी प्रकार के शेयरों की पेशकश नहीं की है न ही कोई विकल्प दिया).

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण संबंधी प्रतिभूतियों का निर्गम और लिस्टिंग) विनियम, 2008;

(च) कंपनी अधिनियम और उसके ग्राहकों के साथ व्यवहार के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993.

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियम, 2009 (लागू नहीं, क्योंकि कंपनी ने, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी शेयर बाजार से अपने इक्विटी शेयरों को सूची से नहीं हटाया है न ही हटाने का उसका कोई प्रस्ताव है); और

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीदारी) विनियम, 1998 (लागू नहीं, क्योंकि कंपनी ने, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी प्रतिभूतियों की वापसी खरीदारी नहीं की है न ही वापसी खरीदारी करने का कोई प्रस्ताव है).

(vi) कंपनी के प्रबंधन द्वारा यथा सूचित और प्रमाणित अन्य कानून/दिशानिर्देश जो उनके क्षेत्र/उद्योग के आधार पर कंपनी को निर्दिष्ट रूप से लागू होते हों:

(क) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ख) इंडिया बॉइलर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;

(ग) गैस सिलिंडर नियमों के प्रावधान;

(घ) सार्वजनिक उद्यम विभाग(DPE), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के O.M. सं .18(8)/2005-GM दिनांक 14 मई, 2010 में यथा निर्दिष्ट केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए कार्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देश.

(ङ) केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के पूँजी पुनर्निर्माण के बारे में निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा O.M.F.सं०.5/2/2016-नीति दिनांक 27 मई, 2016 में यथा निर्दिष्ट दिशानिर्देश.

(च) कारखाना अधिनियम, 1948;

(छ) ठेका मजदूर (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970;

(ज) औद्योगिक रोज़गार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946;

(झ) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936;

(ञ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947;

(ट) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948;

(ठ) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952;

(ड) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976;

(ढ) प्रसूति लाभ अधिनियम 1961;

(ण) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948;

(त) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926;

(थ) बोनस संदाय अधिनियम, 1965

(द) उपदान संदाय अधिनियम, 1972

(ध) पर्यावरण (संरक्षण) उपबंध अधिनियम 1986

(न) विस्फोटक अधिनियम, 1884;

(ऩ) आय कर अधिनियम, 1961; पेशेवरों, व्यापार, कॉलिंग पर कर्नाटक कर और रोजगार अधिनियम, 1976 तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962;

(प) कार्य स्थान पर महिलाओं का यौन उत्पीडन(रोकथाम, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013;

(फ) शिक्षु अधिनियम, 1961;

(ब) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991;

(भ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000;

(म) माल विक्रय अधिनियम, 1930,

(कक) कर्नाटका श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 और

(खख) कर्नाटक औद्योगिक स्थापना (राष्ट्रीय और त्योहार छुट्टी) अधिनियम, 1963.

(गग) भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003

(घघ) भारतीय विद्युत नियम, 1956

(ङङ) जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण)अधिनियम 1974

(चच) वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम,1981 और उसके अधीन बनाए गए नियम.

मजदूर संबंधी कानूनों और अन्य सामान्य कानूनों का अनुपालन करने के लिए, हमारा परीक्षण और हमारी रिपोर्टिंग, कंपनी अधिकारियों और प्रबंधन द्वारा हमारे सामने पेश किए गए और हमें दिखाए गए दस्तावेजों, रेकॉर्डों एवं हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों और कंपनी से संबंधित विभिन्न अधिनियमनों की प्रयोज्यता के बारे में हमारे सर्वोत्तम विवेक और समझ पर आधारित है. हमारी राय में, निगरानी रखने और लागू सामान्य कानूनों और मजदूर संबंधी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने की खातिर कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं .

कंपनी द्वारा, लागू वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष और परोक्ष कर संबंधी कानूनों के अनुपालन की इस लेखा परीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि सांविधिक वित्तीय लेखा परीक्षक और अन्य नामोद्दिष्ट पेशेवरों ने इसकी समीक्षा की है.

हमने, नीचे उल्लिखित लागू खंडों के अनुपालन का परीक्षण भी किया:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी साचिविक मानक.

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग संबंधी दायित्व एवं प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे उल्लिखित लेख-टिप्पणियों को छोड़कर ऊपर उल्लिखित अधिनियम, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का आम तौर पर पालन किया है.

1. कंपनी में 7 सितंबर 2020 से 31 मार्च,2021 तक की अवधि में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1)(4) के अधीन यथा अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेश नहीं रहें.
2. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी में निदेशक मंडल की संरचना के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दायित्वों का लिस्टिंग और अपेक्षाओं का प्रकटीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) और कार्पोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के परिच्छेद 3.1.4 के अधीन अपेक्षा के अनुसार, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं रहें और इस तरह से बोर्ड, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है.
3. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड पर सेबी (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के अधीन यथा अपेक्षित स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं रहीं.
4. कंपनी ने, कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन अपेक्षित ओवरटाइम कार्य समय के बारे में कानूनों/नियमों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है.

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि,

कंपनी के निदेशक मंडल में, उचित संतुलन बनाए रखते हुए कार्यपालक निदेशक, गैर कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशक हैं. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए परिवर्तन किए गए परंतु अपवाद यह है कि कंपनी में, जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग संबंधी दायित्व एवं प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के प्रावधानों के अधीन बोर्ड पर यथा अपेक्षित स्वतंत्र महिला निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं रहें. BSE और NSE ने, सेबी (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) का अनुपालन न करने पर मौद्रिक दंड लगाया है. आगे, कंपनी में 7 सितंबर 2020 से, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1)(4) के अधीन यथा अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेश नहीं रहें.

एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम (CPSE) होने के नाते, कंपनी के मंडल पर निदेशकों की नियुक्ति, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात्; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoP&NG), भारत सरकार (GoI) द्वारा की जाती है. कंपनी, अपने बोर्ड पर अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला, एमओपी एण्ड एनजी के साथ लगातार उठाती रही है और एमओपी एण्ड एनजी, इस पर सक्रिय रूप से विचार रहा है.

बोर्ड की बैठकों और उसकी समितियों की बैठकों की अनुसूची के बारे में सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है और कार्यसूची एवं कार्यसूची की विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पहले भेजी गई थीं और बैठक से पहले कार्यसूची संबंधी मदों पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और हासिल करने एवं बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र मौजूद है.

बहुमत से फैसले किए गए जब कि सदस्यों के विचार प्राप्त कर कार्यवृत्त के रूप में रेकॉर्ड किए गए.

कंपनी की 32वीं वार्षिक महासभा, 18 सितंबर, 2020 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों और उसके नियमों के साथ VC अथवा OAVM के जरिए सदस्यों की महासभा चलाने के बारे में कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 08.04.2020 के सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 में यथा निर्दिष्ट तंत्र के अनुसार वीडियो कान्फरेंसिंग (VC) अथवा अन्य श्रवण-दृश्य माध्यमों (“OAVM”) के जरिए चलाई गई.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी की कोई असाधारण सामान्य बैठक नहीं हुई.

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में ऐसे पर्याप्त तंत्र और प्रक्रियाएं हैं जो कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप हैं जिससे कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान:

- कंपनी के निदेशक मंडल ने, 19 अक्तूबर 2020 को संपन्न अपनी बैठक में **ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड** के शेयर खरीदने के लिए अनुमोदन दिया. तदनुसार कंपनी ने 1 जनवरी 2021 को ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड से **ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड** के 124,66,53,746 इक्विटी शेयर खरीदे और इस तरह से **ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड** की वर्तमान प्रदत्त इक्विटी पूंजी में कंपनी के शेयरधारण में 51% से 99.9998% तक इजाफा हुआ है.
- 18 सितंबर, 2020 को संपन्न कंपनी की 32वीं वार्षिक महासभा में विशेष संकल्प पारित करते हुए शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त किया गया जिससे कि कंपनी द्वारा गैर जमानती अपरिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs)/ बांडों के निर्गमन के जरिए रु.5000 करोड़ तक धनराशि जुटाई जा सके.
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एमआरपीएल ने निजी प्लेसमेंट के जरिए क्रमश: 6.18% प्र.व. के ब्याज के साथ ₹1217/- करोड़ के मूल्य के गैर जमानती मोचनीय अपरिवर्तनीय निश्चित दर वाले डिबेंचर s (NCDs) निर्गमित किए. NCDs को BSE लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर सूचीबद्ध किया गया है.

कृते मेसर्स उल्लास कुमार मेलिनमोगरु एण्ड एसोसिएट्स
पेशेवर कंपनी सचिव

हस्ता/-

सी एस उल्लास कुमार मेलिनमोगरु
मालिक
FCS 6202, CP No. 6640
UDIN: F006202C000545268

दिनांक 30/06/2021
स्थान: मंगलूरु

हमारी यह रिपोर्ट, हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ी जाए जिसे **अनुबंध अ** के रूप में संलग्न किया गया है जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है.

अनुबंध अ

सेवा में,
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
CIN: L23209KA1988GOI008959
पंजीकृत कार्यालय, मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर,
वाया काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030
कर्नाटक

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट, इस पत्र के साथ पढ़ी जाए.

1. साचिविक रेकॉर्ड रखना, कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी जिम्मेदारी है, मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर इन साचिविक रेकॉर्डों पर राय व्यक्त करना.
2. हमने, लेखा परीक्षा संबंधी ऐसी पद्धतियां और प्रक्रियाएं अपनाई हैं जो साचिविक रेकॉर्डों की अंतर्वस्तुओं की यथातथ्यता के बारे में उचित आश्वासन पाने के लिए उचित थीं. सत्यापन करते समय यादृच्छिक परीक्षण किया गया है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साचिविक रेकॉर्डों में सही तथ्य परिलक्षित हुए हैं. हमें विश्वास है कि हमारी ओर से अपनाई गईं प्रकियाएं और पद्धतियां, हमारी राय में उचित आधार प्रदान करती हैं.
3. हमने, कंपनी के वित्तीय रेकॉर्डों और लेखा बहियों की यथातथ्यता और उचितता का सत्यापन नहीं किया है. हम, कंपनी की स्थिति का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाने वाले संबंधित वित्तीय वर्ष की लेखा बहियों, कागज़ातों और वित्तीय विवरणों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन के बारे में सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर निर्भर हुए हैं.
4. हम, माल एवं सेवा कर सहित वित्तीय कानूनों के अनुपालन के बारे में सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर निर्भर हुए हैं और इन पर गौर नहीं किया है.
5. जहां कहीं आवश्यक लगा, हमने, कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है.
6. कंपनी के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन करना, प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारा परीक्षण, यादृच्छिक परीक्षण के आधार पर कार्यविधियों का सत्यापन करने तक सीमित रहा.
7. साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का न ही कंपनी का कामकाज संभालते रहे प्रबंधन की प्रभावोत्पादकता का अथवा प्रभाविता का आश्वासन देती है.

कृते मेसर्स उल्लास कुमार मेलिनमोगरु एण्ड एसोसिएट्स

पेशेवर कंपनी सचिव

हस्ता/-

सीएस उल्लास कुमार मेलिनमोगरु
मालिक
FCS 6202, CP No. 6640
UDIN: F006202C000545268

दिनांक 30/06/2021
स्थान: मंगलूरु

निदेशकों की अनर्हता का प्रमाणपत्र

सेबी(लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V परिच्छेद ग खंड (10)(i) का अनुसरण करते हुए).

सेवा में,
सदस्य,
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
CIN: L23209KA1988GOI008959
पंजीकृत कार्यालय, मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर,
वाया काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030
कर्नाटक

हमने, **मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड**, CIN L23209KA1988GOI008959 जिसका पंजीकृत कार्यालय मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, वाया काटिपल्ला, मंगलूरु - 575030 में है (जिसे इसके बाद " कंपनी " कहा गया है) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V परिच्छेद ग खंड (10)(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार यह प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन से निदेशकों से प्राप्त एवं कंपनी द्वारा हमारे सामने पेश किए गए संबंधित रजिस्टरों, रेकॉर्डों, फ़ार्मों, विवरणियों और प्रकटनों का परीक्षण किया.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में एवं यथा आवश्यक समझे गए सत्यापनों [पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशकों की पहचान संख्या (DIN) की स्थिति सहित] और कंपनी एवं उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, कारपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा इसी तरह के किसी दूसरे सांविधिक प्राधिकरण ने, यहां नीचे उल्लिखित कंपनी के बोर्ड पर निदेशकों में से किसी को भी नियुक्त होने से अथवा कंपनी के निदेशक के रूप में जारी रहने से, निषिद्ध अथवा अनर्ह नहीं किया गया है.

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशकों की पहचान संख्या (DIN)	कंपनी में नियुक्ति तारीख	कब से निदेशक नहीं रहें
1.	श्री शशि शंकर	06447938	01/10/2017	*पद संभाल रहे हैं
2.	श्री वेंकटेश माधव राव	07025342	01/04/2015	पद संभाल रहे हैं
3.	श्री मंदनाथ विनयकुमार	08225553	11/07/2019	31/05/2020
4.	श्रीमती पोमिला जसपाल	08436633	15/10/2019	पद संभाल रही हैं
5.	श्री सुभाष कुमार	07905656	15/05/2018	पद संभाल रहे हैं
6.	श्री विनोद सदानंद शेणै	07632981	08/11/2016	पद संभाल रहे हैं
7.	श्री विजय शर्मा	08045837	08/01/2020	04/08/2020
8.	श्री सुनील कुमार	08467559	17/10/2019	10/12/2020
9.	श्री सेवा राम	01652464	08/09/2017	07/09/2020
10.	श्री बलबीर सिंह	07945679	08/09/2017	07/09/2020
11.	श्री विरुपाक्षन् प्रणतर्तिहरन	07710821	08/09/2017	07/09/2020
12.	डॉ. गुणवंत कांतिलाल पटेल	07945704	08/09/2017	07/09/2020
13.	श्री राम तीरथ अगरवाल	01937329	12/07/2019	पद संभाल रहे हैं
14.	श्री संजय वर्मा	05155972	09/06/2020	पद संभाल रहे हैं
15.	सुश्री ईशा श्रीवास्तव	08504560	10/12/2020	पद संभाल रही हैं
16.	श्री रोहित माथुर	08216731	10/12/2020	पद संभाल रहे हैं

* श्री शशि शंकर (DIN: 06447938), अध्यक्ष/निदेशक-एमआरपीएल ने 31/03/2021 को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड की सेवाओं से निवृत्त होने के परिणामस्वरूप एमआरपीएल के बोर्ड से 01/04/2021 से इस्तीफ़ा दिया.

बोर्ड पर हर एक निदेशक की नियुक्ति/उसके जारी रहने की पात्रता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है. हमारी जिम्मेदारी है, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन पर राय व्यक्त करना. यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधन द्वारा दक्षता या प्रभाविता से संभाले गए अपने कामकाज उसका आश्वासन है.

कृते मेसर्स उल्लास कुमार मेलिनमोगरु एण्ड एसोसिएट्स
पेशेवर कंपनी सचिव

हस्ता/-

सीएस उल्लास कुमार मेलिनमोगरु
मालिक
FCS 6202, CP No. 6640
UDIN: F006202C000545367

दिनांक 30/06/2021
स्थान: मंगलूरु

अनुबंध 'ऋ'

भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (Act) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है. नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5)के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित स्वतंत्र लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं. यह मान लिया गया है कि उन्होंने दिनांक 17 मई 2021 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ऐसा कर दिया है.

मैं ने, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की तरफ से, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत अनुपूरक लेखा परीक्षा की है. सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य करने के कागजात देखें बगैर अनुपूरक लेखा परीक्षा की गई है और यह मूल रूप से, सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ और कुछ लेखा मानकों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है.

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे ध्यान में ऐसी कोई उल्लेखनीय बात नहीं आई है जिससे अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के अधीन विधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करनी पड़े अथवा अनुपूरक लेखा परीक्षा करनी पड़े.

कृते और इनकी तरफ से
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक
हस्ता/-
(आर. अंबलवनन)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महा निदेशक, चेन्नई

स्थान : चेन्नई :
दिनांक :15.07.2021

भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के तहत, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (Act) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है. नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5)के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित स्वतंत्र लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं. यह मान लिया गया है कि उन्होंने दिनांक 17 मई 2021 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ऐसा कर दिया है.

मैं ने, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की तरफ से, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों की, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के तहत अनुपूरक लेखा परीक्षा की है. हमने मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की लेकिन उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं की. आगे, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(ख), एक निजी उद्यम होने के नाते शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड को लागू नहीं होती है. तदनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने न सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की है न ही इस कंपनी की अनुपूरक लेखा परीक्षा की. सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य करने के कागजात देखें बगैर अनुपूरक लेखा परीक्षा की गई है और यह मूल रूप से, सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ और कुछ लेखा मानकों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है.

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे ध्यान में ऐसी कोई उल्लेखनीय बात नहीं आई है जिससे अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के अधीन विधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करनी पड़े अथवा अनुपूरक लेखा परीक्षा करनी पड़े.

कृते और इनकी तरफ से
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक
हस्ता/-
(आर. अंबलवनन)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महा निदेशक, चेन्नई

स्थान : चेन्नई
दिनांक :15.07.2021

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1. आर्थिक परिदृश्य

1.1. वैश्विक अर्थव्यवस्था

सर्वव्यापी महामारी COVID-19 ने 2020 को दुनिया के लिए एक अनोखा वर्ष बना दिया. दुनिया भर में तीन दशलक्ष से अधिक जानें गईं. वैश्विक अर्थव्यवस्था -3.3% तक सिकुड गई. दुनिया भर में लगाए गए लॉकडाउन से तमाम व्यवसाय ठंडा पड़ गया है. इससे दुनिया में लोगों की जिंदगी में एकदम परिवर्तन हुआ है और रोज़गार, खपत, निवेश और बचत जैसे तमाम महत्वपूर्ण समष्टि आर्थिक कारकों पर गहरा असर पड़ा है. बेरोजगार की दर बढ़ गई हैं. वित्तीय छोर पर बढ़ता रहे कर्ज से, जिसका सर्वव्यापी महामारी का प्रभाव मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, विशेषकर गरीब और उभरती हुईं अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हो सकती हैं. सभी क्षेत्रों से वैश्विक कर्ज (गृहस्थी से लेकर सरकार से लेकर कंपनियों तक) बढ़ गया है. सर्वव्यापी महामारी ने विनाशकारी प्रभाव को मिटाने और समावेशी बहाली का अनुकरण की दिशा में स्थानीय, राष्ट्रीय, बहु राष्ट्रीय और निजी संस्थाओं की क्षमता का परीक्षण किया है.

अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन देने से वैश्विक वृद्धि में व्यापक सुदृढ़ता नजर आने की संभावना है. जब दुनिया से सर्वव्यापी महामारी का निर्गमन होगा तब वह अपने पीछे बड़े कर्ज और अधिक असमानता को छोडकर जाएगा. यह भी माना गया है कि दुनिया में तरक्की के निष्कर्ष खंडित होंगे, जब कि कुछ अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बहाल होती जाएंगी और कुछ अर्थव्यवस्थाएं पीछे रह जाएंगी. जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं, यात्रा और पर्यटन पर निर्भर हैं उनकी बहाली होने में काफ़ी वक्त लग सकता है. वित्तीय समर्थन और वैक्सीन आधारित बहाली के सहारे वैश्विक वृद्धि 2021 में 5% के ऊपर होने की उम्मीद है.

1.2. भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत भी, इस वैश्विक महामारी के प्रभाव से लड़ रहा है. पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के अधिकांश भाग में जनता, चार दीवारों में बंद रहीं. व्यवसाय ठप्प हुआ, खपत गिर गई, निवेश प्रभावित हुए और नौकरियां खो दी गईं. यद्यपि सरकार ने वित्तीय घाटा संबंधी लक्ष्य में काफ़ी हद तक ढील देते हुए खर्च करने के लिए प्रोत्साहन दिया लेकिन लॉकडाउन के कारण राजस्व की उगाही कम होने पर व्यय पर दबाव पड़ा है. लेकिन मार्च 2021 में जब उम्मीद की किरण नज़र आते हुए सर्वाधिक जीएसटी संग्रहीत होते हुए सरकार के लिए राजस्व बढ़ने के संकेत मिले, सर्वव्यापी महामारी की दूसरी लहर उमड़ पड़ी. देश में चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल, मई और जून में शटडाउन करना पड़ा. इस राजस्व संकट के बावजूद, सरकार, गरीब गृहस्थों को राहत देती रही है, लघु और मझोले उद्यमों को राहत प्रदान कर रही है और अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है. बहाली की रफ़्तार बढ़ाने के लिए बुनियादी संरचना और सामाजिक क्षेत्रों पर सरकार का प्रोत्साहन जारी रहना होगा. सर्वव्यापी महामारी का शिक्षा पर भी असर पड़ा. लॉकडाउन का प्रभाव कम करने और लोगों की जानें बचाने की दृष्टि से स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षण को ऑफलाइन से ऑनलाइन में तब्दील किया गया. डिजिटलीकरण के लिए सरकार से मिलते रहे समर्थन के चलते यहां तक कि ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में बसे लोगों को सीखने और तरक्की की प्रक्रिया जारी रखने के लिए डिजिटल तरीके से जोडा जा सका. 2015 से आगे डिजिटल भुगतान जारी होने से यह सुनिश्चित करना संभव हुआ है कि आर्थिक लेन-देन, गतिशीलता के अभाव में प्रभावित नहीं होंगे.

भारत में बहाली इससे पहले की गई उम्मीदों से अधिक सुदृढ़ रही. वैक्सीन देने की प्रक्रिया, अधिक गतिशीलता और व्यावसायिक गतिविधि में कम व्यवधान को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है. निर्यात, ऊर्जा खपत, ऑटोमोबाइल बिक्री और विनिर्माण सहित संकेत, तरक्की की तरफ़ रुख कर रहे हैं. न केवल अब तक हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बल्कि नई नौकरियों का सृजन करने के लिए देश को पर्याप्त तरक्की करनी होगी.

2. ऊर्जा उद्योग का सिंहावलोकन

2.1. वैश्विक परिदृश्य

ऊर्जा उद्योग भी सर्वव्यापी महामारी से प्रभावित हुआ है. सर्वव्यापी महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन ने ऊर्जा खपत का स्वरूप पूरी तरह से बदल डाला. यात्रा पर प्रभाव पड़ने के कारण ईंधन की खपत का स्वरूप ही बदल गया है और इसके बदले में उत्पादों को उपलब्ध मुनाफे में एकदम परिवर्तन आ गया है.

खपत में गिरावट आने के बावजूद वर्ष भर क्रूड की कीमतें बढ़ती रहीं जब कि मई 2020 में ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे कम कीमतें देखने को मिली थी. इसके बावजूद OPEC+ ने उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया. बढ़ी क्रूड कीमत के साथ-साथ ईंधनों के लिए कम मांग के चलते वर्ष भर उत्पाद क्रैक्स बेहद कम रहें. फलस्वरूप, सर्वव्यापी महामारी का प्रकोप झेलने के पूरे एक वर्ष के बाद भी वैश्विक परिष्करण मार्जिन, स्थाई रूप से कम स्तर पर नजर आए हैं.

2.2. भारत का परिदृश्य

भारत, ऊर्जा की खपत करने वाला तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है. दुनिया की आबादी के 18% के करीब होते हुए प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत सिर्फ़ 0.6 Mtoe है जब कि चीन का 2.42 और USA का 6.84 Mtoe है. यह, तरक्की के अगले दो दशकों में ऊर्जा में उल्लेखनीय वृद्धि होने का पूर्व सूचक है.

ऊर्जा बास्केट में तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा में उल्लेखनीय मंथन हो रहा है. ऊर्जा की ज़रूरतों में परंपरागत ऊर्जा स्रोत आज भी प्राथमिक अंशदायी हैं. कोयले का अंश 50% से अधिक तथा तेल एवं गैस का 36% है. बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कम होने से भारत को एक ऐतिहासिक मौका मिलेगा कि वह ऊर्जा के इस घालमेल में अपने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अंश बढाए. अर्थव्यवस्था तरक्की की राह पर होते हुए भी वह विकार्बन कर सकता है. भारत, 2022 तक, अपनी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का 175 MW हासिल करने की ओर अग्रसर है. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, विशेषकर सोलर की कीमतों में गिरावट के कारण इतने बड़े पैमाने पर हासिल करना सुसाध्य हुआ है.

ऊर्जा संक्रमण यात्रा में, बढ़ती आय के साथ गरीबी के चपेट से बाहर लाए जा रहे लाखों लोगों की उम्मीदों से भरी ज़रूरतों का, बढ़ती रहीं पर्यावरण संबंधी चिंताओं और भरोसेमंद एवं खरीदने योग्य ऊर्जा के साथ सोच समझकर संतुलन बिठाना होगा. सरकार, अलग-अलग तरह की ऊर्जा को प्रोत्साहन देते हुए अच्छा काम कर रही है. उसने, 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की 450 MW संस्थापित क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित किया है. ऊर्जा मिश्रण में गैस का अंश 2030 तक 15%पाने का लक्ष्य रखा गया है. संपीडित जैव-गैस और उन्नत जैव-ईंधनों को समर्थन दिया जा रहा है. पेट्रोल में एथनॉल का अंश 2025 तक 20% हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है और अतिशय खाद्यान्न से एथनॉल का उत्पादन करने की इजाजत दी जा रही है. सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है जिसमें हाइड्रोजन को एक वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए मानचित्र प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है.

विकार्बन के प्रयास करने के बावजूद परंपरागत जीवाश्म आधारित ऊर्जा स्रोत, भारत में मध्यावधि में अपना संकर्षण नहीं खोएंगे. यद्यपि सोलर का निष्पादन आकर्षक रहा है, फिर भी अंतर्विराम की समस्या दूर करने की दृष्टि से संग्रहण की दिशा में उन्नत दर्जे के और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करने में प्रौद्योगिकियां अभी परिपक्व नहीं हुई हैं. दुनिया में आज तेल, न केवल एक ऊर्जा स्रोत के रूप में बल्कि पेट्रोकेमिकल्स का लागत-प्रभावी स्रोत के रूप में भी मायने रखता है. देश में प्लास्टिक की प्रति व्यक्ति खपत अभी भी कम है. भारत में, तेल की मांग 2040 तक बढ़ते रहने की उम्मीद है यद्यपि दूसरे प्रकार के ऊर्जा स्रोतों के उभरने से इसके अंतिम उपयोग में बदलाहट हो सकती है.

3. बाजार

अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों के लिए वर्ष 2020-21, सबसे अधिक परिवर्तनशील साबित हुआ. सर्वव्यापी महामारी के कारण दुनिया भर में लॉकडाउन लागू किए गए, क्रूड कीमतें पस्त हुईं और ब्रेंट की कीमत, पिछले दो दशकों से अधिक समय में पहली बार USD 10/bblसे कम पर आ टपकी. लॉकडाउन से बाहर निकलने के बाद दुनिया के बाजारों में पहले की चहल-पहल कभी नज़र नहीं आएगी. घर से काम करने का सिलसिला अधिक होगा और व्यावसायिक यात्राएं अधिक सिमट जाएंगी. लॉकडाउन के साथ-साथ COVID से पहले मौजूद नवीकरण ऊर्जा स्रोतों की गति को देखते हुए अगले 2 से 3 सालों में विश्व तेल खपत 2019 के स्तर से नीचे गिरने की संभावना है. बाजारों की बहाली, अलग-अलग देशों और क्षेत्रों में अपने ही तरीके से होने की संभावना है. टीकाकरण के जरिए वाइरस का दमन करने की गति, संभवत: दुनिया के विभिन्न भागों में अलग-अलग होगी जब कि उभरती हुई दुनिया में गति निम्नतम होने की संभावना है. इससे संभवत: यात्रा पर खलल पडती रहेगी अथवा रोक लगाई जाती रहेगी. जब तक यात्रा करने की प्रक्रिया सामान्य स्थिति में न आए तेल बाजार, नकारात्मक तरीके से प्रभावित होते रहेंगे.

भारत में औसत क्रूड तेल बास्केट की कीमत अप्रैल 2020 में USD 20/bbl से नीचे रही. क्रूड की कीमतें धराशायी होने की अवधि में भारत ने अपने महत्वपूर्ण तेलाशयों को भर दिया. कीमतों में एकदम गिरावट से देश के चालू खाते का घाटा कम किया जा सका जिसकी बदौलत विदेशी मुद्रा बचाई जा सकी. विव 20-21 की अंतिम तिमाही में क्रूड तेल की कीमतें, USD 65/bbl पार कर गईं. मांग अधिक होने के कारण ऐसा नहीं हुआ. क्रूड तेल की कीमत में बढ़त विशेषकर उस वक्त जब अर्थव्यवस्था जूझ रही हो, हम जैसे तेल आयातकर्ता देश के लिए स्वाभाविक रूप से नापसंद था.

क्रूड तेल कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के आपूर्तिकर्ता देशों का एकपक्षीय फ़ैसला, उपभोक्ता देशों के लिए हानिकारक सिद्ध होगा. जब प्रमुख OPEC देशों में से एक ने ऐसा एकपक्षीय फ़ैसला किया तब सरकार की, क्रूड स्रोतों का विविधीकरण करने की मांग के प्रति हाल में उद्योग की प्रतिक्रिया अच्छी रही.

रिफ़ाइनर्स को कीमतों में तीव्र गिरावट से स्टॉक में भारी नुकसान हुआ. लॉकडाउन के दौरान भारतीय रिफ़ाइनर्स को अपने कारखाने कम क्षमताओं पर चलाने की चुनौती का सामना करना पड़ा जिससे कि वे, LPG जैसे अनिवार्य ईंधन की आपूर्ति कर सके यद्यपि अन्य ईंधनों की बिक्री चुनौती पूर्ण रही और अधिकतम ईंधन मार्जिन नकारात्मक रहे. उत्पाद क्रैक्स दबे रहे और बेंचमार्क GRM, विव 2020-21 के पहले 6 महीनों में नकारात्मक रहा. यद्यपि क्रूड की कीमतों में वर्ष के अंत में उछाल नजर आया और देशी मांग के कारण वर्ष के द्वितीय अर्ध भाग में क्षमता उपयोग में बढ़त नजर आई, फिर भी रिफ़ाइनर्स को कम उत्पाद मार्जिन झेलना पड़ रहा है. चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान सर्वव्यापी महामारी की दूसरी लहर के कारण लगाए गए लॉकडाउन से सुधार का दौर फिर से पीछे की ओर मुड़ा. भारत में तेल मांग में कमी अस्थाई तौर पर रहने की आशा है, यद्यपि वर्ष अनिश्चितता और जटिलता से भरा रहा. लेकिन अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से असदृश्य होते हुए देश में निम्न आधार एवं अधिक आबादी के समर्थन से अगले दो दशकों में देश में तेल की मांग बढ़ते रहने की आशा की गई है. इस अवधि में रिफ़ाइनर्स, क्षेत्रीय परिवर्तन झेलने के लिए उत्पादों का एकीकरण एवं विविधीकरण करते रहेंगे.

4. क्रूड बास्केट

आपकी कंपनी, अपनी क्रूड की आवश्यकताओं की पूर्ति, निर्यात करने वाले देशों की विभिन्न राष्ट्रीय तेल कंपनियों से मुद्दती आधार पर और खुले बाजार में हाजिरी बिक्री से करती है. 2020-21 के दौरान, कंपनी ने 11.615 MMT क्रूड तेल की खरीदारी की जिसमें से 9.125 MMT का आयात किया गया और शेष क्रूड तेल, हमारे देश में ओएनजीसी और केर्न इंडिया से बाँबे हाई, रव्वा और मंगला से हासिल किया गया. क्रूड तेल का इनसे आयात किया गया जैसे कुवैत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, सऊदी अरैमेको, अबू धाबी नैशनल ऑइल कंपनी और SOMO. कम गंधक युक्त भारी स्टॉक (LSHS) और मुद्दती क्रूड की कमी की पूर्ति करने की दृष्टि से एमआरपीएल ने, वर्ष के दौरान, क्रूड तेल का (0.744 MMT), हाजिरी टेंडर में भाग लेकर आयात किया.

वर्ष के दौरान नए क्रूड का प्रसंस्करण किया गया जैसे नेंबा(अंगोला) API 37.7, मार्स(यूएस) API- 30.42, बक्केन (यूएस) API 42.5, उम्म लुलु (UAE) API 38.7, एक्पो (नाइजीरिया) API- 48.18, WTI मिड्लैंड(यूएसए) API- 41.67, गिरास्सोल(अंगोला) API- 30.16 और पोसीडॉन (यूएसए) API- 29.09.

मात्रा एवं मूल्य में क्रूड की खरीदारी और खपत के ब्यौरे यहां नीचे दिए गए हैं

क्रूड	खपत		क्रय	
	’000 MT	₹ करोड़	’000 MT	₹ करोड़
MH क्रूड	1089	2488	1089	2487
RAVVA	185	423	185	423
EOA	2	4	2	4
KG	14	20	14	20
मंगला	1158	2938	1158	3064
नागयलंका	12	31	12	31
CB क्रूड	27	68	27	68
दास	342	796	300	707
उम्म लुलु	123	390	123	390
अप्पर ज़कुम	851	2326	851	2325
अरब भारी	2193	5574	2193	5573
अरब अधिक हल्का	65	145	65	145
अरब हल्का	638	1534	638	1533

कुवैत	972	2453	972	2671
बरसाह हल्का	1689	4055	1672	4225
बरसाह भारी	429	898	429	898
बोंगा	141	482	141	482
बोनी हल्का	0	0	128	471
सैटर्नो मिश्रण	256	708	256	707
कैबिंडा	128	214	128	211
Akpo Exp मिश्रण	119	435	119	435
WTI मिडलैंड	128	449	128	449
गिरासोल	139	470	139	470
नेंबा मिश्रण	131	353	131	353
मार्स मिश्रण	288	844	288	843
पोसेडॉन	139	468	139	468
बक्केन	139	366	139	366
सोकोल	23	81	94	323
ISPRL मिश्रण	41	98	41	98

5. उत्पाद

उत्पादों के उत्पादन, बिक्री और निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं.

उत्पाद	उत्पादित मात्रा ('000 MT)	बिक्री की मात्रा ('000 MT)	निर्यात ('000 MT)
HSD	5024	5100	1187
नैफ़्ता	1063	1063	180
MS	1060	1019	162
LPG	811	812	कुछ नहीं
पेट्र कोक	577	583	कुछ नहीं
ATF	447	459	357
पॉलीप्रॉपीलीन	342	373	22
MFO	188	188	188
एस्फाल्ट	177	177	कुछ नहीं
गंधक	155	163	10
ज़ाइलॉल	109	110	कुछ नहीं
SKO	34	38	कुछ नहीं
LSFO	32	32	कुछ नहीं
A7	31	31	कुछ नहीं
A9	22	22	कुछ नहीं
CRMB	5	5	कुछ नहीं

6. निष्पादन

सर्वव्यापी महामारी COVID के कारण आपकी कंपनी का निष्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ. वर्ष के प्रारंभ में लॉकडाउन लगाने के कारण परिवहन ईंधन के लिए लगभग न के बराबर मांग रही. ATF की मांग करीब करीब शून्य स्तर तक गिरी तथा MS और HSD की मांग में भी उल्लेखनीय गिरावट नज़र आई. दुनिया के अधिक भागों में पहले से ही लॉकडाउन जारी रहने के कारण निर्यात की मांग में भी अवनति देखने को मिली. लेकिन देश में LPG और पॉलीप्रॉपीलीन (PPEs का उत्पादन करने की खातिर) की मांग बनी रही. इस वजह से कुछ यूनिटों का प्रचालन जारी रखते हुए कुछ यूनिटों को शटडाउन करना पड़ा जिससे कि देश में अनिवार्य ईंधन और कच्चा माल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.

प्रचालन जारी रखने का वक्त-वक्त पर फ़ैसला करते हुए क्रूड को ISPRL में पथांतरित किया गया और डीज़ल उत्पाद को जहाजों में संग्रहीत किया गया. यद्यपि सड़क परिवहन ईंधनों जैसे मोटर स्पिरिट और डीज़ल की बिक्री, कुछ हद तक की गई लेकिन विमानन ईंधन की बिक्री, जुलाई 2020 तक पूरी तरह से बंद हो गई. इस स्थिति से निबटने के लिए रिफ़ाइनरी को डीज़ल पूल बढ़ाना पड़ा. कम मांग और दबे हुए क्रैक्स की पृष्ठभूमि में कंपनी ने विवेकपूर्ण ढंग से निम्नतर क्षमता पर प्रचालन जारी रखा. फलस्वरूप पहली तिमाही में परिष्करण क्षमता का उपयोग सिर्फ़ 60% रहा.

इस अवधि में बेंचमार्क (सिंगपूर, प्लैट्स कोर्किंग-FCC-हाइड्रोक्रैकर) अप्रैल-सितंबर अवधि के लिए माइनस 0.44USD/bbl रहा. इसी अवधि के दौरान एमआरपीएल का प्रचालन GRM 1.55 USD/bbl रहा.

स्थिति जैसे जैसे लगभग सामान्य होती गई उत्पादों की मांग बढ़ती गई और रिफ़ाइनरी की उपयोगिता में वृद्धि हुई. वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान औसत क्षमता उपयोग 65% रहा. जनवरी 2021 में, क्षमता उपयोग, 100% तक पहुंचा जो वर्ष की शेष अवधि में 100% पर बना रहा. अक्तूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान आपकी कंपनी का प्रचालन GRM, USD 3.26/bbl रहा जो वर्ष में USD 3.71/bbl रहा. खर्च एवं व्यय को नियंत्रित कर आगे टालने के लिए उपाय और नियंत्रक लागू किए गए. इससे पिछले वर्ष की तुलना में खर्च के छोर पर काफ़ी बचत हुई है.

वर्ष की अंतिम तिमाही में क्रूड की कीमतें, USD 65/bbl पार कर गईं. बढ़ती रही खपत से वैश्विक स्टॉक में कमी नज़र आई लेकिन कीमतों को पुश्ता करने की खातिर उत्पादन घटने के कारण अधिक कीमतों का बोल बाला रहा. उत्पाद क्रैक्स अभी भी दबे हुए हैं और मूल रूप से यात्रा पर पाबंदी डालने से वैश्विक उत्पादों के स्टॉक बढ़ने के कारण लगभग कोविड से पूर्व स्तर पर बने हुए हैं.

इन तमाम मुसीबतों के बीच आपकी कंपनी ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि हम उत्कृष्टता हासिल करने की दिशा में प्रयत्नशील होते हुए भी सामान्य स्थिति के लिए तैयार हैं. अनिश्चित मांग की अवधि का अनुरक्षण और टर्न-अराउंड करने के लिए उपयोग किया गया और जब बाजार सामान्य स्थिति में बहाल हो तब कंपनी, अपनी सर्वाधिक क्षमता पर काम कर सकेगी. पॉलीप्रॉपीलीन का उत्पादन, अधिक थ्रूपुट पर बरकरार रखा गया क्योंकि निम्न ईंधन क्रैक्स की भरपाई कुछ हद तक पेट्रोकेमिकल प्रतिफल से हुई. बेंगलूरु में एक नया तेल मार्केटिंग टर्मिनल खोलने की प्रक्रिया शुरु हुई है. खुदरा बिक्री का लगातार विस्तार किया जाता रहा है और ख़ासकर निम्न उत्पाद क्रैक्स को देखते हुए मार्जिन काफ़ी अधिक है.

स्वतंत्र वित्तीय निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, एमआरपीएल ने कर उपरांत ₹ 240 करोड़ की हानि उठाई जो प्रति शेयर (₹ 1.37) का अर्जन दर्शाती है.

कुल बिक्री

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी की कुल बिक्री, ₹ 50,974 करोड़ रही जब कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 60,728 करोड़ की बिक्री की गई थी. वर्ष 2020-21 में उत्पादों की कुल बिक्री वर्ष 2019-20 के 12.70 एमएमटी की तुलना में 10.22 एमएमटी रही.

कर पूर्व लाभ/(हानि)

कंपनी ने 2019-20 में हुई ₹ 3,958 करोड़ की हानि की तुलना में 2020-21 में ₹ 345 करोड़ की कर पूर्व हानि (PBT) उठाई.

कराधान के लिए प्रावधान

2020-21 के लिए ₹ 104 करोड़ के कर संबंधी क्रेडिट का प्रावधान किया गया है जब कि 2019-20 में यह रकम ₹ 1,222 करोड़ रही.

कर उपरांत लाभ/(हानि)

कंपनी ने 2019-20 में हुई ₹ 2740 करोड़ की कर उपरांत हानि की तुलना में 2020-21 में ₹ 240 करोड़ की कर उपरांत हानि (PAT) उठाई.

मूल्यह्रास और परिशोधन

वर्ष 2020-21 के लिए मूल्यह्रास, ₹ 853 करोड़ रहा जब कि 2019-20 के लिए मूल्यह्रास ₹ 783 करोड़ रहा.

उधार

कंपनी की उधार राशि, 31 मार्च, 2020 के ₹ 11,896 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च, 2021 को ₹ 16,225 करोड़ रही. अपरिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs), बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) के जरिए दीर्घावधि उधार, विदेशी बैंकों, तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से तथा VAT भुगतान के प्रति आस्थगित भुगतान देयताओं के प्रति ऋण लिए गए. अल्पावधि उधार, प्रमुख रूप से बैंकों से अल्पावधि रुपया ऋणों, विदेशी बैंकों से ऋणों, बिल भुनाई सुविधा और वाणिज्यिक पत्रों से लिए गए. 31 मार्च, 2021 को इक्विटी की तुलना में दीर्घावधि कर्ज अनुपात 1.43 रहा जब कि 31 मार्च, 2020 को यह अनुपात 1.21 रहा और समग्र उधार के आधार पर (दीर्घावधि और अल्पावधि) इक्विटी की तुलना में कर्ज का अनुपात, 31 मार्च, 2021 को 2.16 और 31 मार्च, 2020 को 1.53 रहा.

पूंजीगत आस्तियां

निवल अचल आस्तियों में (प्रगति में पूँजीगत कार्य और RoU सहित), 31 मार्च, 2020 के ₹ 15,969 करोड़ से 31 मार्च, 2021 को ₹ 16,067 तक वृद्धि हुई.

निवेश

कंपनी का निवेश, 31 मार्च, 2020 के ₹ 2,178 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च, 2021 को ₹ 3,395 करोड़ रहा.

कुल परिष्करण मार्जिन (GRMs)

कुल परिष्करण मार्जिन, वित्तीय वर्ष 2019-20 के US$ (0.23) प्रति बैरल की तुलना में 2020-21 में US$ 3.71 प्रति बैरल रहा.

प्रति शेयर अर्जन (EPS)

प्रति शेयर अर्जन, वर्ष 2019-20 के ₹ (15.64) के मुकाबले 2020-21 में ₹ (1.37) रहा.

समेकित वित्तीय निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी के मालिकों के कारण कर उपरांत ₹ 568 करोड़ की हानि उठाई गई जो प्रति शेयर (₹ 3.24) का अर्जन दर्शाती है.

कुल बिक्री

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान समूह की कुल बिक्री, ₹ 50,839 करोड़ रही जब कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 59,869 करोड़ की बिक्री की गई थी.

कर पूर्व लाभ/(हानि)

समूह ने 2019-20 में हुई ₹ 5,404 की करोड़ की कर पूर्व हानि की तुलना में 2020-21 में ₹ 919 करोड़ की कर पूर्व हानि (PBT) उठाई.

कराधान के लिए प्रावधान

2020-21 के लिए ₹ 153 करोड़ के कर संबंधी क्रेडिट का प्रावधान किया गया है जब कि 2019-20 में यह रकम ₹ 1,366 करोड़ रही.

कर उपरांत लाभ/(हानि)

समूह ने 2019-20 में हुई ₹ 4,043 करोड़ की कर उपरांत हानि की तुलना में 2020-21 में ₹ 765 करोड़ की कर उपरांत हानि (PAT) उठाई.

मूल्यह्रास और परिशोधन

वर्ष 2020-21 के लिए मूल्यह्रास और परिशोधन, ₹ 1,158 करोड़ रहा जब कि वर्ष 2019-20 के लिए यह रकम ₹ 1,086 करोड़ रही.

उधार

समूह की उधार राशि, 31 मार्च, 2020 के ₹ 18,482 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च, 2021 को ₹ 23,833 करोड़ रही. अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (CCDs), बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) के जरिए दीर्घावधि उधार, विदेशी बैंकों, तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से तथा VAT भुगतान के प्रति आस्थगित भुगतान देयताओं के प्रति ऋण लिए गए. अल्पावधि उधार, प्रमुख रूप से बैंकों से अल्पावधि रुपया ऋणों, विदेशी बैंकों से ऋणों, बिल भुनाई सुविधा और वाणिज्यिक पत्रों आदि से लिए गए. 31 मार्च, 2021 को इक्विटी की तुलना में दीर्घावधि कर्ज अनुपात 3.95 रहा जब कि 31 मार्च, 2020 को यह अनुपात 2.40 रहा और समग्र उधार के आधार पर (दीर्घावधि और अल्पावधि) इक्विटी की तुलना में कर्ज का अनुपात, 31 मार्च, 2021 को 5.61 और 31 मार्च, 2020 को 2.97 रहा.

पूंजीगत आस्तियां

निवल अचल आस्तियों में (प्रगति में पूँजीगत कार्य और RoU सहित और समेकन पर सुनाम रहित), 31 मार्च, 2020 के ₹ 21,800 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2021 को ₹ 21,586 तक वृद्धि हुई.

निवेश

निवेश, 31 मार्च, 2020 के ₹ 29 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च, 2021 को ₹ 25 करोड़ रहे.

कुल परिष्करण मार्जिन (GRMs)

रिफ़ाइनरी परिचालन का कुल परिष्करण मार्जिन, वित्तीय वर्ष 2019-20 के US$ (0.23) प्रति बैरल की तुलना में 2020-21 में US$ 3.71 प्रति बैरल रहा.

प्रति शेयर अर्जन (EPS)

कंपनी के मालिकों के कारण प्रति शेयर अर्जन, वर्ष 2019-20 के ₹ (19.14) के मुकाबले 2020-21 में ₹ (3.24) रहा.

ऋण संबंधी प्रसंविदाएं

एमआरपीएल द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में ECB सुविधा संबंधी करारनामों में ऐसी वित्तीय प्रसंविदाएं हैं जिनका वार्षिक आधार पर अनुपालन करना होगा अर्थात्; दीर्घावधि कर्ज इक्विटी अनुपात, EBITDA की तुलना में दीर्घावधि कर्ज अनुपात, ब्याज कवरेज अनुपात और गोचर निवल मालियत. वित्तीय प्रसंविदाओं का, वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर वर्ष में एक बार परीक्षण किया जाता है.

विव 2020-21 में कारोबार पर Covid के प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करते हुए यह महसूस किया गया कि एमआरपीएल, कुछ प्रसंविदाओं का उल्लंघन कर सकता है. इस बात के मद्दे नज़र, वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ECB उधारदाताओं से संपर्क किया गया जिनसे दरख्वास्त की गई कि वे, विव 2020-21 के लिए वित्तीय प्रसंविदा का परीक्षण करने से एक वर्ष की छूट / छुट्टी दें. दरख्वास्त पर अनुकूल तरीके से विचार करते हुए बैंकों ने ECB संबंधी तमाम करारनामों के लिए विव 2020-21 में वित्तीय प्रसंविदाओं का परीक्षण करने से छूट दी.

विव 2020-21 के वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर एमआरपीएल ने एक ही प्रसंविदा (अर्थात्; EBITDA की तुलना में कर्ज का अनुपात) का उल्लंघन किया है.

7. महत्वपूर्ण वित्तीय मापदंड और अनुपात

महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात नीचे दिए गए हैं:

			वित्त 2020-21	वित्त 2019-20	% में परिवर्तन
अनुपात का नाम	सूत्र	UoM	अनुपात		
देनदार व्यापारवर्त अनुपात (दिन)	(प्रचालन से प्राप्य औसत/राजस्व)*365	कुल दिन	12.37	10.11	22.41
स्टॉक व्यापारवर्त अनुपात	बेची गईं वस्तुओं / औसत स्टॉक की लागत	कितनी बार	6.05	10.98	-44.94
ब्याज कर्ज कवरेज अनुपात (ISCR)	EBITDA / (निर्माण के दौरान व्यय में अंतरित निवल ब्याज और वित्त प्रभार)	कितनी बार	2.44	(3.26)	174.87
चालू अनुपात	चालू आस्तियां / चालू देयताएं	कितनी बार	0.80	0.68	16.58
कर्ज इक्विटी अनुपात	(दीर्घावधि उधार + दीर्घावधि कर्ज की चालू परिपक्वता) / कुल इक्विटी	कितनी बार	1.43	1.21	17.65
प्रचालन लाभ मार्जिन	(अपवादात्मक मद और कर + वित्त लागत-अन्य आय से पूर्व लाभ / प्रचालन-निवल उत्पाद शुल्क से राजस्व)	%	(0.35)	(6.51)	94.67
निवल लाभ मार्जिन	(वर्ष का कर उपरांत लाभ / प्रचालन-निवल उत्पाद शुल्क से राजस्व)	%	(0.75)	(5.37)	86.09
निवल मालियत पर प्रतिफल	(कुल व्यापक आय - अधिमानी लाभांश) / इक्विटी (निवल मालियत)	%	(3.17)	(35.39)	91.05

चालू वित्त 21 का देनदार व्यापारवर्त अनुपात 12.37 है जब कि वित्त 20 का अनुपात 10.11 रहा अर्थात्; इसमें 22.41% की बढ़त हासिल हुई जो ख़ासकर COVID-19 के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की मांग घटने के निमित्त प्रचालन से राजस्व में ₹ 9,732 करोड़ तक गिरावट आने से संभव हुई.

चालू वित्त 21 का स्टॉक व्यापारवर्त अनुपात 6.05 है जब कि वित्त 20 में 10.98 का अनुपात रहा अर्थात्; इसमें 44.94% की बढ़त हासिल हुई जो ख़ासकर COVID-19 के कारण कच्चा माल की कम खपत के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों की मांग घटने के निमित्त बेची गईं वस्तुओं की लागत में ₹ 21,519 करोड़ तक गिरावट आने से संभव हुई.

वित्त 21 का ब्याज कर्ज कवरेज अनुपात 2.44 रहा जो वित्त 20 में (3.26) रहा अर्थात्; इसमें 174.87% की बढ़त हासिल हुई जो ख़ासकर उधार लागत में समायोजन के रूप में माने गए विनिमय अंतर के निमित्त ब्याज संबंधी मूल्यह्रास से पहले हानि घटने और ₹ 3,290 तक कर राशि घटने और ₹ 393 तक वित्त लागत घटने के कारण हुई.

चालू विव 21 का चालू अनुपात 0.80 है जो विव 20 में 0.68 रहा अर्थात्; इसमें 16.58% तक बढ़त हासिल हुई जो ख़ासकर स्टॉक, प्राप्य व्यापार राशियों और अल्पावधि उधारों में क्रमश: ₹ 2,720 करोड़, ₹ 1,374 करोड़ और ₹ 3,001 करोड़ तक इजाफ़ा होने से संपादित हुई.
चालू विव 21 का कर्ज इक्विटी अनुपात 1.43 है जो विव 20 में 1.21 रहा अर्थात्; इसमें 17.65% तक बढ़त इजाफ़ा हुआ जो ख़ासकर चालू वर्ष की हानियों के कारण हासिल हुआ. जिससे आगे चलकर दीर्घावधि में निवल मालियत में ₹ 238 तक गिरावट आई है और दीर्घावधि उधार में ₹ 1,328 तक सुधार हुआ है.
चालू विव 21 का प्रचालन लाभ मार्जिन (0.35) है जो विव 20 में (6.51) रहा अर्थात्; इसमें 94.67% की उन्नति हुई है, जो ख़ासकर चालू वर्ष में प्रचालन हानियों में ₹ 3,206 तक अवनति होने से संभव हुआ.
चालू विव 21 का निवल लाभ मार्जिन (0.75) है जो विव 20 में (5.37) रहा अर्थात्; इसमें 86.09% की उन्नति हुई है, जो ख़ासकर चालू वर्ष में हानियों (PAT) में ₹ 2,500 तक गिरावट आने से संभव हुआ.
चालू विव 21 का निवल मालियत पर प्रतिफल (3.17) है जो विव 20 में (35.39) रहा अर्थात्; इसमें 91.05% की वृद्धि हुई है जो ख़ासकर चालू वर्ष की हानियों (TCI) में ₹ 2,510 करोड़ तक अवनति होने से हासिल हुई है.

8. अवसर और खतरे

8.1. अवसर

उम्मीद की जा रही है कि भारत, 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद 5 ट्रिलियन USD वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगी. इससे ऊर्जा की मांग में एकदम उछाल होगी. तेल, एक ऐसी ख़ास ऊर्जा है जो भारत की तरक्की के साथ जुड़ी हुई है. तेल की उपयोगिता व्यापक है जो परिवहन (सड़क और रेलवे), विमानन, शिपिंग, पेट्रोकेमिकल्स, बिजली उत्पादन, निवासीय, कृषि और वाणिज्यिक क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती है. अगले दो दशकों में भारत में तेल की गति थमने की संभावना नहीं है यद्यपि तेल के उपयोग में क्षेत्र वार परिवर्तन हो सकते हैं. तरक्की तो होनी ही है.

आज एमआरपीएल की दक्षता ऐसी है वह, विनियमन के अनुपालन के अनुकूल ईंधन और पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन करने के लिए व्यापार श्रेणी के क्रूड स्टॉक का उन्नयन करने की स्थिति में है. अगले दो दशकों में लाखों लोगों के मध्यम वर्ग की तरफ कदम बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए कंपनी को लगता है कि पेट्रोकेमिकल्स, तरक्की का एक ऐसा साधन बनेगा जो अधिक मुनाफ़ा दिलाएगा यद्यपि इसी अवधि के दौरान ईंधन भी तरक्की करते रहेंगे.

कल की रिफ़ाइनरियां, संपूर्ण ईंधन समाधान प्रदाता होनी चाहिए. नई दूसरी पीढ़ी की अत्याधुनिक जैव-ईंधन प्रौद्योगिकी का अध्ययन एवं मूल्यांकन चल रहा है. पहचाने गए खुदरा बिक्री केंद्रों में जो अभी खुले नहीं हैं, संपीडित प्राकृतिक गैस बेचने के लिए कंपनी ने आपूर्तियों के लिए ताल-मेल व्यवस्था भी की है. कंपनी, जैव-ATF का निर्माण करने की खोजबीन भी कर रही है.

कल की रिफ़ाइनरियों में विविध उत्पादों का व्यवस्थित एकीकरण होना चाहिए. वही रिफ़ाइनरियां कामयाब हो पाएंगी जिनकी मांग हो. तरक्की के प्रक्षेप पथ में शामिल होंगे अंत से अंत तक एकीकरण, पूंजी का दक्ष उपयोग, लागत का इष्टतमीकरण और विनियामक अथवा बाह्य परिवर्तनों को अपनाने में फुर्तीलापन. बदलते हुए उपभोक्ता के व्यवहार के अनुरूप अपने आपको ढालने के लिए सोची समझी गई प्रौद्योगिकियां, कंपनी के भावी कॉन्फिग्यूरेशन का भाग बन सकती हैं.

8.2. ख़तरे

तेल बाजारों की अनिश्चितता, आपकी कंपनी के लिए हमेशा से खतरा रही है. आपस में जुड़ी दुनिया में किसी एक क्षेत्र में हुई हलचल और लड़ाई-झगड़े का दूसरे क्षेत्रों पर भी प्रभाव होगा. भौगोलिक-राजनीतिक एवं नीतिपरक परिवर्तनों का तेल उद्योग पर असर होगा. इसके अलावा, किसी अभूतपूर्व घटना से जैसे आजकल हम सर्वव्यापी महामारी का मुकाबला कर रहे हैं, बाजार बुरी तरह पस्त हो सकते हैं, वित्तीय स्थिति डगमगा सकती है और संवेदनशीलता दबाव में आ सकती है.

अधिक साफ़ ईंधनों की मांग बढ़ते हुए भी रिफ़ाइनरी को उच्चतर प्रतिफल दिलाने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा. भारत सरकार, नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा, ऊर्जा बास्केट के 40% तक बढ़ाना चाहती है. इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण में एकदम वृद्धि नज़र आई है यद्यपि आंतरिक दहन इंजन के वाहनों की तुलना में इसका हिस्सा बेहद कम है.

कंपनी द्वारा बनाए गए पचास प्रतिशत उत्पादों में सड़क परिवहन वाहन हैं (मोटर स्पिरिट और डीज़ल). मांग में किसी भी तरह की कमी का राजस्व पर प्रभाव होगा.

वायरस का दमन होने के साथ बाजार रिकवर होने से अल्पावधि मुद्दे सुलझने की संभावना है. लेकिन नीतिगत स्तर पर परिवहन में आमूलचूल परिवर्तन लाने की योजना चलते रहने से ईंधनों की मांग में कोई ख़ास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है यद्यपि भारत के मामले में अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बाद में भी यही स्थिति बरकरार रहने की उम्मीद है. सोलर के जरिए बिजली उत्पादन से कोयले पर प्रभाव पड़ने की संभावना है. मशीनों से चलने वाले वाहनों के लिए बिजली का उपयोग करने के लिए न केवल उनका विनिर्माण करना पड़ेगा बल्कि उसके लिए बड़े और विस्तारशील ट्रांसमिशन ग्रिड की भी ज़रूरत पड़ेगी. नई किस्म की अन्य प्रौद्योगिकियां हैं जैसे हाइड्रोजन से चालित परिवहन, जिन पर विचार किया जा रहा है. इसे अंजाम देने के लिए वक्त लगेगा. जब लाभ उठाने की स्थिति में न हो तब आपकी कंपनी, बीच की अवधि का उपयोग करते हुए पेट्रोकेमिकल्स का अंश बढ़ाते हुए अधिक लचीलेपन के लिए नए ऊर्जा समाधानों में निवेश करेगी. ईंधन की मांग कम होने पर कंपनी को यह बचाव का साधन सिद्ध होगा.

कारोबार के सम्मुख निर्दिष्ट खतरों की बात करें तो नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट ने, जिसके जरिए एमआरपीएल, अपनी सीमित जेटियों के जरिए अपने तमाम क्रूड का आयात और अपने उत्पादों का निर्यात करता है, जाहिरा तौर पर जहाजरानी मंत्रालय की कैप्टिव नीति के तहत एमआरपीएल की कैप्टिव जेटियां अन्य पक्षकारों को देना चाहने वाले अन्य पक्षकारों से रुचि प्रकटन के लिए हाल में निमंत्रण दिया है. अगर यह रुख बरकरार रखा जाए तो इससे अल्पावधि में और आने वाले समय में रिफ़ाइनरी का निर्बाध प्रचालन खतरे में पड़ सकता है. एमआरपीएल ने यह मामला NMPT के साथ बड़ी गंभीरता के साथ उठाया है और सुविधा का अनन्य उपयोग करने के बारे में अपनी कानूनी, साम्यक और ठेकागत अधिकारों को जताया है और NMPT से आग्रह किया है कि वह इस योजना से पीछे हटे. इस चरण पर मामले का समाधान नहीं हुआ है और यह आकलन किया गया है कि इससे कंपनी के कारोबार को खतरा होगा.

9. खूबियां और कमज़ोरियां

9.1. खूबियां

आपकी कंपनी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी रिफ़ाइनरी है. विस्तार के हर एक चरण में कंपनी ने, बदलते हुए बाजार की चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने में अपनी निपुणता सिद्ध की है. आरंभिक समय में और प्रारंभिक वृद्धि हासिल करते समय देश में पेट्रोलियम परिष्करण और ईंधनों का अभाव था. इस अवसर का फायदा उठाकर तरक्की की गई. विस्तार के तीसरे चरण तक भारत में परिष्करण क्षमताओं का काफ़ी हद तक निर्माण किया गया था और एमआरपीएल ने पॉलीप्रॉपीलीन के साथ पेट्रोकेमिकल्स में कदम रखा. इससे कंपनी " केवल ईंधन " वाले संगठन से " ईंधन और पेट्रोकेमिकल्स " वाले संगठन में रूपांतरित हुई. एमआरपीएल, वक्त के साथ चलने के लिए विकसित हो रहा है.

आपकी कंपनी का, अधिक जटिलता के साथ सुदृढ़ कॉन्फिग्यूरेशन है. रिफाइनरी की क्षमता ऐसी है कि वह, 20 API से 45 API तक के व्यापक श्रेणी के क्रूड तेल का बेहतर ढंग से प्रसंस्करण कर सकती है. इससे क्रूड स्रोत का पता लगाने और क्रूड बदलने की सुविधा होगी. कंपनी, अपनी दक्षता बढ़ाती रही है. इन्पुट छोर पर कंपनी ने प्राकृतिक गैस जैसे सस्ते वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करना शुरु किया है. आस्ति के छोर पर रिफ़ाइनरी का उसकी सहायक कंपनी के साथ एकीकरण करने का काम शुरु किया गया है जिससे उत्पाद का विविधीकरण करना संभव होगा और तालमेल बिठाने का फायदा मिलेगा. आउटपुट के छोर पर खुदरा बिक्री, प्रत्यक्ष बिक्री, व्यापारियों के जरिए बिक्री और समूह की परिष्करण कंपनी के साथ तालमेल बिठाने के जरिए बहुविध-मार्केटिंग मॉडेल अपनाया जा रहा है.

विस्तार के अगले चरण के लिए भूमि खरीदने की प्रक्रिया चल रही है. इसका मकसद है, तरक्की के अगले चरण में रिफ़ाइनरी का रूपांतरण करना.

9.2. कमज़ोरियां

आपकी कंपनी को इन्पुट छोर पर विभिन्न प्रकार के क्रूड तेल का प्रसंस्करण करते समय अधिक जटिलता से गुजरना पड़ता है. विविध उत्पादों का विनिर्माण करते समय आउटपुट के छोर पर जटिलता कमतर है. चूंकि देश, अधिक स्वच्छ ईंधनों की तरफ रुख कर रहा है इसलिए

क्षेत्रों के अंदर और विभिन्न क्षेत्रों में मांग में असंतुलन नज़र आ सकता है. सड़क परिवहन क्षेत्र में विद्युतीकरण और अधिक स्वच्छ ईंधनों से वृद्धि दर में धीमापन नज़र आ सकता है जब कि विमानन क्षेत्र में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ प्रोत्कर्ष का बोल बाला जारी रह सकता है. देशी क्षेत्र में ईंधन के लिए अधिक मांग पनप सकती है. ये सारे नज़ारे, सीमित उत्पादों के लिए बनाए गए कॉन्फिग्यूरेशन के साथ चयनात्मक बाजार की मांग के अनुरूप रिफ़ाइनरी के लिए एक चुनौतीपूर्ण दृश्य पेश करते है. इससे पहले 10% का पेट्रोकेमिकल पद चिह्न हासिल करना किसी भी रिफ़ाइनरी के लिए काफ़ी बड़ा काम समझा जाता था. अब मौजूदा हालात में यह प्रतिशत काफ़ी बड़ा हो गया है और क्रूड का रासायनिक पदार्थों में रूपांतरण करने के लिए नई प्रौद्योगिकियां उभर रही हैं. आपकी कंपनी, विस्तार के अगले चरण में लागत प्रभावी मार्गों का उपयोग करते हुए पेट्रोकेमिकल की अधिक छाप बनाने के लिए एक मानचित्र बनाने जा रही है. इससे, नए-नए ऊर्जा स्रोतों के तेजी से पदार्पण के साथ रिफ़ाइनरी की निम्नतर क्षमता का उपयोग करने का जोखिम मिट जाएगा.

अपने उत्पाद का उन्नयन करने के लिए आपकी कंपनी, तेल मार्केटिंग कंपनियों पर निर्भर है. तटवर्ती स्थान के बलबूते पर कंपनी को प्रचालन बरकरार रखने की खातिर अपने उत्पादों का निर्यात करना सुसाध्य हुआ है. तेल और गैस की दुनिया में अवरोध का सिलसिला जारी रहने से तेल के लिए अंत्य बाजारों को स्थान बदलना पड़ रहा है. अब एशिया आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गया है और उम्मीद की जा रही है कि भारत, तेल के परिष्करण और खपत, दोनों के छोर पर रहनुमाई करेगा. कंपनी, अपने खुदरा केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर रफ़्तार पकड़ रही है जिससे कि तेल मार्केटिंग कंपनियों पर निर्भरता कम हो और साथ ही अपनी व्यापक मार्केटिंग रणनीति के अंग के तौर पर एक नया तेल मार्केटिंग टर्मिनल खोलने जा रही है.

कर्ज की मात्रा काफ़ी अधिक होने के कारण कंपनी को, व्यापक रूप से पूंजीगत व्यय करना संभव नहीं हो पा रहा है जिससे बड़े पैमाने पर विस्तार करना और मूल्य वर्धित उत्पादों का विविधीकरण करना साध्य नहीं हो रहा है.

10. जोखिम

10.1. क्रूड आपूर्ति और कीमत में निहित जोखिम

क्रूड, आपकी कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है और रिफ़ाइनरी का प्रचालन जारी रखने के लिए इसका अंतर्वाह बरकरार रखना होगा. चूंकि क्रूड का देशी उत्पादन और उसका आबंटन सीमित है इसलिए वैश्विक आपूर्तियों में जोखिम अंतर्निहित है. क्रूड तेल उद्योग एक ऐसी कगार पर है कि उसे भौगोलिक अस्थिरता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और कीमत में उतार-चढ़ाव से ओत प्रोत अप्रत्याशित माहौल झेलना पड़ता है.

क्रूड आपूर्ति चेन में कीमत में निहित जोखिम के अलावा व्यावसायिक जोखिम और खलल पडने में निहित जोखिम उठाना पड़ता है. सोच समझकर प्रचालन करने से और मार्केटिंग योजनाएं बनाने से प्रचालन में निहित जोखिम मिटाया जा सकता है. निर्यात उत्पादों में लचीलापन भी, मांग में उतार-चढ़ाव होने के कारण आपूर्ति चेन में निहित जोखिम बढ़ा देता है. लेकिन पिछले वर्ष अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न होने पर सर्वव्यापी महामारी के प्रकोप के साए तले मांग घटने के कारण प्रचालन में निहित जोखिम का सामना करना पड़ा. इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से निबटने के लिए ISPRL तैलाशय भरने की खातिर उन क्रूड आपूर्तियों का उपयोग किया गया जिसका मोल-भाव करने के लिए निर्यातकर्ता देश तैयार नहीं थे.

एक से अधिक स्रोतों का विकल्प मौजूद रहने से क्रूड आपूर्ति में खलल पड़ने में निहित जोखिम मिट गया है. पेट्रोलियम आपूर्ति चेन में, आयात करने वाले देश पर निर्भर होने पर भी जोखिम है. चुनिंदा देशों पर निर्भरता कम करने की दृष्टि से आपकी कंपनी लगातार विविधीकरण करती रही है. वर्ष के दौरान नए किस्म के आठ क्रूड का प्रोसेसिंग किया गया.

आपकी कंपनी में वक्त वक्त पर कारोबार प्रक्रिया इष्टतमीकरण की समीक्षा की जाती है जिसमें आर्थिक विश्लेषण किया जाता है और निष्पादन आंका जाता है तथा सुधार करने के लिए क्रियाओं को पहचाना जाता है.

क्रूड की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है क्योंकि अब कई वर्षों से सिर्फ़ वैश्विक आपूर्ति-मांग परिदृश्य पर कीमतें तय नहीं हो रही हैं. भारत में, तेजी से बढ़ती रही आबादी और होती रही तरक्क़ी के चलते पेट्रोलियम उत्पादों की मांग ज्यादातर कीमत पर निर्भर नहीं होती है. लेकिन इससे आपकी कंपनी, क्रूड बाजार में उतार-चढ़ाव से बच नहीं सकेगी. आपकी कंपनी, इन बातों में निहित वित्तीय जोखिम कम करने के लिए स्टॉक की कमी महसूस किए बगैर अपने प्रचालन बरकरार रखने के लिए क्रूड का होशियारी से स्टॉक बनाए रखती है.

10.2. रिफाइनरी मार्जिन में निहित जोखिम

क्रूड और उत्पाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव, उद्योग का एक अंतर्निहित जोखिम है. आपकी कंपनी, निष्पादन आंकने और सुधारने के लिए परिष्करण आपूर्ति चेन के पहलुओं को अलग करती है. गतिविधियों में भेद किया जाता है जैसे क्रूड आपूर्ति, क्रूड स्टॉक, रिफ़ाइनरी प्रचालन, तैयार उत्पाद स्टॉक और उत्पाद बिक्री.

क्रूड का चयन करते समय कंपनी को उपचित अधिकतम आर्थिक मूल्य पर विचार किया जाता है. क्रूड और उत्पाद स्टॉक का इष्टतम स्तर पर निर्धारण करते समय प्रचालन अनुसूची और अपेक्षा पर विचार किया जाता है. इससे रखे गए उत्पादों के मूल्य में निहित जोखिम मिट जाता है भले ही कीमतें बाजार में तय होती हों. क्रूड और उत्पादों की दैनिक कीमतें, रिफ़ाइनरी निष्पादन आंकने के लिए इन पुट और आउटपुट होती हैं. हिस्सेदारों को अधिकतम प्रतिफल दिलाने के इरादे से आस्ति का अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि क्षमता का उपयोग करने और उत्पाद क्रैक्स से राजस्व मिलता है. अनिर्धारित रख-रखाव और शटडाउन से अनुसूचियों में व्यवधान पड़ता है जिसे लाभप्रदता प्रभावित होती है, इसलिए इनको टालने के लिए अत्याधुनिक भावी सूचक और निवारक रख-रखाव और निरीक्षण तकनीक अपनाए जाते हैं. संयंत्र में आशोधन और पुनर्योजन करते हुए लाभप्रदता बढ़ाने की योजनाओं की खोजबीन की जाती है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और कारोबार के अंग के तौर पर उनका क्रियान्वयन किया जाता है. रिफ़ाइनरी का डिज़ाइन काफ़ी तगड़ा है जिससे बैरल के अधस्तलज का उन्नयन सुसाध्य होगा. इससे उत्पाद का मूल्य बढ़ जाएगा. ओएमपीएल, एमआरपीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हो गई है और कंपनी के साथ उसका समामेलन करने की प्रक्रिया शुरु की गई है. इस समामेलन से बेहतर प्रतिफल मिलने की संभावना है. ऐरोमैटिक और ओलेफिन के उत्पादन से अधिक वैविध्यता के रास्ते खुल जाएंगे और ईंधन की मांग कम होने की अवधि के दौरान कंपनी का राजस्व बढ़ेगा.

अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दशकों में दुनिया के तेल के लिए भारत, तरक्की का नया क्षेत्र बनेगा. वाहन, परिवहन ईंधनों से चलते रहेंगे लेकिन नई किस्म की ऊर्जा उभर कर सामने आएंगी. असंतुलन के कारण अधिक आपूर्ति का दौर ज्यादा दिन नहीं चलेगा क्योंकि यह बात हमने हाल में COVID के दौरान देखी है. लेकिन इससे कंपनी का मुनाफ़ा घट सकता है. खुदरा केंद्र खोलने के एमआरपीएल की मुहिम से बिक्रियों में इतना मुनाफ़ा मिलेगा कि उससे परिष्करण मार्जिन पर दबाव कम होगा.

10.3. जल आपूर्ति में निहित जोखिम

शुरुआत से लेकर आज तक नदी जल, रिफ़ाइनरी की जल आवश्यकताओं का आधार रहा है. पिछले दशक में कुछ साल कम वर्षा और बढ़ती रही शहर की आबादी के चलते कंपनी को गरमी के मौसम में जल आपूर्ति में व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है. इससे आस्ति का उपयोग और संगठन का राजस्व प्रभावित हुआ है. इस स्थिति से उभरने के लिए एक विलवणन संयंत्र लगाया जा रहा है जिसकी संस्थापित क्षमता 6 MGD होगी. लेकिन इस संयंत्र की क्षमता को 15 MGD तक बढ़ाया जा सकेगा और तदनुसार ऑफ-साइट का डिज़ाइन तैयार कर निर्माण किया गया है. विलवणन संयंत्र को, विव 20-21 की तीसरी तिमाही में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन सर्वव्यापी महामारी के प्रकोप के कारण काम प्रभावित हुआ और अब संयंत्र को अगस्त, 2021 में पूरा करने की उम्मीद है. इसके अलावा, आपकी कंपनी को उसके प्रचालन के लिए 2-3 MGD उपचारित मल-जल प्राप्त हो रहा है. अगर विसर्जन का प्रमाण बढ़ाने की खातिर प्राधिकारियों द्वारा शहर में अपेक्षित बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई गईं तो भविष्य में इसकी मात्रा बढ़ सकती है. इससे आपकी कंपनी को अपने प्रचालन के लिए जल की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी.

15 MGD की अंतिम डिज़ाइन क्षमता और कमी पूरी करने के लिए उपचारित मल-जल होते हुए विस्तार के उपरांत रिफ़ाइनरी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी. इन तमाम घटनाक्रमों के चलते ताजा जल के पदचिह्न घटेंगे.

11. मानव संसाधन

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आपकी कंपनी का अपने तमाम कर्मचारियों के साथ संबंध हार्दिक एवं सौजन्यपूर्ण रहा और इसके सबूत के तौर पर, इस दौरान किसी औद्योगिक उपद्रव के कारण एक भी श्रम घंटा गंवाया नहीं गया. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एमआरपीएल एंप्लाईस यूनियन के साथ 31 दिसंबर 2026 तक की अवधि के लिए दीर्घावधि समझौता किया गया.

कुल कर्मचारियों की संख्या 1939 रही जिनमें 135 महिला कर्मचारी, 280 अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारी और 32 शारीरिक दृष्टि से विकलांग कर्मचारी हैं. 907 कर्मचारी, प्रबंधन संवर्ग के हैं जब कि 1032 कर्मचारी गैर-प्रबंधन संवर्ग के हैं.

.

12. आंतरिक नियंत्रक प्रणालियाँ

आपकी कंपनी ने सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण समीक्षा तंत्र अपनाया है जिससे आंतरिक नियंत्रण माहौल का आश्वासन दिया जा सकेगा. आपकी कंपनी, अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र में लगातार सुधार कर उन्नयन करती रही है जिससे कि प्रबंधन की प्रभावशीलता और दक्षता, प्रचालन और वित्तीय स्थिति पर भरोसेमंद रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा सके और उच्च स्तरीय कानूनी अनुपालन और जोखिम प्रबंधन हासिल किया जा सके. आपकी कंपनी ने, अपने आकार और प्रचालन के स्वरूप के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां अपनाई हैं. ये तंत्र, भरोसेमंद वित्तीय और प्रचालन संबंधी जानकारी, रेकॉर्ड और उपलब्ध कराने, लागू कानूनों का अनुपालन करने, आस्तियों को अनधिकृत उपयोग अथवा हानि से बचाने, उचित प्राधिकरण के साथ लेन-देन करने और कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में उचित आश्वासन दिलाने के इरादे बनाए गए हैं.

आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की देखरेख, लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है जो निदेशक मंडल को संगठन के जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और अभिशासन संबंधी प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभाविता पर स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ और उचित आश्वासन दिलाने के उद्देश्य से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाविता पर लगातार निगरानी रखती है. लेखा परीक्षा समिति, कंपनी के आंतरिक नियंत्रण माहौल की पर्याप्तता और प्रभाविता की समीक्षा करती है और लेखा परीक्षा संबंधी सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन और अनुवर्ती कार्रवाई पर निगरानी रखती है.

आपकी कंपनी की, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा नियमित अनुपालन और निष्पादन संबंधी लेखा परीक्षा भी की जाती है. CAG ने कंपनी में एक निवासी लेखा परीक्षक को प्रतिनियुक्त किया है. आपकी कंपनी का केंद्रीय सतर्कता आयोजन द्वारा क्षेत्राधिकार निरीक्षण किया जाता है और कंपनी में पूर्ण रूपेण सतर्कता विभाग है जिसकी देखरेख, मुख्य सतर्कता अधिकारी किया करते हैं.

13. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम

13.1. सहायक कंपनी - ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL)

ओएमपीएल ने मंगलूर के विशेष आर्थिक ज़ोन में 914 KTPA पैरा-ज़ाइलीन और 283 KTPA बेंज़ीन की वार्षिक क्षमता के साथ ऐरोमैटिक कांप्लेक्स की स्थापना की है. प्रचालन से राजस्व, विव 2019-20 के ₹ 4,861 करोड़ के मुकाबले विव 2020-21 में ₹ 3,374 करोड़ रहा. कंपनी ने सर्वव्यापी महामारी के प्रकोप से पेट्रोकेमिकल्स की वैश्विक मांग कमजोर पड़ने के कारण विव 2020-21 में ₹ 455 की हानि उठाई जब कि विव 2019-20 में ₹ 1,400 करोड़ का नुकसान हुआ था.

01.01.2021 को आपकी कंपनी ने ओएनजीसी द्वारा धारित ओएमपीएल के 49% शेयर खरीदे और 31.03.2021 को ओएमपीएल में कंपनी के 99.9998% इक्विटी शेयर थे. ओएमपीएल का कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में परिवर्तन का कार्य, 19 मई 2021 को पूर्ण हुआ. एमआरपीएल के बोर्ड ने, 10 जून, 2021 को संपन्न अपनी बैठक में ओएमपीएल और एमआरपीएल के बीच समामेलन की योजना के लिए अपना अनुमोदन दिया. समामेलन की योजना, 7 जुलाई, 2021 को दर्ज की गई.

13.2 संयुक्त उद्यम

कंपनी के दो संयुक्त उद्यम हैं जैसे शेल्ल बी.वी. नेदरलैंड्स के साथ शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (SMAFSL), जहां आपकी कंपनी की शेयर पूँजी 50% और खाड़ी तेल के साथ मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड (MRSL), जो एक हिंदूजा समूह की कंपनी है जिसमें आपकी कंपनी की शेयर पूँजी 49.98% है. SMAFSL के खातों का, एमआरपीएल के खातों के साथ समेकन किया गया है.

13.2.1. शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल सर्विसेस लिमिटेड (SMAFSL)

कंपनी की शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ़्यूएल्स सर्वीसस लि. में 50% इक्विटी शेयर पूंजी और शेष पूंजी, शेल्ल गैस BV नेदरलैंड और उसकी सहबद्ध कंपनियों में है. SMAFSL, भारत के कई हवाई अड्डों पर देशी और अंतर्राष्ट्रीय एअरलाइनों, दोनों के लिए एविएशन टर्बाईन ईंधन (ATF) की आपूर्ति करती है और भारत के हवाई अड्डों की अंतर्राष्ट्रीय विमानन ईंधन की अपेक्षाओं के लिए ठेका कंपनी के रूप में काम करती है. ₹ 1.25 करोड़ के कर पूर्व लाभ (पिछले वर्ष ₹ 1.68 करोड़) और ₹ 0.80 करोड़ के कर उपरांत लाभ (पिछले वर्ष ₹ 1.52 करोड़) के साथ कुल आय 2019-20 के ₹ 830.75 करोड़ के मुकाबले विव 2020-21 में ₹ 260.50 करोड़ रही.

13.2.2. मंगलम् रीटेल सर्वीसस लिमिटेड(MRSL)

2017-18 के दौरान कंपनी ने मंगलम् रीटेल सर्वीसस लिमिटेड (MRSL) में अपना शेयरधारण 18.98% तक घटाया और तदनुसार इस समय MRSL, एमआरपीएल की सहबद्ध कंपनी नहीं है. MRSL ने अब तक वाणिज्यक प्रचालन शुरु नहीं किया है.

14. निष्कर्ष

COVID के कारण बाजार में हुई हलचल से अल्पावधि नुकसान हुआ है. यह दौर विव 2019-20 की अंतिम तिमाही से शुरु हुआ था जो चालू वर्ष में जारी है. विव 2020-21 में भी राजस्व और लाभ प्रभावित हुए हैं तथा नकदी प्रवाह त्रस्त हुए हैं. वर्ष के दौरान कंपनी का प्रचालन निर्बाध रूप चलाने की खातिर इस स्थिति का निर्भयता से सामना किया गया है. खर्च, सोच समझकर किया जा रहा है. इससे वर्ष में हानियां कम रहीं बावजूद इस बात के कि वर्ष के पहले अर्ध भाग में क्रूड की कीमतों में 60USD/bbl से अधिक उछाल हुई और बेंचमार्क GRM (सिंगपूर) नकारात्मक रहा. अब भी उत्पाद क्रैक्स सुस्त हो गए हैं जो क्रूड की कीमतों की उछाल से मेल नहीं खा रहे हैं. इसमें सिर्फ़ धीरे-धीरे उछाल होने की अपेक्षा है जब सभी अस्थाई स्टॉक सहित आपूर्ति स्टॉक में गिरावट आए. बीच की अवधि हमेशा चुनौतीपूर्ण बनी रहेगी. उम्मीद की किरण यह है कि विश्व बाजार में उथल पुथल के बावजूद COVID उपरांत भारत में तेल की मांग अल्पावधि से मध्यावधि तक बनी रहेगी. अपने प्रचालन सुस्थिर बनाने के लिए कंपनी ने कई कदम उठाएं. वित्तीय अनुशासन का पालन किया जा रहा है. सहायक कंपनी ओएमपीएल के साथ अपना समामेलन करने की प्रक्रिया शुरु की गई है. समूह परिष्करण कंपनी के साथ ताल मेल है और अपनी खुदरा विस्तार योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही है. यद्यपि सर्वव्यापी महामारी के कारण वर्तमान वर्ष में निष्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है लेकिन कंपनी का लचीलापन यह दर्शाता है कि उसमें, पूरी दुनिया को अपने आगोश ले चुके इस वर्तमान अल्पावधि संकट का सामना कर उससे बाहर निकलने का रचनात्मक सामर्थ्य है.

15. अग्रदर्शी बयान

भविष्य के बारे में उम्मीदों अथवा प्रक्षेपणों को लेकर दिए गए ऐसे तमाम बयान जो वृद्धि, उत्पाद विकास, बाजार की स्थिति, व्यय और वित्तीय परिणामों के लिए कंपनी की रणनीति तक सीमित न हों, अग्रदर्शी बयान माने जाएंगे. चूंकि ये बयान, भावी घटनाओं को लेकर की गई कुछ परिकल्पनाओं और उम्मीदों पर आधारित हैं इसलिए कंपनी, यह गारंटी नहीं दे सकती कि ये सही हैं या इनको साकार किया जाएगा. कंपनी के वास्तविक परिणामों, निषादन अथवा उपलब्धियों में, अग्रदर्शी बयानों में किए गए प्रक्षेपणों से फर्क हो सकता है. कंपनी की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह, भावी घटनाओं, सूचना अथवा गतिविधियों के आधार पर दिए गए इन बयानों में से किसी में सार्वजनिक रूप से संशोधन, रूपांतरण अथवा परिवर्तन करे. जब तक कानून में अपेक्षा न की गई हो, कंपनी, इन अग्रदर्शी बयानों को अद्यतन बनाने के प्रति अपने दायित्व का दावा नहीं करती है.

कार्पोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट

1. हमारे कार्पोरेट अभिशासन का सिद्धांत

कार्पोरेट अभिशासन में प्रणालियों और पद्धतियों का समावेश होता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी के कामकाज इस तरह से निभाया जा रहा है जिससे व्यापक रूप से तमाम लेन-देनों में जिम्मेवारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता नजर आए. एमआरपीएल, हिस्सेदारों की हितों का संरक्षण और प्रवर्तन करते समय शेयरधारकों के मूल्य बढ़ाने के साथ-साथ नैतिकता और आचरण संहिता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता बरकरार रखता है. कार्पोरेट अभिशासन के बारे में कंपनी का सिद्धांत है, हिस्सेदार का मूल्य बढ़ाने के प्रमुख उद्देश्य से अपने प्रचालन के हर एक आयाम में सर्वाधिक पारदर्शिता, जिम्मेवारी और नैतिकता हासिल करना.

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग संबंधी दायित्व एवं प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 [SEBI (LODR) विनियम, 2015] में कार्पोरेट अभिशासन के क्षेत्र में किए गए परिवर्तन का पालन करती है. सेबी लिस्टिंग विनियम, 2015 के प्रावधानों का पालन करने के अलावा, कंपनी, अपने बोर्ड पर एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की उपलब्धता की बात को छोड़कर बाकी के मामलों में, सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE), भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए कंपनी अभिशासन पर दिशानिर्देशों का भी पालन करती है.एमआरपीएल, एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम (CPSE) होने के नाते, कंपनी के बोर्ड पर निदेशकों की नियुक्ति, प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है. एमआरपीएल के बोर्ड पर अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और एक महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का मामला, प्रशासनिक मंत्रालय, MoP&NG, भारत सरकार (भा.स.) के साथ उठाया गया है.

कंपनी की यह मान्यता है कि कार्पोरेट अभिशासन के सर्वोच्च मानदंड सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय, अच्छी तरह से सुविज्ञ एवं स्वतंत्र बोर्ड की ज़रूरत है. कंपनी का निदेशक मंडल, कार्पोरेट अभिशासन की बेहतरीन पद्धतियां अपनाने में सर्वोपरि है. इस प्रकार से बोर्ड, प्रबंधन के कामकाज पर निगरानी रखता है और अपने हिस्सेदारों के दीर्घावधि हितों की रक्षा करता है.

कंपनी के कार्पोरेट अभिशासन का ढांचा, नीचे उल्लिखित सिद्धांतों पर बनाया गया है:

- शेयरधारकों के अधिकारों का संरक्षण करना और इनका प्रयोग करना सुसाध्य बनाना.
- पारदर्शी प्रणाली और मान्यताओं के प्रति प्रतिबद्धता; जिसमें हिस्सेदारों के अधिकारों को मान्यता दी जाती है और कंपनी एवं हिस्सेदारों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है;
- कंपनी की वित्तीय स्थिति, निष्पादन और अभिशासन सहित सभी महत्वपूर्ण जानकारी, वक़्त पर और ठीक तरह से प्रकट करना;
- ईमानदारी और जिम्मेवारी पर बल देते हुए आंतरिक नियंत्रण की सुदृढ़ प्रणाली के बलबूते पर काम करना;
- तमाम हिस्सेदारों को समस्त महत्वपूर्ण जानकारी वक़्त पर और पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराना;
- लागू कानूनों, दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- अपने हिस्सेदारों और समाज के लोगों के साथ न्याय संगत तरीके से और निष्पक्ष रूप से पेश आना;
- हिस्सेदारों के लिए प्रभावशाली मुखबिर नीतिगत तंत्र बनाना.

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल, कार्पोरेट अभिशासन संबंधी मानदंडों के परिप्रेक्ष्य में पारदर्शी और प्रभावशाली तरीके से अपना काम करता है.

कंपनी में विस्तृत प्रत्यायोजित अधिकारों की पुस्तिका (BDP) और अन्य मैनुअल हैं जैसे प्रबंधन, कार्य पुस्तिका आदि हैं जिनमें प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई हैं और उस स्तर को परिभाषित किया गया है जिस स्तर पर (मंडल/निदेशक समिति/कार्यात्मक निदेशक) फैसला लिया जाता है और वक़्त-वक़्त पर समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि इनको अद्यतन बनाकर संगठन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है. कंपनी के बोर्ड पर 6 समितियां हैं जो विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर बोर्ड को, की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सलाह देती है.

अ 31/03/2020 को अन्य निदेशक पद के साथ निदेशकों की संरचना : 09

कार्यपालक निदेशक : 03

गैर-कार्यपालक निदेशक : 06

अ. 31/03/2021 को निदेशक मंडल

निदेशक का नाम और DIN	श्रेणी	कुशलता/विशेषज्ञता/सक्षमता	अन्य निदेशक पद			बाह्य समितियां	
			सं.	कंपनी का नाम	पदनाम	समिति का नाम	पदनाम
श्री शशि शंकर DIN: 06447938	अध्यक्ष, गैर- कार्यपालक	• ई एण्ड पी की गतिविधियों में 30 वर्ष से अधिक वैविध्यपूर्ण अनुभव के साथ उद्योग के एक दिग्गज हैं. • ये, इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (ISM), धनबाद से पेट्रोलियम इंजीनियर हैं. • इन्होंने वित्त को एक विशेष विषय के साथ एमबीए डिग्री हासिल की है. • इन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ और इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस, हैदराबाद से कार्यपालक शिक्षा प्राप्त की है. • ओएनजीसी में 2012 में निदेशक (टी एंड एफएस) के रूप में नियुक्त होने से पहले, इन्होंने इंस्टिट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, देहरादून, पश्चिम बंगाल परियोजना; असम परियोजना और मुंबई में डीप वाटर ग्रूप सहित विभिन्न कार्य केंद्रों में वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिकाओं के माध्यम से प्रगति की है. • 'सागर समृद्धि' नाम के साए तले ओएनजीसी के डीप/अल्ट्रा वाटर डीप अभियान में अगुवाई करने में इनके निष्पादन की प्रशंसा की गई थी.	7	1. आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				2. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड.	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				3. मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड.	अध्यक्ष और निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				4. ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष व निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				5. ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड	अध्यक्ष व निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				6. ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	अध्यक्ष व निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				7. पेट्रोनेट LNG लिमिटेड	निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं

श्री एम वेंकटेश DIN: 07025342	प्रबंध निदेशक कार्यपालक	• ये एक केमिकल इंजीनियर हैं जिनको तेल और गैस क्षेत्र में तीन दशकों से भी अधिक तजुरबा है. • ये, 1994 से एमआरपीएल से जुड़े हैं और इन्होंने सभी प्रमुख परियोजनाओं को अंजाम दिया.	4	1. ओएनजीसी मंगलूर पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड	निदेशक	नामांकन और पारिश्रमिक	अध्यक्ष
				2. ओएनजीसी मंगलूर पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड	अध्यक्ष	कुछ नहीं	लागू नहीं
				3. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	निदेशक	नामांकन और पारिश्रमिक	अध्यक्ष
				4. मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	निदेशक	नामांकन और पारिश्रमिक	सदस्य
श्री संजय वर्मा DIN: 05155972	निदेशक (रिफाइनरी) कार्यपालक	• इनको पेट्रोलियम परिष्करण, पेट्रोकेमिकल्स और उर्वरक क्षेत्रों में 30 वर्षों का नाना प्रकार का अनुभव है. इन्होंने परियोजना प्रचालन, उपयोगिताओं, सामग्री और HSE में विविध कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव के साथ एमआरपीएल मंगलूरु में 25 वर्ष से अधिक सेवा प्रदान की है. • ये, पिछले दो वर्षों से समूह महा प्रबंधक (प्रभारी रिफ़ाइनरी) के रूप में काम कर रहे हैं. • एमआरपीएल में कदम रखने से पहले इन्होंने प्रतिष्ठित संगठनों में सेवा की जैसे इंडो गल्फ़ फ़र्टिलाइज़र्स, उप्र और रिलाएंस इंडस्ट्रीस लि. (पेट्रोकेमिकल प्रभाग) हजीरा, गुजरात	2	1. ओएनजीसी मंगलूर पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड	निदेशक	लेखा परीक्षा	सदस्य
						नामांकन और पारिश्रमिक	सदस्य
				2. शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	निदेशक	लेखा परीक्षा	सदस्य
						नामांकन और पारिश्रमिक	सदस्य
श्रीमती पोमिला जसपाल DIN 08436633	निदेशक (वित्त) कार्यपालक	• श्रीमती पोमिला जसपाल, एक लागत लेखाकार हैं जो ओएनजीसी समूह के तहत एक अनुसूची 'क' मिनीरत्न कंपनी, एमआरपीएल में, निदेशक (वित्त) के रूप में काम रही है जिनको प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह प्रचालन के प्रचालन एवं विनियामक ढांचे, दोनों में तेल एवं गैस क्षेत्र में 35 वर्षों का अनुभव है. इनको OMPL और PMHBL के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया. • एमआरपीएल में कदम रखने के बाद इन्होंने बाजार एवं भारत बांड ETF से एमआरपीएल का ₹ 3,000 करोड़ का प्रथम NCD निर्गम कार्य संभाला और बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर धनराशि जुटाने में मदद की. इन्होंने ₹ 1,000 करोड़ के OMPL के प्रारंभिक CCD निर्गम पर भी निगरानी रखी.	2	1. ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	निदेशक	लेखा परीक्षा	सदस्य
				2. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं

		• इनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि को बेहद मान्यता मिली है जिसकी बदौलत ये सीधे अपने कार्य क्षेत्र में योगदान दे पाती हैं. ICMAI की अधि सदस्य हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ICMAI से स्वर्गीय श्रीमती धनपति गोयल स्वर्ण पदक हासिल किया है. इन्होंने MCM DAV कॉलेज, चंडीगढ़ से B.Com (हॉनर्स) और पंजाब विश्वविद्यालय से M.Com. डिग्री हासिल की. इन्होंने थोड़े समय तक डिग्री कॉलेज में अध्यापक की हैसियत से काम किया. • इन्होंने ओएनजीसी में 1985 में वित्त और लेखा अधिकारी के रूप में कदम रखा और कार्यपालक निदेशक - मुख्य कार्पोरेट वित्त के प्रतिष्ठित पद तक बढ़त हासिल की. इनको ओएनजीसी में इतने चोटी का पद हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी होने का गौरव प्राप्त है. ये, OPAL के बोर्ड पर भी रहीं. • अपनी प्रारंभिक अवधि के दौरान, ओएनजीसी अकादमी में 3 महीने का आरंभिक प्रशिक्षण पाने के बाद इनको प्रधान कार्यालय, देहरादून में तैनात किया गया जहां इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य संभाले और बाद में JVOG, मुंबई में संयुक्त उद्यम समूह में यही सिलसिला जारी रखा. आगे चलकर इनको, हाइड्रोकार्बन महा निदेशालय (DGH) में उसके रचनात्मक वर्षों में प्रतिनियुक्त किया गया जहां इनको अपने कुशलताएं दिखाने का मौका मिला. इन्होंने उत्पादन साझा करने वाले ठेके (PSC) विकसित करने में मदद की जिसे कई पूर्व-NELP व NELP खंडों में एक आधार दस्तावेज के रूप में अपनाया गया. बाद में इनको MoP&NG के ठेका कक्षा में प्रतिनियुक्त किया गया जहां इन्होंने गैस कीमत निर्धारण के विभिन्न					

		क्षेत्रों में, रंगराजन समिति, गैस उपयोग नीति, रॉयल्टी समिति, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में नीतियां बनाकर उनका सुचारु रूप से कार्यान्वयन करने और सरकार को मिलने वाले रॉयल्टी एवं पेट्रोलियम लाभ पर निगरानी रखने का काम संभाला. • इनको, ओएनजीसी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, ओएनजीसी विदेश में काम करने, परियोजना वित्त के प्रभारी का काम संभालने, लगभग सभी समुद्रपारीय परियोजनाओं (अन्वेषण और विकास) का क्रियान्वयन करने का असीम अनुभव है और इन्होंने OVL का नये अधिग्रहण का कार्य और क्रियान्वयन निर्बाध रूप से करने में सक्रिय भूमिका निभाई. बाद में इन्होंने, असम असेट, ओएनजीसी के वित्त की बागडोर संभाली और यह चुनौतीपूर्ण कार्य 4 वर्ष तक संभाला. • अपने बहुविध व्यक्तित्व की बदौलत ये उन सभी महिला अधिकारियों के लिए आशा की एक किरण है जो सपने बुनती हैं और यह सपने, महज कड़ी मेहनत से और केंद्रित दृष्टिकोण से साकार करना चाहती हैं.					
श्री सुभाष कुमार DIN 07905656	गैर-कार्यपालक नामिती निदेशक	• ये ओएनजीसी में निदेशक (वित्त) हैं. • ICMAI के अधि सदस्य हैं. • ICSI के सह सदस्य हैं. • पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के पूर्व छात्र हैं जहां इन्होंने स्वर्ण पदक के साथ स्नातक पदवी और मास्टर डिग्री हासिल की. • बाद में इन्होंने मानसरोवर एनर्जी कोलंबिया लिमिटेड में, जो ओएनजीसी विदेश और चीन के सिनोपैक का 50:50 संयुक्त उद्यम है, सितंबर 2006 से मार्च 2010 तक मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में काम किया. • ये, व्यावसायिक विकास, वित्त और बजट के प्रमुख रहें और साथ ही अप्रैल 2010 से मार्च 2015 तक ओएनजीसी विदेश में ख़ज़ाना आयोजना और संविभाग प्रबंधन समूह की बागडोर संभाली.	6	1. आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी	हिस्सेदारों की रिश्तेदारी	सदस्य
				2. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	सरकारी नामिती निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				3. ओएनजीसी पेट्रो एडिशन्स लिमिटेड	ओएनजीसी के नामिती निदेशक	लेखा परीक्षा	सदस्य
				4. ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड	ओएनजीसी के नामिती निदेशक	लेखा परीक्षा	सदस्य
				5. मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	ओएनजीसी के नामिती निदेशक	लेखा परीक्षा	सदस्य
				6. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	अध्यक्ष व निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं

		• इन्होंने जुलाई 2016 में वापस ओएनजीसी में मुख्य वाणिज्यिक और खजाने के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालना जहां इन्होंने संगठन के बाकी मुद्दों का मूल्यांकन करने, उनको बातचीत से सुलझाने और उनको अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.					
श्री विनोद एस. शेणै DIN 07632981	गैर-कार्यपालक नामिती निदेशक	• इन्होंने, IIT, मुंबई से केमिकल इंजीनियर में डिग्री हासिल की है. • अपने 30 वर्ष से अधिक करियर में इन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के रिफ़ाइनरी प्रभाग और कार्पोरेट विभाग में विभिन्न पदों पर काम किया एवं इनको पेट्रोलियम उद्योग में व्यापक अनुभव है.	6	1. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	पूर्णकालिक निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				2. HPCL-मित्तल एनर्जी लिमिटेड	निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				3. प्राइज़ पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड	निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				4. रत्नागिरी रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				5. HPCL राजस्थान रिफ़ाइनरी लिमिटेड	निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
				6. HPCL बायो फ्यूएल्स लिमिटेड	निदेशक	कुछ नहीं	लागू नहीं
श्री रोहित माथुर DIN: 08216731	गैर-कार्यपालक नामिती निदेशक	• पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MOP&NG) में संयुक्त सचिव है, थापर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटियाला से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ फाइनांस एण्ड कंट्रोल (MFC) पूरा किया है. • यह कार्य संभालने से पहले ये निदेशक (S, CC & FP), MOP&NG थे जहां रिफाइनरी क्षेत्र, जैव ईंधन, पेट्रोकेमिकल्स, क्रूड तेल आपूर्ति और फ्लैगशिप कार्यक्रम से जुड़े मामले संभाल रहे थे • इन्होंने अन्य मंत्रालयों में भी जैसे कृषि मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), जैव प्रौद्योगिकी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में भी काम किया है					
सुश्री ईशा श्रीवास्तव DIN: 08504560	गैर-कार्यपालक नामिती निदेशक	• ये, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoP&NG) में मार्च 2019 से निदेशक (प्रभारी) हैं. सुश्री श्रीवास्तव ने विदेश मंत्रालय में थिंफू में मिशन के उप मुख्य के रूप में, पेरिस में तृतीय सचिव के रूप में काम किया. • भारत पेट्रो संसाधन लिमिटेड और गेल (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड पर भी थीं.	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं
श्री आर.टी. अगरवाल DIN 01937329	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	• ये पेशे से सनदी लेखाकार हैं जिनको कार्पोरेट वित्त और लेखा कार्यों में 35 वर्ष से अधिक अनुभव है. • ये, 29 जुलाई 2011 से सेवानिवृत्त होने तक भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक ' नवरत्न ' कंपनी, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि (PGCIL) में पूर्ण कालिक निदेशक (वित्त) रहें. • दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी विद्युत प्रसारण कंपनी, PGCIL के कार्यात्मक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण करने से पहले इन्होंने PGCIL में वित्त कामकाज संभाला और साथ ही NTPC में विभिन्न हैसियत से काम किया. वर्ष 2015 में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से 'CFO - विद्युत क्षेत्र पुरस्कार' हासिल किया.	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं

		• PGCIL की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) में सहयोग किया और बाद में वर्ष 2013 में, अनुवर्ती पेशकश (FPO) का निर्वाह किया. PGCIL के अधिक पूंजीगत परिव्यय के कारण विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, (ADB), IFC, KfW, जर्मनी जैसी बहुपक्षीय वित्तपोषक संस्थाओं सहित देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से संसाधन जुटाने का काम किया जिससे वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 17% से अधिक CAGR हासिल किया गया. PGCIL का पहला विदेशी मुद्रा बांड जारी किया और बांड को सिंगपूर शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया. • इन्होंने कंपनी में बेहतरीन अभिशासन पद्धतियां अपनाने की खातिर कंपनी ख़जाना प्रबंधन और आंतरिक लेखा परीक्षा कामकाज सहित वित्त कामकाज में विभिन्न वित्तीय प्रबंधन प्रणालियां और क्रियाविधियां भी लागू कीं. • इन्होंने PGCIL में प्रतिष्ठान व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली भी लागू की. • देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेशकर्ताओं, और विश्लेषकों, दोनों के साथ नियमित रूप से और वक्त-वक्त पर इनकी चर्चा की बदौलत कंपनी में निवेशकर्ताओं का भरोसा बढ़ गया है जिससे PGCIL के स्टॉक , भारतीय विद्युत क्षेत्र में सबसे पसंदीदा स्टॉक हो गए हैं.					

टिप्पणी: सिर्फ़ लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति से संबंधित सदस्यता/अध्यक्ष पद पर विचार किया जाता है.

(i) SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार नए निदेशक की नियुक्ति अथवा निदेशक की पुनर्नियुक्ति के विवरण

नियुक्त अथवा पुन:नियुक्त किए जाने वाले नीचे उल्लिखित निदेशकों का संक्षिप्त सारवृत्त जैसे उनकी अर्हता, विशेषज्ञता, उन कंपनियों के नाम जिनके बोर्ड पर वे अध्यक्ष/निदेशक रहें और बोर्ड की उप-समिति के अध्यक्ष/निदेशक रहें, इन कंपनियों में इनका शेयरधारण और शेयर बाजार से संबंधित SEBI (LODR) नियम, 2015 के विनियम 36(3) का परस्पर अनुसरण करते हुए निदेशक के बीच संबंध, 32वीं वार्षिक महासभा संबंधी नोटिस में दिया गया है.

- श्री विनोद एस शेणै (DIN: 07632981), आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते निदेशक के रूप में अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं.
- श्री सुभाष कुमार (DIN: 07905656), आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते निदेशक के रूप में अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं.
- नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त श्री रोहित माथुर (DIN :08216731), सुश्री ईशा श्रीवास्तव (DIN : 08504560) और श्री ओम प्रकाश सिंह (DIN: 08704968) को आगामी एजीएम में निदेशकों के रूप में पुनर्नियुक्त करने का प्रस्ताव है.

(ii) गत निदेशक

निदेशक	कार्यपालक / गैर-कार्यपालक	श्रेणी के अनुसार	निदेशक पदों की संख्या		बाह्य समितियों की संख्या	
			सार्वजनिक	निजी	सदस्य	अध्यक्ष
श्री विनयकुमार	कार्यपालक	निदेशक (रिफ़ाइनरी)	-	-		
श्री विजय शर्मा	गैर-कार्यपालक	सरकारी नामिती निदेशक	-	-	-	-
श्री सुनील कुमार	गैर-कार्यपालक	सरकारी नामिती निदेशक	2	-	-	-
श्री बलबीर सिंह	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-
डॉ. जी.के. पटेल	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र निदेशक	-	-		
श्री सेवा राम	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-
श्री वी.पी. हरन	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-

(iii) 2020-21 के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन

निदेशक	नियुक्ति तारीख	कब से निदेशक नहीं रहें	कार्यकाल	टिप्पणियां
श्री संजय वर्मा	09-06-2020	लागू नहीं	30.06.2024 तक अर्थात् इनके सेवानिवृत्ति दिनांक तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	निदेशक (रिफ़ाइनरी) के रूप में नियुक्त किया गया
श्री रोहित माथुर	10/12/2020	लागू नहीं	तीन वर्ष तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एमआरपीएल के बोर्ड पर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
सुश्री ईशा श्रीवास्तव	10/12/2020	लागू नहीं	तीन वर्ष तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एमआरपीएल के बोर्ड पर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
श्री एम विनयकुमार	11/07/2019	31/05/2020	31.05.2020 तक अर्थात् सेवानिवृत्ति दिनांक तक	निदेशक (रिफ़ाइनरी) नहीं रहें
श्री विजय शर्मा	08/01/2020	04/08/2020	तीन वर्ष की अवधि तक अर्थात् 04/08/2020 तक	सह टर्मिनस आधार पर निदेशक नहीं रहें
श्री सुनील कुमार	17/10/2019	10/12/2020	तीन वर्ष की अवधि तक अर्थात् 10/12/2020 तक	सह टर्मिनस आधार पर निदेशक नहीं रहें
श्री बलबीर सिंह	08/09/2017	07/09/2020	नियुक्ति तारीख से 3 वर्ष तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	कार्यकाल की समाप्ति
श्री सेवा राम	08/09/2017	07/09/2020	नियुक्ति तारीख से 3 वर्ष तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	कार्यकाल की समाप्ति
श्री वी. पी. हरन	08/09/2017	07/09/2020	नियुक्ति तारीख से 3 वर्ष तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो	कार्यकाल की समाप्ति
डॉ. जी.के. पटेल	08/09/2017	07/09/2020	नियुक्ति तारीख से 3 वर्ष तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो	कार्यकाल की समाप्ति

iv) 31/03/2021 के बाद निदेशक मंडल में परिवर्तन

- श्री शशि शंकर (DIN: 06447938, अध्यक्ष/निदेशक-एमआरपीएल ने 31/03/2021 को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड की सेवाओं से निवृत्त होने के परिणामस्वरूप एमआरपीएल के बोर्ड से 01/04/2021 से इस्तीफ़ा दिया.
- ओएनजीसी से श्री सुभाष कुमार (DIN: 07905656) को 05-04-2021 से एमआरपीएल के बोर्ड पर अध्यक्ष के रूप में नामित किया.
- ओएनजीसी से प्राप्त नामांकन का अनुसरण करते हुए श्री ओम प्रकाश सिंह (DIN: 08704968) को 07-06-2021 से एमआरपीएल के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

v) 31/03/2021 के बाद महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारियों में परिवर्तन

- श्री के बी श्याम कुमार को 17/05/2021 से कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया.
- 02-05-2021 को दुःखद निधन के कारण श्री दिनेश रंजन मिश्रा, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी नहीं रहें.

इ. वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान बोर्ड की बैठकों और 18/09/2020 को संपन्न 32वीं वार्षिक महासभा में निदेशकों की उपस्थिति

(i) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संपन्न बोर्ड की बैठकों के ब्यौरे

वर्ष 2020-21 के दौरान, मंडल की सात (7) बैठकें हुईं.

बैठक की तारीख	बैठक सं.	स्थान
09/06/2020	229	VC/OAVM के माध्यम से
04/08/2020	230	VC/OAVM के माध्यम से
10-08-2020	231	VC/OAVM के माध्यम से
19/10/2020	232	VC/OAVM के माध्यम से
29/10/2020	233	VC/OAVM के माध्यम से
20/01/2021	234	VC/OAVM के माध्यम से
01/02/2021	235	VC/OAVM के माध्यम से

(ii) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति

निदेशक	कितनी बैठकों में भाग लिया	क्या पिछली AGM में भाग लिया
श्री शशि शंकर	6	हां
श्री एम वेंकटेश	7	हां
श्री संजय वर्मा *	7	हां
श्रीमती पोमिला जसपाल	7	हां
श्री सुभाष कुमार	7	हां
श्री विनोद एस. शेणै	7	हां
श्री रोहित माथुर *	2	लागू नहीं
सुश्री ईशा श्रीवास्तव *	2	लागू नहीं
श्री आर. टी. अगरवाल	7	हां

- श्री संजय वर्मा (DIN:05155972) को 09-06-2020 को एमआरपीएल के बोर्ड पर निदेशक (रिफ़ाइनरी) के रूप में नियुक्त किया गया.
- श्री रोहित माथुर (DIN: 08216731) और सुश्री ईशा श्रीवास्तव (DIN: 08504560) को 10/12/2020 को एमआरपीएल के बोर्ड पर गैर-कार्यपालक निदेशक(सरकारी नामिती) के रूप में नियुक्त किया गया.

(iii) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान गत निदेशकों की उपस्थिति

निदेशक	कितनी बैठकों में भाग लिया	क्या पिछली AGM में भाग लिया
श्री विनयकुमार	0	लागू नहीं
श्री विजय शर्मा	0	लागू नहीं
श्री बलबीर सिंह	3	लागू नहीं
श्री वी.पी. हरन	3	लागू नहीं
डॉ. जी.के. पटेल	3	लागू नहीं
श्री सेवा राम	3	लागू नहीं
श्री सुनील कुमार	5	हां

नोट:

1. श्री विनयकुमार 31/05/2020 से एमआरपीएल के बोर्ड पर निदेशक नहीं रहें.
2. श्री विजय शर्मा, 04/08/2020 से एमआरपीएल के बोर्ड पर निदेशक नहीं रहें.
3. श्री बलबीर सिंह, श्री वी.पी. हरन, डॉ. जी. के पटेल और श्री सेवा राम, 07/09/2020 से एमआरपीएल के बोर्ड पर निदेशक नहीं रहें.
4. श्री सुनील कुमार, 10/12/2020 से एमआरपीएल के बोर्ड पर निदेशक नहीं रहें.

ई. निदेशकों के बीच संबंध का प्रकटन

बोर्ड के निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध है.

उ. निदेशक का शेयरधारण:

31/03/2021 को कंपनी में निदेशक का शेयरधारण

निदेशक का नाम	धारित कुल शेयर
श्री संजय वर्मा	50

स्वतंत्र निदेशक

एमआरपीएल, एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम (CPSE) होने के नाते, कंपनी के मंडल पर निदेशकों की नियुक्ति, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात्; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी), भारत सरकार द्वारा की जाती है. इस समय एमआरपीएल के बोर्ड पर एक (1) स्वतंत्र निदेशक हैं.

एमआरपीएल, एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम (CPSE) होने के नाते, कंपनी के मंडल पर निदेशकों की नियुक्ति, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात्; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी) द्वारा की जाती है. कंपनी, एमआरपीएल के बोर्ड पर अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला, प्रशासनिक मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी), भारत सरकार के साथ उठाती रही है.

सभी स्वतंत्र निदेशक, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और SEBI (LODR)विनियम, 2015 के अधीन यथा निर्धारित स्वतंत्रता के बारे में मानदंड पूरा करते हैं. श्री आर टी अगरवाल, 31/03/2021 को एमआरपीएल के बोर्ड पर एकमात्र स्वतंत्र निदेशक रहें. विव 2020-21 के लिए स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन, सेबी परिपत्र दिनांक 05/01/2017 में दिए गए मूल्यांकन संबंधी मापदंडों के अनुसार किया गया है.

सेबी (LODR) का अनुपालन करने की दृष्टि से कंपनी, अपेक्षित संख्या में निदेशकों को नियुक्त करने का मामला MoP&NG के साथ नियमित रूप से उठाती रही है.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने इस्तीफ़ा नहीं दिया.

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अधीन दिए गए प्रावधानों और साथ ही सेबी(लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 25(3) के अनुसार 28/05/2020 को स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक हुई.

3. लेखा परीक्षा समिति

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति ("the Audit Committee") को कंपनी की आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्ट प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस समिति की संरचना, कोरम, अधिकार, भूमिका और व्याप्ति, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 18 के प्रावधानों के अनुसार है. लेखा परीक्षा समिति के सारे सदस्य, वित्तीय दृष्टि से साक्षर हैं और वित्त, कराधान, अर्थशास्त्र, जोखिम और अंतर्राष्ट्रीय वित्त के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं.

क) विचारार्थ विषय:

लेखा परीक्षा समिति, अन्य बातों के साथ-साथ ये कार्य करती है जैसे वार्षिक आंतरिक लेखा परीक्षा योजना के लिए अनुमोदन देना, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा करना, तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों पर चर्चा करना, सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ परस्पर विचार–विमर्श करना. लागत लेखा परीक्षकों/आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक की समीक्षा और सिफ़ारिश करना, कारोबार जोखिम प्रबंधन योजना की समीक्षा करना, विदेशी मुद्रा नीति की समीक्षा करना, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए उल्लेखनीय लेन-देन की समीक्षा करना. बोर्ड ने, लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 18 तथा CPSE के लिए कार्पोरेट अभिशासन के बारे में DPE के दिशानिर्देशों का प्रभावशाली ढंग से पालन करने के प्रयोजन से बनाया है. इस भूमिका का निर्वाह करने के लिए, लेखा परीक्षा समिति को अधिकार है कि वह, अपने विचारार्थ विषय के अंदर किसी भी गतिविधि की तहकीकात करे, कर्मचारियों से जानकारी मांगे और बाहर से कानूनी और पेशेवर सलाह पाए.

ख) 31/03/2021 को लेखा परीक्षा समिति की संरचना

समिति का वित्त 2020-21 के दौरान पुनर्गठन किया गया. वर्ष के दौरान परिवर्तन सहित समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

लेखा परीक्षा समिति के सदस्य	श्रेणी
श्री आर. टी. अगरवाल	**अध्यक्ष**
श्री एम वेंकटेश (08/09/2020 से 19/02/2021 तक)	सदस्य
श्री सुभाष कुमार (08/09/2020 से)	सदस्य
श्री विनोद एस. शेणै (08/09/2020 से)	सदस्य
श्री संजय वर्मा (08-09-2020 से 19/02/2021 तक)	सदस्य
श्री वी.पी. हरन (07/09/2020 तक)	सदस्य
श्री सेवा राम (07/09/2020 तक)	सदस्य
श्री रोहित माथुर (19/02/2021 से)	सदस्य
सुश्री ईशा श्रीवास्तव (19/02/2021 से)	सदस्य

ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संपन्न लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के ब्यौरे

वर्ष 2020-21 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की एक (1) स्थगित बैठक सहित आठ (8) बैठकें हुईं.

बैठक की तारीख	बैठक सं.	कितने सदस्यों ने भाग लिया
06-06-2020	111	3
09/06/2020	112	3
28/07/2020	113	3
29/07/2020 (स्थगित)	113	3
04/08/2020	114	3
19/10/2020	115	5
29/10/2020	116	5
20/01/2021	117	5
01/02/2021	118	5

घ) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संपन्न लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति

लेखा परीक्षा समिति के सदस्य	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री आर. टी. अगरवाल	8
श्री एम वेंकटेश	4
श्री संजय वर्मा	4
श्री सुभाष कुमार	4
श्री विनोद एस. शेणै	4
श्री वी.पी. हरन	4
श्री सेवा राम	4
श्री रोहित माथुर* (19/02/2021 से)	लागू नहीं
सुश्री ईशा श्रीवास्तव* (19/02/2021 से)	लागू नहीं

4. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

एमआरपीएल, ‘ अनुसूची क’ का, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम (CPSE) है. प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) की नियुक्ति, संबंधित नियम, शर्तें और पारिश्रमिक, लोक उद्यमविभाग (DPE), भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं.

SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 19 तथा CPSE के लिए कार्पोरेट अभिशासन के बारे में DPE के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए आपकी कंपनी ने, अप्रैल, 2009 में पारिश्रमिक समिति का गठन किया.

बोर्ड की महत्वपूर्ण अर्हताएं, विशेषज्ञता और गुण

SEBI (LODR) विनियम, 2015 का अनुसरण करते हुए बोर्ड की महत्वपूर्ण अर्हताओं, विशेषज्ञता और गुणों का कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में उल्लेख करना पड़ेगा.

एमआरपीएल के बोर्ड पर निदेशकों का नामांकन, प्रशासनिक मंत्रालय, MOP&NG द्वारा किया जाता है. एमआरपीएल के बोर्ड पर अर्हता प्राप्त सदस्य हैं जिनको अपेक्षित कुशलताएं, सक्षमता और विशेषज्ञता हासिल है जिनके सहारे वे बोर्ड और अपनी समितियों में योगदान दे पाते हैं. बोर्ड के सदस्य, अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए यह सुनिश्चित करते हैं कि एमआरपीएल बोर्ड, कार्पोरेट अभिशासन के मानकों के अनुसार अपना कर्तव्य निभाता है.

नीचे दी गई तालिका में बोर्ड के निदेशकों की महत्वपूर्ण अर्हताओं, कुशलताओं और गुणों का सारांश दिया गया है :

क	वित्तीय	वित्तीय फर्म का नेतृत्व करना अथवा उद्यम के वित्तीय कार्य संभालना जिसके चलते जटिल वित्तीय प्रबंधन, पूंजीगत आबंटन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में दक्षता नज़र आए अथवा प्रधान वित्तीय लेखा अधिकारी, नियंत्रक, लोक-लेखाकार अथवा इसी तरह के कार्य करने वाले व्यक्ति पर सक्रिय रूप से पर्यवेक्षण करने का अनुभव.
ख	लिंग, नैतिक, राष्ट्रीय अथवा अन्य विविधता	लिंग, नैतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व जिससे बोर्ड, ग्राहकों, साझेदारों, कर्मचारियों, सरकारी और दुनिया भर में अन्य हिस्सेदारों की विचारधारा को बेहतर समझ सके.
ग	कानूनी, जोखिम प्रबंधन	कानूनी मुद्दे सुलझाने और जोखिम का विश्लेषण करने और शमन प्रक्रिया में विशेषज्ञता.
घ	कारोबार ज्ञान	उस माहौल का ज्ञान जिसमें कंपनी अपना प्रचालन करती हो, उद्योग की संरचना और भावी दृष्टिकोण का ज्ञान

ङ	नेतृत्व	उल्लेखनीय उद्यम में विस्तारित नेतृत्व का अनुभव जिसके चलते संगठनों, प्रक्रियाओं, योजना और जोखिम प्रबंधन की व्यावहारिक समझ हो. प्रतिभा, उत्तराधिकारी की योजना बनाना और परिवर्तन लाने एवं दीर्घावधि में तरक्की करने की दिशा में खूबियां दर्शाना.
च	प्रौद्योगिकी	प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय भूमिका जिसके परिणामस्वरूप यह ज्ञान हासिल किया गया हो कि प्रौद्योगिकी में भावी प्रवृत्तियों का अनुमान कैसे लगाएं, खोज कैसे करें, नयापन कैसे लाएं और व्यावसायिक मॉडेल कैसे आगे बढ़ाएं अथवा नया मॉडेल कैसे बनाएं.
छ	बोर्ड की सेवा और अभिशासन	सार्वजनिक कंपनी के बोर्ड पर की गई सेवा जिससे कि बोर्ड संभालने के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित की जा सके और जिम्मेवारी का प्रबंधन किया जा सके, शेयरधारकों के हितों का संरक्षण किया जा सके और उचित अभिशासन पद्धतियों का पालन किया जा सके.
ज	बिक्री और मार्केटिंग	बिक्री और बाजार अंश बढ़ाने, ब्रांड के बारे में जागरूकता तथा इक्विटी एवं उद्यम की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए रणनीतियां बनाने में अनुभव.

क) 31/03/2021 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना:

कंपनी ने, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के संदर्भ में नामांकन, पारिश्रमिक और समिति का गठन करने के बारे में SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 19(1)(ग) और कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा की 07/09/2020 तक पूर्ति की है. समिति का विव 2020-21 के दौरान पुनर्गठन किया गया.

वर्ष के दौरान परिवर्तन सहित समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य	श्रेणी
श्री आर टी अगरवाल (08/09/2020 से)	**अध्यक्ष**
श्री सुभाष कुमार (08/09/2020 से)	सदस्य
श्री विनोद एस. शेणै (08/09/2020 से)	सदस्य
श्री सेवा राम (07/09/2020 तक)	सदस्य
श्री वी.पी. हरन (07/09/2020 तक)	सदस्य
श्री बलबीर सिंह (07-09-2020 तक)	सदस्य
श्री रोहित माथुर (19/02/2021 से)	सदस्य
सुश्री ईशा श्रीवास्तव (19/02/2021 से)	सदस्य

ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संपन्न नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों के ब्यौरे

वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की तीन (3) बैठकें हुई.

बैठक की तारीख	बैठक सं.	कितने सदस्यों ने भाग लिया
15/05/2020	19	3
14/08/2020	20	3
29/12/2020	21	3

ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संपन्न नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में उपस्थिति

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री आर टी अगरवाल	1
श्री सुभाष कुमार	1
श्री विनोद एस. शेणै	1
श्री बलबीर सिंह	2
श्री वी.पी. हरन	2
श्री सेवा राम	2
श्री रोहित माथुर* (19/02/2020 से)	लागू नहीं
सुश्री ईशा श्रीवास्तव* (19/02/2020 से)	लागू नहीं

घ) स्वतंत्र निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन संबंधी मापदंड

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (LODR) विनियम, 2015 में बोर्ड के मूल्यांकन से संबंधित स्थूल प्रावधान दिए गए हैं. अर्थात्. इनके निष्पादन का मूल्यांकन (i) समग्र रूप से बोर्ड का, (ii) प्रत्येक निदेशकों का (स्वतंत्र निदेशकों और अध्यक्ष सहित) और (iii) बोर्ड की विभिन्न समितियों का. प्रावधानों में सूचीबद्ध उद्यम के कार्पोरेट अभिशासन के दायित्वों के अंग के तौर पर ऐसा मूल्यांकन करने और प्रकटन संबंधी कुछ अपेक्षाओं के बारे में विभिन्न व्यक्तियों/समितियों की जिम्मेदारियां भी निर्दिष्ट की गई हैं.

सेबी (LODR) और कंपनी अधिनियम में अपेक्षा की जाती है कि बोर्ड, उसकी समितियों और प्रत्येक निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन करने की रीति तथा स्वतंत्र निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन करने संबंधी मापदंड का शेयरधारकों को वार्षिक आधार पर प्रकटीकरण करे.

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

कंपनी, ' अनुसूची - "क" केंद्रीय सरकारी क्षेत्र की उद्यम है इसलिए निदेशकों और महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्तियों को प्रदत्त पारिश्रमिक, लोक उद्यमविभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर होता है. कंपनी की पारिश्रमिक नीति, लोक उद्यमविभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है.

क) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक (बैठक शुल्क) के ब्यौरे:

(₹ लाखों में)

स्वतंत्र निदेशक	बैठक शुल्क
श्री आर.टी. अगरवाल	6.70
श्री वी.पी. हरन (07/09/2020 तक)	3.60
श्री सेवा राम (07/09/2020 तक)	3.60
डॉ. जी. के. पटेल (07/09/2020 तक)	2.10
श्री बलबीर सिंह (07-09-2020 तक)	2.70

ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को किए गए भुगतान के ब्यौरेः

कुछ नहीं

ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (रिफ़ाइनरी) को प्रदत्त पारिश्रमिक के ब्यौरे:

(₹ लाखों में)

विवरण	श्री एम. वेंकटेश	श्री एम. विनय कुमार	श्री संजय वर्मा	श्रीमती पोमिला जसपाल	कुल
	प्रबंध निदेशक	निदेशक (रिफ़ाइनरी) 31.05.2020 तक	निदेशक (रिफ़ाइनरी) 31/05/2020 से	निदेशक वित्त	
वेतन, भत्ते और अनुलाभ	49.65	66.81	41.80	46.19	**204.45**
भ.नि. व अन्य निधियों में अंशदान	7.84	1.27	6.14	7.64	**22.89**
कुल	**57.49**	**68.08**	**47.94**	**53.83**	**227.34**

घ) सेवा संबंधी ठेके की शर्तें:

	विवरण	प्रबंध निदेशक	निदेशक (रिफ़ाइनरी)	निदेशक (वित्त)
अ.	कार्यकाल	नियुक्ति तारीख से 5 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तारीख तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	कार्यग्रहण तारीख अर्थात्; 09/06/2020 से अथवा सेवानिवृत्ति तारीख अर्थात्; 30/06/2024 तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	कार्यग्रहण तारीख अर्थात्; 15/10/2019 से अथवा सेवानिवृत्ति तारीख अर्थात्; 31/01/2024 तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.
आ.	नोटिस अवधि	तीन महीने की नोटिस अथवा उसके बदले में तीन महीने के वेतन का भुगतान.	तीन महीने की नोटिस अथवा उसके बदले में तीन महीने के वेतन का भुगतान.	तीन महीने की नोटिस अथवा उसके बदले में तीन महीने के वेतन का भुगतान.
इ.	पृथक्करण शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ई.	स्टॉक विकल्प के ब्यौरे (अगर कोई हो तो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
उ.	क्या बट्टे पर दिया गया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ऊ.	कितनी अवधि में उपचित हुआ और उसे लागू किया जा सकेगा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

घ) स्वतंत्र निदेशकों के लाभार्थ परिचय कार्यक्रम

स्वतंत्र निदेशकों के लाभार्थ चलाए गए परिचय कार्यक्रम के ब्यौरे कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in में दिए गए हैं.

6. हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति

क) हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति को अधिदेश दिया गया है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों की शिकायतों की समीक्षा कर उनका निवारण करे. सेबी(लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2018 का अनुसरण करते हुए समिति के विचारार्थ विषयों में संशोधन किया गया है.

ख) विचारार्थ विषय:

- हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति, कंपनी के सुरक्षा धारकों की शिकायतों पर विचार कर उनका निवारण करेगी.
- शेयरों के अंतरण/प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, घोषित लाभांश न मिलने, नया/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने, सामान्य बैठकों आदि से संबंधित शिकायतों सहित सूचीबद्ध उद्यम के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का निवारण करना.
- हिस्सेदारों द्वारा मताधिकार का प्रभावशाली प्रयोग करने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना.
- रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जाती रहीं विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध उद्यम द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना.
- अदावी लाभांश की मात्रा घटाने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंटों/वार्षिक रिपोर्टों/सांविधिक सूचनाओं की वक्त पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध उद्यम द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहल की समीक्षा करना.

ग) 31/03/2021 को हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति की संरचना:

विव 2020-21 के दौरान समिति का पुनर्गठन किया गया. वर्ष के दौरान परिवर्तन सहित समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति के सदस्य	श्रेणी
श्री आर. टी. अगरवाल	**अध्यक्ष**
श्रीमती पोमिला जसपाल	सदस्य
श्री संजय वर्मा (08-09-2020 से 19/02/2021 तक)	सदस्य
श्री बलबीर सिंह (07-09-2020 तक)	सदस्य
डॉ. जी. के. पटेल (07/09/2020 तक)	सदस्य
श्री रोहित माथुर (19/02/2021 से)	सदस्य

घ) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संपन्न हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति की बैठकों के ब्यौरे:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति की चार(4) बैठकें हुईं.

बैठक की तारीख	बैठक सं.	कितने सदस्यों ने भाग लिया
06-06-2020	67	3
28/07/2020	68	3
29/10/2020	69	3
01/02/2021	70	3

ङ) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संपन्न हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति की बैठकों में उपस्थिति:

हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति के सदस्य	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री आर टी अगरवाल (08/09/2020 से)	2
श्री संजय वर्मा (08/09/2020 से)	2
श्रीमती पोमिला जसपाल	4
श्री बलबीर सिंह (07-09-2020 तक)	2
डॉ. जी.के. पटेल (07/09/2020 तक)	2
श्री रोहित माथुर* (19/02/2021 से)	लागू नहीं

च) अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम:

श्री के बी श्याम कुमार

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

छ) 2020-21 के दौरान प्राप्त और जवाब दी गईं निवेशकर्ता शिकायतें और उनकी संदर्भ संख्याएं:

क्रम सं	पत्राचार का स्वरूप	31/03/2021 को समाप्त वर्ष
1.	लाभांश वारंटों का पुनर्वैधीकरण	919
2.	डीमैट - रीमैट मामले - पत्र	63
3.	अंतरण रोको - डुप्लिकेट / हटाने से संबंधित क्रियाविधि	305
4.	नाम हटाना/प्रेषण/स्थानांतरण/नाम बदलना/डुप्लिकेट जारी करना - शेयर प्रमाणपत्र	539
5.	समेकन/स्थिति में परिवर्तन प्रमाणपत्र	47
6.	हस्ताक्षर में परिवर्तन संबंधी पत्र	100
7.	पते/बैंक के ब्यौरे/बैंक अधिदेश में सुधार/पंजीकरण/परिवर्तन करना	695
8.	NACH पत्रों का पंजीकरण/कैंसलेशन	329
9.	नामांकन पत्र	25
10.	ROC/ SEBI/ NSE/ BSE/ NSDL/ CDSL जैसे सांविधिक/विनियामक निकायों के जरिए संदर्भ	28
11.	अन्य	786
	कुल	**3836**

ज) शेयरधारकों के संतोषपर्यंत न सुलझाए गए शिकायतों की संख्या:

कुछ नहीं

झ) लंबित शिकायतों की संख्या

कुछ नहीं

शेयर अंतरण समिति (STC)

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का अनुसरण करते हुए, निदेशक समिति (शेयर अंतरण समिति) का गठन, शेयरों का अंतरण, शेयरों का प्रेषण और डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी अनुमोदन देने के लिए किया गया है.

(ii) शेयर अंतरण समिति में, प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (रिफ़ाइनरी) हैं, जो शेयरों का अंतरण, शेयरों का प्रेषण और डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी अनुमोदन देते हैं और उससे प्रासंगिक मामले संभालते हैं. समिति का कोरम बनने के लिए कोई दो निदेशक होने चाहिए. लेकिन, वर्ष के किसी भाग के दौरान, निदेशक (रिफ़ाइनरी) और निदेशक (वित्त) की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक, बोर्ड के अनुमोदन से समिति के कोरम रहे.

(iii) कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 6(2)(क) का अनुसरण करते हुए, खो दिए गए अथवा नष्ट हुए शेयर प्रमाणपत्रों के बदले डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र, शेयर अंतरण समिति का अनुमोदन लेकर दिए जाते हैं क्योंकि बोर्ड ने, MCA सामान्य परिपत्र सं. 19/2014 दिनांक 12 जून, 2014 का अनुसरण करते हुए STC को डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार दिया है.

(iv) SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 40 का अनुसरण करते हुए, शेयरों में लेन-देनों के तिमाही ब्यौरे, बोर्ड के समक्ष रखे गए.

7. जोखिम प्रबंधन नीति

RMC, मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की उद्यम व्यापक जोखिम प्रबंध नीति के अनुसार जोखिम अवलोकन दस्तावेज की समीक्षा कर उस पर नज़र रखेगी और उसे लेखा परीक्षा समिति के समक्ष पेश करेगी.

कंपनी जोखिम प्रबंधन नीति चलाने के लिए RMC, जोखिम प्रबंधकों और जोखिम समन्वयकों की नियुक्ति करेगी. SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 21 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) (vii) का अनुसरण करते हुए लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय में कंपनी की जोखिम प्रबंध प्रणाली का मूल्यांकन शामिल है.

क) 31/03/2021 को जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना

जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य	श्रेणी
श्री एम. वेंकटेश	**अध्यक्ष**
श्रीमती पोमिला जसपाल	सदस्य
श्री संजय वर्मा	सदस्य
श्री योगीश नायक (17/07/2020 से)	सदस्य
श्री एम. विनयकुमार (31/05/2020 तक)	सदस्य

ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संपन्न जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों के ब्यौरे

वर्ष 2020-21 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की चार (4) बैठकें हुईं.

बैठक की तारीख	बैठक सं.	कितने सदस्यों ने भाग लिया
06/05/2020	22	5
17/07/2020	23	4
14/10/2020	24	4
21/01/2021	25	4

ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संपन्न जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में उपस्थिति.

जोखिम प्रबंधन नीति के सदस्य	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री एम. वेंकटेश	4
श्रीमती पोमिला जसपाल	4
श्री संजय वर्मा	4
श्री योगीश नायक	4
श्री एम. विनयकुमार	1

9. परियोजना मूल्यांकन समीक्षा समिति और प्रचालन समीक्षा समिति

स्वास्थ्य, संरक्षा और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों से निपटने और सांविधिक विनियामक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से परियोजना मूल्यांकन समीक्षा और प्रचालन समिति का गठन किया गया है जिससे कि उचित प्रणालियां बनाई जा सकें, उन पर निगरानी रखी जा के और उनकी समीक्षा की जा सके.

क) विव 2020-21 के दौरान PAR और OR समिति की संरचना निम्नानुसार है:

PAR और OR समिति के सदस्य	श्रेणी
श्री रोहित माथुर (19/02/2021 से)	अध्यक्ष
श्री आर.टी. अगरवाल (08/09/2020 से 19/02/2021 तक)	अध्यक्ष
श्री सुभाष कुमार	सदस्य
श्री विनोद एस. शेणै	सदस्य
श्री विजय शर्मा (04/08/2020 तक)	सदस्य
श्री सेवा राम (07/09/2020 तक)	सदस्य
श्री वी. पी. हरन (07/09/2020 तक)	सदस्य

ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संपन्न PAR और OR समिति की बैठकों के ब्यौरे

वर्ष 2020-21 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की तीन (3) बैठकें हुईं.

बैठक की तारीख	बैठक सं.	कितने सदस्यों ने भाग लिया
09/06/2020	46	5
03/09/2020	47	5
13/01/2021	48	2

ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संपन्न PAR और OR समिति की बैठकों में उपस्थिति

PAR और OR समिति के सदस्य	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री आर.टी. अगरवाल (08/09/2020 से 19/02/2021 तक)	2
श्री विनोद एस. शेणै	3
श्री सुभाष कुमार	3
श्री वी.पी. हरन (07/09/2020 तक)	2
श्री सेवा राम (07/09/2020 तक)	2
श्री विजय शर्मा (04/08/2020 तक)	0
श्री रोहित माथुर* (19/02/2021 से)	लागू नहीं

10. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास संबंधी समिति

एमआरपीएल, एक ' अनुसूची-A ' मिनीरत्न श्रेणी-1 का, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम (CPSE) है. आरंभ से ही एमआरपीएल, " संरक्षण " के नाम के साए तले कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी गतिविधियां चलाता आ रहा है. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के साथ-साथ कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी नीति) नियम, 2014 तथा लोक उद्यमविभाग (डीपीई) द्वारा सीपीएसई के लिए सीएसआर और संधारणीय विकास (एसडी) के बारे में दिशानिर्देश निर्मोचित करने के बाद, एमआरपीएल, एक सुव्यवस्थित सीएसआर कार्यक्रम के जरिए संधारणीय एवं न्यायोचित विकास सुनिश्चित करने के लिए अपने आपको पुन:समर्पित कर रहा है.

क) कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास संबंधी समिति (CSR और SD) की संरचना

2020-21 के दौरान परिवर्तन सहित समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

(CSR और SD) समिति के सदस्य	श्रेणी
सुश्री ईशा श्रीवास्तव (19/02/2021 से)	**अध्यक्ष**
श्री आर टी अगरवाल (08/09/2020 से 19/02/2021 तक अध्यक्ष)	सदस्य
श्री एम. वेंकटेश	सदस्य
श्रीमती पोमिला जसपाल (08/09/2020 से)	सदस्य
श्री बलबीर सिंह (07/09/2020 तक)	सदस्य
डॉ. जी.के. पटेल (07/09/2020 तक)	सदस्य
श्री संजय वर्मा (19/02/2021 से)	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संपन्न कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की बैठकों के ब्यौरे

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की एक (1) बैठक हुई.

बैठक की तारीख	बैठक सं.	कितने सदस्यों ने भाग लिया
28/07/2020	20	3

ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संपन्न कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की बैठकों में उपस्थिति

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के सदस्य	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री आर टी अगरवाल	0
श्री एम वेंकटेश	1
श्रीमती पोमिला जसपाल	0
श्री बलबीर सिंह	1
डॉ. जी.के. पटेल	1
श्री संजय वर्मा* (19/02/2021 से)	लागू नहीं
सुश्री ईशा श्रीवास्तव* (19/02/2021 से)	लागू नहीं

11. वार्षिक महासभा के ब्यौरे

क) पिछली तीन AGM कब और कहां हुईं

वर्ष	AGM	स्थान का नाम	दिनांक	समय
2020	32वीं	वीडियो कान्फरेंसिंग (VC) अथवा अन्य श्रवण-दृश्य माध्यमों ("OAVM") के जरिए. इसलिए सदस्यों ने AGM में VC/OAVM के जरिए भाग लिया.	18/09/2020	अपराह्न 4.00 बजे
2019	31वीं	**एमआरपीएल कर्मचारी मनोरंजन केंद्र**, मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030	03/08/2019	अपराह्न 4.00 बजे
2018	30वीं	**एमआरपीएल कर्मचारी क्लब**, मुडपाडव कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030	11/08/2018	अपराह्न 4.00 बजे

ख) क्या पिछली 3 AGM में कोई विशिष्ट संकल्प पारित किया गया?

जी हां.

AGM	विशेष संकल्प
32वीं AGM	गैर जमानती अपरिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) के निर्गमन के जरिए ₹ 5,000 करोड़ तक धनराशि जुटाने की दृष्टि से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 का अनुसरण करते हुए एक विशेष संकल्प पारित किया गया
31वीं AGM	NCD/ बांडों के जरिए ₹ 3,000 करोड़ तक धनराशि जुटाने की दृष्टि से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 का अनुसरण करते हुए एक विशेष संकल्प पारित किया गया.
30वीं AGM	कोई नहीं

ग) क्या पिछले वर्ष, डाक मतपत्रों के जरिए कोई विशिष्ट संकल्प पारित किया गया:

पिछली AGM में डाक मतपत्रों के जरिए कोई विशिष्ट संकल्प पारित नहीं किया गया.

घ) किन-किन व्यक्तियों ने डाक मतपत्रों की प्रक्रिया पूरी की:

लागू नहीं

ङ) क्या डाक मतपत्रों के जरिए कोई विशिष्ट संकल्प पेश करने का प्रस्ताव है?

नहीं

च) डाक मतपत्रों के लिए क्रियाविधि:

लागू नहीं

12. प्रकटन और पारदर्शिता:

कंपनी ने SEBI (LODR) लिस्टिंग विनियम के विनियम 46(2) के विनियम 17 से 27 और खंड (क) से (झ) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति की है.

विनियम 46 में उल्लिखित प्रकटन के बारे में जानकारी कार्पोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दी गई है.

कंपनी, यह सुनिश्चित करती है कि उन सभी मामलों पर, जिनको सार्वजनिक करना पड़ेगा, जानकारी, वक्त पर और संपूर्ण रूप से प्रकट की जाती है. कंपनी के वेबसाइट में और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में, कामकाज, वित्तीय स्थिति, स्वामित्व और एमआरपीएल के अभिशासन के हर एक पहलू के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है.

कंपनी के तमाम प्रकटन, लेखा पद्धति, वित्तीय और वित्तियेतर मामलों के बार में संबद्ध विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूपों के अनुसार किए जाते हैं.

एमआरपीएल, ऐसी जानकारी, प्रेस विज्ञप्ति के जरिए, अपने वेबसाइट पर, शेयर बाजारों आदि को प्रकट करता है. सभी उपयोगकर्ताओं को इन तमाम माध्यमों तक निर्बाध रूप से पहुंच है.

कंपनी, सभी बैठकों (बोर्ड/समितियों/सामान्य बैठकों आदि) की कार्रवाई के रेकॉर्ड रखती है.

कंपनी, लेखा मानकों का अक्षरशः पालन करती है. वार्षिक लेखा परीक्षा, C&AG द्वारा संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षा के जरिए कराई जाती है. आगे, एमआरपीएल की C&AG द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा की जाती है. आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है, इसके अलावा भारत सरकार और संसदीय समितियों द्वारा वक्त-वक्त पर निगरानी रखी जाती है.

बोर्ड के सदस्य और महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी, कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले उन लेन-देनों अथवा मामलों के बारे में, चाहे उनमें उनका प्रत्यक्ष, परोक्ष रूप से अथवा तीसरे पक्षकार की तरफ से कोई महत्वपूर्ण हित हो या न हो, बोर्ड को जानकारी प्रकट करते हैं.

निदेशक मंडल और एमआरपीएल के शीर्ष प्रबंधन का यह प्रयास होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि हिस्सेदारों को सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में जानकारी होती है और संबंधित जानकारी की गोपनीयता बनाई रखी जाती है.

(i) वस्तुत: महत्वपूर्ण संबद्ध पक्षकार के लेन-देन:

1.0 संबद्ध पक्षकारों के लेन-देन, समय-समय पर सेबी और MCA द्वारा जारी परिपत्रों और अधिसूचनाओं के साथ-साथ SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 23 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं.

2.0 कंपनी ने संबद्ध पक्षकारों के लेन-देन संबंधी नीति और कार्यविधियाँ अपनाई है और इसे, कंपनी के वेबसाइट अर्थात्; www.mrpl.co.in पर प्रदर्शित किया गया है. www.mrpl.co.in.

(ii) 31/03/2021 को प्रबंधन के महत्वपूर्ण कर्मचारी:

नाम	पदनाम
श्री एम. वेंकटेश	प्रबंध निदेशक और CEO
श्रीमती पोमिला जसपाल	निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक
श्री संजय वर्मा	निदेशक (तकनीकी) और पूर्णकालिक निदेशक
श्री दिनेश रंजन मिश्रा	कंपनी सचिव

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारियों को प्रदत्त पारिश्रमिक को छोड़कर उनके साथ कोई लेन-देन नहीं किया गया. महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक, इस रिपोर्ट में अलग रूप से प्रकट किया गया है.

(iii) ऐसे उद्यम जिन पर काफ़ी दबाव डाला जाता है:

नाम	संबंध	लेन-देन का स्वरूप
ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड लिमिटेड [OMPL]	सहायक कंपनी	विव 2019-20 के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 11 [OMPL] में दिए गए ब्यौरे.
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल एण्ड सर्विसेस लिमिटेड [SMAFSL]	संयुक्त उद्यम	

(iv) पिछले 3 वर्षों के दौरान पूंजी बाजार के साथ, कंपनी द्वारा गैर अनुपालन, किसी शेयर बाजार अथवा SEBI अथवा किसी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए जुर्माने, किए गए अवक्षेप के ब्यौरे:

शेयर अंतरण परिचालन के साधारण क्रम के दौरान शेयरों के स्वत्व को लेकर विवाद से संबंधित कतिपय कानूनी मामलों में कंपनी को अभियोजित किया गया है. लेकिन इनमें से कोई भी मामला महत्वपूर्ण नहीं है जिससे कंपनी को कोई नुकसान हो या खर्च उठाना पड़े. कंपनी के बोर्ड पर अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध न होने और फलस्वरूप लेखा परीक्षा समिति एवं नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन को लेकर जुर्माना / दंड लगाए जाने बारे में कंपनी को नोटिस मिलती रही हैं. कंपनी ने शेयर बाजारों से दरख्वास्त की है कि वे, इस बात के मद्देनज़र कि सरकारी क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते एमआरपीएल के निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात्;MoP&NG द्वारा की जाती है, अर्थ दंड/जुर्माना न लगाएं. BSE लिमिटेड ने अर्थ दंड नहीं लगाया है जब कि NSE से अभी प्रतिक्रिया नहीं मिली है.

(v) कंपनी ने अपने कर्मचारियों और निदेशकों के लिए मुखबिर नीति अपनाई है. कंपनी ने किसी भी कर्मचारी और निदेशक को सक्षम प्राधिकारी से मिलने से मना नहीं किया है और मुखबिर को प्रतिकूल कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया है. यह नीति, कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in. पर उपलब्ध है.

(vi) कंपनी ने SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 16 (1) (ग) के अनुसार मटीरियल सब्सिडीयरीस के बारे में नीति बनाई है जो कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in. पर उपलब्ध है.

(vii) गैर-आज्ञापक अपेक्षाएं

क) कंपनी, अपने खर्चें पर अध्यक्ष का कार्यालय चलाती है.

ख) एमआरपीएल, एक 'अनुसूची-क' मिनीरत्न, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम है. प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) की नियुक्ति, संबंधित नियम, शर्तें और पारिश्रमिक, लोक उद्यमविभाग (DPE), भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं.

ग) चूंकि कंपनी के तिमाही / अर्ध वार्षिक वित्तीय परिणाम, कंपनी के वेबसाइट पर प्रकट कर समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं इसलिए, अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट, प्रत्येक शेयरधारक के निवास पर नहीं भेजी जाती है.

घ) कंपनी के शेयरधारकों की खातिर, वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई विशेषक नहीं हैं.

ङ) कंपनी के बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षित कराने से संबंधित नीति बनाई गई है जिसे कंपनी के वेबसाइट अर्थात्; www.mrpl.co.in में प्रदर्शित किया गया है. निदेशकों को, उपयुक्तता और सुविधा के आधार पर विभिन्न सेमिनारों, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और अभिविन्यास कार्यक्रमों में प्रायोजित किया जाता है.

च) कंपनी ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 16/02/2015 की अधिसूचना के जरिए अधिसूचित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 का अनुसरण करते हुए Ind AS को अपनाया है.

(viii) बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के लिए आचरण संहिता

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए यह आचरण संहिता, एक व्यापक संहिता है जो कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों अर्थात्; कंपनी के और बोर्ड से एक स्तर नीचे काम करने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों को लागू होगी. आचरण संहिता, कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in. पर उपलब्ध है.

प्रबंध निदेशक ने घोषणा की है कि बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के तमाम सदस्यों ने यह अभिपुष्टि की है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आचरण संहिता का पालन किया है.

(ix) मंगलूर रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड(MRPL) की प्रतिभूतियों का लेन-देन करने में भेदिया व्यापार की रोकथाम करने की आंतरिक कार्यविधि और आचरण संहिता

1.0 सेबी (भेदिया व्यापार) (संशोधन) विनियम, 2002 का अनुसरण करते हुए कंपनी के मामले में '' भेदिया व्यापार की रोकथाम के लिए आचरण संहिता '' के लिए 22 जून, 2002 को संपन्न बोर्ड की 89वीं बैठक में अनुमोदन दिया गया. सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) (संशोधन) विनियम, 2008 के परिप्रेक्ष्य में 03 अगस्त, 2019 को संपन्न 226वीं बैठक में बोर्ड ने इसमें संशोधन किया.

2.0 SEBI ने SEBI (भेदिया व्यापार) विनियम, 1992 का निरसन करते हुए 15 जनवरी, 2015 को सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया जो 15/05/2015 से समस्त सूचीबद्ध कंपनियों को लागू हुआ. तदनुसार, कंपनी ने " एमआरपीएल की प्रतिभूतियों का व्यापार करते समय, भेदिया व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए आंतरिक कार्यविधियों और आचरण से संबंधित संहिता ", 22 मई, 2015 को संपन्न अपनी 197वीं बैठक में यथा संशोधित के रूप में अपनाई.

3.0 आगे SEBI ने अपने दिनांक 16 सितंबर, 2015 के परिपत्र के जरिए, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना (UPSI) अपने पास रखते हुए ESOP का प्रयोग करने, संविदागत व्यापार का क्रियान्वयन करने और जमानत लागू करने के लिए गिरवी का निर्माण अथवा गिरवी लागू करने के बारे में सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 2015 के विनियम 7 के तहत प्रकट करने के लिए बनाए गए प्रारूपों में संशोधन किया है. तदनुसार, बोर्ड ने संशोधित " एमआरपीएल की प्रतिभूतियों में लेन-देन करते समय भेदिया व्यापार को प्रतिबंधित करने संबंधी आंतरिक कार्यविधि और आचरण संहिता " 29 अक्तूबर, 2015 को संपन्न अपनी 200वीं बैठक में अनुमोदन दिया जिसे कंपनी के वेबसाइट अर्थात्; www.mrpl.co.in. पर प्रदर्शित किया गया है.

4.0 SEBI ने अपनी अधिसूचना दिनांक 31/12/2018 के जरिए SEBI भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 2015 में संशोधन किया. तदनुसार, बोर्ड ने एमआरपीएल की प्रतिभूतियों का व्यापार करते समय, भेदिया व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए आंतरिक कार्यविधियों और आचरण से संबंधित संहिता, 03 अगस्त, 2019 को संपन्न अपनी 226वीं बैठक में यथा संशोधित के रूप में अपनाई, जिसे कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in. पर प्रदर्शित किया गया है.

(x) CEO और CFO प्रमाणीकरण

वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरणों की यथातथ्यता, आंतरिक नियंत्रण उपायों की पर्याप्तता और लेखा परीक्षा समिति को मामले की रिपोर्ट भेजने की पुष्टि करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ सेबी (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अनुसार CEO और CFO का प्रमाणपत्र भी संलग्न किया गया है.

(xi) वार्षिक कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट(ABRR)

सेबी (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 34 (2) (च) का अनुसरण करते हुए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ABRR बनाई गई है जो वार्षिक रिपोर्ट का ही एक अंग है.

(xii) शेयरों का अमूर्तीकरण और चल निधि

कंपनी के 98.86% इक्विटी शेयरों का यथा 31/03/2021, अमूर्तीकरण (NSDL – 43.81% और CDSL-55.05%)किया गया है. कंपनी ने राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (NSDL) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) के साथ करारनामे पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत शेयरधारकों को दोनों निक्षेपागारों में से किसी में भी अपने शेयरों का अमूर्तीकरण कराने का और इलेक्ट्रॉनिक मतदान करने का विकल्प होगा.

(xiii) शेयर पूंजी संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समाधान

जैसे कि सेबी ने निर्दिष्ट किया है, एक अर्हता प्राप्त पेशेवर कंपनी सचिव, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (NSDL) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) के पास कुल स्वीकृत पूंजी और कुल निर्गमित एवं सूचीबद्ध पूंजी

का समाधान करने के लिए साचिविक लेखा परीक्षा करता है. यह लेखा परीक्षा, हर तिमाही में की जाती है और उस पर रिपोर्ट, उस शेयर बाजार को पेश की जाती है जिसमें कंपनी के शेयर सूचीबद्ध किए गए हों. लेखा परीक्षा में यह पुष्टि की जाती है कि कुल सूचीबद्ध और प्रदत्त पूंजी, अमूर्त रूप में (NSDL और CDSL के पास) रखे गए शेयरों की कुल संख्या और मूर्त रूप में रखे गए शेयरों की कुल संख्या के सकल योग के अनुरूप है.

(xiv) नामांकन

अकेले अथवा संयुक्त रूप से मूर्त रूप में शेयर रखने वाले अलग-अलग शेयरधारक, किसी ऐसे व्यक्ति को नामित कर सकते हैं जिसके नाम, पंजीकृत शेयरधारक(कों) की मृत्यु होने पर शेयरों का हस्तांतरण किया जा सकेगा. इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में भी नामांकन सुविधा, NSDL और CDSL को लागू उप-विधि और व्यावसायिक नियमों के अनुसार निक्षेपागार सहभागियों के पास उपलब्ध है. नामांकन फ़ार्म, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट से प्राप्त किया जा सकता है.

(xv) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेजों का रख-रखाव

हरित पहल के अंग के तौर पर, ई-मेल से नोटिस/दस्तावेज पाने के इच्छुक सदस्य, अपना ई-मेल का पता, कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लिमिटेड को उनके समर्पित ई-मेल ID पर अर्थात्; mrplirc@linkintime.co.in पर सूचित कर सकते हैं.

(xvi) सहयोगी कंपनी का अभिशासन

इस रिपोर्ट की तारीख को कंपनी कोई ऐसी मटीरियल सब्सिडियरी नहीं है जिसकी निवल मूल्यवत्ता, समेकित निवल मूल्यवत्ता के 10% से अथवा आपकी कंपनी की समेकित आय के 10% की आय से अधिक हो. कंपनी की सहयोगी कंपनी, OMPL की बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त के साथ-साथ उल्लेखनीय लेन-देन के ब्यौरे, तिमाही आधार पर लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड के समक्ष पेश किए जाते हैं. सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड के समक्ष तिमाही आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं.

(xvii) कार्पोरेट अभिशासन के बारे में DPE के दिशानिर्देश

लोक उद्यमविभाग ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कार्पोरेट अभिशासन के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं जो अब आज्ञापक स्वरूप के हो गए हैं.

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च, 2021 तक राष्ट्रपति के कोई निदेश जारी नहीं किए गए. एमआरपीएल, इन दिशानिर्देशों का जहां तक हो सके अनुपालन कर रहा है.

(xviii) साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 24(क), DPE के दिशानिर्देशों और पूंजी बाजार से संबंधित दूसरे सभी संबंधित नियमों और विनियमों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त की गई है जो बोर्ड की रिपोर्ट का ही एक अंश है.

(xix) साचिविक अनुपालन रिपोर्ट

SEBI परिपत्र सं. CIR/CFO/CMD1/27/2019 दिनांक 08/02/2019 का अनुसरण करते हुए आरएमजी एण्ड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, नई दिल्ली से साचिविक अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है.

13. संचार माध्यम

i	तिमाही परिणाम	:	कंपनी के तिमाही परिणाम, बिसनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित किए जाते हैं - सभी संस्करण- (अंग्रेजी), बिसनेस स्टैंडर्ड - दिल्ली संस्करण, (हिन्दी) और होस दिगंता-मंगलूरु संस्करण (कन्नड़) समाचार पत्र और साथ ही कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in पर भी प्रकाशित किए गए हैं.
i	समाचार प्रकाशन, प्रस्तुतीकरण आदि	:	आधिकारिक समाचार प्रकाशन और आधिकारिक मीडिया प्रकाशन, कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
iii	संस्थागत निवेशकर्ताओं/ विश्लेषकों के सामने प्रस्तुतीकरण	:	हां
iv	वेबसाइट	:	कंपनी के वेबसाइट www. mrpl.co.in में एक अलग समर्पित खंड है जिसका नाम है ''Stakeholders'', जिसमें शेयरधारकों की जानकारी उपलब्ध है. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट भी वेबसाइट पर उपलब्ध है.
v	वार्षिक रिपोर्ट	:	लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट सहित वार्षिक रिपोर्ट, शेयरधारकों को भेजी जाती है. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (MDA) संबंधी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट का ही एक अंग है जिसे कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in पर भी प्रदर्शित किया जाता है.
vi	अध्यक्ष की विज्ञप्ति	:	अध्यक्ष का भाषण, कंपनी के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है और शेयर बाजारों के पास भेजा जाता है.
vii	निवेशकर्ताओं को अनुस्मारक भेजना	:	अदावी मूर्त शेयर प्रमाणपत्रों के बारे में शेयरधारकों को अनुस्मारक भेजे जाते हैं. ई-मेल के जरिए संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से शेयरधारकों को अपना ई-मेल अद्यतन बनाने के लिए कई अनुस्मारक भेजे गए.
viii	BSE इलेक्ट्रॉनिक प्लैटफार्म	:	BSE लिस्टिंग केंद्र, सभी सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों के लिए एक्सचेंज के पास अपने विभिन्न अनुपालन / प्रस्तुतीकरण दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है. 'Listing Centre' एक ऐसा एकमात्र साधन है जिसके सहारे अनुपालन/प्रस्तुतीकरण फाइल किया जा सकता है और गत फाइलिंग का पता लगाया जा सकता है.
ix	BSE इलेक्ट्रॉनिक प्लैटफार्म	:	BSE लिस्टिंग केंद्र, सभी सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों के लिए एक्सचेंज के पास अपने विभिन्न अनुपालन / प्रस्तुतीकरण दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है. 'Listing Centre' एक ऐसा एकमात्र साधन है जिसके सहारे अनुपालन/प्रस्तुतीकरण फाइल किया जा सकता है और गत फाइलिंग का पता लगाया जा सकता है.
x	NSE इलेक्ट्रॉनिक आवेदन पत्र प्रोसेसिंग प्रणाली (NEAPS)	:	NEAPS, NSE द्वारा कंपनियों के लिए बनाया गया एक वेब आधारित अप्लिकेशन है. विभिन्न प्रकार के अनुपालन को NEAPS पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दर्ज किया जाता है.
xi	SEBI शिकायत निवारण प्रणाली (SCORES)	:	निवेशकर्ताओं की शिकायतों को एक केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली के जरिए प्रोसेस किया जाता है.
xii	नामोद्दिष्ट अनन्य ई-मेल id	:	कंपनी ने, निवेशकर्ता सर्वीसिंग के लिए ही investor@mrpl.co.in ई-मेल-id नामोद्दिष्ट किया है.

14. सामान्य शेयरधारकों के बारे में जानकारी
33वीं वार्षिक महासभा

i	कंपनी के पंजीकरण के ब्यौरे	:	CIN : L23209KA1988GOI008959
ii	दिन, दिनांक, और समय	:	शनिवार, 04 सितंबर, 2021, अपराह्न 4.00 बजे (IST).
iii	वित्तीय वर्ष	:	01/04/2020 से 31/03/2021
iv	बही समापन दिनांक	:	27/08/2021 से 04/09/2021 तक (दोनों दिन मिलाकर)
v	लाभांश भुगतान दिनांक	:	लागू नहीं
vi	ई-मतदान	:	कंपनी ने, सेबी(LODR) विनियम, 2015 के विनियम 44; कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार शेयरधारकों को रिमोट ई-मतदान करने की सुविधा प्रदान की है.
vii	**शेयर बाजार में लिस्टिंग**		
अ.	**इक्विटी शेयर ISIN: INE103A01014**	:	**1. BSE लिमिटेड** फिरोज़ जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई- 400 001 **स्क्रिप कूट सं: 500109** **2. दी नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड** एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा(पू), मुंबई – 400 051 **व्यापार चिह्न: MRPL**
आ	**अपरिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs)** ISIN : INE103A08027 INE103A08019 INE103A08035 INE103A08043	:	**1. BSE लिमिटेड** फिरोज़ जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई- 400 001 **स्क्रिप कूट सं: 500109** **दी नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड** एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा(पू), मुंबई – 400 051 **व्यापार चिह्न: MRPL**

इ. कर्ज के लिए प्रतिभूति:
31 मार्च, 2021 को बकाया NCD के ब्यौरे

31 मार्च, 2021 को बकाया NCD के ब्यौरे								
निर्गमकर्ता का नाम	ISIN सं.	निर्गम दिनांक	परिपक्वता दिनांक	कूपन दर	भुगतान की बारंबारता	सन्निहित विकल्प, यदि कोई हो तो	निर्गमित रकम	बकाया रकम
मंगलूर रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	INE103A08027	13/01/2020	14/04/2023	6.64% प्र.व.	वार्षिक	लागू नहीं	₹500 करोड़	₹500 करोड़
मंगलूर रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	INE103A08019	13/01/2020	12/04/2030	7.40% प्र.व.	वार्षिक	लागू नहीं	₹ 1000 करोड़	₹ 1000 करोड़
मंगलूर रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	INE103A08035	29/01/2020	29/01/2030	7.75% प्र.व.	वार्षिक	लागू नहीं	₹ 1060 करोड़	₹ 1060 करोड़
मंगलूर रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	INE103A08043	29/12/2020	29/12/2025	6.18% प्र.व.	वार्षिक	लागू नहीं	₹ 1217 करोड़	₹ 1217 करोड़

ई.	**लिस्टिंग शुल्क का भुगतान**	:	कंपनी ने BSE लिमिटेड को वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क अदा किया गया है. नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क अदा करने की प्रक्रिया चल रही है.
उ.	**निक्षेपागार शुल्क का भुगतान**	:	कंपनी ने NSDL को वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क अदा किया है. CDSL को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क अदा करने की प्रक्रिया चल रही है.
ऊ.	**डिबेंचर न्यासी**	:	मेसर्स SBICAP ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, अपीजय हाउस, छठी मंज़िल,3, दिनशा वाछा रोड, चर्च गेट, मुंबई – 400020
ऋ.	**क्रेडिट रेटिंग**	:	**ICRA** ने **₹ 12,600 करोड़** बैंक सुविधाओं पर ICRA] AAA (जिसका उच्चारण है स्थिर दृष्टिकोण के साथ ICRA ट्रिपल A) की दीर्घावधि रेटिंग और [ICRA] A1+ (जिसका उच्चारण है ICRA A वन्न प्लस्स) की अल्पावधि रेटिंग देने की दोबारा पुष्टि की है तथा **₹ 3,000 करोड़** के वाणिज्यिक पत्र (CP)/ अल्पावधि सावधि कर्ज़ (STD) कार्यक्रम के लिए "[ICRA] A1+" (जिसका उच्चारण है ICRA A वन्न प्लस्स) रेटिंग देने की भी दोबारा पुष्टि की है. ICRA ने, मंगलूर रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) के **₹ 3,000 करोड़** के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) कार्यक्रम के लिए [ICRA]AAA (जिसका उच्चारण है स्थिर दृष्टिकोण के साथ ICRA ट्रिपल A) रेटिंग भी दी है. CRISIL ने, मंगलूर रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के **₹ 3,000 करोड़** के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के लिए " CRISIL AAA/स्थिर" (जिसका उच्चारण है "CRISIL ट्रिपल A, स्थिर दृष्टिकोण के साथ") रेटिंग दी है और साथ ही मंगलूर रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) के लिए अपनी कार्पोरेट क्रेडिट रेटिंग (CCR) 'CCR AAA/स्थिर' देने की भी दोबारा पुष्टि की है. **CARE रेटिंग्स** ने, मंगलूर रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के **₹ 5,000** करोड़ के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर कार्यक्रम के लिए "CARE AAA/स्थिर (जिसका उच्चारण है '' स्थिर दृष्टिकोण के साथ ट्रिपल A '') और **₹ 3,000 करोड़** के वाणिज्यिक पत्र (CP) / अल्पावधि कर्ज (STD) कार्यक्रम के लिए अल्पावधि रेटिंग A1+ रेटिंग दी है. **इंडिया रेटिंग्स (फिच्च समूह)** ने, मंगलूर रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के **₹ 5,000 करोड़** के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर कार्यक्रम के लिए "IND AAA/स्थिर (जिसका उच्चारण है '' स्थिर दृष्टिकोण के साथ ट्रिपल A '') रेटिंग दी है.

viii वित्तीय वर्ष 2020-21 का वित्तीय कैलेंडर:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020 -21		वित्तीय वर्ष 2021 -22	
लेखा अवधि	01/04/2020 से 31/03/2021		01/04/2021 से 31/03/2022	
वित्तीय परिणामों की घोषणा	पहली तिमाही द्वितीय तिमाही तृतीय तिमाही	04/08/2020 29/10/2020 01/02/2021	पहली तीन तिमाहियां	प्रत्येक तिमाही के अंत से 45 दिनों के अंदर घोषणा
	चौथी तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम	17/05/2021	चौथी तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम	वित्तीय वर्ष के अंत से 60 दिनों के अंदर घोषणा

ix बाजार कीमत संबंधी आंकड़ें

महीना	BSE लिमिटेड		NSE लिमिटेड	
	उच्च (₹)	निम्न (₹)	उच्च (₹)	निम्न (₹)
अप्रैल 2020	36.45	22.90	36.40	22.30
मई 2020	32.60	26.35	33.15	26.20
जून, 2020	42.30	29.20	42.35	29.05
जुलाई, 2020	40.75	33.70	41.00	33.65
अगस्त, 2020	37.60	31.80	37.70	31.75
सितंबर, 2020	32.95	25.00	32.60	25.55
अक्तूबर 2020	31.15	25.05	31.20	25.25
नवंबर 2020	29.80	26.90	29.85	26.95
दिसंबर 2020	37.40	29.30	37.40	29.25
जनवरी 2021	43.35	34.40	43.30	34.30
फरवरी 2021	42.10	33.85	42.20	33.80
मार्च 2021	46.00	36.00	46.10	38.30

NSE (NIFTY) 2020-21

x NSE NIFTY और BSE सेंसेक्स जैसे स्थूल आधारित इंडीसिस की तुलना में निष्पादन:

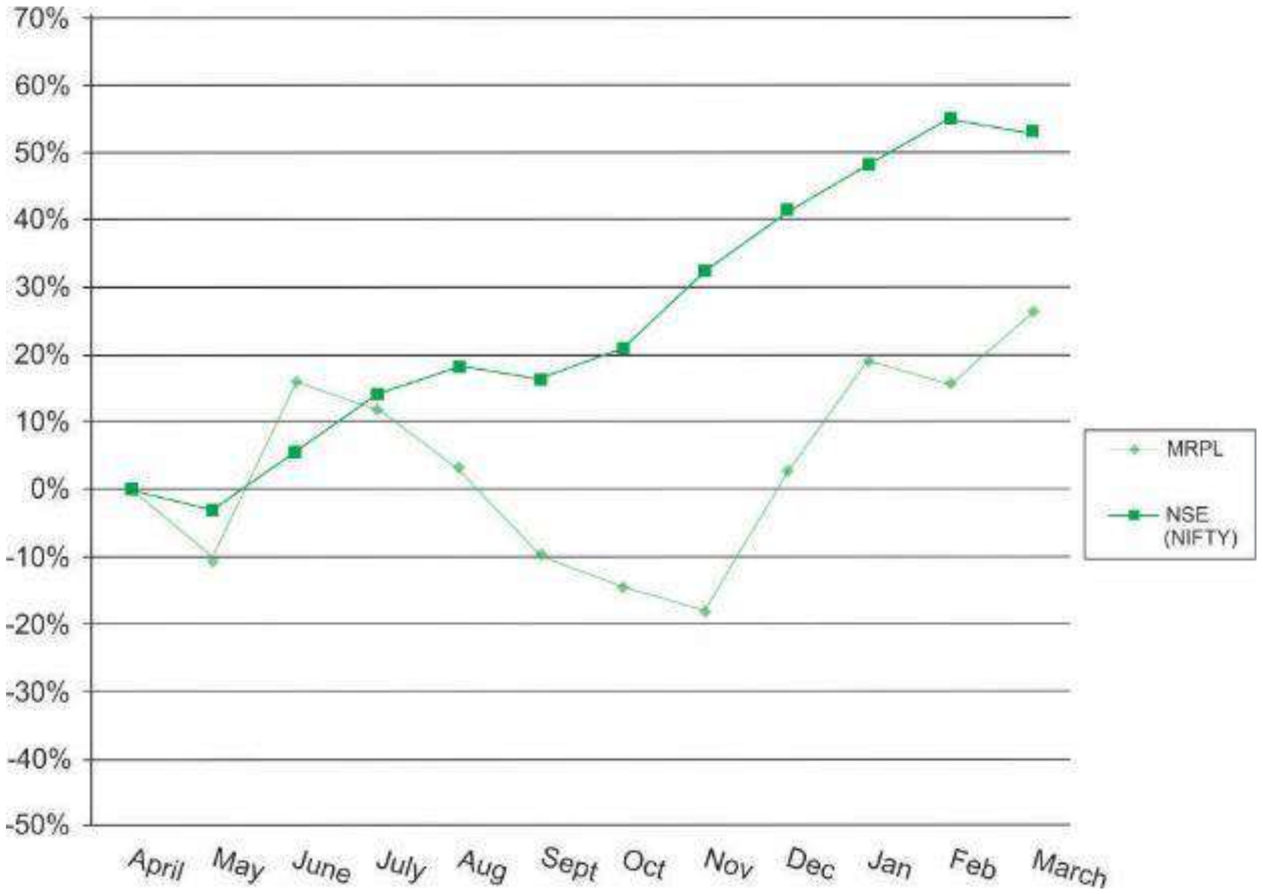

BSE सेंसेक्स 2020-21

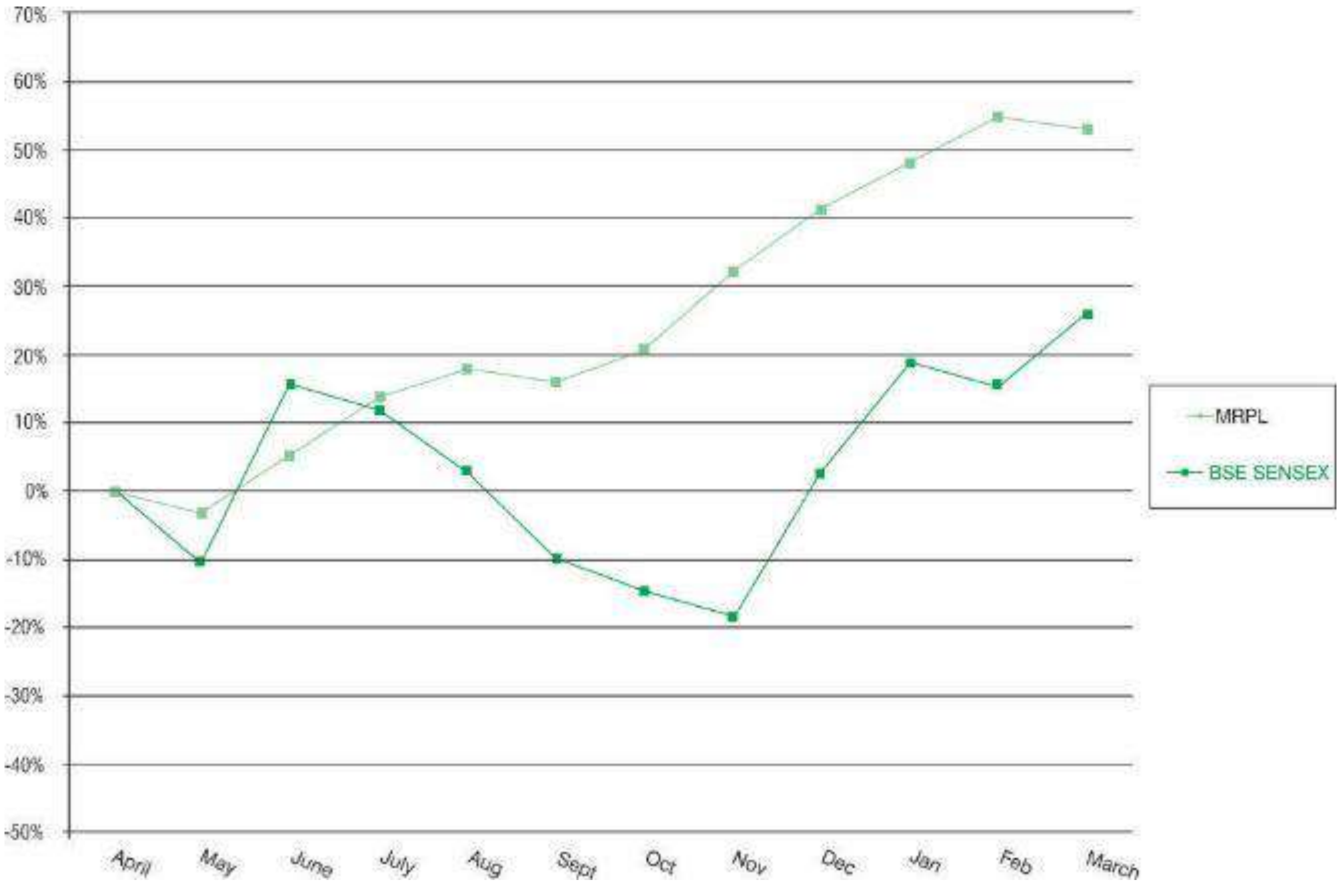

31/03/2021 को एमआरपीएल का बाजार पूंजीकरण **₹ 6,808.85** करोड़ रहा. 31/03/2021 को बाजार पूंजीकरण पर एमआरपीएल को **NSE पर 333**वें स्थान पर और **BSE पर 338**वें स्थान पर रखा गया है.

(xi) रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट: मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लिमिटेड., सी -101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विख्रोली (पश्चिम), मुंबई- 400 083 ई-मेन ID: mrplirc@linkintime.co.in.

(xii) शेयर अंतरण प्रणाली:

मूर्त रूप में शेयरों का अंतरण, कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट द्वारा, उसकी प्राप्ति दिनांक से सात दिनों के अंदर सँभाला और पूरा किया जाता है बशर्ते कि सारे दस्तावेज ठीक हों. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों के मामले में, अंतरण, संबंधित निक्षेपागार सहभागियों के जरिए NSDL/CDSL द्वारा सँभाला जाता है. SEBI (LODR) विनियम, 2015 का अनुपालन करते हुए, पेशेवर कंपनी सचिव, अंतरण प्रणाली की लेखा परीक्षा करते हैं और उस बारे में एक प्रमाणपत्र जारी करते हैं.

वर्ष	प्रोसेस किए गए अंतरण विलेखों की संख्या	अंतरित कुल शेयरों की संख्या
2020-21	95	21500
2019-20	979	177320
2018-19	2132	389675

(xiii) निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में लाभांश और शेयरों की अदावी रकम का अंतरण:

IEPF नियमों के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कंपनी ने 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 वर्षों के अदत्त अथवा अदावी लाभांश का, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) में नियत तारीखों को अंतरण किया. निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (कंपनियों के पास पडी अदत्त एवं अदावी रकम के बारे में सूचना का अपलोडिंग) नियम, 2012 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कंपनी ने 03/08/2019 तक (पिछली वार्षिक महासभा की तारीख) कंपनी के पास पड़ी रही अदत्त एवं अदावी लाभांश रकम के ब्यौरे, कंपनी के वेबसाइट (www.mrpl.co.in) पर और साथ ही कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड किए हैं.

MCA ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05/09/2016 के जरिए 28.02.2017 को निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियम, 2016 और निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन वापसी) संशोधन, नियम, 2017 अधिसूचित किए हैं. वित्तीय वर्ष के दौरान, अदावी लाभांश रकम और तदनुरूपी शेयरों का निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में अंतरण करना बाकी नहीं रहा.

(xiv) 31/03/2021 को शेयरधारण का वितरण

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने इस रूप में शेयर रखे हैं		धारित शेयर किस रूप में हैं		धारित इक्विटी पूंजी का %	
	मूर्त रूप में	अमूर्त रूप में	मूर्त रूप में	अमूर्त रूप में	मूर्त रूप में	अमूर्त रूप में
001 - 500	103011	207668	19162492	34678705	1.0934	1.9787
501 - 1000	445	15980	335850	13007392	0.0192	0.7422
1001 - 2000	80	6766	118105	10335733	0.0067	0.5897
2001 - 3000	9	2083	23400	5374208	0.0013	0.3066
3001 - 4000	3	884	11100	3181550	0.0006	0.1815
4001 - 5000	7	879	33750	4189483	0.0019	0.2390
5001 - 10000	4	1097	28800	8134302	0.0016	0.4641
10001 व उससे अधिक	4	787	275500	1653708407	0.0157	94.3575
कुल	**103563**	**236144**	**19988997**	**1732609780**	**1.1405**	**98.8595**

(xv) 31/03/2021 को शेयरधारण का स्वरूप:

विवरण	कुल शेयर	प्रतिशत
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	1255354097	71.63
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297153518	16.95
निवासी व्यक्ति	107386606	6.13
अनिवासी व्यक्ति	7026652	0.40
देशी कंपनियां	3602001	0.21

विवरण	कुल शेयर	प्रतिशत
विदेशी संस्थागत निवेशकर्ता/ विदेशी संविभाग निवेशकर्ता (कंपनी)/ विदेशी नागरिक	12945309	0.74
GIC व सहायक/बैंक/विदेशी बैंक व वित्तीय संस्थाएं/ बीमा/म्यूचुअल फंड /भा.रि.बैं के पास पंजीकृत NBFC	47804541	2.73
निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि	17399655	0.99
केंद्र अथवा राज्य सरकारी संस्थाएं	2900	0.00
न्यास	20450	0.00
समाशोधन सदस्य	1318597	0.08
हिन्दू अविभाजित परिवार	2584451	0.15
कुल	**1752598777**	**100.00**

(xvi) 31/03/2021 को अदावी/सुपुर्द न किए गए शेयर

क्रम सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयर
1.	शेयरधारकों की कुल संख्या जिनके शेयर वर्ष के प्रारंभ में सुपुर्द / दावा किए बगैर पड़े रहे.	1217	72365
2.	परिवर्धन - शेयरधारकों की कुल संख्या जिनके शेयर वर्ष के दौरान सुपुर्द / दावा किए बगैर पड़े रहे. (अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020).	9	1900
3.	उन शेयरधारकों की कुल संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान उनके हवाले न किए गए/अदावी शेयरों के सिलसिले में कंपनी से संपर्क किया और शेयर निर्गमित किए.	9	1400
4.	IEPF प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित शेयर (अदावी प्रतिक्रिया खाते से)	0	0
5.	शेयरधारकों की कुल संख्या जिनके शेयर वर्ष के अंत में " अदावी शेयर उचंत खाते में बकाया पड़े रहे.	1217	72865
6.	इन शेयरों के मताधिकार पर, तब तक रोक लगाई जाएगी जब तक इन शेयरों के वैध मालिक, शेयरों का दावा न करें.		

(xvii) बकाया GDR/ ADR/वारंट अथवा किसी परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन तारीख और इक्विटी पर उसका प्रभाव: कुछ नहीं

(xviii) रिफ़ाइनरी का स्थान : मंगलूर रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला मंगलूर - 575 030, कर्नाटक, भारत

(xix) पत्राचार का पता:

श्री के. बी श्याम कुमार
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
मंगलूरु रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030, कर्नाटक

टेलीफोन संख्या : 0824-2270400 ई-मेल: investor@mrpl.co.in वेबसाइट : www.mrpl.co.in

पंजीकृत कार्यालय और कंपनी का निवेशकर्ता संबंध कक्ष

1 मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला मंगलूर - 575 030, कर्नाटक. टेली सं.: 0824-2270400 ई-मेल : investor@mrpl.co.in. वेबसाइट : www.mrpl.co.inwww.mrpl.co.in

2 स्कोप कांप्लेक्स, 7वीं मंजिल, कोर-8, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
टेलीफोन सं.: 011-24306400- ई-मेल: : investor@mrpl.co.in वेबसाइट: www.mrpl.co.in

3 मेकर टावर्स,
15वीं मंजिल, "E" स्कंध, कफे परेड,
मुंबई – 400005. टेलीफोन.: 022-22173000 ई-मेल *investor@mrpl.co.in*

4 प्लॉट A-1, KSSIDC A.O. भवन के सामने, इंडस्ट्रियल एस्टेट,
राजाजीनगर, बेंगलूरु – -560010 (कर्नाटक) टेलीफोन सं.: 080-22642200 ई-मेल: : investor@mrpl.co.in
वेबसाइट: www.mrpl.co.in

5 **मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि.,** (आर एण्ड टी एजेंट)
यूनिट: एमआरपीएल, सी 101, 247 पार्क, L B S मार्ग, विख्रोली पश्चिम, मुंबई- 400 083
टेलीफोन. : +91 22 49186270 फैक्स सं. : +91 22 49186000 ई-मेल : mrplirc@linkintime.co.in
वेबसाइट : www.linkintime.co.in

31 मार्च 2021 को बोर्ड और बोर्ड समितियों का गठन

नाम	बोर्ड	लेखा परीक्षा	CSR/SD	नामांकन, पारिश्रमिक समिति	हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति	परियोजना मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति और प्रचालन समीक्षा समिति
श्री शशि शंकर	C	-	-	-	-	-
श्री एम. वेंकटेश	M	-	M	-	-	-
श्री संजय वर्मा	M	-	M	-	-	-
श्रीमती पोमिला जसपाल	M	-	M	-	M	-
श्री सुभाष कुमार	M	M	-	M	-	M
श्री विनोद एस. शेणै	M	M	-	M	-	M
श्री रोहित माथुर	M	M	-	M	M	C
सुश्री ईशा श्रीवास्तव	M	M	C	M	-	-
श्री आर टी अगरवाल	M	C	M	C	C	-

C - अध्यक्ष,

M - सदस्य

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करने के बारे में लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र

सेवा मे

सदस्य,

मंगलूर रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड,
मंगलूरु

1. हमने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में यथा निर्दिष्ट 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के मंगलूर रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों और लोक उद्यमविभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए दिशानिर्देश के अनुपालन का परीक्षण किया है.

प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट के साथ-साथ सभी संबंधित समर्थक रेकॉर्डों एवं दस्तावेजों को तैयार कर रखने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है. इस जिम्मेदारी में यह भी शामिल है जैसे कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रक बनाना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना.

3. निदेशक मंडल के साथ प्रबंधन की यह भी जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करें कि कंपनी ने, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी लिस्टिंग संबंधी विनियमों में यथा निर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है.

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

4. लिस्टिंग संबंधी विनियमों की अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए हमारी जिम्मेदारी है, राय के रूप में यह उचित आश्वासन देना कि क्या कंपनी ने उक्त परिच्छेद 3 में निर्दिष्ट लिस्टिंग संबंधी विनियमों की निर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन किया है.

5. हमने, कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट का परीक्षण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (“ICAI”) द्वारा जारी किए गए निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए रिपोर्टों अथवा प्रमाणपत्रों पर मार्गदर्शन नोट और कार्पोरेट अभिशासन प्रमाणपत्र पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार किया है. निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए रिपोर्टों अथवा प्रमाणपत्रों पर मार्गदर्शन नोट में अपेक्षा की गई है कि हम, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नीति संहिता की नैतिक अपेक्षाओं की पूर्ति करें.

6. हमने, उन फ़र्मों के संबंध में जो ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा और समीक्षा करते हैं और अन्य आश्वासन देने का काम करती हैं एवं संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं, गुणवत्ता नियंत्रण (SQC) 1, गुणवत्ता नियंत्रण के मानक के लिए लागू संबंधित अपेक्षाओं की पूर्ति की है.

7. चुनी गई कार्यविधियां, लागू मानदंड के साथ कार्पोरेट अभिशासन के अनुपालन से जुड़े जोखिमों का निर्धारण करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं. की गई महत्वपूर्ण कार्यविधियों के सारांश में शामिल हैं:

i. कंपनी द्वार तैयार कर कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में सम्मिलित जानकारी को पढ़कर समझना.

ii. प्राप्त कर सत्यापन किया कि कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक निदेशकों के संदर्भ में निदेशक मंडल की संरचना, समग्र रिपोर्टिंग अवधि के दौरान की गई है.

iii. 31 मार्च, 2021 तक का निदेशकों का रजिस्टर प्राप्त कर पढ़ा और यह सत्यापन किया कि वर्ष के दौरान बोर्ड पर कम से कम एक महिला निदेशक थीं.

iv. 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक संपन्न नीचे उल्लिखित बैठकों के कार्यवृत्त प्राप्त कर अध्ययन किया (क) निदेशक मंडल की बैठक; (ख) लेखा परीक्षा समिति; (ग) वार्षिक महासभा; (घ) नामांकन और पारिश्रमिक समिति; और (ङ) हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति;

v. स्वतंत्र निदेशकों सहित कंपनी निदेशकों से आवश्यक अभ्यावेदन और घोषणा-पत्र प्राप्त किए; और

vi. प्रबंधन के साथ आवश्यक पूछताछ की और साथ ही प्रबंधन से निर्दिष्ट अभ्यावेदन प्राप्त किए.

ऊपर उल्लिखित कार्यविधियों में शामिल है, प्रायोगिक आधार पर कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिए गए विवरणों का समर्थन करने वाले सबूत का परीक्षण करना. आगे, इस रिपोर्ट के अधीन हमारे कार्य की व्याप्ति में, हमें, समग्र रूप से कंपनी की किसी वित्तीय जानकारी अथवा वित्तीय विवरणों की निष्पक्षता अथवा यथातथ्यता पर राय देने के प्रयोजन से लेखा परीक्षा परीक्षण नहीं करना पड़ा.

राय

8. उक्त परिच्छेद 7 में यथा निर्दिष्ट हमारी तरफ से की गई क्रियाविधियों के आधार पर एवं हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी ने उक्त परिच्छेद 3 में यथा निर्दिष्ट, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए यथा लागू लिस्टिंग संबंधी दायित्वों में यथा निर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है. नीचे उल्लिखित बातों को छोड़कर, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा निदेशकों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा अभ्यावेदन के बलबूते पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने, नीचे उल्लिखित बात को छोड़कर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों में यथा निर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है.

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दायित्वों का लिस्टिंग और अपेक्षाओं का प्रकटीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के अनुसार, मंडल पर निदेशकों में से कम से कम एक, स्वतंत्र महिला निदेशक होनी चाहिए.

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड पर कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं रहीं.

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दायित्वों का लिस्टिंग और अपेक्षाओं का प्रकटीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के अनुसार, मंडल पर निदेशकों में से कम से कम आधे, स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए.

07 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक कंपनी के बोर्ड पर अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं रहें.

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दायित्वों का लिस्टिंग और अपेक्षाओं का प्रकटीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 18(1) के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों में 2/3, स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए.

07 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक कंपनी के बोर्ड पर अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं रहें और इसलिए प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है.

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दायित्वों का लिस्टिंग और अपेक्षाओं का प्रकटीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 19(1) के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्यों में से कम से कम आधे, स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए.

07 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक कंपनी के बोर्ड पर अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं रहें और इसलिए प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है.

9. सर्वव्यापी महामारी COVID-19 के फैलने से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए हम 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के प्रत्यक्ष दस्तावेजों, रेकॉर्डों और अन्य कागजातों आदि का परीक्षण न कर सकें और हमारे लिए ज़रूरी दस्तावेज/जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुहैया कराई गई.

अन्य मामले और उपयोग करने पर प्रतिबंध

10. यह रिपोर्ट, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधन द्वारा दक्षता या प्रभाविता से संभाले गए अपने कामकाज का आश्वासन है.

11. यह रिपोर्ट, कंपनी के सदस्यों को संबोधित कर इसीलिए प्रदान की गई कि वे, कार्पोरेट अभिशासन के संबंधित विनियमों के अनुपालन के संदर्भ में लिस्टिंग संबंधी विनियमों के अधीन अपने दायित्वों का अनुपालन कर सकें और इसलिए इसका किसी दूसरे व्यक्ति अथवा किसी दूसरे प्रयोजन के लिए उपयोग न किया जाए. तदनुसार लिखित रूप में अपनी सहमति के बगैर हम कोई देयता स्वीकार नहीं करते हैं न ही उसकी जिम्मेदारी लेते हैं न ही देखभाल करने के लिए अथवा किसी दूसरे प्रयोजन से अथवा उस व्यक्ति के प्रति जिसे इसे दिखाया गया हो अथवा जो उसके हाथ लगे किसी दूसरे पक्षकार से कोई कर्तव्य स्वीकार करते हैं. इस रिपोर्ट की तारीख के बाद हुई घटनाओं और परिस्थितियों को लेकर इस रिपोर्ट को अद्यतन बनाने के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं.

कृते संकर एण्ड मूर्ती
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 003575S

हस्ता/-
सीए जयप्रकेश एम सी
साझेदार
सदस्यता सं. 215562

स्थान : कण्णूर
दिनांक : 23 जुलाई, 2021
UDIN : 21215562AAAADF9258

कृते राम राज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार फर्म
पंजीकरण संख्या: 002839S

हस्ता/-
सीए जी वेंकटेश्वर राव
साझेदार
सदस्यता सं. 024182

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 23 जुलाई, 2021
UDIN : 21024182AAAAD13053

CEO और CFO प्रमाणीकरण

हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता, मंगलूर रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ("the Company") के CEO/प्रबंध निदेशक और CFO/निदेशक(वित्त) के रूप में अपनी संबंधित हैसियत से, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार यह प्रमाणित करते हैं कि:

अ. हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और यह कि अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हम यह व्यक्त करते हैं कि:

(1) इन विवरणों में ऐसा कोई महत्वपूर्ण असत्य विवरण नहीं है न ही इसमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य अथवा ऐसा कोई बयान दिया गया है जो भ्रामक हो.

(2) ये विवरण एक साथ कंपनी के कामकाज का सही एवं निष्पक्ष चित्र पेश करते हैं और इनमें मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का पालन किया गया है.

आ हम आगे स्पष्ट करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान ऐसे कोई लेन-देन नहीं किए हैं जो कपटपूर्ण, गैर-कानूनी हों अथवा कंपनी की आचरण संहिता का उल्लंघन करें.

इ. हम, वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रक स्थापित कर बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं और यह कि हमने, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रक तंत्रों की प्रभावित का मूल्यांकन किया है और लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को, आंतरिक नियंत्रकों के डिज़ाइन अथवा प्रचालन में उन कमियां को, जिनके बारे में हम जानते हैं और इन कमियों को ठीक करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं अथवा उठाना चाहते हैं उनके बारे में प्रकट की है.

ई. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को यह संकेत दिया है:

(1) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक नियंत्रण में अगर कोई उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हो तो उनके बारे में.

(2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हों तो उनके बारे में और यह कि उनको वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है; और

(3) उल्लेखनीय धोखाधडी की ऐसी घटनाएं जिनके बारे में हमें जानकारी मिली हो और जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रक तंत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले प्रबंधन के कर्मचारी अथवा कर्मचारी शामिल हुए हों.

हस्ता/-
पोमिला जसपाल
निदेशक (वित्त) और CFO
DIN: 08436633

हस्ता/-
एम. वेंकटेश
प्रबंध निदेशक और CEO
DIN: 07025342

वार्षिक कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट (ABRR)

खंड अ: सामान्य जानकारी:

1 **कंपनी की निगमित पहचान संख्या (CIN)** : **L23209KA1988GOI008959**

2 **कंपनी का नाम** : मंगलूर रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

3 **पंजीकृत कार्यालय** : मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला मंगलूर - 575 030, कर्नाटक

4 **वेबसाइट** : www.mrpl.co.in

5 **ई-मेल आईडी** : investor@mrpl.co.in

6 **वित्तीय वर्ष** : 2020-21

7 **क्षेत्र जिसमें/जिनमें कंपनी काम कर रही हो (औद्योगिकी गतिविधि कूट-वार)*** : पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स

समूह	वर्ग	उप-वर्ग	विवरण
232	2320		परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण
		23201	द्रव अथवा गैस रूप में ईंधनों, रोशन तेल, स्नेहन तेल अथवा ग्रीस अथवा क्रूड पेट्रोलियम से अन्य उत्पादों का उत्पादन.
		23209	अन्य पेट्रोलियम उत्पादों यानी पेट्रोलियम बिटुमेन पेट्रोकेमिकल्स - पॉलीप्रॉपीलीन का विनिर्माण

*NIC-2004-कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुसार

8 **तीन महत्वपूर्ण उत्पादों/सेवाओं की सूची दे जिनका कंपनी विनिर्माण करती है/ प्रदान करती है (जो तुलन पत्र में दर्शाया गया हो):**

- हाई स्पीड डीज़ल (HSD)
- मोटर स्पिरिट (MS)
- विमानन टर्बाइन ईंधन

9 **कुल ऐसे स्थान जहां कंपनी, अपनी व्यावसायिक गतिविधि चलाती है** : 10

i. **अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 स्थानों के ब्यौरे दें)** : कुछ नहीं

ii. **राष्ट्रीय स्थानों की संख्या** : -

- एमआरपीएल, विनिर्माण गतिविधियों सहित अपनी प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां, कर्नाटक राज्य में एक ही स्थान यानी मंगलूरु में चलाता है.
- एमआरपीएल, अपनी मार्केटिंग गतिविधियां, बेंगलूरु में स्थित मार्केटिंग प्रधान कार्यालय से चलाता है. मार्केटिंग के भी 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, मंगलूरु, बेंगलूरु और मुंबई में एक-एक जहां विविध किस्म के मार्केटिंग कार्य संभाले जाते हैं जैसे उपभोक्ता बिक्री, खुदरा बिक्री और पेट्रोकेमिकल्स बिक्री.

- कर्नाटक राज्य में 7 खुदरा केंद्र हैं, मद्दूर, हुब्ली, मंड्या, तुमकूरु में एक-एक और मंगलूरु में 3. 3 डिपो हैं, कासरगोड़ (केरल), हिंदूपुर (आंध्र प्रदेश) और होसूर (तमिल नाडू) में एक-एक.
- कर्नाटक राज्य के हासन में 1 पॉलीप्रॉपीलीन (PP) गोदाम.

10 **कंपनी, किन बाजारों को कवर करती है स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय** : देश भर और एशिया में पॉलीप्रॉपीलीन का प्रत्यक्ष निर्यात अफ्रीका, लातिन अमेरिका, यूरोप. (टेंडर किए गए पेट्रोलियम उत्पादों से भिन्न)

खंड आ: वित्तीय ब्यौरे:(विव 2020-21)

1 **प्रदत्त पूंजी** :₹ 1,753 करोड़

2 **कुल कारोबार** :₹ 50,974 करोड़

3 **कर उपरांत लाभ (PAT) / हानि** :₹ (240.46) करोड़

4. **कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR)पर किया गया कुल खर्च**
- कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान CSR पर ₹ 25.36 करोड़ खर्च किए.

5. **उन गतिविधियों की सूची जिन पर CSR संबंधी व्यय किए गए हैं.**
- जिन प्रमुख क्षेत्रों में उक्त व्यय किया गया उनमें शामिल हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, जीविकोपार्जन समर्थन, स्वच्छ भारत, सामुदायिक विकास परियोजनाएं और पर्यावरण की देखभाल.

खंड इ: वित्तीय ब्यौरे

1 **सहायक कंपनी.**

कंपनी की एक ही सहायक कंपनी है यानी ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL).

2 **मूल कंपनी की BR पहल में सहायक कंपनी/कंपनियों की सहभागिता.**

चूंकि OMPL एक अलग उद्यम है इसलिए वह, कारोबार जिम्मेदारी की तरफ पहल, कंपनी के लिए लागू नीतियों के अनुसार अपने आप करता है.

3 **उस उद्यम/उन प्रतिष्ठानों की (उदा: आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि), जिनके साथ कंपनी अपना कारोबार करती है, जो कंपनी की कारोबार जिम्मेदारी पहल में भाग लेते हैं, सहभागिता और प्रतिशत सहभागिता.**

एक सूचीबद्ध PSE होने के नाते एमआरपीएल, कार्पोरेट अभिशासन पर DPE के दिशानिर्देशों में दिए गए अधिदेशों, SEBI लिस्टिंग संबंधी विनियम, 2015 में निर्दिष्ट नीतियों एवं विशेषकर DPE के और आम तौर पर सरकार के अन्य दिशानिर्देशों और नीतियों के अनुसार नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेवारी के साथ व्यवहार करते हुए अभिशासन चलाती है. एमआरपीएल, स्वेच्छा से कुछ नीति संबंधी पहल भी करता है और उसके हिस्सेदार, एमआरपीएल की, उसकी व्यावसायिक जिम्मेदारी निभाने में मदद करते हैं. यह बताना मुश्किल है कि उनके समर्थन से एमआरपीएल को अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारी संबंधी पहल करने में किस हद तक मदद मिली है.

खंड ई: BR संबंधी जानकारी:

1 BR के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों के ब्यौरे

क) BR संबंधी नीति/नीतियां लागू करने के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों के ब्यौरे

श्री एम. वेंकटेश, प्रबंध निदेशक और CEO

DIN : 07025342

ख) BR प्रमुख के ब्यौरे

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरे
1	DIN	07025342
2	नाम	श्री एम. वेंकटेश
3	पदनाम	प्रबंध निदेशक
4	टेलीफोन संख्या	0824-2270400
5	ई-मेल आईडी	md@mrpl.co.in

2 सिद्धांत-वार (P) (NVG के अनुसार) BR संबंधी नीति/नीतियां

P 1-	कारोबार का अभिशासन, नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेवारी के आधार पर चलाना चाहिए.
P 2-	कारोबार के दौरान, सुरक्षित वस्तुएं और सेवाएं मुहैया कराई जानी चाहिए जिससे उनके जीवन चक्र में संधारणीयता का योगदान मिले.
P 3-	कारोबार से कर्मचारियों को अधिक तंदुरुस्त होने में मदद मिलनी चाहिए.
P 4-	कारोबार करते समय सभी हिस्सेदारों के हितों की कद्र होनी चाहिए और उन सभी हिस्सेदारों के प्रति जो वंचित हैं, असुरक्षित हैं और दर किनारे किए गए हैं, उत्तरदायित्व निभाना चाहिए.
P 5-	कारोबार के दौरान मानव अधिकार की कद्र होनी चाहिए और मानव अधिकार को बढ़ाना देना चाहिए.
P 6-	कारोबार इस तरह से किया जाए जिससे पर्यावरण की कद्र हो, उसका संरक्षण किया जाए और उसे बहाल करने के प्रयास किए जाएं.
P 7-	सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करते समय जिम्मेदार तरीके से कारोबार करना चाहिए.
P 8-	कारोबार में समावेशी वृद्धि और साम्यक विकास के लिए समर्थन होना चाहिए.
P 9-	कारोबार करते समय ग्राहकों और उपभोक्ताओं को जिम्मेदार तरीके से मूल्य दिलाना चाहिए.

क्रम सं.	प्रश्न	कारोबार नीति	उत्पाद की जिम्मेदारी	कर्मचारियों की तंदुरुस्ती	हिस्सेदारों के कार्य	मानव अधिकार	पर्यावरण	सार्वजनिक नीति	कार्पोरेट सामाजिक दायित्व	ग्राहक के साथ संबंध
		P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1	**आपने कोई नीति/नीतिय ०ां बनाई है/हैं**	हां - एमआरपीएल एक सूचीबद्ध PSE होने के नाते एमआरपीएल, कार्पोरेट अभिशासन पर DPE के दिशानिर्देशों में दिए गए अधिदेशों, SEBI (LODR) संबंधी विनियम, 2015 में निर्दिष्ट नीतियों एवं विशेषकर DPE के और आम तौर पर सरकार के अन्य दिशानिर्देशों और नीतियों के अनुसार नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेवारी के साथ व्यवहार करते हुए अभिशासन चलाती है.	हां- उत्पाद की गुणवत्ता संबंधी मैनुअल (BIS / अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित)	हां कंपनी ने सभी कर्मचारियों की खातिर मासं के बारे में व्यापक नीतियां बनाई हैं.	हां कंपनी में हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति (SRC) का गठन किया गया है जो अपने हिस्सेदारों की समस्याओं का समाधान करती है.	हां कंपनी की तमाम नीतियों में न केवल मानव अधिकार और कर्मचारियों पर ध्यान दिया जाता है बल्कि कंपनी के प्रचालन द्वारा प्रभावित होने वाले लोगों पर भी ध्यान दिया जाता है.	हां	एमआरपीएल, सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने का काम नहीं करता है. लेकिन, एक PSE होने के नाते, वह, अपना कारोबार जिम्मेदारी तरीके से चलाता है और हमेशा, कारोबार की बेहतरीन नैतिक पद्धतियां अपनाता रहा है.	हां	हां
2	**क्या संबंधित हिस्सेदारों के साथ परामर्श करने के बाद नीति बनाई जाती रही है?**	हां	हां	हां	हां	एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम होने के नाते एमआरपीएल, भारत सरकार की नीतियों से मार्गदर्शित है.	हां	हां	हां. कंपनी की CSR एवं SD नीति, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों DPE के दिशानिर्देशों के अनुरूप है.	हां

3	**क्या यह नीति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? अगर हां तो निर्दिष्ट करें?**	हां. नीतियां और निर्धारित क्रियाविधियां, कानून और भारत सरकार, DPE और अन्य सांविधिक निकायों की नीतियों के मुताबिक हैं.	हां (BIS / अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशों और मानकों के अनुसार है)	हां	हां.	हां. प्रचालन और कारोबार के तहत बनाई गईं नीतियां, राष्ट्रीय मानकों और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप हैं.	हां. ISO 14001: 2004 मानक	हां. कंपनी, अपना कारोबार जिम्मेदार तरीके से चलाती है.	हां डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप है	हां (ISO:9001 गुणवत्ता के लिए और आईएसओ 9001: 14001 पर्यावरण के लिए)
4	**क्या बोर्ड ने नीति के लिए अनुमोदन दिया है? अगर हां तो क्या प्रनि/मालिक/CEO/बोर्ड के उचित निदेशक ने अपने हस्ताक्षर किए हैं?**	हां. भारत सरकार, DPE और अन्य भारतीय सांविधिक निकायों के अधिदेश के अनुसार तमाम नीतियों का कंपनी द्वारा, कंपनी के बोर्ड से अनुमोदन मिलने के बाद ही अनुपालन किया जाता है.	हां, बोर्ड ने नीतियों के लिए हस्ताक्षर कर अपना अनुमोदन दिया है.	हां, बोर्ड ने नीतियों के लिए हस्ताक्षर कर अपना अनुमोदन दिया है.	हां, बोर्ड ने नीतियों के लिए हस्ताक्षर कर अपना अनुमोदन दिया है.	हां, बोर्ड ने नीतियों के लिए हस्ताक्षर कर अपना अनुमोदन दिया है.	हां, बोर्ड ने नीतियों के लिए हस्ताक्षर कर अपना अनुमोदन दिया है.	हां. कंपनी, भारत सरकार की नीतियों का पालन करती है. कंपनी की तमाम नीतियों के लिए, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन दिया जाता है. नीति पर हस्ताक्षर किए गए हैं.	हां, बोर्ड ने नीतियों के लिए हस्ताक्षर कर अपना अनुमोदन दिया है.	हां, बोर्ड ने नीतियों के लिए हस्ताक्षर कर अपना अनुमोदन दिया है.
5	**क्या कंपनी में, नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए बोर्ड/निदेशक/अधिकारी समेत निर्दिष्ट समिति का गठन किया गया है?**	हां	बोर्ड की समितियां, नीति के अनुपालन और कार्यान्वयन पर निगरानी रखती है.	हां. नामांकन और पारिश्रमिक समिति, इस पर निगरानी रखती है.	हां. इस पर CSR और SD समिति एवं हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति द्वारा निगरानी रखी जाती है.	हां	नीति कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए कंपनी ने PARC और ORC समिति बनाई है.	हां. कंपनी ने कई बोर्ड समितियों का गठन किया है जिनके बारे में ब्यौरे कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिए गए हैं.	हां. इस पर CSR और SD समिति द्वारा निगरानी रखी जाती है.	हां

6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक प्रदान करें?	मुखबिर नीति और सत्यनिष्ठा इकरारनामा, www.mrpl.co.in में देखा जा सकता है.	www.mrpl.co.in	Employee पोर्टल पर उपलब्ध है	www.mrpl.co.in	www.mrpl.co.in	www.mrpl.co.in	कंपनी की विभिन्न नीतियों को www.mrpl.co.in पर देखा जा सकता है	www.mrpl.co.in	www.mrpl.co.in
7	क्या नीति के बारे में औपचारिक रूप से सूचना दी गई है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8	नीति/नीतियों का कार्यान्वयन करने के लिए कंपनी कोई आंतरिक संरचना बनाई है	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9	नीति/नीतियों से संबंधित हिस्सेदारों की शिकायतें दूर करने के लिए क्या कंपनी ने नीति/नीतियों से संबंधित कोई शिकायत निवारण तंत्र बनाया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10	क्या कंपनी ने, आंतरिक अथवा बाह्य एजेंसी से इस नीति के कामकाज की स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन करवाया है?	कार्पोरेट अभिशासन के बारे में SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के कार्यान्वयन के बारे में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है.	हां	हां	हां	हां	हां. ISO सिस्टम लेखा परीक्षा की जाती हैं.	एक PSE होने के नाते कंपनी की CAG लेखा परीक्षा की जाती है.	हां	हां

क्रम सं.	प्रश्न	कारोबार नीति	उत्पाद जिम्मेदारी	कर्मचारियों की तंदुरुस्ती	हिस्सेदारों के कार्य और CS	मानव अधिकार	पर्यावरण	सार्वजनिक नीति	CSR	ग्राहक के साथ संबंध
		P1	P2	P 3	P 4	P 5	P 6	P7	P8	P9
1	कंपनी ने सिद्धांत नहीं समझे हैं	लागू नहीं								
2	कंपनी ऐसे चरण में नहीं है जहां वह, निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाकर लागू करने की स्थिति में हो									
3	कंपनी के पास, इस कार्य के लिए कोई वित्तीय अथवा श्रम शक्ति संसाधन नहीं हैं									
4	यह कार्य, अगले 6 महीने में करने का विचार है									
5	यह कार्य, अगले 1 वर्ष में करने का विचार है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)									

3. BR से संबंधित अभिशासन

- **BR के बारे में कंपनी का निष्पादन आंकने के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति अथवा CEO की बारंबारता**

  बोर्ड, कंपनी का कारोबार जिम्मेदारी संबंधी निष्पादन, वर्ष में एक बार आंकती है.

- **BR का प्रकाशन अथवा संधारणीयता रिपोर्ट, उसकी बारंबारता और प्रकाशित रिपोर्टों का हाइपरलिंक.**

  भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में यथा अपेक्षित 2020-21 की कारोबार जिम्मेदारी रिपोर्ट, 33वीं वार्षिक रिपोर्ट का ही एक भाग है. यह जानकारी कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in पर भी उपलब्ध है.

खंड उ: सिद्धांत-वार निष्पादन

सिद्धांत 1 - नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेवारी

1. **नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति, सिर्फ़ कंपनी और उसके समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/ एनजीओ/दूसरों को लागू होती है.**

   नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित कंपनी की नीति, कंपनी, कर्मचारियों और निदेशकों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, NGO और अन्य हिस्सेदारों को लागू होती है.

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त हिस्सेदारों की शिकायतें और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से सुलझाई गईं शिकायतों का प्रतिशत.**

   कंपनी ने हिस्सेदारों की रिश्तेदारी से संबंधित समिति बनाई है. यह समिति, शेयरों के अंतरण/प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, लाभांश का भुगतान न होने, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने और विचारार्थ विषय के अनुसार अन्य मुद्दों से संबंधित शेयरधारकों और निवेशकर्ताओं की शिकायतें दूर करने पर ख़ास तौर से ध्यान देती है. कंपनी को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशकर्ताओं से 21 शिकायतें मिली जिनमें से 17 शिकायतों का निवारण हो चुका है और 04 शिकायतें निपटान के लिए SEBI के पास लंबित रहीं. इन शिकायतों के संबंध में ATR दर्ज की गई और इसे बाद में सेबी द्वारा निपटाया गया.

सिद्धांत 2 - उत्पाद जीवन चक्र की संधारणीयता

1. **उत्पादों अथवा सेवाओं की ज्यादा से ज्यादा 3 सूची दें जिनके डिज़ाइन में सामाजिक अथवा पर्यावरण संबंधी चिंताओं, जोखिमों और/ अथवा अवसरों को समाविष्ट किया गया हो.**

   हाई स्पीड डीज़ल (HSD BSVI ग्रेड), मोटर स्पिरिट (MS BSVI ग्रेड) और विमानन टर्बाइन ईंधन(ATF).

2. **प्रति यूनिट उत्पाद, संसाधन के उपयोग के संबंध में ब्यौरे (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) (वैकल्पिक):**

i. **सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण में कटौती**

क) ऊर्जा की बचत की दिशा में लगातार किए जाते रहे प्रयासों के अंग के तौर पर 2020-21 में कई ऊर्जा संरक्षण परियोजना लागू की गईं. इन उपायों की बदौलत ईंधन में अनुमानित बचत (मानक रिफ़ाइनरी ईंधन के समतुल्य) 8,268 मेट्रिक टन तेल के समान (MTOE) हुई.

ख) रिफ़ाइनरी ने वर्ष के दौरान 81.41 MBN हासिल किया.

ii. **उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग (ऊर्जा, जल) के दौरान कटौती पिछले वर्ष से हासिल की गई है**

क) कंपनी ने प्रक्रिया का इष्टतम उपयोग करते हुए, लगातार निगरानी रखते हुए, ऊर्जा की बचत करने संबंधी कई आशोधन करते हुए ऊर्जा की बचत पर पहले की भांति बल देना जारी रखा.

ख) निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) चक्र VI के अंग के तौर पर वर्ष के दौरान आज्ञापक ऊर्जा लेखा परीक्षा (MEA) की गई.

3. **संधारणीय सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए लागू की गई कार्यविधि और संधारणीय तरीके से उपलब्ध कराई गई निविष्टियों का प्रतिशत**

   प्रक्रिया के लिए एक ख़ास इन्पुट है बिजली. कंपनी ने सीमित उपयोग के लिए अपने परिसर में 6.06MWp रूफ टॉप सौर विद्युत संयंत्र लगाया है. इससे गैर-संधारणीय स्रोतों से बिजली की खपत में तदनुरूपी कमी आई है. कंपनी, आने वाले वर्षों में नवीकरणीय बिजली का उपयोग लगातार बढ़ाने पर जोर दे रही है.

4. **समुदायों सहित स्थानीय एवं छोटे उत्पादकों से वस्तुएं और सेवाएं हासिल करने के लिए उठाए गए कदम और स्थानीय एवं छोटे विक्रेताओं की खातिर चलाई गईं क्षमता वर्धन गतिविधियां?**

   क्रूड तेल का परिष्करण करने वाली कंपनी होने के नाते, अधिकतर उपकरणों, अतिरिक्त पुर्जों और रासायनिक पदार्थों की खरीदारी, हमेशा, स्थापित स्रोतों से की जाती है. ये निविष्टियां, उस स्थानीय इलाके में, जहां रिफ़ाइनरी स्थापित की गई है, उपलब्ध नहीं हैं. लेकिन हाउसकीपिंग, बगीचे की देखभाल जैसी सेवाओं के लिए स्थानीय समुदाय को मुकर्रर किया गया क्योंकि अधिकतर सेवाएं स्थानीय समुदाय से हासिल की जाती हैं. कंपनी, कुशलता विकास कार्यक्रम और विक्रेता विकास गतिविधियां भी चलाती है.

5. **उत्पादों और अपशिष्ट का पुन:चक्रण करने का तंत्र और उत्पादों एवं अपशिष्ट के पुन:चक्रण का प्रतिशत (अलग रूप से <5%, 5-10%, >10% के रूप में).**

- एमआरपीएल, प्रौद्योगिकी के छोर पर विभिन्न उपाय करते हुए साइट पर उत्पन्न अपशिष्ट जल सहित अपशिष्ट का पुन: उपयोग/पुन:चक्रण करना चाहता है. प्रक्रिया यूनिटों से निकले स्लॉप तेल का क्रूड आसवन यूनिट में और तेल युक्त कीचड के कुछ अंश का डीलेड कोकर यूनिट में दोबारा प्रोसेसिंग किया जाता है. विव 2020-21 के दौरान लगभग 1432 m^3 MT तेल युक्त कीचड़ का डीलेड कोकर यूनिट (DCU)में उपचार किया गया.
- रिफ़ाइनरी में उत्पन्न अपशिष्ट जल का अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में उपचार किया जाता है. उपचारित जल का, कूलिंग टावर्स में प्रतिपूरक जल के रूप में दोबारा उपयोग किया जाता है. विव 2020-21 के दौरान, रिफ़ाइनरी में करीब 84% अपशिष्ट का पुन:चक्रण किया गया.
- विव 2020-21 के दौरान एमआरपीएल में 61,85,314 m^3 की मात्रा में तृतीयक उपचारित नगरपालिका मल-जल प्राप्त हुआ जिसका उचित कीटाणुनाशन उपचार के बाद, प्रक्रिया जल के रूप में रिफ़ाइनरी में उपयोग किया गया.
- PFCC यूनिट से भुक्तशेष उत्प्रेरक का सिमेंट उद्योगों में सह-प्रोसेसिंग किया जाता है, जब कि अन्य भुक्तशेष उत्प्रेरक उत्कृष्ट और अन्य कीमती धातुएं हासिल करने के लिए प्राधिकृत रीसाइक्लर्स के पास भेजा जाता है.
- रिफ़ाइनरी के कैंटीन और कॉलोनी से निकलने वाले जैव अपशिष्ट का उपचार जैव गैस संयंत्र में किया जाता है और उत्पन्न जैव गैस का प्रमुख कैंटीन में खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है.
- उपचारित जल को समुद्र में विसर्जित करने से पहले उसकी गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखी जाती है.

सिद्धांत 3- कर्मचारी की तंदुरुस्ती

1. कर्मचारियों की कुल संख्या
   1939
2. अस्थाई/ठेका/अनियत आधार पर मुर्करर किए गए कर्मचारियों की संख्या लगभग
   3150 है. ठेके पर मुर्करर किए गए कर्मचारी
3. स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या 135
4. अपंगता से ग्रस्त स्थाई कर्मचारियों की संख्या. 32
5. क्या आपके यहां कोई ऐसा कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन ने मान्यता दी है.
   जी हां. इसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क) मैनेजमेंट स्टाफ एसोसिएशन (MSA)

ख) एमआरपीएल एंप्लाईस यूनियन (MEU)

ग) एमआरपीएल SC/ST एंप्लाईस वेल्फेर एसोसिएशन (MSSEWA)

घ) विमेन इन्न पब्लिक सेक्टर (WIPS)

ङ) एमआरपीएल OBC एंप्लाईस वेल्फेर एसोसिएशन (MOEWA)

6. इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ में सदस्यों के रूप में आपके स्थाई कर्मचारियों का प्रतिशत? 100%

7. पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बाल मज़दूर, बलात् मजदूर, यौन उत्पीडन से संबंधित कितनी शिकायतें मिलीं और इनमें से वित्तीय वर्ष के अंत में कितनी लंबित रहीं.

क्रम सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गईं शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल मजदूर/बलात् मजदूर/अनैच्छिक मजदूर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	यौन उत्पीडन	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	कुछ नहीं	कुछ नहीं

पिछले वर्ष नीचे उल्लिखित कितने प्रतिशत कर्मचारियों को संरक्षा और कुशलता उन्नयन में प्रशिक्षण प्रदान किया गया.

वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी ने प्रशिक्षण, विकास और सीखने के लिए 6510 श्रम दिवस लगाए जो प्रबंधन स्टाफ के मामले में प्रति कर्मचारी 5.44 श्रम दिवस और गैर प्रबंधन स्टाफ के मामले में प्रति कर्मचारी 1.52 औसत श्रम दिवस बनता है.

सिद्धांत 4 - हिस्सेदारों को मुकर्रर करना

1. अपने आंतरिक और बाह्य हिस्सेदारों को मुकर्रर किया.

हां, हिस्सेदारों को नीचे बताए गए तरीके से मुकर्रर किया गया:

क. निवेशकर्ता और हिस्सेदार

ख. कर्मचारी

ग. स्थानीय समुदाय

घ. आपूर्तिकर्ता और ग्राहक

ङ. सरकारी नियामक प्राधिकारी

2. वंचित, दुर्बल और दर किनारे किए गए हिस्सेदारों को पहचानना.

एमआरपीएल, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का और अपंगता से पीडित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की खातिर सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा जारी अपंगता से पीडित व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की सूची का पालन करता है.

3. वंचित, दुर्बल और दर किनारे किए गए हिस्सेदारों को मुकर्रर करने के लिए कंपनी द्वारा की गईं विशेष पहल.

एमआरपीएल, आरक्षित श्रेणी में कमी की पूर्ति करने के लिए अकसर विशेष भर्ती अभियान चलाता है.

सिद्धांत 5 - मानव अधिकार

1. **मानव अधिकार संबंधी कंपनी नीति की व्याप्ति और उसमें समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/दूसरों को शामिल करना.**

   एमआरपीएल, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का एक उद्यम है जो सरकारी दिशानिर्देशों और लागू कानूनों से मार्गदर्शित होता है जो आम तौर पर मानव अधिकारों का संरक्षण करता है और यह बात दूसरे हिस्सेदारों के लिए लागू होती है.

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त हिस्सेदारों की शिकायतें और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से सुलझाई गईं शिकायतों का प्रतिशत.**

   वर्ष 2020-21 के दौरान मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली.

सिद्धांत 6 - पर्यावरण प्रबंधन

1. **सिद्धांत 6 से संबंधित कंपनी नीति की व्याप्ति और उसमें समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/दूसरों को शामिल करना.**

   दीर्घावधि संधारणीयता के लिए पर्यावरण का पोषण और संरक्षण करना, एमआरपीएल की पर्यावरण नीति का मूल उद्देश्य है. कंपनी, पर्यावरण का परिरक्षण करने की जिम्मेदारी लेने का प्रयास करती रही है और ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और स्थानीय समुदाय जैसे अन्य हिस्सेदारों के समूहों में से प्रबंधन, पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी उठाता रहा है. एमआरपीएल, संगठन के संधारणीय लक्ष्य हासिल करते समय संबंधित ठेकेदारों की सर्वांगीण भागीदारी के साथ सर्व समावेशी मॉडेल पर विश्वास रखता है.

2. **मौसम में परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दे सुलझाने के लिए कंपनी की रणनीतियां/पहल**

   एमआरपीएल, अपने व्यवसाय में उत्कर्ष हासिल करने की लगातार कोशिश करता रहा है और इस दिशा में सुधार करते हुए पर्यावरण पर सकारात्मक असर डालने में कामयाब हुआ है. एमआरपीएल, प्रति मेट्रिक टन क्रूड का परिष्करण करने की दिशा में कार्बन के पद चिह्न पर वर्ष में एक बार नज़र रखता है. एमआरपीएल ने नीचे उल्लिखित ऊर्जा संरक्षण उपाय किए.

   - CDU 2 CAPH प्रतिस्थापन/CDU FD फैन लोयर एअर मांग
   - विश्लेषक बदलकर / बर्नर्स को फाइन ट्यून करते हुए/ बर्नर घटकों को बदलते हुए CDU-II हीटर (BA-41001) में अतिशय वायु का इष्टतमीकरण किया गया
   - VDU 2 CAPH को बदला गया
   - ATU III फ्लैश बहिर्गैस रिकवरी
   - घटाए गए रीएक्टर में कम तापमान वाले Co-Mo उत्प्रेरक का उपयोग करना
   - तप्त HCGO उत्पाद/तप्त धारा को सीधे CHT में प्रवाहित करते हुए LP भाप का उत्पादन करना
   - KSU भाप री-बॉइलर चालू करना
   - GOHDS में APH को बदला गया
   - HYD-I में APH को बदलना गया
   - चरण III से MP भाप को OMS लोयर प्लैटो में प्रवाहित करना
   - IFO प्रोत्कर्ष नियंत्रण में आशोधन
   - संयंत्र क्षेत्र में, HPMV और HPSV लाइटों के स्थान पर ऊर्जा बचाने वाले जुड़नार
   - संयंत्र क्षेत्र में बदले गए / जोड़े गए नए HLMs (प्रत्येक HLM में 12 फिट्टिंग होते हैं) के प्रति नए HLM में LED जुड़नार

- कर्मशाला रहित फ़र्श क्षेत्र फल में अदक्ष लाइटिंग जुड़नार के स्थान पर ऊर्जा बचाने वाले जुड़नार लगाना
- HRSG में आशोधन - HRSG I/HRSG II में सहायक फायरिंग

3. राजनीतिक पर्यावरण में निहित जोखिम को पहचानना और आंकना.

एमआरपीएल में अपना जोखिम संभालने के लिए सुपरिभाषित प्रक्रिया लगातार अपनाई गई है. एमआरपीएल ने उद्यम व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू की है. " पहचाने गए जोखिमों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) और जोखिम मिटाने संबंधी योजना की, शीर्ष प्रबंधन द्वारा वक्त-वक्त पर समीक्षा की जाती है लेकिन कंपनी, ऊर्जा बचाने के कई उपाय अपनाते हुए और संस्फुरण घटाते हुए GHG का उत्सर्जन घटाने में कामयाब रही. एमआरपीएल ने रिफ़ाइनरी के कार्बन पद चिह्नों (CFP) और CDM परियोजना को पहचानने के लिए मेसर्स डीलोइटे को मुकर्रर किया है.

4. स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा की बचत, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के बारे में कंपनी की पहल.

क) कंपनी ने एक ऐसी मुहिम छेड़ी थी जिसमें अकार्बनिक उर्वरक के स्थान पर एमआरपीएल की बागबानी के मलबे के वर्मी कांपोस्ट से रिफ़ाइनरी परिसर के अंदर उत्पन्न जैविक उर्वरक का उपयोग करने का प्रयास किया गया. पहली वर्मी कांपोस्टिंग सुविधा चालू की गई है और जैविक अपशिष्ट से जैविक उर्वरक का उत्पादन किया जाता है जिससे कि पालना से पालना बागबानी अपशिष्ट प्रबंधन सुसाध्य हो.

ख) कंपनी, तण्णीरबावी, मंगलूर में 70 MLD क्षमता का विलवणन संयंत्र स्थापित करने जा रही है. पर्यावरण संबंधी मंजूरी (EC) और स्थापना के लिए सहमति (CFE) प्राप्त की गई और आशा की गई है कि परियोजना का यांत्रिक कार्य पूर्ण होने पर एमआरपीएल को पर्याप्त जल मिलेगा जो ताजा जल के स्रोतों पर निर्भरता कम करेगा.

ग) अस्थाई उत्सर्जन कम करने के लिए कंपनी, खुदरा केंद्रों में वाष्प रिकवरी प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर रही है.

घ) कंपनी ने प्रस्तावित अत्याधुनिक 2G एथनॉल संयंत्र के संबंध में EIA अध्ययन पूरा कर लिया है जिसे दावणगेरे, कर्नाटक में लगाया जाएगा और इस दिशा में सार्वजनिक सुनवाई पूरी हो चुकी है और पर्यावरण संबंधी मंजूरी (EC) मिलना बाकी है. उक्त 60 KLPD एथनॉल संयंत्र, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के समर्थन में एक पहल है. इसमें ऐसी कार्यप्रणाली अपनाई गई है जिसमें कृषि अवशेष का, गैसोलीन के लिए पर्यावरण के अनुकूल ब्लेंड स्टॉक में परिवर्तन किया जाएगा.

5. CPCB/SPCB द्वारा अनुमत सीमाओं के अंदर कंपनी के उत्सर्जन/अपशिष्ट के बारे में रिपोर्ट करना.

CPCB/SPCB के मानदंडों द्वारा अनुमत सीमाओं के अंदर कंपनी के उत्सर्जन/अपशिष्ट के बारे में रिपोर्ट करना. कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) को वक्त-वक्त रिपोर्ट भेजी जा रही हैं.

6. वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में लंबित (अर्थात्; जिनको संतोषजनक ढंग से न निपटाया गया), CPCB/SPCB से प्राप्त कारण बताओ नोटिस/कानूनी नोटिस की संख्या. : कुछ नहीं

सिद्धांत 7 - सार्वजनिक वकालत

1. व्यापार और चेंबर अथवा संघ में अभ्यावेदन.

हां, कंपनी ने नीचे उल्लिखित संघों/निकायों में सदस्यता ली है.

1. कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (CII),
2. लोक उद्यमसंबंधी स्थाई समिति (SCOPE),
3. पेट्रोलियम कंज़र्वेटिव रिसर्च एसोसिएशन (PCRA),
4. राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला मान्यता बोर्ड (NABL),

5. फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री

6. फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन्स (FIEO)

2. जनता की उन्नति के लिए उक्त संघों में वकालत की गई/तरफदारी की गई.

लोगों की उन्नति के लिए कंपनी, संघ के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती रही है.

सिद्धांत 8: समावेशी वृद्धि

1. सिद्धांत 8 से संबंधित नीति लागू करने की दिशा में विशिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं.

MRPL ने CSR और SD संबंधी नीति बनाई है जिसमें समावेशी वृद्धि और सामुदायिक विकास पर जोर दिया जाता है. कंपनी ने CSR/ SD नीति के अनुसार CSR की तरफ विभिन्न पहली कीं (मंडल की रिपोर्ट के " **अनुबंध-अ** " में ब्यौरे दिए गए हैं).

2. आंतरिक टीम/खुद के फाउंडेशन/बाह्य/सरकारी ढांचे/किसी दूसरे संगठन के जरिए हाथ में लिए गए कार्यक्रम/परियोजनाएं

कंपनी द्वारा CSR के अधीन परियोजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं.

3. पहल का प्रभाव आंकना.

परियोजना पूरी होने के बाद हिताधिकारियों से मिले फ़ीडबैक के आधार पर प्रभाव का आकलन किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹1 करोड़ से अधिक परिव्यय वाली पूरी की गईं परियोजना का प्रभाव आकलन अध्ययन करने की खातिर मेसर्स रीसर्च एन्न कन्सल्टिंग बेंगलूरु को मुर्करर किया गया. पूरी की गईं दो परियोजनाओं अर्थात् सरकारी गोशेन अस्पताल, मंगलूरु और पिलिकुला निसर्ग धामा में जैव विविधता, मंगलूरु की प्रभाव आकलन रिपोर्ट की प्रतिलिपि सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में संलग्न की गई है. उपस्थिति में सुधार करने, छात्रों के शैक्षिक निष्पादन, छात्रों की पाठ्येतर गतिविधियों आदि, CSR परियोजनाओं के असर का विश्लेषण करने के लिए जैसे लाभार्थी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, छात्रवृत्ति का वितरण के बारे में स्कूलों से फ़ीडबैक प्राप्त किया जाता है. इसी प्रकार, ग्राम पंचायतों से गांव के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करने के बारे फ़ीडबैक लिया जाता है जहां विभिन्न प्रकार की CSR परियोजनाएं हाथ में जाती हैं जैसे मुफ़्त में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाना / पहियों पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, सड़कें बनाना, सौर स्ट्रीट लाइटें लगाना, पेय जल संबंधी परियोजनाएं हाथ में लेना आदि.

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान.

वर्ष 2020-21 के दौरान एमआरपीएल ने शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, समुदाय विकास, कुशलता विकास, जैव विविधता के प्रति समर्थन, संस्कृति और परंपरा, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष और PM CARES निधि आदि से संबंधित सामुदायिक विकास परियोजनाओं के प्रति ₹ 25.36 करोड़ खर्च किए.

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि समुदाय, इस सामुदायिक विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाता है.

कंपनी की सीएसआर संबंधी पहल को समुदाय ने सफलतापूर्वक अपनाया है. गांव और समाज के पददलित समुदायों में शिक्षा, विशेषकर गांव के सरकारी स्कूलों में दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या में, स्वच्छता, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं के विकास, पर्यावरण में बहुत सारे सुधार हुए हैं. गांवों में बसे अ.जा./अ.ज.जा. के समुदायों में स्वच्छता को लेकर जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. आस पास के ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए मुफ़्त में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने से गांव के लोगों के विशेषकर कृषकों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और ग्रामीण स्कूलों में छात्रों को स्वास्थ्यकर मध्याह्न भोजन प्रदान करने से सरकार स्कूलों में छात्रों की संख्या बरकरार रखने में मदद मिली है.

गांवों में सौर स्ट्रीट लाइटें लगाने से गांववालों को ऊर्जा बचाने में मदद मिली है. आंगनवाड़ी का निर्माण करने से बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पोषण करने में मदद मिली है. हर प्रकार की अपंगता से पीडित विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरणों और साधनों के सहारे समर्थन प्रदान किया जाता है. मंगलूरु की सरहद में पिलिकुला निसर्गधामा का समग्र अनुरक्षण, जैव विविधता के प्रति हमारे योगदान के अंग के रूप में किया जाता है. राज्य में युवा पीढ़ी के लिए बनाए गए हमारे कुशलता विकास कार्यक्रम की बदौलत उनकी कुशलता बढ़ाने में मदद मिली है. मूडबिद्री में केंप्लाजे झील का उद्धार और विकास संबंधी परियोजना, प्रकृति संरक्षण कार्यक्रम के अंग के रूप में हाथ में ली गई है जो वर्षा जल को रोक रखने में और क्षेत्र भू जल स्तर बढ़ाने में उपयोगी साबित हुई है. इससे, घरेलू और कृषि, दोनों प्रयोजनों लिए इर्द-गिर्द के इलाकों में जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रहा है. अपने संस्कृति संरक्षण कार्यक्रम के जरिए हमने, मंजेश्वर, कासरगोड़ ज़िला, केरल राज्य के राष्ट्रकवि गोविंद पै मेमोरियल ट्रस्ट के " 'गिलिविंडू' में भवनिका ऑडिटोरियम " के लिए कुर्सियां प्रदान करने की परियोजना हाथ में ली. हमने, आकाशवाणी में अपने कार्यक्रमों के जरिए यक्षगाना और तुलु भाषा के प्रति योगदान भी दिया.

सिद्धांत 9: ग्राहकों के लिए मूल्य.

1. **वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित ग्राहकों की शिकायतों/उपभोक्ता से संबंधित मामलों का प्रतिशत.**
   ग्राहक शिकायतों में से 80% शिकायतों का विव में प्रत्यक्ष बिक्री के अधीन ही निवारण किया जाता है.

2. **उत्पाद के लेबलिंग पर उत्पाद की जानकारी.**
   सिर्फ़ पॉलीप्रॉपीलीन के लिए. जानकारी में अन्य बातों के साथ-साथ ग्रेड का वर्णन, विनिर्माता का नाम और पता /ई-मेल पता, ब्रांड का नाम, बैग संख्या, लॉट संख्या और संरक्षा संबंधी निर्देश दिए जाते हैं.

3. **पिछले पांच वर्ष के दौरान और वित्तीय वर्ष के अंत में, अनुचित व्यापार प्रथा, गैर-जिम्मेदार तरीके से विज्ञापन देने और/अथवा प्रतिस्पर्धात्मक विरोधी व्यवहार के बारे में कंपनी के खिलाफ किसी हिस्सेदार द्वारा दर्ज किया गया कोई मामला.**

   कुछ नहीं

4. **कंपनी द्वारा किया गया उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता के संतोषपर्यंत प्रवृत्ति.**
   उत्पाद की निरंतर गुणवत्ता और अधिक अनुक्रियाशील बिक्री प्रणाली से प्रत्यक्ष बिक्री में विव 20-21 में 97.15% से अधिक ग्राहक संतुष्टि सूचक हासिल करना संभव हो पाया.

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्य

मंगलूर रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने, **मंगलूर रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड** (“the Company”) के संलग्न किए गए स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2021 तक का तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण(अन्य व्यापक आय सहित), उस तारीख को समाप्त वर्ष का इक्विटी में परिवर्तन दर्शाने वाला विवरण और स्वतंत्र नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां (जिसे इसके आगे " स्वतंत्र वित्तीय विवरण " कहा गया है) समाविष्ट की गई है.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में, अपेक्षित तरीके से कंपनी अधिनियम, 2013 (‘Act’) की अपेक्षानुसार जानकारी मिलती है जो यथा संशोधित कंपनी नियम, 2015 (भारतीय लेखा मानक) (“Ind AS”) और उसके अधीन जारी संबंधित नियमों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, 31 मार्च, 2020 तक के कंपनी के कामकाज की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के उसकी हानि (अन्य व्यापक आय सहित) तथा इक्विटी में परिवर्तन एवं उस तारीख को समाप्त नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाती है.

राय का आधार

हमने, अपनी लेखा परीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (SAs) के अनुसार की. *उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियों के बारे में आगे वर्णन, हमारी रिपोर्ट के खंड " स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां " में किया गया है.* कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ-साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी *नीति संहिता* के अनुसार हम, कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और नीति संहित के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां पूरी की हैं. हम मानते हैं कि हमें लेखा परीक्षा के बारे में जो सबूत मिले हैं वे स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा संबंधी हमारी राय देने के लिए एक आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं.

बल देने लायक मामले

हम, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के प्रति नीचे उल्लिखित टिप्पणियों की तरफ़ ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं.

(क) ₹ 28.72 दशलक्ष और ₹ 243.11 दशलक्ष के प्रावधान के बारे में विवरण की टिप्पणी सं.40.2.2 (ग) - कुछ कंपनियों के, जिनमें भविष्य निधि न्यास ने अपने निवेश किए हों, मूल रूप से अपरिवर्तनीय डिबेंचरों पर प्रत्याशित ब्याज संबंधी दायित्वों और संभावित मूल धनराशि में चूक के कारण कमी से उत्पन्न भविष्य निधि विनियमों के अधीन नियोजक के दायित्व पर विचार करते हुए निवेश के मूल्य में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए. भविष्य निधि न्यास ने उक्त निवेश को अपनी बहियों में 70% तक दर्शाया है जो भविष्य में विभिन्न मामलों के निष्कर्ष पर और इन मामलों में कंपनी के दावे को स्वीकार करने पर निर्भर होगी.

(ख) सहायक कंपनी ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्गमित अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचरों (CCD)के लिए बैक स्टॉपिंग व्यवस्था के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) की विशेष सलाहकार समिति (EAC) की

राय के आधार पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के पुन: कथन सहित प्रकटन और लेखाकरण के बारे में विवरण की टिप्पणी संख्या 49.

(ग) विवरण की टिप्पणी सं.53 जिसमें कंपनी के व्यवसाय पर COVID-19 के प्रभाव और समुत्थान आधार पर इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों को तैयार करने के औचित्य का वर्णन किया गया है जिसका पूर्ण रूप से वर्णन इसमें मिलता है.

(क) से (ग) से संबंधित उक्त मामलों में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले, ऐसे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय के मुताबिक, चालू अवधि के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में बेहद उल्लेखनीय थे. स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाते समय इन मामलों को निपटाया गया और इन मामलों पर हमारी कोई अलग राय नहीं है. नीचे उल्लिखित प्रत्येक मामले में, हमने यह वर्णन किया है कि मामले को हमारी लेखा परीक्षा में कैसे निपटाया गया है.

हमने नीचे वर्णित मामलों का लेखा संबंधी महत्वपूर्ण मामलों के रूप में निर्धारण किया है जिसे हमारी रिपोर्ट में सूचित किया गया है. इन मामलों को समाते हुए हमारी रिपोर्ट में स्वतंत्र वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित जिम्मेदारियां, हमने निभाई हैं. तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा में ऐसी कार्यविधियां पूरी की गईं जो, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में दिए गए महत्वपूर्ण गलत बयान के जोखिम के हमारे निर्धारण के जवाब में बनाई गई थीं. नीचे उल्लिखित मामले निपटाने की दृष्टि से की गईं कार्यविधियों सहित हमारी लेखा परीक्षा कार्यविधियों के परिणामों में संलग्न किए गए स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय दी गई है.

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले	हमारी लेखा परीक्षा में इनका समाधान कैसे किया गया
COVID-19 सर्वव्यापी महामारी की दूसरी लहर के बाद हमारी अंतिम लेखा परीक्षा के दूसरे चरण में आवश्यक पड़ी आशोधित लेखा परीक्षा कार्यविधियां	
देश भर में COVID-19 सर्वव्यापी महामारी की दूसरी लहर और परिणामस्वरूप यात्रा करने पर और अन्य प्रतिबंधकों के कारण हमारी लेखा परीक्षा के दूसरे चरण का अंतिम भाग, कंपनी के प्रचालन स्थानों/अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों/कार्पोरेट कार्यालय में हमारी प्रत्यक्ष मौजूदगी में न हो पाया. कुछ हद तक, इस असाधारण स्थिति में हमें अपनी लेखा परीक्षा कार्यविधि में आशोधन करना पड़ा जिससे कि ऑनलाइन पहुंच के जरिए दूर से, डिजिटल दस्तावेज प्राप्त करते हुए, ऑनलाइन बैठकों आदि के जरिए लेखा परीक्षा की जा सके. COVID-19 सर्वव्यापी महामारी की दूसरी लहर के निमित्त उत्पन्न इस असाधारण स्थिति के कारण, ऊपर बताया गया है, हमारी प्रत्यक्ष मौजूदगी की सीमा तक हमने इन आशोधित लेखा परीक्षा कार्यविधियों को महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा संबंधी मामले के रूप में पहचाना.	कंपनी ने, लेखा बहियों और दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए अपनी SAP प्रणाली तक सुरक्षित नेटवर्क पर VPN पहुंच प्रदान करने के साथ-साथ ई-मेल पत्राचार, वीडियो कॉन्फ्रेंस और अन्य संचार प्रणाली के समर्थन से लेखा परीक्षा पूर्ण करने में मदद की. जिस हद तक हमारी प्रत्यक्ष मौजूदगी संभव न थी, हमने लेखा परीक्षा की प्रक्रियाएं, ऊपर बताए गए तरीके से हमें उपलब्ध कराई गई इन लेखा बहियों, रेकॉर्डों, दस्तावेजों आदि के सत्यापन के जरिए कीं जिन पर लेखा परीक्षा करने और चालू अवधि के लिए रिपोर्टिंग करने के लिए लेखा परीक्षा सबूत के तौर पर भरोसा किया गया. हमने, ऊपर उल्लिखित माध्यम से समय-समय पर अपने समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों, सबूतों आदि की स्कैन की गईं प्रतियों का सत्यापन किया जिनको लेखा परीक्षा सबूतों के रूप में रखा गया. हमने, ई-मेल, वीडियो कान्फरेंसिंग, बातचीत और इसी प्रकार के संचार माध्यमों से लेखा पूछताछ की, लेखा परीक्षा संबंधी हमारी लेख-टिप्पणियों के बारे में चर्चा की और लेखा परीक्षा संबंधी आवश्यक सबूत हासिल किए. जब कभी बकाया शेषराशियों के बारे में बैंकों और अन्य पक्षकारों से हमें प्रत्यक्ष रूप से पुष्टीकरण नहीं मिला, हमने, इस बारे में कंपनी से प्राप्त किए गए पुष्टीकरण और विवरणों पर भरोसा किया और बाद में हुईं घटनाओं एवं किए गए लेन-देनों का सत्यापन करने सहित लेखा परीक्षा संबंधी अन्य कार्यविधियां पूरी कीं,

	जब कभी अचल संपत्तियों के स्वत्व विलेख भौतिक रूप में उपलब्ध न हों, जिनकी पहुंच, SAP प्रणाली में उपलब्ध न थीं, हमने, इस बारे में अन्य ब्यौरों और प्रबंधन के अभ्यावेदन पर भरोसा किया है, हमने, लेखा परीक्षा संबंधी कार्यविधियां करते समय, लेखा परीक्षा के बारे में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी परामर्श और मार्गनिर्देश तथा COVID 19 स्थिति में लेखाकरण कार्यविधियों पर भरोसा करते हुए लेखा परीक्षा की.
कंपनी/विवादग्रस्त मांगों के प्रति दावों से संबंधित आकस्मिक (संलग्न स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.45 देखें)	
कंपनी के खिलाफ विभिन्न मंचों पर ऐसे कई दावे और मुकदमे लंबित हैं जिनको कंपनी ने कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया है और इनको आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया है. क्या वित्तीय विवरणों में किसी देयता को दर्शाया गया है अथवा आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है यह बात स्वाभाविक रूप से निर्णयात्मक है और कई उल्लेखनीय परिकल्पनाओं एवं निर्धारणों पर निर्भर होती है. इन कानूनी कार्यवाहियों का अंतिम निष्कर्ष, भावी घटनाओं पर निर्भर होती है और अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम, कंपनी के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन पत्र की स्थिति को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकते हैं. कंपनी के खिलाफ दावों/विवादित मांग से उत्पन्न एक्सपोशर के संबंध में आकलन संबंधी अधिक अनिश्चितता से जुड़े लेखाकरण आकलनों सहित विभिन्न मामलों का निर्वचन करते समय प्रबंधन के निर्णय पर विचार करते हुए इस मामले को चालू वर्ष की लेखा परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामले के रूप में पहचाना गया है.	हमारी लेखा परीक्षा कार्यविधियों में नीचे उल्लिखित बातें सम्मिलित हैं जो नीचे उल्लिखित बातों तक सीमित नहीं हैं: - इनके बारे में प्रबंधन प्रक्रिया को समझा: - कंपनी के खिलाफ दावों और विवादित रकम और की गईं कानूनी कार्रवाइयों को नियंत्रित करना और पहचानना. - इस तरह से पहचाने गए प्रत्येक मुकदमे के संबंध में Ind AS 37 के अधीन लेखाकरण का निर्धारण करना और - इसमें फंसी रकम को मापना. - कंपनी के खिलाफ लंबित मुकदमों के स्वरूप को समझा और महत्वपूर्ण मुकदमों के बारे में वर्ष के दौरान हुए घटना क्रमों को लेकर प्रबंधन और कंपनी के संबंधित कानूनी विभाग के साथ चर्चा की. - इसी प्रकार के मामलों में इससे पहले हुई घटनाओं को समझते हुए प्रबंधन के निष्कर्ष का निर्धारण किया. - लागू लेखा मानकों के अनुसार उनके औचित्य को लेकर किए गए प्रकटन की पर्याप्तता और परिपूर्णता का मूल्यांकन किया
आस्थगित कर आस्तियों को लेखाबद्ध करना और मापना	
Ind AS 12 के अनुसार, आस्थगित कर आस्तियां, (क) काटने लायक अस्थाई अंतर (ख) अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों को आगे ले जाने और (ग) अप्रयुक्त कर क्रेडिट को आगे ले जाने के संबंध में भावी अवधियों में वसूलने लायक आय की रकम होती हैं. अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों और अप्रयुक्त कर संबंधी क्रेडिट को आगे ले जाने के लिए आस्थगित कर आस्ति को उस हद तक दर्शाया गया जाएगा जिस हद तक यह संभव हो कि भावी कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके प्रति अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों और अप्रयुक्त कर संबंधी क्रेडिद्व का उपयोग किया जा सके	हमारी लेखा परीक्षा कार्यविधियों में नीचे उल्लिखित बातें सम्मिलित हैं जो नीचे उल्लिखित बातों तक सीमित नहीं हैं: - कंपनी के पिछले वर्षों के कर योग्य लाभ और प्रदत्त कर पर विचार किया, आय कर के अधीन आगे ले जाई गई हानियों और भावी कर योग्य लाभ के आकलन के ब्यौरे हासिल किए. - उस अवधि में परीक्षण किया जिसमें उन अप्रयुक्त हानियों और अप्रयुक्त कर संबंधी क्रेडिद्व पर आस्थगित कर आस्तियों को भावी कर योग्य आय से वसूल किया जाएगा. - संभावित भावी कर योग्य लाभ का आकलन करने में प्रबंधन की अंतर्निहित परिकल्पनाओं और निर्णयों एवं मौजूद पर्याप्त कर योग्य अस्थाई अंतर का, जिसके प्रति

संभावित भावी कर योग्य लाभ का निर्धारण करना, ठोस सबूत के आधार पर निर्णय लेने का मामला है, भावी कर योग्य लाभ का, जो कुछ हद तक अनिश्चित होता है, आकलन करने और भावी कर योग्य लाभ का निर्धारण करने का निर्णय लेने वाले प्रबंधन की भागीदारी पर विचार करते हुए यह मामला, एक महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है.	अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों अथवा अप्रयुक्त कर संबंधी क्रेडिट्स का कंपनी द्वारा उपयोग किया जा सकता है. - स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में प्रकटन की पर्याप्तता और उपयुक्तता का निर्धारण किया.
सहायक कंपनी में निवेश की क्षति	
IND AS 36 के अनुसार–*आस्तियों की क्षति*, एक उद्यम, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह निर्धारण करेगा कि क्या कोई ऐसा संकेत है जिससे सहायक कंपनियों, सहबद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश सहित आस्ति की क्षति हो सकती है. अगर ऐसा कोई संकेत मिला हो तो उद्यम को आस्ति की वसूल करने योग्य रकम का आकलन करना होगा. जैसा कि स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.11 में प्रकट किया गया है, कंपनी ने, **ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और** संयुक्त उद्यम, **शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड** में निवेश किया है. कंपनी, संबंधित Ind AS के अधीन अपेक्षाओं के संदर्भ में उक्त निवेश की क्षति होने के संकेतकों का नियमित रूप से विश्लेषण करती है जिसमें उल्लेखनीय आकलन और परिकल्पनाओं का उपयोग किया जाता है. ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने लगातार हानियां उठाई हैं जिससे कंपनी की निवल मालियत में ह्रास हुआ है. ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के प्रबंधन ने अनुमान लगाया है कि विभिन्न कल्पनाओं और प्रक्षेपणों के आधार पर, जिनके लिए ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने अपना अनुमोदन दिया है, वह आने वाले वर्षों में लाभ अर्जित कर पाएगी. इस सहायक कंपनी में निवेश का लेखाकरण करना, एक महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा संबंधी मामला है, क्योंकि क्षति का निर्धारण करते समय वसूल करने योग्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रबंधन को, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह, बट्टा दर, आर्थिक एवं उद्यम निर्दिष्ट कारकों आदि के संबंध में उल्लेखनीय परिकल्पनाएं करनी पड़ती हैं और निर्णय लेना पड़ता है.	हमारी लेखा परीक्षा कार्यविधियों में नीचे उल्लिखित बातें सम्मिलित हैं जो नीचे उल्लिखित बातों तक सीमित नहीं हैं: - हमने, सहायक कंपनी में निवेश की क्षति के बारे में चर्चा कर प्रबंधन के निर्धारण का मूल्यांकन किया. - हमने, मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़े विशेषज्ञों की वस्तुनिष्ठता और स्वतंत्रता का मूल्यांकन किया. - हमने, भावी नकदी प्रवाह का और इस संबंध में प्रयुक्त महत्वपूर्ण परिकल्पनाओं का प्रक्षेपण करने की खातिर ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा अपनाई गईं परिकल्पनाओं सहित मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण कर उसकी समीक्षा की. - प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त कर सहायक कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक की स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की. - हमने, प्रकटन संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करने की खातिर स्वतंत्र IND AS वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटनों पर विचार किया.

अन्य मामले

विवरण में समाविष्ट 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के स्वतंत्र वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा, पूर्ववर्ती लेखा परीक्षकों ने की और उस बारे में रिपोर्ट पेश किया, जिन्होंने अपनी दिनांक 9 जून, 2020 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए असंशोधित राय व्यक्त की है जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है और हमने, विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से इस पर भरोसा किया है. इस मामले में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

अन्य जानकारी.

कंपनी का निदेशक मंडल, अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है. अन्य जानकारी में शामिल है, बोर्ड की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, कारोबार जिम्मेदारी रिपोर्ट, कार्पोरेट अभिशासन और शेयरधारकों की जानकारी सहित बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित जानकारी लेकिन इसमें स्वतंत्र वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है. उम्मीद है कि हमें, ऊपर निर्दिष्ट जानकारी, इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराई जाएगी.

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में, अन्य जानकारी को समाया नहीं गया है और हम, उस पर कोई आश्वासन नहीं देना चाहते हैं न ही कोई निष्कर्ष ले सकते हैं.

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी, जब उपलब्ध हो तब पहचानी गई उक्त अन्य जानकारी को पढ़ना और ऐसा करते समय यह विचार करना कि क्या अन्य जानकारी, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों से ख़ास तौर से असंगत है अथवा हमारी लेखा परीक्षा के दौरान अथवा अन्यथा हमें प्राप्त ज्ञान, वस्तुत: लगता है. जानकारी पढ़ते समय अगर हम यह निष्कर्ष करें कि उसमें दी गई जानकारी वस्तुत: गलत है तो हमें अभिशासन चलाने वालों को इस बारे में सूचना देनी पड़ेगी और परिस्थितियों में एवं लागू कानूनों और विनियमों के तहत आवश्यक उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी.

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन चलाने वालों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल, ये स्वतंत्र वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("the Act") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाते हैं. इस जिम्मेदारी में ऐसी बातें भी शामिल हैं जैसे कंपनी की आस्तियों की हिफ़ाजत करने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखा नीतियों का चयन कर उनको लागू करने, ऐसे फैसले और आकलन करने के लिए जो उचित एवं विवेकपूर्ण हों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की रूपरेखा बनाने, उसका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने के लिए जो सही और निष्पक्ष चित्र दर्शाने वाले और चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण, महत्वपूर्ण गलत बयान से स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, लेखा रेकॉर्ड की यथातथ्यता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए ठीक तरह से काम कर रहे हों, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रेकॉर्ड रखना.

स्वतंत्र वित्तीय विवरण तैयार करते समय निदेशक मंडल, समुत्थान उद्यम के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमता का निर्धारण करने, समुत्थान उद्यम के रूप से संबंधित यथा लागू मामले प्रकट करने और जब तक निदेशक मंडल, कंपनी का परिसमापन करने अथवा प्रचालन समाप्त करने का इरादा न रखे अथवा जिसके पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा वस्तुनिष्ठ विकल्प न हो, समुत्थान आधार पर लेखाकरण करने के लिए जिम्मेदार है.

वह निदेशक मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार है.

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा मक़सद है, इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करना कि क्या समग्र रूप से स्वतंत्र वित्तीय विवरण, ठोस गलत बयान से मुक्त हैं, क्या धोखाधडी या गलती की वजह से ऐसा हुआ है और क्या हमारी राय सहित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना पड़ेगा. उचित आश्वासन, उच्च स्तर के आश्वासन के बराबर होता है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं देता है कि SAs के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में, कोई ठोस गलत बयान हो तो उसका हमेशा पता लगाया जाएगा. धोखाधड़ी अथवा गलती से गलत बयान उत्पन्न हो सकता है और इनको ठोस तभी समझा जाएगा जब प्रत्येक रूप से अथवा कुल मिलाकर, इनसे यह उम्मीद की जाए कि ये, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फ़ैसलों को प्रभावित कर सकते हैं.

SAs के अनुसार लेखा परीक्षा के अंग के तौर पर, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखा परीक्षा की समग्र अवधि के दौरान पेशेवर अविश्वास बनाए रखते हैं. हम यह कार्य भी करते हैं:

- स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के ठोस गलत बयान में निहित जोखिम को पहचानकर यह निर्धारण करते हैं कि क्या यह धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण हुआ है, इन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षा संबंधी क्रियाविधियां बनाकर लागू करते हैं और लेखा परीक्षा को लेकर ऐसा सबूत पाते हैं जो हमारी राय देने के लिए एक आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हो. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए ठोस गलत बयान का पता लगने पर उत्पन्न जोखिम, गलती से उत्पन्न गलत बयान से अधिक जोखिम भरा होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर भूल-चूक, आंतरिक नियंत्रण का अन्यथा कथन अथवा उल्लंघन होता है.
- लेखा परीक्षा संबंधी ऐसा क्रियाविधियां बनाने की दृष्टि से जो परिस्थितियों में उचित हों, लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को समझना. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम, इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी ने, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रक पद्धतियां लागू की हैं और ऐसे नियंत्रक, चलाने के लिए प्रभावशाली हैं.
- प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता और लेखा आकलनों के औचित्य का तथा प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटन का मूल्यांकन करना.
- अंतिम रूप से यह तय करना कि समुत्थान आधार पर लेखाकरण का उपयोग करना प्रबंधन के लिए उपयुक्त है और प्राप्त लेखा परीक्षा संबंधी सबूत के आधार पर क्या घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में कोई ऐसी ठोस अनिश्चितता है जो समुत्थान प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमता पर ख़ास संदेह उत्पन्न करें. अगर अंत में हम यह तय करें कि ठोस अनिश्चितता मौजूद है तो हमें, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में प्रकटन की ओर ध्यान आकृष्ट करना होगा अथवा अगर ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो हमारी राय बदलनी पड़ेगी. हमारे निष्कर्ष, हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा संबंधी सबूत के आधार पर हैं. लेकिन, भावी घटनाएं अथवा स्थितियां, कंपनी को एक समुत्थान उद्यम के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं.
- प्रकटन सहित स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना और यह देखना कि क्या स्वतंत्र वित्तीय विवरण, अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं का चित्रण इस तरह से पेश करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण उभरकर सामने आए.

हम उनको सूचित करते हैं जिनको अन्य मामलों के साथ-साथ लेखा परीक्षा की योजनाबद्ध व्याप्ति और समय निर्धारित करने और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हम जिन आंतरिक नियंत्रक को पहचाने उनमें उल्लेखनीय कमियों सहित उल्लेखनीय लेखा परीक्षा जांच-परिणाम निकालने का काम सौंपा गया है.

हम, शासन का काम चलाने के लिए जिम्मेदार उनको भी यह बयान देते हैं कि हमने, स्वतंत्रता के बारे में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उनको, ऐसे संबंधों और अन्य मामलों के बारे में और जहां कहीं लागू हो, संबंधित रक्षोपायों के बारे में जानकारी देते हैं जिसका हमारी स्वतंत्रता पर उचित प्रभाव पड़े.

शासन चलाने वालों को सूचित किए गए मामलों में से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो चालू अवधि के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में बेहद उल्लेखनीय थे और इसलिए लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले रहें. जब तक कानून अथवा विनियम, मामलों के बारे में सार्वजनिक प्रकटन करने से रोक न लगाए हमने इन मामलों को अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वर्णन किया है अथवा जब अति विरल परिस्थितियों में हम यह निर्धारण करें कि मामला, हमारी रिपोर्ट में इसलिए नहीं सूचित किया जाए कि ऐसा सूचित करने से सार्वजनिक हित संबंधी लाभ से अधिक प्रतिकूल परिणाम होने की संभावना होगी.

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("the Order") की अपेक्षाओं के अनुरूप, हमने, यथाशक्य, आदेश के परिच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण, **अनुबंध "अ"** में दिया है.
2. कंपनी के रेकॉर्डों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के बलबूते पर, हम, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर यहां नीचे अपनी रिपोर्ट देते हैं:
   - **क)** कंपनी, SAP नामक आईटी सिस्टम के जरिए लेखा संबंधी तमाम लेन-देन करती है. की गईं लेखा परीक्षा संबंधी कार्यविधियों के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईटी सिस्टम के बाहर कोई लेखा संबंधी लेन-देन नहीं किया गया इसलिए लेखों की शुद्धता को प्रभावित करने वाले कोई वित्तीय लेन-देन नहीं हैं.
   - **ख)** की गईं लेखा परीक्षा संबंधी कार्यविधियों के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, मौजूदा

ऋण का पुनर्निर्माण नहीं किया गया है न ही कंपनी की ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण कंपनी को उधारदाता द्वारा किए गए कर्जों/ऋणों/ब्याज आदि का अधित्यजन/बट्टे खाते लिखने का कोई मामला है.

ग) की गईं लेखा परीक्षा संबंधी कार्यविधियों के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, राज्य सरकार से प्राप्त ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में सरकारी अनुदान को ठीक तरह से लेखाबद्ध कर उनका नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है.

3. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने ऐसी तमाम जानकारी और स्पष्टीकरण मांग कर प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे.

ख) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी परीक्षा से लगता है कि कंपनी ने कानून द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियां ठीक तरह से रखी हैं.

ग) इस रिपोर्ट में समाविष्ट किए गए स्वतंत्र तुलन पत्र, स्वतंत्र लाभ-हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), स्वतंत्र नकदी प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तन दर्शाने वाला स्वतंत्र विवरण, लेखा बहियों के अनुरूप हैं.

घ) हमारी राय में, उक्त स्वतंत्र समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

ङ) अधिनियम की धारा 164(2) के अधीन उल्लिखित निदेशकों की अनर्हता, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं होती है.

च) कंपनी के वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की पर्याप्तता और इन नियंत्रकों की प्रचालन प्रभाविता के संबंध में **अनुबंध आ** में अलग रूप से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें.

छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित धारा 197 के प्रावधान, कंपनी के लिए इसलिए लागू नहीं होते हैं कि वह एक सरकारी कंपनी है और

ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में समाविष्ट किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

(I) कंपनी ने, अपने स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित कानूनी मामलों का प्रभाव प्रकट किया है - देखें स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.45.

(II) कंपनी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घावधि ठेके नहीं हैं जिसके कारण किसी प्रकार की महत्वपूर्ण हानि का पूर्वाभास हो; और

(III) निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित करने के लिए अपेक्षित रकम का हस्तांतरण करने में कोई विलंब नहीं हुआ है.

कृते संकर एण्ड मूर्ती
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003575S

हस्ता/-
सीए जयप्रकेश एम सी
साझेदार
सदस्यता सं. 215562

स्थान : कण्णूर
दिनांक : 17 मई 2021
UDIN : 21215562AAAADA4355

कृते राम राज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002839S

हस्ता/-
सीए जी वेंकटेश्वर राव
साझेदार
सदस्यता सं. 024182
स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 17 मई, 2021
UDIN :21024182AAAACR7020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध - अ

[31 मार्च, 2021 को समाप्त कंपनी लेखों पर **मेसर्स मंगलूर रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड** *के सदस्यों को निर्दिष्ट हमारी सम दिनांक रिपोर्ट की अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के परिच्छेद 1 में निर्दिष्ट]*

कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सही एवं निष्पक्ष चित्र पेश करने के प्रयोजन से की गई लेखा परीक्षा संबंधी कार्यविधियों के आधार पर और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों तथा लेखा परीक्षा के सामान्य क्रम में हमारी तरफ से परीक्षित लेखा बहियों और अन्य रेकॉर्डों पर विचार करते हुए और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में;

  क) कंपनी ने परिमाणात्मक ब्योरों और संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के स्थान सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रेकॉर्ड रखे हैं.

  ख) प्रबंधन ने, वर्ष के दौरान तमाम आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया लेकिन सत्यापन करने का एक नियमित कार्यक्रम बनाया गया है जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी आस्तियों के स्वरूप को देखते हुए उचित है. कंपनी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार, ऐसा सत्यापन करने पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नजर नहीं आई हैं.

  ग) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण और हमारी ओर से किए गए कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के अनुसार अचल संपत्ति के स्वत्व विलेख कंपनी के नाम हैं. पट्टे पर लि गईं और स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में आस्तियों का उपयोग के अधिकार के रूप में प्रकट अचल आस्तियों के संबंध में ₹ 1,247.51 दशलक्ष की रकम की भूमि के बारे में औपचारिक पट्टा संबंधी कराननामे अभी निष्पादित नहीं किए गए हैं. स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.6.2 देखें.

ii) हमें बताया गया है कि निरंतर स्टॉक कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा भंडार और अतिरिक्त पुर्जों के स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाता है. अन्य मदों के स्टॉक का वर्षांत में प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाता है. सत्यापन की बारंबारता, हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके कारोबार स्वरूप को देखते हुए उचित है. कंपनी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार, ऐसा सत्यापन करने पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नजर नहीं आई हैं.

iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फ़र्मों अथवा सीमित देयताओं वाले साझेदारों अथवा अन्य पक्षकारों को कोई ऋण, चाहे जमानती हो या गैर-जमानती, नहीं दिया है. इसलिए आदेश के परिच्छेद 3 के खंड (iii) (क) से (ग) के प्रावधान, कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं.

iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋणों, निवेशों, गारंटियों और जमानत के संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और धारा 186 के प्रावधानों का पालन किया है.

v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा अन्य संबंधित प्रावधानों के अर्थ के अंदर कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है. इसलिए आदेश के परिच्छेद 3 के खंड (v) के प्रावधान, कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं.

vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत संबंधी रेकॉर्ड रखने के बारे में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का अनुसरण करते हुए कंपनी द्वारा रखे गए लागत संबंधी रेकॉर्डों की स्थूल रूप से समीक्षा की और हमारी राय में , प्रथम दृष्टि में, निर्धारित लेखे और रेकॉर्ड तैयार कर रखे गए हैं.

लेकिन, हमने रेकॉर्डों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है.

vii) क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी तरफ से परखे गए कंपनी के रेकॉर्डों के अनुसार कंपनी, वर्ष के दौरान, उचित प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आय कर, माल एवं सेव कर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और अन्य सांविधिक देयताओं सहित विवादरहित सांविधिक देयताएं आम तौर पर नियमित रूप से जमा कराती रही है.

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2021 को बकाया भविष्य निधि, आय कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, और अन्य सांविधिक देयताओं के संबंध में देय विवादरहित रकम, देय हुए दिनांक से छह महीने से अधिक समय तक बाकी नहीं रही.

ख. हमें दी गई जानकारी और कंपनी के रेकॉर्डों का सत्यापन करने से ऐसी विवादित कर देयता, जिसे 31 मार्च, 2021 तक उचित प्राधिकरणों के पास जमा नहीं कराया गया है, निम्नानुसार है:

(रकम ₹ दशलक्ष में)

अधिनियम का नाम	देय राशि का स्वरूप	कुल मांग	अभ्यापत्ति के अधीन प्रदत्त/ समायोजित कुल रकम	जमा न की गई रकम	अवधि (वित्तीय वर्ष)	विवाद, किस मंच पर लंबित है
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर/ ब्याज/ दंड	112.24			2013-14	आय कर आयुक्त अपील
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क / सेवा कर/ ब्याज/ दंड	6298.54	327.09	5971.45	2002-03 से 2016-17	CESTAT
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क / ब्याज / दंड	7049.19	2503.96	4545.23	1997-2000 और 2015-17	CESTAT - बेंगलूर
		71.86		71.86	1997-2000	सर्वोच्च न्यायालय
		3.34	0.76	2.58	2017-18	आयुक्त (अपील) (उत्पाद शुल्क) - बेंगलूरु
दी कर्नाटका सेल्स टैक्स ऐक्ट 1957/ केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	कर/ ब्याज/ दंड	4,341.60	4,341.60	-	1999-00 से 2009-10	कर्नाटका अपील न्यायाधिकरण
		16.42	12.42	4.00	2009-10 से 2011-12	कर्नाटक उच्च न्यायालय
		34.97	22.66	12.31	2003-04	गुजरात मूल्य वर्धित कर अधिकरण

viii) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी तरफ से कंपनी के रेकॉर्डों को परखने से,कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी बैंक अथवा सरकार को ऋण या उधार चुकाने में कोई चूक नहीं की है.

xi) कंपनी ने वर्ष के दौरान, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश अथवा अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश के रूप में (कर्ज संबंधी लिखतों सहित) कोई पैसे नहीं जुटाए हैं. लिए गए सावधि ऋणों का उन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया जिसके लिए गए थे.

x) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी तरफ से कंपनी की लेखा बहियों को परखने पर हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमारे ध्यान में कंपनी में धोखाधड़ी की कोई घटना नज़र नहीं आई न ही कंपनी के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी करने की कोई घटना नज़र आई.

xi) कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित धारा 197 के प्रावधान, सरकारी कंपनी के लिए इसलिए लागू नहीं होते हैं कि वह एक सरकारी कंपनी है. इसलिए आदेश के परिच्छेद 3 का खंड (xi) के प्रावधान, कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं.

xii) चूंकि कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है इसलिए निधि नियम, 2014 कंपनी के लिए लागू नहीं होता है. इसलिए आदेश के परिच्छेद 3 के खंड (xii) के प्रावधान, कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं.

xiii) कंपनी ने अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए संबंधित पक्षकारों के साथ कोई लेन-देन नहीं किए हैं. संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए इन लेन-देनों के ब्यौरे लागू लेखा मानकों के अधीन अपेक्षानुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं.

xiv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूर्णत: अथवा अंशत: परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमानी आबंटन अथवा निजी विक्रय नहीं किया है. इसलिए आदेश के परिच्छेद 3 के खंड (xiv) के प्रावधान, कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं.

xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान निदेशकों अथवा निदेशकों के साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई नकद रहित लेन-देन नहीं किया है. इसलिए आदेश के परिच्छेद 3 के खंड (xv) के प्रावधान, कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं.

xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45--Iक के तहत पंजीकृत कराने की ज़रूरत नहीं है. तदनुसार आदेश के परिच्छेद 3 के खंड (xvi) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं.

कृते संकर एण्ड मूर्ती
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003575S

हस्ता/-
सीए जयप्रकेश एम सी
साझेदार
सदस्यता सं. 215562

स्थान : कण्णूर
दिनांक : 17 मई 2021
UDIN : 21215562AAAADA4355

कृते राम राज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार फर्म
पंजीकरण संख्या: 002839S

हस्ता/-
सीए जी वेंकटेश्वर राव
साझेदार
सदस्यता सं. 024182

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 17 मई, 2021
UDIN :21024182AAAACR7020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का " अनुबंध आ "

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के मेसर्स मंगलूर रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम दिनांक की रिपोर्ट के शीर्षक " अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट " के अधीन परिच्छेद 3(च) में निर्दिष्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ("the Act") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर रिपोर्ट

हमने, 31 मार्च, 2020 को **मंगलूर रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड** ("the Company") के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा, उस तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ की.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के प्रबंधन की यह जिम्मेदारी है कि वह, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('ICAI') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा के बारे में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा बनाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रक के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रक स्थापित कर बनाए रखे. इन जिम्मेदारियों में शामिल हैं, प्रभावशाली ढंग से काम करते रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की रूपरेखा बनाना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी की नीतियों का अनुपालन किया है, उसकी आस्तियों की हिफ़ाज़त की जाती है, धोखाधड़ी और गलतियां होने से रोका जाता है और उनका पता लगाया जाता है, लेखा संबंधी अभिलेखों की यथातथ्यता और परिपूर्णता बरकरार रखी जाती है और भरोसेमंद वित्तीय प्रकटन की, वक्त पर तैयारी करने सहित कारोबार को व्यवस्थित ढंग से और दक्षता से चलाया जाता है.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों पर राय व्यक्त करने तक सीमित है. हमने अपनी लेखा परीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा से संबंधित मानकों पर मार्गदर्शन नोट (the"Guidance Note") और ICAI द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित मान लिए गए लेखा परीक्षा मानक के अनुसार, उस हद तक की जो स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा के लिए लागू होते हैं. इन मानकों और मार्गदर्शन नोट में अपेक्षा की गई है कि हम, नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा करते हुए इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई हैं और बनाए रखी गई हैं तथा ऐसे नियंत्रक, सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं.

हमारी लेखा परीक्षा के दौरान ऐसी कार्यविधियां अपनाई गईं जिससे इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभाविता के बारे में लेखा परीक्षा के जरिए सबूत प्राप्त किया जा सके. स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की हमारी लेखा परीक्षा में शामिल था, इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों को समझना, ख़ास कमजोरी में निहित जोखिम का निर्धारण करना तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और प्रचालन प्रभाविता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना. चुनी गई कार्यविधियां, चाहे धोखाधडी के कारण हों या गलती के कारण, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में दी गई महत्वपूर्ण गलत बयान के जोखिम का निर्धारण करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं.

हम मानते हैं कि हमने, लेखा परीक्षा संबंधी जो सबूत हासिल किया है वह, इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय व्यक्त करने के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार है.

इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों का अर्थ

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन दिलाने और बाह्य प्रयोजनों के लिए स्वतंत्र वित्तीय विवरण तैयार करने की दृष्टि से बनाया गया है. स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों में ऐसी नीतियां और कार्यविधियां शामिल हैं जो

(1) ऐसे रेकॉर्ड रखने से संबंधित है जो उचित ब्यौरे के साथ कंपनी के लेन-देनों और आस्तियों के निपटान का सही एवं निष्पक्ष चित्रण पेश कर सके.

(2) ऐसा उचित आश्वासन दिलाए कि लेन-देनों के यथा आवश्यक रेकॉर्ड रखे जाते हैं जिससे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार स्वतंत्र वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति मिले और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय, प्रबंधन एवं कंपनी निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जाते हैं; और

(3) कंपनी की उन आस्तियों के, अनधिकृत अधिग्रहण की रोकथाम करने अथवा उसका वक्त पर पता लगाने के बारे में, जिसका स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण असर पड़े, उचित आश्वासन दिलाए.

इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के परे अनुचित सांठगांठ अथवा प्रबंधन, ऐसी गलती अथवा धोखाधड़ी के कारण, जिसका पता न लगाया जाए, महत्वपूर्ण गलत बयान की संभावना सहित इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण. साथ ही, भावी अवधियों से संबंधित इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन पर आधारित प्रक्षेपण में जोखिम की ऐसी संभावना होती है कि इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली, स्थितियों में परिवर्तन अथवा नीतियों का अनुपालन करने की मात्रा अथवा कार्यविधियों की अवनति के कारण पर्याप्त न लगे.

राय

हमारी राय में, हमें मिली जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में, इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाई हैं और इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली, 31 मार्च, 2021 को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा बनाए गए इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं.

कृते संकर एण्ड मूर्ती
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003575S

हस्ता/-
सीए जयप्रकेश एम सी
साझेदार
सदस्यता सं. 215562

स्थान : कण्णूर
दिनांक : 17 मई 2021
UDIN : 21215562AAAADA4355

कृते राम राज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 002839S

हस्ता/-
सीए जी वेंकटेश्वर राव
साझेदार
सदस्यता सं. 024182

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 17 मई, 2021
UDIN :21024182AAAACR7020

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष में इक्विटी में परिवर्तन संबंधी स्वतंत्र विवरण

अ इक्विटी शेयर पूंजी

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

विवरण	रकम
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	**17,526.64**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**17,526.64**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2021 को शेषराशि	**17,526.64**

आ अन्य इक्विटी

विवरण	मानी गई इक्विटी	आरक्षित निधि और अधिशेष				कुल
		सामान्य आरक्षित निधि	पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम	प्रतिधारित अर्जन	
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	**42.17**	**1,192.00**	**91.86**	**3,490.53**	**84,927.09**	**89,743.65**
वर्ष का कर उपरांत लाभ/(हानि)	-	-	-	-	(27,403.46)	(27,403.46)
वर्ष की अन्य व्यापक आय, निवल आय कर	-	-	-	-	(85.73)	(85.73)
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**(27,489.19)**	**(27,489.19)**
लाभांश का भुगतान	-	-	-	-	(1,752.60)	(1,752.60)
लाभांश पर कर	-	-	-	-	(360.25)	(360.25)
31 मार्च, 2020 को शेषराशि *	**42.17**	**1,192.00**	**91.86**	**3,490.53**	**55,325.05**	**60,141.61**
वर्ष का कर उपरांत लाभ/(हानि)	-	-	-	-	(2,404.57)	(2,404.57)
वर्ष की अन्य व्यापक आय, निवल आय कर	-	-	-	-	19.98	19.98
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2,384.59)**	**(2,384.59)**
31 मार्च, 2021 को शेषराशि	**42.17**	**1,192.00**	**91.86**	**3,490.53**	**52,940.46**	**57,757.02**

पुन: कथित: देखें टिप्पणी सं.49

हमारी संलग्न सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार **कृते बोर्ड व उसकी तरफ से**

कृते राम राज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 002839S
हस्ता/-
सीए जी वेंकटेश्वर राव
साझेदार
सदस्यता सं. 024182
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 17/05/2021

कृते संकर एण्ड मूर्ती
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 003575S
हस्ता/-
सीए. जयप्रकेश एमसी
साझेदार
सदस्यता सं. 215562

हस्ता/-
एम वेंकटेश
प्रबंध निदेशक
DIN: 07025342
हस्ता/
पोमिला जोसेफ
निदेशक (वित्त)
DIN: 08436633
हस्ता/-
के.बी. श्याम कुमार
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2021 तक का स्वतंत्र तुलन-पत्र

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

	विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020*
	आस्तियां			
I	**गैर-चालू आस्तियां**			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	5	132,466.84	137,619.60
	(ख) आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार	6	4,448.12	4,600.53
	(ग) प्रगति में पूंजीगत कार्य	7	23,592.46	17,302.04
	(घ) निवेश संपत्ति	8	77.96	77.96
	(ङ) सुनाम	9	4.04	4.04
	(च) अन्य अगोचर आस्तियां	10	77.14	90.45
	(छ) वित्तीय आस्तियां			
	(i) निवेश	11	33,948.43	21,779.23
	(ii) ऋण	12	1,225.84	1,108.72
	(iii) अन्य वित्तीय आस्तियां	13	275.52	198.57
	(ज) गैर-चालू कर आस्तियां (निवल)	14	1,636.56	1,636.54
	(झ) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	25	4,187.80	3,152.13
	(ञ) अन्य गैर-चालू आस्तियां	15	8,169.98	8,721.26
	कुल गैर चालू आस्तियां (I)		**210,110.69**	**196,291.07**
ii	**चालू आस्तियां**			
	(क) स्टॉक	16	66,098.68	38,899.75
	(ख) वित्तीय आस्तियां			
	(i) प्राप्य व्यापार राशियां	17	24,164.74	10,422.69
	(ii) नकद और नकदी समतुल्य	18	258.01	17.80
	(iii) उक्त (ii) से भिन्न बैंक शेषराशियां	19	262.61	262.15
	(iv) ऋण	12	148.94	133.19
	(v) अन्य वित्तीय आस्तियां	13	772.55	6,329.33
	(ग) चालू कर आस्तियां (निवल)	14	1,860.09	1,982.33
	(घ) अन्य चालू आस्तियां	15	3,784.31	3,647.66
	कुल चालू आस्तियां (II)		**97,349.93**	**61,694.90**
	कुल आस्तियां (I+II)		**307,460.62**	**257,985.97**
	इक्विटी और देयताएं			
I	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	20	17,526.64	17,526.64
	(ख) अन्य इक्विटी	21	57,757.02	60,141.61
	कुल इक्विटी (I)		**75,283.66**	**77,668.25**
	देयताएं			
ii	**गैर-चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधार	22	99,222.48	79,515.17
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	23	6,318.02	6,090.10
	(ख) प्रावधान	24	1,141.69	947.47
	(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	25	-	-
	(घ) अन्य गैर चालू देयताएं	27	3,449.04	3,597.42
III	**कुल गैर-चालू देयताएं (II)**		**110,131.23**	**90,150.16**
	चालू देयताएं			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधार	22	54,369.88	24,360.83
	(ii) देय व्यापार राशियां	26		
	- सूक्ष्म प्रतिष्ठानों और लघु प्रतिष्ठानों की कुल बकाया देयताएं		305.31	336.00
	- सूक्ष्म प्रतिष्ठानों और लघु प्रतिष्ठानों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं		39,671.29	32,375.17
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	23	18,190.79	22,518.03
	(क) अन्य चालू देयताएं	27	3,982.46	8,764.49
	(ख) प्रावधान	24	5,526.00	1,813.04
	कुल चालू देयताएं (III)		**122,045.73**	**90,167.56**
	कुल देयताएं (II+III)		**232,176.96**	**180,317.72**
IV	**कुल इक्विटी और देयताएं (I+IV)**		**307,460.62**	**257,985.97**

* पुन: कथित: देखें टिप्पणी सं.49

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें (1-56)
हमारी संलग्न सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते बोर्ड व उसकी तरफ से

कृते राम राज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 002839S
हस्ता/-
सीए जी वेंकटेश्वर राव
साझेदार
सदस्यता सं. 024182
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 17/05/2021

कृते संकर एण्ड मूर्ती
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 003575S
हस्ता/-
सीए. जयप्रकेश एमसी
साझेदार
सदस्यता सं. 215562

हस्ता/-
एम वेंकटेश
प्रबंध निदेशक
DIN: 07025342
हस्ता/
पोमिला जोसेफ
निदेशक (वित्त)
DIN: 08436633
हस्ता/-
के.बी. श्याम कुमार
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का स्वतंत्र लाभ-हानि विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

	विवरण	टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020*
I.	परिचालन से राजस्व	28	510,191.92	607,515.38
II.	अन्य आय	29	1,184.58	1,050.46
III.	**कुल आय (I + II)**		**511,376.50**	**608,565.84**
IV.	**खर्चः**			
	खपाई गई सामग्री की लागत	30	294,072.61	466,242.67
	व्यापार में स्टॉक की खरीदारी	31	11,931.73	33,520.79
	तैयार माल और प्रक्रिया में स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन	32	(12,028.15)	13,474.20
	वस्तुओं की बिक्री पर उत्पाद शुल्क		1,88,367.81	97,496.06
	कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	33	5,109.39	4,401.22
	वित्त लागत	34	3,520.46	7,446.61
	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	35	8,529.97	7,832.08
	अन्य खर्च	36	15,323.65	17,727.20
	कुल खर्च (IV)		**5,14,827.47**	**6,48,140.83**
V.	**अपवादात्मक मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**		**(3,450.97)**	**(39,574.99)**
VI.	**अपवादात्मक मदें (आय)/खर्च (निवल)**		-	-
VII.	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V - VI)**		**(3,450.97)**	**(39,574.99)**
VIII.	कर संबंधी खर्चः			
	(1) वर्तमान कर	37		
	- चालू वर्ष		-	-
	- पूर्व वर्ष		(10.86)	1,037.36
	(2) आस्थगित कर	25	(1,035.54)	(13,208.89)
	कर संबंधी कुल खर्च		**(1,046.40)**	**(12,171.53)**
IX	**वर्ष का लाभ/(हानि) (VII - VIII)**		**(2,404.57)**	**(27,403.46)**
X	**अन्य व्यापक आय**			
	ऐसी मद जिनका लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा			
	(क) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन		30.71	(131.78)
	(ख) उक्त से संबंधित आय कर	37	(10.73)	46.05
	कुल अन्य व्यापक आय (X)		**19.98**	**(85.73)**
XI	**वर्ष की कुल व्यापक आय (IX+X)**		**(2,384.59)**	**(27,489.19)**
XII	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:	38		
	(1) मूल (₹ में)		(1.37)	(15.64)
	(2) आंशिक (₹ में)		(1.37)	(15.64)

* पुनः कथितः देखें टिप्पणी सं.49

समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें (1-56)
हमारी संलग्न सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते बोर्ड व उसकी तरफ से

कृते राम राज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 002839S
हस्ता/-
सीए जी वेंकटेश्वर राव
साझेदार
सदस्यता सं. 024182
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 17/05/2021

कृते संकर एण्ड मूर्ती
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 003575S
हस्ता/-
सीए. जयप्रकेश एमसी
साझेदार
सदस्यता सं. 215562

एम वेंकटेश
प्रबंध निदेशक
DIN: 07025342
हस्ता/
पोमिला जोसेफ
निदेशक (वित्त)
DIN: 08436633
हस्ता/-
के.बी. श्याम कुमार
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का स्वतंत्र नकदी प्रवाह विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

	विवरण		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020*
अ	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
	कर उपरांत लाभ/(हानि)		**(2,404.57)**	**(27,403.46)**
	इनके लिए समायोजन:			
	कर संबंधी खर्च		(1,046.40)	(12,171.53)
	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च		8,529.97	7,832.08
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण(निवल) की बिक्री से हानि/(लाभ)		71.63	83.49
	प्रतिलेखित, अब ज़रूरी न पड़ने वाली देयता/प्रावधान		(291.87)	(127.54)
	संदिग्ध प्राप्य व्यापार राशियों/बेकार पड़े स्टॉक में क्षति		14.59	168.31
	विनिमय दर में घट-बढ़ (निवल)		3.81	-
	वित्त लागत		(1,453.48)	5,642.54
	ब्याज आय		3,520.46	7,446.61
	लाभांश आय		(363.03)	(504.58)
	पूर्व भुगतान का परिशोधन		(41.50)	(18.56)
	आस्थगित सरकारी अनुदान / गारंटी का परिशोधन		6.75	6.68
	अन्य		(197.26)	(187.99)
			30.71	(131.78)
			6,379.81	**(19,365.73)**
	कार्यकारी पूंजीगत में चलन :			
	- प्राप्य व्यापार और अन्य राशियों में (वृद्धि)/अवनति		(13,677.54)	12,616.75
	- ऋणों में (वृद्धि)/अवनति		(131.31)	(200.89)
	- अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/अवनति		5,633.16	580.04
	- स्टॉक में (वृद्धि)/अवनति		(27,152.78)	19,200.71
	- प्राप्य व्यापार और अन्य देयताओं में वृद्धि/(अवनति)		8,601.55	(10,135.74)
	प्रचालन से उत्पन्न नकद		**(20,347.11)**	**2,695.14**
	प्रदत्त आय कर, निवल धन वापसी		131.36	(861.80)
	प्रचालन से उत्पन्न / (इस्तेमाल किया गया) निवल नकद	(क)	**(20,215.75)**	**1,833.34**
आ	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रति भुगतान		(9,115.48)	(13,531.40)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से प्राप्तियां		1.32	5.74
	प्राप्त ब्याज		282.48	439.51
	संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश		37.59	6.00
	म्यूचुअल फंड में निवेश से प्राप्त लाभांश		4.00	12.56
	सहायक कंपनी में निवेश		(12,169.20)	(2,550.09)
	ब्याज / लाभांश आय पर प्रदत्त ब्याज		(9.13)	(16.79)
	वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न / (इस्तेमाल किया गया) निवल नकद	(ख)	**(20,968.51)**	**(15,634.47)**
इ	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
	दीर्घावधि उधार से प्राप्तियां		30,130.24	56,486.73
	दीर्घावधि उधार की चुकौती		(15,084.72)	(8,819.61)
	अल्पावधि उधार (निवल) से प्राप्तियां / (चुकौती)		29,961.01	(24,447.44)
	पट्टा किराए का भुगतान (मूल धनराशि का अंश)		(76.76)	(119.80)
	पट्टा किराए का भुगतान (ब्याज अंश)		(201.61)	(134.49)
	प्रदत्त वित्त लागत		(3,303.69)	(7,059.52)
	इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त लाभांश और लाभांश वितरण कर		-	(2,112.85)
	वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न /(इस्तेमाल किया गया) निवल नकद	(ग)	**41,424.47**	**13,793.02**
	नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(अवनति)	(क+ख+ग)	**240.21**	**(8.11)**
	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकदी समतुल्य		**17.80**	**25.91**
	वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य		**258.01**	**17.80**
	नकद और नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन (अंतिम - प्रारंभिक)	(क+ख+ग)	**240.21**	**(8.11)**

1 . उक्त नकदी प्रवाह विवरण, Ind AS 7 " नकदी प्रवाह विवरण " में यथा निर्दिष्ट " परोक्ष पद्धति " के अधीन तैयार किया गया है.

2 . कोष्ठकों में नकदी प्रवाह दर्शाए गए हैं.

* पुन: कथित: देखें टिप्पणी सं.49

समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें (1-56)

हमारी संलग्न सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते बोर्ड व उसकी तरफ से

कृते राम राज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 002839S

हस्ता/-
सीए जी वेंकटेश्वर राव
साझेदार
सदस्यता सं. 024182

कृते संकर एण्ड मूर्ती
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 003575S

हस्ता/-
सीए. जयप्रकेश एमसी
साझेदार
सदस्यता सं. 215562

हस्ता/-
एम वेंकटेश
प्रबंध निदेशक
DIN: 07025342

हस्ता/
पोमिला जोसेफ
निदेशक (वित्त)
DIN: 08436633

हस्ता/-
के.बी. श्याम कुमार
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 17/05/2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के स्वतंत्र समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

1. कंपनी के बारे में जानकारी

मंगलूर रिफ़ाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ('MRPL' अथवा 'the Company') एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो भारत में स्थित और निगमित है जिसका पंजीकृत कार्यालय मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, वाया काटिपल्ला, मंगलूर, कर्नाटक - 575030 में है. कंपनी के इक्विटी शेयर, बीएसई लिमिटेड और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जैसे शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं और शेयरों का इन शेयर बाजारों में व्यापार होता है. कंपनी, क्रूड तेल का परिष्करण करने का व्यवसाय चलाती है. कंपनी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी है जिसके पास 71.63% इक्विटी शेयर हैं.

2. नए और संशोधित भारतीय लेखा मानक का प्रयोग

समेकित वित्तीय विवरणों को प्राधिकृत करने तक, ये समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी और अधिसूचित सभी भारतीय लेखा मानकों पर विचार किया गया है.

रिपोर्ट करने की तारीख को कारपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने कोई नया भारतीय लेखा मानक (IndAS) जारी नहीं किया था जो 1 अप्रैल, 2021 से लागू हो.

3. उल्लेखनीय लेखा नीतियां

3.1. अनुपालन का बयान

ये वित्तीय विवरण, समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन यथा निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (जिसे "Ind AS" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) और वित्तीय विवरणों के लिए यथा लागू कंपनी अधिनियम (Ind AS के अनुरूप अनुसूची III) की अनुसूची III के प्रभाग II की प्रस्तुतीकरण संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं.

3.2. तैयार करने का आधार

जैसे कि नीचे दी गईं लेखा संबंधी नीतियों में स्पष्ट किया गया है, वित्तीय विवरण, उन वित्तीय विवरणों को छोड़कर जो प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में उचित मूल्य/परिशोधित लागत/निवल वर्तमान मूल्य पर मापे जाते हैं, ऐतिहासिक लागत सिद्धांत के आधार पर तैयार किए गए हैं.

कंपनी ने Ind AS को अपनाया है और यह कार्य, Ind AS 101 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान किया गया (भारतीय लेखा मानक को पहली बार अपनाया गया). कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (" अधिनियम ") की धारा 133 के तहत यथा निर्धारित " पूर्व GAAP " के स्थान पर यह संक्रमण, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार किया गया (भारतीय GAAP).

ऐतिहासिक लागत, आम तौर पर, वस्तुओं और सेवाओं के बदले दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर निर्धारित की जाती है.

तमाम आस्तियों और देयताओं का, कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र के अनुसार और Ind AS – 1 " वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट अन्य मापदंडों के आधार पर चालू अथवा गैर चालू के रूप में वर्गीकरण किया गया है.

वित्तीय विवरण, भारतीय रुपयों में दर्शाए गए हैं और सारे मूल्यों को, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, निकटतम दो दशमलव दशलक्ष में पूर्णांकित किया गया है.

उचित मूल्य मापना.

उचित मूल्य, ऐसी कीमत होती है कि जो आस्ति बेचने पर प्राप्त होगी अथवा जिसे चालू बाजार स्थितियों में मापन दिनांक को बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेन-देन करते समय देयता का अंतरण करने के लिए अदा किया जाएगा.

कंपनी, मापन करते समय नियोजित निविष्टियों पर नज़र रखने की क्षमता के आधार पर उचित मूल्य पर मापी गईं आस्तियों और देयताओं का तीन स्तरों में वर्गीकरण करती है जिनका वर्णन यहां नीचे किया गया है:

(क) स्तर 1 की निविष्टियां, एक ही तरह की आस्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में कोट की गईं कीमतों (असमायोजित) के समान होती हैं.

(ख) स्तर 2 की निविष्टियां, आस्ति अथवा देयता के लिए स्तर 1 के अंदर समाविष्ट कोट की गईं कीमतों से भिन्न होती हैं जिन पर, यातो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से नज़र रखना सुसाध्य होगा.

(ग) स्तर 3 की निविष्टियां, नज़र रखने लायक संबंधित बाजार के आंकड़ों अथवा बाजार के सहभागियों द्वारा कीमत निर्धारण के बारे में कंपनी की पूर्व धारणाओं में उल्लेखनीय आशोधन परिलक्षित करने वाली आस्ति या देयता से संबंधित नजर न रखने लायक निविष्टियां होती हैं.

3.3. सुनाम

व्यवसाय का अधिग्रहण करने पर उत्पन्न सुनाम, व्यावसायिक अधिग्रहण दिनांक को संचित हानि के कारण उत्पन्न नुकसान हुआ हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर स्थापित किया जाता है.

हानि संबंधी परीक्षण के प्रयोजन से, सुनाम, कंपनी की नकद उत्पन्न करने वाली उन इकाइयों को आबंटित किया जाता है जिनसे संयोजन की सहक्रिया से फायदा हासिल करने की उम्मीद की जाती हो.

नकद उत्पन्न करने वाली उस यूनिट का, जिसे सुनाम आबंटित किया गया हो, वर्ष में एक बार अथवा अकसर क्षति की निगाहों से परीक्षण तब किया जाता है जब यह संकेत मिले कि यूनिट द्वारा हानि उठाने की संभावना है. अगर नकद उत्पन्न करने वाली इकाई की वसूल करने लायक रकम, रखाव रकम से कम हो तो सबसे पहले ह्रासित हानि को आबंटित किया जाता है जिससे कि इकाई को आबंटित सुनाम की रखाव रकम को कम किया जा सके और तदनंतर इकाई में प्रत्येक आस्ति की वाह रकम के आधार पर यथानुपात इकाई की अन्य आस्तियों में आबंटन किया जाता है. सुनाम के संबंध में ह्रासित हानि को सीधे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है. सुनाम के संबंध में ह्रासित हानि का, बाद में किसी अवधि में प्रत्यावर्तन नहीं किया जाता है.

संबंधित नकद उत्पन्न करने वाली इकाई को निपटाने के बाद सुनाम के कारण उत्पन्न रकम को लाभ अथवा हानि का निर्धारण करते समय समाविष्ट किया जाएगा.

पूर्व GAAP के अनुसार मापा गये Ind AS में संक्रमण दिनांक को वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए सुनाम के वहन मूल्य को जारी रखने की दृष्टि से कंपनी ने Ind AS 101 के अधीन उपलब्ध छूट का उपयोग करना और उसे मानी गई लागत पर संक्रमण दिनांक (1 अप्रैल 2015) को उपयोग करना पसंद किया.

3.4. सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यमों और सहबद्ध कंपनियों में निवेश

3.4.1 कंपनी, सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहबद्ध कंपनियों में लागत पर निवेश को रेकॉर्ड करती है और अगर कोई क्षति हुई हो तो प्रत्येक रिपोर्टिंग दिनांक को उसकी समीक्षा करती है. लागत में सम्मिलित है, कंपनी द्वारा किए गए कुछ ठेकागत प्रावधानों से उत्पन्न निवेश की मानी गई लागत.

3.4.2 कंपनी, सहायक कंपनी को दी गई वित्तीय गारंटी, प्रारंभिक उचित मूल्य को, वित्तीय गारंटी दायित्व के अधीन आस्थगित राजस्व के रूप में रेकॉर्ड की गई तदनुरूपी देयता के साथ माने गए निवेश के रूप में रेकॉर्ड करती है. इस तरह से माने गए निवेश को सहायक कंपनियों में निवेश के वहन मूल्य में जोड़ा जाता है. आस्थगित राजस्व को अन्य आय के रूप में दी गई वित्तीय गारंटी की बची हुई अवधि में लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.4.3 प्रारंभ में लेखाबद्ध करने के बाद कंपनी यह तय करेगी कि क्या, सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहबद्ध कंपनियों में निवल निवेश को प्रारंभ में स्वीकार करने के बाद हुई एक या उससे अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप हानि का कोई वस्तुनिष्ठ सबूत है और यह कि कोई ऐसी घटना है (अथवा घटनाएं हैं) जिसका भरोसेमंद तरीके से आकलन करने लायक निवल निवेश से अनुमानित भावी नकदी प्रवाह पर असर पड़े.

अगर हानि का ऐसा कोई वस्तुनिष्ठ सबूत हो तो सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम और सहबद्ध कंपनी में कंपनी के निवेश के संबंध में ह्रासित नुकसान को लेखाबद्ध करना आवश्यक है.

3.4.4 जब ज़रूरत पड़े तब निवेश लागत का, Ind AS 36 ' आस्तियों में ह्रास " के अनुसार एक ही आस्ति के रूप में, उसके वसूल करने लायक रकम का (प्रयोग में उच्चतर मूल्य और उचित मूल्य घटाएं निपटान लागत) उसके वहन मूल्य के साथ तुलना करते हुए हानि को लेकर परीक्षण किया जाता है. हानि के रूप में हुए नुकसान का कोई प्रत्यावर्तन हो तो उसे Ind AS 36 के अनुसार उस हद तक स्वीकार किया जाता है जिस हद तक निवेश की वसूल करने लायक रकम में बाद बढ़त हो.

3.4.5 सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम और सहबद्ध कंपनी में निवेश का निपटान करने पर, अभिलाभ अथवा हानि को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है जिसका परिकलन करते समय,

(क) प्राप्त प्रतिफल का कुल उचित मूल्य और

(ख) सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में निवेश के पूर्व वहन मूल्य का योग निकाला जाता है.

3.5. बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू आस्तियों को बेचते समय, लागत घटाने के बाद कमतर रखाव रकम पर और उचित मूल्य पर मापा जाता है.

गैर-चालू आस्तियों का बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण तब किया जाता है जब लगातार उपयोग करने के बजाय बिक्री संबंधी लेन-देन के जरिए उनकी रखाव रकम वसूल करनी पड़े. इस शर्त की पूर्ति तभी मानी जाएगी जब बिक्री होने की अधिक संभावना हो और आस्ति, उसकी वर्तमान दशा में फौरन बेचने के लिए उपलब्ध हो जब कि इन आस्तियों की बिक्री के लिए मामूली और प्रथागत नियम लागू होंगे. प्रबंधन को उस बिक्री के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए जिसे बिक्री के धारित के रूप में वर्गीकरण किए गए दिनांक से एक वर्ष के अंदर पूरी की गई बिक्री के रूप में दर्शाने के लिए अर्हता प्राप्त होने की संभावना हो और बिक्री योजना पूरी करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई में यह संकेत देना चाहिए कि ऐसी संभावना नहीं है कि योजना में उल्लेखनीय परिवर्तन किए जाएंगे अथवा यह कि योजना वापस ली जाएगी.

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण करते ही संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अगोचर आस्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाएगा.

3.6. राजस्व को पहचानना

3.6.1 वस्तुओं और सेवाओं से राजस्व को, निष्पादन संबंधी एक ही दायित्व निभाने पर पहचाना जाता है जो नियंत्रण को ग्राहक के हवाले करने पर होता है. वस्तुओं का नियंत्रण, ग्राहक के हवाले किया गया तब माना जाएगा जब वस्तुओं का स्वत्व ग्राहक के नाम हो, जो आम तौर पर उत्पाद का भौतिक रूप से किसी पात्र, पाइपलाइन (कंपनी की खुद की पाइपलाइन से भिन्न) अथवा किसी वितरण तंत्र में स्थानांतरण होने पर होता है. वस्तुओं के राजस्व ठेकों के संबंध में जिनमें पोत परिवहन के समय अनंतिम रूप से कीमत निर्धारण किया जाता है(जहां कहीं लागू हो), अगर कोई समायोजन करना हो तो उसके बाद अंतिम कीमत उस अवधि में लगाई जाएगी जिसमें उसे अंतिम रूप दिया गया हो/तय किया गया हो.

3.6.2 राजस्व को प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल की लेन-देन कीमत पर मापा जाता है जो निवल बट्टा अथवा रीबेट, GST और बिक्री कर लगाने के बाद कारोबार के सामान्य क्रम में उत्पाद शुल्क सहित वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्राप्य रकम सूचित करता है. कीमतों में किसी पूर्वव्यापी संशोधन को उस वर्ष में लेखाबद्ध किया जाता है जिसमें संशोधन किया गया हो.

3.6.3 ठेकों/आपूर्तियों का क्रियान्वयन करने में विलंब होने पर कीमत कटौती अनुसूची (PRS) को ठेकों/करारनामे की शर्तों के अनुसार लेखाबद्ध करना होगा. पूंजीगत परियोजना के निमित्त रकम को छोड़कर जहां आस्तियों की लागत तक समायोजन किया जाता है, PRS रकम को आय के रूप में पहचाना जाता है. अंतिम रूप देने के बाद समायोजन उत्तरव्यापी प्रभाव से किया जाता है.

3.6.4 कंपनी ने ग्राहक के साथ ले या अदा करे जैसा करार किया है. इस लेन-देन में ग्राहकों के साथ किए गए ठेके में निर्धारित सूत्र के अनुसार राजस्व को पहचाना जाता है.

3.6.5 स्क्रैप की बिक्री से राजस्व को उस वक्त स्वीकार किया जाता है जब नियंत्रण (वस्तुओं की अभिरक्षा का हस्तांतरण), ग्राहक के हवाले किए जाएं.

3.6.6 वित्तीय आस्तियों से ब्याज सहित आय का समय आधार पर उपचय करते समय प्रारंभ में स्वीकार करने पर आस्ति की निवल रखाव रकम की तुलना में वित्तीय आस्ति की अनुमानित अवधि के जरिए बकाया मूल धनराशि और लागू प्रभावी ब्याज दर (ऐसी दर जो अनुमानित भावी नकदी प्राप्तियों को ठीक तरह से काटें) का हवाला दिया जाता है.

3.6.7 वित्तियेतर आस्तियों के मामले में, ब्याज सहित आय को समय अनुपात आधार पर स्वीकार किया जाता है. वापस करने लायक करों / शुल्कों के रूप में ब्याज आय को प्राप्ति आधार पर स्वीकार किया जाता है.

3.6.8 लाभांश आय तब स्वीकार की जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध किया जाए.

3.6.9 लाभ-हानि विवरण में उत्पाद शुल्क को खर्च के रूप में दर्शाया जाता है. उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के अंतिम और प्रारंभिक स्टॉक के बीच अंतर के संबंध में उत्पाद शुल्क " अन्य खर्च " के अधीन दर्शाया जाता है.

3.7. पट्टे

1 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने आशोधित पूर्व प्रभावी संक्रमण पद्धति के सहारे Ind AS 116 'पट्टे' अपनाएँ. तदनुसार, कंपनी ने तुलनात्मक जानकारी का दोबारा कथन नहीं दिया है जिनको अभी भी Ind AS 17 के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है. नए मानक में नए पट्टे को इस तरह से परिभाषित किया गया है जैसे एक ऐसा ठेका, जो प्रतिफल के बदले किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए पहचानी गई आस्ति का उपयोग नियंत्रित करने का अधिकार सूचित करे. कंपनी ने, अगोचर आस्तियों के पट्टे पर इस मानक को लागू न करने का विकल्प चुना है.

इस बात का निर्धारण करने के लिए कि क्या किसी ठेके में पहचानी गई आस्ति का उपयोग नियंत्रित करने का अधिक सूचित किया गया है, कंपनी यह निर्धारण करती है कि क्या:

(i) ठेके में पहचानी गई आस्तियों का उपयोग किया जाता है.

(ii) कंपनी को पट्टा अवधि में आस्ति के उपयोग से पर्याप्त रूप से तमाम आर्थिक लाभ मिलते हैं और

(iii) कंपनी को आस्ति का उपयोग निर्दिष्ट करने का अधिकार है.

पट्टेदार के रूप में कंपनी:

पट्टे की प्रारंभिक तारीख को, कंपनी, उन सभी पट्टा संबंधी ठेकों / व्यवस्थाओं के लिए जिनमें वह पट्टेदार हो, उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों (ROU आस्तियां) और तदनुरूपी पट्टा संबंधी देयता को स्वीकार करती है सिवाय उस पट्टे को, जिसकी अवधि बारह महीने अथवा उससे कम हो (अर्थात्; जो अल्पावधि पट्टा हो) और उस पट्टे को, जिसकी आस्तियों का मूल्य कम हो. अल्पावधि और कम मूल्य के पट्टे के मामले में, कंपनी, पट्टे की अवधि पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर पट्टा संबंधी भुगतान स्वीकार करती है.

पट्टा संबंधी कुछ व्यवस्थाओं में शामिल है, पट्टा संबंधी अवधि समाप्त होने से पहले पट्टे की अवधि बढ़ाने अथवा पट्टा समाप्त करने का विकल्प. आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार और पट्टा संबंधी देयताओं में ये विकल्प शामिल हैं, जब यह बात लगभग निश्चित हो कि ऐसे विकल्प लिए जाएंगे.

पट्टा संबंधी देयता का प्रारंभ में, निश्चित पट्टा अवधि पर भावी पट्टा संबंधी भुगतान के वर्तमान मूल्य को मापा जाता है. अगर फ़ौरन निर्धारण करना संभव न हो तो वृद्धिशील उधार दर के सहारे पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर लगाते हुए पट्टा संबंधी भुगतान में रियायत दी जाएगी. एक ही प्रकार के लक्षणों से युक्त पट्टे के मामले में, कंपनी, पट्टा-दर-पट्टा आधार पर, या तो पट्टे के लिए निर्दिष्ट वृद्धिशील उधार दर या समग्र रूप से संविभाग के लिए वृद्धिशील उधार दर लगाती है.

उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों को प्रारंभ में लागत पर स्वीकार किया जाता है जिसमें पट्टे की प्रारंभिक अवधि को या उससे पहले किसी पट्टा संबंधी भुगतान के लिए समायोजित पट्टा संबंधी देयता के प्रारंभिक मापन की रकम और साथ ही प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, बहाल करने संबंधी दायित्व और प्राप्त पट्टा संबंधी प्रोत्साहन राशि होती है.

बाद में, उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों का मापन, कोई संचित मूल्यह्रास और कोई संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर किया जाता है. उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों का मूल्यह्रास करते समय, पट्टाधृत भूमि संबंधी मामले को छोड़कर जहां स्वामित्व को पट्टा संबंधी अवधि में अल्पतम अवधि पर अथवा उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों की उपयोगी आयु पर प्रारंभिक तारीख से हस्तांतरित किया जाता है, सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग किया जाता है. Ind AS 36 को लागू करते हुए कंपनी यह निर्धारण करती है कि क्या आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार क्षीण हो गया है और " गैर-वित्तीय आस्तियों में क्षति " पर नीचे दी गई लेखा संबंधी नीति में यथा वर्णित पहचानी गई ह्रासित हानि को लेखाबद्ध करती है.

पट्टा संबंधी देयता पर ब्याज लागत (प्रभावशाली ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिकलित) को लाभ-हानि विवरण में, तब तक नहीं दर्शाया जाता है जब तक वह " उधार लागत " पर नीचे दी गई लेखा नीति के अनुसार पूंजीकरण के लिए पात्र न हो.

कंपनी, Ind AS 116 के अनुसार, ठेके के अंदर प्रत्येक पट्टा घटक को, ठेके के गैर-पट्टा घटकों से भिन्न पट्टे के रूप में लेखाबद्ध करती है और ठेके में प्रतिफल का, ठेके में पट्टा घटक की सापेक्ष स्वतंत्र कीमत और गैर-पट्टा घटकों की कुल स्वतंत्र कीमत के आधार पर प्रत्येक पट्टा घटक में आबंटन करती है.

पट्टा संबंधी ठेका पूरा होने अथवा रद्द होने पर आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार अमान्य किया जाता है.

पट्टा संबंधी देयता और आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार, तुलन पत्र में अलग दर्शाया गया है और पट्टा संबंधी भुगतान का , नकदी प्रवाह विवरण में वित्तपोषक गतिविधि के रूप वर्गीकरण में किया गया है.

पट्टे में आशोधन का भावी प्रभाव पड़ता है.

3.8. विदेशी मुद्रा लेन-देन

कंपनी के वित्तीय विवरण, भारतीय रुपयों (₹) में पेश किए जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है.

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (विदेशी मुद्राएं) से भिन्न मुद्राओं में किए गए लेन-देनों को, लेन-देनों के दिनांकों को मौजूदा विनिमय दरों पर स्वीकार किया जाता है. प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक मदों को, रिपोर्ट अवधि के अंतिम दिन मौजूदा अंतिम मुद्रा दर के आधार पर रुपयों में रूपांतरित किया जाता है.

दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के संबंध में विनिमय में नजर आए अंतर को लाभ-हानि विवरण में या तो 'विनिमय दर में घट-बढ़ हानि/(अभिलाभ) (निवल)' के रूप में या 'वित्त लागत' के रूप में दर्शाया जाता है जब कि 31 मार्च 2016 को बकाया दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के संबंध में विनिमय अंतर को उस हद तक नहीं जोड़ा जाता है, जिस हद तक उनका मूल्यह्रास करने लायक आस्तियों का अधिग्रहण करने का संबंध हो, तदनंतर इन आस्तियों की लागत के प्रति समायोजन किया जाता है और आस्ति की बची हुई आयु में उक्त समायोजन को कम किया जाता है.

विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत पर मापी गईं गैर-मौद्रिक मदों का, प्रारंभिक लेन-देनों की तारीखों को विनिमय दरों पर रूपांतरण किया जाता है.

3.9. उधार लागत

उधार लागत में शामिल है, निधि उधार लेते समय उठाई गई ब्याज और अन्य लागत एवं पट्टा संबंधी देयता पर ब्याज.

उधार लागत में यह भी शामिल हैं, ब्याज लागत में समायोजन की तरह समझे गए अर्थात्; विनिमय हानि, जिस हद तक विदेशी मुद्रा में उधार की लागत की तुलना करते समय कार्यात्मक मुद्रा (₹) में उधार की लागत के बीच अंतर से अधिक होती हो उसके समतुल्य विदेशी मुद्रा से उत्पन्न विनिमय अंतर. जब वसूल न की गई विनिमय हानि हो जिसे ब्याज में समायोजन की तरह माना जाता है और बाद में समझौता होने पर प्राप्त अथवा अप्राप्त अभिलाभ हो अथवा

उसी उधार का रूपांतरण हो, समायोजन की तरह पूर्व में उठाई गई हानि की सीमा तक अभिलाभ को भी ब्याज के प्रति समायोजन की तरह दर्शाया जाता है.

अर्हक आस्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण की दृष्टि से निर्दिष्ट रूप से पहचानी गईं उधार लागत का, इन आस्तियों के अंग के रूप में पूंजीकरण किया जाता है. अर्हक आस्ति उसे कहते हैं जिसका अभिप्रेत उपयोग करने की दृष्टि से तैयार रखने के लिए काफ़ी समय लगता है. उधार लागत का पूंजीकरण करना तब बंद किया जाता है जब अस्थाई आधार से भिन्न आधार पर अर्हक आस्तियों पर सक्रिय विकास में बाधा पड़े और ऐसी बढ़ाई गई अवधियों में लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाए. दूसरी अन्य उधार लागतों को लाभ-हानि विवरण में उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें ऐसी लागत उठाई गई हो.

अर्हक आस्तियों पर व्यय करने तक निर्दिष्ट उधार की निधि के अस्थाई निवेश पर अर्जित निवेश आय को पूंजीकरण करते समय पात्र उधार लागत से घटाया जाता है.

3.10. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक दर्शाया नहीं जाता है जब तक यह उचित आश्वासन न मिला हो कि कंपनी, उनसे संबंधित शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त किए जाएंगे.

सरकारी अनुदानों को लाभ-हानि विवरण में व्यवस्थित ढंग से उस अवधि में जिसमें कंपनी, जिस लागत के लिए अनुदान का प्रतिपूर्ति करने के इरादे से उपयोग किया जाएगा, खर्च के रूप में स्वीकार न करे .

निर्दिष्ट रूप से उन सरकारी अनुदानों को, जिनके संबंध में मूल रूप से यह शर्त रखी जाती है कि कंपनी को, गैर-चालू आस्तियां खरीदनी पड़ेंगी, उनका निर्माण अथवा अन्यथा अधिग्रहण करना पड़ेगा, तुलन-पत्र में आस्थगित राजस्व के रूप में दर्शाकर संबंधित आस्तियों की उपयोग अवधि में व्यवस्थित एवं युक्तियुक्त तरीके से लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

बाजार ब्याज दर से कम दर पर सरकारी ऋण का लाभ, सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है जिसका मापन, प्राप्त प्राप्तियों और मौजूदा बाजार ब्याज दर पर उचित मूल्य के बीच अंतर के रूप में किया जाता है.

3.11. कर्मचारियों को फायदे

कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ में शामिल हैं, वेतन, मज़दूरी, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति निधि, उपदान निधि, छुट्टी नकदीकरण, रोजगार उपरांत चिकित्सा लाभ, पुन:व्यवस्थापन भत्ते और सेवा समाप्ति लाभ.

3.11.1 कर्मचारी को अल्पावधि लाभ

सभी अल्पावधि कर्मचारी लाभ को जिस लेखा अवधि में खर्च किया गया हो उस अवधि में उनकी बट्टा रहित रकम पर दर्शाया जाता है.

3.11.2 रोजगार उपरांत लाभ

परिभाषित अंशदान योजनाएं

सेवानिवृत्ति निधि के प्रति अंशदान सहित परिभाषित अंशदान योजनाओं के तहत कर्मचारियों के लाभ को, योजना के प्रति कंपनी के दायित्व के आधार पर बट्टा रहित रकम के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है. एक अलग न्यास के जरिए स्थापित कोष में इसे अदा किया जाता है.

परिभाषित लाभ योजनाएं

उपदान, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ और अन्य दीर्घावधि सेवानिवृत्ति लाभ सहित परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएं, जिनको परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है और इसका परिकलन, प्रक्षेपित इकाई जमा पद्धति का उपयोग करते हुए वार्षिक रिपोर्ट अवधि के अंत में स्वतंत्र बीमांककों द्वारा

किया जाता है. इनको वर्तमान कर्मचारी लागत के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है अथवा यथा अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में समाविष्ट किया जाता है.

निवल परिभाषित देयता पर निवल ब्याज का परिकलन करते समय, अवधि के प्रारंभ में बट्टा दर, निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता अथवा आस्ति पर लगाई जाती है और यथा अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में समाविष्ट मदों को छोड़कर इनको लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

बीमांकिक अभिलाभ और हानि समेत पुन: मापन, आस्ति की उच्चतम सीमा में परिवर्तन के प्रभाव और योजना आस्तियों (ऊपर परिभाषित निवल ब्याज को छोड़कर) पर प्रतिफल को, उन मदों को छोडकर जिनको उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न हों, अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में शामिल कर बाद में लाभ अथवा हानि में पुनर्वगीकृत किया जाता है, अन्य व्यापक आय में दर्शाया जाता है.

कंपनी, उपदान के संबंध में एमआरपीएल उपदान निधि न्यास (MGFT) में सभी पता लगाने लायक देयताओं का अंशदान करती है. अन्य परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए कोई निधि प्रदान नहीं की जाती है.

तुलन-पत्र में दर्शाए गए सेवानिवृत्ति लाभ के प्रति दायित्व, कंपनी की परिभाषित लाभ योजनाओं में वास्तविक घाटा अथवा अधिशेष दर्शाता है. बीमांकिक परिकलन से प्राप्त किसी अधिशेष को, योजनाओं के प्रति भावी अंशदानों में कटौती के रूप में उपलब्ध किसी आर्थिक लाभ के वर्तमान मूल्य तक सीमित किया जाता है.

3.11.3 कर्मचारी संबंधी दीर्घावधि लाभ

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ का (छुट्टी नकदीकरण और न्यास में भविष्य निधि अंशदान) निर्धारण, प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए स्वतंत्र बीमांककों द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जिसे प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है.

भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान, पात्र कर्मचारी के वेतन के निश्चित प्रतिशत के आधार पर इस प्रयोजन के लिए स्थापित अलग-अलग न्यासों (एमआरपीएल भविष्य निधि न्यास) में प्रेषित किया जाता है जिसे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है या यथा अनुमत आस्तियों की लागत में शामिल किया जाता है. निधि आस्तियों में कोई कमी हो तो सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिफल दर पर उसकी भरपाई कंपनी द्वारा की जाती है जिसे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

ऐसे छुट्टी नकदीकरण को दर्शाया जाता है जो, कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा अवधि समाप्त होने के बाद बारह महीनों के अंदर होने की संभावना न हो.

उक्त योजनाओं के प्रति देयता को तुलन पत्र की तारीख को, जिन योजना आस्तियों के उचित मूल्य से दायित्व निपटाने की संभावना हो उसे घटाने के बाद परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य पर देयता के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है.

पुन: मापन के उपरांत अभिलाभ और हानियों को लाभ-हानि विवरण में उस अवधि में जिसमें वे उत्पन्न हों, दर्शाया जाता है.

3.11.4 सेवा समाप्ति लाभ

चिकित्सा आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति

कंपनी में चिकित्सा आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुमोदित योजना है. पूरी की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 60 दिनों की परिलब्धियों समान अथवा सामान्य सेवानिवृत्ति तारीख से पहले बची शेष महीनों की सेवा से गुणन करते हुए सेवानिवृत्ति के समय मासिक परिलब्धियां, जो भी कम हो, अनुग्रह भुगतान, सेवानिवृत्ति लाभ के अलावा किया जाएगा.

एकमुश्त मौद्रिक मुआवजे की स्वयं बीमा योजना

'सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ और अलग होने पर लाभ' योजना के तहत अगर दुर्घटना के कारण और रोजगार

के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो अथवा वह स्थाई तौर पर पूरी तरह से अपंग हो तो देय कोई न्यूनतम रकम का निर्धारण किए बगैर 100 महीने के मूल वेतन + महंगाई भत्ते(DA) के समतुल्य क्षतिपूर्ति की जाएगी.

SABF के तहत अलग होने पर लाभ (जिसका नाम बदलकर अब MDCPS कर दिया गया है)

कंपनी में सेवा करते समय अगर कर्मचारी की मृत्यु हो / वह स्थाई तौर पर पूरी तरह से अपंग हो तो हिताधिकारी को, मृत्यु की तारीख / स्थाई संपूर्ण अपंगता की तारीख से 6 महीने के अंदर नीचे उल्लिखित वांछित विकल्पों में से एक चुनना होगा.

सेवा समाप्ति संबंधी लाभ को जब कभी खर्च किया जाए लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.12. कराधान

आय कर संबंधी खर्च, इस समय देय कर और आस्थगित कर का योग दर्शाता है.

(i) वर्तमान कर

इस समय देय कर, पिछले वर्षों के संबंध में देय कर का समायोजन करने के बाद वर्ष के कर योग्य लाभ पर आधारित है. कर योग्य लाभ, लाभ-हानि विवरण में दर्शाए गए 'कर पूर्व लाभ' से भिन्न होता है क्योंकि आय अथवा खर्च की कुछ मद, दूसरे वर्षों में कर योग्य अथवा काटने योग्य होती हैं और कुछ मद, कभी भी कर योग्य अथवा काटने योग्य नहीं होती हैं. कंपनी के वर्तमान कर का परिकलन करते समय कर संबंधी उन दरों का प्रयोग किया गया है जिनका अधिनियमन किया गया था अथवा रिपोर्ट अवधि के अंत तक वास्तव में अधिनियमन किया गया.

(ii) आस्थगित कर

तुलन पत्र पद्धति के आधार पर आस्थगित कर दर्शाया जाता है जिसे वित्तीय विवरणों में आस्तियों और देयताओं के वहन मूल्य और कर योग्य लाभ का परिकलन करते समय प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधार के बीच अस्थाई अंतर के रूप में दर्शाया जाता है. आस्थगित कर देयताओं को, सामान्यत: सभी कर योग्य अस्थाई अंतर के रूप में पहचाना जाता है. आस्थगित कर आस्तियों को, सामान्यत: सभी काटने योग्य अस्थाई अंतर, अप्रयुक्त कर क्रेडिट्स और अप्रयुक्त कर हानियों की आगे ले जाई गई रकम के रूप में उस हद तक लेखाबद्ध किया जाता है जिससे यह संभावना हो कि कर योग्य लाभ इस तरह से उपलब्ध होंगे जिसके प्रति काटने योग्य अस्थाई अंतर का प्रयोग करना संभव हो.

अस्थाई करों को, ऐसे अस्थाई अंतर के संबंध में लेखाबद्ध किया जाता है जो करावकाश अवधि के दौरान उत्पन्न तो होते हैं लेकिन जिनका करावकाश अवधि के बाद प्रत्यावर्तन किया जाता है. इस प्रयोजन के लिए अस्थाई अंतर का प्रत्यावर्तन करते समय प्रथम आवक प्रथम जावक पद्धति का प्रयोग किया जाता है.

आस्थगित कर आस्तियों की वहन मूल्य की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में की जाती है और इसे उस हद तक घटाया जाता है जिससे कभी यह संभावना न बने कि तमाम आस्ति अथवा उसका अंश वसूल करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा.

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों का मापन, अधिनियमित अथवा रिपोर्ट अवधि के अंत में वास्तव में अधिनियमित (और कर संबंधी कानूनों) कर संबंधी उन दरों के आधार पर किया जाता है जिनको उस अवधि में लागू करने की उम्मीद हो जिसमें देयता निपटाई जाए अथवा आस्ति की वसूली हो.

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों के मापन से कर संबंधी ऐसी परिस्थितियां परिलक्षित होती हैं जिसमें कंपनी द्वारा यह उम्मीद की जाती है कि रिपोर्ट अवधि के अंत में उसकी आस्तियों और देयताओं की वहन मूल्य वसूली की जाएगी अथवा उसका निपटान होगा.

आस्थगित कर आस्तियों में शामिल है, भारत में मौजूद कर संबंधी कानून के अनुसार प्रदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) जिसके चलते भावी आय कर देयता का मुजरा करने की उपलब्धता के रूप में भावी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना होती है. तदनुसार, MAT को तुलन पत्र में आस्थगित कर आस्ति के रूप में तब दर्शाया जाता है जब आस्ति का भरोसेमंद तरीके से मापन करना संभव हो और ऐसी संभावना हो कि आस्ति से जुड़ा भावी आर्थिक लाभ अर्जित किया जाएगा.

आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर देयताओं का समायोजन तभी किया जाता है जब चालू कर देयताओं के प्रति चालू कर आस्तियों का समायोजन करने का कानूनी तौर पर लागू करने योग्य कोई अधिकार मौजूद हो और आस्थगित कर का, उसी कर योग्य उद्यम और उसकी कराधान प्राधिकरण से सरोकार हो.

वर्ष का वर्तमान और आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया है, सिवाय उन मदों को जिनको अन्य व्यापक आय में अथवा सीधे इक्विटी में दर्शाया जाता है, ऐसी सूरत में वर्तमान और आस्थगित कर को भी क्रमश: अन्य व्यापक आय में अथवा सीधे इक्विटी में दर्शाया जाता है.

3.13. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE) और आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार (ROU)

उत्पादन में अथवा वस्तुओं की आपूर्ति करने अथवा सेवाएं प्रदान करने अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने की खातिर रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को तुलन पत्र में, संचित मूल्यह्रास और कोई संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है.

उत्पादन, आपूर्ति अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए निर्माण के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को, लेखाबद्ध ह्रासित हानि को घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है. आस्ति की लागत में समाविष्ट किया जाता है उसकी क्रय कीमत अथवा उसकी निर्माण लागत (लागू निवल कर जमा प्रविष्टियां) और आस्ति को उसके स्थान पर और उस स्थिति में लाने के लिए जिससे वह प्रबंधन द्वारा अभिप्रेत तरीके से चलाना संभव हो, प्रत्यक्ष रूप से लगने वाली कोई लागत और किसी ठेकागत क्षयकारी दायित्व का प्रारंभिक अनुमानित वर्तन मूल्य, अगर कोई हो. इसमें शामिल है, पेशेवर शुल्क और कंपनी की लेखा नीति के अनुसार पूंजीकृत अर्हक आस्तियों की उधार लागत. पूरा होने पर और अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने पर इन संपत्तियों का PPE की उचित श्रेणी में वर्गीकरण किया जाता है. PPE की मद के उन अंशों को, जिसकी प्रबंधन के निर्धारण के अनुसार विभिन्न उपयोगी अवधि हो और महत्वपूर्ण मूल्य हो और जिसे बाद में संपत्ति पर पूंजीगत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है, संयंत्र और उपकरणों को अलग घटकों के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है. बाद में किए गए व्यय का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब इस बात की संभावना हो कि व्यय से जुड़े भावी आर्थिक लाभ, कंपनी को मिलते रहेंगे.

संयंत्रों/सुविधाओं और निर्दिष्ट सॉफ्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग हो, से संबंधित तकनीकी जानकारी / लाइसेंस शुल्क का पूंजीकरण, अंतर्निहित आस्ति की लागत के अंग के तौर पर किया जाता है.

PPE का मूल्यह्रास करना तब शुरु किया जाता है जब आस्तियां, उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार हों.

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथा निर्दिष्ट विभिन्न आस्तियों के घटकों की उपयोगी आयु की तुलना में सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए PPE की उपयोगी आयु के आधार पर उसके अवशिष्ट मूल्य (5% तक अनुमानित अवशिष्ट मूल्य बरकरार रखने के बाद) को घटाने के बाद PPE (पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों से भिन्न) की लागत पर मूल्यह्रास किया जाता है जब कि इसके लिए संयंत्र और उपकरणों के कुछ ऐसे घटक, अपवाद हैं जिनकी उपयोग आयु का निर्धारण, तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और कर्मचारी वाहन, कंप्यूटर और फर्नीचर योजना के लिए बनाई गई कंपनी की नीति के तहत उपयोगी आयु पर विचार किया जाता है.

अनुमानित उपयोगी आयु, अपशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास पद्धति की, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में, भविष्यलक्षी प्रभाव के आधार पर लेखाबद्ध किए गए आकलन में हुए परिवर्तन के साथ समीक्षा की जाती है.

योजनाबद्ध शटडाउन के निमित्त ओवरहॉल और मरम्मत पर व्यय का, जिनका मूल्य उल्लेखनीय होता है (निर्दिष्ट आस्तियों के मूल्य का 5%), PPE के संबंधित मदों के घटक के रूप में पूंजीकरण किया जाता है और इनका अगले शटडाउन तक सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास किया जाता है. उत्प्रेरक का, जिसकी आयु एक वर्ष से अधिक हो, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकरण किया जाता है और उत्प्रेरक का उपयोग करने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा यथा निर्दिष्ट गारंटीकृत उपयोगी आयु के आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है.

भंडार और पुर्जों को, जिनको संयंत्र और उपकरण के रूप में पहचाना जाता है, निर्दिष्ट मशीनों के रूप में पूंजीकृत किया जाता है.

प्रमुख पूंजीगत अतिरिक्त पुर्ज़ों का, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकरण किया जाता है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकृत इन अतिरिक्त पुर्जों पर मूल्यह्रास करना, तब से शुरु किया जाता है जब इन पुर्जों को सेवा में लगाया गया और उनकी उपयोगी अल्प आयु तक जारी रखते हुए उससे संबंधित आस्ति की शेष अपेक्षित उपयोगी आयु तक जारी रखा जाता है

और उस आस्ति की, जिसका उससे संबंध हो, शेष अपेक्षित उपयोगी आयु और अतिरिक्त पुर्ज़ों का ह्रासित मूल्य, जब कभी उसे बदला जाए, लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

वर्ष के दौरान जोड़े गए/हटाए गए PPE पर मूल्यह्रास के लिए, जोडे गए/हटाए गए दिनांक के संदर्भ में यथानुपात आधार पर प्रावधान किया जाता है जब कि अधिकतम ₹ 5,000/ के कम मूल्य की मदें, (कर्मचारियों से संबंधित कंपनी क्रय योजना को छोड़कर) इसके लिए अपवाद हैं जिनका, जोड़ते समय पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है.

आस्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	उपयोगी आयु (वर्षों में)
1.	भवन	1-60
2.	संयंत्र और उपकरण - उत्प्रेरक	2-10
3.	संयंत्र और उपकरण - कंप्यूटर	3-7
4.	संयंत्र और उपकरण - लगातार चलने वाले प्रक्रिया संयंत्र, जिसे निर्दिष्ट उद्योगों में शामिल न किया गया हो (तीन शिफ्ट)	7.5
5.	संयंत्र और उपकरण - इलेक्ट्रिकल/प्रयोगशाला/कैंटीन/स्कूल	10
6.	संयंत्र और उपकरण – यंत्रीकरण: मद/ DCS/ अस्पताल/ अन्य	15
7.	संयंत्र और उपकरण - रिफ़ाइनरी की आस्तियां	25
8.	संयंत्र और उपकरण - पाइपलाइनें/SPM/अपतटीय घटक/सिविल संरचना	30
9.	संयंत्र और उपकरण - विद्युत संयंत्र	40
10.	रेलवे साइडिंग	15
11.	कार्यालय उपकरण	5
12.	फर्नीचर और जुड़नार	6-10
13.	वाहन	4-8

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद को, निपटाए जाने, बदले जाने, घटाए जाने, पुनर्वर्गीकरण किए जाने पर अथवा जब आस्ति का लगातार उपयोग करने पर भविष्य में उससे आर्थिक लाभ मिलने की कोई संभावना न हो, कोई मान्यता नहीं दी जाती है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद को हटाए जाने से उत्पन्न हानि का निर्धारण आज की तारीख को संचित मूल्यह्रास का समायोजन करने के बाद WDV मूल्य और निवल मूल्य के बारे में किया जाता है जिसे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

कंपनी ने, पूर्व GAAP के अनुसार मापा गये Ind AS में संक्रमण दिनांक को वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के वहन मूल्य को जारी रखने की दृष्टि से कंपनी ने Ind AS 101 के अधीन उपलब्ध छूट का उपयोग करना और उसे मानी गई लागत पर संक्रमण दिनांक (1 अप्रैल 2015).को उपयोग करना पसंद किया.

पट्टाधृत भूमियों को छोड़कर जहां स्वामित्व का हस्तांतरण किया जाता है, उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों का मूल्यह्रास करते समय पट्टा संबंधी अवधि में अथवा आस्तियों की उपयोगी आयु पर सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग किया जाता है.

3.14. अगोचर आस्तियां

3.14.1. सुनाम से भिन्न अगोचर आस्तियां

अलग रूप से खरीदी गई अनिश्चित उपयोगी आयु के साथ अगोचर आस्तियों को, कोई संचित परिशोधन और संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है.

परिशोधन को उनकी अनुमानित उपयोगी आयु पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर स्वीकार किया जाता है. अनुमानित उपयोगी आयु और परिशोधन पद्धति की, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में, भविष्यलक्षी प्रभाव के आधार पर लेखाबद्ध किए गए आकलन में हुए परिवर्तन के साथ समीक्षा की जाती है. अलग रूप से खरीदी गईं अनिश्चित उपयोगी आयु के साथ अगोचर आस्तियों का परिशोधन नहीं किया जाता है और संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है.

उत्पादन प्रक्रिया और प्रक्रिया डिज़ाइन से संबंधित तकनीकी जानकारी / लाइसेंस शुल्क को अगोचर आस्ति के रूप में दर्शाया जाता है जिसका परिशोधन अंतर्निहित संयंत्र/सुविधा की आयु पर सीधी रेखा पद्धति पर किया जाता है.

विकास संबंधी लागत को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अगोचर मदों पर व्यय का पूंजीकरण नहीं किया जाता है जिनको लाभ-हानि विवरण में उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें उनका व्यय किया गया हो.

विकास (अथवा आंतरिक परियोजना के विकास चरण से) के निमित्त आंतरिक रूप में उत्पन्न अगोचर आस्ति को तभी दर्शाया जाता है जब नीचे उल्लिखित सभी बातों को सिद्ध किया गया हो:

- अगोचर आस्ति को पूरा करने की तकनीकी व्यवहार्यता ताकि वह उपयोग करने अथवा बेचने के लिए उपलब्ध हो
- अगोचर आस्ति को पूरा कर उसका उपयोग करने अथवा बेचने का इरादा;
- अगोचर आस्ति का उपयोग करने अथवा उसे बचने की क्षमता;
- अगोचर आस्ति से भविष्य में आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की कैसी संभावना है;
- विकास का कार्य पूरा करने और अगोचर आस्ति का उपयोग करने अथवा उसे बेचने के लिए पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय और अन्य संसाधन.
- विकास के दौरान अगोचर आस्ति पर किए जाने वाले व्यय को भरोसेमंद तरीके से मापने की क्षमता.

आंतरिक रूप से उत्पन्न अगोचर आस्तियों के मामले में प्रारंभ में पहचानी गई रकम, जब अगोचर आस्ति ने ऊपर सूचीबद्ध पहचानने लायक मानदंड की पूर्ति की उस तारीख से किए गए व्यय की राशि के समाना होगी. आस्ति के रूप में लागत को दर्शाना तब बंद किया जाता है जब परियोजना पूर्ण हो और उसके अभिप्रेत उपयोग के लिए उपलब्ध हो अथवा अगर ये मानदंड लागू न हों. जब विकास संबंधी गतिविधियां, आस्ति के रूप में दर्शाने संबंधी शर्तों के अनुरूप न हों, उससे जुड़े व्यय को उस अवधि में खर्च के रूप में माना जाता है जिसमें उसे व्यय किया गया हो.

प्रारंभिक स्वीकृति के बाद आंतरिक रूप से उत्पन्न आस्तियों को संचित परिशोधन और संचित ह्रासित हानि को घटाने के बाद लागत पर अलग रूप से खरीदी गईं अगोचर आस्तियों की तरह उसी आधार पर दर्शाया जाता है.

पूर्व GAAP के अनुसार मापा गये Ind AS में संक्रमण दिनांक को वित्तीय विवरणों में दर्शाई गईं अपनी तमाम अगोचर आस्तियों के वहन मूल्य को जारी रखने की दृष्टि से कंपनी ने Ind AS 101 के अधीन उपलब्ध छूट का उपयोग करना और उसे मानी गई लागत पर संक्रमण दिनांक (1 अप्रैल 2015).को उपयोग करना पसंद किया है.

3.14.2. अगोचर आस्तियों को स्वीकार न करना

अगोचर आस्ति को, निपटाए जाने, बदले जाने पर अथवा जब आस्ति का उपयोग करने पर अथवा उसे निपटाने पर भविष्य में उससे कोई आर्थिक लाभ मिलने की संभावना न हो, कोई मान्यता नहीं दी जाती है. अगोचर आस्ति को मान्यता न देने से उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानि को निवल निपटान प्राप्तियों और आस्ति के वहन मूल्य के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और आस्ति को मान्यता न दिए जाने पर उसे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.14.3. अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु

अगोचर आस्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	उपयोगी आयु (वर्षों में)
1.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3-10
2.	लाइसेंस और क्रयाधिकार	3

3.15. गैर वित्तीय आस्तियों में ह्रास

कंपनी, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्टॉक से भिन्न अपनी गैर-वित्तीय आस्तियों, आस्थगित कर आस्तियों, बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू आस्तियों और सुनाम के वहन मूल्य की समीक्षा करती है भले ही कोई ऐसा संकेत मिला हो कि उन आस्तियों में ह्रासित हानि हुई है. अगर ऐसा कोई संकेत मिला हो तो ह्रासित हानि (कोई हो तो) की मात्रा तय करने के लिए वसूल करने योग्य आस्ति की रकम का आकलन किया जाता है. जब किसी प्रत्येक आस्ति की वसूल करने योग्य रकम का आकलन करना संभव न हो, तब कंपनी, नकद उत्पन्न करने वाली जिस यूनिट (CGU) की आस्तियां हों, उस यूनिट की वसूल करने योग्य रकम का आकलन करती है.

वसूल करने योग्य रकम, निपटान लागत और उपयोग में लाई गई आस्ति का मूल्य घटाने के बाद उच्चतम उचित मूल्य के बराबर होती है. उपयोग में लाई गई आस्ति का मूल्य निर्धारण करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को कर-पूर्व बट्टा दर का उपयोग करते हुए उसके वर्तमान मूल्य तक घटाया जाता है, जो उस आस्ति के लिए, जिसके लिए भावी नकदी प्रवाह का समायोजन न किया गया हो, निर्दिष्ट धन और जोखिम के समय मूल्य का चालू बाजार निर्धारण परिलक्षित करता है.

अगर आस्ति (अथवा नकद उत्पन्न करने वाली यूनिट) की वसूल करने योग्य रकम, उसकी आवर्त रकम से कम हो तो आस्ति (अथवा नकद उत्पन्न करने वाली यूनिट) के वहन मूल्य को उसकी वसूल करने योग्य रकम तक घटाया जाता है. ह्रासित हानि को फौरन लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

रिपोर्ट अवधि के अंत में निर्धारण इसलिए किया जाता है जिससे कि यह देखा जा सके कि क्या कोई ऐसे संकेत हैं कि इससे पहले स्वीकार की गई ह्रासित हानियां अब नहीं हैं या कम हुई हैं. अगर पिछली बार पहचानी गई ह्रासित हानि के बाद आस्ति की वसूल करने योग्य रकम का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त आकलन में परिवर्तन हो तो ह्रासित हानि का प्रत्यावर्तन किया जाता है. अगर ऐसा हो और पूर्व वर्षों में आस्ति के मामले में ह्रासित हानि को पहचाना न होता तो, आस्ति के वहन मूल्य को उसकी निम्नतर वसूल करने योग्य रकम तक और निवल मूल्यह्रास/परिशोधन के बराबर निर्धारित वहन मूल्य तक बढ़ाया जाता है. प्रत्यावर्तन के बाद, मूल्यह्रास/परिशोधन प्रभार का, भावी अवधियों में समायोजन किया जाता है जिससे कि आस्ति की संशोधित वहन मूल्य का, उसकी शेष उपयोगी आयु में व्यवस्थित ढंग से उसका अवशिष्ट मूल्य घटाने के बाद आबंटन किया जा सके. ह्रासित हानि का प्रत्यावर्तन करने पर उसे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.16. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण को परोक्ष पद्धति के सहारे रिपोर्ट किया जाता है जिसमें कर उपरांत लाभ के नकद रहित स्वरूप का, गत अथवा भावी प्रचालन नकदी प्राप्तियों अथवा भुगतान के किसी प्रकार के स्थगन अथवा उपचय और नकद प्रवाह में निवेश करने अथवा उसका वित्त पोषण करने से आय अथवा खर्च की मद से संबंधित लेन-देन के प्रभाव का समायोजन किया जाता है. नकदी प्रवाह का, प्रचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों में पृथक्करण किया जाता है.

3.17. प्रति शेयर अर्जन (EPS)

प्रति शेयर बुनियादी अर्जन का परिकलन करते समय इक्विटी शेयरधारकों से संबंधित अवधि के लिए निवल लाभ अथवा हानि (अगर कोई अधिमानी लाभांश और उससे संबंधित कर हो तो उसे घटाने के बाद) का अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजन किया जाता है.

प्रति शेयर आंशिक अर्जन का परिकलन करते समय इक्विटी शेयरधारकों से संबंधित अवधि के लिए निवल लाभ अथवा हानि और अवधि के दौरान सभी कम करने लायक संभावित इक्विटी शेयरों का समायोजन किया जाता है.

3.18. स्टॉक

स्टॉक का मूल्यांकन, निम्नतर लागत और निवल वसूल करने योग्य मूल्य पर किया गया है. स्टॉक लागत में शामिल है, क्रय लागत और स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान तक और उनकी वर्तमान स्थिति में लाने के लिए उठाई गई अन्य लागत. लागत का निर्धारण इस प्रकार किया गया है:-

कच्चा माल (क्रूड)	प्रथम आवक प्रथम जावक (FIFO) आधार पर
अन्य कच्चा माल	भारित औसत लागत के आधार पर
तैयार माल	कच्चा माल और रूपांतरण लागत
व्यापार में स्टॉक	भारित औसत लागत के आधार पर
प्रक्रिया में स्टॉक	पैकिंग सामग्री सहित कच्चा माल और यथानुपात रूपांतरण लागत, भंडार और अतिरिक्त पुर्जे पर
	भारित औसत लागत के आधार पर

कच्चा माल का अवलेखन लागत से कम तभी किया जाता है जब कच्चा माल की कीमतों में बाद में गिरावट आई हो और यह अनुमान लगाया गया हो कि तैयार माल की लागत उनके वसूली करने लायक मूल्य से अधिक हो.

विनिर्माण स्थान पर पड़े तैयार माल पर उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान, लागू शुल्क के आधार पर कर निर्धारणीय मूल्य पर किया जाता है.

बंधित गोदाम में पड़े कच्चा माल पर उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान लागू दरों पर किया जाता है.

पुराने, ज्यादा उपयोग न किए जाने वाले, अतिरिक्त और दोषपूर्ण स्टॉक को, स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करते समय पहचाना जाता है और जहां कहीं आवश्यक हो, ऐसे स्टॉक के लिए प्रावधान किया जाता है.

3.19. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक आस्तियां और प्रतिबद्धताएं

जब समूह का वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) हो तब गत घटना के परिणामस्वरूप प्रावधान को मान्यता दी जाती है, ऐसी सूरत में संभव है कि कंपनी को दायित्व निपटाना पड़े और दायित्व की रकम का भरोसेमंद आकलन किया जा सकता है.

प्रावधान के रूप में लेखाबद्ध रकम, दायित्व में अंतर्निहित जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व निपटाने के लिए आवश्यक प्रतिफल के बेहतरीन आकलन के बराबर होती है. अगर पैसे का समय मूल्य महत्वपूर्ण हो तो कर पूर्व बट्टा दर लगाते हुए प्रावधान में रियायत दी जाती है. जब रियायती दी जा रही हो तब समय बीतने के कारण प्रावधान बढ़ने पर उसे वित्त लागत के रूप में दर्शाया जाता है.

प्रावधान से संबंधित खर्च को, अगर कोई निवल प्रतिपूर्तियां हों तो उनके रूप में लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

जब आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभव हो तब आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में लेखों पर टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है.

आकस्मिक देयताएं, ऐसे संभावित दायित्व होती हैं, जिनकी मौजूदगी की पुष्टि, ऐसी भावी घटनाओं से ही की जाती हैं जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में न हों अथवा ऐसे वर्तमान दायित्व होते हैं जहां यह संभव न हो कि संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक हो अथवा दायित्व की रकम को पर्याप्त भरोसेमंदी के साथ मापना संभव न हो. जब तक आर्थिक लाभ के रूप में संसाधनों का बहिर्वाह होने की संभावना न हो, आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणों में लेखों पर टिप्पणियों के रूप में प्रबंधन / स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है.

आकस्मिक आस्तियों और आकस्मिक देयताओं की, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है जिससे कि प्रबंधन का वर्तमान आकलन परिलक्षित हो.

प्रकट की गई पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं, उन मदों के संबंध में जो प्रत्येक मामले में देहली सीमा से अधिक हों.

3.20. वित्तीय लिखत

वित्तीय लिखत, एक ठेका है जो एक उद्यम की वित्तीय आस्ति और दूसरे प्रतिष्ठाना की वित्तीय देयता अथवा इक्विटी लिखत निर्मित करता है. वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को तब लेखाबद्ध किया जाता है जब कंपनी, लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बने. वित्तीय देयता, एक ऐसी देयता है जो नकद अथवा दूसरी वित्तीय आस्ति, किसी दूसरे उद्यम को सुपुर्द करने का ठेकागत दायित्व निर्मित करती है अथवा कोई ऐसा ठेका बनती है जो जिसे उद्यम के खुद के इक्विटी लिखतों में निपटाया जाएगा या जा सकेगा और यह एक गैर-व्युत्पन्न है जिसके निमित्त उद्यम, अपने खुद के परिवर्ती संख्या में इक्विटी लिखतों को सुपुर्द करने के लिए बाध्य हो या हो सकता है.

प्रारंभिक पहचान और मापन

वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है. ऐसी लेन-देने लागत को, जो सीधे वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं (वित्तीय आस्तियों और देयताओं से भिन्न, उचित मूल्य पर, लाभ अथवा हानि के जरिए) के अधिग्रहण अथवा निर्गम के कारण उत्पन्न हुई हों, प्रारंभ में मान्यता देने पर यथोचित तरीके से वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य में जोड़ा जाता है अथवा उचित मूल्य से काटा जाता है. ऐसी लेन-देने लागत को, जो सीधे वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण के कारण उत्पन्न हुई हों, फौरन लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.21. वित्तीय आस्तियां

बाद में मापना

सभी पहचानी गईं वित्तीय आस्तियों को, वित्तीय आस्तियों को संभालने की खातिर बनाए गए व्यावसायिक मॉडेल और ठेकागत नकदी प्रवाह के लक्षणों के आधार पर बाद में पूरी तरह से या तो परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर मापा जाता है.

(i) परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियां

वित्तीय आस्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है जिसके लिए प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग किया जाता है बशर्ते कि इन वित्तीय आस्तियों को व्यवसाय के अंदर इस मकसद से रखा गया हो जिसे हासिल करने के लिए इन वित्तीय आस्तियों को बेचा जाता है और संविदात्मक नकदी प्रवाह हासिल किया जाता है और इन वित्तीय आस्तियों के संविदात्मक नियमों से निर्दिष्ट तारीखों को ऐसा नकदी प्रवाह उत्पन्न होता है जो मात्र बकाया मूल धनराशि के भुगतान और बकाया मूल धनराशि पर ब्याज (SPPI)के भुगतान के रूप में होते हैं.

(ii) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां (FVOCI)

इन आस्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए मापा जाता है बशर्ते कि इन वित्तीय आस्तियों को व्यवसाय के अंदर इस मकसद से रखा गया हो जिसे हासिल करने के लिए इन वित्तीय आस्तियों को बेचा जाता है और संविदात्मक नकदी प्रवाह हासिल किया जाता है, जिन वित्तीय आस्तियों के संविदात्मक नियमों से निर्दिष्ट तारीखों को ऐसा नकदी प्रवाह उत्पन्न होता है जो मात्र बकाया मूल धनराशि के भुगतान और बकाया मूल धनराशि पर ब्याज (SPPI)के भुगतान के रूप में होते हैं.

(iii) लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां (FVTPL)

वित्तीय आस्तियों को, उचित मूल्य पर लाभ अथवा हानि के जरिए तब तक मापा जाता है जब तक उनको परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा न जा रहा हो.

प्रारंभिक मापन के बाद ब्याज के निमित्त आय, ह्रास के कारण हुई हानि और अन्य निवल अभिलाभ एवं हानियों सहित उचित मूल्य में हुए परिवर्तन को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

(iv) नकद और नकदी समतुल्य

समूह, सभी अधिक अर्थ सुलभ वित्तीय लिखतों पर विचार करता है जिनका

ज्ञात नकद में आसानी से रूपांतरण करना संभव हो और जिनका मूल्य बदलने पर जोखिम नगण्य हो और जिनकी क्रय तारीख से तीन महीनों की मूल परिपक्वता हो जो नकद में बदलने लायक हो. नकद और नकदी समतुल्य में बैंकों के पास शेषराशि रहती है जिनका आहरण और उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है.

(v) इक्विटी निवेश:

इक्विटी लिखत (सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों (JV) और सहबद्ध कंपनियों से भिन्न):

Ind AS 109 के अधीन आने वाले तमाम इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है. व्यापार करने की खातिर रखे गए इक्विटी लिखतों का FVTPL पर वर्गीकरण किया जाता है. इन सभी अन्य इक्विटी निवेशों के मामले में कंपनी, इनका FVOCI या FVTPL के रूप में वर्गीकरण करने का निर्णय करती है. कंपनी, ऐसा चुनाव, लिखत-दर-लिखत आधार पर करती है. ऐसा वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किया जाता है जो अपरिवर्तनीय है.

इक्विटी लिखत (सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों (JV) और सहबद्ध कंपनियों में):

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों (JV) और सहबद्ध कंपनियों में किए गए निवेश को स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में लागत पर दर्शाया जाता है.

(vi) वित्तीय आस्तियों में ह्रास

कंपनी, प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को यह निर्धारण करती है कि क्या किसी वित्तीय आस्ति अथवा वित्तीय आस्तियों के समूह में ह्रास हुआ है या नहीं. Ind AS 109 में अपेक्षा की जाती है कि अपेक्षित क्रेडिट हानि को हानिपरक भत्ते के जरिए मापा जाए. कंपनी, व्यापार से प्राप्य रकम के मामले में जीवनपर्यंत अपेक्षित उन हानियों को लेखाबद्ध करती है जो वित्तीय लेन-देन के बराबर नहीं होती हैं. सभी अन्य वित्तीय आस्तियों के मामले में, अपेक्षित क्रेडिट हानियों को उस रकम पर मापा जाता है जो 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि अथवा उस रकम के बराबर हो अथवा जीवनपर्यंत अपेक्षित हानि के बराबर हों, बशर्ते कि वित्तीय आस्ति पर क्रेडिट जोखिम में, प्रारंभिक पहचान के बाद काफ़ी उल्लेखनीय बढ़त हुई हो.

(vii) वित्तीय आस्तियों को मान्यता न देना

कंपनी, वित्तीय आस्ति को तब मान्यता नहीं देती है जब आस्ति से नकद प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाएं अथवा जब वह वित्तीय आस्तियों को और आस्ति के स्वत्व से जुड़े तमाम जोखिमों और अधिनिर्णयों को किसी दूसरे पक्षकार के नाम हस्तांतरित करे.

वित्तीय आस्ति को पूरी तरह से मान्यता न देने पर आस्ति की रखाव रकम और प्राप्त एवं प्राप्य प्रतिफल की रकम के बीच का अंतर, लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.22. वित्तीय देयताएं और इक्विटी लिखत

3.22.1 वित्तीय देयताएं

बाद में मापना

(i) बाद में परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय देयताएं:

वित्तीय देयताओं को उत्तरवर्ती लेखा अवधियों के अंत में परिशोधित लागत पर मापा जाता है. बाद में परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय देयताओं की वहन मूल्य का निर्धारण, प्रभावी ब्याज दर पद्धति (“EIR”) पर किया जाता है. अगर ब्याज खर्च का आस्ति की लागत के अंग के रूप में पूंजीकरण न किया गया हो तो उसे ' वित्त लागत ' के अधीन दर्शाया जाता है.

(ii) लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां

लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों में व्युत्पन्न सम्मिलित हैं. FVTPL पर वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है और ब्याज खर्च सहित निवल अभिलाभ एवं हानियों को लाभ-हानि में दर्शाया जाता है.

(iii) सन्निहित व्युत्पन्न

आस्ति से भिन्न सभी अन्य मेजबान ठेका में सन्निहित व्युत्पन्न को तभी अलग किया जाता है जब सन्निहित व्युत्पन्न के आर्थिक लक्षण और जोखिम, मेजबान के आर्थिक लक्षणों और जोखिम से गहराई से न जुड़े हों और इनको लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता हो. मेजबान ठेकों से निकटता से जुड़े सन्निहित व्युत्पन्नों को अलग नहीं किया जाता है.

वित्तीय देयताओं को मान्यता न देना

कंपनी, वित्तीय देयताओं को किसी भी सूरत में तभी लेखाबद्ध नहीं करता है जब समूह का दायित्व निभाया गया हो, रद्द किया गया हो अथवा समाप्त हुआ हो. बहियों में दर्शाई वित्तीय देयता की रखाव रकम और प्रदत्त एवं देय प्रतिफल के बीच का अंतर, लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.22.2 इक्विटी लिखत

किसी भी ठेके में इक्विटी लिखत उसे कहते हैं जो अपनी तमाम देयताओं को काटने के बाद समग्र आस्तियों में अवशिष्ट हित का सबूत बनता है. कंपनी द्वारा निर्गमित इक्विटी लिखतों को प्राप्त प्राप्तियों पर दर्शाया जाता है. प्रत्यक्ष रूप से नए साधारण इक्विटी शेयरों के निर्गमन के कारण उठाई गईं वृद्धिशील लागत को, इक्विटी से कटौती यानी निवल कर प्रभाव के रूप में दर्शाया जाता है.

3.23 वित्तीय गारंटी

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संबंधी ठेकों को प्रारंभ में उनके उचित मूल्य पर मापा जाता है और अगर FVTPL पर नाम निर्दिष्ट न किया गया हो तो बाद में

i. Ind AS 109 की क्षति संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित हानि के लिए किए गए प्रावधान की उच्चतर रकम पर मापा जाता है.

ii. उचित होने पर प्रारंभ में कम रकम स्वीकार की जाती है, जब कि Ind AS 115 के सिद्धांतों के अनुसार संचयी आय राशि स्वीकार की जाती है.

जब कंपनी को अपनी नियंत्रक कंपनी से वित्तीय गारंटी मिले तब वह गारंटी शुल्क को उचित मूल्य पर मापती है. कंपनी, नियंत्रक कंपनी से प्राप्त वित्तीय गारंटी के लिए शुल्क के प्रारंभिक उचित मूल्य को " माना गया इक्विटी " के रूप में अभिलिखित करती है जब कि उसकी तदनुरूपी आस्ति को पूर्वदत्त गारंटी शुल्क के रूप में रेकॉर्ड करती है. ऐसे माने गए इक्विटी को तुलन पत्र में ' अन्य इक्विटी ' शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है. पूर्वदत्त गारंटी शुल्क को प्राप्त वित्तीय गारंटी की अवधि में लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.24 बीमा संबंधी दावे

(क) सभी बीमा संबंधी दावों को, वसूल करने योग्य रकम को भरोसे मंद तरीके से मापे जाने की सीमा तक स्वीकार किए / स्वीकार किए जाने वाले दावों के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है और प्रबंधन के लिए आभासी रूप से निश्चित है कि अंत में वसूली होगी.

(ख) आस्ति की पूरी तरह से हानि होने पर, बीमाकर्ता को सूचित करने पर, यातो आस्ति की रखाव लागत अथवा बीमा मूल्य (काटने लायक अतिशय रकम के अधीन), जो भी कम हो, बीमा कंपनी से वसूल करने योग्य दावे के रूप में माना जाएगा बशर्ते कि उक्त परिच्छेद (क) में उल्लिखित शर्तें पूरी की गईं हों. अगर बीमा दावा, आस्ति की रखाव लागत से कम हो तो अंतर रकम को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

(ग) आंशिक अथवा अन्य हानियों के मामले में इन आस्तियों का दोबारा उपयोग करने लायक स्थिति में लाने की खातिर, अगर अन्य पक्षकार की अथवा अन्य देयताएं हों तो (काटने लायक अतिशय रकम को घटाने के बाद) उनको चुकाने की दृष्टि से किए गए व्यय/भुगतान को बीमा कंपनी से प्राप्य दावे के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है बशर्ते कि उक्त परिच्छेद (क) में उल्लिखित शर्तें पूरी की गईं हों. बीमा पॉलिसी के निमित्त काटने लायक अतिशय रकम को उस वर्ष खर्च किया जाता है जिसमें तदनुरूपी व्यय किया गया हो.

(घ) किसी वर्ष, कुल हानि, आंशिक हानि अथवा अन्य हानियां होने की दशा में और अगर उक्त परिच्छेद (क) की शर्तें पूरी न की गई हों तो हानियों को उसी वर्ष के लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

(ङ) जब कभी अंत में बीमा कंपनी से दावे प्राप्त हों, बीमा कंपनी से प्राप्य और प्राप्त दावे के बीच कोई अंतर हो तो उसका लाभ-हानि विवरण में समायोजन किया जाता है.

(च) सभी अन्य दावों और प्रावधानों को प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर दर्ज किया गया है.

3.25 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां (भूमि अथवा भवन अथवा भवन का अथवा दोनों का अंश) ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनको किराया कमाने और/अथवा पूंजी में वृद्धि होने अथवा दोनों की खातिर लेकिन कारोबार के सामान्य क्रम में बेचने के लिए नहीं रखा जाता है, उत्पादन में उपयोग करने अथवा वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति करने अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए रखा जाता है. निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लेन-देन लागत सहित लागत पर मापा जाता है. प्रारंभ में मान्यता देने के बाद, निवेश संपत्ति को लागत मॉडेल के लिए Ind AS 16 की अपेक्षाओं के अनुसार मापा जाता है. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया गया है.

निवेश संपत्ति को, या तो उसे बेचने पर अथवा उसे स्थाई रूप से उपयोग करने से हटाने पर मान्यता नहीं दी जाती है और उसे निपटाने पर भविष्य में उससे कोई आर्थिक लाभ मिलने की अपेक्षा नहीं की जाती है. संपत्ति को मान्यता न देने से उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानि (निवल निपटान प्राप्तियों और आस्ति के वहन मूल्य के बीच अंतर रूप में परिकलित) को लाभ अथवा हानि में उस अवधि में समाविष्ट किया जाता है जिसमें संपत्ति को मान्यता देना बंद किया गया हो.

4. लेखाकरण के बारे में नाजुक फ़ैसले, परिकल्पनाएं और आकलन के महत्वपूर्ण स्रोत

जैसे कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय अपनाई गईं लेखा नीतियों को लागू करते समय यह बात अंतर्निहित है कि प्रबंधन को ऐसे फ़ैसले, आकलन करने पड़ेंगे और परिकल्पनाएं करनी पड़ेंगी जो रिपोर्ट की गईं आस्तियों और देयताओं की रकम, आकस्मिक आस्तियों और देयताओं का प्रकटन, राजस्व एवं राजस्व एवं खर्च की रिपोर्ट की गई रकम को प्रभावित करे. वास्तविक परिणाम, किए गए आकलन और परिकल्पनाओं से भिन्न हो सकते हैं.

आकलन और उसकी अंतर्निहित परिकल्पनाओं की, अविरत आधार पर समीक्षा की जाती है. लेखाकरण संबंधी आकलन में किए गए संशोधन को उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें आकलन में संशोधन किया गया हो जो भावी अवधि को प्रभावित करे.

वित्तीय विवरण तैयार करते समय फैसला, परिकल्पनाएं और आकलन करने में अनिश्चितता के महत्वपूर्ण स्रोत, जिसकी बदौलत, अगले वित्तीय वर्ष के अंदर आस्तियों एवं देयताओं के रखाव रकम में महत्वपूर्ण समायोजन करने की नौबत आए, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की उपयोगी आयु, कर्मचारी लाभ संबंधी दायित्व, आय कर के लिए प्रावधान एवं आस्थगित कर आस्तियों के संबंध में होती हैं.

4.22 लेखा नीतियां लागू करते समय नाजुक फ़ैसले करना

नीचे दिए गए फ़ैसले, आकलन से जुड़े फ़ैसलों के अलावा महत्वपूर्ण हैं, (देखें टिप्पणी 4.2), प्रबंधन को, समूह की ऐसी लेखा नीतियां लागू करते समय जिनका वित्तीय विवरणों में दर्शाई गईं रकम पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़े, नीचे उल्लिखित नाजुक फ़ैसले करने पड़ेंगे.

(क) कार्यात्मक मुद्रा का निर्धारण

प्राथमिक आर्थिक माहौल में ऐसी मुद्रा जिसमें कंपनी, अपना काम चलाती है (" कार्यात्मक मुद्रा "), भारतीय रुपया है (₹) जिसमें कंपनी, मूल रूप से नकद उत्पन्न कर खर्च करती है. तदनुसार, प्रबंधन ने तय किया है कि उसकी कार्यात्मक मुद्रा होगी, भारतीय रुपया (₹).

4.23 आकलन में अनिश्चितता की परिकल्पनाएं और महत्वपूर्ण स्रोत

ऐसे आकलन और पूर्व धारणाओं के बारे में सूचना, जिनका आस्तियों, देयताओं, आय और खर्च को दर्शाने और मापने पर उल्लेखनीय प्रभाव हो, नीचे दी गई है. वास्तविक परिणाम, इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं.

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु

प्रबंधन, PPE और अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु के बारे में अपने आकलन की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्ट तारीख को, आस्तियों की खपत से मिलने वाले भावी आर्थिक लाभ के आधार पर करता है.

(ख) परिभाषित लाभ के प्रति दायित्व (DBO)

प्रबंधन का DBO का आकलन, अंतर्निहित नाजुक परिकल्पनाओं की संख्या पर आधारित है जैसे मुद्रास्फ़ीति का मानक दर, चिकित्सा लागत की प्रवृत्तियां, मृत्यु-दर, बट्टा दर और भविष्य में प्रत्याशित वेतन वृद्धि. इन परिकल्पनाओं में घट-बढ़ हो सकती है जिसका DBO की रकम और वार्षिक परिभाषित लाभ संबंधी खर्च पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है.

(ग) आय कर के लिए प्रावधान

अनिश्चित कर देयताओं के संबंध में अदा/वसूल की जाने वाली रकम रहित आय करों के लिए प्रावधान तय करने से जुड़े उल्लेखनीय फ़ैसले लेने पड़ते हैं.

(घ) आस्थगित कर आस्तियों को लेखाबद्ध करना

जिस हद तक आस्थगित कर आस्तियों को लेखाबद्ध किया जा सकता है उसका निर्धारण कंपनी की उस भावी कर योग्य आय की संभावनाओं पर निर्भर होता है जिसके प्रति आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करना संभव हो. इसके अलावा, कानूनी अथवा आर्थिक सीमाओं अथवा अनिश्चितताओं के प्रभाव का निर्धारण करते समय काफ़ी बड़े फ़ैसले करने पड़ेंगे.

(ङ) सहायक कंपनी में निवेश की क्षति

31 मार्च, 2021 को कंपनी रखाव रकम ₹ 29,595.57 दशलक्ष रही(31 मार्च, 2020 को ₹ 17,426.37 दशलक्ष). OMPL ने 2014-15 में अपना प्रचालन वर्ष एक हरित क्षेत्र वाली परियोजना से शुरु किया जिसने पूर्व वित्तीय वर्षों में हानि उठाई थीं जिसके परिणामस्वरूप निवल मूल्यवत्ता में उल्लेखनीय अवनति हुई है. लेकिन प्रत्यक्ष निष्पादन में सुधार करते हुए और लाभप्रदता बढ़ाने वाले विभिन्न प्रकार के उपाय करते हुए, कंपनी ने प्रारंभ में चुनौतियों का मुकाबला किया है.

प्रबंधन ने भविष्य के बारे में धारणाओं के आधार पर वर्तमान मूल्य तक घटाए गए संबंधित भावी नकदी प्रवाह पर विचार किया है. क्षति का परीक्षण करते समय अकसर कई अस्थिर आर्थिक कारकों जैसे भावी बाजार कीमतों, मुद्रा विनिमय दरों और भावी उत्पादन एवं बट्टा दर को लेकर दीर्घावधि धारणाएं बनानी पड़ती हैं.

उक्त निर्धारण के आधार पर प्रबंधन ने यह फ़ैसला किया है कि निवेश के मूल्य में इस समय हुई अवनति अस्थाई है जो OMPL द्वारा इससे पहले उठाई गई हानियों के कारण है. तदनुसार 31 मार्च, 2021 को कोई क्षति नहीं हुई है.

(च) पट्टे

यह पहचानना कि क्या ठेके में पट्टा शामिल है या नहीं

कंपनी, विभिन्न आस्तियों/सेवाओं के लिए किराया/सेवा संबंधी व्यवस्थाएं करती है. कंपनी, Ind AS 116 के सिद्धांतों के अनुसार यह मूल्यांकन करती है कि क्या ठेके में कोई पट्टा है या नहीं. इसमें उल्लेखनीय फ़ैसले करने पड़ते हैं जिनमें ये बातें शामिल हैं परंतु इन बातों तक सीमित नहीं है, क्या आस्ति को निःसंदेह पहचाना गया है और आपूर्तिकर्ता के पास असली स्थानापन्न अधिकार उपलब्ध हैं, ऐसा फ़ैसला करने का अधिकार कि संबंधित आस्ति का उपयोग किस तरह से किया जाए, व्यवस्था का आर्थिक सार आदि.

पट्टा संबंधी अवधि का निर्धारण (विस्तार और समाप्त करने संबंधी विकल्पों सहित)

कंपनी, पट्टा संबंधी अवधि को रद्द न करने लायक पट्टी अवधि की तरह मानती है जिसमें पट्टे की अवधि बढ़ाने अथवा समाप्त करने के विकल्प के साथ समायोजन किया गया हो बशर्ते कि ऐसे विकल्प का उपयोग करना लगभग निश्चित हो. अवधि बढ़ाने/समाप्त करने के विकल्प का निर्धारण, पट्टा-दर-पट्टा आधार पर संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार किया जाता है. अगर विकल्प का वास्तव में उपयोग किया जाए तो पट्टा संबंधी अवधि का पुनर्निर्धारण किया जाता है. ठेकों के मामले में, जहां कुछ परिस्थितियों में कंपनी को अंतर्निहित आस्ति को किराए पर लेने और न लेने का विकल्प हो(जैसे प्रचालन संबंधी अपेक्षाएं), पट्टे की अवधि को प्रारंभिक ठेका अवधि के रूप में माना जाता है.

पट्टा संबंधी देयता का परिकलन करने के लिए पट्टा संबंधी भुगतानों को पहचानना

निश्चित पट्टा संबंधी भुगतानों (इन्न-सब्सटेंस निश्चित सहित) को पहचानने के लिए, कंपनी, पट्टा संबंधी देयता और तदनुरूपी आस्तियों के उपयोग के अधिकार का परिकलन करते समय गैर-प्रचालन दिन दर/स्टैंड बाय को न्यूनतम निश्चित पट्टा भुगतान की तरह मानती है.

कम मूल्य के पट्टे

Ind AS 116 में इस बात का निर्धारण करने अपेक्षा की गई है कि क्या अंतर्निहित आस्ति का मूल्य कम है, अगर पट्टेदार, अंतर्निहित आस्ति का मूल्य कम होने पर, पट्टे के संबंध में Ind AS 116 की उसे स्वीकार करने और उसका मापन करने संबंधी अपेक्षाओं को लागू न करने का विकल्प चुने. कम मूल्य का निर्धारण करते समय कंपनी ने, Ind AS 1 में यथा परिभाषित आस्तियों के स्वरूप और मटीरियलिटी की अवधारणा तथा Ind AS के वैचारिक ढ्रांचे पर विचार किया है जिसमें उल्लेखनीय फ़ैसला करना पड़ता है.

पट्टा संबंधी देयता का परिकलन करने के लिए बट्टा दर का निर्धारण करना

पट्टा संबंधी देयता का परिकलन करते समय Ind AS 116 में अपेक्षा की जाती है कि पट्टेदार, अगर पट्टा संबंधी ठेके में निर्दिष्ट दर का फ़ौरन निर्धारण करना संभव न हो तो अपनी वृद्धिशील उधार दर का बट्टा दर के रूप में उपयोग करे.

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा में अंकित पट्टे के मामले में, कंपनी, वृद्धिशील उधार को, इसी तरह से निर्धारित संगठनों के लिए कार्पोरेट बाँड रेट के रूप में मानती है.

****

5. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

निवल रखाव रकम	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	54.91	54.91
भवन	3,635.31	3,733.20
संयंत्र और उपकरण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 'क']**	127,059.04	131,994.11
रेलवे साइडिंग	1,446.41	1,534.70
फर्नीचर और जुड़नार	221.17	250.09
वाहन	22.73	24.49
कार्यालय उपकरण	27.27	28.10
कुल	**132,466.84**	**137,619.60**

कुल रखाव रकम	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृत भूमि	भवन	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	**17.65**	**271.74**	**4,425.94**	**1,62,239.80**	**-**	**416.01**	**28.20**	**41.91**	**1,67,441.25**
परिवर्धन/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण	37.26	-	48.24	4,100.34	1,626.75	32.80	8.73	10.00	5,864.12
निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण अन्य शीर्षों में अंतरण	-	271.74	37.26	502.63	-	3.23	0.69	2.50	818.05
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**54.91**	**-**	**4,436.92**	**1,65,837.51**	**1,626.75**	**445.58**	**36.24**	**49.41**	**1,72,487.32**
परिवर्धन/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण	-	-	32.26	3,202.42	15.82	14.81	4.58	6.41	3,276.30
निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण अन्य शीर्षों में अंतरण	-	-	-	810.37	-	5.87	4.12	5.42	825.78
31 मार्च, 2021 को शेषराशि	**54.91**	**-**	**4,469.18**	**1,68,229.56**	**1,642.57**	**454.52**	**36.70**	**50.40**	**1,74,937.84**

परिशोधित मूल्यह्रास	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृत भूमि	भवन	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	**-**	**-**	**574.36**	**26,861.10**	**-**	**150.65**	**7.54**	**19.70**	**27,613.35**
मूल्यह्रास	-	-	129.36	7,396.65	92.05	47.47	4.77	3.89	7,674.19
निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण अन्य शीर्षों में अंतरण	-	-	-	414.35	-	2.63	0.56	2.28	419.82
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**-**	**-**	**703.72**	**33,843.40**	**92.05**	**195.49**	**11.75**	**21.31**	**34,867.72**
मूल्यह्रास	-	-	130.15	8,067.38	104.11	43.14	4.36	6.96	8,356.10
निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण अन्य शीर्षों में अंतरण	-	-	-	740.26	-	5.28	2.14	5.14	752.82
31 मार्च, 2021 को शेषराशि	**-**	**-**	**833.87**	**41,170.52**	**196.16**	**233.35**	**13.97**	**23.13**	**42,471.00**

क) संयंत्र और उपकरण में शामिल है ₹ 39.15 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 39.15 दशलक्ष),जो किसी दूसरी कंपनी के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली आस्ति में कंपनी का हिस्सा है.

5.1 **जमानत के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (देखें टिप्पणी 22):**

बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए जमानत के तौर पर वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार और चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है (जिसमें संयंत्र और मशीनों, अतिरिक्त पुरज़ों, औजारों, फर्नीचर, जुड़नार, वाहन और समस्त अन्य चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शामिल हैं जिनकी सीमा यहां तक समाप्त नहीं होती है).

संघीय बैंक से लिए कार्यकारी पूंजीगत उधार के लिए जमानत के तौर पर प्रथम सम मात्रा प्रभार के रूप में कंपनी के कच्चा माल, तैयार माल, प्रक्रियागत स्टॉक, भंडार, अतिरिक्त पुर्जों, घटकों, प्राप्य व्यापार रकमों, बकाया प्राप्त धन, दावों, बिलों, ठेके, वचनबद्धता, वर्तमान एवं भावी, दोनों तरह की प्रतिभूतियों को दृष्टिबंधक रखा गया है और आगे, कंपनी की, वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की चल और अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर द्वितीय सम मात्रा प्रभार के रूप में जमानत दी गई है (समस्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण).

5.2 कंपनी, कुछ आर्थिक लाभ के लिए पात्र है जैसे पूर्व वर्षों में पूंजीगत वस्तुओं के आयात/स्थानीय खरीदारी पर प्रवेश कर, उत्पाद शुल्क आदि से छूट. कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की खरीदारी पर सीमाशुल्क तथा प्रवेश कर के लिए प्राप्त लाभ को सरकारी अनुदान के रूप में लिया था. कंपनी ने 1 अप्रैल 2017 को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत को समायोजित कर ₹ 3,618.21 दशलक्ष की राशि आस्थगित सरकारी अनुदान में जमा की थी. आस्थगित कर अनुदान को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की शेष उपयोगी आयु के दौरान परिशोधित किया जाता है.

6. आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार

निवल रखाव रकम	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
पट्टाधृत भूमि **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी 6.1 और 6.2)**	2,851.16	2,922.34
भवन	211.26	249.60
अन्य (उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियां)	1,385.70	1,428.59
कुल	**4,448.12**	**4,600.53**

कुल रखाव रकम	पट्टाधृत भूमि	भवन	अन्य (उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियां)	कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	**2,971.47**	**288.05**	**1,448.52**	**4,708.04**
परिवर्धन	11.96	-	41.55	53.51
पट्टा संबंधी ठेके का पुन: मापन/समापन करने के लिए समायोजन	6.66	-	(0.40)	6.26
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**2,990.09**	**288.05**	**1,489.67**	**4,767.81**
परिवर्धन	26.68	-	8.60	35.28
पट्टा संबंधी ठेके का पुन: मापन/समापन करने के लिए समायोजन	(30.69)	-	21.72	(8.97)
31 मार्च, 2021 को शेषराशि	**2,986.08**	**288.05**	**1,519.99**	**4,794.12**

परिशोधित मूल्यह्रास	पट्टाधृत भूमि	भवन	अन्य (उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियां)	कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	-	-	-	-
परिवर्धन	67.75	38.45	66.00	172.20
पट्टा संबंधी ठेके का पुन: मापन/समापन करने के लिए समायोजन	-	-	(4.92)	(4.92)
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**67.75**	**38.45**	**61.08**	**167.28**
परिवर्धन	67.17	38.34	73.21	178.72
पट्टा संबंधी ठेके का पुन: मापन/समापन करने के लिए समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 को शेषराशि	**134.92**	**76.79**	**134.29**	**346.00**

6.1 इसमें शामिल है, पट्टाधृत भूमि, जहां स्वामित्व को, पट्टा अवधि के अंत में कंपनी के नाम हस्तांतरित किया जाएगा. इन पट्टाधृत भूमियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है.

6.2 आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार में शामिल है ऐसी भूमि जिसकी रकम है ₹ 1,247.51 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 1,305.60 दशलक्ष) जो कंपनी के कब्ज़े में है जिसके प्रति औपचारिक पट्टा संबंधी विलेख अभी निष्पादित नहीं किए गए हैं.

6.3 उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों में प्रभारित मूल्यह्रास के लिए ₹ 37.57 दशलक्ष(31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 43.02 दशलक्ष) का, प्रगति में पूंजीगत कार्य (CWIP) की लागत के घटक के रूप में पूंजीकरण किया गया है **[देखें टिप्पणी 7.3]**.

7. प्रगति में पूंजीगत कार्य (CWIP)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
भवन		399.57		249.97
संयंत्र और उपकरण		21,546.33		16,057.62
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		-		15.48
आबंटन होने तक परियोजना व्यय :				
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	440.49		300.29	
वित्त लागत **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 7.1 और7.2]**	1,100.62		621.90	
मूल्यह्रास संबंधी खर्च **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 7.3]**	80.59		43.02	
अन्य खर्च	60.14		47.74	
घटाएं: वर्ष के दौरान आबंटित/समायोजित	35.28	1,646.56	33.98	978.97
कुल		**23,592.46**		**17,302.04**

7.1 CWIP में किए गए परिवर्धन में शामिल है, उधार लागत के निमित्त ₹ 478.72 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 366.61 दशलक्ष) जिसका विभिन्न श्रेणी की आस्तियों में आबंटन किया गया है/किया जाएगा. पूंजीकरण के लिए योग्य उधार लागत की रकम का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त दर 7.17% रही (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 7.80%) जो उधार पर प्रभावी ब्याज दर है.

7.2 पट्टा संबंधी देयता पर वित्त लागत के प्रति ₹ 89.44 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 101.60 दशलक्ष) का, प्रगति में पूंजीगत कार्य (CWIP) की लागत के घटक के रूप में पूंजीकरण किया गया है.

7.3 उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों में प्रभारित मूल्यह्रास के लिए ₹ 37.57 दशलक्ष(31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 43.02 दशलक्ष) का, प्रगति में पूंजीगत कार्य (CWIP) की लागत के घटक के रूप में पूंजीकरण किया गया है.

7.4 इसमें शामिल है ओआईडीबी के प्रति लिया गया ऋण जिसकी जमानत के तौर पर, ओआईडीबी की ऋण संबंधी प्राप्तियों में से वित्तपोषित सिर्फ़ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / परियोजनाओं पर दृष्टिबंधक / बंधक के रूप में प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है. **[देखें टिप्पणी** 22.2.2] और भारतीय स्टेट बैंक से लिया गया जमानत रहित, विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCNR) (B) कैपेक्स ऋण **[देखें टिप्पणी 22.7].**

8 निवेश संपत्ति

निवल रखाव रकम:	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	77.96	77.96
कुल	77.96	77.96

कुल रखाव रकम	**रकम**
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	**77.96**
परिवर्धन	-
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अन्य शीर्षों में अंतरण	-
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**77.96**
परिवर्धन	-
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अन्य शीर्षों में अंतरण	-
31 मार्च, 2021 को शेषराशि	**77.96**

संचित परिशोधित मूल्यह्रास और ह्रास	**रकम**
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	**-**
मूल्यह्रास	-
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अन्य शीर्षों में अंतरण	-
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**-**
मूल्यह्रास	-
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अन्य शीर्षों में अंतरण	-
31 मार्च, 2021 को शेषराशि	

8.1 पूंजीगत मूल्य वृद्धि के लिए धारित 102.31 एकड़ की भूमि शामिल है.

8.2 निवेश संपत्ति को खरीदने, निर्मित करने अथवा विकसित करने के प्रति कोई संविदागत दायित्व नहीं है.

8.3 चालू वर्ष में निवेश संपत्ति के लिए लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई निवल रकम ₹ शून्य है(31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में ₹ शून्य).

8.4 ऊपर उल्लिखित निवेश संपत्ति में उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्ति शामिल नहीं की गई है.

8.5 उचित मूल्य का बेहतरीन साक्ष्य है, इसी तरह की संपत्तियों के लिए सक्रिय बाज़ार में वर्तमान कीमतें.

8.6 कंपनी ने, दिनांक 30 अक्तूबर, 2020 को स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का उचित मूल्य 31 मार्च, 2021 को ₹ 409.24 दशलक्ष के रूप में निश्चित किया है (31 मार्च, 2020 को ₹ 255.80 दशलक्ष).

9 सुनाम

विवरण	रकम
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	**4.04**
क्षति	-
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**4.04**
क्षति	-
31 मार्च, 2021 को शेषराशि	**4.04**

9.1 सुनाम, नाइट्रोजन संयंत्र का अधिग्रहण करने की खातिर निवल आस्तियों पर प्रदत्त अतिशय प्रतिफल दर्शाता है.

10 अन्य अगोचर आस्तियां

निवल रखाव रकम	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	56.82	53.60
लाइसेंस और क्रयाधिकार	20.32	36.85
कुल	**77.14**	**90.45**

कुल रखाव रकम	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	लाइसेंस और क्रयाधिकार	कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	**87.44**	-	**87.44**
परिवर्धन	17.94	49.53	67.47
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अन्य शीर्षों में अंतरण	-	-	-
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**105.38**	**49.53**	**154.91**
परिवर्धन	19.41	-	19.41
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अन्य शीर्षों में अंतरण	29.87	-	29.87
31 मार्च, 2021 को शेषराशि	**94.92**	**49.53**	**144.45**

संचित परिशोधन	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	लाइसेंस और क्रयाधिकार	कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	**35.75**	**-**	**35.75**
परिशोधन	16.03	12.68	28.71
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अन्य शीर्षों में अंतरण	-	-	-
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**51.78**	**12.68**	**64.46**
परिशोधन	16.19	16.53	32.72
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अन्य शीर्षों में अंतरण	29.87	-	29.87
31 मार्च, 2021 को शेषराशि	**38.10**	**29.21**	**67.31**

11. निवेश

	विवरण	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
		संख्या दशलक्ष में	रकम	संख्या दशलक्ष में	रकम
11.1	**इक्विटी लिखतों में निवेश**				
	कोट न किए गए निवेश (सभी पूर्णत: प्रदत्त)				
	(i) सहायक कंपनी में निवेश				
	ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (लागत पर) (₹ 10 प्रति शेयर का अंकित मूल्य) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 11.1.1 से 11.1.4]**	2,544.29	29,595.57	1,297.63	17,426.37
	(ii) संयुक्त उद्यम में निवेश				
	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (लागत पर) (₹ 10 प्रति शेयर का अंकित मूल्य) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 11.1.5]**	15.00	150.00	15.00	150.00
	(iii) निवेश: अन्य				
	मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड (उचित मूल्य पर) (₹ 10 प्रति शेयर का अंकित मूल्य) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 11.1.6]**	0.02	0.19	0.02	0.19
	अन्य निवेश				
11.2	सहायक कंपनी, ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में माना गया निवेश **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 11.2.1]**		4,202.67		4,202.67
	कुल		**33,948.43**		**21,779.23**

	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
कोट न किए गए निवेश का कुल बही मूल्य	33,948.43	21,779.23
निवेश के मूल्य में हुई क्षति की कुल रकम	-	-

11.1.1 ONGC पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में शेयरों के विनिवेश पर लगाए गए प्रतिबंध, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड का अनुमोदन मिलने पर लागू होंगे.

11.1.2 ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में शेयरों में संख्या में पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर हैं जिनका लाभकारी हित एमआरपीएल द्वारा रखा गया है.

11.1.3 01 जनवरी, 2021 को कंपनी ने ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) के गैर-नियंत्रक शेयरधारकों से ₹ 12,167.34 दशलक्ष के नकद प्रतिफल पर 48.9981% अतिरिक्त शेयर खरीदे.

11.1.4 सहायक कंपनी के ब्यौरे

सहायक कंपनी का नाम	प्रधान गतिविधि	निगमन स्थान और कारोबार का प्रमुख स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वत्व हित का अनुपात/ धारित मताधिकार	
			यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	पेट्रोकेमिकल्स	भारत	99.99996%	51.00%

सहायक कंपनी में किए गए निवेश की लेखा पद्धति के बारे में जानने के लिए **देखें टिप्पणी 3.4.**

11.1.5 संयुक्त उद्यम के ब्यौरे

संयुक्त उद्यम का नाम	प्रधान गतिविधि	निगमन स्थान और कारोबार का प्रमुख स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वत्व हित का अनुपात / धारित मताधिकार	
			यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	विमानन ईंधनों का व्यापार	भारत	50.00%	50.00%

संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश की लेखा पद्धति के बारे में जानने के लिए **देखें टिप्पणी 3.4.**

11.1.6 निवेश के ब्यौरे: अन्य

कंपनी का नाम	प्रधान गतिविधि	निगमन स्थान और कारोबार का प्रमुख स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वत्व हित का अनुपात/धारित मताधिकार	
			यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
मंगलम् रीटेल सर्वीसस लिमिटेड (MRSL)	पेट्रोलियम उत्पादों का, खुदरा केंद्रों और परिवहन टर्मिनल के जरिए वितरण	भारत	18.98%	18.98%

MRSL में निवेश को लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापा गया है. प्रबंधन ने ऐसे निवेश के उचित मूल्य को (स्तर 3 के सोपान पर), प्रत्येक रिपोर्ट अवधि पर रखाव रकम के समतुल्य माना है.

11.2.1 कंपनी ने, पिछले वर्ष अनिवार्य तौर पर तीन वर्षों के परिवर्तनीय डिबेंचरों (CCD) के लिए जिसकी रकम ₹ 5100 दशलक्ष है (31 मार्च, 2020 को ₹ 5100 दशलक्ष) जिसे सहायक कंपनी '' ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) ने निर्गमित किया था और मूल धनराशि एवं संचयी कूपन की चुकौती के प्रति बैक स्टॉपिंग समर्थन देने की व्यवस्था की है और तीन श्रृंखलाओं में 31 मार्च, 2021 को बकाया ब्याज ₹ शून्य रहा (31 मार्च, 2020को ₹ शून्य).

₹ 4,202.67 दशलक्ष की रकम (31 मार्च, 2020 को ₹ 4,202.67 दशलक्ष) में शामिल है,

(i) ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) को दिए गए अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर के प्रति वित्तीय देयता के प्रति उचित मूल्य ₹ 4,200.70 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 4,200.70 दशलक्ष) तथा

(ii) ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) को किसी प्रतिफल के बगैर दी गई वित्तीय गारंटी पर गारंटी शुल्क के उचित मूल्य के प्रति ₹ 1.97 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 1.97 दशलक्ष).

माने गए निवेश के लेखाकरण के मामले में अपनाई गई पद्धति के बारे में जानने के लिए **देखें टिप्पणी 3.4.1 और 3.4.2.**

12 ऋण

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(क) बयाना				
(गैर जमानती, शोध्य समझे गए)				
संबंधित पक्षकारों के पास	12.68	-	12.68	-
विक्रेताओं के पास	134.09	3.35	145.76	4.51
जमाराशि में ह्रास				
- ऐसी जमाराशियां - जिसे जमा करने पर क्षति हुई हो	-	0.71	-	-
घटाएं: संदिग्ध जमाराशियों के निमित्त ह्रास	-	0.71	-	-
	146.77	**3.35**	**158.44**	**4.51**
(ख) **कर्मचारियों को ऋण**				
जमानती, शोध्य समझे गए,	1,070.15	138.14	948.11	121.53
गैर जमानती, शोध्य समझे गए		6.34		6.91
जमाराशि में ह्रास				
- ऐसे ऋण जिसे पाने में क्षति हुई हो	-	-	-	0.69
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के निमित्त क्षति	-	-	-	0.69
	1,070.15	**144.48**	**948.11**	**128.44**
(ग) निदेशकों और अन्य अधिकारियों को दिए गए ऋण (जमानती, शोध्य समझे गए)	**4.34**	**0.80**	**0.58**	**0.09**
(घ) ग्राहकों को दिए गए ऋण (जमानती, शोध्य समझे गए) **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी 12.1)**	**4.58**	**0.31**	**1.59**	**0.15**
कुल	**1,225.84**	**148.94**	**1,108.72**	**133.19**

12.1 कंपनी ने आधारभूत निधि योजना (CFS) के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के व्यापारियों को खुदरा केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना बनाई है. इस योजना के तहत, व्यापारी से कार्यकारी पूंजीगत ऋण/सहायता की मांग करते हुए लिखित दरख्वास्त मिलने पर कंपनी, व्यापारी के पूर्ण प्रचालन चक्र के लिए कार्यकारी पूंजीगत ऋण (सात दिनों की बिक्री की मात्रा के समतुल्य) देती है. यह कार्यकारी पूंजीगत ऋण और उस पर निर्दिष्ट दर से ब्याज, व्यापारी द्वारा चलाया गया खुदरा केंद्र चालू हुए तेरहवें महीने से सौ समान मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा.

13 अन्य वित्तीय आस्तियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(जमानती, शोध्य समझे गए, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)				
(क) कर्मचारियों/निदेशकों/अन्य अधिकारियों को दिए गए ऋणों पर उपचित ब्याज	**275.52**	**3.45**	**198.57**	**3.04**
(ख) अन्य पर उपचित परंतु देय न हुआ ब्याज, जमानती, शोध्य समझा गया	-	2.62	-	1.84
गैर जमानती, शोध्य समझा गया	-	-	-	-
		2.62	**-**	**1.84**
जमानत रहित शोध्य समझे गए				
(ग) प्राप्य रकम (जमानत रहित शोध्य समझे गए) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 13.1]**	**-**	**766.48**	**-**	**6,324.45**
कुल	**275.52**	**772.55**	**198.57**	**6,329.33**

13.1 सहायक कंपनी " ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड " (OMPL) पर आहरित गैर एलसी बिल के प्रति भारतीय स्टेट बैंक से गैर जमानती बिल भुनाई सुविधा दर्शाता है **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 17.7].**

14 कर आस्तियां/ (देयताएं) (निवल)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
कर आस्तियां	10,019.31	2,944.85	10,019.29	3,067.09
घटाएं: चालू कर देयताओं के लिए प्रावधान	8,382.75	1,084.76	8,382.75	1,084.76
निवल कर आस्तियां/ (देयताएं) (क)	**1,636.56**	**1,860.09**	**1,636.54**	**1,982.33**
विवाद के अधीन प्रदत्त आय कर (ख)	-	-	-	-
कुल (क+ख)	**1,636.56**	**1,860.09**	**1,636.54**	**1,982.33**

14.1 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत आय कर विवाद निपटाने का विकल्प चुना है और तदनुसार उक्त योजना के तहत देय ₹1,084.76 दशलक्ष की रकम, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में लाभ-हानि विवरण में पूर्व वर्ष के कर के रूप में दर्शाई गई है. इसका अनुसरण करते हुए कर आस्तियों और देयताओं का 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए पुनर्वर्गीकरण किया गया. कर निर्धारण वर्षों की ₹ 2,908.37 दशलक्ष की कर आस्तियां और ₹ 1,084.76 दशलक्ष की देयताएं, जिनके लिए कंपनी ने क्रमश: वर्तमान कर आस्तियों और वर्तमान कर देयताओं के रूप में समझने का विकल्प चुना है क्योंकि इनको एक वर्ष के अंदर निपटाने की उम्मीद है. चालू वित्तीय वर्ष में वही रवैया अपनाया जा रहा है क्योंकि उक्त योजना के अधीन अंतिम आदेश अभी नहीं मिले हैं.

14.2 कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने आय कर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 115BAA अंतर्विष्ट की है जिससे देशी कंपनियों को, कुछ शर्तों पर घटाई गई दर पर कार्पोरेट कर अदा करने का रद्द न करने लायक विकल्प मिला है. ऐसा विकल्प, वित्तीय वर्ष 2019-20 अथवा बाद में किसी वित्तीय वर्ष में चुना जा सकता है. कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कोई विकल्प नहीं लिया. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण, पुरानी कार्पोरेट कर दर पर विचार करते हुए तैयार किए गए हैं. लेकिन, कंपनी, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए नई निम्नतर कर दर का विकल्प, आय कर विवरणी पेश करते समय नियत तारीख तक या उससे पहले चुन सकती है.

15 अन्य आस्तियाँ

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(जमानत रहित, शोध्य समझे गए, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)				
(क) **अन्य को पूंजीगत अग्रिम** जमानती,	548.21	-	1,061.34	-
शोध्य समझे गए, गैर जमानती, शोध्य समझे गए	7,035.68	-	7,063.29	-
	7,583.89	-	**8,124.63**	-
(ख) सरकारी प्राधिकरण के पास जमाराशि [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 15.1, 15.2 और 15.3]	**378.73**	**2,472.83**	**378.73**	**2,471.87**
(ग) वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम				
संबंधित पक्षकारों से	-	4.73	-	1.87
अन्य से	-	353.95	-	295.11
	-	**358.68**	-	**296.98**
(घ) सरकारी प्राधिकरण के पास शेषराशि	-	**646.84**	-	**796.34**
(ङ) पूर्व भुगतान				
अन्य	207.36	305.05	217.90	81.56
	207.36	**305.05**	**217.90**	**81.56**
(च) सोने के सिक्के	-	**0.91**	-	**0.91**
(छ) वापस करने लायक आधार पर स्टॉक	-	41.39	-	41.39
घटाएं: स्टॉक में क्षति	-	41.39	-	41.39
	-	-	-	-
कुल	**8,169.98**	**3,784.31**	**8,721.26**	**3,647.66**

15.1 विवाद के अधीन प्रदत्त रकम शामिल है.

15.2 माननीय CESTAT के समक्ष लंबित रीफ़ॉर्मेट आयात के वर्गीकरण से संबंधित अपील के संबंध में, ₹ 2,125.25 दशलक्ष शामिल है, जिसमें कंपनी की यथाशीघ्र सुनवाई करने के आवेदन पत्र के जवाब में बारी के बिना जल्द ही मामले की सुनवाई करने के लिए माननीय CESTAT ने आदेश दिया है. Covid-19 फैलने के कारण, इस समय माननीय CESTAT ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मंच के जरिए मामले की सुनवाई करने का फ़ैसला किया है और यह सुनवाई वर्ष के अंदर संपन्न होने की आशा है.

15.3 31 मार्च, 2020 को समाप्त पूर्व वर्ष के दौरान कंपनी ''वित्त अधिनियम 2019 '' के तहत घोषित '' सब का विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 '' के तहत जो 1 सितंबर 2019 से 15 जनवरी 2020 तक लागू थी, विकल्प लिया था. 31 मार्च, 2021 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष के दौरान योजना का अनुसरण करते हुए और नाम निर्दिष्ट प्राधिकारियों के अनुमोदन के आधार पर उन्मोचन प्रमाणपत्र मिलने पर ₹ 2.07 दशलक्ष की रकम का पूर्व-जमाराशि के प्रति समायोजन किया गया है. आगे, 31 मार्च, 2021 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष में लाभ-हानि विवरण में ₹ 0.24 दशलक्ष की रकम दर्शाई गई है.

16 स्टॉक

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
	रकम	कुल	रकम	कुल
कच्चा माल				
(क) हाथ में	19,555.17		8,087.66	
(ख) मार्ग में	11,156.50	**30,711.67**	6,845.88	**14,933.54**
प्रक्रिया में स्टॉक		**9,735.06**		**5,000.57**
तैयार माल	19,084.05		11,790.39	
घटाएं: स्टॉक हानि के लिए प्रावधान	5.91	**19,078.14**	5.91	**11,784.48**
व्यापार में स्टॉक - स्नेहक तेल		**0.07**		**0.07**
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे				
(क) हाथ में	6,412.82		7,188.02	
(ख) मार्ग में	205.23		83.53	
घटाएं: ऐसे स्टाक के लिए प्रावधान जिनका ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है/जो बेकार पड़े हैं	44.31	**6,573.74**	90.46	**7,181.09**
कुल		**66,098.68**		**38,899.75**

16.1 वर्ष के दौरान खर्च के रूप में दर्शाई गई स्टॉक लागत (बिक्री लागत) ₹ 317,428.86 दशलक्ष रही (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 532,615.95 दशलक्ष).

16.2 खर्च के रूप में दर्शाए गए स्टॉक (तैयार माल) लागत में शामिल है निवल वसूल करने योग्य मूल्य की तुलना में प्रतिलेखित स्टॉक के संबंध में ₹ शून्य (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में ₹ 8,888.64 दशलक्ष). चालू वर्ष और पिछले वर्ष में इस तरह प्रतिलेखित स्टॉक का प्रत्यावर्तन नहीं किया गया है.

16.3 स्टॉक की मूल्यांकन पद्धति के बारे में जानकारी **टिप्पणी 3.18** में दी गई है.

17 प्राप्य व्यापार राशियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
जमानती **[देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 17.4]**		
- शोध्य समझे गए	1,783.06	582.56
गैर जमानती		
- शोध्य समझे गए	22,381.68	9,840.13
जमाराशि में ह्रास		
- प्राप्त रकम जिनकी जमाराशि में क्षति हुई हो	1,079.80	1,126.01
घटाएं: प्राप्य संदिग्ध रकम के निमित्त हानि	1,079.80	1,126.01
कुल	**24,164.74**	**10,422.69**

17.1 सामान्यत:, कंपनी, मुद्दती ठेकों और हाजिरी अंतर्राष्ट्रीय टेंडरों और एसईज़ड् ग्राहकों को आपूर्तियों के जरिए उत्पादों का निर्यात करने के अलावा देशी बिक्री के लिए तेल विपणन कंपनियों के साथ दीर्घावधि बिक्री व्यवस्था करती है. बिक्री पर औसत क्रेडिट अवधि 7 से 45 दिन तक होती है (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में 7 से 45 दिन रही). बीजक दिनांक से लागू क्रेडिट अवधि तक प्राप्य व्यापार रकम पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता है. अगर भुगतान करने में विलंब हो तो संबंधित व्यवस्थाओं के अनुसार ब्याज वसूल किया जाता है जो बकाया शेषराशि पर लागू बैंक दर पर 2% प्रति वर्ष तक होता है(31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में 2% प्रति वर्ष).

17.2 प्राप्य व्यापार रकम में से 31 मार्च, 2021 को ₹ 23,871.33 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 10,306.61 दशलक्ष) की शेषराशि, नीचे उल्लिखित ग्राहकों से देय है.

दूसरे ऐसे कोई ग्राहक नहीं है जिनसे नीचे उल्लिखित से भिन्न, प्राप्य कुल व्यापार शेषराशि के 5% से अधिक रकम देय हो.

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
ग्राहक 1	1,632.26	956.80
ग्राहक 2	13,990.09	5,809.64
ग्राहक 3	1,162.21	1,103.79
ग्राहक 4	2,151.22	943.45
ग्राहक 5	552.06	679.16
ग्राहक 6	1,440.82	339.02
ग्राहक 7	1,514.73	474.75
ग्राहक 8	1,427.94	-
कुल	**23,871.33**	**10,306.61**

नोट: बाजार में गोपनीयता बनाए रखने के लिहाज से प्रमुख ग्राहकों की पहचान प्रकट नहीं की जाती है.

17.3 सामान्यत:, कंपनी, अपने ग्राहकों से सभी प्राप्य रकम, लागू क्रेडिट अवधि के अंदर ही वसूल करती है. कंपनी, प्रत्येक लेन-देन से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अपने तमाम ग्राहकों से प्राप्य व्यापार रकम पर ह्रास का निर्धारण करती है.

17.4 ग्राहकों से प्राप्त बैंक गारंटी/ साख पत्र द्वारा प्रतिभूत.

17.5 कंपनी का, ऋण देने में निहित जोखिम का सांद्रण इस कारण है कि कंपनी को, ग्राहकों से **टिप्पणी 17.2** में बताए गए तरीके से काफ़ी हद तक रकम प्राप्त होनी है लेकिन ये ग्राहक, प्रतिष्ठित हैं और साख पात्र हैं.

17.6 कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से प्राप्य कोई बकाया रकम नहीं है.

17.7 व्यापार से प्राप्य रकम का ₹ 766.48 दशलक्ष की बिल भुनाई (31 मार्च, 2020 को ₹ 6,324.45) के साथ निवल निकाला जाता है.

17.8 **प्राप्य व्यापार राशियों की उम्र:**

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
क्रेडिट अवधि के अंदर	23,881.53	9,799.55
1-30 दिन बीत गए, देय दिनांक से	174.86	375.62
31-90 दिन बीत गए, देय दिनांक से	87.64	228.40
देय दिनांक से, 90 दिन से अधिक दिन बीत गए	1,100.51	1,145.13
कुल	**25,244.54**	**11,548.70**

17.9 प्राप्य संदिग्ध रकम के निमित्त क्षति का चलन

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	1,126.01	969.60
अपेक्षित क्रेडिट हानि के प्रावधान में परिवर्धन / (विलोमन)	10.65	158.41
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रति लेखन	56.86	2.00
वर्ष के अंत में शेषराशि	**1,079.80**	**1,126.01**

18 नकद और नकदी समतुल्य

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
बैंकों में शेषराशि	254.09	15.62
हाथ में नकद	3.92	2.18
कुल	**258.01**	**17.80**

19. अन्य बैंक शेषराशि

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
धारणाधिकार के अधीन अन्य बैंक जमाराशियां	0.09	0.09
डिबेंचर खाते पर अदावी ब्याज **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 19.1]**	-	0.01
अदावी लाभांश खाता [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 19.2]	249.36	249.79
कर्मचारी हितकारी निधि के लिए निर्बंधित बैंक शेषराशि	13.16	12.26
कुल	**262.61**	**262.15**

19.1 डिबेंचरों पर अदावी ब्याज खाते में जमा की गई रकम, ब्याज का भुगतान करने के लिए उद्दिष्ट की गई है, जिसका किसी दूसरे प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

19.2 अदावी लाभांश खाते में जमा की गई रकम, लाभांश का भुगतान करने के लिए उद्दिष्ट की गई है, जिसका किसी दूसरे प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

20 इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
प्राधिकृत शेयर पूँजी		
प्रत्येक ₹ 10 के 2,900,000,000 इक्विटी शेयर	**29,000.00**	**29,000.00**
(31 मार्च, 2020 को प्रत्येक ₹ 10 के 2,900,000,000 इक्विटी शेयर)		
प्रत्येक ₹ 10 के 100,000,000 मोचनीय अधिमानी शेयर	**1,000.00**	**1,000.00**
(31 मार्च, 2020 को प्रत्येक ₹ 10 के 100,000,000 अधिमानी शेयर)		
निर्गमित और अभिदत्त:		
प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर	**17,525.99**	**17,525.99**
(31 मार्च, 2020 को प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर)		
पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर:		
प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर	17,525.99	17,525.99
(31 मार्च, 2020 को प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर)		
जोड़ें: जब्त शेयर **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी 20.5)**	0.65	0.65
कुल	**17,526.64**	**17,526.64**

रिपोर्ट अवधि के प्रारंभ में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:

विवरण	कुल शेयर दशलक्ष में	शेयर पूंजी
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	1,752.60	17,525.99
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2020 को बकाया	1,752.60	17,525.99
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2021 को बकाया	1,752.60	17,525.99

20.1 इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका सममूल्य, ₹ 10 प्रति शेयर है. इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक, प्रति शेयर एक वोट पाने का हकदार है. निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश (यदि हो तो) आगामी वार्षिक महासभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है.

कंपनी का परिसमापन होने पर इक्विटी शेयर धारकों को तमाम अधिमानी रकम वितरण करने के बाद बची कंपनी आस्तियां प्राप्त करने का हक होगा. शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयर की संख्या के अनुपात में वितरण किया जाएगा.

20.2 नियंत्रक कंपनी अथवा उसकी सहयोगी अथवा सहबद्ध कंपनियों द्वारा धारित शेयर, निम्नानुसार हैं:-

इक्विटी शेयरधारकों के नाम	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
	संख्या दशलक्ष में	धारण का %	संख्या दशलक्ष में	धारण का %
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	1,255.35	71.63	1,255.35	71.63
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297.15	16.96	297.15	16.96

20.3 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

इक्विटी शेयरधारकों के नाम	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
	संख्या दशलक्ष में	धारण का %	संख्या दशलक्ष में	धारण का %
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	1,255.35	71.63	1,255.35	71.63
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297.15	16.96	297.15	16.96

20.4 विकल्पों और ठेकों अथवा शेयरों की बिक्री के लिए प्रतिबद्धताओं के अधीन निर्गमित करने अथवा विनिवेश के लिए आरक्षित इक्विटी शेयर: कुछ नहीं (31 मार्च, 2020 को: कुछ नहीं).

20.5 प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयरों को(₹ 10 के 303,550 इक्विटी शेयरों के समतुल्य) वर्ष 2009-10 में जब्त किया गया जिसके प्रति मूल रूप से प्रदत्त रकम ₹ 654,000 रही.

21. अन्य इक्विटी

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
(क) मानी गई इक्विटी **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी 3.23)**	42.17	42.17
(ख) आरक्षित निधि और अधिशेष		
(i) पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	91.86	91.86
(ii) प्रतिभूति प्रीमियम	3,490.53	3,490.53
(iii) सामान्य आरक्षित निधि	1,192.00	1,192.00
(iv) प्रतिधारित अर्जन	52,940.46	55,325.05
कुल	**57,757.02**	**60,141.61**

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
(क) मानी गई इक्विटी (देखें नीचे दी गई टिप्पणी 20.1)		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	42.17	42.17
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**42.17**	**42.17**
(ख) आरक्षित निधि और अधिशेष		
(i) पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 21.2]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	91.86	91.86
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**91.86**	**91.86**
(ii) प्रतिभूति प्रीमियम [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 21.3]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	3,490.53	3,490.53
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**3,490.53**	**3,490.53**
(iii) सामान्य आरक्षित निधि [देखें टिप्पणी 21.4]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	1,192.00	1,192.00
प्रतिधारित अर्जनों में से अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**1,192.00**	**1,192.00**
(iv) प्रतिधारित अर्जन		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	55,325.05	84,927.09
वर्ष का कर उपरांत लाभ/(हानि)	(2,404.57)	(27,403.46)
वर्ष की अन्य व्यापक आय, निवल आय कर	19.98	(85.73)
लाभांश का भुगतान	-	(1,752.60)
लाभांश पर कर	-	(360.25)
वर्ष के अंत में शेषराशि	**52,940.46**	**55,325.05**

21.1 मानी गई इक्विटी के रूप में दर्शाई गई ₹ 42.17 दशलक्ष (31 मार्च 2020 को ₹ 42.17 दशलक्ष) की रकम, आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड से किसी प्रतिफल के बगैर प्राप्त वित्तीय गारंटी के प्रति शुल्क का उचित मूल्य दर्शाती है.

21.2 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान अधिमानी शेयर पूंजी का प्रतिदान होने पर पूंजीगत प्रतिदान आरक्षित निधि निर्मित की.

21.3 कंपनी ने, इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गम करने पर प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि का निर्माण किया जिसका कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार उपयोग किया जा सकेगा.

21.4 सामान्य आरक्षित निधि का, समय-समय पर, विनियोजन करने के प्रयोजन से, प्रतिधारित अर्जन से लाभ अंतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है.

चूंकि सामान्य आरक्षित का निर्माण करते समय इक्विटी के एक घटक से दूसरे में अंतरण किया जाता है और अन्य व्यापक आय की एक मद नहीं होती है इसलिए सामान्य आरक्षित निधि में सम्मिलित मदों का बाद में लाभ-हानि विवरण में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा.

21.5 कंपनी द्वारा लाभांश के रूप में अपने इक्विटी शेयरधारकों में वितरित की जानेवाली रकम का निर्धारण करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं और कंपनी लाभांश वितरण नीति पर विचार किया जाता है. इस प्रकार से, सामान्य आरक्षित निधि में दर्शाई गई रकम का समग्र रूप से वितरण करना संभव नहीं होगा.

22 उधार

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
जमानती - परिशोधित लागत पर				
सावधि ऋण:-				
बैंकों से				
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.1]**	10,930.40	-	18,822.77	-
अन्य पक्षकारों से				
तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.2]**	3,925.00	-	4,720.00	-
आस्थगित भुगतान देयताएं:-				
आस्थगित भुगतान देयताएं - VAT ऋण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.3]**	418.09	-	360.78	-
बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.4]**	-	-	-	2,470.32
गैर जमानती - परिशोधित लागत पर				
डिबेंचर :-				
अपरिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.5]**	37,752.25	-	25,586.59	-
सावधि ऋण:-				
बैंकों से				
घरेलू				
बैंक से रुपया सावधि ऋण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.6]**	-	-	-	-
विदेशी				
विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCNR) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.7]**	6,214.78	-	-	-
बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण				
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) **कार्यकारी पूंजी[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.8]**	39,981.96	-	30,025.03	-
विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCTL) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.9]**	-	11,698.40	-	11,866.06
बिल भुनाई सुविधा : SBI **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.10]**	-	766.48	-	6,324.45
अन्य कार्यकारी पूंजीगत ऋण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.11]**	-	15,405.00	-	3,700.00
अन्य पक्षकारों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण				
वाणिज्यिक पत्र **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.12]**	-	26,500.00	-	-
कुल	**99,222.48**	**54,369.88**	**79,515.17**	**24,360.83**

22.1 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB):

22.1.1 कंपनी द्वारा लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार, USD में अंकित ऋण के रूप में होते हैं जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो LIBOR 6 महीने + स्प्रेड है.(31 मार्च, 2021 को ब्याज दर 1.24% है और 31 मार्च, 2020 को 2.90% रही.)

22.1.2 बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए जमानत के तौर पर वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार और चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है (जिसमें संयंत्र और मशीनों, अतिरिक्त पुरज़ों, औजारों, फर्नीचर, जुड़नार, वाहन और समस्त अन्य चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शामिल हैं जिनकी सीमा यहां तक समाप्त नहीं होती है).

22.1.3 ₹ 7,311.50 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 7,558.00 दशलक्ष), जिसे एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा जिसे **टिप्पणी 23** के तहत " दीर्घावधि कर्ज (जमानती) की चालू परिपक्वता " के रूप में दर्शाया गया है.

22.1.4 ECB की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.13)	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
2020-21	-	7,558.00
2021-22	7,311.50	7,558.00
2022-23	7,311.50	7,558.00
2023-24	3,655.75	3,779.00
कुल	**18,278.75**	**26,453.00**

22.2 तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण:

22.2.1 कंपनी द्वारा OIDB से लिए गए ऋण पर निश्चित ब्याज दर लगाई जाती है (31 मार्च, 2021 को ₹ 2,010.00 दशलक्ष पर ब्याज दर (7.98%), ₹ 1,840.00 दशलक्ष पर (7.00%), ₹ 150.00 दशलक्ष पर (7.50%), ₹ 450.00 दशलक्ष पर (7.11%) और ₹ 270.00 दशलक्ष पर (7.03%) तथा ₹ 552.50 दशलक्ष पर (6.01%) और 31 मार्च, 2020 को ब्याज दर 7.00% से 7.98% रही)

22.2.2 ओआईडीबी ऋण के लिए जमानत के तौर पर, ओआईडीबी की ऋण संबंधी प्राप्तियों में से वित्तपोषित सिर्फ़ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / परियोजनाओं पर दृष्टिबंधक / बंधक के रूप में प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है.

22.2.3 ₹ 1,347.50 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 670.00 दशलक्ष), जिसे एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा जिसे **टिप्पणी 23** के तहत " दीर्घावधि कर्ज (जमानती) की चालू परिपक्वता " के रूप में दर्शाया गया है.

22.2.4 OIDB से लिए गए ऋण की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.13)	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
2020-21	-	670.00
2021-22	1,347.50	1,347.50
2022-23	1,485.62	1,347.50
2023-24	1,485.62	1,347.50
2024-25	815.63	677.50
2025-26	138.13	-
कुल	**5,272.50**	**5,390.00**

22.3 आस्थगित भुगतान देयताएं - VAT ऋण :

22.3.1 VAT ऋण के प्रति आस्थगित भुगतान देयता, कर्नाटक सरकार से प्राप्त "ब्याज मुक्त ऋण" खाते पर देय राशि दर्शाती है. VAT के प्रति दिया गया यह ब्याज मुक्त ऋण 31 मार्च 2018 से प्रतिदेय होगा.

22.3.2 बाजार से कम ब्याज दर पर दिए गए सरकारी ऋण के फायदे को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है (Ind AS 20). ब्याज मुक्त ऋण, Ind AS 109 वित्तीय लिखतों के अनुसार निर्धारित तथा मापा जाता है. ब्याज मुक्त ऋण के लाभ को, Ind AS 109 के अनुसार निर्धारित ऋण के प्रारंभिक रखाव मूल्य और प्राप्त आय के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है. लाभ को इस मानक के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है.

22.3.3 आस्थगित भुगतान देयताएं- VAT ऋण के लिए जमानत के तौर पर कंपनी द्वारा बैंक गारंटी दी गई है.

22.3.4 आस्थगित भुगतान देयता - VAT ऋण की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.13)	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
2027-28	132.61	132.61
2028-29	155.16	155.16
2029-30	197.76	197.76
2030-31	208.53	208.53
2031-32	322.83	322.83
2032-33	74.88	-
कुल	**1,091.77**	**1,016.89**

22.4 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण

22.4.1 संघीय बैंक से लिए कार्यकारी पूंजीगत उधार के लिए जमानत के तौर पर प्रथम सम मात्रा प्रभार के रूप में कंपनी के कच्चा माल, तैयार माल, प्रक्रियागत स्टॉक, भंडार, अतिरिक्त पुर्जों, घटकों, प्राप्य व्यापार रकमों, बकाया प्राप्त धन, दावों, बिलों, ठेके, वचनबद्धता, वर्तमान एवं भावी, दोनों तरह की प्रतिभूतियों को दृष्टिबंधक रखा गया है और आगे, कंपनी की, वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की चल और अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर द्वितीय सम मात्रा प्रभार के रूप में जमानत दी गई है (समस्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण). मीयादी जमाराशियों के प्रति ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में बैंकों से लिए गए कार्यकारी पूंजीगत उधार के लिए जमानत के तौर पर मूल मीयादी जमाराशियों पर दृष्टिबंधक निर्मित किया जाता है.

22.5 अपरिवर्तनीय डिबेंचर (NCD):
जमानत रहित मोचनीय अपरिवर्तनीय निश्चित दर पर डिबेंचर (निजी तौर पर रखे गए) :

क्रम सं.	ISIN	प्रति डिबेंचर अंकित मूल्य (₹)	आबंटन तारीख	यथा 31-03-2021	कूपन दर	परिपक्वता [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 22.13]	
						रकम	दिनांक
1	INE103A08027	1,000,000	13-जनवरी-20	4,999.02	6.64%	5,000.00	14-अप्रैल-23
2	INE103A08019	1,000,000	13-जनवरी-20	9,997.35	7.40%	10,000.00	12-अप्रैल-30
3	INE103A08035	1,000,000	29-जनवरी-20	10,591.92	7.75%	10,600.00	29-जनवरी-30
4	INE103A08043	1,000,000	29-दिसंबर-20	12,163.96	6.18%	12,170.00	29-दिसंबर-25
	कुल			**37,752.25**		**37,770.00**	

22.6 बैंक से रुपया सावधि ऋण :

22.6.1 कंपनी ने SBI से सावधि ऋण लिया जिस पर परिवर्ती दर, तीन महीने का MCLR + स्प्रेड है (ब्याज दर, 31 मार्च, 2020 को 7.84% रहा).

22.6.2 ₹ शून्य (31 मार्च, 2020 को ₹ 6,856.72 दशलक्ष) को एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा जिसे **टिप्पणी 22** के तहत " दीर्घावधि कर्ज (गैर जमानती) की चालू परिपक्वता " के रूप में दर्शाया गया है.

22.6.3 SBI से लिए गए ऋण की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.13)	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
2020-21	-	6,856.72
कुल	-	**6,856.72**

22.7 विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCNR)

22.7.1 कंपनी द्वारा SBI से लिए गए FCNR (B) पूंजीगत परिव्यय ऋण पर परिवर्ती दर से ब्याज देना पड़ता है जो छह महीने का Libor + स्प्रेड है (ब्याज दर, 31 मार्च, 2021 1.70% रही).

22.7.2 विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCNR) की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.13)	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
2023-24	6,214.78	-
कुल	**6,214.78**	-

22.8 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत सावधि ऋण - ECB :

22.8.1 कंपनी द्वारा लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार, USD में अंकित ऋण के रूप में होते हैं जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो LIBOR छह महीने + स्प्रेड है.(31 मार्च, 2021 को ब्याज दर 1.54% और 31 मार्च, 2020 को 2.37% रही.)

22.8.2 कार्यकारी पूंजीगत ऋण ECB की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.13)	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
2023-24	73.12	75.58
2024-25	29,172.88	30,156.42
2025-26	10,967.25	-
कुल	**40,213.25**	**30,232.00**

22.9 विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCTL) :

22.9.1 बैंक से लिए विदेशी मुद्रा सावधि ऋण, USD में अंकित ऋण के रूप में होते हैं जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो तीन महीने LIBOR + स्प्रेड है और इसे प्रत्येक संवितरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर चुकाना पड़ेगा.

22.10 बिल भुनाई सुविधा :

22.10.1 सहायक कंपनी " ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड " (OMPL) पर आहरित गैर एलसी बिल के प्रति भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से गैर जमानती बिल भुनाई सुविधा.

22.11 अन्य कार्यकारी पूंजीगत ऋण :

22.11.1 बैंक से गैर जमानती अल्पावधि कार्यकारी पूंजीगत ऋण

22.12 वाणिज्यिक पत्र

22.12.1 जारी किया गया वाणिज्यिक पत्र, जमानत रहित निश्चित दर का अल्पावधि कर्ज लिखत है.

22.13 ऊपर प्रकट की गईं चुकौती अनुसूचियां, संविदात्मक नकदी बहिर्वाह पर आधारित हैं और इसलिए इन उधारों के रखाव रकम के अनुरूप नहीं होंगी जिनको परिशोधित लागत पर लेखाबद्ध किया जाता है.

23 अन्य वित्तीय देयताएं

विवरण	यथा मार्च 31, 2021		यथा मार्च 31, 2020	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
दीर्घावधि कर्ज की चालू परिपक्वताएं (जमानती) **[देखें टिप्पणी 22.1.3 और 22.2.3]**	-	8,659.00	-	8,228.00
दीर्घावधि कर्ज की चालू परिपक्वताएं (जमानत रहित) **[देखें टिप्पणी 22.6.2]**	-	-	-	6,856.72
अदावी लाभांश **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.1]**	-	249.36	-	249.79
परिपक्व डिबेंचरों पर अदावी ब्याज **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.2]**	-	-	-	0.01
ब्याज जो उपचित हो परंतु देय न हो	-	653.60	-	630.16
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/अन्य से जमाराशियाँ	-	466.79	-	513.40
पूंजीगत वस्तुओं के प्रति देय **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.3]**	-	2,922.28	-	3,115.44
कर्मचारियों के प्रति देयता	-	299.36	-	882.73
पट्टा संबंधी देयता	1,814.57	218.62	1,868.65	259.40
ग्राहकों और विक्रेताओं से संबंधित अन्य देयताएं	-	1,246.05	-	1,782.38
खर्च न की गई सीएसआर देयता **[देखें टिप्पणी 36.3(ग)]**	-	216.77	-	-
CCDs के प्रति देयताएं **[देखें टिप्पणी 49.1]**	4,503.45	-	4,221.45	-
देय बिल [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.4]	-	3,258.96	-	-
कुल	**6,318.02**	**18,190.79**	**6,090.10**	**22,518.03**

23.1 निवेशकर्ता शिक्षा संरक्षण निधि में भुगतान करने के लिए कोई रकम देय नहीं है.

23.2 परिपक्व डिबेंचरों के प्रति देय ब्याज दर्शाता है.

23.3 कीमत घटाने संबंधी अनुसूची

पूंजीगत वस्तुओं के प्रति देयता में शामिल है ₹ 242.28 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 234.90 दशलक्ष) जो कीमत घटाने संबंधी अनुसूची का अनुसरण करते हुए विक्रेताओं से रोक रखी गई रकम से संबंधित है जिसे इन विक्रेताओं के साथ कार्रवाई को अंतिम रूप देने के बाद निपटाया जाएगा. रोक रखी गई रकम को अंत में तय करने पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में उत्तर व्यापार प्रभाव से संबंधित समायोजन किया जाएगा.

23.4 नियंत्रक कंपनी द्वारा की गई खरीदारी के संबंध में देय बिलों के प्रति.

24 प्रावधान

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
कर्मचारी संबंधी लाभ के लिए प्रावधान (देखें टिप्पणी 40)				
(क) छुट्टी का नकदीकरण	1,021.37	80.80	838.62	75.06
(ख) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा और अन्य लाभ	120.32	3.60	108.85	3.45
अन्य [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 24.1]	-	5,441.60	-	1,734.53
कुल	**1,141.69**	**5,526.00**	**947.47**	**1,813.04**

24.1 अन्य में शामिल है अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान

वर्ष 2020-21 में आवाजाही

विवरण	अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क
1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभिक शेषराशि	1,734.53
घटाएं: प्रावधान का प्रत्यावर्तन करने के निमित्त कटौती	1,734.53
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	5,441.60
31 मार्च, 2021 को अंतिम शेषराशि	5,441.60

कंपनी का अनुमान है, 31 मार्च, 2021 को स्टॉक में पड़ी रही वस्तुएं खाली करने पर देय उत्पाद शुल्क के लिए काफ़ी हद तक किए गए आकलन के आधार पर प्रावधान, ₹ 5,441.60 दशलक्ष है (31 मार्च, 2020 को ₹ 1,734.53 दशलक्ष) और कंपनी ने इसे अन्य प्रावधान में शामिल किया है. अपेक्षा की जाती है कि इस प्रावधान को तब निपटाया जाएगा जब वस्तुओं को कारखाना परिसर से हटाया जाएगा.

25 आस्थगित कर आस्ति/ देयताएं (निवल)

आस्थगित कर आस्तियों / (देयताओं) में चलन दर्शाने वाला विवरण

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
आस्थगित कर आस्तियां	33,343.65	32,303.26
आस्थगित कर देयताएं	(29,155.85)	(29,151.13)
आस्थगित कर आस्ति/ (देयता)-निवल	**4,187.80**	**3,152.13**

2020-21	प्रारंभिक शेषराशि	लाभ अथवा हानि में दर्शाई गई रकम	पिछले वर्ष से संबंधित MAT क्रेडिट पात्रता	अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई रकम	अंतिम शेषराशि
इनके संबंध में आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(28,832.35)	(107.62)	-	-	(28,939.97)
अगोचर आस्तियां	(12.45)	4.59	-	-	(7.86)
अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (CCDs) (निवल)	(306.33)	98.31	-	-	(208.02)
कुल	**(29,151.13)**	**(4.72)**	**-**	**-**	**(29,155.85)**

आस्थगित कर आस्तियों समेत मदों का कर पर प्रभाव					
अन्य देयताएं	1.40	161.86	-	-	163.26
आगे लाई गई व्यावसायिक हानियां और अनवशोषित मूल्यह्रास	14,670.03	880.19	-	-	15,550.22
MAT संबंधी क्रेडिट हकदारी	17,241.78	-	10.86	-	17,252.64
पट्टा संबंधी निवल देयता के रूप में आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार	27.45	(7.68)	-	-	19.77
वित्तीय और अन्य आस्तियां	340.47	(0.24)	-	-	340.23
स्टॉक	22.13	(4.60)	-	-	17.53
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन	-	10.73	-	(10.73)	-
कुल	**32,303.26**	**1,040.26**	**10.86**	**(10.73)**	**33,343.65**
आस्थगित कर आस्ति/ (देयता) (निवल)	**3,152.13**	**1,035.54**	**10.86**	**(10.73)**	**4,187.80**

2019-20	प्रारंभिक शेषराशि	लाभ अथवा हानि में दर्शाई गई रकम	MAT पिछले वर्ष से संबंधित MAT क्रेडिट पात्रता	अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई रकम	अंतिम शेष
इनके संबंध में आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(27,698.36)	(1,133.99)	-	-	(28,832.35)
अगोचर आस्तियां	(10.27)	(2.18)	-	-	(12.45)
अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (CCDs) (निवल)	-	(306.33)	-	-	(306.33)
कुल	**(27,708.63)**	**(1,442.50)**	**-**		**(29,151.13)**
आस्थगित कर आस्तियों समेत मदों का कर पर प्रभाव					
आस्थगित कर आस्तियां					
अन्य देयताएं	1.40	-	-	-	1.40
आगे लाई गई व्यावसायिक हानियां और अनवशोषित मूल्यह्रास	-	14,670.03	-	-	14,670.03
MAT क्रेडिट संबंधी पात्रता	17,189.15	-	52.63	-	17,241.78
निवल देयता के रूप में आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार	-	27.45	-	-	27.45
वित्तीय और अन्य आस्तियां	340.51	(0.04)	-	-	340.47
स्टॉक	22.13	-	-	- 46.05	22.13
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन	-	(46.05)	-		-
कुल	**17,553.19**	**14,651.39**	**52.63**	**46.05**	**32,303.26**
आस्थगित कर आस्ति/ (देयता) (निवल)	**(10,155.44)**	**13,208.89**	**52.63**	**46.05**	**3,152.13**

25.1 Ind AS 12 - आय कर के अनुसार, कंपनी ने काटने लायक तमाम अस्थाई अंतर और साथ ही अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट्स को आगे ले जाने के संबंध में आस्थगित कर आस्ति को दर्शाया है. आस्थगित कर आस्ति (DTA) को मान्यता देते समय यह विचार किया जाता है कि क्या प्रबंधन द्वारा यथा प्रक्षेपित भावी वर्षों में पर्याप्त कर योग्य लाभ कमाने की संभावना है (क्षमता उपयोग और कीमत वसूली पर विधिवत विचार करते हुए) जिसके प्रति काटने योग्य अस्थाई अंतर और अप्रयुक्त कर संबंधी हानि और अप्रयुक्त कर संबंधी क्रेडिट का उपयोग किया जा सके. आस्थगित कर आस्ति को निवल आस्थगित देयता के रूप में दर्शाया गया है.

26 देय व्यापार राशियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
सूक्ष्म प्रतिष्ठानों और लघु प्रतिष्ठानों की कुल बकाया देयताएं	305.31	336.00
सूक्ष्म प्रतिष्ठानों और लघु प्रतिष्ठानों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं	39,671.29	32,375.17
कुल	**39,976.60**	**32,711.17**

26.1 व्यापार देयताओं में शामिल है ₹ शून्य (31 मार्च, 2020 को ₹ 10,268.07 दशलक्ष)जिसके लिए ONGC ने, कंपनी की तरफ से गारंटी दी है.

26.2 क्रूड, भंडार और अतिरिक्त पुर्जे, अन्य कच्चा माल, सेवाएं आदि खरीदने पर औसत क्रेडिट अवधि, 14 से 60 दिन है(31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में 14 से 60 दिन). उसके बाद बकाया शेषराशि पर संबंधित व्यवस्थाओं के अनुसार संबंधित बैंक दर पर 6.75% प्रति वर्ष (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में 6.75% प्रति वर्ष) तक ब्याज लगाया जाता है. कंपनी ने वित्तीय जोखिम प्रबंध नीतियां लागू की है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी देय रकम, सम्मत क्रेडिट संबंधी नियमों के अंदर अदा की जाती है.

26.3 सूक्ष्म, लघु और मझौले प्रतिष्ठानों से संबंधित प्रकटन

	विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
i	मूल धनराशि और वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदत्त रही उस पर ब्याज देयताएं (अलग रूप से दर्शाई जाएँ)	305.31	336.00
i	प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को दिए गए भुगतान की रकम के साथ सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा प्रदत्त ब्याज रकम	-	-
iii	भुगतान करने के लिए विलंब अवधि के लिए (जिसे वर्ष के दौरान अदा तो किया गया हो परंतु नियत दिन के बाद) परंतु सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बगैर देय ब्याज रकम	-	-
iv	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपचित और अदत्त पड़ी रही ब्याज रकम	-	-
v	उत्तरवर्ती वर्षों में भी तब तक देय रही अतिरिक्त ब्याज राशि जब सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत काटने योग्य व्यय शामिल न करने के प्रयोजन से लघु उद्यम को वास्तव में उक्त ब्याज अदा किया गया हो	-	-

27 अन्य देयताएं

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
अग्रिम में प्राप्त राजस्व	-	1.04	-	1.16
उपदान के प्रति देयता **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 27.1]**	-	235.84	-	151.16
सांविधिक भुगतान के प्रति देयता	-	2,870.93	-	1,282.90
अन्य		671.13		7,132.02
वित्तीय गारंटी संबंधी दायित्व (आस्थगित राजस्व **[देखें टिप्पणी 11.2.1 (ii)]**	0.61	0.66	1.27	0.66
आस्थगित सरकारी उपदान **[देखें टिप्पणी 5.2 और 22.3.2]**	3,448.43	202.86	3,596.15	196.59
कुल	**3,449.04**	**3,982.46**	**3,597.42**	**8,764.49**

27.1 उपदान न्यास को देय निवल रकम.

28 परिचालन से राजस्व

	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
28.1	**बिक्री**		
	पेट्रोलियम उत्पाद	497,806.63	573,780.34
	क्रूड तेल और अन्य उत्पाद	11,931.73	33,502.12
	कुल	**509,738.36**	**607,282.46**
28.2	**अन्य प्रचालन राजस्व**		
	स्क्रैप की बिक्री	393.67	152.91
	सुकरण प्रभार	33.67	57.14
	कीमत घटाने संबंधी अनुसूची	26.22	22.87
	कुल	**453.56**	**232.92**
	सकल योग	**510,191.92**	**607,515.38**

29 अन्य आय

	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
29.1	**इन पर ब्याज:**		
	ठेकेदार संग्रहण अग्रिम	56.76	31.55
	अन्य	198.96	240.51
	परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय आस्तियां :		
	- बैंक जमाराशियाँ	0.89	148.71
	- प्रत्यक्ष मार्केटिंग ग्राहक	18.18	13.15
	- कर्मचारियों को दिए गए ऋण	88.24	70.66
	कुल	**363.03**	**504.58**

	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
29.2	**इनसे लाभांश आय:-**		
	म्यूचुअल फंड में निवेश (FVTPL में मापे गए)	4.00	12.56
	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (लागत पर मापा गया)	37.50	6.00
29.3	**अन्य गैर प्रचालन आय**		
	रॉयल्टी आय	8.17	11.30
	प्रतिलेखित, अब ज़रूरी न पड़ने वाली देयता	184.94	125.42
	प्रतिलेखित अतिशय प्रावधान	106.93	2.12
	टेंडर फ़ार्म की बिक्री	-	3.77
	किराया शुल्क	11.64	8.57
	कर्मचारियों से वसूली	11.52	11.15
	आस्थगित सरकारी अनुदान / गारंटी का परिशोधन	197.26	187.99
	विविध प्राप्तियाँ	259.59	177.00
	कुल	**780.05**	**527.32**
	सकल योग	**1,184.58**	**1,050.46**

30 खपाई गई सामग्री की लागत

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
कच्चा माल: क्रूड तेल		
आयातित	231,491.61	383,220.35
देशी	59,759.87	76,040.65
कच्चा माल: अन्य		
आयातित		
हाइड्रोजन	1,764.04	1,724.71
पैराफिन रैफिनेट	808.00	5,235.48
डी ईथनाइज़र	166.80	-
रीफॉर्मेट	-	3.28
देशी		
CRMB मॉडिफायर	17.73	17.56
पुन: गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (RLNG)	64.00	-
स्नेहक तेल - देशी	0.56	0.64
कुल	**294,072.61**	**466,242.67**

31 व्यापार में स्टॉक की खरीदारी

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
क्रूड तेल और अन्य उत्पाद	11,931.73	33,520.79
कुल	**11,931.73**	**33,520.79**

32 तैयार माल और प्रक्रिया में स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन

	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
32.1	**अंतिम स्टॉक**		
	तैयार माल	19,084.05	11,790.39
	प्रक्रिया में स्टॉक	9,735.06	5,000.57
	कुल अंतिम स्टॉक	**28,819.11**	**16,790.96**
32.2	**प्रारंभिक स्टॉक**		
	तैयार माल	11,790.39	20,569.99
	प्रक्रिया में स्टॉक	5,000.57	9,695.17
	कुल प्रारंभिक स्टॉक	**16,790.96**	**30,265.16**
	निवल(वृद्धि)/अवनति (प्रारंभिक - अंतिम)	**(12,028.15)**	**13,474.20**

33 कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च

विवरण [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 33.1]	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
वेतन और मज़दूरी	3,729.61	3,635.55
भविष्य और अन्य निधियों के प्रति अंशदान [देखें टिप्पणी 40.2.2 और 48]	1,157.99	531.85
सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ - चिकित्सा और अन्य	14.47	13.84
स्टाफ कल्याण खर्च	207.32	219.98
कुल	**5,109.39**	**4,401.22**

33.1 वर्ष के दौरान कंपनी ने मजदूरी में संशोधन से संबंधित दीर्घावधि समझौता और गैर प्रबंधन स्टाफ के अन्य संबंधित लाभ तय किए जो 1 जनवरी, 2017 से संशोधन करने के लिए बाकी पड़ा था. इनके प्रभाव पर संबंधित वित्तीय वर्षों में विचार किया जा चुका है.

34 वित्त लागत

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय देयताओं के लिए वित्त संबंधी खर्च		
- बैंकों से	1,886.18	4,117.38
- अन्य पक्षकारों से	3,257.39	733.25
	5,143.57	**4,850.63**
पट्टा संबंधी देयताओं पर वित्त लागत	79.72	68.27
वित्तीय गारंटी शुल्क	6.78	27.43
उधार लागत के प्रति समायोजन के रूप में माने गए विनिमय में अंतर	(1,709.61)	2,500.28
कुल	**3,520.46**	**7,446.61**

35 मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास **[देखें टिप्पणी 5]**	8,356.10	7,674.19
उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों का मूल्यह्रास **[देखें टिप्पणी 6]**	141.15	129.18
अगोचर आस्तियों का परिशोधन **[देखें टिप्पणी 10]**	32.72	28.71
कुल	**8,529.97**	**7,832.08**

36 अन्य खर्च

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020	
विद्युत, उपयोगिता और ईंधन शुल्क **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 36.1]**	30,036.47		39,888.68	
घटाए: स्वयं उत्पादन से ईंधन की खपत	28,715.02	1,321.45	38,264.48	1,624.20
मरम्मत और अनुरक्षण				
- संयंत्र और मशीनें	4,129.74		5,051.57	
- भवन	0.95		2.90	
- अन्य	520.42	4,651.11	484.83	5,539.30
भंडार, अतिरिक्त पुर्जे और रासायनिक पदार्थों की खपत		1,426.38		1,479.18
पैकिंग सामग्री की खपत		225.55		269.89
किराया **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 36.4]**		40.74		34.01
बीमा		366.97		314.96
दर और कर		2,318.67		1,018.79
स्टॉक पर उत्पाद शुल्क (निवल) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 36.2]**		3,511.29		(2,493.88)
विनिमय में घट-बढ़ से हानि/(अभिलाभ) (निवल)		(1,078.76)		6,872.12
निदेशकों के बैठक शुल्क		2.02		4.28
संपत्ति,संयंत्र और उपकरण की बिक्री/निपटान से हानि		71.66		84.78
बैंक शुल्क		32.89		42.93
लेखा परीक्षकों को भुगतान:				
लेखा परीक्षा शुल्क	2.65		2.66	
कराधान संबंधी मामलों के लिए	0.68		0.70	
प्रमाणीकरण शुल्क के लिए	1.94		1.99	
खर्च की प्रतिपूर्ति	0.23	5.50	1.83	7.18
निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी खर्च (CSR) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 36.3]**		470.40		760.89
इनके निमित्त हानि/क्षति:				
व्यापार संबंधी संदिग्ध प्राप्य राशियां	10.65		158.41	
संदिग्ध अग्रिम और जमाराशियाँ	0.71		-	
ऐसे स्टाक जिनका ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है/जो बेकार पड़े हैं	3.23	14.59	9.90	168.31
बट्टे खाते लिखे गए:				
व्यापार संबंधी संदिग्ध प्राप्य राशियां	0.04		-	
दावे/अग्रिम	3.77	3.81		-
विविध खर्च		1,939.38		2,000.26
कुल		**15,323.65**		**17,727.20**

36.1 कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कुल 8,005,216 Kwh सौर विद्युत उत्पादन किया है (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में 8,229,787 Kwh) जिसकी सीमित खपत की गई है. सीमित खपत करने के प्रयोजन से उत्पादित इस तरह के विद्युत का मौद्रिक मूल्य, इस वित्तीय विवरण में प्रकटन नहीं किया गया है.

36.2 वस्तुओं की बिक्री पर उत्पाद शुल्क को " प्रचालन से राजस्व " में शामिल किया गया है. चालू वर्ष में पेट्रोलियम उत्पादों, क्रूड तेल और अन्य उत्पादों की बिक्री घटने के बावजूद वस्तुओं की बिक्री पर उत्पाद शुल्क, ख़ासकर MS (पेट्रोल) और HSD (डीज़ल) की उत्पाद शुल्क दरों में वृद्धि के कारण अधिक रहा. ऊपर दर्शाया गया उत्पाद शुल्क, तैयार माल के प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के बीच अंतर दर्शाता है.

36.3 CSR के प्रति व्यय में नीचे उल्लिखित समाविष्ट है:

(क) कंपनी को वर्ष के दौरान कुल मिलाकर ₹ 470.40 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में ₹ 1,226.00 दशलक्ष) की रकम खर्च करनी पड़ी.

(ख) वर्ष के दौरान इन पर किया गया खर्च:

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी नकद में अदा नहीं किया गया है	कुल
i) आस्तियों का निर्माण/अधिग्रहण	159.42	61.57	220.99
ii) ऊपर (i) में निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन	31.82	0.82	32.64
कुल	**191.24**	**62.39**	**253.63**

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी नकद में अदा नहीं किया गया है	कुल
i) आस्तियों का निर्माण/अधिग्रहण	368.04	96.55	464.59
ii) ऊपर (i) में निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन	280.28	16.02	296.30
कुल	**648.32**	**112.57**	**760.89**

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) और 135)6) में संशोधन का अनुसरण करते हुए प्रकटन:-

धारा 135(5) के मामले में खर्च न की गई रकम (चालू परियोजनाओं से भिन्न)				
1/04/2020 को प्रारंभिक शेषराशि	6 महीने के अंदर अनुसूची VII की निर्दिष्ट निधि में जमा की गई रकम	रकम, जिसे वर्ष 2020-21 के दौरान खर्च करना पड़ेगा	2020-21 वर्ष के दौरान इन पर किया गया खर्च	31.03.2021 को अंतिम शेषराशि
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

धारा 135(5) के मामले में खर्च की गई अतिशय रकम			
1/04/2020 को प्रारंभिक शेषराशि	रकम, जिसे 2020-21 वर्ष के दौरान खर्च करना पड़ेगा	2020-21 वर्ष के दौरान इन पर किया गया खर्च	31.03.2021 को अंतिम शेषराशि
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

धारा 135(6) के मामले में (चालू परियोजनाएं)							
वर्ष	प्रारंभिक शेषराशि		रकम, जिसे वर्ष के दौरान खर्च करना पड़ेगा	वर्ष के दौरान इन पर किया गया खर्च		अंतिम शेष	
	कंपनी	खर्च न किए गए अलग CSR खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	खर्च न किए गए अलग CSR खाते से	कंपनी की #	खर्च न किए गए अलग CSR खाते में
2020-21	कुछ नहीं	कुछ नहीं	216.77	कुछ नहीं	कुछ नहीं	216.77	कुछ नहीं

 # चालू परियोजनाओं पर खर्च न की गई ₹ 216.77 दशलक्ष की रकम का 30 अप्रैल, 2021 को निर्दिष्ट बैंक खाते में अंतरण किया गया है.

36.4 अल्पावधि पट्टे, कम मूल्य के पट्टे और परिवर्तनीय पट्टा संबंधी भुगतान से संबंधित किराया (पट्टा संबंधी खर्च) नीचे दिया गया है:

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
i) अल्पावधि पट्टे	7.85
ii) कम मूल्य की आस्तियों के लिए पट्टे	0.31
iii) पट्टा संबंधी देयताओं में शामिल न किए गए परिवर्तनीय पट्टा संबंधी भुगतान.	32.58
कुल	**40.74**

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
i) अल्पावधि पट्टे	6.70
ii) कम मूल्य की आस्तियों के लिए पट्टे	0.55
iii) पट्टा संबंधी देयताओं में शामिल न किए गए परिवर्तनीय पट्टा संबंधी भुगतान.	26.76
कुल	**34.01**

37 जारी रहे प्रचालन से संबंधित आय कर

37.1 लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया आय कर

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
वर्तमान कर	(10.86)	1,037.36
आस्थगित कर	(1,035.54)	(13,208.89)
कुल	**(1,046.40)**	**(12,171.53)**

37.2 आय कर खर्च का लेखाबद्ध लाभ के साथ समाधान, निम्नानुसार किया गया है:

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
प्रचालन जारी रखने से प्राप्त कर पूर्व लाभ	**(3,450.97)**	**(39,574.99)**
आय कर संबंधी खर्च का परिकलन 34.944% पर किया गया है (2019-20: 34.944%)	(1,205.91)	(13,829.08)
आय कर से छूट प्राप्त आय का प्रभाव	(69.58)	(6.49)
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 32AC के तहत निवेश के लिए प्रावधान का प्रभाव	4.33	2.67
CCD के निमित्त किए गए समायोजन का प्रभाव	-	313.56
उस खर्च का प्रभाव, जिसे कर योग्य लाभ का निर्धारण करते समय काटा नहीं जाता है	182.99	213.49
पिछले वर्ष का पूर्व वर्ष कर दर्शाने का प्रभाव	(10.86)	1,037.36
समायोजन की सही शेषराशि (ट्रू अप) निकालने के कारण आस्थगित कर शेषराशि में हुए परिवर्तन का प्रभाव	52.63	96.96
लाभ अथवा हानि में दर्शाया गया आय कर खर्च	**(1,046.40)**	**(12,171.53)**

37.3 अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई आय कर राशि

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
आस्थगित कर		
अन्य व्यापक आय में आय और खर्च दर्शाने के कारण उत्पन्न:		
परिभाषित लाभ दायित्व का पुन: मापन	(10.73)	46.05
अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई कुल आय कर राशि	**(10.73)**	**46.05**
अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई आय कर राशि का इनमें द्विभाजन:		
ऐसी मद जिनका लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा	(10.73)	46.05
ऐसी मद जिनका लाभ अथवा में पुनर्वर्गीकरण किया जाएगा	-	-

38 प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष का कर उपरांत लाभ	(2,404.57)	(27,403.46)
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या, दशलक्ष में)	1,752.60	1,752.60
प्रति इक्विटी शेयर मूल और आंशिक अर्जन (₹)	(1.37)	(15.64)
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

39 पट्टे

39.1 वित्त पट्टे के तहत दायित्व

39.1.1 पिछले वर्ष के दौरान कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से Ind AS 116 'पट्टे' अपनाया. कंपनी ने भूमि के लिए पट्टा संबंधी करारनामों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनका वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है जिसे अब उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों (ROU) के रूप में प्रकट किया गया है. पट्टे की अवधि के अंत में भूमि का स्वामित्व, कंपनी के नाम हस्तांतरित किया जाएगा जिसके लिए नाममात्र प्रशासनिक शुल्क अदा करना पड़ेगा. पट्टे की अवधि 5-44 वर्ष के बीच होगी.

31 मार्च, 2021 को वित्त पट्टा संबंधी दायित्व का कोई महत्व नहीं है, (31 मार्च, 2020 को कोई महत्व नहीं है).

39.2 प्रचालन पट्टा संबंधी व्यवस्थाएं

39.2.1 पट्टा संबंधी व्यवस्थाएं

पिछले वर्ष के दौरान कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से Ind AS 116 'पट्टे' अपनाया. कंपनी ने पाइपलाइनों के लिए मार्गाधिकार और भूमि के पट्टे की खातिर व्यवस्थाओं के लिए करार किए हैं जिनका प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है जिसे अब उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों (ROU) के रूप में प्रकट किया गया है. मार्गाधिकार के लिए पट्टा अवधि 11 महीनों से लेकर 30 वर्ष तक है और भूमि पट्टे की अवधि 5 से 99 वर्ष तक है. पट्टाधृत भूमियों के मामले में, कंपनी के पास, पट्टा अवधि के अंत में भूमि खरीदने का कोई विकल्प नहीं है. सामान्यत:, भूमि के मामले में पट्टे की व्यवस्था करने के लिए कंपनी को वार्षिक आवर्ती शुल्क के साथ पट्टा संबंधी करारनामा निष्पादित करते समय अग्रिम रूप में भुगतान करना पड़ता है जिसके वार्षिक पट्टे के किराए में बढ़त होती रहेगी.

39.2.2 खर्च के रूम में दर्शाए गए भुगतान

पिछले वर्ष के दौरान कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से Ind AS 116 'पट्टे' अपनाया और जहां कहीं पट्टा, अल्पावधि पट्टा हो, कम मूल्य की आस्तियों अथवा परिवर्तनीय पट्टा संबंधी भुगतानों को पट्टा संबंधी देयताओं में शामिल नहीं किया गया है.

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
न्यूनतम किराया (पट्टा संबंधी खर्च)	40.74	34.01
कुल	**40.74**	**34.01**

39.2.3 प्रचालन पट्टे से जुड़ी ऐसी प्रतिबद्धताएं जिनको रद्द नहीं किया जा सकेगा

कंपनी ने पट्टा संबंधी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है जिसे रद्द न किया जा सके

40 कर्मचारी लाभ

40.1 रोजगार उपरांत लाभ

40.1.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाओं के सिलसिले में वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई रकम इस प्रकार है:

परिभाषित अंशदान योजनाएं	वर्ष के दौरान दर्शाई गई रकम		महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी के प्रति अंशदान	
	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
सेवानिवृत्ति निधि में नियोजक का अंशदान	300.82	253.56	1.28	1.34

40.1.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

40.1.2.1 **संक्षित वर्णन:** परिभाषित लाभ योजना के प्रकार का सामान्य वर्णन निम्नानुसार है :

क) उपदान:

पूरे किए गए हर एक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन. इसे 5 वर्ष तक रखा जा सकेगा और भुगतान ₹ 2 दशलक्ष तक सीमित किया गया है. इसके अलावा जब कभी IDA में 50% बढ़त हो उपदान में वृद्धि में उच्चतम सीमा 25% तक सीमित है.

एमआरपीएल उपदान निधि न्यास की, 20 अप्रैल, 2007 को स्थापना की गई और बीमांकिक मूल्यांकन के बाद कंपनी से प्राप्त निधि का और 28 जून, 2013 तक निधि का निवेश, समय-समय पर यथा संशोधित आय कर नियम, 1962 के आय कर नियम 67(1) में यथा निर्धारित तरीके से किया गया.

28 जून, 2013 के बाद एमआरपीएल उपदान निधि न्यास की निधि का एलआईसी की सामूहिक उपदान नकद संचयन योजना (परंपरागत निधि), बजाज अलाएंज़, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइन इंश्यूरेंस कं., बिर्ला सन्लाईफ इंश्यूरेंस कं. और इंडा फस्ट लाइफ इंश्यूरेंस कं. में निवेश किया जाता रहा है.

ख) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

सेवानिवृत्ति के बाद, एक बारगी एकमुश्त अंशदान करने पर, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसकी/उसके आश्रित पत्नी/पति और आश्रित माता-पिता को, कंपनी के नियमों के अनुसार चिकित्सा लाभ के लिए कवर किया जाएगा.

ग) पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी, अपनी पसंदीदा स्थान पर बसने के हकदार होंगे और इसके लिए वे पुन:व्यवस्थापन भत्ता पाने के हकदार हैं.

40.1.2.2 इन योजनाओं की बदौलत कंपनी को इस तरह के बीमांकिक जोखिम उठाने पड़ेंगे जैसे निवेश जोखिम, ब्याज दर जोखिम, दीर्घ आयु संबंधी जोखिम और वेतन जोखिम.

निवेश में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना संबंधी देयता का वर्तमान मूल्य (भारतीय रुपए में अंकित) का परिकलन उस बट्टा दर के आधार पर किया जाएगा जिसका निर्धारण सरकारी बांडों की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाज़ार प्रतिफल के संदर्भ में किया जाए. अगर योजना आस्ति पर प्रतिफल, इस दर से कम हो तो योजना घाटा निर्मित होगा. इस समय सरकारी प्रतिभूतियों, बीमा निवेश और अन्य कर्ज लिखतों में निवेश का सापेक्षत: मिला जुला मिश्रण है.
ब्याज में निहित जोखिम	बांड की ब्याज दर घटने से योजना देयता बढ़ जाएगी, लेकिन योजना में कर्ज निवेश पर मिले प्रतिफल से इसमें अंशत: कमी होगी.
दीर्घायु में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय, योजना के सहभागियों की, उनके रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद, दोनों के दौरान मृत्यु के बेहतरीन आकलन का हवाला दिया जाएगा. योजना के सहभागियों की अपेक्षित आयु बढ़ने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.
वेतन में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय, योजना के सहभागियों के भावी वेतन का हवाला दिया जाएगा. बहरहाल, योजना के सहभागियों का वेतन बढ़ने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.

इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत कोई अन्य लाभ नहीं मिलेगा.

योजनाओं के संबंध में, इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चुअरीस ऑफ इंडिया के एक सदस्य फर्म ने 31 मार्च, 2021 को योजना आस्तियों के हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्यांकन किया. परिभाषित दायित्व और संबंधित चालू सेवा लागत एवं गत सेवा लागत के वर्तमान मूल्य का मापन करते समय प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया. परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित देयता को लाभ-हानि खाते में लेखाबद्ध किया जाता है.

40.1.2.3 बीमांकिक मूल्यांकन करते समय ख़ास तौर से नीचे उल्लिखित परिकल्पनाओं का उपयोग किया गया:

क्रम सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
	उपदान (निधिक)		
1	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	6.90%	6.86%
2	भुनाई दर	6.90%	6.86%
3	वेतन वृद्धि दर	7.50%	7.50%
4	कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर	2.00%	2.00%
5	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत लोगों की मृत्यु दर (2006-08) Ult	भारतीय बीमाकृत लोगों की मृत्यु दर (2006-08) Ult
	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		
1	भुनाई दर	6.90%	6.86%
2	चिकित्सा लागत में वृद्धि	0.00%	0.00%
3	कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर	2.00%	2.00%
4	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत लोगों की मृत्यु दर (2006-08) Ult	भारतीय बीमाकृत लोगों की मृत्यु दर (2006-08) Ult
5	रोजगार के बाद मृत्यु दर	भारतीय व्यक्ति AMT (2012-15)	भारतीय बीमाकृत लोगों की मृत्यु दर (2006-08) Ult
	पुन:व्यवस्थापन भत्ता		
1	भुनाई दर	6.90%	6.86%
2	वेतन वृद्धि दर	7.50%	7.50%
3	कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर	2.00%	2.00%
4	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत लोगों की मृत्यु दर (2006-08) Ult	भारतीय बीमाकृत लोगों की मृत्यु दर (2006-08) Ult

लेखाकरण दिनांक को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार प्रतिफल के आधार पर ऐसा बट्टा दर जो अवधि के अनुरूप हो. वेतन वृद्धि करते समय, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित दीर्घावधि कारकों पर विचार किया जाता है. योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर, वर्ष के दौरान, संबंधित दायित्व की समग्र अवधि में मिलने वाले प्रतिफल के लिए बाजार की अपेक्षा के आधार पर होती है.

40.1.2.4 इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई रकम निम्नानुसार हैं:

उपदान:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
सेवा लागत :		
चालू सेवा लागत	38.60	32.30
निवल ब्याज खर्च	10.69	7.63
गत सेवा लागत	237.25	-
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**286.54**	**39.93**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन		
निवल ब्याज लागत में सम्मिलित योजना आस्तियों पर प्रतिफल	(9.52)	(0.76)
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	23.94	98.10
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	(52.03)	18.63
पुन: मापन के घटक	**(37.61)**	**115.97**
कुल	**248.93**	**155.90**

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
सेवा लागत		
चालू सेवा लागत	5.32	5.13
निवल ब्याज खर्च	6.53	6.06
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**11.85**	**11.19**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन		
जन सांख्यिकीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ) / हानियां	7.16	-
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	(0.63)	11.58
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	1.90	4.24
पुन: मापन के घटक	**8.43**	**15.82**
कुल	**20.28**	**27.01**

पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
सेवा लागत:		
चालू सेवा लागत	1.44	1.48
निवल ब्याज खर्च	1.17	1.16
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**2.61**	**2.64**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन:		
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/ हानियां	(0.10)	2.21
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/ हानियां	(1.43)	(2.22)
पुन: मापन के घटक	**(1.53)**	**(0.01)**
कुल	**1.08**	**2.63**

वर्ष की चालू सेवा लागत और निवल ब्याज खर्च और गत सेवा लागत को लाभ-हानि विवरण में 'कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च' में समाविष्ट किया गया है.

निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन, अन्य व्यापक आय में समाविष्ट किया गया है. अन्य व्यापक आय में दर्शाए गए निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता के घटक, ₹ 30.71दशलक्ष है (पिछले वर्ष (-) ₹ 131.78 दशलक्ष).

40.1.2.5 परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य में चलन इस प्रकार रहा:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	1,123.55	934.77
चालू सेवा लागत	38.60	32.30
गत सेवा लागत	237.25	-
ब्याज लागत	77.08	72.82
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	23.94	98.10
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	(52.03)	18.63
प्रदत्त लाभ	(23.65)	(33.07)
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**1,424.74**	**1,123.55**
चालू दायित्व	248.93	155.90

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	95.22	77.83
चालू सेवा लागत	5.32	5.13
ब्याज लागत	6.53	6.06
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
जन सांख्यिकीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	7.16	-
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	(0.63)	11.58
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	1.90	4.24
प्रदत्त लाभ	(8.53)	(9.62)
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**106.97**	**95.22**
चालू दायित्व	3.11	2.95
गैर-चालू दायित्व	103.86	92.27

पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	17.08	14.88
चालू सेवा लागत	1.44	1.48
ब्याज लागत	1.17	1.16
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	(0.10)	2.21
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	(1.43)	(2.22)
प्रदत्त लाभ	(1.22)	(0.43)
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**16.94**	**17.08**
चालू दायित्व	0.49	0.50
गैर-चालू दायित्व	16.45	16.58

40.1.2.6 अपनी परिभाषित लाभ योजना के संबंध में उद्यम के दायित्व से उत्पन्न तुलन-पत्र में समाविष्ट रकम निम्नानुसार है:

उपदान:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
निधिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य	(1,424.74)	(1,123.55)
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,175.81	967.65
निधिक रकम की स्थिति	**(248.93)**	**(155.90)**
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व से उत्पन्न निवल देयता	**(248.93)**	**(155.90)**

कंपनी के अपने वित्तीय लिखतों और रिपोर्ट करने वाले उद्यम के अधिभोग में रही संपत्ति अथवा इस्तेमाल की गई अन्य आस्तियों के संबंध में उपदान निधि की योजना आस्तियों के उचित मूल्य में सम्मिलित रकम ₹ शून्य है (31 मार्च, 2020 को ₹ शून्य).

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ और पुन:व्यवस्थापन भत्ते, गैर निधिक योजना के अधीन आते हैं और इसमें योजना आस्तियों का समावेश नहीं होता है.

40.1.2.7 योजना आस्तियों के उचित मूल्य में चलन इस प्रकार रहा:

उपदान:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
योजना आस्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य	967.65	836.79
ब्याज आय	66.38	65.19
योजना आस्तियों पर प्रतिफल (निवल ब्याज लागत में सम्मिलित रकम को छोड़कर)	9.52	0.76
नियोजक का अंशदान	155.91	97.98
प्रदत्त लाभ	(23.65)	(33.07)
योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य	**1,175.81**	**967.65**

अगले वर्ष, उपदान के संबंध में अपेक्षित अंशदान (निवल) ₹ 235.84 दशलक्ष होगा (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 151.16 दशलक्ष)

कंपनी ने, 31 मार्च, 2021 को ₹ 248.93 दशलक्ष की उपदान देयता लेखाबद्ध की है (31 मार्च, 2020 को ₹ 155.90 दशलक्ष).

40.1.2.8 प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्ट अवधि के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य इस प्रकार रहा:

योजना आस्तियों का उचित मूल्य

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
नकद और नकदी समतुल्य	0.03	22.92
म्यूचुअल फंड-UTI ख़ज़ाना निधि	20.34	19.21
निर्गमकर्ता की क्रेडिट रेटिंग के आधार पर कर्ज निवेश का श्रेणीकरण		
AAA	10.08	31.12
AA+	1.02	0.30
AA	18.03	-
AA-	1.00	-
A+	2.00	7.01
D	2.00	-
सामूहिक उपदान नकदी संचयन योजना (परंपरागत निधि)		
भारतीय जीवन बीमा निगम	230.27	186.84
बजाज एलाएंज़	215.68	167.93
HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्यूरेंस कं.	216.74	169.01
बिर्ला सन्लाईफ इंश्यूरेंस कं.	134.99	93.29
इंडिया फस्ट लाइफ़ इंश्यूरेंस कं.	134.17	93.34
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	120.63	121.13
अन्य चालू आस्तियां - उपचित ब्याज	68.83	55.55
कुल	**1,175.81**	**967.65**

उपदान की योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल ₹ 66.38 दशलक्ष रहा (31 मार्च, 2020 को ₹ 65.19 दशलक्ष).

परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व निर्धारित करने के लिए उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं हैं, बट्टा दर और वेतन में अपेक्षित वृद्धि. नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण करते समय रिपोर्ट अवधि के अंत में की गईं संबंधित परिकल्पनाओं में होने वाले यथा शक्य परिवर्तनों को ध्यान में रखा गया है जब कि दूसरी सभी परिकल्पनाओं में स्थिरता बनाए रखी गई है.

40.1.2.9 31 मार्च, 2021 को संवेदनशीलता विश्लेषण

उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	पुन:व्यवस्थापन भत्ता
भुनाई दर			
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	(72.76)	(7.41)	(1.19)
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	79.05	8.27	1.32
वेतन वृद्धि दर			
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	76.70	-	1.31
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	(73.31)	-	(1.19)
कर्मचारी व्यापारवर्त दर			
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	3.70	(3.00)	-
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	(3.80)	2.76	-

31 मार्च, 2020 को संवेदनशीलता विश्लेषण

उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	पुन:व्यवस्थापन भत्ता
भुनाई दर			
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	(54.57)	(6.51)	(1.24)
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	59.25	7.26	1.38
वेतन वृद्धि दर			
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	18.71	-	1.36
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	(18.99)	-	(1.24)
कर्मचारी व्यापारवर्त दर			
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	15.18	(2.76)	-
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	(16.10)	2.51	-

संभव है कि ऊपर पेश किया गया संवेदनशीलता विश्लेषण, परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व में वास्तविक परिवर्तन न दर्शाए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि एक दूसरे से अलग रहते हुए भी परिकल्पनाओं में परिवर्तन हो क्योंकि कुछ परिकल्पनाओं का सह संबंध हो सकता है.

आगे, उक्त संवेदनशीलता विश्लेषण पेश करते समय परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य परिकलित करने के लिए रिपोर्ट अवधि के अंत में प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया है जो वही है जिसे तुलन-पत्र में दर्शाई गई परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के प्रति देयता का परिकलन करते समय लागू किया गया था.

40.1.2.10 परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित ब्यौरे, जिनका कंपनी के भावी नकदी प्रवाह पर उल्लेखनीय प्रभाव होगा, नीचे दिए गए हैं:

उपदान:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,939	1,939
सक्रिय सदस्यों का प्रति माह वेतन	185.30	178.89
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व की भारित औसत अवधि (वर्षों में)	12	12
औसत अपेक्षित भावी सेवा (वर्षों में)	16	16
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व	1,424.74	1,123.55
अगले वित्तीय वर्ष के दौरान परिभाषित लाभ योजना में अंशदान	185.30	178.89

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,939	1,939
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या	138	126
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व की भारित औसत अवधि (वर्षों में)	16	15
औसत अपेक्षित भावी सेवा (वर्षों में)	18	17
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व	106.99	95.22

पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,939	1,939
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व की भारित औसत अवधि (वर्षों में)	16	15
औसत अपेक्षित भावी सेवा (वर्षों में)	16	16
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व	16.94	17.08

40.1.2.11 परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का परिपक्वता प्रोफाइल

परिभाषित लाभ	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
उपदान		
एक वर्ष से कम	66.73	66.61
एक से तीन वर्ष	129.49	116.46
तीन से पाँच वर्ष	149.23	134.14
पाँच वर्ष से दस वर्ष	610.84	462.47
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		
एक वर्ष से कम	3.11	2.95
एक से तीन वर्ष	6.72	6.27
तीन से पाँच वर्ष	7.79	7.12
पाँच वर्ष से दस वर्ष	28.74	25.25
पुन:व्यवस्थापन भत्ता		
एक वर्ष से कम	0.49	0.50
एक से तीन वर्ष	0.91	0.92
तीन से पाँच वर्ष	1.00	0.97
पाँच वर्ष से दस वर्ष	3.22	3.05

40.2 कर्मचारी संबंधी दीर्घावधि लाभ

40.2.1 छुट्टी का नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण का संक्षिप्त वर्णन यहां नीचे किया गया है:

क) अर्जित छुट्टी संबंधी लाभ (EL):

उपचय - प्रति वर्ष 32 दिन 300 दिनों तक संचित किया जा सकेगा

15 दिन से अधिक संचित EL का, सेवा में रहते समय नकदीकरण किया जा सकेगा बशर्ते कि कम से कम 5 दिन EL का नकदीकरण कराया जाए.

ख) अर्ध वेतन छुट्टी (HPL)

उपचय - प्रति वर्ष 20 दिन

सेवा में रहते समय नकदीकरण नहीं किया जा सकेगा

सेवानिवृत्ति के उपरांत नकदीकरण किया जा सकेगा; जिसे अर्जित छुट्टी के साथ 300 दिनों तक सीमित किया गया है. उक्त छुट्टियों (क और ख) से संबंधित देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.

40.2.2 भविष्य निधि:

भविष्य निधि का संक्षिप्त वर्णन यहां नीचे किया गया है:

(क) भविष्य निधि का शासन, एक अलग ट्रस्ट के जरिए चलाया जाता है. ट्रस्ट का न्यासी बोर्ड, केंद्र सरकार अथवा केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी किए जाने वाले लागू दिशानिर्देशों अथवा निर्देशों के अनुसार काम करता है. न्यासी बोर्ड की जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं :

i. निवेश, आय कर नियम, 1962 के नियम 67 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के आधार पर निवेश स्वरूप के अनुसार किया जाएगा.

ii. न्यासी बोर्ड, ऐसी रकम जुटा सकता है जो बाध्यकर खर्च निभाने के लिए ज़रूरी हो जैसे दावों का निपटान, नियमों के अनुसार अग्रिम देना और नियोजक की सेवा छोड़ने पर सदस्य के भविष्य निधि संचयन और प्रतिभूतियों अथवा निधि के नाम अन्य निवेशों की बिक्री से प्राप्त अन्य प्राप्तियों का, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का पूर्व अनुमोदन लेकर अंतरण करना.

iii. सदस्यों के खातों में जमा करने के लिए ब्याज दर तय करना.

(ख) भविष्य निधि का दीर्घावधि कर्मचारी लाभ, एक अलग न्यास के जरिए दिया जाता है जिसे इस प्रयोजन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार स्थापित किया. भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान, पात्र कर्मचारी के वेतन के निश्चित प्रतिशत के आधार पर इस न्यास में प्रेषित कर लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है. वर्ष के दौरान, कंपनी ने, भविष्य निधि में नियोजक के अंशदान को लाभ-हानि विवरण में नीचे बताए अनुसार दर्शाया है:

विवरण	दर्शाई गई रकम वर्ष के दौरान		महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी के प्रति अंशदान	
	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
भविष्य निधि में नियोजक का अंशदान	293.02	232.98	1.41	1.24

(ग) कानून के तहत, भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम प्रतिफल दर की तुलना में अगर कोई ब्याज दायित्व हो तो उसमें कमी होने पर नियोजक को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी और इसलिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 28.72 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में ₹ शून्य) के लिए प्रावधान कर लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया है. ऐसी कमी, मूल रूप से कुछ कंपनियों के अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (NCD) पर ब्याज संबंधी दायित्व में अधिक चूक होने के कारण उत्पन्न होती है जिसमें न्यास ने उस मोड़ पर निवेश किया है जब इन कंपनियों का क्रेडिट रेटिंग सर्वाधिक थी. मूल धनराशि में संभावित चूक और इन NCDs में चूक की प्रत्याशा में जिसकी रकम ₹ 347.30 दशलक्ष रही, उपलब्ध बेहतरीन आकलन के आधार पर भविष्य निधि न्यास ने सही एवं निष्पक्ष मूल्यांकन दर्शाने की खातिर अपनी बहियों में निवेश को 70% तक दर्शाया है. तदनुसार भविष्य निधि विनियमों के अधीन इन निवेशों के मूल्य में हुई हानि की भरपाई करने की दृष्टि से नियोजक के दायित्व पर विचार करते हुए कंपनी ने भविष्य में अपनी संभावित देयता को रु. ₹ 243.11 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 समाप्त वर्ष में ₹ शून्य) निर्धारित किया जिसके लिए वर्ष के दौरान प्रावधान कर लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया है.

(घ) तुलन पत्र की तारीख को भविष्य निधि न्यास की आस्तियों का उचित मूल्य, हितकारी दायित्व के वर्तमान मूल्य से अधिक है जिसे यहां नीचे दर्शाया गया है.

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,472.05	4,772.87

40.3 सेवा समाप्ति लाभ :

40.3.1 चिकित्सा आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति

कंपनी में चिकित्सा आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुमोदित योजना है. पूरी की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 60 दिनों की परिलब्धियों के समान अथवा सामान्य सेवानिवृत्ति तारीख से पहले बची शेष महीनों की सेवा से गुणन करते हुए सेवानिवृत्ति के समय मासिक परिलब्धियां, जो भी कम हो, अनुग्रह भुगतान, सेवानिवृत्ति लाभ के अलावा किया जाएगा.

40.3.2 एकमुश्त मौद्रिक मुआवजे देने की स्वयं बीमा योजना

सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ और अलग होने पर लाभ योजना के तहत, अगर दुर्घटना के कारण और रोजगार के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो अथवा वह स्थाई तौर पर पूरी तरह से अपंग हो तो देय किसी न्यूनतम रकम का निर्धारण किए बगैर 100 महीने के मूल वेतन + महंगाई भत्ते के समतुल्य मुआवजा दिया जाएगा.

40.3.3 SABF के तहत अलग होने पर लाभ (जिसका नाम बदलकर अब MDCPS कर दिया गया है)

कंपनी में सेवा करते समय अगर कर्मचारी की मृत्यु हो / वह स्थाई तौर पर पूरी तरह से अपंग हो तो हिताधिकारी को, मृत्यु की तारीख / स्थाई संपूर्ण अपंगता की तारीख से 6 महीने के अंदर नीचे उल्लिखित वांछित विकल्पों में से एक चुनना होगा.

40.3.4 सेवा समाप्ति लाभ, गैर निधिक योजनाएं होती हैं जिनमें योजना आस्तियों का समावेश नहीं होता है.

40.3.5 सेवा समाप्ति संबंधी लाभ को जब कभी खर्च किया जाए लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

41 खंडवार रिपोर्टिंग

रिपोर्ट करने लायक एक ही खंड के रूप में कंपनी के " पेट्रोलियम उत्पाद " हैं.

41.1 प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

कंपनी के उल्लेखनीय राजस्व, तेल विपणन कंपनियों को उत्पाद बेचने से मिलते हैं जो 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के कुल राजस्व का क्रमश: 70% और 57% है. इन कंपनियों को की गई कुल बिक्री की रकम, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 350,501.95 दशलक्ष और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 328,952.62 दशलक्ष रही.

कंपनी के राजस्व में 10% या उससे अधिक योगदान देने वाले ग्राहकों की संख्या, 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शून्य रही.

41.2 भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी:

क) कंपनी, भारत में बसी है. ग्राहकों के स्थान के आधार पर ग्राहकों से प्राप्त उसकी राजस्व रकम, नीचे की तालिका में दर्शाई गई है:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
भारत	454,245.35	448,281.09
अन्य देश	55,493.01	159,001.37
कुल	**509,738.36**	**607,282.46**

ख) गैर-चालू आस्तियां (वित्तीय आस्तियों और आस्थगित कर आस्तियों को छोड़कर), ग्राहकों के स्थान के आधार पर नीचे की तालिका में दर्शाई गई हैं:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
भारत	170,473.10	170,052.42
अन्य देश	-	-
कुल	**170,473.10**	**170,052.42**

41.3 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

अपने प्रमुख उत्पादों का लगातार प्रचालन करने से कंपनी के राजस्व का विश्लेषण निम्नानुसार है:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
हाई स्पीड डीज़ल (HSD)	296,199.50	303,698.47
मोटर स्पिरिट (MS)	71,457.67	75,719.55
कुल	**367,657.17**	**379,418.02**

प्रमुख उत्पादों से राजस्व के बारे में रिपोर्टिंग करते समय प्रत्येक उत्पाद के कुल कारोबार के 10% की देहली सीमा अपनाई जाती है.

42 संबंधित पक्षकार के बारे में प्रकटन

42.1 संबंधित पक्षकारों के नाम और संबंध का वर्णन:

अ कंपनी पर नियंत्रण रखने वाला उद्यम (नियंत्रक कंपनी)

आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड [ONGC]

आ कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाला उद्यम

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)

इ सहायक कंपनी

ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL)

ई संयुक्त उद्यम

शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (SMAFSL)

उ न्यास (सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभ संबंधी न्यास सहित) जिस पर एमआरपीएल का नियंत्रण है

1 एमआरपीएल उपदान निधि न्यास

2 एमआरपीएल भविष्य निधि न्यास

ऊ.1 गैर कार्यपालक निदेशक

श्री शशि शंकर, अध्यक्ष

ऊ.2 अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक

1 श्री सुभाष कुमार, नामिती निदेशक (ओएनजीसी)

2 श्री विनोद एस. शेणै, नामिती निदेशक (HPCL)

3 श्री रोहित माथुर, निदेशक (सरकारी नामिती) 10 दिसंबर, 2020 से

4 सुश्री ईशा श्रीवास्तव, निदेशक (सरकारी नामिती) 10 दिसंबर, 2020 से

5 श्री आर टी अगरवाल, स्वतंत्र निदेशक

6 श्री विजय शर्मा, सरकारी नामिती, 04 अगस्त, 2020 तक

7 श्री वी.पी. हरन, स्वतंत्र निदेशक, 07 सितंबर, 2020 तक

8 श्री सेवा राम, स्वतंत्र निदेशक, 07 सितंबर, 2020 तक

9 डॉ. जी. के. पटेल, स्वतंत्र निदेशक, 07 सितंबर, 2020 तक

10 श्री बलबीर सिंह यादव, स्वतंत्र निदेशक, 07 सितंबर, 2020 तक

11 श्री सुनील कुमार, निदेशक (सरकारी नामिती) 10 दिसंबर, 2020 तक

ऋ महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी

ऋ.1 कार्यपालक निदेशक

1 श्री एम. वेंकटेश, प्रबंध निदेशक

2 श्रीमती पोमिला जसपाल, निदेशक (वित्त)

3 श्री संजय वर्मा, निदेशक (रिफ़ाइनरी) 09 जून, 2020 से

ऋ.2 मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्रीमती पोमिला जसपाल, निदेशक (वित्त) और सीएफओ

ऋ.3 कंपनी सचिव

श्री दिनेश रंजन मिश्रा, कंपनी सचिव

42.2 लेन-देनों के ब्यौरे:

42.2.1 नियंत्रक कंपनी के साथ लेन-देन

आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड [ONGC]	लेन-देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री	उत्पादों और सहबद्ध सेवाओं का विक्रय	10,243.33	5,649.26
क्रूड की खरीदारी	क्रूड तेल आदि खरीदारी	39,254.75	41,538.37
प्राप्त सेवाएँ	क) ONGC कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	-	2.53
	ख) मुंबई और दिल्ली कार्यालय का किराया और विद्युत शुल्क और खर्च की प्रतिपूर्ति और बिल भुनाई शुल्क	129.24	74.32
गारंटी शुल्क	साउदी अरैमको को दी गई गारंटी के लिए शुल्क	9.73	34.24
लाभांश	प्रदत्त लाभांश	-	1,255.35
OMPL के शेयरों की खरीदारी	एमआरपीएल द्वारा ओएनजीसी से शेयरों की खरीदारी	12,167.34	-

42.2.2 नियंत्रक कंपनी के पास बकाया शेषराशि

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड [ONGC]	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
प्राप्य रकम	उत्पादों और सहबद्ध सेवाओं का विक्रय	552.06	679.16
देय रकम	क्रूड तेल की खरीदारी	2,904.94	1,746.97
देय रकम	खर्च के लिए अन्य	13.69	18.22
प्रतिबद्धताएं	ओएनजीसी को वसूली का अधिकार होते हुए ओएनजीसी द्वारा एमआरपीएल के नाम बनाए गए बीजकों की बिल भुनाई के निमित्त	3,258.96	-

42.2.3 कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाले उद्यम के साथ लेन-देन

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)	लेन-देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
बिक्री	तेल उत्पादों की बिक्री आदि	247,324.63	148,663.53
प्रदान की गईं सेवाएँ	क) लोडिंग आर्म, पाइपलाइन प्रभार आदि	-	1.64
	ख) खर्च, सुकरण प्रभार की प्रतिपूर्ति	5.66	8.01
	ग) संदूषित उत्पाद, सत्कार करने संबंधी शुल्क, घाट शुल्क आदि	6.64	10.24
लाभांश	प्रदत्त लाभांश	-	297.15

42.2.4 कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाले उद्यम के पास बकाया शेषराशि

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
प्राप्य रकम	तेल उत्पादों की बिक्री आदि	13,956.40	5,769.37
	अन्य प्रतिपूर्तियां	22.19	40.27
देय रकम	खर्च के प्रति अन्यों को	0.27	4.94

42.2.5 सहायक कंपनी के साथ लेन-देन

ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL)	लेन-देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री	उत्पादों की बिक्री आदि	33,589.12	49,089.74
उत्पादों की खरीदारी	उत्पादों आदि की खरीदारी	2,986.72	7,657.24
प्राप्त सेवाएँ	प्रतिनियुक्ति पर OMPL स्टाफ का वेतन आदि	3.90	2.75
प्रदान की गईं सेवाएँ	क) सुकरण प्रभार	33.67	57.14
	ख) एमआरपीएल कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति और अन्य खर्च	5.55	23.97
इक्विटी में निवेश	इक्विटी में निवेश	-	2,550.09
माना गया निवेश	माना गया निवेश	-	4,202.67
ब्याज आय और अन्य वसूली	प्रभारों की प्रतिपूर्ति	329.44	397.44

42.2.6 सहायक कंपनी के पास बकाया शेषराशि

ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL)	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
ऋण	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	2.77	0.39
प्राप्य रकम	उत्पादों की बिक्री, सुकरण शुल्क और अन्य	2,151.22	943.45
देय रकम	रैफिनेट, हाइड्रोजन की खरीदारी और अन्य सेवा शुल्क	126.26	65.72
गारंटी के प्रति देयता	CCDs पर ब्याज के लिए गारंटी देयता	1.27	1.93
प्रतिबद्धताएं	क) एमआरपीएल को वसूली का अधिकार होते हुए एमआरपीएल द्वारा ओएमपीएल के नाम बनाए गए बीजकों की बिल भुनाई के निमित्त	766.48	6,324.45
	ख) ओएमपीएल द्वारा निर्गमित अनिवार्य तौर पर परिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए बैक स्टॉपिंग समर्थन	-	-

42.2.7 संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन:

शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लि (SMAFSL)	लेन-देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री	पेट्रोलियम उत्पाद	2,226.71	7,409.25
उत्पादों की खरीदारी	संदूषित पेट्रोलियम उत्पाद	0.14	-
	और खर्च की प्रतिपूर्ति		
प्रदान की गईं सेवाएँ	क) खर्च की प्रतिपूर्ति	-	0.07
	ख) रॉयल्टी आय	9.15	12.65
लाभांश आय	प्राप्त लाभांश	37.50	6.00

42.2.8 संयुक्त उद्यमों के पास बकाया शेषराशि:

शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लि (SMAFSL)	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
प्राप्य रकम	रॉयल्टी और टर्मिनलिंग शुल्क आदि	342.32	318.56

42.2.9 अन्य संबंधित पक्षकारों की सहबद्ध कंपनियों के साथ लेन-देन:

सहबद्ध कंपनी का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
क) इनसे प्राप्त सेवाएँ:			
1. मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	नदी जल, STP जल और सड़क की मरम्मत	710.22	692.69
2. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	पाइपलाइन परिवहन शुल्क और अन्य खर्च	23.57	110.95
3. ONGC नाइल गंगा BV	क्रूड तेल आदि की खरीदारी	-	0.11
4. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	क्रूड तेल आदि की खरीदारी	3,197.02	-
ख) इनको प्रदान की गईं सेवाएँ:			
1. ONGC नाइल गंगा BV	टेंडरिंग सेवाएं	-	0.70
2. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	विद्युत शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति	18.14	28.78

42.2.10 अन्य संबंधित पक्षकारों की सहबद्ध कंपनियों के पास बकाया शेषराशि:

सहबद्ध कंपनी का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
प्राप्य रकम:			
1. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	विद्युत शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति	0.01	-
2. ONGC नाइल गंगा BV	सेवाओं के निमित्त बकाया	0.12	0.12
3. ONGC कैंपोस LTDA	सेवाओं के निमित्त बकाया	0.10	0.10
4. मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	नदी जल, STP जल और सड़क की मरम्मत	-	129.30
देय रकम:			
1. मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	नदी का जल, STP जल और सड़क की मरम्मत आदि	65.62	-
2. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	पाइपलाइन परिवहन शुल्क और अन्य खर्च	2.46	15.38
3. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	क्रूड की खरीदारी के निमित्त बकाया शेषराशि	0.14	-

42.2.11 न्यासों के साथ लेन-देन

न्यासों के नाम	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
भुगतान का प्रेषण:			
एमआरपीएल की भविष्य निधि	अंशदान	684.86	525.98
एमआरपीएल की भविष्य निधि	कमी होने पर भविष्य निधि में अंशदान	271.83	-
एमआरपीएल उपदान निधि	न्यास से एमआरपीएल को प्रतिपूर्ति	23.65	33.07
न्यास एमआरपीएल उपदान निधि न्यास	एमआरपीएल से न्यास में अंशदान	248.93	155.90

42.2.12 न्यासों के पास बकाया शेषराशि

न्यासों के नाम	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
देय रकम: एमआरपीएल की भविष्य निधि	कमी की भरपाई के लिए पीएफ न्यास को देय रकम	271.83	-
एमआरपीएल उपदान निधि न्यास	न्यास में देय अंशदान (निवल)	235.84	151.16

42.2.13 महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारियों को दिया गया मुआवजा:

पूर्णकालिक निदेशक/कंपनी सचिव/मुख्य वित्तीय अधिकारी	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
विवरण		
कर्मचारी को अल्पावधि लाभ	22.86	15.86
रोजगार उपरांत लाभ (छुट्टी, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ के लिए प्रावधान शामिल हैं)	15.15	16.72
अन्य दीर्घावधि लाभ (भविष्य निधि के प्रति अंशदान शामिल है)	3.81	2.59
कुल	**41.82**	**35.17**

निदेशकों और अन्य अधिकारियों को दिए गए ऋण/ऋणों पर उपचित ब्याज

पूर्णकालिक निदेशक और कंपनी सचिव	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
विवरण		
निदेशक और कंपनी सचिव को दिए गए ऋण	5.14	0.67
निदेशक और कंपनी सचिव को दिए गए ऋणों पर उपचित ब्याज	0.47	0.12
कुल	**5.61**	**0.79**

स्वतंत्र निदेशक

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
बैठक शुल्क	2.02	4.28

42.3 सरकार से जुड़े उद्यमों के संबंध में प्रकटन (देखें नीचे दी गई टिप्पणी 42.3.4):

42.3.1 सरकार से जुड़े उन उद्यमों के नाम जिनके साथ उल्लेखनीय प्रमाण में लेन-देन किए गए:

	सरकार से जुड़े उद्यम	संबंध
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)	केंद्रीय PSU
2	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	केंद्रीय PSU
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (BHEL)	केंद्रीय PSU
4	ओरिएण्टल इंश्यूरेंस कं. लिमिटेड	केंद्रीय PSU
5	ब्रिज एण्ड रूफ कं (इंडिया) लिमिटेड	केंद्रीय PSU
6	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	केंद्रीय PSU
7	भारतीय जहाजरानी निगम लि.	केंद्रीय PSU
8	कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	केंद्रीय PSU
9	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	केंद्र सरकार
10	उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र	केंद्र सरकार
11	भारतीय रेलवे	केंद्र सरकार
12	कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	राज्य सरकार
13	कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड	राज्य सरकार
14	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	केंद्रीय पोर्ट ट्रस्ट

42.3.2 सरकार से जुड़े उद्यमों के साथ लेन-देन (देखें नीचे दी गई टिप्पणी 42.3.4):

	प्रतिष्ठान का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
अ	**वर्ष के दौरान इनको की गई उत्पादों, अन्यों की बिक्री:**			
1	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	क्रूड तेल की बिक्री	57,178.30	1,13,002.64
2	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	28,814.32	49,974.93
3	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	0.82	2.99
4	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड(ISPRL)	क्रूड तेल, पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	22,042.85	11,931.73
5	भारतीय रेलवे	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	3,097.00	1,077.89
आ	**वर्ष के दौरान इनसे उत्पादों की खरीदारी:**			
1	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	अन्य आपूर्तियां	84.11	101.94
2	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	नैफ़्ता/संदूषित उत्पाद/चिकने पदार्थों की खरीदारी	135.96	17.05
3	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)	संदूषित उत्पाद आदि की खरीदारी	2.08	1.00
4	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड(ISPRL)	क्रूड तेल आदि की खरीदारी	988.45	28,766.70

	प्रतिष्ठान का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
इ	**प्रदान की गई सेवा**			
1	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड(ISPRL)	एमआरपीएल कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	8.73	8.03
2	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	पाइपलाइनों, लोडिंग आर्म शुल्क आदि के निमित्त	-	1.08
ई	**इनसे प्राप्त सेवाएँ:**			
1	कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन	विद्युत की खरीदारी	196.48	207.34
2	कॉर्पोरेशन लिमिटेड			
3	ओरिएण्टल इंश्यूरेंस कं. लि.	बीमा प्रीमियम	400.89	378.24
4	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	पोर्ट सेवाएं अन्य	1,072.83	1,273.29
5	ब्रिज एण्ड रूफ कं (इंडिया) लिमिटेड	छोटे-मोटे कार्य	925.14	1,304.88
6	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	तकनीकी सेवाएं	92.20	288.56
7	भारतीय जहाजरानी निगम लि.	सेवा	2,204.37	3,034.08
8	कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	रेलवे साइडिंग माल भाड़ा शुल्क	617.34	177.27
9	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (BPCL)	PT कार्यक्रम सेवाएं	0.12	0.18
	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	अन्य सेवाएँ	24.06	67.80
उ	**भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अग्रिम**			
1	कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड	भूमि की खरीदारी	7.24	-

42.3.3 सरकार से जुड़े उद्यमों के पास बकाया शेषराशि (देखें नीचे दी गई टिप्पणी 42.3.4):

	उद्यम का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
	प्राप्य रकम:			
1	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां	1,580.07	935.79
2	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां	1,143.19	1,084.60
3	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां	1.42	6.78
4	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां	220.78	300.18
5	भारतीय रेलवे	व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां	415.82	356.02
	विक्रेताओं को अग्रिम:			
1	उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र	अग्रिम	29.82	28.57
2	कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड	भूमि आदि के लिए अग्रिम और बयाना	6,955.25	6,951.99
3	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	अग्रिम	-	0.39
	देय रकम:			
1	ब्रिज एण्ड रूफ कं (इंडिया) लिमिटेड	व्यापार और अन्य देयताएं	54.12	135.95
2	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	व्यापार और अन्य देयताएं	154.95	143.69
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	व्यापार और अन्य देयताएं	882.59	883.41
4	भारतीय जहाजरानी निगम लि.	व्यापार और अन्य देयताएं	-	131.41
5	कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार और अन्य देयताएं	16.87	16.85
6	कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार और अन्य देयताएं	19.26	17.62
7	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार और अन्य देयताएं	106.81	0.08
8	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	व्यापार और अन्य देयताएं	-	6,462.22

सरकार से जुड़े उद्यमों के साथ किए गए लेन-देनों में ऐसे लेन-देन शामिल हैं जो वैयक्तिक और सामूहिक रूप से उल्लेखनीय हैं. कंपनी ने ऊपर उल्लिखित और सरकार से जुड़े अन्य विभिन्न उद्यमों के साथ दूसरे लेन-देन भी किए हैं जैसे टेलीफोन खर्च, हवाई जहाज से यात्रा, ईंधन की खरीदारी और जमाराशि आदि. वैयक्तिक और सामूहिक दृष्टि से ये लेन-देन उल्लेखनीय नहीं है और इसलिए इनको प्रकट नहीं किया गया है.

42.3.4 ONGC, HPCL, OMPL, PMHBL और ONGC नाइल गंगा BV तथा ओएनजीसी विदेश लि. के साथ रिश्तेदारी, इनके साथ किए गए लेन-देन और इनके पास बकाया शेषराशि, उक्त टिप्पणी 42.2.1 से 42.2.10 में प्रकट की गई है.

43 वित्तीय लिखत

43.1 पूंजी प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य है, समुत्थान उद्यम की तरह जारी रखने की उसकी क्षमता की हिफ़ाजत करना ताकि कंपनी, हिस्सेदारों को अधिकतम प्रतिफल और अन्य हिस्सेदारों को लाभ दिला सके और पूंजी लागत घटाने के लिए इष्टतम पूंजी संरचना बरकरार रख सके.

कंपनी, अपना वित्तीय ढांचा बरकरार रखती है जिससे कि सुरक्षित वित्तीय आधार सुनिश्चित करने के साथ-साथ शेयरधारकों की मूल्य वृद्धि हासिल करने के प्रति समर्थन दिया जा सके. पूंजी संरचना को बरकरार रखने अथवा उसका समायोजन करने की दृष्टि से कंपनी, शेयरधारकों को लाभांश के वितरण में फेर-बदल कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकती है, नए शेयरों का निर्गमन कर सकती है अथवा कर्ज घटाने के लिए आस्तियां बेच सकती है.

कंपनी की पूंजीगत संरचना में समाविष्ट है, निवल कर्ज (टिप्पणी 22 और 23 में विस्तार से उल्लिखित उधार, जिसकी कमी पूरी की गई है, नकद और बैंक शेषराशियों से) और कंपनी की कुल इक्विटी.

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी की पूंजीगत संरचना का तिमाही आधार पर समीक्षा करता है. इस समीक्षा के अंग के तौर पर, प्रबंधन, पूंजी लागत और प्रत्येक श्रेणी की पूंजी की आवश्यकता से जुड़े जोखिमों और पर्याप्त नकदी बनाए रखने पर विचार करता है.

43.1.1 गेरिंग अनुपात

रिपोर्ट अवधि के अंत में गेरिंग अनुपात का परिकलन निम्नानुसार किया जाता है:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
i) कर्ज *	162,251.36	118,960.72
ii) कुल नकद और बैंक शेषराशि	520.62	279.95
घटाएं: कार्यकारी पूंजी के लिए आवश्यक नकद और बैंक शेषराशि	520.62	279.95
निवल नकद और बैंक शेषराशि	-	-
iii) निवल कर्ज	162,251.36	118,960.72
iv) कुल इक्विटी	75,283.66	77,668.25
v) इक्विटी की तुलना में निवल कर्ज का अनुपात	2.16	1.53
*** कर्ज का मतलब है, टिप्पणी 22 और टिप्पणी 23 में वर्णन किए गए अनुसार दीर्घावधि और अल्पावधि उधार**		

43.2 वित्तीय लिखतों की श्रेणियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
वित्तीय आस्तियां (देखें नीचे दी गई टिप्पणी 43.2.1)		
परिशोधित लागत पर मापे गए		
क) प्राप्य व्यापार राशियां	24,164.74	10,422.69
ख) नकद और नकदी समतुल्य	258.01	17.80
ग) अन्य बैंक शेषराशि	262.61	262.15
घ) ऋण	1,374.78	1,241.91
ङ) अन्य वित्तीय आस्तियां	1,048.07	6,527.90
लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापा गया		
(क) निवेश	0.19	0.19
परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय देयताएं		
(क) उधार	153,592.36	103,876.00
(ख) देय व्यापार राशियां	39,976.60	32,711.17
(ग) अन्य वित्तीय देयताएं	24,508.81	28,608.13

43.2.1 सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश को ऊपर प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि अगर कोई क्षति हो तो उसे घटाने के बाद इनको लागत पर मापा गया है.

43.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति, कंपनी का प्रचालन करने में निहित महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों पर निगरानी रखकर उसे संभालती है जिसके लिए जोखिम की तीव्रता और उसके प्रमाण के आधार पर एक्सपोशर का विश्लेषण किया जाता है. इन जोखिमों में शामिल है, बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम सहित), ऋण जोखिम और नकदी जोखिम.

43.4 बाजार में निहित जोखिम

बाजार में निहित जोखिम ऐसा जोखिम अथवा अनिश्चितता है जो संभवत: बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव से और व्यवसाय के भावी निष्पादन पर उसके प्रभाव से उत्पन्न होती हैं. बाजार में निहित जोखिम के प्रमुख घटक हैं, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और ब्याज दर जोखिम.

43.5 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी, विदेशी मुद्रा में अंकित लेन-देन, मूल रूप से क्रूड तेल की खरीदारी और निर्यात बिक्री के सिलसिले में करती है और उसके उधार, विदेशी मुद्रा में अंकित होते हैं; फलस्वरूप वह विनिमय दर में घट-बढ़ का सामना करती है. रिपोर्ट अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक आस्तियों और मौद्रिक देयताओं का रखाव रकम, निम्नानुसार है :-

लेन-देन की मुद्रा	देयताएं		आस्तियां	
	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
USD	111,735.48	97,038.67	4,663.18	2,243.84

43.5.1 विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी को, ख़ास तौर से संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा (USD) में व्यवहार करना पड़ता है. लाभ अथवा हानि में संवेदनशीलता, ख़ास तौर से USD में अंकित प्राप्य और देय राशियों से उत्पन्न होती है.

प्रबंधन के निर्धारण के अनुसार, USD-INR मुद्राओं के बीच विनिमय दर में +/- 5% का परिवर्तन होने की संभावना है, इसलिए अवधि के अंत में सिर्फ़ विदेशी मुद्रा में अंकित बकाया मौद्रिक मदों पर लाभ अथवा हानि की संवेदनशीलता, यहां नीचे प्रस्तुत की गई है:

वर्ष के अंत में USD की संवेदनशीलता	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
प्राप्य राशियां:		
INR का, 5% तक कमज़ोर पड़ना	233.16	112.19
INR का, 5% तक सुदृढ़ होना	(233.16)	(112.19)
देय व्यापार राशियां:		
INR का, 5% तक कमज़ोर पड़ना	(5,586.77)	(4,851.93)
INR का, 5% तक सुदृढ़ होना	5,586.77	4,851.93

43.5.2 वायदा विदेशी मुद्रा ठेके

कंपनी, अल्पावधि वायदा ठेके, अधिकतम 30 दिन तक सीमित मात्रा में बुक करती है जब निर्यात संबंधी प्राप्य रकम की तारीख और आयात भुगतान की तारीख, हाजिरी तारीख के दिन न पड़े.

43.6 ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने, निश्चित और अस्थाई ब्याज दरों पर उधार लिए हैं इसलिए उसे ब्याज दर में निहित जोखिम उठाना पड़ेगा. कंपनी ने ब्याज दर में कोई अदला-बदली नहीं की और इसलिए कंपनी को ब्याज दर में निहित जोखिम का सामना करना पड़ेगा.

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण, रिपोर्ट अवधि के अंत में ब्याज दर के प्रति एक्सपोशर के आधार पर किया गया है. अस्थाई दर पर लिए गए उधारों के संबंध में, विश्लेषण करते समय यह परिकल्पना की गई है कि रिपोर्ट अवधि के अंत में बकाया उधार राशि, समग्र वर्ष में बकाया रही. संवेदनशीलता विश्लेषण में प्रकटन करते समय 50 आधार बिंदु को घटाया या बढ़ाया गया है.

अगर ब्याज दर, 50 आधार बिंदु पर अधिक/कम हुआ होता और सभी अन्य परिवर्तनीय कारकों को स्थिर रखा गया होता तो कंपनी का लाभ, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष में ₹ 382.03 दशलक्ष तक बढ़/घट गया होता (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में: ₹ 377.04 दशलक्ष तक वृद्धि/अवनति). इसका प्रमुख कारण है, कंपनी का, उसके परिवर्तनीय दरों पर लिए गए उधार के प्रति कंपनी का एक्सपोशर (वर्ष के अंत में उधार पर अंतिम शेषराशि पर विचार किया जाता है).

43.7 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण संबंधी जोखिम एक ऐसा जोखिम है जब कोई प्रति पक्षकार, अपने संविदात्मक दायित्व निभाने से मुकर जाता है जिसके चलते कंपनी को वित्तीय हानि होती है. ऋण संबंधी जोखिम, नकद और नकदी समतुल्य, प्राप्य रकम सहित बैंकों एवं ग्राहकों के पास रखी गईं जमाराशियों से उत्पन्न होता है. ऋण जोखिम प्रबंधन, उपलब्ध उचित और समर्थक अग्रदर्शी सूचना के साथ-साथ ऐसे संकेतकों पर विचार करता है जैसे बाह्य क्रेडिट रेटिंग (जहां तक उपलब्ध हो), समष्टि-आर्थिक जानकारी (जैसे विनियामक परिवर्तन, सरकारी निदेश, बाजार ब्याज दर आदि).

प्रमुख ग्राहकों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं (तेल विपणन कंपनियां - OMCs) और सहायक कंपनी ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL). सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (OMCs) और OMPL, दोनों ने सर्वाधिक क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की है इसलिए ऋण में निहित जोखिम न के बराबर है. किसी दूसरे प्रति पक्षकार के प्रति ऋण जोखिम का सांद्रण, वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मौद्रिक आस्तियों के 10% के परे न रहा.

जमाराशि रखते समय सिर्फ़ उच्च रेटिंग प्राप्त बैंकों पर विचार किया जाता है. बैंक शेषराशियां, प्रतिष्ठित एवं साख पात्र बैंकिंग संस्थाओं में रखी जाती हैं.

43.8 नकदी जोखिम प्रबंधन

कंपनी, नकदी जोखिम संभालने के लिए बैंक जमाराशियों पर पर्याप्त नकद और नकदी समतुल्य रखती है और रकम देय होने पर दायित्व निभाने की खातिर प्रतिबद्ध पर्याप्त रकम में ऋण सुविधाओं के जरिए निधि उपलब्ध कराती है. प्रबंधन, अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी स्थिति, नकद एवं नकदी समतुल्य का पूर्वानुमान लगाने की खातिर उस पर नज़र रखता है. इसके अलावा, चल निधि प्रबंधन में वित्तीय आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करते हुए और तुलन-पत्र के चल निधि अनुपात पर नज़र रखते हुए दायित्व निभाने के लिए ज़रूरी नकदी आस्तियों के स्तर पर विचार करते हुए नकदी प्रवाह का प्रक्षेपण किया जाता है. कंपनी, चल निधि संबंधी जोखिम संभालते समय, पर्याप्त आरक्षित निधि बरकरार रखती है और लगातार पूर्वानुमान पर और वास्तवित नकदी प्रवाह पर नज़र रखने के साथ-साथ वित्तीय आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करती है.

नीचे उल्लिखित तालिका में कंपनी की, सम्मत चुकौती अवधि के लिए गैर व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए बची हुई संविदात्मक परिपक्वता दर्शाई गई है. यह तालिका, कंपनी द्वारा शीघ्रातिशाघ्र जिस तारीख को भुगतान करना पड़ेगा उस तारीख को ध्यान में रखते हुए वित्तीय देयताओं के बट्टा रहित नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार की गई है. इस तालिका में ब्याज और मूल नकदी प्रवाह, दोनों समाविष्ट किए गए हैं. संविदात्मक परिपक्वता, कंपनी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र जिस तारीख को भुगतान करना पड़ेगा उस तारीख के आधार पर निर्धारित की गई है.

विवरण 31 मार्च, 2021 को	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 माह से कम	1 माह - 1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	कुल वहन मूल्य
(i) उधार	दीर्घावधि - 3.94% अल्पावधि - 3.18%	15,405.00	38,964.88	25,226.39	74,955.66	154,551.93	153,592.36
(ii) देय व्यापार राशियां	देखें टिप्पणी 26.2	30,719.17	9,257.43	-	-	39,976.60	39,976.60
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं		5,197.35	12,994.72	5,570.01	4,040.52	27,802.60	24,508.81

विवरण 31 मार्च, 2020 को	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 माह से कम	1 माह - 1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	कुल वहन मूल्य
(i) उधार	दीर्घावधि - 4.80% अल्पावधि - 7.74%	2,470.32	21,890.51	17,811.00	62,652.88	104,824.71	103,876.00
(ii) देय व्यापार राशियां	देखें टिप्पणी 26.2	27,516.76	5,194.41	-	-	32,711.17	32,711.17
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं		5,618.40	16,901.01	5,539.09	4,356.39	32,414.89	28,608.13

नीचे दी गई तालिका में कंपनी की गैर व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियों के लिए अपेक्षित परिपक्वता के ब्यौरे दिए गए हैं. यह तालिका, वित्तीय आस्तियों पर अर्जित किए जाने वाले ब्याज सहित इन आस्तियों की बट्टा रहित संविदात्मक परिपक्वताओं के आधार पर तैयार की गई है. कंपनी के चलनिधि जोखिम प्रबंधन को समझने के लिए गैर-व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियों पर जानकारी समाविष्ट करना आवश्यक है क्योंकि चलनिधि को, निवल आस्ति और देयता के आधार पर संभाला जाता है.

विवरण 31 मार्च, 2021 को	भारित भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 माह से कम	1 माह -1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	कुल बही मूल्य
(i) निवेश		-	-	-	33,948.43	33,948.43	33,948.43
(ii) ऋण							
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	7.74%	17.61	127.67	271.01	803.48	1,219.77	1,219.77
ग्राहकों को दिए गए ऋण	8.39%	-	0.31	1.00	3.58	4.89	4.89
अन्य		2.46	0.89	0.11	337.97	341.43	150.12
(iii) प्राप्य व्यापार राशियां	देखें टिप्पणी 17.1	23,958.08	206.66	-	-	24,164.74	24,164.74
(iv) नकद और नकदी समतुल्य		258.01	-	-	-	258.01	258.01
(v) अन्य बैंक शेषराशि		262.52	0.09	-	-	262.61	262.61
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियां		2.86	769.69	16.11	259.41	1,048.07	1,048.07

विवरण 31 मार्च, 2020 को	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	माह से कम	1 माह -1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	कुल बही मूल्य
(i) निवेश		-	-	-	21,779.23	21,779.23	21,779.23
(ii) ऋण							
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	7.40%	15.43	113.10	246.99	701.70	1,077.22	1,077.22
ग्राहकों को दिए गए ऋण	9.55%	0.01	0.14	0.35	1.24	1.74	1.74
अन्य		3.40	1.11	0.10	352.06	356.67	162.95
(iii) प्राप्य व्यापार राशियां	देखें टिप्पणी 17.1	10,346.32	76.37	-	-	10,422.69	10,422.69
(iv) नकद और नकदी समतुल्य		17.80	-	-	-	17.80	17.80
(v) अन्य बैंक शेषराशि		262.06	0.09	-	-	262.15	262.15
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियां		2.02	6,327.31	13.30	185.27	6,527.90	6,527.90

कंपनी को नीचे वर्णित वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच है जिसमें से रिपोर्ट अवधि के अंत में ₹ शून्य का उपयोग नहीं किया गया था (31 मार्च, 2020 को ₹ शून्य). कंपनी को उम्मीद है कि वह प्रचालन नकदी प्रवाह और परिपक्व होने वाली वित्तीय आस्तियों से अपने अन्य दायित्व निभा पाएगी.

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
मांग पर देय जमानती बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा :	-	-
- उपयोग की गई रकम	-	-
- उपयोग न की गई रकम	-	-

43.9 उचित मूल्य का मापन

प्रबंधन समझता है कि जब तक अन्यथा कोई उल्लेख न किया गया हो, वित्तीय विवरणों में दर्शाई गईं वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं का रखाव रकम, उनके उचित मूल्य दर्शाता है. वित्तीय देयताओं को परिशोधित लागत के रूप में मापा जाता है जिनका उचित मूल्य के सोपान के परिप्रेक्ष्य में स्तर II के रूप में वर्गीकरण किया जाता है.

44. संयुक्त उद्यम की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण (यथा 31 मार्च, 2021)	चालू आस्तियां	गैर-चालू आस्तियां	चालू देयताएं	गैर-चालू देयताएं	कुल राजस्व	प्रचालन जारी रखने से लाभ अथवा हानि	प्रचालन रुकने से लाभ अथवा हानि	अन्य व्यापक आय	कुल व्यापक आय
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	1,984.11	91.79	1,563.43	5.87	2,604.95	8.00	-	0.03	8.03
कुल	**1,984.11**	**91.79**	**1,563.43**	**5.87**	**2,604.95**	**8.00**	**-**	**0.03**	**8.03**

विवरण (यथा 31 मार्च, 2020)	चालू आस्तियां	गैर-चालू आस्तियां	चालू देयताएं	गैर-चालू देयताएं	कुल राजस्व	प्रचालन जारी रखने से लाभ अथवा हानि	प्रचालन रुकने से लाभ अथवा हानि	अन्य व्यापक आय	कुल व्यापक आय
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	2,405.41	98.63	1,921.35	9.12	8,307.54	15.19	-	(0.91)	14.28
कुल	**2,405.41**	**98.63**	**1,921.35**	**9.12**	**8,307.54**	**15.19**	**-**	**(0.91)**	**14.28**

44.1 संयुक्त उद्यम से संबंधित अतिरिक्त वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण (यथा 31 मार्च, 2021)	नकद और नकदी समतुल्य	चालू वित्तीय देयताएं	गैर-चालू वित्तीय देयताएं	मूल्यह्रास और परिशोधन	ब्याज आय	ब्याज खर्च	आय कर आय पर खर्च
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	87.95	1,444.32	5.59	15.02	76.18	27.00	4.48
कुल	**87.95**	**1,444.32**	**5.59**	**15.02**	**76.18**	**27.00**	**4.48**

विवरण (यथा 31 मार्च, 2020)	नकद और नकदी समतुल्य	चालू वित्तीय देयताएं	गैर-चालू वित्तीय देयताएं	मूल्यह्रास और परिशोधन	ब्याज आय	ब्याज खर्च	आय कर आय पर खर्च
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	533.12	1,836.11	9.12	15.31	41.50	12.04	1.60
कुल	**533.12**	**1,836.11**	**9.12**	**15.31**	**41.50**	**12.04**	**1.60**

45 आकस्मिक देयताएं

45.1 कंपनी के खिलाफ ऐसे दावे/विवादग्रस्त मांगें, जिनको कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

क्रम सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
1	**माध्यस्थम् / अदालत में ठेकेदारों / विक्रेताओं के दावे** उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना करने वाले कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पर दावे पेश करते हुए निर्णीत हर्जाने, बढाई गई अवधि के लिए मुआवजे के बगैर ठेका पूरा करने की अवधि बढ़ाने की मांग की है और अतिरिक्त दावे आदि किए गए हैं जिनकी अभ्यापत्ति करते हुए कंपनी ने संबंधित ठेकों के प्रावधानों के अनुसार उनको कबूल नहीं किया है. अगर निर्णय नकारात्मक निकला तो देय रकम, ₹ 1,258.72 दशलक्ष को पूंजीकृत किया जाएगा/ ₹ 10.88 दशलक्ष को राजस्व खाते में प्रभारित किया जाएगा. (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में ₹ 1,248.03 दशलक्ष और ₹ 35.86 दशलक्ष).	1,269.60	1,283.89
2	**अन्य** भूमि और पुनर्वास एवं पुन:व्यवस्थापन कार्य के लिए प्रदत्त अग्रिम से अधिक मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड का दावा	20.05	20.05
	कुल	**1,289.65**	**1,303.94**

इन तमाम दावों को अस्वीकार करते हुए कंपनी द्वारा इनको चुनौती दी जा रही है. माध्यस्थम्/अदालत से समाधान/फैसला मिलने तक ऐसे दावे निपटाने के लिए अगर संसाधनों का बहिर्वाह हो तो उसका वस्तुनिष्ठ आकलन करना व्यवहार्य नहीं होगा.

45.2 यथा 31 मार्च, 2021 अपील में लंबित विवादित कर / शुल्क संबंधी मांगे

45.2.1 31 मार्च, 2021 को आय कर: ₹ 228.76 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 116.52 दशलक्ष). इसके प्रति 31 मार्च, 2021 को ₹ शून्य का (31 मार्च, 2020 को ₹ शून्य), अभ्यापत्ति के तहत समायोजन/भुगतान किया गया है जिसे कर आस्तियों/देयताओं के अधीन शामिल किया गया है **(देखें टिप्पणी 14).**

45.2.2 31 मार्च, 2021 को उत्पाद शुल्क: ₹ 7,633.38 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 7,310.93 दशलक्ष). इसके प्रति, 31 मार्च, 2021 को ₹ 186.39 दशलक्ष को (31 मार्च, 2020 को ₹ 182.10 दशलक्ष), अभ्यापत्ति के तहत पूर्व जमा/भुगतान किया गया है जिसे अन्य आस्तियों के अधीन शामिल किया गया है **[टिप्पणी 15].**

45.2.3 31 मार्च, 2021 को सीमा शुल्क: ₹ 956.02 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 916.31 दशलक्ष). इसके प्रति 31 मार्च, 2021 को ₹ 379.48 का (31 मार्च, 2020 को ₹ 379.48 दशलक्ष), अभ्यापत्ति के तहत समायोजन/भुगतान किया गया है जिसे अन्य आस्तियों के अधीन शामिल किया गया है **(देखें टिप्पणी 15).**

46 प्रतिबद्धताएं

46.1 पूंजीगत प्रतिबद्धताएं:

46.1.1 पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए बचे हुए ठेकों की अनुमानित रकम और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 31 मार्च, 2021 को ₹ 6,430.64 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 10,662.97 दशलक्ष).

46.1.2 कंपनी ने KIADB से चरण IV विस्तार के लिए 1,050 एकड़ भूमि आबंटित करने की दरख्वास्त ही है. इस संबंध में कुल पूंजीगत प्रतिबद्धता है करीब ₹6,407.14 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 6,407.14 दशलक्ष).

46.2 अन्य प्रतिबद्धताएं

46.2.1 रिफाइनरी की तरफ़ से प्रतिबद्धता पूरी होने तक-एमआरपीएल के पास कुछ भूमि है जिसका अनंतिम रूप से माप 36.69 एकड़ है जिसे HPCL ने एमआरपीएल चरण III और उन्नयन कार्य के सिलसिले में उपयोग करने की खातिर सत्तांतरित किया है. इस भूमि के लिए प्रतिफल स्वरूप, परस्पर सम्मति के आधार पर एमआरपीएल/ HPCL के कब्ज़े में रही भूमि की अदला-बदली की जाएगी. इस संबंध में अंतिम प्रलेखन, अभी निष्पादित नहीं किया गया है.

46.2.2 मेसर्स शेल्ल ग्लोबल इंटरनैशनल सोल्यूशन (मेसर्स शेल्ल GIS) द्वारा रिफाइनरी निष्पादन में सुधार करने के कार्यक्रम के निमित्त किया गया वायदा पूरा होने तक, 31 मार्च, 2021 को निवल अग्रिम USD 1.46 दशलक्ष रहा (31 मार्च, 2020 को USD 1.46 दशलक्ष निवल अग्रिम)

46.2.3 कंपनी ने, तीन वर्षों के अनिवार्य तौर पर परिवर्तनीय डिबेंचरों (CCD) के लिए जिसकी रकम ₹ 5100 दशलक्ष है (31 मार्च, 2020 को ₹ 5100 दशलक्ष) जिसे सहायक कंपनी '' ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) ने निर्गमित किया था और मूल धनराशि एवं संचयी कूपन की चुकौती के प्रति बैक स्टॉपिंग समर्थन देने की व्यवस्था की है. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया उपचित ब्याज (अगर कोई हो तो) ₹ शून्य है (31 मार्च, 2020 को ₹ शून्य).

47 वित्तपोषक गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का समाधान.

नीचे दी गई तालिका में, नकदी तथा गैर नकदी प्रभारों, दोनों सहित वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न कंपनी की देयताओं में परिवर्तन के ब्यौरे दिए गए हैं. वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न देयताएं ऐसी देयताएं हैं जिनके लिए नकदी प्रवाह या भावी नकदी प्रवाह को वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह के रूप में कंपनी के नकदी प्रवाह विवरण में वर्गीकृत किया जाएगा.

क्रम सं.	विवरण	01/04/2020 को प्रारंभिक शेषराशि	नकदी प्रवाह का वित्तपोषण	नकदेतर परिवर्तन	31/03/2021 को अंतिम शेषराशि
I	**उधार - दीर्घावधि**				
	1 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)	26,380.77	(7,558.00)	(580.87)	18,241.90
	2 तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण	5,390.00	(117.50)	-	5,272.50
	3 आस्थगित भुगतान देयताएं - VAT ऋण	360.78	74.88	(17.57)	418.09
	4 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत सावधि ऋण - ECB	30,025.03	11,165.63	(1,208.70)	39,981.96
	5 अपरिवर्तनीय डिबेंचर	25,586.59	12,170.00	(4.34)	37,752.25
	6 विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCTL)	-	6,167.23	47.55	6,214.78
	7 रुपया सावधि ऋण	6,856.72	(6,856.72)	-	-
	कुल	**94,599.89**	**15,045.52**	**(1,763.93)**	**107,881.48**
ii	**उधार - अल्पावधि**				
	1 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण	2,470.32	(2,470.32)	-	-
	2 विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCTL)	11,866.06	(215.70)	48.04	11,698.40
	3 वाणिज्यिक पत्र	-	26,500.00	-	26,500.00
	4 बिल भुनाई सुविधा	6,324.45	(5,557.97)	-	766.48
	5 अन्य कार्यकारी पूंजीगत ऋण	3,700.00	11,705.00	-	15,405.00
	कुल	**24,360.83**	**29,961.01**	**48.04**	**54,369.88**

क्रम सं.	विवरण	01/04/2019 को प्रारंभिक शेषराशि	नकदी प्रवाह का वित्तपोषण	नकदेतर परिवर्तन	31/03/2020 को अंतिम शेषराशि
I	**उधार - दीर्घावधि**				
	1 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)	24,092.40	-	2,288.37	26,380.77
	2 तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण	2,680.00	2,710.00	-	5,390.00
	3 आस्थगित भुगतान देयताएं - VAT ऋण	225.56	423.85	(288.63)	360.78
	4 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत सावधि ऋण (ECB)	68.52	27,752.88	2,203.63	30,025.03
	5 अपरिवर्तनीय डिबेंचर	-	25,600.00	(13.41)	25,586.59
	6 आस्थगित भुगतान देयताएं - CST	218.63	(218.63)	-	-
	7 विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCTL)	3,458.00	(3,458.00)	-	-
	8 रुपया सावधि ऋण	11,999.70	(5,142.98)	-	6,856.72
	कुल	**42,742.81**	**47,667.12**	**4,189.96**	**94,599.89**
ii	**उधार - अल्पावधि**				
	1 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण	3,071.58	(601.26)	-	2,470.32
	2 विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCTL)	17,290.00	(5,664.63)	240.69	11,866.06
	3 खरीदार ऋण और पोत लदान पूर्व/उपरांत निर्यात ऋण	24,206.00	(24,206.00)	-	-
	4 वाणिज्यिक पत्र	4,000.00	(4,000.00)	-	-
	5 बिल भुनाई सुविधा	-	6,324.45	-	6,324.45
	6 अन्य कार्यकारी पूंजीगत ऋण	-	3,700.00	-	3,700.00
	कुल	**48,567.58**	**(24,447.44)**	**240.69**	**24,360.83**

बैंक ऋणों से नकदी प्रवाह, संबंधित पक्षकारों से ऋण और अन्य उधार राशियां, नकदी प्रवाह विवरण में उधार राशियां तथा उधार राशियों की चुकौती से आय की निवल राशि है.

48 Ind AS 8 के अनुसार प्रकटन- 'लेखा नीतियां, लेखा आकलनों में परिवर्तन और त्रुटियां' Ind AS 1 'वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण'.

वर्ष के दौरान कंपनी ने भविष्य निधि में अंशदान से संबंधित कर्मचारी लाभ का वर्गीकरण, परिभाषित अंशदान योजना से बदलकर अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ में पुनर्वर्गीकृत किया. Ind AS 8 'लेखा नीतियां, लेखा आकलनों में परिवर्तन और त्रुटियां' के अनुसार लेन-देन के मामले में लेखा नीति की प्रयोज्यता, पहले हुई घटनाओं अथवा पूर्व घटनाओं अथवा स्थितियों से वाकई भिन्न अन्य घटनाएं अथवा स्थितियां, लेखा नीति में परिवर्तन की तरह नहीं होंगी. लाभ-हानि विवरण पर उसका प्रभाव 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष में ₹ 271.83 दशलक्ष और पिछले वर्ष ₹ शून्य रहा.

अधिक प्रकटन करने, बेहतर ढंग से समझने और स्पष्टता के लिए उल्लेखनीय लेखा नीति के अधीन कुछ नीतियों में कुछ छोटे-मोटे सुधार / परिवर्तन किए गए हैं **[देखें टिप्पणी 3]**. लेकिन इन सुधारों / परिवर्तनों का स्वतंत्र Ind AS वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है.

49 Ind AS 8 के अनुसार प्रकटन- 'लेखा नीतियां, लेखा आकलनों में परिवर्तन और त्रुटियां' Ind AS 1 'वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण'.

वित्तीय विवरण का समाधान पंक्ति की मद, जिनका पूर्वव्यापी रूप में निम्नानुसार पुन: कथन किया गया है(जहां तक व्यवहार्य हो):

49.1 सहायक कंपनी, OMPL ने 5 मार्च, 2020 को (प्रत्येक ₹ 10 दशलक्ष के 1000) ₹ 10,000 दशलक्ष अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (CCDs) निर्गमित किए इसे कंपाउंड वित्तीय लिखत (CFI) की तरह मानकर तदनुसार Ind AS 32 की लेखा पद्धति अपनाते हुए इक्विटी और कर्ज घटक के रूप में वर्गीकृत किया गया. तदनुसार कंपनी ने स्वतंत्र वित्तीय विवरण में टिप्पणियों के रूप में सिर्फ़ बैक स्टॉपिंग व्यवस्था का प्रकटन किया है. भारतीय नियंत्रक एवं महा लेखा नियंत्रक (सी एण्ड एजी) ने इस संबंध में कमियों का जिक्र करते हुए विव 2019-20 में सहायक कंपनी “OMPL” द्वारा अपनाई गई पद्धति और नियंत्रक कंपनी की बहियों में अपनाई गई पद्धति में सुधार कर निवारक कार्रवाई (अगर कोई हो तो) करने का सुझाव दिया. सहायक कंपनी के साथ कंपनी ने आश्वासन दिया है कि वे, यह मामला, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (EAC) के पास निदिष्ट करेंगे. तदनुसार, सहायक कंपनी के साथ कंपनी ने उक्त मामला EAC के पास निर्दिष्ट किया है. उक्त मामले पर EAC ने 5 मई, 2021 को राय व्यक्त की कि सहायक कंपनी द्वारा जारी CCDs को लेखाबद्ध करने की पद्धति, Ind AS 32 की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है और CCDs का वित्तीय देयताओं के रूप में वर्गीकरण करना होगा (इक्विटी में परिवर्तन करने की खूबी को इक्विटी शेयरों के निर्गमन के जरिए ही निपटाया जा सकता है, लेकिन इसमें परिवर्तनशील शेयर निर्गमित करने का दायित्व होगा जब कि निर्गमित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, परिवर्तन पर शेयर की कीमत पर निर्भर होगी. अर्थात्; परिवर्तन कीमत और इसलिए CCDs का कंपनी के साधारण इक्विटी शेयरों में परिवर्तन अनुपात, CCDs की प्रारंभिक मान्यता के मोड़ पर निश्चित नहीं होगी. इसलिए, लिखत के अंदर परिवर्तन घटक, समग्र रूप से इक्विटी के रूप में वर्गीकरण करने के प्रयोजन से Ind AS 32 में निर्धारित मानदंड के अनुरूप नहीं होगा) और राय व्यक्त की कि पूर्व अवधि वाली त्रुटि के रूप में पूर्वव्यापी रूप से लेखा पद्धति में सुधार किया जाए. तदनुसार, EAC की राय पर विचार करते हुए सहायक कंपनी ने CCDs को वित्तीय देयता के रूप में लेखाबद्ध किया है. आगे कंपनी ने अपने स्वतंत्र वित्तीय विवरण के बारे में भी यह राय प्राप्त की है कि कंपनी के वित्तीय विवरणों में चालू लेखा पद्धति, Ind AS 32 की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है और कंपनी, Ind AS 107 की संबंधित प्रस्तुतीकरण और प्रकटन एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के प्रभाग II का अनुपालन करेगी. कंपनी, CCDs की लेखा पद्धति में, पूर्वव्यापी रूप से पूर्व अवधि वाली त्रुटि के रूप में भूल सुधार करेगी. अब कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय विवरण का पुन: कथन करते हुए लेखा पद्धति में भूल सुधार किया.

49.2 31 मार्च, 2020 तक के तुलन-पत्र की पुन: कथित मदों का समाधान :

विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च, 2020		
		पिछली बार दर्शाई गई रकम	पुन: कथन के बाद समायोजन	
निवेश [देखें नीचे दी गई टिप्पणी क]	11	17,576.56	4,202.67	21,779.23
आस्थगित कर आस्तियां (निवल) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी ख]**	25	3,458.46	(306.33)	3,152.13
अन्य		233,054.61	-	233,054.61
कुल आस्तियां		**254,089.63**	**3,896.34**	**257,985.97**
अन्य इक्विटी **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी ग)**	21	60,468.65	(327.04)	60,141.61
अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएं **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी घ)**	23	1,868.65	4,221.45	6,090.10
अन्य गैर-चालू देयताएं **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी ङ)**	27	3,596.15	1.27	3,597.42
अन्य चालू देयताएं **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी च)**	27	8763.83	0.66	8,764.49
अन्य		179,392.35	-	179,392.35
कुल इक्विटी और देयताएं		**254,089.63**	**3,896.34**	**257,985.97**

49.3 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि विवरण की पुन: कथित मदों का समाधान :

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष		
		पिछली बार दर्शाई गई रकम	समायोजन	पुन: कथित
अन्य आय **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी छ)**	29	1,050.41	0.05	1,050.46
वित्त लागत [देखें नीचे दी गई टिप्पणी ज]	34	7,425.85	20.76	7,446.61
आस्थगित कर संबंधी खर्च **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी झ)**	25	(13,515.22)	306.33	(13,208.89)
वर्ष का लाभ / (हानि)		(27,076.42)	(327.04)	(27,403.46)
वर्ष की कुल व्यापक आय		(27,162.15)	(327.04)	(27,489.19)
प्रति शेयर अर्जन				
मूल और आंशिक (₹ में)	38	(15.45)	(0.19)	(15.64)

49.4 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण का समाधान **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी ञ)**

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष		
	पिछली बार दर्शाई गई रकम	समायोजन	पुन: कथित
कर उपरांत लाभ/(हानि)	(27,076.42)	(327.04)	(27,403.46)
कर संबंधी खर्च	(12,477.86)	306.33	(12,171.53)
वित्त लागत	7,425.85	20.76	7,446.61
आस्थगित सरकारी अनुदान / गारंटी का परिशोधन	(187.94)	(0.05)	(187.99)

क) CCDs की देयता के उचित मूल्य और ब्याज पर गारंटी शुल्क के निमित्त माने गए निवेश को लेखाबद्ध करना.

ख) CCDs की देयता के उचित मूल्य और गारंटी शुल्क (निवल) पर आस्थगित कर को लेखाबद्ध करना.

ग) CCDs के उचित मूल्य की देयता का परिशोधन, गारंटी आय को लेखाबद्ध करना, CCDs देयता के उचित मूल्य और गारंटी शुल्क (निवल) का आस्थगित कर पर प्रभाव.

घ) वित्तीय वर्ष के दौरान CCDs के उचित मूल्य को लेखाबद्ध करना और उसका परिशोधन करना.

ङ) वित्तीय गारंटी संबंधी दायित्व का गैर चालू अंश.

च) वित्तीय गारंटी संबंधी दायित्व का चालू अंश.

छ) गारंटी शुल्क के उचित मूल्य का मोचन.

ज) CCDs की उचित मूल्य देयता का परिशोधन.

झ) CCDs के उचित मूल्य की देयता और गारंटी शुल्क के निमित्त आस्थगित कर पर प्रभाव एवं बाद में परिशोधन तथा उसका मोचन.

ञ नकदी प्रवाह विवरण पर प्रभाव, ऊपर उल्लिखित तुलन पत्र और लाभ-हानि विवरण में हुए परिवर्तन से आंका जा सकता है.

50 कंपनी, स्टॉक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पूंजीगत भंडार का, चरणबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष सत्यापन करने की एक आवधिक प्रणाली अपनाती है जिसमें कुछ अवधि में तमाम मदों को इस दायरे में लाया जाएगा. समायोजन में कोई अंतर हो तो उसे समाधान पूरा होने के बाद दूर किया जाएगा.

51 कंपनी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घावधि ठेके नहीं हैं जिसके कारण किसी प्रकार की महत्वपूर्ण हानि का पूर्वाभास हो.

52 व्यापार और प्राप्य राशियों, देय व्यापार और अन्य राशियों और ऋणों की कुछ शेषराशियों का पुष्टीकरण / समाधान नहीं किया गया है. पुष्टीकरण मिलने/समाधान होने पर कोई समायोजन करने पड़े तो किया जाएगा जिसका कोई ख़ास असर नहीं होगा.

53 दुनिया भर में COVID-19 महामारी फैलने और परिणामस्वरूप कई देशों में लॉकडाउन जारी करने से आपकी कंपनी के कारोबार पर असर पड़ा. फलस्वरूप क्रूड तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कम होने के कारण इस दौरान दुनिया भर में इनकी कीमतों और परिष्करण मार्जिन पर प्रभाव पड़ा, नतीजतन कंपनी की बिक्री में गिरावट आई. बाद में धीरे-धीरे क्षमता उपयोग में बढ़त देखने को मिली. प्रबंधन ने, COVID 19 के संभावित प्रभाव का आकलन किया है और आशा करता है कि लंबे समय तक प्रचालन जारी रखने से कारोबार पर / आस्ति की उपयोगी अवधि पर / दीर्घावधि वित्तीय स्थिति आदि पर उल्लेखनीय प्रभाव नहीं होगा भले ही निकट भविष्य में राजस्व और रिफ़ाइनरी थ्रूपुट की मात्रा में गिरावट आए.

54 बोर्ड ने आवश्यक अनुमोदन मिलने पर मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) में सहायक कंपनी, ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का समामेलन करने की सहमति दी थी. कंपनी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से उनके पत्र दिनांक 18 अप्रैल, 2018 के जरिए " अनापत्ति " मिली थी. चूंकि यह मामला अभी प्रारंभिक चरण में है इसलिए वित्तीय विवरणों में इस बारे में कोई प्रकटन नहीं किया गया है.

55 वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें, पिछले वर्षों से संबंधित हैं. पिछले वर्ष के आंकड़ों का, जहां कहीं आवश्यक हो, पुन:समूहन किया गया है.

56 वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

निदेशक मंडल ने 17 मई, 2021 को जारी करने की खातिर वित्तीय विवरणों के लिए अपना अनुमोदन दिया.

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्य

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट राय

हमने, **मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.** (जिसे इसके आगे " नियंत्रक कंपनी " कहा गया है) और उसकी सहायक कंपनी, **ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड** (नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी को इसके आगे एक साथ " समूह " कहा गया है) और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम **शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्वीसस लिमिटेड** के संलग्न किए गए समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित 31 मार्च, 2021 तक का समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरण(अन्य व्यापक आय सहित), उस तारीख को समाप्त वर्ष का इक्विटी में परिवर्तन दर्शाने वाला समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां समाविष्ट की गईं हैं (जिसे इसके आगे '' समेकित वित्तीय विवरण '' कहा गया है).

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त समेकित वित्तीय विवरणों में, अपेक्षित तरीके से कंपनी अधिनियम, 2013 ('Act') की अपेक्षानुसार जानकारी मिलती है जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है जो 31 मार्च, 2021 तक के समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम के समेकित कामकाज की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के उसकी समेकित हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन) तथा इक्विटी में समेकित परिवर्तन विवरण एवं समेकित नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाती है.

राय का आधार

हमने, अपनी लेखा परीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (SAs) के अनुसार की. उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियों के बारे में आगे वर्णन, हमारी रिपोर्ट के खंड *समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा* के संबंध में *लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां* में किया गया है. हम, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('ICAI') द्वारा जारी नीति संहिता के अनुसार एवं भारत में समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम से स्वतंत्र हैं और हमने, इन अपेक्षाओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां पूरी की हैं. हम मानते हैं कि हमें लेखा परीक्षा के बारे में जो सबूत मिले हैं वे लेखा परीक्षा संबंधी हमारी राय देने के लिए एक आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं.

बल देने लायक मामले

हम, समेकित वित्तीय विवरणों के प्रति नीचे उल्लिखित टिप्पणियों की तरफ़ ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं.

(क) ` 28.72 दशलक्ष और ` 243.11 दशलक्ष के प्रावधान के बारे में विवरण की टिप्पणी सं.40.2.2 (ग) - कुछ कंपनियों के, जिनमें भविष्य निधि न्यास ने अपने निवेश किए हों, मूल रूप से अपरिवर्तनीय डिबेंचरों पर प्रत्याशित ब्याज संबंधी दायित्वों और संभावित मूल धनराशि में चूक के कारण कमी से उत्पन्न भविष्य निधि विनियमों के अधीन नियोजक के दायित्व पर विचार करते हुए निवेश के मूल्य में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए. भविष्य निधि न्यास ने उक्त निवेश को अपनी बहियों में 70% तक दर्शाया है जो भविष्य में विभिन्न मामलों के निष्कर्ष पर और इन मामलों में कंपनी के दावे को स्वीकार करने पर निर्भर होगी.

(ख) टिप्पणी सं.50 जिसमें विशेषज्ञ सलाहकार समिति के आधार पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समूह के वित्तीय विवरण के पुन: कथन सहित प्रकटन और लेखा पद्धति का वर्णन किया गया है सहायक कंपनी द्वारा निर्गमित अनिवार्य

परिवर्तनीय डिबेंचरों (CCD) और नियंत्रक कंपनी द्वारा की गई परिणामी बैक स्टॉपिंग व्यवस्था के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) की विशेष सलाहकार समिति (EAC) की राय के आधार पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के समूह के वित्तीय विवरणों के पुन: कथन सहित प्रकटन और लेखाकरण के बारे में विवरण की टिप्पणी संख्या.50.

(ग) विवरण की टिप्पणी सं.55 जिसमें समूह के व्यवसाय पर COVID-19 के प्रभाव और समुत्थान आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के औचित्य का वर्णन किया गया है जिसका पूर्ण रूप से वर्णन इसमें मिलता है.

(क) से (ग) से संबंधित उक्त मामलों में हमारी राय में कोई परिवर्तन हुआ है.

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा संबंधी महत्वपूर्ण मामले, ऐसे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय के मुताबिक, चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में बेहद उल्लेखनीय थे. समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाते समय इन मामलों को निपटाया गया और इन मामलों पर हमारी कोई अलग राय नहीं है. नीचे उल्लिखित प्रत्येक मामले में, हमने यह वर्णन किया है कि मामले को हमारी लेखा परीक्षा में कैसे निपटाया गया है.

हमने नीचे वर्णित मामलों का लेखा संबंधी महत्वपूर्ण मामलों के रूप में निर्धारण किया है जिसे हमारी रिपोर्ट में सूचित किया गया है. इन मामलों को समाते हुए हमारी रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित जिम्मेदारियां, हमने निभाई हैं. तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा में ऐसी कार्यविधियां पूरी की गईं जो, समेकित वित्तीय विवरणों में दिए गए महत्वपूर्ण गलत बयान के जोखिम के हमारे निर्धारण के जवाब में बनाई गई थीं. नीचे उल्लिखित मामले निपटाने की दृष्टि से की गईं कार्यविधियों सहित हमारी लेखा परीक्षा कार्यविधियों के परिणामों में संलग्न किए गए समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय दी गई है.

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले	हमारी लेखा परीक्षा में इनका समाधान कैसे किया गया
COVID-19 सर्वव्यापी महामारी की दूसरी लहर के बाद हमारी अंतिम लेखा परीक्षा के दूसरे चरण में आवश्यक पड़ी आशोधित लेखा परीक्षा कार्यविधियां	
देश भर में COVID-19 सर्वव्यापी महामारी की दूसरी लहर और परिणामस्वरूप यात्रा करने पर और अन्य प्रतिबंधकों के कारण हमारी लेखा परीक्षा के दूसरे चरण का अंतिम भाग, नियंत्रक कंपनी के प्रचालन स्थानों/अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों/कार्पोरेट कार्यालय में हमारी प्रत्यक्ष मौजूदगी में न हो पाया. कुछ हद तक, इस असाधारण स्थिति में हमें अपनी लेखा परीक्षा कार्यविधि में आशोधन करना पड़ा जिससे कि ऑनलाइन पहुंच के जरिए दूर से, डिजिटल दस्तावेज प्राप्त करते हुए, ऑनलाइन बैठकों आदि के जरिए लेखा परीक्षा की जा सके. COVID-19 सर्वव्यापी महामारी की दूसरी लहर के निमित्त उत्पन्न इस असाधारण स्थिति के कारण, जिसके बारे में ऊपर बताया गया है, हमारी प्रत्यक्ष मौजूदगी की सीमा तक हमने इन आशोधित लेखा परीक्षा कार्यविधियों को महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा संबंधी मामले के रूप में पहचाना.	नियंत्रक कंपनी ने, लेखा बहियों और दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए अपनी SAP प्रणाली तक सुरक्षित नेटवर्क पर VPN पहुंच प्रदान करने के साथ-साथ ई-मेल पत्राचार, वीडियो कॉन्फ्रेंस और अन्य संचार प्रणाली के समर्थन से लेखा परीक्षा पूर्ण करने में मदद की. जिस हद तक हमारी प्रत्यक्ष मौजूदगी संभव न थी, हमने लेखा परीक्षा की प्रक्रियाएं, ऊपर बताए गए तरीके से हमें उपलब्ध कराई गई इन लेखा बहियों, रेकॉर्डों, दस्तावेजों आदि के सत्यापन के जरिए कीं जिनको लेखा परीक्षा करने और चालू अवधि के लिए रिपोर्टिंग करने के लिए लेखा परीक्षा सबूत के तौर पर भरोसा किया गया. हमने, ऊपर उल्लिखित माध्यम से समय-समय पर अपने समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों, सबूतों आदि की स्कैन की गईं प्रतियों का सत्यापन किया जिनको लेखा परीक्षा पर सबूतों के रूप में रखा गया. हमने, ई-मेल, वीडियो कान्फरेंसिंग, बातचीत और इसी प्रकार के संचार माध्यमों से लेखा पूछताछ की, लेखा परीक्षा संबंधी हमारी लेख-टिप्पणियों के बारे में चर्चा की और लेखा परीक्षा संबंधी आवश्यक सबूत हासिल किए. जब कभी बकाया शेषराशियों के बारे में बैंकों और अन्य पक्षकारों से हमें प्रत्यक्ष रूप से पुष्टीकरण नहीं मिला, हमने, इस बारे में कंपनी से प्राप्त किए गए पुष्टीकरण और विवरणों पर भरोसा किया और बाद में हुईं घटनाओं एवं किए गए लेन-देनों का सत्यापन करने सहित लेखा परीक्षा संबंधी अन्य कार्यविधियां पूरी कीं,

	जहां कहीं अचल संपत्ति के स्वत्व विलेख भौतिक रूप में उपलब्ध हों, जिनकी पहुंच, SAP प्रणाली में उपलब्ध न थीं, हमने, इस बारे में अन्य ब्यौरों और प्रबंधन के अभ्यावेदन पर भरोसा किया है, हमने, लेखा परीक्षा संबंधी कार्यविधियां करते समय, लेखा परीक्षा के बारे में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी परामर्श और मार्गनिर्देश तथा COVID 19 स्थिति में लेखाकरण कार्यविधियों पर भरोसा करते हुए लेखा परीक्षा की.
कंपनी/विवादित मांगों के प्रति दावों से संबंधित आकस्मिक (संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.46 देखें) देयताएं	
समूह के खिलाफ विभिन्न मंचों पर ऐसे कई दावे और मुकदमे लंबित हैं जिनको कंपनी ने कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया है और इनको आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया है. क्या वित्तीय विवरणों में किसी देयता को दर्शाया गया है अथवा आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है यह बात स्वाभाविक रूप से निर्णयात्मक है और कई उल्लेखनीय परिकल्पनाओं एवं निर्धारणों पर निर्भर होती है. इन कानूनी कार्यवाहियों का अंतिम निष्कर्ष, भावी घटनाओं पर निर्भर होता है और अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम, समूह की रिपोर्ट की गई हानि और तुलन पत्र की स्थिति को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकते हैं. समूह के खिलाफ दावों/विवादित मांग से उत्पन्न एक्सपोशर के संबंध में आकलन संबंधी अधिक अनिश्चितता से जुड़े लेखाकरण आकलनों सहित विभिन्न मामलों का निर्वचन करते समय प्रबंधन के निर्णय पर विचार करते हुए इस मामले को चालू वर्ष की लेखा परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामले के रूप में पहचाना गया है.	हमारी लेखा परीक्षा कार्यविधियों में नीचे उल्लिखित बातें सम्मिलित हैं जो नीचे उल्लिखित बातों तक सीमित नहीं हैं: • इनके बारे में प्रबंधन प्रक्रिया को समझा: - समूह के खिलाफ दावों और विवादित रकम और की गईं कानूनी कार्रवाइयों को नियंत्रित करना और पहचानना. - इस तरह से पहचाने गए प्रत्येक मुकदमे के संबंध में Ind AS 37 के अधीन लेखाकरण का निर्धारण करना और - इसमें फंसी रकम को मापना. • समूह के खिलाफ लंबित मुकदमों के स्वरूप को समझा और महत्वपूर्ण मुकदमों के बारे में वर्ष के दौरान हुए घटना क्रमों को लेकर प्रबंधन और कंपनी के संबंधित कानूनी विभाग के साथ चर्चा की. • इसी प्रकार के मामलों में इससे पहले हुई घटनाओं को समझते हुए प्रबंधन के निष्कर्ष का निर्धारण किया. • लागू लेखा मानकों के अनुसार उनके औचित्य को लेकर किए गए प्रकटन की पर्याप्तता और परिपूर्णता का मूल्यांकन किया
आस्थगित कर आस्तियों को लेखाबद्ध करना और मापना	
Ind AS 12 के अनुसार, आस्थगित कर आस्तियां, (क) काटने लायक अस्थाई अंतर (ख) अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों को आगे ले जाने और (ग) अप्रयुक्त कर क्रेडिट को आगे ले जाने के संबंध में भावी अवधियों में वसूलने लायक आय की रकम होती हैं. अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों और अप्रयुक्त कर संबंधी क्रेडिट को आगे ले जाने के लिए आस्थगित कर आस्ति को उस हद तक दर्शाया गया जाएगा जिस हद तक यह संभव हो.	हमारी लेखा परीक्षा कार्यविधियों में नीचे उल्लिखित बातें सम्मिलित हैं जो नीचे उल्लिखित बातों तक सीमित नहीं हैं: • समूह के पिछले वर्षों के कर योग्य लाभ और प्रदत्त कर पर विचार किया, आय कर के अधीन आगे ले जाई गई हानियों और भावी कर योग्य लाभ के आकलन के ब्यौरे हासिल किए. • उस अवधि में परीक्षण किया जिसमें उन अप्रयुक्त हानियों और अप्रयुक्त कर संबंधी क्रेडिट्ट पर आस्थगित कर आस्तियों को भावी कर योग्य आय से वसूल किया जाएगा.

संभव है कि भावी कर योग्य लाभ उपलब्ध हो जिसके प्रति अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों अथवा अप्रयुक्त कर संबंधी क्रेडिड्ट का उपयोग किया जा सके. संभावित भावी कर योग्य लाभ का निर्धारण करना, ठोस सबूत के आधार पर निर्णय लेने का मामला है, भावी कर योग्य लाभ का, जो कुछ हद तक अनिश्चित होता है, आकलन करने और भावी कर योग्य लाभ का निर्धारण करने का निर्णय लेने वाले प्रबंधन की भागीदारी पर विचार करते हुए यह मामला, एक महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है.	• संभावित भावी कर योग्य लाभ का आकलन करने में प्रबंधन की अंतर्निहित परिकल्पनाओं और निर्णयों एवं मौजूद पर्याप्त कर योग्य अस्थाई अंतर का परीक्षण किया जिसके प्रति समूह द्वारा अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों अथवा अप्रयुक्त कर संबंधी क्रेडिट का उपयोग किया जा सके. • समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटन की पर्याप्तता और उपयुक्तता का निर्धारण किया.

अन्य जानकारी.

कंपनी का निदेशक मंडल, अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है. अन्य जानकारी में शामिल है, बोर्ड की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, कारोबार जिम्मेदारी रिपोर्ट, निगमित अभिशासन और शेयरधारकों की जानकारी सहित बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित जानकारी लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है. उम्मीद है कि हमें, ऊपर निर्दिष्ट जानकारी, इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराई जाएगी.
समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में, अन्य जानकारी को समाया नहीं गया है और हम, उस पर कोई आश्वासन नहीं देना चाहते हैं न ही कोई निष्कर्ष ले सकते हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी, जब उपलब्ध हो तब पहचानी गई उक्त अन्य जानकारी को पढ़ना और ऐसा करते समय यह विचार करना कि क्या अन्य जानकारी, समेकित वित्तीय विवरणों से ख़ास तौर से असंगत है अथवा हमारी लेखा परीक्षा के दौरान अथवा अन्यथा हमें प्राप्त ज्ञान, वस्तुत: लगता है.

जानकारी पढ़ते समय अगर हम यह निष्कर्ष करें कि उसमें दी गई जानकारी वस्तुत: गलत है तो हमें अभिशासन चलाने वालों को इस बारे में सूचना देनी पड़ेगी और परिस्थितियों में एवं लागू कानूनों और विनियमों के तहत आवश्यक उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी.

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन चलाने वालों की जिम्मेदारियां

नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (the Act) की अपेक्षाओं के अनुसार ऐसे समेकित वित्तीय विवरण तैयार कर पेश करने के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम के अधीन जारी संबंधित नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) सहित भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, अपने संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम सहित समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समेकित नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाते हैं. समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम में सम्मिलित कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी में ऐसी बातें शामिल हैं जैसे समूह की आस्तियों की हिफ़ाजत करने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखा नीतियों का चयन कर उनको लागू करने, ऐसे फैसले और आकलन करने के लिए जो उचित एवं विवेकपूर्ण हों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की रूपरेखा बनाने, उसका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने के निर्णय जो सही और निष्पक्ष चित्र दर्शाने वाले और चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण, महत्वपूर्ण गलत बयान से मुक्त वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, लेखा रेकॉर्ड की यथातथ्यता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए ठीक तरह से काम कर रहे हों, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त ऐसे लेखा रेकॉर्ड रखना, जिनका ऊपर उल्लिखित नियंत्रक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन से उपयोग किया गया हो.

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम में सम्मिलित कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, समुत्थान उद्यम के रूप में जारी रहने की समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम की क्षमता का निर्धारण करने, समुत्थान उद्यम के रूप से संबंधित यथा लागू मामले प्रकट करने और जब तक निदेशक मंडल, समूह का परिसमापन करने अथवा प्रचालन समाप्त करने का इरादा न रखे अथवा जिसके पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा वस्तुनिष्ठ विकल्प न हो, समुत्थान आधार पर लेखाकरण करने के लिए जिम्मेदार है.

समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम में सम्मिलित कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल, समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम में सम्मिलित कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए भी जिम्मेदार है.

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा मक़सद है, इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करना कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण, ठोस गलत बयान से मुक्त हैं, क्या धोखाधडी या गलती की वजह से ऐसा हुआ है और क्या हमारी राय सहित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना पड़ेगा. उचित आश्वासन, उच्च स्तर के आश्वासन के बराबर होता है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं देता है कि SAs के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में, कोई ठोस गलत बयान हो तो उसका हमेशा पता लगाया जाएगा. धोखाधड़ी अथवा गलती से गलत बयान उत्पन्न हो सकता है और इनको ठोस तभी समझा जाएगा जब प्रत्येक रूप से अथवा कुल मिलाकर, इनसे यह उम्मीद की जाए कि ये, समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फ़ैसलों को प्रभावित कर सकते हैं.

SAs के अनुसार लेखा परीक्षा के अंग के तौर पर, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखा परीक्षा की समग्र अवधि के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं. हम यह कार्य भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों के ठोस गलत बयान में निहित जोखिम को पहचानकर यह निर्धारण करते हैं कि क्या यह धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण हुआ है, इन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षा संबंधी क्रियाविधियां बनाकर लागू करते हैं और लेखा परीक्षा को लेकर ऐसा सबूत पाते हैं जो हमारी राय देने के लिए एक आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हो. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए ठोस गलत बयान का पता लगने पर उत्पन्न जोखिम, गलती से उत्पन्न गलत बयान से अधिक जोखिम भरा होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर भूल-चूक, आंतरिक नियंत्रण का अन्यथा कथन अथवा उल्लंघन होता है.

- लेखा परीक्षा संबंधी ऐसा क्रियाविधियां बनाने कि दृष्टि से जो परिस्थितियों में उचित हों, लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों को समझना. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम, इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या नियंत्रक कंपनी ने, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रक पद्धतियां लागू की हैं और ऐसे नियंत्रक, चलाने के लिए प्रभावशाली हैं.

- प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता और लेखा आकलनों के औचित्य का तथा प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटन का मूल्यांकन करना.

- अंतिम रूप से यह तय करना कि समुत्थान आधार पर लेखाकरण का उपयोग करना प्रबंधन के लिए उपयुक्त है और प्राप्त लेखा परीक्षा संबंधी सबूत के आधार पर क्या घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में कोई ऐसी ठोस अनिश्चितता है जो सुनाम प्रतिष्ठाना के रूप में जारी रहने की समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम की क्षमता पर ख़ास संदेह उत्पन्न करे. अगर अंत में हम यह तय करें कि ठोस अनिश्चितता मौजूद है तो हमें, समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में प्रकटन की ओर ध्यान आकृष्ट करना होगा अथवा अगर ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो हमारी राय बदलनी पड़ेगी. हमारे निष्कर्ष, हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा संबंधी सबूत के आधार पर हैं. लेकिन, भावी घटनाएं अथवा स्थितियां, समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम को एक सुनाम उद्यम के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं.

- प्रकटन सहित समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना और यह देखना कि क्या समेकित वित्तीय विवरण, अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं का चित्रण इस तरह से पेश करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण उभरकर सामने आए.

- समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम के अंदर उद्यमों अथवा व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त एवं उचित लेखा परीक्षा संबंधी सबूत पाना जिससे कि समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त की जा सके. स्वतंत्र लेखा परीक्षक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम, समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित इन उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा को दिशा में प्रदान करें, उसका पर्यवेक्षण करें और उसका कार्य निष्पादन करें. अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अन्य उद्यमों के मामले में, ऐसे दूसरे लेखा परीक्षक, उनके द्वारा की गई लेखा परीक्षा को दिशा प्रदान करने, उसका पर्यवेक्षण करने और कार्य निष्पादन करने के लिए जिम्मेदार हैं. हम, लेखा परीक्षा के बारे में अपनी राय के लिए अकेले जिम्मेदार हैं.

स्वतंत्र लेखा परीक्षक होने के नाते हम, नियंत्रक कंपनी और समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अन्य उद्यमों को सूचित करते हैं जिनको अन्य मामलों के साथ-साथ लेखा परीक्षा की योजनाबद्ध व्याप्ति और समय निर्धारित करने और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हम जिन आंतरिक नियंत्रक को पहचाने उनमें उल्लेखनीय कमियों सहित उल्लेखनीय लेखा परीक्षा जांच-परिणाम निकालने का काम सौंपा गया है.

हम, शासन का काम चलाने के लिए जिम्मेदार उनको भी यह बयान देते हैं कि हमने, स्वतंत्रता के बारे में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उनको, ऐसे संबंधों और अन्य मामलों के बारे में और जहां कहीं लागू हो, संबंधित रक्षोपायों के बारे में जानकारी देते हैं जिसका हमारी स्वतंत्रता पर उचित प्रभाव पड़े.

शासन चलाने वालों को सूचित किए गए मामलों में से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में बेहद उल्लेखनीय थे और इसलिए लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले रहें. जब तक कानून अथवा विनियम, मामलों के बारे में सार्वजनिक प्रकटन करने से रोक न लगाए हमने इन मामलों को अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वर्णन किया है अथवा जब अति विरल परिस्थितियों में हम यह निर्धारण करें कि मामला, हमारी रिपोर्ट में इसलिए नहीं सूचित किया जाए कि ऐसा सूचित करने से सार्वजनिक हित संबंधी लाभ से अधिक प्रतिकूल परिणाम होने की संभावना होगी.

अन्य मामले

(i) हमने एक सहायक कंपनी और एक संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम के वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी में ऐसे आंकड़ें दर्शाए गए हैं जिनको समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है जैसे 31 मार्च, 2021 को ₹ 72,920.68 दशलक्ष की कुल आस्तियां, ₹ 33,986.30 दशलक्ष का कुल राजस्व और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 0.04 दशलक्ष की रकम का निवल नकदी अंतर्वाह. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं, एक संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम के संबंध में, जिसके वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा हमने नहीं की, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 0.52 दशलक्ष की निवल हानि का समूह का ऐसा हिस्सा जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है. इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा, अन्य लेखा परीक्षकों ने की है जिनकी रिपोर्ट, प्रबंधन ने हमें दी है और जहां तक सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों के बारे में सम्मिलित रकम और प्रकटन का संबंध है समेकित वित्तीय विवरणों पर और जहां तक उक्त सहायक और संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों के बारे में अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट पर हमारी राय, सिर्फ़ अन्य लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों पर आधारित है.

(ii) विवरण में समाविष्ट 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा, पूर्ववर्ती लेखा परीक्षकों ने की और उस बारे में रिपोर्ट पेश किया, जिन्होंने अपनी दिनांक 9 जून, 2020 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए असंशोधित राय व्यक्त की है जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है और हमने, विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से इस पर भरोसा किया है.

नीचे उल्लिखित समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट में, उक्त (i) और (ii) के संबंध में रूपांतरण नहीं किया गया है.

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

(1) नियंत्रक कंपनी के रेकॉर्डों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के बलबूते पर, हम, कंपनी अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर यहां नीचे अपनी रिपोर्ट देते हैं:

क) कंपनी, SAP नामक आईटी सिस्टम के जरिए लेखा संबंधी तमाम लेन-देन करती है. की गईं लेखा परीक्षा संबंधी कार्यविधियों के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईटी सिस्टम के बाहर कोई लेखा संबंधी लेन-देन नहीं किया गया इसलिए लेखों की शुद्धता को प्रभावित करने वाले कोई वित्तीय लेन-देन नहीं हैं.

ख) की गईं लेखा परीक्षा संबंधी कार्यविधियों के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, मौजूदा ऋण का पुनर्निर्माण नहीं किया गया है न ही कंपनी की ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण कंपनी को उधारदाता द्वारा किए गए कर्जों/ऋणों/ब्याज आदि का अधित्यजन/बट्टे खाते लिखने का कोई मामला है.

ग) की गईं लेखा परीक्षा संबंधी कार्यविधियों के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, राज्य सरकार से प्राप्त ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में सरकारी अनुदान को ठीक तरह से लेखाबद्ध कर उनको नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है. MEIS स्क्रिप्स के रूप में सहायक कंपनी से प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकारी अनुदान को नियमों और शर्तों के अनुसार ठीक तरह से लेखाबद्ध किया गया है.

सहायक कंपनी के मामले में, इस संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं की गई हैं संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम के मामले में संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुसार कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं.

(2) अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम उस हद तक रिपोर्ट करते हैं जो हमें लागू हो:

क) हमने ऐसी तमाम जानकारी और स्पष्टीकरण मांग कर प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, उक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे.

ख) हमारी राय में, इन बहियों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी परीक्षा से लगता है कि कंपनी ने उक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कानून द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियां ठीक तरह से रखी हैं.

ग) इस रिपोर्ट में समाविष्ट किए गए समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरण(अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन दर्शाने वाला समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन से रखी गईं संबंधित लेखा बहियों के अनुरूप हैं.

घ) हमारी राय में, उक्त स्वतंत्र समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05-06-2015 की अधिसूचना सं. GSR 463(E) के अनुसार, अधिनियम की धारा 164(2) के अधीन उल्लिखित निदेशकों की अनर्हता, नियंत्रक कंपनी और सहायक कंपनी के लिए लागू नहीं होती है क्योंकि ये सरकारी कंपनियां हैं.

संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम के निदेशकों से 31 मार्च, 2021 को प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर, जिसे नियंत्रक कंपनी के निदेशक मंडल ने स्वीकार किया और भारत निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम के लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम के निदेशकों में से किसी को भी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च, 2021 को नियुक्त करने से अनर्ह घोषित नहीं किया गया है.

च) समूह और भारत में निगमित उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम के वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की पर्याप्तता और इन नियंत्रकों की प्रचालन प्रभाविता के संबंध में " **अनुबंध अ** " में अलग रूप से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें. सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम के संबंध में अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को स्वीकार किया गया है.

छ) नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार, निदेशकों को प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित धारा 197 के प्रावधान, सरकारी कंपनी के लिए इसलिए लागू नहीं होते हैं कि वे सरकारी कंपनियां हैं.

ज) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सम्मिलित करने के लिए अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(I) समेकित वित्तीय विवरणों में समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम की समेकित वित्तीय स्थिति के संबंध में 31 मार्च, 2021 तक लंबित कानूनी मामलों का प्रभाव प्रकट किया गया है - देखें समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.46.

(II) समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घावधि ठेके नहीं हैं जिसके कारण किसी प्रकार की महत्वपूर्ण हानि का पूर्वाभास हो और

(iii) नियंत्रक कंपनी, उसकी सहायक कंपनी और भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम ने निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित करने के लिए अपेक्षित रकम का हस्तांतरण करने में कोई विलंब नहीं किया है.

कृते संकर एण्ड मूर्ती
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003575S

हस्ता/-
सीए जयप्रकेश एम सी
साझेदार
सदस्यता सं. 215562

स्थान : कण्णूर
दिनांक : 17 मई 2021
UDIN : 21215562AAAACZ4968

कृते राम राज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार फर्म
पंजीकरण संख्या: 002839S

हस्ता/-
सीए जी वेंकटेश्वर राव
साझेदार
सदस्यता सं. 024182

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 17 मई, 2021
UDIN: 21024182AAAACS9498

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध - अ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के मेसर्स मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम दिनांक की रिपोर्ट के शीर्षक '' अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट '' के अधीन परिच्छेद 3(ङ) में निर्दिष्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ("the Act") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर रिपोर्ट

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके आगे '' नियंत्रक कंपनी '' कहा गया है) और उसकी सहायक कंपनी **ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड** एवं उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम, **शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्वीसेस लिमिटेड** (नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी जिसे एक साथ '' समूह '' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), जो 31 मार्च, 2021 को भारत में निगमित कंपनियां हैं, के समेकित विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ, हमने उस तारीख को समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा की.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारी

नियंत्रक कंपनी, उसकी सहायक कंपनी और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम के, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है कि वह, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('ICAI') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा के बारे में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा बनाए गए वित्तीय विवरण संबंधी रिपोर्टिंग मापदंडों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रक स्थापित कर बनाए रखे. इन जिम्मेदारियों में शामिल हैं, कंपनी अधिनियम 2013 का अधीन अपेक्षानुसार प्रभावशाली ढंग से काम करते रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों का डिज़ाइन बनाना, उनका कार्यान्वियन और अनुरक्षण करना जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी की संबंधित नीतियों का अनुपालन किया जाता है, उसकी आस्तियों की हिफ़ाज़त की जाती है, धोखाधड़ी और गलतियां होने से रोका जाता है और उनका पता लगाया जाता है, लेखा संबंधी अभिलेखों की यथातथ्यता और परिपूर्णता बरकरार रखी जाती है और भरोसेमंद वित्तीय प्रकटन की वक्त पर तैयारी करने सहित कारोबार को व्यवस्थित ढंग से और दक्षता से चलाया जाता है.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, भारत में निगमित कंपनियां होने के नाते नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी एवं उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम के इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर राय व्यक्त करने तक सीमित है. हमने अपनी लेखा परीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा से संबंधित मानकों पर मार्गदर्शन नोट (the"Guidance Note") और ICAI द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित मान लिए गए लेखा परीक्षा मानक के अनुसार, उस हद तक की जो समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा के लिए लागू होते हैं. इन मानकों और मार्गदर्शन नोट में अपेक्षा की गई है कि हम, नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा करते हुए इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रक स्थापित किए गए हैं और बनाए रखे गए हैं तथा ऐसे नियंत्रक, सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं.

हमारी लेखा परीक्षा के दौरान ऐसी कार्यविधियां अपनाई गईं जिससे इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभाविता के बारे में लेखा परीक्षा के जरिए सबूत प्राप्त किया जा सके. समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की हमारी लेखा परीक्षा में शामिल था, इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों को समझना, ख़ास कमजोरी में निहित जोखिम का निर्धारण करना तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और प्रचालन प्रभाविता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना. चुनी गईं कार्यविधियां, चाहे धोखाधडी के कारण हों या गलती के कारण, समेकित वित्तीय विवरणों में दी गई महत्वपूर्ण गलत बयान के जोखिम का निर्धारण करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं.

हम मानते हैं कि हमने, भारत में निगमित कंपनियां होने के नाते कंपनी और उसकी सहायक कंपनी एवं उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम के इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में, अन्य मामलों के संबंध में नीचे उल्लिखित '' अन्य मामले '' परिच्छेद में निर्दिष्ट उनकी रिपोर्टों के अनुसार अन्य लेखा परीक्षकों से मिले लेखा परीक्षा संबंधी सबूत, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय व्यक्त करने के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार है.

इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों का अर्थ

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन दिलाने और बाह्य प्रयोजनों के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की

दृष्टि से बनाया गया है. इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों में ऐसी नीतियां और कार्यविधियां शामिल हैं जो

(1) ऐसे रेकॉर्ड रखने से संबंधित है जो उचित ब्यौरे के साथ कंपनी के लेन-देनों और कंपनी की आस्तियों के निपटान का सही एवं निष्पक्ष चित्रण पेश कर सके.

(2) ऐसा उचित आश्वासन दिलाए कि लेन-देनों के यथा आवश्यक रेकॉर्ड रखे जाते हैं जिससे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति मिले और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय, प्रबंधन एवं कंपनी निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जाते हैं; और

(3) कंपनी की उन आस्तियों के, अनधिकृत अधिग्रहण की रोकथाम करने अथवा उसका वक्त पर पता लगाने के बारे में, जिसका समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण असर पड़े, उचित आश्वासन दिलाए.

इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों में अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के परे अनुचित सांठगांठ अथवा प्रबंधन, ऐसी गलती अथवा धोखाधड़ी के कारण, जिसका पता न लगाया जाए, महत्वपूर्ण गलत बयान की संभावना सहित इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्टिंग की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण. साथ ही, भावी अवधियों से संबंधित इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों के मूल्यांकन पर आधारित प्रक्षेपण में जोखिम की ऐसी संभावना होती है कि इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रक, स्थितियों में परिवर्तन अथवा नीतियों का अनुपालन करने की मात्रा अथवा कार्यविधियों की अवनति के कारण पर्याप्त न लगे.

राय

हमारी राय में, हमें मिली जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारत में निगमित कंपनियां होने के नाते नियंत्रक कंपनी, उसकी सहायक कंपनी और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में, इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाई हैं और इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, 31 मार्च, 2021 को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनियों द्वारा बनाई गई वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रक के आधार पर प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं.

अन्य मामले

हमने, सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा नहीं की. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा, अन्य लेखा परीक्षकों ने की है जिनकी रिपोर्ट, प्रबंधन ने हमें दी है और जहां तक सहायक और संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम के बारे में सम्मिलित जानकारी का संबंध है, इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर समेकित रिपोर्ट और उक्त सहायक और संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम के बारे में अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) के खंड 1 के अनुसार हमारी रिपोर्ट पर हमारी राय, सिर्फ़ अन्य लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों पर आधारित है.

उक्त मामले में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

कृते संकर एण्ड मूर्ती
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003575S

हस्ता/-
सीए जयप्रकेश एम सी
साझेदार
सदस्यता सं. 215562

स्थान : कण्णूर
दिनांक : 17 मई 2021
UDIN : 21215562AAAACZ4968

कृते राम राज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार फर्म
पंजीकरण संख्या: 002839S

हस्ता/-
सीए जी वेंकटेश्वर राव
साझेदार
सदस्यता सं. 024182

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 17 मई, 2021
UDIN: 21024182AAAACS9498

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष में इक्विटी में परिवर्तन दर्शाने वाला समेकित विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

अ इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	रकम
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	**17,526.64**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**17,526.64**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2021 को शेषराशि	**17,526.64**

आ अन्य इक्विटी

विवरण	मानी गई इक्विटी	आरक्षित निधि और अधिशेष							OCI की मदें	मूल कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण	गैर-नियंत्रक हित	कुल
		सामान्य आरक्षित निधि	पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम	पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	पूंजीगत आरक्षित निधि	प्रतिधारित अर्जन	अन्य आरक्षित निधि	नकदी प्रवाह बचाव आरक्षित निधि			
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	42.17	1,192.00	91.86	3,466.45	228.94	0.07	76,909.40	-	0.24	81,931.13	3,001.36	84,932.49
वर्ष का कर उपरांत लाभ/(हानि)	-	-	-	-	-	-	(33,546.31)	-	-	(33,546.31)	(6,878.86)	(40,425.17)
वर्ष की अन्य व्यापक आय, निवल आय कर	-	-	-	-	-	-	(86.96)	-	(0.61)	(87.57)	(1.34)	(88.91)
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(33,633.27)**	**-**	**(0.61)**	**(33,633.88)**	**(6,880.20)**	**(40,514.08)**
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(अंतरण)	1.89	-	-	(2.55)	-	-		-	-	(0.66)	2,447.46	2,446.80
पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि में अंतरण	-	-	-	-	(228.94)	-	116.76	-	-	(112.18)	112.18	-
लाभांश का भुगतान	-	-	-	-	-	-	(1,752.60)	-	-	(1,752.60)	-	(1,752.60)
लाभांश पर कर	-	-	-	-	-	-	(360.25)	-	-	(360.25)	-	(360.25)
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**44.06**	**1,192.00**	**91.86**	**3,463.90**	**-**	**0.07**	**41,280.04**	**-**	**(0.37)**	**46,071.56**	**(1,319.20)**	**44,752.36**
वर्ष का कर उपरांत लाभ/लाभ/(हानि)	-	-	-	-	-	-	(5,675.13)	-	-	(5,675.13)	(1,974.54)	(7,649.67)
वर्ष की अन्य व्यापक आय, निवल आय कर	-	-	-	-	-	-	20.51	-	0.37	20.88	-	20.88
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(5,654.62)**		**0.37**	**(5,654.25)**	**(1,974.54)**	**(7,628.79)**
गैर-नियंत्रक हित से खरीदे गए शेयरों का प्रभाव	-	-	-	-	-	-		(15,462.94)	-	(15,462.94)	3,293.74	(12,169.20)
31 मार्च, 2021 को शेषराशि	**44.06**	**1,192.00**	**91.86**	**3,463.90**	**-**	**0.07**	**35,625.42**	**(15,462.94)**	**-**	**24,954.37**	**-**	**24,954.37**

* पुन: कथित: देखें टिप्पणी सं.50

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राम राज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 002839S
हस्ता/-
सीए जी वेंकटेश्वर राव
साझेदार
सदस्यता सं. 024182
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:
17/05/2021

कृते संकर एण्ड मूर्ती
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003575S

हस्ता/-
सीए जयप्रकेश एमसी
साझेदार
सदस्यता सं. 215562

कृते बोर्ड व उसकी तरफ से
हस्ता/-
एम वेंकटेश
प्रबंध निदेशक
DIN: 07025342
हस्ता/-
पोमिला जसपाल
निदेशक (वित्त)
DIN: 08436633
हस्ता/-
के.बी. श्याम कुमार
कंपनी सचिव

फार्म AOC-1
सहायक/सहबद्ध/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण के वैशिष्ट्य दर्शाने वाला 31.03.2021 तक का विवरण

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के पहले परंतुक का अनुसरण करते हुए) सहायक/सहबद्ध/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण के वैशिष्ट्य दर्शाने वाला विवरण

भाग " अ ": सहायक

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

				यथा 31/03/2021						31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष (1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च, 2021)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
क्रम सं.	सहायक कंपनी का नाम (भारतीय कंपनी)	सहायक कंपनी का कब अधिग्रहण किया गया	सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि	रिपोर्ट किस मुद्रा में है और विनिमय दर क्या है	शेयर पूंजी	आरक्षित निधि और अधिशेष	कुल आस्तियां	कुल देयताएं	निवेश के ब्यौरे*	कुल कारोबार	कराधान पूर्व लाभ/(हानि)	कराधान के लिए प्रावधान	कराधान उपरांत लाभ/(हानि)	कुल व्यापक आय	प्रस्तावित लाभांश	शेयरधारण का %
1	ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	28 फरवरी, 2015	1.04.2020 से 31.03.2021	भारतीय रुपए	25,442.91	(32,709.92)	72,920.68	80,187.69	4.80	33,744.18	(5,148.72)	(591.47)	(4,557.25)	(4,556.36)	-	99.99996%

.* मंगलूर एस्सईज़ड् लि. के प्रत्येक ₹10 के 480,000 इक्विटी शेयर.

1. उस सहायक कंपनी का नाम जिसने अब तक प्रचालन शुरु नहीं किया है: कुछ नहीं
2. उस सहायक कंपनी का नाम जिसका वर्ष 2020-21 के दौरान परिसमापन हुआ: कुछ नहीं

भाग '' आ '' संयुक्त उद्यम

सहबद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) का अनुसरण करते हुए विवरण

संयुक्त उद्यम का नाम	**शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड**
1. नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख	31-मार्च-21
2. संयुक्त उद्यम का अधिग्रहण कब किया गया	11 मार्च, 2008
3. वर्षांत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यमों के शेयर	
i. संख्या (दशलक्ष में)	15
ii. संयुक्त उद्यम में निवेश की रकम **(₹ दशलक्ष में)**	150.00
iii. धारण की मात्रा (प्रतिशत में)	50%
4. उल्लेखनीय प्रभाव किस तरह से पड़ा है	धारण का प्रतिशत
5. संयुक्त उद्यम का समेकन क्यों नहीं हुआ है	लागू नहीं
6. नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयर धारण में निवल मालियत का अंश (` **दशलक्ष में)**	253.30
7. वर्ष का लाभ अथवा हानि	
i. क्या समेकन करते समय विचार किया गया **(₹ दशलक्ष में)**	4.01
ii. क्या समेकन करते समय विचार नहीं किया गया	

1. उन संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्होंने अब तक प्रचालन शुरु नहीं किया गया है: कुछ नहीं
2. उन संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका वर्ष 2020-21 के दौरान परिसमापन हुआ या जिनको बेचा गया: कुछ नहीं

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राम राज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 002839S

हस्ता/-
सीए जी वेंकटेश्वर राव
साझेदार
सदस्यता सं. 024182

कृते संकर एण्ड मूर्ती
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003575S

हस्ता/-
सीए जयप्रकेश एमसी
साझेदार
सदस्यता सं. 215562

कृते बोर्ड व उसकी तरफ से

हस्ता/-
एम वेंकटेश
प्रबंध निदेशक
DIN: 07025342

हस्ता/-
पोमिला जसपाल
निदेशक (वित्त)
DIN: 08436633

हस्ता/-
के.बी. श्याम कुमार
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17/05/2021

अनुसूची-III 31 मार्च, 2021 को समेकित वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त प्रकटन

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

उद्यम का नाम	निगमन देश	निवल आस्ति (अर्थात्. कुल देयताएं घटाने के बाद कुल आस्तियां)		लाभ अथवा हानि में अंश		अन्य व्यापक आय में अंश		कुल व्यापक आय में अंश	
		समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में आस्तियां	रकम	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	रकम	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	रकम	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	रकम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मूल कंपनी **मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड**	भारत	116.51%	49,494.72	40.48%	(3,096.42)	95.69%	19.98	40.33%	(3,076.44)
सहायक कंपनी **भारतीय** ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL)	भारत	-17.11%	(7,267.01)	33.76%	(2,582.71)	4.26%	0.89	33.84%	(2,581.82)
सहायक कंपनी में गैर-नियंत्रक हित		0.00%	-	25.81%	(1,974.54)	0.00%	-	25.88%	(1,974.54)
संयुक्त उद्यम उद्यम भारतीय शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	भारत	0.60%	253.30	-0.05%	4.00	0.05%	0.01	-0.05%	4.01
निवल		**100.00%**	**42,481.01**	**100.00%**	**(7,649.67)**	**100.00%**	**20.88**	**100.00%**	**(7,628.79)**

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राम राज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 002839S

हस्ता/-
सीए जी वेंकटेश्वर राव
साझेदार
सदस्यता सं. 024182

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17/05/2021

कृते संकर एण्ड मूर्ती
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003575S

हस्ता/-
सीए जयप्रकेश एमसी
साझेदार
सदस्यता सं. 215562

कृते बोर्ड व उसकी तरफ से

हस्ता/-
एम वेंकटेश
प्रबंध निदेशक
DIN: 07025342

हस्ता/-
पोमिला जसपाल
निदेशक (वित्त)
DIN: 08436633

हस्ता/-
के.बी. श्याम कुमार
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2021 तक का समेकित तुलन पत्र

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

	विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020 *
	आस्तियां			
I	**गैर-चालू आस्तियां**			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	5	184,347.89	192,416.93
	(ख) आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार	6	7,680.07	7,948.52
	(ग) प्रगति में पूंजीगत कार्य	7	23,662.40	17,459.49
	(घ) निवेश संपत्ति	8	77.96	77.96
	(ङ) सुनाम (समेकन पर सुनाम सहित)	9	3,772.78	3,772.78
	(च) अन्य अगोचर आस्तियां	10	85.73	97.93
	(छ) वित्तीय आस्तियां			
	(i) निवेश	11	254.94	292.95
	(ii) ऋण	12	1,254.80	1,151.03
	(iii) अन्य वित्तीय आस्तियां	13	275.52	198.57
	(ज) गैर-चालू कर आस्तियां (निवल)	14	1,636.56	1,636.54
	(झ) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	26	13,775.45	12,247.09
	(ञ) अन्य गैर-चालू आस्तियां	15	8,170.56	8,722.48
	कुल गैर चालू आस्तियां (I)		**244,994.66**	**246,022.27**
II	**चालू आस्तियां**			
	(क) स्टॉक	16	71,028.01	42,322.21
	(ख) वित्तीय आस्तियां	17	24,506.71	10,171.72
	(i) प्राप्य व्यापार राशियां	18	258.25	18.00
	(ii) नकद और नकदी समतुल्य	19	262.61	262.15
	(iii) उक्त (ii) से भिन्न बैंक शेषराशियां	12	158.28	133.19
	(iv) ऋण	13	6.12	6.56
	(v) अन्य वित्तीय आस्तियां	14	1,884.36	1,983.14
	(ग) चालू कर आस्तियां (निवल)	15	4,195.21	4,734.12
	(घ) अन्य चालू आस्तियां			
	कुल चालू आस्तियां (II)		**102,299.55**	**59,631.09**
	कुल आस्तियां (I+II)		**347,294.21**	**305,653.36**
	इक्विटी और देयताएं			
I	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	20	17,526.64	17,526.64
	(ख) अन्य इक्विटी	21	24,954.37	46,071.56
	(ग) गैर-नियंत्रक हित	22	-	(1,319.20)
	कुल इक्विटी (I)		**42,481.01**	**62,279.00**
II	**देयताएं**			
	गैर-चालू देयताएं			
	(क) वित्तीय देयताएं	23	156,993.17	132,259.33
	(i) उधार	24	2,071.78	2,130.68
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	25	1,360.45	1,118.80
	(ख) प्रावधान	28	3,448.43	3,596.15
	(ग) अन्य गैर चालू देयताएं			
	कुल गैर-चालू देयताएं (II)		**163,873.83**	**139,104.96**
III	**चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधार	23	70,528.20	35,254.97
	(ii) देय व्यापार राशियां	27		
	- सूक्ष्म प्रतिष्ठानों और लघु प्रतिष्ठानों की कुल बकाया देयताएं		316.43	368.83
	- सूक्ष्म प्रतिष्ठानों और लघु प्रतिष्ठानों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं		39,714.88	32.396.50
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	24	20,831.62	25,637.43
	(ख) अन्य चालू देयताएं	28	4,009.32	8,790.50
	(ग) प्रावधान	25	5,538.92	1,821.17
	कुल चालू देयताएं (III)		**140,939.37**	**104,269.40**
IV	**कुल देयताएं (II+III)**		**304,813.20**	**243,374.36**
	कुल इक्विटी और देयताएं (I+IV)		**347,294.21**	**305,653.36**

*** पुन: कथित: देखें टिप्पणी सं.50**
समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें (1-59)
हमारी संलग्न सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

कृते राम राज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 002839S
हस्ता/-
सीए जी वेंकटेश्वर राव
साझेदार
सदस्यता सं. 024182
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17/05/2021

कृते संकर एण्ड मूर्ती
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003575S
हस्ता/-
सीए जयप्रकेश एमसी
साझेदार
सदस्यता सं. 215562

हस्ता/-
एम वेंकटेश
प्रबंध निदेशक
DIN: 07025342

हस्ता/-
पोमिला जसपाल
निदेशक (वित्त)
DIN: 08436633

हस्ता/-
के. बी. श्याम कुमार
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ-हानि विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

विवरण		टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष *
I.	परिचालन से राजस्व	29	508,952.32	599,800.04
II.	अन्य आय	30	968.67	820.11
III	**कुल आय (I + II)**		**509,920.99**	**600,620.15**
IV.	**खर्च:**			
	खपाई गई सामग्री की लागत	31	291,601.45	461,666.18
	व्यापार में स्टॉक की खरीदारी	32	11,931.73	33,520.79
	तैयार माल और प्रक्रिया में स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन	33	(12,543.81)	12,596.25
	वस्तुओं की बिक्री पर उत्पाद शुल्क		188,367.81	97,496.06
	कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	34	5,761.55	5,004.30
	वित्त लागत	35	5,544.72	12,463.76
	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	36	11,580.35	10,857.91
	अन्य खर्च	37	16,865.90	21,062.80
	कुल खर्च (IV)		**519,109.70**	**654,668.05**
V.	**अपवादात्मक मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**		**(9,188.71)**	**(54,047.90)**
VI.	अपवादात्मक मदें (आय)/खर्च (निवल)		-	-
VII.	**संयुक्त उद्यम के लाभ का अंश**		**(0.52)**	**11.82**
VIII.	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V- VI+VII)**		**(9,189.23)**	**(54,036.08)**
IX.	कर संबंधी खर्च:			
	(1) वर्तमान कर	38		
	- चालू वर्ष		(10.86)	1,037.36
	- पूर्व वर्ष	26	(1,528.70)	(14,648.27)
	(2) आस्थगित कर			
	कर संबंधी कुल खर्च (IX)		(1,539.56)	(13,610.91)
X.	**वर्ष का लाभ/(हानि) (VIII-IX)**		**(7,649.67)**	**(40,425.17)**
XI.	**अन्य व्यापक आय**			
	ऐसी मद जिनका लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा			
	(i) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन		31.59	(135.77)
	(ii) उक्त से संबंधित आय कर	38	(11.08)	47.47
	ऐसी मद जिनका लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण किया जाएगा			
	(i) नकदी प्रभाव बचाव में बचाव लिखतों पर प्राप्त अभिलाभ (हानियों) का प्रभावी अंश	38	0.50	(0.82)
	(ii) उक्त से संबंधित आय कर		(0.13)	0.21
	कुल अन्य व्यापक आय (XI)		**20.88**	**(88.91)**
XII.	**वर्ष की कुल व्यापक आय (X+XI)**		**(7,628.79)**	**(40,514.08)**
XIII.	**इनके कारण वर्ष का लाभ /(हानि)**			
	कंपनी के मालिक		(5,675.13)	(33,546.31)
	गैर-नियंत्रक हित		(1,974.54)	(6,878.86)
XIV.	**इनके कारण वर्ष की अन्य व्यापक आय**			
	कंपनी के मालिक		20.88	(87.57)
	गैर-नियंत्रक हित		-	(1.34)
XV.	**इनके कारण वर्ष की कुल व्यापक आय**			
	कंपनी के मालिक		(5,654.25)	(33,633.88)
	गैर-नियंत्रक हित		(1,974.54)	(6,880.20)
XVI.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:	39		
	(1) मूल (₹ में)		(3.24)	(19.14)
	(2) आंशिक (₹ में)		(3.24)	(19.14)

*** पुन: कथित: देखें टिप्पणी सं.50**
समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें (1-59)
हमारी संलग्न सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते बोर्ड और उसकी ओर से

कृते राम राज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 002839S

हस्ता/-
सीए जी वेंकटेश्वर राव
साझेदार
सदस्यता सं. 024182

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17/05/2021

कृते संकर एण्ड मूर्ती
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003575S

हस्ता/-
सीए जयप्रकेश एमसी
साझेदार
सदस्यता सं. 215562

हस्ता/-
एम वेंकटेश
प्रबंध निदेशक
DIN: 07025342

हस्ता/-
पोमिला जसपाल
निदेशक (वित्त)
DIN: 08436633

हस्ता/-
के. बी. श्याम कुमार
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

	विवरण		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020*
अ	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
	कर उपरांत लाभ/(हानि)		**(7,649.67)**	**(40,425.17)**
	इनके लिए समायोजन:			
	कर संबंधी खर्च		(1,539.56)	(13,610.91)
	संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) का अंश		0.52	(11.82)
	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च		11,580.35	10,857.91
	संपत्ति,संयंत्र और उपकरण(निवल) की बिक्री से हानि/(लाभ)		71.63	127.92
	प्रतिलेखित, अब ज़रूरी न पड़ने वाली देयता / प्रावधान		(291.87)	(127.54)
	संदिग्ध प्राप्य व्यापार राशियों/बेकार पड़े स्टॉक में क्षति		12.82	168.31
	बट्टे खाते डाली गईं संदिग्ध प्राप्य व्यापार राशियां / अग्रिम / जमाराशियां		3.81	-
	विनिमय में घट-बढ़ (निवल)		(1,473.99)	5,638.51
	वित्त लागत		5,544.72	12,463.76
	ब्याज आय		(180.32)	(275.82)
	लाभांश आय		(4.00)	(14.03)
	पूर्व भुगतान का परिशोधन		6.75	6.68
	आस्थगित सरकारी अनुदान का परिशोधन		(196.60)	(187.94)
	अन्य		74.53	(82.57)
			5,959.12	**(25,472.71)**
	कार्यकारी पूंजी में चलन :			
	- प्राप्य व्यापार और अन्य राशियों में (वृद्धि)/अवनति		(14,248.17)	13,383.98
	- ऋणों में (वृद्धि)/अवनति		(127.30)	(220.41)
	- अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/अवनति		752.86	7,420.49
	- स्टॉक में (वृद्धि)/अवनति		(28,659.65)	20,752.61
	- प्राप्य व्यापार और अन्य देयताओं में वृद्धि/(अवनति)		8,195.24	(12,114.19)
	प्रचालन से उत्पन्न नकद		**(28,127.90)**	**3,749.77**
	प्रदत्त आय कर, निवल धन वापसी		107.89	(862.07)
	प्रचालन से उत्पन्न / (इस्तेमाल किया गया) निवल नकद	(क)	**(28,020.01)**	**2,887.70**
आ	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रति भुगतान		(9,140.02)	(14,938.22)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से प्राप्तियां		1.32	5.74
	प्राप्त ब्याज		283.12	442.70
	संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश		37.50	6.00
	म्यूचुअल फंड में निवेश से प्राप्त लाभांश		4.00	14.03
	सहायक कंपनी में निवेश		(12,169.20)	-
	ब्याज / लाभांश आय पर प्रदत्त ब्याज		(9.13)	(16.79)
	निवेश गतिविधियों से उत्पन्न / (इस्तेमाल किया गया) निवल नकद	(ख)	**(20,992.41)**	**(14,486.54)**
इ	**वित्तपोषक गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
	शेयर पूंजी के निर्गमन से प्राप्तियां		-	2,444.91
	दीर्घावधि उधार से प्राप्तियां		39,918.62	1,02,646.72
	दीर्घावधि उधार की चुकौती		(18,582.76)	(33,481.68)
	अल्पावधि उधार से प्राप्तियां/चुकौती		35,225.18	(48,011.78)
	पट्टा किराए का भुगतान (प्रधान घटक)		(77.60)	(120.58)
	पट्टा किराए का भुगतान (ब्याज घटक)		(224.17)	(157.11)
	प्रदत्त वित्त लागत		(7,006.60)	(9,637.52)
	इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त लाभांश और लाभांश वितरण कर		-	(2,112.85)
	वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न / (इस्तेमाल किया गया) निवल नकद	(ग)	**49,252.67**	**11,570.11**
	नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/ (अवनति)	(क+ख+ग)	**240.25**	**(28.73)**
	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकदी समतुल्य		18.00	46.73
	वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य		258.25	18.00
	नकद और नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन (अंतिम - प्रारंभिक)		**240.25**	**(28.73)**

1 उक्त नकदी प्रवाह विवरण, Ind AS 7 '' नकदी प्रवाह विवरण '' में यथा निर्दिष्ट '' परोक्ष पद्धति '' के अधीन तैयार किया गया है.

2कोष्ठकों में नकदी बहिर्वाह/कटौती दर्शाया गया है * **पुन: कथित: देखें टिप्पणी सं.50**

समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें (1-59)

हमारी संलग्न सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते बोर्ड और उसकी ओर से

कृते राम राज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 002839S

हस्ता/-
सीए जी वेंकटेश्वर राव
साझेदार
सदस्यता सं. 024182

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17/05/2021

कृते संकर एण्ड मूर्ती
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003575S

हस्ता/-
सीए जयप्रकेश एमसी
साझेदार
सदस्यता सं. 215562

हस्ता/-
एम वेंकटेश
प्रबंध निदेशक
DIN: 07025342

हस्ता/-
पोमिला जसपाल
निदेशक (वित्त)
DIN: 08436633

हस्ता/-
के. बी. श्याम कुमार
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

1. कंपनी के बारे में जानकारी

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ('MRPL' अथवा 'the Company') एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो भारत में स्थित और निगमित है जिसका पंजीकृत कार्यालय मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर, कर्नाटक - 575030 में है. कंपनी के इक्विटी शेयर, बीएसई लिमिटेड और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जैसे शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं और शेयरों का इन शेयर बाजारों में व्यापार होता है. कंपनी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी है जिसके पास 71.63% इक्विटी शेयर हैं.

कंपनी और उसकी सहायक कंपनी (जिसे संयुक्त रूप से "the Group" कहा गया है) और संयुक्त उद्यम, प्रमुख रूप से क्रूड तेल का परिष्करण करने का कारोबार, पेट्रोकेमिकल कारोबार, विमानन ईंधनों का व्यापार और रीटेल केंद्रों और परिवहन टर्मिनल के जरिए पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण करते हैं.

2. नए और संशोधित भारतीय लेखा मानक का प्रयोग

समेकित वित्तीय विवरणों को प्राधिकृत करने तक, ये समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी और अधिसूचित सभी भारतीय लेखा मानकों पर विचार किया गया है.

रिपोर्ट करने की तारीख को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने कोई नया भारतीय लेखा मानक (Ind AS) जारी नहीं किया था जो 1 अप्रैल, 2021 से लागू हो.

3. उल्लेखनीय समूह की लेखा नीतियां

3.1. अनुपालन का बयान

" ये समेकित वित्तीय विवरण, समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन यथा निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (जिसे "Ind AS" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) और वित्तीय विवरणों के लिए यथा लागू कंपनी अधिनियम (Ind AS के अनुरूप अनुसूची III) की अनुसूची III के प्रभाग II की प्रस्तुतीकरण संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. "

3.2. तैयार करने का आधार

जैसे कि नीचे दी गईं लेखा संबंधी नीतियों में स्पष्ट किया गया है, वित्तीय विवरण, उन वित्तीय विवरणों को छोड़कर जो प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में उचित मूल्य/परिशोधित लागत/निवल वर्तमान मूल्य पर मापे जाते हैं, ऐतिहासिक लागत सिद्धांत के आधार पर तैयार किए गए हैं.

समूह ने Ind AS को अपनाया और यह कार्य, Ind AS 101 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान किया गया (भारतीय लेखा मानक को पहली बार अपनाया गया). Ind AS ने कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत यथा निर्धारित " पूर्व GAAP " के स्थान पर यह रूपांतरण, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार किया गया (भारतीय GAAP).

ऐतिहासिक लागत, आम तौर पर, वस्तुओं और सेवाओं के बदले दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर निर्धारित की जाती है.

तमाम आस्तियों और देयताओं का, समूह के सामान्य प्रचालन चक्र के अनुसार और Ind AS – 1 " वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण " और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट अन्य मापदंडों के आधार पर चालू अथवा गैर चालू के रूप में वर्गीकरण किया गया है

समेकित वित्तीय विवरण, भारतीय रुपयों में दर्शाए गए हैं और सारे मूल्यों को, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, निकटतम दो दशमलव दशलक्ष में पूर्णांकित किया गया है.

उचित मूल्य मापना.

उचित मूल्य, ऐसी कीमत होती है कि जो आस्ति बेचने पर प्राप्त होगी अथवा जिसे चालू बाजार स्थितियों में मापन दिनांक को बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेन-देन करते समय देयता का अंतरण करने के लिए अदा किया जाएगा.

समूह, मापन करते समय नियोजित निविष्टियों पर नज़र रखने की क्षमता के आधार पर उचित मूल्य पर मापी गईं आस्तियों और देयताओं का तीन स्तरों में वर्गीकरण करता है जिनका वर्णन यहां नीचे किया गया है:

(क) स्तर 1 की निविष्टियां, एक ही तरह की आस्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में कोट की गईं कीमतों (असमायोजित) के समान होती हैं.

(ख) स्तर 2 की निविष्टियां, आस्तियों अथवा देयताओं के लिए स्तर 1 के अंदर समाविष्ट कोट की गईं कीमतों से भिन्न होती हैं जिन पर, यातो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से नज़र रखना सुसाध्य होगा.

(ग) स्तर 3 की निविष्टियां, नज़र रखने लायक संबंधित बाजार के आंकड़ों अथवा बाजार के सहभागियों द्वारा कीमत निर्धारण के बारे में समूह की पूर्व धारणाओं में उल्लेखनीय आशोधन परिलक्षित करने वाली आस्ति या देयता से संबंधित नजर न रखने लायक निविष्टियां होती हैं.

3.3. समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों (जिसे संयुक्त रूप से " समूह " के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के वित्तीय विवरण समाविष्ट किए जाते हैं. कंपनी ने संयुक्त उद्यमों में निवेश किया है जिनको इन समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए लेखाबद्ध किया जाता है. समेकित वित्तीय विवरणों में, संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश की लेखा संबंधी नीति के बारे में जानने के लिए देखें टिप्पणी 3.6.

सहायक कंपनियां, ऐसी कंपनियां होती हैं जो कंपनी द्वारा नियंत्रित की जाती हैं. कंपनी, उद्यम को तब नियंत्रित करती है जब उसका एक्सपोशर बढ़ जाए अथवा उद्यम के साथ उसकी भागीदारी से विभिन्न प्रतिफल पर उसका अधिकार हो और उद्यम की संबंधित गतिविधियों को दिशा देने के उसके अधिकार के जरिए उन प्रतिफलों को प्रभावित करने की क्षमता हो. सहायक कंपनियों का उनकी अधिग्रहण तारीख से समेकन किया जाता है जब कि यह वह तारीख होती है जब कंपनी, अपना नियंत्रण प्राप्त करे और ऐसा नियंत्रण समाप्त होने तक समेकित बने रहे.

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय एक समान लेन-देनों और इसी प्रकार की परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एक समान लेखा नीतियां निरंतर रूप से अपनाई गई हैं और ये विवरण, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, जहां तक हो सके, उसी तरीके से पेश की गई हैं जैसे कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरण बनाए गए हैं. जब कभी ज़रूरत लगी, सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में समायोजन किया गया है जिससे कि उल्लेखनीय लेखा नीतियों को समूह की लेखा नीतियों के अनुरूप ढाला जा सके.

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों का, पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर, अंतरा-समूह आस्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय, खर्च अंतरा-समूह लेन-देन से संबंधित नकदी प्रवाह और अप्राप्त लाभ को पूरी तरह से हटाने के बाद आस्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय, खर्च और नकदी प्रवाह जैसी मदों के बही मूल्य को एक साथ जोड़ते हुए संयोजन किया गया है. जब तक लेन-देन में हस्तांतरित आस्ति की हानि का सबूत न मिले, न उठाई गई हानि को भी हटाया जाता है. इस तरह से हासिल न किए गए लाभ/उठाई गई हानियां, पूरी तरह से कंपनी के कारण संभव हुई हैं.

लाभ अथवा हानि और अन्य व्यापक आय के प्रत्येक घटक, कंपनी के मालिकों और गैर-नियंत्रक हितों के कारण होते हैं. कुल व्यापक आय, कंपनी के मालिकों और गैर-नियंत्रक हितों के कारण उत्पन्न होती है भले ही इससे गैर-नियंत्रक हितों में घाटा उठाना पड़े.

सहायक कंपनियों में समूह के स्वत्व हितों में उन परिवर्तनों को जिससे समूह का सहायक कंपनियों पर नियंत्रण खो न जाए, इक्विटी लेन-देन के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है. समूह के हितों और गैर-नियंत्रक हितों की रखाव रकम का समायोजन किया जाता है जिससे कि सहायक कंपनियों में उनके संबंधित हितों में परिवर्तन परिलक्षित हो सके. समायोजित गैर-नियंत्रक हितों और प्रदत्त अथवा प्राप्त प्रतिफल के उचित मूल्य के बीच कोई ऐसा अंतर जो इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से नज़र आए और जो कंपनी के मालिकों के कारण उत्पन्न हुआ हो.

जब समूह, सहायक कंपनी पर अपना नियंत्रण खो दे तब समेकित लाभ अथवा हानि विवरण में अभिलाभ अथवा हानि नज़र आती है जिसका परिकलन इनके बीच अंतर के रूप में किया जाता है (i) प्राप्त प्रतिफल का कुल उचित मूल्य और किसी प्रतिधारित हित का उचित मूल्य तथा (ii) आस्तियों (सुनाम सहित) पिछली रखाव रकम और सहायक कंपनी की देयताएं और कोई गैर-नियंत्रक हित. उस सहायक कंपनी के संबंध में अन्य व्यापक आय में इससे पहले नज़र आई समग्र रकम को इस तरह से लेखाबद्ध किया जाता है मानो समूह ने सहायक कंपनी की संबंधित आस्तियों अथवा देयताओं को प्रत्यक्ष रूप से निपटाया हो (अर्थात्. समेकित लाभ और हानि के रूप में पुनर्वर्गीकरण किया था अथवा लागू Ind AS में यथा निर्दिष्ट/अनुमत किसी दूसरी श्रेणी के इक्विटी में हस्तांतरित किया था). जिस दिन नियंत्रण खो गया हो उस दिन, पूर्व सहायक कंपनी में प्रतिधारित किसी निवेश का उचित मूल्य, Ind AS 109 के तहत बाद में लेखाबद्ध करने के लिए प्रारंभ में स्वीकार किए गए उचित मूल्य के रूप में सहबद्ध अथवा संयुक्त उद्यम में निवेश को प्रारंभ में स्वीकार करने पर लगी लागत के रूप में माना जाता है.

3.4. व्यावसायिक संयोजन

लेखाकरण की अधिग्रहण पद्धति का उपयोग, समूह द्वारा व्यावसायिक संयोजन को लेखाबद्ध करते समय किया जाता है(साझा नियंत्रण के अधीन व्यावसायिक संयोजन को छोड़कर). इस पद्धति में, अधिग्रहण करने वाले की पहचानने लायक आस्तियों, देयताओं और आकस्मिक देयताओं को, जो स्वीकार करने की शर्तें पूरी करें, अधिग्रहण दिनांक को उनके उचित मूल्यों पर दर्शाया जाता है. गैर-नियंत्रक हित का, जिस कंपनी का अभिग्रहण किया गया हो उस कंपनी की पहचानने लायक निवल आस्तियों की स्वीकार की गई रकम के उचित हिस्से पर मापन किया जाता है.

सुनाम का मापन, हस्तांतरित प्रतिफल की अतिशय रकम, जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो उस कंपनी में गैर-नियंत्रक हित की रकम और जिस कंपनी ने अधिग्रहण किया हो (अगर कोई हो तो) उसमें इससे पहले अधिग्रहण करने वाली कंपनी द्वारा धारित इक्विटी के, अधिग्रहीत पहचाने लायक आस्तियों और कल्पित देयताओं की अधिग्रहण तारीख को निवल रकम के रूप में किया जाता है.

अंतरित प्रतिफल की रकम की तुलना में पहचानने लायक आस्तियों और देयताओं के निवल उचित मूल्य में समूह के अंश से अधिक रकम, जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो उस कंपनी में गैर-नियंत्रक हित की कोई रकम और जिस कंपनी ने अधिग्रहण किया हो (अगर कोई हो तो) उसमें इससे पहले अधिग्रहण करने वाली कंपनी द्वारा धारित इक्विटी के उचित मूल्य, निवेश लागत को पुनर्निर्धारण के बाद जिस अवधि में निवेश किया गया हो उस अवधि में पूंजीगत आरक्षित निधि के रूप में इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया जाता है. व्यावसायिक संयोजन के संबंध में उठाई गई लेन-देन लागत को समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

जब व्यावसायिक संयोजन, चरणों में हासिल हो तब, जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो उस कंपनी में समूह के पूर्व में धारित इक्विटी हित का, अधिग्रहण दिनांक को उपलब्ध उचित मूल्य में पुन: मापा जाता है और अगर कोई परिणामी अभिलाभ अथवा हानि हो तो उसे लाभ-हानि में दर्शाया जाता है. अधिग्रहण दिनांक से पहले, जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो उस कंपनी में हितों से उत्पन्न उस रकम का, जिसे अन्य व्यापक आय में शामिल किया गया हो, लाभ-हानि में उस स्थिति में पुन:वर्गीकरण किया जाता है जब ऐसे हित को निपटाए जाने पर ऐसा करना उचित होता.

साझा नियंत्रण में व्यावसायिक संयोजन

साझा नियंत्रण के अधीन उद्यमों अथवा व्यवसायों समेत व्यावसायिक संयोजन एक ऐसा व्यावसायिक संयोजन होता है जिसमें संयोजित होनेवाले सभी उद्यम अथवा व्यवसाय, अंत में एक ही पक्षकार अथवा पक्षकारों, दोनों द्वारा, व्यावसायिक संयोजन से पहले और बाद में नियंत्रित किए जाते हैं और नियंत्रण, अस्थाई नहीं होता है. साझा नियंत्रण के अधीन उद्यमों के बीच लेन-देन निर्दिष्ट रूप से Ind AS 103 के परिशिष्ट इ के अधीन होते हैं और इनको समूहित ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए लेखाबद्ध किया जाता है.

- संयोजन उद्यमों की आस्तियों और देयताओं को रखाव रकम पर दर्शाया जाता है.
- उनके मूल्य दर्शाने अथवा नई आस्तियों अथवा देयताओं को दर्शाने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है. उल्लेखनीय लेखा नीतियों में समरूपता लाने के इरादे से समायोजन किए जाते हैं.
- पूर्व अवधियों के संबंध में वित्तीय विवरणों में वित्तीय जानकारी का ऐसा पुन: कथन किया जाता है मानो व्यावसायिक संयोजन, वित्तीय विवरणों में पूर्ववर्ती अवधि के प्रारंभ से हुआ है भले ही संयोजन की वास्तविक तारीख कुछ भी हो.

हस्तांतरणकर्ता के वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए प्रतिधारित अर्जन के शेषराशि का, हस्तांतरी के वित्तीय विवरणों में नजर आने वाली तदनुरूपी शेषराशि के साथ जोड़ निकाला जाता है. आरक्षित निधि की पहचान परिरक्षित की जाती है और हस्तांतरणकर्ता की आरक्षित निधि, हस्तांतरी की आरक्षित निधि बन जाती है.

निर्गमित शेयर पूंजी + नकद अथवा अन्य आस्तियों के रूप में किसी अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में अभिलिखित रकम के बीच अंतर, अगर कोई हो तो और हस्तांतरणकर्ता की शेयर पूंजी की रकम का पूंजीगत आरक्षित निधि में हस्तांतरण किया जाता है जिसे अन्य पूंजीगत आरक्षित निधि से अलग दर्शाया जाता है.

3.5. गैर-नियंत्रक हित

गैर-नियंत्रक हित, इस समय ऐसे स्वत्व हित माने जाते हैं जिसकी बदौलत उसके धारकों को परिसमापन होने की दशा में समूह की निवल आस्तियों का यथानुपात हिस्सा मिले. गैर-नियंत्रक हित का, प्रारंभ में, जिस कंपनी का अभिग्रहण किया गया हो उस कंपनी की पहचानने लायक निवल आस्तियों की स्वीकार की गई रकम के गैर-नियंत्रक हितों के यथानुपात हिस्से पर मापन किया जाता है. अधिग्रहण करने के बाद, गैर-नियंत्रक हितों की रखाव रकम, इक्विटी में बाद में होने वाले परिवर्तन के गैर-नियंत्रक हिस्से के साथ-साथ स्वीकार की गई हितबद्ध रकम के बराबर होती है.

3.6. संयुक्त उद्यमों में निवेश

संयुक्त उद्यम, एक संयुक्त व्यवस्था के बराबर होती है जिसमें व्यवस्था पर पक्षकारों का, संयुक्त व्यवस्था के निवल आस्तियों पर अधिकार होता है. संयुक्त नियंत्रण का मतलब है, संविदात्मक रूप से सम्मत व्यवस्था के नियंत्रण का सहभाजन जो तभी उत्पन्न होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में फ़ैसलों के लिए नियंत्रक का सहभाजन करने वाले पक्षकारों की सर्वसम्मति की ज़रूरत पड़े.

इक्विटी लेखा पद्धति का उपयोग करते हुए समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यमों के परिणाम एवं आस्तियों और देयताएं समाविष्ट की जाती हैं. इक्विटी पद्धति के अंतर्गत, संयुक्त उद्यम में निवेश को प्रारंभ में समेकित तुलन-पत्र में लागत पर दर्शाया जाता है और बाद में उसका समायोजन करते हुए समूह के लाभ अथवा हानि तथा संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय के हिस्से में दर्शाया जाता है. संयुक्त उद्यम से प्राप्त संवितरणों से निवेश की रखाव रकम घट जाती है. जब समूह के, संयुक्त उद्यम के हानि का हिस्सा, समूह के संयुक्त उद्यम में हित से अधिक हो तब समूह, अधिक हानि के अपने हिस्से को दर्शाना बंद कर देता है. अतिरिक्त हानि को उसी हद तक स्वीकार किया जाता है जिस हद तक समूह ने कानूनी अथवा संरचनात्मक बाध्यताएं पूरी की हो अथवा संयुक्त उद्यम की तरफ से भुगतान किया हो.

अगर संयुक्त उद्यम, एक ही प्रकार के लेन-देनों और एक समान परिस्थितियों में घटनाओं के लिए समूह की लेखा नीतियों से भिन्न लेखा नीतियां अपनाए तो समायोजन करते हुए संयुक्त उद्यम की लेखा नीतियों को इक्विटी पद्धति लागू करने से पहले मौजूद समूह की नीतियों के अनुरूप बनाया जाता है.

संयुक्त उद्यम में निवेश को लेखाबद्ध करते समय जिस तारीख से निवेशिती, संयुक्त उद्यम बने उस तारीख से इक्विटी पद्धति का प्रयोग किया जाता है. संयुक्त उद्यम में निवेश का अधिग्रहण करने पर, समूह के, निवेशिती की पहचाने लायक आस्तियों और देयताओं के निवल उचित मूल्य से अधिक निवेश लागत को सुनाम के रूप में दर्शाया जाता है जिसे निवेश की रखाव रकम के अंदर शामिल किया जाता है. समूह के निवेश की लागत से अधिक पहचानने लायक आस्तियों और देयताओं के हिस्से को पुनर्निर्धारण करने के बाद, जिस अवधि में निवेश का अधिग्रहण किया गया हो उस अवधि में पूंजीगत आरक्षित निधि के रूप में इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से दर्शाया जाता है.

समूह और उसके संयुक्त उद्यम के बीच लेन-देन पर अप्राप्त अभिलाभ को संयुक्त उद्यम में समूह के हित की सीमा तक हटाया जाता है. जब तक लेन-देन में हस्तांतरित आस्ति की हानि का सबूत न मिले, उठाई न गईं हानियों को भी समूह के हित की सीमा तक हटाया जाता है.

इक्विटी लेखा पद्धति लागू करने के बाद, समूह यह तय करेगा कि क्या, संयुक्त उद्यम में निवल निवेश को प्रारंभ में स्वीकार करने के बाद हुई एक या उससे अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप हानि का कोई वस्तुनिष्ठ सबूत है और यह कि कोई ऐसी घटना है (घटनाएं हैं) जिसका भरोसेमंद तरीके से आकलन करने लायक निवल निवेश से अनुमानित भावी नकदी

प्रवाह पर असर पड़े. अगर क्षति का ऐसा कोई वस्तुनिष्ठ सबूत हो तो समूह, संयुक्त उद्यम में अपने निवेश के संबंध में हानि के रूप में हुए नुकसान को स्वीकार करता है. जब ज़रूरत पड़े तब निवेश की समग्र रखाव रकम (सुनाम सहित) का, Ind AS 36 ' आस्तियों की हानि " के अनुसार एक ही आस्ति के रूप में, उसकी वसूल करने लायक रकम का (प्रयोग में उच्चतर मूल्य और उचित मूल्य घटाएं निपटान लागत) उसकी रखाव रकम के साथ तुलना करते हुए हानि को लेकर परीक्षण किया जाता है. क्षति के रूप में हुए नुकसान का कोई प्रत्यावर्तन हो तो उसे Ind AS 36 के अनुसार उस हद तक स्वीकार किया जाता है जिस हद तक निवेश की वसूल करने लायक रकम में बाद बढ़त हो.

समूह, इक्विटी पद्धति का प्रयोग करना तब बंद करेगा जब निवेश, संयुक्त उद्यम के रूप में न रह जाए अथवा जब निवेश का, बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण किया जाए. जब समूह, पूर्व संयुक्त उद्यम में अपना हित बरकरार रखे और ऐसा प्रतिधारित हित, वित्तीय आस्ति में हो तब समूह, प्रतिधारित हित का उचित मूल्य का मापन, उस दिनांक को करता है और उचित मूल्य को, Ind AS 109 ' वित्तीय लिखत ' के अनुसार प्रारंभिक स्वीकृति पर उसके उचित मूल्य पर माना जाता है. जिस तारीख को इक्विटी पद्धति बंद की गई उस तारीख को संयुक्त उद्यम की रखाव रकम और प्रतिधारित हित के उचित मूल्य एवं संयुक्त उद्यम में आंशिक हित का निपटान करने पर प्राप्त प्राप्तियों के बीच अंतर को, संयुक्त उद्यम का निपटान करने पर अभिलाभ अथवा हानि का निर्धारण करते समय समाविष्ट किया जाता है. इसके अलावा, समूह, उस संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य व्यापक आय में इससे पहले स्वीकार की गईं समग्र रकम को उसी आधार पर लेखाबद्ध करता है जैसे संयुक्त उद्यम को अपनी संबंधित आस्तियों अथवा देयताओं का सीधी तरह से निपटाने करने पर करना पड़े. इसलिए अगर उस संयुक्त उद्यम ने इससे पहले अन्य व्यापक आय में दर्शाए गए अभिलाभ अथवा हानि का, संबंधित आस्तियों अथवा देयताओं का निपटाने करने पर लाभ अथवा हानि के रूप में पुनर्वर्गीकरण करना पड़े तो समूह, इक्विटी पद्धति बंद करने पर अभिलाभ अथवा हानि का, इक्विटी से लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण करता है(पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में).

जब संयुक्त उद्यम में किया गया निवेश, सहबद्ध कंपनी में किए गए निवेश की तरह हो, तब समूह, इक्विटी पद्धति अपनाना जारी रखता है. स्वत्व हितों में इस तरह का परिवर्तन होने पर उचित मूल्य का पुन: मापन नहीं किया जाता है.

जब समूह, संयुक्त उद्यम में अपना स्वत्व हित घटाएं परंतु इक्विटी पद्धति लागू करना जारी रखे तब समूह, स्वत्व हित कम होने पर अन्य व्यापक आय में इससे पहले दर्शाए गए अभिलाभ अथवा हानि के अंश तक लाभ अथवा हानि का पुनर्वर्गीकरण करता है भले ही संबंधित आस्तियों अथवा देयताओं का निपटान करने पर अभिलाभ अथवा हानि का लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण किया जाए.

जब समूह उद्यम, समूह के संयुक्त उद्यम के साथ लेन-देन करे, तब संयुक्त उद्यम के साथ किए गए लेन-देनों से उत्पन्न लाभ और हानि को समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में उसी हद तक दर्शाया जाता है जिस हद तक समूह से जुडे न रहे संयुक्त उद्यम में हित हों.

3.7. समेकन पर सुनाम सहित सुनाम

व्यवसाय का अधिग्रहण करने पर उत्पन्न सुनाम, व्यावसायिक अधिग्रहण दिनांक को संचित हानि के कारण उत्पन्न नुकसान हुआ हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर स्थापित किया जाता है.

क्षति संबंधी परीक्षण के प्रयोजन से, सुनाम, समूह की नकद उत्पन्न करने वाली उन इकाइयों (अथवा नकद उत्पन्न करने वाली यूनिटों का समूह) को आबंटित किया जाता है जिनसे संयोजन की सहक्रिया से फायदा हासिल करने की उम्मीद हो.

नकद उत्पन्न करने वाली उस यूनिट का, जिसे सुनाम आबंटित किया गया हो, वर्ष में एक बार अथवा अकसर क्षति की निगाहों से परीक्षण तब किया जाता है जब यह संकेत मिले कि यूनिट द्वारा हानि उठाने की संभावना है. अगर नकद उत्पन्न करने वाली इकाई की वसूल करने लायक रकम, रखाव रकम से कम हो तो सबसे पहले ह्रासित हानि को आबंटित किया जाता है जिससे कि इकाई को आबंटित सुनाम की रखाव रकम को कम किया जा सके और तदनंतर इकाई में प्रत्येक आस्ति की रखाव रकम के आधार पर यथानुपात इकाई की अन्य आस्तियों में आबंटन किया जाता है. सुनाम के संबंध में ह्रासित हानि को सीधे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है. सुनाम के संबंध में ह्रासित हानि का, बाद में किसी अवधि में प्रत्यावर्तन नहीं किया जाता है.

संबंधित नकद उत्पन्न करने वाली इकाई को निपटाने के बाद सुनाम के कारण उत्पन्न रकम को लाभ अथवा हानि का निर्धारण करते समय समाविष्ट किया जाएगा.

पूर्व GAAP के अनुसार मापा गये Ind AS में संक्रमण दिनांक को वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए सुनाम के वहन मूल्य को जारी रखने की दृष्टि से समूह ने Ind AS 101 के अधीन उपलब्ध छूट का उपयोग करना और उसे मानी गई लागत पर संक्रमण दिनांक (1 अप्रैल 2015).को उपयोग करना पसंद किया.

3.8. बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू आस्तियों को बेचते समय, लागत घटाने के बाद कमतर रखाव रकम पर और उचित मूल्य पर मापा जाता है.

गैर-चालू आस्तियों का बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण तब किया जाता है जब लगातार उपयोग करने के बजाय बिक्री संबंधी लेन-देन के जरिए उनकी रखाव रकम वसूल करनी पड़े. इस शर्त की पूर्ति तभी मानी जाएगी जब बिक्री होने की अधिक संभावना हो और आस्ति, उसकी वर्तमान दशा में फौरन बेचने के लिए उपलब्ध हो जब कि इन आस्तियों की बिक्री के लिए मामूली और प्रथागत नियम लागू होंगे.

प्रबंधन को उस बिक्री के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए जिसे बिक्री के धारित के रूप में वर्गीकरण किए गए दिनांक से एक वर्ष के अंदर पूरी की गई बिक्री के रूप में दर्शाने के लिए अर्हता प्राप्त होने की संभावना हो और बिक्री योजना पूरी करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई में यह संकेत देना चाहिए कि ऐसी संभावना नहीं है कि योजना में उल्लेखनीय परिवर्तन किए जाएंगे अथवा यह कि योजना वापस ली जाएगी.

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण करते ही संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अगोचर आस्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाएगा.

3.9. राजस्व को पहचानना

3.9.1. वस्तुओं और सेवाओं से राजस्व को, निष्पादन संबंधी एक ही दायित्व निभाने पर पहचाना जाता है जो नियंत्रण को ग्राहक के हवाले करने पर होता है. वस्तुओं का नियंत्रण, ग्राहक के हवाले किया गया तब माना जाएगा जब वस्तुओं का स्वत्व ग्राहक के नाम हो, जो आम तौर पर उत्पाद का भौतिक रूप से किसी पात्र, पाइपलाइन (समूह की खुद की पाइपलाइन से भिन्न) अथवा किसी वितरण तंत्र में स्थानांतरण होने पर होता है. वस्तुओं के राजस्व ठेकों के संबंध में जिनमें पोत परिवहन के समय अनंतिम रूप से कीमत निर्धारण किया जाता है(जहां कहीं लागू हो), अगर कोई समायोजन करना हो तो उसके बाद अंतिम कीमत उस अवधि में लगाई जाएगी जिसमें उसे अंतिम रूप दिया गया हो/तय किया गया हो.

3.9.2. राजस्व को प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल की लेन-देन कीमत पर मापा जाता है जो निवल बट्टा अथवा रीबेट, GST और बिक्री कर लगाने के बाद कारोबार के सामान्य क्रम में उत्पाद शुल्क सहित वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्राप्य रकम सूचित करता है. कीमतों में किसी पूर्वव्यापी संशोधन को उस वर्ष में लेखाबद्ध किया जाता है जिसमें संशोधन किया गया हो.

3.9.3. ठेकों/आपूर्तियों का क्रियान्वयन करने में विलंब होने पर कीमत कटौती अनुसूची (PRS) को ठेकों/करारनामे की शर्तों के अनुसार लेखाबद्ध करना होगा. पूंजीगत परियोजना के निमित्त रकम को छोड़कर जहां आस्तियों की लागत तक समायोजन किया जाता है, PRS रकम को आय के रूप में पहचाना जाता है. अंतिम रूप देने के बाद समायोजन उत्तरव्यापी प्रभाव से किया जाता है.

3.9.4. समूह ने ग्राहक के साथ ले या अदा करे जैसा करार किया है. इस लेन-देन में ग्राहकों के साथ किए गए ठेके में निर्धारित सूत्र के अनुसार राजस्व को पहचाना जाता है.

3.9.5. स्क्रैप की बिक्री से राजस्व को उस वक्त स्वीकार किया जाता है जब नियंत्रण (वस्तुओं की अभिरक्षा का हस्तांतरण), ग्राहक के हवाले किए जाएं.

3.9.6. यथा लागू निर्यात प्रोत्साहन से प्राप्त राजस्व को सरकारी अनुदानों पर परिच्छेद 3.13 के अनुसार राजस्व के रूप में दर्शाया गया है. प्रोत्साहन मूल्य को प्रारंभ में, अपेक्षित वसूल करने योग्य मूल्य के रूप में दर्शाया जाता है जिनका बाद में जिस अवधि में उनको वास्तव में बेचा जाए उस अवधि में वास्तव में वसूल करने लायक मूल्य के लिए समायोजन किया जाता है.

3.9.7. वित्तीय आस्तियों से ब्याज सहित आय का समय आधार पर उपचय करते समय प्रारंभ में स्वीकार करने पर आस्ति की निवल रखाव रकम की तुलना में वित्तीय आस्ति की अनुमानित अवधि के जरिए बकाया मूल धनराशि और लागू प्रभावी ब्याज दर (ऐसी दर जो अनुमानित भावी नकदी प्राप्तियों को ठीक तरह से काटें) का हवाला दिया जाता है.

3.9.8. वित्तियेतर आस्तियों के मामले में, ब्याज सहित आय को समय अनुपात आधार पर स्वीकार किया जाता है. वापस करने लायक करों / शुल्कों के रूप में ब्याज आय को प्राप्ति आधार पर स्वीकार किया जाता है.

3.9.9. लाभांश आय तब स्वीकार की जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध किया जाए.

3.9.10. लाभ-हानि विवरण में उत्पाद शुल्क को खर्च के रूप में दर्शाया जाता है. उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के अंतिम और प्रारंभिक स्टॉक के बीच अंतर के संबंध में उत्पाद शुल्क " अन्य खर्च " के अधीन दर्शाया जाता है.

3.10. पट्टे

1 अप्रैल, 2019 से समूह ने आशोधित पूर्व प्रभावी संक्रमण पद्धति के सहारे Ind AS 116 'पट्टे' अपनाएँ. तदनुसार, समूह ने तुलनात्मक जानकारी का दोबारा कथन नहीं दिया है जिनको अभी भी Ind AS 17 के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है. नए मानक में नए पट्टे को इस तरह से परिभाषित किया गया है जैसे एक ऐसा ठेका, जो प्रतिफल के बदले किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए पहचानी गई आस्ति का उपयोग नियंत्रित करने का अधिकार सूचित करे. समूह ने, अगोचर आस्तियों के पट्टे पर इस मानक को लागू न करने का विकल्प चुना है.

इस बात का निर्धारण करने के लिए कि क्या किसी ठेके में पहचानी गई आस्ति का उपयोग नियंत्रित करने का अधिक सूचित किया गया है, कंपनी यह निर्धारण करती है कि क्या:

(i) ठेके में पहचानी गई आस्तियों का उपयोग किया जाता है.

(ii) कंपनी को पट्टा अवधि में आस्ति के उपयोग से पर्याप्त रूप से तमाम आर्थिक लाभ मिलते हैं और

(iii) कंपनी को आस्ति का उपयोग निर्दिष्ट करने का अधिकार है.

पट्टेदार के रूप में समूह:

पट्टे की प्रारंभिक तारीख को, समूह, उन सभी पट्टा संबंधी ठेकों / व्यवस्थाओं के लिए जिनमें वह पट्टेदार हो, उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों (ROU आस्तियां) और तदनुरूपी पट्टा संबंधी देयता को स्वीकार करती है सिवाय उस पट्टे को, जिसकी अवधि बारह महीने अथवा उससे कम हो (अर्थात्; जो अल्पावधि पट्टा हो) और उस पट्टे को, जिसकी आस्तियों का मूल्य कम हो. अल्पावधि और कम मूल्य के पट्टे के मामले में, समूह, पट्टे की अवधि पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर पट्टा संबंधी भुगतान स्वीकार करती है.

पट्टा संबंधी कुछ व्यवस्थाओं में शामिल है, पट्टा संबंधी अवधि समाप्त होने से पहले पट्टे की अवधि बढ़ाना अथवा पट्टा समाप्त करने का विकल्प. आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार और पट्टा संबंधी देयताओं में ये विकल्प शामिल हैं, जब यह बात लगभग निश्चित हो कि ऐसे विकल्प लिए जाएंगे.

पट्टा संबंधी देयता का प्रारंभ में, निश्चित पट्टा अवधि पर भावी पट्टा संबंधी भुगतान के वर्तमान मूल्य को मापा जाता है. अगर फ़ौरन निर्धारण करना संभव न हो तो वृद्धिशील उधार दर के सहारे पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर लगाते हुए पट्टा संबंधी भुगतान में रियायत दी जाएगी. एक ही प्रकार के लक्षणों से युक्त पट्टे के मामले में, समूह, पट्टा-दर-पट्टा आधार पर, या तो पट्टे के लिए निर्दिष्ट वृद्धिशील उधार दर या समग्र रूप से संविभाग के लिए वृद्धिशील उधार दर लगाती है.

उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों को प्रारंभ में लागत पर स्वीकार किया जाता है जिसमें पट्टे की प्रारंभिक अवधि को या उससे पहले किसी पट्टा संबंधी भुगतान के लिए समायोजित पट्टा संबंधी देयता के प्रारंभिक मापन की रकम और साथ ही प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, बहाल करने संबंधी दायित्व और प्राप्त पट्टा संबंधी प्रोत्साहन राशि होती है.

बाद में, उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों का मापन, कोई संचित मूल्यह्रास और कोई संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर किया जाता है. उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों का मूल्यह्रास करते समय, पट्टाधृत भूमि संबंधी मामले को छोड़कर जहां स्वामित्व को पट्टा संबंधी अवधि में अल्पतम अवधि पर अथवा उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों की उपयोगी आयु पर प्रारंभिक तारीख से समूह के नाम हस्तांतरित किया जाता है, सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों का स्वामित्व, पट्टा संबंधी अवधि के अंत में पट्टेदार के नाम हस्तांतरित किया गया तो इन आस्तियों का मूल्यह्रास, अंतर्निहित आस्ति की उपयोग आयु में किया जाता है. Ind AS 36 को लागू करते हुए समूह यह निर्धारण करती है कि क्या आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार क्षीण हो गया है और " गैर-वित्तीय आस्तियों में क्षति " पर नीचे दी गई लेखा संबंधी नीति में यथा वर्णित पहचानी गई ह्रासित हानि को लेखाबद्ध किया जाता है.

पट्टा संबंधी देयता पर ब्याज लागत (प्रभावशाली ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिकलित) को लाभ-हानि विवरण में, तब तक नहीं दर्शाया जाता है जब तक वह " उधार लागत " पर नीचे दी गई लेखा नीति के अनुसार पूंजीकरण के लिए पात्र न हो.

समूह, Ind AS 116 के अनुसार, ठेके के अंदर प्रत्येक पट्टा घटक को, ठेके के गैर-पट्टा घटकों से अलग रूप से पट्टे के रूप में लेखाबद्ध करता है और ठेके में प्रतिफल का, ठेके में पट्टा घटक की सापेक्ष स्वतंत्र कीमत और गैर-पट्टा घटकों की कुल स्वतंत्र कीमत के आधार पर प्रत्येक पट्टा घटक में आबंटन करता है.

पट्टा संबंधी ठेका पूरा होने अथवा रद्द होने पर आस्तियों का उपयोग का अधिकार अमान्य किया जाता है.

पट्टा संबंधी देयता और आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार, समेकित तुलन पत्र में अलग दर्शाया गया है और पट्टा संबंधी भुगतान का, समेकित नकदी प्रवाह विवरण में वित्तपोषक नकदी प्रवाह के रूप वर्गीकरण में किया गया है.

पट्टे में आशोधन का भावी प्रभाव पड़ता है.

3.11. विदेशी मुद्रा लेन-देन

समूह के वित्तीय विवरण, भारतीय रुपयों (₹) में पेश किए जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है.

संबंधित उद्यमों की कार्यात्मक मुद्रा (विदेशी मुद्राएं) से भिन्न मुद्राओं में किए गए लेन-देनों को, लेन-देनों के दिनांकों को मौजूद मुद्रा दरों पर स्वीकार किया जाता है. प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक मदों को, रिपोर्टिंग अवधि के अंतिम दिन मौजूद अंतिम मुद्रा दर के आधार पर रुपयों में रूपांतरित किया जाता है.

दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के संबंध में विनिमय में नजर आए अंतर को समेकित लाभ-हानि विवरण में या तो 'विनिमय दर में घट-बढ़ हानि/(अभिलाभ) (निवल) ' के रूप में या ' वित्त लागत ' के रूप में दर्शाया जाता है जब कि 31 मार्च 2016 को बकाया दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के संबंध में विनिमय अंतर को उस हद तक नहीं जोड़ा जाता है, जिस हद तक उनका मूल्यह्रास करने लायक आस्तियों का अधिग्रहण करने का संबंध हो, तदनंतर इन आस्तियों की लागत के प्रति समायोजन किया जाता है और आस्ति की बची हुई आयु में उक्त समायोजन को कम किया जाता है.

विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत पर मापी गईं गैर-मौद्रिक मदों का, प्रारंभिक लेन-देनों की तारीखों को विनिमय दरों पर रूपांतरण किया जाता है.

3.12. उधार लागत

उधार लागत में शामिल है, निधि उधार लेते समय उठाई गई ब्याज और अन्य लागत एवं पट्टा संबंधी देयता पर ब्याज.

उधार लागत में यह भी शामिल हैं, ब्याज लागत में समायोजन की तरह समझे गए अर्थात्; विनिमय हानि, जिस हद तक विदेशी मुद्रा में उधार की लागत की तुलना करते समय कार्यात्मक मुद्रा (₹) में उधार की लागत के बीच अंतर से अधिक होती हो उसके समतुल्य विदेशी मुद्रा से उत्पन्न विनिमय अंतर. जब वसूल न की गई विनिमय हानि हो जिसे ब्याज में समायोजन की तरह माना जाता है और बाद में समझौता होने पर प्राप्त अथवा अप्राप्त अभिलाभ हो अथवा

उसी उधार का रूपांतरण हो, समायोजन की तरह पूर्व में उठाई गई हानि की सीमा तक अभिलाभ को भी ब्याज के प्रति समायोजन की तरह दर्शाया जाता है.

अर्हक आस्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण की दृष्टि से निर्दिष्ट रूप से पहचानी गई उधार लागत का, इन आस्तियों के अंग के रूप में पूंजीकरण किया जाता है. अर्हक आस्ति उसे कहते हैं जिसका अभिप्रेत उपयोग करने की दृष्टि से तैयार रखने के लिए काफ़ी समय लगता है. उधार लागत का पूंजीकरण करना तब बंद किया जाता है जब अस्थाई आधार से भिन्न आधार पर अर्हक आस्तियों पर सक्रिय विकास में बाधा पड़े और ऐसी बढ़ाई गई अवधियों में लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाए. दूसरी अन्य उधार लागतों को समेकित लाभ-हानि विवरण में उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें ऐसी लागत उठाई गई हो.

अर्हक आस्तियों पर व्यय करने तक निर्दिष्ट उधार की निधि के अस्थाई निवेश पर अर्जित निवेश आय को पूंजीकरण करते समय पात्र उधार लागत से घटाया जाता है.

3.13. सरकारी अनुदान

निर्यात प्रोत्साहन सहित सरकारी अनुदानों को तब तक दर्शाया नहीं जाता है जब तक यह उचित आश्वासन न मिला हो कि समूह, उनसे संबंधित शर्तों का पालन करेगा और अनुदान प्राप्त किए जाएंगे.

सरकारी अनुदानों को समेकित लाभ-हानि विवरण में व्यवस्थित ढंग से उस अवधि में जिसमें समूह, जिस लागत के लिए अनुदान का प्रतिपूर्ति करने के इरादे से उपयोग किया जाएगा, खर्च के रूप में स्वीकार न करे .

निर्दिष्ट रूप से उन सरकारी अनुदानों को, जिनके संबंध में मूल रूप से यह शर्त रखी जाती है कि समूह को, गैर-चालू आस्तियां खरीदनी पड़ेंगी, उनका निर्माण अथवा अन्यथा अधिग्रहण करना पड़ेगा, तुलन-पत्र में आस्थगित राजस्व के रूप में दर्शाकर संबंधित आस्तियों की उपयोग अवधि में व्यवस्थित एवं युक्तियुक्त तरीके से लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

बाजार ब्याज दर से कम दर पर सरकारी ऋण का लाभ, सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है जिसका मापन, प्राप्त प्राप्तियों और मौजूदा बाजार ब्याज दर पर उचित मूल्य के बीच अंतर के रूप में किया जाता है.

3.14. कर्मचारियों को फायदे

कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ में शामिल हैं, वेतन, मज़दूरी, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति निधि, उपदान निधि, छुट्टी नकदीकरण, रोजगार उपरांत चिकित्सा लाभ, पुन:व्यवस्थापन भत्ते और सेवा समाप्ति लाभ.

3.14.1. कर्मचारी को अल्पावधि लाभ

सभी अल्पावधि कर्मचारी लाभ को जिस लेख अवधि में खर्च किया गया हो उस अवधि में उनकी बट्टा रहित रकम पर दर्शाया जाता है.

3.14.2. रोजगार उपरांत लाभ

परिभाषित अंशदान योजनाएं

सेवानिवृत्ति निधि के प्रति अंशदान सहित परिभाषित अंशदान योजनाओं के तहत कर्मचारियों के लाभ को, योजना के प्रति समूह के दायित्व के आधार पर बट्टा रहित रकम के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है. एक अलग न्यास के जरिए स्थापित कोष में इसे अदा किया जाता है.

परिभाषित लाभ योजनाएं

उपदान, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ और अन्य दीर्घावधि सेवानिवृत्ति लाभ सहित परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएं, जिनको परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है और इसका परिकलन, प्रक्षेपित इकाई जमा पद्धति का उपयोग करते हुए वार्षिक रिपोर्ट अवधि के अंत में स्वतंत्र बीमांककों द्वारा किया जाता है.

इनको वर्तमान कर्मचारी लागत के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है अथवा यथा अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में समाविष्ट किया जाता है.

निवल परिभाषित देयता पर निवल ब्याज का परिकलन करते समय, अवधि के प्रारंभ में बट्टा दर, निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता अथवा आस्ति पर लगाई जाती है और यथा अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में समाविष्ट मदों को छोड़कर इनको समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

बीमांकिक अभिलाभ और हानि समेत पुन: मापन, आस्ति की उच्चतम सीमा में परिवर्तन के प्रभाव और योजना आस्तियों (ऊपर परिभाषित निवल ब्याज को छोड़कर) पर प्रतिफल को, उन मदों को छोडकर जिनको उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न हों, अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में शामिल कर बाद में लाभ अथवा हानि में पुनर्वगीकृत किया जाता है, अन्य व्यापक आय में दर्शाया जाता है.

नियंत्रक कंपनी, उपदान के संबंध में एमआरपीएल उपदान निधि न्यास (MGFT) में पता लगाई गईं सभी देयताओं का अंशदान करती है. सहायक कंपनी की उपदान योजना में निधि का अंशदान नहीं किया जाता है. अन्य परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए कोई निधि प्रदान नहीं की जाती है.

तुलन-पत्र में दर्शाए गए सेवानिवृत्ति लाभ के प्रति दायित्व, समूह की परिभाषित लाभ योजनाओं में वास्तविक घाटा अथवा अधिशेष दर्शाता है. बीमांकिक परिकलन से प्राप्त किसी अधिशेष को, योजनाओं के प्रति भावी अंशदानों में कटौती के रूप में उपलब्ध किसी आर्थिक लाभ के वर्तमान मूल्य तक सीमित किया जाता है.

3.14.3. कर्मचारी संबंधी दीर्घावधि लाभ

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ का (छुट्टी नकदीकरण और न्यास में भविष्य निधि अंशदान) निर्धारण, प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए स्वतंत्र बीमांककों द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जिसे प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है.

भविष्य निधि में नियंत्रक कंपनी का अंशदान, पात्र कर्मचारी के वेतन के निश्चित प्रतिशत के आधार पर इस प्रयोजन के लिए स्थापित अलग-अलग न्यासों (एमआरपीएल भविष्य निधि न्यास) में प्रेषित किया जाता है जिसे समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है या यथा अनुमत आस्तियों की लागत में शामिल किया जाता है. निधि आस्तियों में कोई कमी हो तो सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिफल दर पर उसकी भरपाई समूह द्वारा की जाती है जिसे समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

प्राधिकारियों को प्रदत्त सहायक कंपनी की भविष्य निधि का वर्ष के दौरान खर्च किया जाता है.

ऐसे छुट्टी नकदीकरण को दर्शाया जाता है जो, कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा अवधि समाप्त होने के बाद बारह महीनों के अंदर होने की संभावना न हो.

उक्त योजनाओं के प्रति देयता को तुलन पत्र की तारीख को, जिन योजना आस्तियों के उचित मूल्य से दायित्व निपटाने की संभावना हो उसे घटाने के बाद परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य पर देयता के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है.

पुन: मापन के उपरांत अभिलाभ और हानियों को समेकित लाभ-हानि विवरण में उस अवधि में जिसमें वे उत्पन्न हों, दर्शाया जाता है.

3.14.4. सेवा समाप्ति लाभ (नियंत्रक कंपनी)

चिकित्सा आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति

नियंत्रक कंपनी में चिकित्सा आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुमोदित योजना है. पूरी की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 60 दिनों की परिलब्धियों समान अथवा सामान्य सेवानिवृत्ति तारीख से पहले बची शेष महीनों की सेवा से गुणन करते हुए सेवानिवृत्ति के समय मासिक परिलब्धियां, जो भी कम हो, अनुग्रह भुगतान, सेवानिवृत्ति लाभ के अलावा किया जाएगा.

एकमुश्त मौद्रिक मुआवजे की स्वयं बीमा योजना

सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ और अलग होने पर लाभ योजना के तहत, अगर दुर्घटना के कारण और रोजगार के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो अथवा वह स्थाई तौर पर पूरी तरह से अपंग हो तो देय कोई न्यूनतम रकम का निर्धारण किए बगैर 100 महीने के मूल वेतन + महंगाई भत्ते (DA) के समतुल्य मुआवजा दिया जाएगा.

SABF के तहत अलग होने पर लाभ (जिसका नाम बदलकर अब MDCPS कर दिया गया है)

नियंत्रक कंपनी में सेवा करते समय अगर कर्मचारी की मृत्यु हो / वह स्थाई तौर पर पूरी तरह से अपंग हो तो हिताधिकारी को, मृत्यु की तारीख / स्थाई संपूर्ण अपंगता की तारीख से 6 महीने के अंदर नीचे उल्लिखित वांछित विकल्पों में से एक चुनना होगा.

सेवा समाप्ति संबंधी लाभ को जब कभी खर्च किया जाए समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.15. कराधान

आय कर संबंधी खर्च, इस समय देय कर और आस्थगित कर का योग दर्शाता है.

(i) वर्तमान कर

इस समय देय कर, पिछले वर्षों के संबंध में देय कर का समायोजन करने के बाद वर्ष के कर योग्य लाभ पर आधारित है. कर योग्य लाभ, समेकित लाभ-हानि विवरण दर्शाए गए 'कर पूर्व लाभ' से भिन्न होता है क्योंकि आय अथवा खर्च की कुछ मद, दूसरे वर्षों में कर योग्य अथवा काटने योग्य होती हैं और कुछ मद, कभी भी कर योग्य अथवा काटने योग्य नहीं होती हैं. समूह के वर्तमान कर का परिकलन करते समय कर संबंधी उन दरों का प्रयोग किया गया है जिनका अधिनियम किया गया था अथवा रिपोर्ट अवधि के अंत तक वास्तव में अधिनियमन किया गया.

(ii) आस्थगित कर

तुलन पत्र पद्धति के आधार पर आस्थगित कर दर्शाया जाता है जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में आस्तियों और देयताओं के बही मूल्य और कर योग्य लाभ का परिकलन करते समय प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधार के बीच अस्थाई अंतर के रूप में दर्शाया जाता है. आस्थगित कर देयताओं को, सामान्यत: सभी कर योग्य अस्थाई अंतर के रूप में पहचाना जाता है. आस्थगित कर आस्तियों को, सामान्यत: सभी काटने योग्य अस्थाई अंतर, अप्रयुक्त कर क्रेडिट्स और अप्रयुक्त कर हानियों की आगे ले जाई गई रकम के रूप में उस हद तक लेखाबद्ध किया जाता है जिससे यह संभावना हो कि कर योग्य लाभ इस तरह से उपलब्ध होंगे जिसके प्रति काटने योग्य अस्थाई अंतर का प्रयोग करना संभव हो.

अस्थाई करों को, ऐसे अस्थाई अंतर के संबंध में लेखाबद्ध किया जाता है जो करावकाश अवधि के दौरान उत्पन्न तो होते हैं लेकिन जिनका करावकाश अवधि के बाद प्रत्यावर्तन किया जाता है. इस प्रयोजन के लिए अस्थाई अंतर का प्रत्यावर्तन करते समय प्रथम आवक प्रथम जावक पद्धति का प्रयोग किया जाता है.

आस्थगित कर आस्तियों की रखाव रकम की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में की जाती है और इसे उस हद तक घटाया जाता है जिससे कभी यह संभावना न बने कि तमाम आस्ति अथवा उसका अंश वसूल करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा.

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों का मापन, अधिनियमित अथवा रिपोर्ट अवधि के अंत में वास्तव में अधिनियमित (और कर संबंधी कानूनों) कर संबंधी उन दरों के आधार पर किया जाता है जिनको उस अवधि में लागू करने की उम्मीद हो जिसमें देयता निपटाई जाए अथवा आस्ति की वसूली हो.

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों मापन से कर संबंधी ऐसी परिस्थितियां परिलक्षित होती हैं जिसमें समूह द्वारा यह उम्मीद की जाती है कि रिपोर्ट अवधि के अंत में उसकी आस्तियों और देयताओं की रखाव रकम वसूली की जाएगी अथवा उसका निपटान होगा.

आस्थगित कर आस्तियों में शामिल है, भारत में मौजूद कर संबंधी कानून के अनुसार प्रदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) जिसके चलते भावी आय कर देयता का मुजरा करने की उपलब्धता के रूप में भावी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना होती है. तदनुसार, MAT को समेकित तुलन पत्र में आस्थगित कर आस्ति के रूप में तब दर्शाया जाता है जब आस्ति का भरोसेमंद तरीके से मापन करना संभव हो और ऐसी संभावना हो कि आस्ति से जुड़े भावी आर्थिक लाभ अर्जित किया जाएगा.

आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर देयताओं का समायोजन तभी किया जाता है जब चालू कर देयताओं के प्रति चालू कर आस्तियों का समायोजन करने का कानूनी तौर पर लागू करने योग्य कोई अधिकार मौजूद हो और आस्थगित कर का, उसी कर योग्य उद्यम और उसकी कराधान प्राधिकरण से सरोकार हो.

वर्ष का वर्तमान और आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया है, सिवाय उन मदों को जिनको अन्य व्यापक आय में अथवा सीधे इक्विटी में दर्शाया जाता है, ऐसी सूरत में वर्तमान और आस्थगित कर को भी क्रमश: अन्य व्यापक आय में अथवा सीधे इक्विटी में दर्शाया जाता है.

3.16. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE) और आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार (ROU)

उत्पादन में अथवा वस्तुओं की आपूर्ति करने अथवा सेवाएं प्रदान करने अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने की खातिर रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को तुलन पत्र में, संचित मूल्यह्रास और कोई संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है.

उत्पादन, आपूर्ति अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए निर्माण के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को, लेखाबद्ध ह्रासित हानि को घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है. आस्ति की लागत में समाविष्ट किया जाता है उसकी क्रय कीमत अथवा उसकी निर्माण लागत (लागू निवल कर जमा प्रविष्टियां) और आस्ति को उसके स्थान पर और उस स्थिति में लाने के लिए जिससे वह प्रबंधन द्वारा अभिप्रेत तरीके से चलाना संभव हो, प्रत्यक्ष रूप से लगने वाली कोई लागत और किसी ठेकागत क्षयकारी दायित्व का प्रारंभिक अनुमानित वर्तन मूल्य, अगर कोई हो. इसमें शामिल है, पेशेवर शुल्क और समूह की लेखा नीति के अनुसार पूंजीकृत अर्हक आस्तियों की उधार लागत. पूरा होने पर और अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने पर इन संपत्तियों का PPE की उचित श्रेणी में वर्गीकरण किया जाता है. PPE की मद के उन अंशों को, जिसकी प्रबंधन के निर्धारण के अनुसार विभिन्न उपयोगी अवधि हो और महत्वपूर्ण मूल्य हो और जिसे बाद में संपत्ति पर पूंजीगत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को अलग घटकों के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है. तदनंतर किए गए व्यय का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब यह संभव हो कि व्यय से जुड़े भावी आर्थिक लाभ समूह को मिलते रहे.

संयंत्रों/सुविधाओं और निर्दिष्ट सॉफ्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग हो, से संबंधित तकनीकी जानकारी / लाइसेंस शुल्क का पूंजीकरण, अंतर्निहित आस्ति की लागत के अंग के तौर पर किया जाता है.

PPE का मूल्यह्रास करना तब शुरु किया जाता है जब आस्तियां, उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार हों.

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथा निर्दिष्ट विभिन्न आस्तियों के घटकों की उपयोगी आयु की तुलना में सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए PPE की उपयोगी आयु के आधार पर उसके अवशिष्ट मूल्य (5% तक अनुमानित अवशिष्ट मूल्य बरकरार रखने के बाद) को घटाने के बाद PPE (पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों से भिन्न) की लागत पर मूल्यह्रास किया जाता है जब कि इसके लिए संयंत्र और उपकरणों के कुछ ऐसे घटक, अपवाद हैं जिनकी उपयोग आयु का निर्धारण, तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और कर्मचारी वाहन, कंप्यूटर और फर्नीचर योजना के लिए बनाई गई समूह की नीति के तहत उपयोगी आयु पर विचार किया जाता है.

अनुमानित उपयोगी आयु, अपशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास पद्धति की, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में, भविष्यलक्षी प्रभाव के आधार पर लेखाबद्ध किए गए आकलन में हुए परिवर्तन के साथ समीक्षा की जाती है.

योजनाबद्ध शटडाउन के निमित्त ओवरहॉल और मरम्मत पर व्यय का, जिनका मूल्य उल्लेखनीय होता है (निर्दिष्ट आस्तियों के मूल्य का 5%), PPE के संबंधित मदों के घटक के रूप में पूंजीकरण किया जाता है और इनका अगले शटडाउन तक सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास किया जाता है.

उत्प्रेरक का, जिसकी आयु एक वर्ष से अधिक हो, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकरण किया जाता है और उत्प्रेरक का उपयोग करने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा यथा निर्दिष्ट गारंटीकृत उपयोगी आयु के आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है.

भंडार और पुर्जों को, जिनको संयंत्र और उपकरण के रूप में पहचाना जाता है, निर्दिष्ट मशीनों के रूप में पूंजीकृत किया जाता है.

प्रमुख पूंजीगत अतिरिक्त पुर्ज़ों का, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकरण किया जाता है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकृत इन अतिरिक्त पुर्जों पर मूल्यह्रास करना, तक से शुरु किया जाता है जब इन पुर्जों को सेवा में लगाया गया और उनकी उपयोगी अल्प आयु तक जारी रखते हुए उससे संबंधित आस्ति की शेष अपेक्षित उपयोगी आयु तक जारी रखा जाता है और अतिरिक्त पुरजों का ह्रासित मूल्य, जब कभी उसे बदला जाए, समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

वर्ष के दौरान जोड़े गए/हटाए गए PPE पर मूल्यह्रास के लिए, जोडे गए/हटाए गए दिनांक के संदर्भ में यथानुपात आधार पर प्रावधान किया जाता है जब कि अधिकतम ₹ 5,000/ की कम मूल्य की मदें, (कर्मचारियों से संबंधित समूह क्रय योजना को छोड़कर) इसके लिए अपवाद हैं जिनका, जोड़ते समय पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है.

आस्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	उपयोगी आयु (वर्षों में)
1.	भवन	1-60
2.	संयंत्र और उपकरण - उत्प्रेरक	2-10
3.	संयंत्र और उपकरण - कंप्यूटर	3-7
4.	संयंत्र और उपकरण - लगातार चलने वाले प्रक्रिया संयंत्र, जिसे निर्दिष्ट उद्योगों में शामिल न किया गया हो (तीन शिफ्ट)	7.5
5.	संयंत्र और उपकरण - इलेक्ट्रिकल/प्रयोगशाला/कैंटीन/स्कूल	10
6.	संयंत्र और उपकरण – यंत्रीकरण: मद/ DCS/ अस्पताल/ अन्य	15
7.	संयंत्र और उपकरण - रिफाइनरी की आस्तियां	25
8.	संयंत्र और उपकरण - प्रक्रिया संयंत्र	25-30
9.	संयंत्र और उपकरण - पाइपलाइनें/SPM/अपतटीय घटक/सिविल संरचना	30
10.	संयंत्र और उपकरण - विद्युत संयंत्र	25-40
11.	रेलवे साइडिंग	15
12.	संयंत्र और उपकरण - अन्य	3-15
13.	कार्यालय उपकरण	3-15
14.	फर्नीचर और जुड़नार	3-10
15.	वाहन	4-15

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद को, निपटाए जाने, बदले जाने, घटाए जाने, पुनर्वर्गीकरण किए जाने पर अथवा जब आस्ति का लगातार उपयोग करने पर भविष्य में उससे आर्थिक लाभ मिलने की कोई संभावना न हो, कोई मान्यता नहीं दी जाती है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद को हटाए जाने से उत्पन्न हानि का निर्धारण आज की तारीख को संचित मूल्यह्रास का समायोजन करने के बाद WDV मूल्य और निवल मूल्य के बारे में किया जाता है जिसे समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

कंपनी ने, पूर्व GAAP के अनुसार मापा गये Ind AS में संक्रमण दिनांक को वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के वहन मूल्य को जारी रखने की दृष्टि से कंपनी ने Ind AS 101 के अधीन उपलब्ध छूट का उपयोग करना और उसे मानी गई लागत पर संक्रमण दिनांक (1 अप्रैल 2015).को उपयोग करना पसंद किया.

पट्टाधृत भूमियों को छोड़कर जहां स्वामित्व का समूह में हस्तांतरण किया जाता है, उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों का मूल्यह्रास करते समय पट्टा संबंधी अवधि में अथवा आस्तियों की उपयोगी आयु पर सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग किया जाता है.

3.17. अगोचर आस्तियां

3.17.1. सुनाम से भिन्न अगोचर आस्तियां

अलग रूप से खरीदी गईं निश्चित उपयोगी आयु के साथ अगोचर आस्तियों को, संचित परिशोधन और संचित ह्रासित हानि को घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है. परिशोधन को उनकी अनुमानित उपयोगी आयु पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर स्वीकार किया जाता है. अनुमानित उपयोगी आयु और परिशोधन पद्धति की, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में, भविष्यलक्षी प्रभाव के आधार पर लेखाबद्ध किए गए आकलन में हुए परिवर्तन के साथ समीक्षा की जाती है. अलग रूप से खरीदी गईं अनिश्चित उपयोगी आयु के साथ अगोचर आस्तियों का परिशोधन नहीं किया जाता है और संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है.

उत्पादन प्रक्रिया और प्रक्रिया डिज़ाइन से संबंधित तकनीकी जानकारी / लाइसेंस शुल्क को अगोचर आस्ति के रूप में दर्शाया जाता है जिसका परिशोधन अंतर्निहित संयंत्र/सुविधा की आयु पर सीधी रेखा पद्धति पर किया जाता है.

विकास संबंधी लागत को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अगोचर मदों पर व्यय का पूंजीकरण नहीं किया जाता है जिनको समेकित लाभ-हानि विवरण में उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें उनका व्यय किया गया हो.

विकास (अथवा आंतरिक परियोजना के विकास चरण से) के निमित्त आंतरिक रूप में उत्पन्न अगोचर आस्ति को तभी दर्शाया जाता है जब नीचे उल्लिखित सभी बातों को सिद्ध किया गया हो:

- अगोचर आस्ति को पूरा करने की तकनीकी व्यवहार्यता ताकि वह उपयोग करने अथवा बेचने के लिए उपलब्ध हो
- अगोचर आस्ति को पूरा कर उसका उपयोग करने अथवा बेचने का इरादा;
- अगोचर आस्ति का उपयोग करने अथवा उसे बचने की क्षमता;
- अगोचर आस्ति से भविष्य में आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की कैसी संभावना है;
- विकास का कार्य पूरा करने और अगोचर आस्ति का उपयोग करने अथवा उसे बेचने के लिए पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता; और
- विकास के दौरान अगोचर आस्ति पर किए जाने वाले व्यय को भरोसेमंद तरीके से मापने की क्षमता.

आंतरिक रूप से उत्पन्न अगोचर आस्तियों के मामले में प्रारंभ में पहचानी गई रकम, जब अगोचर आस्ति ने ऊपर सूचीबद्ध पहचानने लायक मानदंड की पूर्ति की उस तारीख से किए गए व्यय की राशि के समान होगी. आस्ति के रूप में लागत को दर्शाना तब बंद किया जाता है जब परियोजना पूर्ण हो और उसके अभिप्रेत उपयोग के लिए उपलब्ध अथवा अगर ये मानदंड लागू न हों. जब विकास संबंधी गतिविधियां, आस्ति के रूप में दर्शाने संबंधी शर्तों के अनुरूप न हों, उससे जुड़े व्यय को उस अवधि में खर्च के रूप में माना जाता है जिसमें उसे व्यय किया गया हो.

प्रारंभिक मान्यता के बाद आंतरिक रूप से उत्पन्न अगोचर आस्तियों को लागत रहित संचित परिशोधन और संचित ह्रासित हानि पर उसी आधार पर दर्शाया जाता है जैसे अलग रूप से खरीदी गईं निश्चित अगोचर आस्तियों को.

पूर्व GAAP के अनुसार मापा गये Ind AS में संक्रमण दिनांक को वित्तीय विवरणों में दर्शाई गईं अपनी तमाम अगोचर आस्तियों के बही मूल्य को जारी रखने की दृष्टि से समूह ने Ind AS 101 के अधीन उपलब्ध छूट का उपयोग करना और उसे मानी गई लागत पर संक्रमण दिनांक (1 अप्रैल 2015).को उपयोग करना पसंद किया है.

3.17.2. अगोचर आस्तियों को स्वीकार न करना

अगोचर आस्ति को, निपटाए जाने, बदले जाने पर अथवा जब आस्ति का उपयोग करने पर अथवा उसे निपटाने पर भविष्य में उससे कोई आर्थिक लाभ मिलने की संभावना न हो, कोई मान्यता नहीं दी जाती है. अगोचर आस्ति को मान्यता न देने से उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानि को निवल निपटान प्राप्तियों और आस्ति की रखाव रकम के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और आस्ति को मान्यता न दिए जाने पर उसे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.17.3. अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु

अगोचर आस्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	उपयोगी आयु (वर्षों में)
1.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3-10
2.	लाइसेंस और क्रयाधिकार	3

3.18. गैर वित्तीय आस्तियों में ह्रास

समूह, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्टॉक से भिन्न अपनी गैर-वित्तीय आस्तियों, आस्थगित कर आस्तियों, बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू आस्तियों और सुनाम की रखाव रकम की समीक्षा करती है भले ही कोई ऐसा संकेत मिला हो कि उन आस्तियों में ह्रासित हानि हुई है. अगर ऐसा कोई संकेत मिला हो तो ह्रासित हानि (कोई हो तो) की मात्रा तय करने के लिए वसूल करने योग्य आस्ति की रकम का आकलन किया जाता है. जब किसी प्रत्येक आस्ति की वसूल करने योग्य रकम का आकलन करना संभव न हो, तब समूह, नकद उत्पन्न करने वाली जिस यूनिट (CGU) की आस्तियां हों, उस यूनिट की वसूल करने योग्य रकम का आकलन करता है.

वसूल करने योग्य रकम, निपटान लागत और उपयोग में लाई गई आस्ति का मूल्य घटाने के बाद उच्चतम उचित मूल्य के बराबर होती है. उपयोग में लाई गई आस्ति का मूल्य निर्धारण करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को कर-पूर्व बट्टा दर का उपयोग करते हुए उसके वर्तमान मूल्य तक घटाया जाता है, जो उस आस्ति के लिए, जिसके लिए भावी नकदी प्रवाह का समायोजन न किया गया हो, निर्दिष्ट धन और जोखिम के समय मूल्य का चालू बाजार निर्धारण परिलक्षित करता है.

अगर आस्ति (अथवा नकद उत्पन्न करने वाली यूनिट) की वसूल करने योग्य रकम, उसकी आवर्त रकम से कम हो तो आस्ति (अथवा नकद उत्पन्न करने वाली यूनिट) की रखाव रकम को उसकी वसूल करने योग्य रकम तक घटाया जाता है. ह्रासित हानि को फौरन समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

रिपोर्ट अवधि के अंत में निर्धारण इसलिए किया जाता है जिससे कि यह देखा जा सके कि क्या कोई ऐसे संकेत हैं कि इससे पहले स्वीकार की गईं ह्रासित हानियां अब नहीं हैं या कम हुई हैं. अगर पिछली बार पहचानी गई ह्रासित हानि के बाद आस्ति की वसूल करने योग्य रकम का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त आकलन में परिवर्तन हो तो ह्रासित हानि का प्रत्यावर्तन किया जाता है. अगर ऐसा हो और पूर्व वर्षों में आस्ति के मामले में ह्रासित हानि को पहचाना न होता तो, आस्ति की बही मूल्य को उसकी निम्नतर वसूल करने योग्य रकम तक और निवल मूल्यह्रास/परिशोधन के बराबर निर्धारित बही मूल्य तक बढ़ाया जाता है. प्रत्यावर्तन के बाद, मूल्यह्रास/परिशोधन प्रभार का, भावी अवधियों में समायोजन किया जाता है जिससे कि आस्ति की संशोधित रखाव रकम का, उसकी शेष उपयोगी आयु में व्यवस्थित ढंग से उसका अवशिष्ट मूल्य घटाने के बाद आबंटन किया जा सके. ह्रासित हानि का प्रत्यावर्तन करने पर उसे समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.19. समेकित नकदी प्रवाह विवरण

समेकित नकदी प्रवाह विवरण को परोक्ष पद्धति के सहारे रिपोर्ट किया जाता है जिसमें कर उपरांत लाभ के नकद रहित स्वरूप का, गत अथवा भावी प्रचालन नकदी प्राप्तियों अथवा भुगतान के किसी प्रकार के स्थगन अथवा उपचय और नकद प्रवाह में निवेश करने अथवा उसकी वित्तपोषक गतिविधियों से आय अथवा खर्च की मद से संबंधित लेन-देन के प्रभाव का समायोजन किया जाता है. नकदी प्रवाह का, प्रचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों में पृथक्करण किया जाता है.

3.20. प्रति शेयर अर्जन (EPS)

प्रति शेयर बुनियादी अर्जन का परिकलन करते समय इक्विटी शेयरधारकों से संबंधित अवधि के लिए निवल लाभ अथवा हानि (अगर कोई अधिमानी लाभांश और उससे संबंधित कर हो तो उसे घटाने के बाद) का अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजन किया जाता है.

प्रति शेयर आंशिक अर्जन का परिकलन करते समय इक्विटी शेयरधारकों से संबंधित अवधि के लिए निवल लाभ अथवा हानि और अवधि के दौरान सभी कम करने लायक संभावित इक्विटी शेयरों का समायोजन किया जाता है.

3.21. स्टॉक

स्टॉक का मूल्यांकन, निम्नतर लागत और निवल वसूल करने योग्य मूल्य पर किया गया है. स्टॉक लागत में शामिल है, क्रय लागत और स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान तक और उनकी वर्तमान स्थिति में लाने के लिए उठाई गई अन्य लागत. लागत का निर्धारण इस प्रकार किया गया है:-

कच्चा माल (क्रूड)	प्रथम आवक प्रथम जावक (FIFO) आधार पर
अन्य कच्चा माल	भारित औसत लागत के आधार पर
तैयार माल	कच्चा माल और रूपांतरण लागत
व्यापार में स्टॉक	भारित औसत लागत के आधार पर
प्रक्रिया में स्टॉक	पैकिंग सामग्री सहित कच्चा माल और यथानुपात रूपांतरण लागत,
भंडार और अतिरिक्त पुरजों पर	भारित औसत लागत के आधार पर

कच्चा माल का लागत से कम अवलेखन तभी किया जाता है जब कच्चा माल की कीमतों में बाद में गिरावट आए और यह अनुमान लगाया गया हो कि तैयार माल की लागत उनके वसूली करने लायक मूल्य से अधिक हो.

विनिर्माण स्थान पर पड़े तैयार माल पर उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान, लागू शुल्क के आधार पर कर निर्धारणीय मूल्य पर किया जाता है.

बंधित गोदाम में पड़े कच्चा माल पर उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान लागू दरों पर किया जाता है.

पुराने, ज्यादा उपयोग न किए जाने वाले, अतिरिक्त और दोषपूर्ण स्टॉक को, स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करते समय पहचाना जाता है और जहां कहीं आवश्यक हो, ऐसे स्टॉक के लिए प्रावधान किया जाता है.

3.22. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक आस्तियां और प्रतिबद्धताएं

जब समूह का वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) हो तब गत घटना के परिणामस्वरूप प्रावधान को मान्यता दी जाती है, ऐसी सूरत में संभव है कि समूह को दायित्व निपटाना पड़े और दायित्व की रकम का भरोसेमंद आकलन किया जा सकता है.

प्रावधान के रूप में लेखाबद्ध रकम, दायित्व में अंतर्निहित जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व निपटाने के लिए आवश्यक प्रतिफल के बेहतरीन आकलन के बराबर होता है. अगर पैसे का समय मूल्य महत्वपूर्ण हो तो कर पूर्व बट्टा दर लगाते हुए प्रावधान में रियायत दी जाती है. जब रियायत दी जा रही हो तब समय बीतने के कारण प्रावधान बढ़ने पर उसे वित्त लागत के रूप में दर्शाया जाता है.

प्रावधान से संबंधित खर्च को, अगर कोई निवल प्रतिपूर्तियां हों तो उनके रूप में लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

जब आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभव हो तब आकस्मिक आस्तियों को समेकित वित्तीय विवरणों में लेखों पर टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है.

आकस्मिक देयताएं, ऐसी संभावित दायित्व होती हैं, जिनकी मौजूदगी की पुष्टि, ऐसी भावी घटनाओं से ही की जाती हैं जो पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में न हों अथवा ऐसे वर्तमान दायित्व होते हैं जहां यह संभव न हो कि संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक हो अथवा दायित्व की रकम को पर्याप्त भरोसेमंदी के साथ मापना संभव न हो. जब तक आर्थिक लाभ के रूप में संसाधनों का बहिर्वाह होने की संभावना न हो, आकस्मिक देयताओं को समेकित वित्तीय विवरणों में लेखों पर टिप्पणियों के रूप में प्रबंधन / स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है.

आकस्मिक आस्तियों और आकस्मिक देयताओं की, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है जिससे कि प्रबंधन का वर्तमान आकलन परिलक्षित हो.

प्रकट की गई पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं, उन मदों के संबंध में जो प्रत्येक मामले में देहली सीमा से अधिक हों.

3.23. वित्तीय लिखत

वित्तीय लिखत, एक ठेका है जो एक उद्यम की वित्तीय आस्ति और दूसरे प्रतिष्ठाना की वित्तीय देयता अथवा इक्विटी लिखत निर्मित करता है. वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को तब लेखाबद्ध किया जाता है जब समूह, लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बने. वित्तीय देयता, एक ऐसी देयता है जो नकद अथवा दूसरी वित्तीय आस्ति, किसी दूसरे उद्यम को सुपुर्द करने का ठेकागत दायित्व निर्मित करती है अथवा कोई ऐसा ठेका बनती है जिसे उद्यम के खुद के इक्विटी लिखतों में निपटाया जाएगा या जा सकेगा और यह एक गैर-व्युत्पन्न है जिसके निमित्त उद्यम, अपने खुद के परिवर्ती संख्या में इक्विटी लिखतों को सुपुर्द करने के लिए बाध्य हो या हो सकता है.

प्रारंभिक पहचान और मापन

वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है. ऐसी लेन-देने लागत को, जो सीधे वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं (वित्तीय आस्तियों और देयताओं से भिन्न, उचित मूल्य पर, लाभ अथवा हानि के जरिए) के अधिग्रहण अथवा निर्गम के कारण उत्पन्न हुई हों, प्रारंभ में मान्यता देने पर यथोचित तरीके से वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य में जोड़ा जाता है अथवा उचित मूल्य से काटा जाता है. ऐसी लेन-देने लागत को, जो सीधे वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण के कारण उत्पन्न हुई हों, फौरन समेकित लाभ-हानि विवरण में लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर दर्शाया जाता है.

3.24. वित्तीय आस्तियां

बाद में मापना

सभी पहचानी गईं वित्तीय आस्तियों को, वित्तीय आस्तियों को संभालने की खातिर बनाए गए व्यावसायिक मॉडेल और ठेकागत नकदी प्रवाह के लक्षणों के आधार पर बाद में पूरी तरह से या तो परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर मापा जाता है.

(i) परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियां

वित्तीय आस्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है जिसके लिए प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग किया जाता है बशर्ते कि इन वित्तीय आस्तियों को व्यवसाय के अंदर इस मकसद से रखा गया हो जिसे हासिल करने के लिए इन वित्तीय आस्तियों को बेचा जाता है और संविदात्मक नकदी प्रवाह हासिल किया जाता है और इन वित्तीय आस्तियों के संविदात्मक नियमों से निर्दिष्ट तारीखों को ऐसा नकदी प्रवाह उत्पन्न होता है जो मात्र बकाया मूल धनराशि के भुगतान और बकाया मूल धनराशि पर ब्याज (SPPI)के भुगतान के रूप में होते हैं.

(ii) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां (FVOCI)

इन आस्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए मापा जाता है बशर्ते कि इन वित्तीय आस्तियों को व्यवसाय के अंदर इस मकसद से रखा गया हो जिसे हासिल करने के लिए इन वित्तीय आस्तियों को बेचा जाता है और संविदात्मक नकदी प्रवाह हासिल किया जाता है, जिन वित्तीय आस्तियों के संविदात्मक नियमों से निर्दिष्ट तारीखों को ऐसा नकदी प्रवाह उत्पन्न होता है जो मात्र बकाया मूल धनराशि के भुगतान और बकाया मूल धनराशि पर ब्याज (SPPI)के भुगतान के रूप में होते हैं.

(iii) लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां (FVTPL)

वित्तीय आस्तियों को, उचित मूल्य पर लाभ अथवा हानि के जरिए तब तक मापा जाता है जब तक उनको परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा न जा रहा हो.

प्रारंभिक मापन के बाद ब्याज के निमित्त आय, ह्रास के कारण हुई हानि और अन्य निवल अभिलाभ एवं हानियों सहित उचित मूल्य में हुए परिवर्तन को समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

(iv) नकद और नकदी समतुल्य

समूह, सभी अधिक अर्थ सुलभ वित्तीय लिखतों पर विचार करता है जिनका ज्ञात नकद में आसानी से रूपांतरण करना संभव हो और जिनका मूल्य बदलने पर जोखिम नगण्य हो और जिनकी क्रय तारीख से तीन महीनों की मूल परिपक्वता हो जो नकद में बदलने लायक हो. नकद और नकदी समतुल्य में बैंकों के पास शेषराशि रहती है जिनका आहरण और उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है.

(v) इक्विटी निवेश :

इक्विटी लिखत (सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों (JV) और सहबद्ध कंपनियों से भिन्न) :

Ind AS 109 के अधीन आने वाले तमाम इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है. व्यापार करने की खातिर रखे गए इक्विटी लिखतों का FVTPL पर वर्गीकरण किया जाता है. इन सभी अन्य इक्विटी निवेशों के मामले में समूह, इनका FVOCI या FVTPL के रूप में वर्गीकरण करने का निर्णय करता है. समूह, ऐसा चुनाव, लिखत-दर-लिखत आधार पर करता है. ऐसा वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किया जाता है जो अपरिवर्तनीय है.

(vi) वित्तीय आस्तियों में ह्रास

समूह, प्रत्येक समेकित तुलन पत्र तारीख को यह निर्धारण करता है कि क्या किसी वित्तीय आस्ति अथवा वित्तीय आस्तियों के समूह में ह्रास हुआ है या नहीं. Ind AS 109 में अपेक्षा की जाती है कि अपेक्षित क्रेडिट हानि को हानिपरक भत्ते के जरिए मापा जाए. समूह, व्यापार से प्राप्य रकम के मामले में जीवनपर्यंत अपेक्षित उन हानियों को लेखाबद्ध करता है जो वित्तीय लेन-देन के बराबर नहीं होती हैं. सभी अन्य वित्तीय आस्तियों के मामले में, अपेक्षित क्रेडिट हानियों को उस रकम पर मापा जाता है जो 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि अथवा उस रकम के बराबर हो तो जीवनपर्यंत अपेक्षित हानि के बराबर हों, बशर्ते कि वित्तीय आस्ति पर क्रेडिट जोखिम में, प्रारंभिक पहचान के बाद काफ़ी उल्लेखनीय बढ़त हुई हो.

(vii) वित्तीय आस्तियों को मान्यता न देना

समूह, वित्तीय आस्ति को तब मान्यता नहीं देता है जब आस्ति से नकद प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाएं अथवा जब वह वित्तीय आस्तियों को और आस्ति के स्वत्व से जुड़े तमाम जोखिमों और अधिनिर्णयों को किसी दूसरे पक्षकार के नाम हस्तांतरित करे.

वित्तीय आस्ति को पूरी तरह से मान्यता न देने पर आस्ति की रखाव रकम और प्राप्त एवं प्राप्य प्रतिफल की रकम के बीच का अंतर, समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.25. वित्तीय देयताएं और इक्विटी लिखत

3.25.1 वित्तीय देयताएं

बाद में मापना

(i) बाद में परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय देयताएं:

वित्तीय देयताओं को उत्तरवर्ती लेखा अवधियों के अंत में परिशोधित लागत पर मापा जाता है. बाद में परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय देयताओं की बही मूल्य का निर्धारण, प्रभावी ब्याज दर पद्धति (“EIR”) पर किया जाता है. अगर ब्याज खर्च का आस्ति की लागत के अंग के रूप में पूंजीकरण न किया गया हो तो उसे ' वित्त लागत ' के अधीन दर्शाया जाता है.

(ii) लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां

लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों में व्युत्पन्न सम्मिलित हैं. FVTPL पर वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है और किसी ब्याज खर्च सहित निवल अभिलाभ एवं हानियों को लाभ-हानि में दर्शाया जाता है.

(iii) सन्निहित व्युत्पन्न

आस्ति से भिन्न सभी अन्य मेजबान ठेका में सन्निहित व्युत्पन्न को तभी अलग किया जाता है जब सन्निहित व्युत्पन्न के आर्थिक लक्षण और जोखिम, मेजबान के आर्थिक लक्षणों और जोखिम से गहराई से न जुड़े हों और इनको लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता हो. मेजबान ठेकों से निकटता से जुड़े सन्निहित व्युत्पन्नों को अलग नहीं किया जाता है.

वित्तीय देयताओं को मान्यता न देना

समूह, वित्तीय देयताओं को किसी भी सूरत में तभी लेखाबद्ध नहीं करता है जब समूह का दायित्व निभाया गया हो, रद्द किया गया हो अथवा समाप्त हुआ हो. बहियों में दर्शाई वित्तीय देयता की बही मूल्य और प्रदत्त एवं देय प्रतिफल के बीच का अंतर, समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.25.2 इक्विटी लिखत

किसी भी ठेके में इक्विटी लिखत उसे कहते हैं जो अपनी तमाम देयताओं को काटने के बाद समग्र आस्तियों में अवशिष्ट हित का सबूत बनता है. समूह द्वारा निर्गमित इक्विटी लिखतों को प्राप्त प्राप्तियों पर दर्शाया जाता है. प्रत्यक्ष रूप से नए साधारण इक्विटी शेयरों के निर्गमन के कारण उठाई गईं वृद्धिशील लागत को, इक्विटी से कटौती यानी निवल कर प्रभाव के रूप में दर्शाया जाता है.

3.26. वित्तीय गारंटी

जब समूह को अपनी नियंत्रक कंपनी से वित्तीय गारंटी मिले तब वह गारंटी शुल्क को उचित मूल्य पर मापता है. समूह, नियंत्रक कंपनी से प्राप्त वित्तीय गारंटी के लिए शुल्क के प्रारंभिक उचित मूल्य को " माना गया इक्विटी " के रूप में अभिलिखित है जब कि उसकी तदनुरूपी आस्ति को पूर्वदत्त गारंटी शुल्क के रूप में रेकॉर्ड करता है. ऐसे माने गए इक्विटी को तुलन पत्र में ' अन्य इक्विटी ' शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है. पूर्वदत्त गारंटी शुल्क को प्राप्त वित्तीय गारंटी की अवधि में समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.27. बीमा संबंधी दावे

(क) सभी बीमा संबंधी दावों को, वसूल करने योग्य रकम को भरोसे मंद तरीके से मापे जाने की सीमा तक स्वीकार किए / स्वीकार किए जाने वाले दावों के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है और प्रबंधन के लिए आभासी रूप से निश्चित है कि अंत में वसूली होगी.

(ख) आस्ति की पूरी तरह से हानि होने पर, बीमाकर्ता को सूचित करने पर, यातो आस्ति की वहन लागत अथवा बीमा मूल्य (काटने लायक अतिशय रकम के अधीन), जो भी कम हो, बीमा कंपनी से वसूल करने योग्य दावे के रूप में माना जाएगा बशर्ते कि उक्त परिच्छेद (क) में उल्लिखित शर्तें पूरी की गई हों. अगर बीमा दावा, आस्ति की वहन लागत से कम हो तो अंतर रकम को समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

(ग) आंशिक अथवा अन्य हानियों के मामले में इन आस्तियों का दोबारा उपयोग करने लायक स्थिति में लाने की खातिर, अगर अन्य पक्षकार की अथवा अन्य देयताएं हों तो (काटने लायक अतिशय रकम को घटाने के बाद) उनको चुकाने की दृष्टि से किए गए व्यय/भुगतान को बीमा कंपनी से प्राप्य दावे के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है बशर्ते कि उक्त परिच्छेद (क) में उल्लिखित शर्तें पूरी की गईं हों. बीमा पॉलिसी के निमित्त काटने लायक अतिशय रकम को उस वर्ष खर्च किया जाता है जिसमें तदनुरूपी व्यय किया गया हो.

(घ) किसी वर्ष, कुल हानि, आंशिक हानि अथवा अन्य हानियां होने की दशा में और अगर उक्त परिच्छेद (क) की शर्तें पूरी न की गई हों तो हानियों को उसी वर्ष के समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

(ङ) जब कभी अंत में बीमा कंपनी से दावे प्राप्त हों, बीमा कंपनी प्राप्य और प्राप्त दावे के बीच कोई अंतर हो तो उसका समेकित लाभ-हानि विवरण में समायोजन किया जाता है.

(च) सभी अन्य दावों और प्रावधानों को प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर दर्ज किया गया है.

3.28. निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां (भूमि अथवा भवन अथवा भवन का अथवा दोनों का अंश) ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनको किराया कमाने और/अथवा पूंजी में वृद्धि होने अथवा दोनों की खातिर लेकिन कारोबार के सामान्य क्रम में बेचने के लिए नहीं रखा जाता है, उत्पादन में उपयोग करने अथवा वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति करने अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए रखा जाता है. निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लेन-देन लागत सहित लागत पर मापा जाता है. प्रारंभ में मान्यता देने के बाद, निवेश संपत्ति को लागत मॉडेल के लिए Ind AS 16 की अपेक्षाओं के अनुसार मापा जाता है. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया गया है.

निवेश संपत्ति को, या तो उसे बेचने पर अथवा उसे स्थाई रूप से उपयोग करने से हटाने पर मान्यता नहीं दी जाती है और उसे निपटाने पर भविष्य में उससे कोई आर्थिक लाभ मिलने की अपेक्षा नहीं की जाती है. संपत्ति को मान्यता न देने से उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानि (निवल निपटान प्राप्तियों और आस्ति की रखाव रकम के बीच अंतर रूप में परिकलित) को लाभ अथवा हानि में उस अवधि में समाविष्ट किया जाता है जिसमें संपत्ति को मान्यता देना बंद किया गया हो.

4. लेखाकरण के बारे में नाजुक फ़ैसले, परिकल्पनाएं और आकलन के महत्वपूर्ण स्रोत

जैसे कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय अपनाई गईं लेखा नीतियों को लागू करते समय यह बात अंतर्निहित है कि प्रबंधन को ऐसे फ़ैसले, आकलन करने पड़ेंगे और परिकल्पनाएं करनी पड़ेंगी जो रिपोर्ट की गईं आस्तियों और देयताओं की रकम, आकस्मिक आस्तियों और देयताओं का प्रकटन, राजस्व एवं खर्च की रिपोर्ट की गई रकम को प्रभावित करे. वास्तविक परिणाम, किए गए आकलन और परिकल्पनाओं से भिन्न हो सकते हैं.

आकलन और उसकी अंतर्निहित परिकल्पनाओं की, अविरत आधार पर समीक्षा की जाती है. लेखाकरण संबंधी आकलन में किए गए संशोधन को उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें आकलन में संशोधन किया गया हो जो भावी अवधि को प्रभावित करे.

वित्तीय विवरण तैयार करते समय फैसला, परिकल्पनाएं और आकलन करने में अनिश्चितता के महत्वपूर्ण स्रोत, जिसकी बदौलत, अगले वित्तीय वर्ष के अंदर आस्तियों एवं देयताओं की रखाव रकम में महत्वपूर्ण समायोजन करने की नौबत आए, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की उपयोगी आयु, कर्मचारी लाभ संबंधी दायित्व, आय कर के लिए प्रावधान एवं आस्थगित कर आस्तियों के संबंध में होती हैं.

4.1. लेखा नीतियां लागू करते समय नाजुक फ़ैसले करना

नीचे दिए गए फ़ैसले, आकलन से जुड़े फ़ैसलों के अलावा महत्वपूर्ण हैं, (देखें टिप्पणी 4.2), प्रबंधन को, समूह की ऐसी लेखा नीतियां लागू करते समय जिनका समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाई गईं रकम पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़े, नीचे उल्लिखित नाजुक फ़ैसले करने पड़ेंगे.

(क) कार्यात्मक मुद्रा का निर्धारण

प्राथमिक आर्थिक माहौल में ऐसी मुद्रा जिसमें समूह, अपना काम चलाता है (" कार्यात्मक मुद्रा "), भारतीय रुपया है (₹) जिसमें समूह, मूल रूप से नकद उत्पन्न कर खर्च करता है. तदनुसार, प्रबंधन ने तय किया है कि उसकी कार्यात्मक मुद्रा होगी, भारतीय रुपया (₹).

4.2. आकलन में अनिश्चितता की परिकल्पनाएं और महत्वपूर्ण स्रोत

ऐसे आकलन और पूर्व धारणाओं के बारे में सूचना, जिनका आस्तियों, देयताओं, आय और खर्च को दर्शाने और मापने पर उल्लेखनीय प्रभाव हो, नीचे दी गई है. वास्तविक परिणाम, इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं.

क) **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु**

प्रबंधन, PPE और अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु के बारे में अपने आकलन की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्ट तारीख को, आस्तियों की खपत से मिलने वाले भावी आर्थिक लाभ के आधार पर करता है.

ख) **परिभाषित लाभ के प्रति दायित्व (DBO)**

प्रबंधन का DBO का आकलन, अंतर्निहित नाजुक परिकल्पनाओं की संख्या पर आधारित है जैसे मुद्रास्फ़ीति का मानक दर, चिकित्सा लागत की प्रवृत्तियां, मृत्यु-दर, बट्टा दर और भविष्य में प्रत्याशित वेतन वृद्धि. इन परिकल्पनाओं में घट-बढ़ हो सकती है जिसका DBO की रकम और वार्षिक परिभाषित लाभ संबंधी खर्च पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है.

ग) **आय कर के लिए प्रावधान**

अनिश्चित कर देयताओं के संबंध में अदा/वसूल की जाने वाली रकम रहित आय करों के लिए प्रावधान तय करने से जुड़े उल्लेखनीय फ़ैसले लेने पड़ते हैं.

घ) **आस्थगित कर आस्तियों को लेखाबद्ध करना**

जिस हद तक आस्थगित कर आस्तियों को लेखाबद्ध किया जा सकता है उसका निर्धारण समूह की उस भावी कर योग्य आय की संभावनाओं पर निर्भर होता है जिसके प्रति आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करना संभव हो. इसके अलावा, कानूनी अथवा आर्थिक सीमाओं अथवा अनिश्चितताओं के प्रभाव का निर्धारण करते समय काफ़ी बड़े फ़ैसले करने पड़ेंगे.

सहायक कंपनी के संबंध में

सहायक कंपनी OMPL ने अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों पर आस्थगित कर आस्तियों को यथा 31 मार्च, 2021 दर्शाया है. अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों पर आस्थगित कर आस्तियों को दर्शाने के लिए कंपनी ने " आय कर " के बारे में Ind AS 12 on के प्रावधानों का पालन किया है.

कंपनी ने इससे पहले हानि उठाई थीं और अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों को इन परिस्थितियों में लेखाबद्ध करते समय यह निर्धारण करना होगा कि क्या कंपनी में पर्याप्त कर योग्य अस्थाई अंतर है अथवा दूसरा सबूत पेश करना होगा कि ऐसा कर योग्य पर्याप्त लाभ उपलब्ध है जिसके प्रति अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों का उपयोग किया जा सके. इस संबंध में, कंपनी ने अपने भावी कारोबार परिदृश्य का अवलोकन किया और नीचे उल्लिखित बातों के आधार पर भविष्य में उपलब्ध कर योग्य लाभ का अनुमान लगाया और अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों पर आस्थगित कर को लेखाबद्ध किया.

- प्रमुख उत्पादों के लिए वायदा किए गए मुताबिक दीर्घावधि/अल्पावधि खरीदारी की व्यवस्था
- मूल कंपनी के साथ दीर्घावधि आपूर्ति/वापसी धारा संबंधी व्यवस्था
- नए उत्पादों के साथ बाजार की व्याप्ति बढ़ाना
- उप-उत्पादों का निर्यात
- सुधार करने के लिए परियोजनाएं/उपाय - संयंत्र की क्षमता का उपयोग करना, फ़ीड का प्रोसेसिंग और उत्पाद का उत्पादन, उपयोगिता खपत में लागत प्रभावशालिता आदि.
- कम कीमत पर ईंधन अर्थात्; प्राकृतिक गैस खरीदने की व्यवस्था

कंपनी ने निर्धारित मान्यता देने संबंधी मानदंड को मानक समझा है और इसे इस हद तक समझा गया है जिस हद तक यह संभव न हो कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके प्रति अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों का उपयोग किया जा सके, कंपनी ने आस्थगित कर आस्ति को नहीं दर्शाया है. आगे, अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों पर आस्थगित कर आस्ति को मान्यता देते समय बाजार में उथल-पुथल और क्षमता उपयोग सहित कानूनी अथवा आर्थिक सीमाओं अथवा अनिश्चितताओं के प्रभाव का निर्धारण करते समय काफ़ी बड़े फ़ैसले किए गए हैं.

ङ) **सहायक कंपनी में निवेश की क्षति**

ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) में किए गए इक्विटी निवेश के बाद 31 मार्च, 2021 को कंपनी की रखाव रकम ₹ 29,595.57 दशलक्ष रही (31 मार्च, 2020 को ₹ 17,426.37 दशलक्ष). OMPL ने 2014-15 में

अपना प्रचालन वर्ष एक हरित क्षेत्र वाली परियोजना से शुरु किया जिसने पूर्व वित्तीय वर्षों में हानि उठाई थीं जिसके परिणामस्वरूप निवल मूल्यवत्ता में उल्लेखनीय अवनति हुई है. लेकिन प्रत्यक्ष निष्पादन में सुधार करते हुए और लाभप्रदता बढ़ाने वाले विभिन्न प्रकार के उपाय करते हुए, कंपनी ने प्रारंभ में चुनौतियों का मुकाबला किया है.

प्रबंधन ने भविष्य के बारे में धारणाओं के आधार पर वर्तमान मूल्य तक घटाए गए संबंधित भावी नकदी प्रवाह पर विचार किया है. क्षति का परीक्षण करते समय अकसर कई अस्थिर आर्थिक कारकों जैसे भावी बाजार कीमतों, मुद्रा विनिमय दरों और भावी उत्पादन एवं बट्टा दर को लेकर दीर्घावधि धारणाएं बनानी पड़ती हैं.

उक्त निर्धारण के आधार पर प्रबंधन ने यह फ़ैसला किया है कि निवेश के मूल्य में इस समय हुई अवनति अस्थाई है जो OMPL द्वारा इससे पहले उठाई गई हानियों के कारण है. तदनुसार 31 मार्च, 2021 को कोई क्षति नहीं हुई है.

च) पट्टे

यह पहचानना कि क्या ठेके में पट्टा शामिल है या नहीं

समूह, विभिन्न आस्तियों/सेवाओं के लिए किराया/सेवा संबंधी व्यवस्थाएं करता है. समूह, Ind AS 116 के सिद्धांतों के अनुसार यह मूल्यांकन करता है कि क्या ठेके में कोई पट्टा है या नहीं. इसमें उल्लेखनीय फ़ैसले करने पड़ते हैं जिनमें ये बातें शामिल हैं परंतु इन बातों तक सीमित नहीं है, क्या आस्ति को निःसंदेह पहचाना गया है और आपूर्तिकर्ता के पास असली स्थानापन्न अधिकार उपलब्ध हैं, ऐसा फ़ैसला करने का अधिकार कि संबंधित आस्ति का उपयोग किस तरह से किया जाए, व्यवस्था का आर्थिक सार आदि.

पट्टा संबंधी अवधि का निर्धारण (विस्तार और समाप्त करने संबंधी विकल्पों सहित)

समूह, पट्टा संबंधी अवधि को रद्द न करने लायक पट्टा अवधि की तरह मानता है जिसमें पट्टे की अवधि बढ़ाने अथवा समाप्त करने के विकल्प के साथ समायोजन किया गया हो बशर्ते कि ऐसे विकल्प का उपयोग करना लगभग निश्चित हो. अवधि बढ़ाने/समाप्त करने के विकल्प का निर्धारण, पट्टा-दर-पट्टा आधार पर संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार किया जाता है. अगर विकल्प का वास्तव में उपयोग किया जाए तो पट्टा संबंधी अवधि का पुनर्निर्धारण किया जाता है. ठेकों के मामले में, जहां कुछ परिस्थितियों में समूह को अंतर्निहित आस्ति को किराए पर लेने और न लेने का विकल्प हो(जैसे प्रचालन संबंधी अपेक्षाएं), पट्टे की अवधि को प्रारंभिक ठेका अवधि के रूप में माना जाता है.

पट्टा संबंधी देयता का परिकलन करने के लिए पट्टा संबंधी भुगतानों को पहचानना

निश्चित पट्टा भुगतानों (इन्न-सब्सटेंस निश्चित सहित) को पहचानने के लिए, समूह, पट्टा संबंधी देयता और तदनुरूपी आस्तियों का उपयोग करने के अधिकार का परिकलन करते समय गैर-प्रचालन दिन दर/स्टैंड बाय को न्यूनतम निश्चित पट्टा भुगतान की तरह मानता है.

कम मूल्य के पट्टे

Ind AS 116 में इस बात का निर्धारण करने अपेक्षा की गई है कि क्या अंतर्निहित आस्ति का मूल्य कम है, अगर पट्टेदार, अंतर्निहित आस्ति का मूल्य कम होने पर, पट्टे के संबंध में Ind AS 116 की उसे स्वीकार करने और उसका मापन करने संबंधी अपेक्षाओं को लागू न करने का विकल्प चुने. कम मूल्य का निर्धारण करते समय समूह ने, Ind AS 1 में यथा परिभाषित आस्तियों के स्वरूप और मटीरियलिटी की अवधारण तथा Ind AS के वैचारिक ढांचे पर विचार किया है जिसमें उल्लेखनीय फ़ैसला करना पड़ता है.

पट्टा संबंधी देयता का परिकलन करने के लिए बट्टा दर का निर्धारण करना

पट्टा संबंधी देयता का परिकलन करते समय Ind AS 116 में अपेक्षा की जाती है कि पट्टेदार, अगर पट्टा संबंधी ठेके में निर्दिष्ट दर का फ़ौरन निर्धारण करना संभव न हो तो अपनी वृद्धिशील उधार दर का बट्टा दर के रूप में उपयोग करे. समूह की कार्यात्मक मुद्रा में अंकित पट्टे के मामले में, समूह, वृद्धिशील उधार को, इसी तरह से निर्धारित संगठनों के लिए कार्पोरेट बाँड रेट के रूप में मानता है.

****

5. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तमाम रकम, ₹ दशलक्ष में है)

निवल रखाव रकम	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	54.91	54.91
भवन	4,365.25	4,473.95
संयंत्र और उपकरण [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 'क']	177,697.06	185,505.94
रेलवे साइडिंग	1,446.41	1,534.70
फर्नीचर और जुड़नार	243.64	277.01
वाहन	93.52	107.04
कार्यालय उपकरण	447.10	463.38
कुल	184,347.89	192,416.93

कुल रखाव रकम	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृत भूमि	भवन	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	17.65	271.74	5,370.90	228,641.35	-	466.62	165.85	659.09	235,593.20
परिवर्धन/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण	37.26	-	64.18	5,379.25	1,626.75	33.10	11.10	198.36	7,350.00
निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण अन्य शीर्षों में अंतरण	-	271.74	37.26	578.81	-	3.23	0.69	3.85	895.58
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	54.91	-	5,397.82	233,441.79	1,626.75	496.49	176.26	853.60	242,047.62
परिवर्धन/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण	-	-	35.34	3,455.28	15.82	15.78	4.58	36.53	3,563.33
निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण अन्य शीर्षों में अंतरण	-	-	0.05	1,070.39	-	5.87	4.12	6.00	1,086.43
31 मार्च, 2021 को शेषराशि	**54.91**	**-**	**5,433.11**	**235,826.68**	**1,642.57**	**506.40**	**176.72**	**884.13**	**244,524.52**

परिशोधित मूल्यह्रास	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृत भूमि	भवन	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	-	-	763.80	38,155.96	-	169.85	53.29	336.05	39,478.95
मूल्यह्रास	-	-	160.07	10,226.14	92.05	52.26	16.49	57.63	10,604.64
निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण अन्य शीर्षों में अंतरण	-	-	-	446.25	-	2.63	0.56	3.46	452.90
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**-**	**-**	**923.87**	**47,935.85**	**92.05**	**219.48**	**69.22**	**390.22**	**49,630.69**
मूल्यह्रास	-	-	143.99	10,946.42	104.11	48.56	16.12	51.95	11,311.15
निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अंतरण अन्य शीर्षों में अंतरण	-	-	-	752.65	-	5.28	2.14	5.14	765.21
31 मार्च, 2021 को शेषराशि	**-**	**-**	**1,067.86**	**58,129.62**	**196.16**	**262.76**	**83.20**	**437.03**	**60,176.63**

क) संयंत्र और उपकरण में शामिल है ₹ 39.15 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 39.15 दशलक्ष),जो किसी दूसरी कंपनी के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली आस्ति में कंपनी का हिस्सा है.

5.1 जमानत के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (देखें टिप्पणी 23):

बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए जमानत के तौर पर वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार और चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है (जिसमें संयंत्र और मशीनों, अतिरिक्त पुरज़ों, औजारों, फर्नीचर, जुड़नार, वाहन और समस्त अन्य चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शामिल हैं जिनकी सीमा यहां तक समाप्त नहीं होती है).

संघीय बैंक से लिए कार्यकारी पूंजीगत उधार के लिए जमानत के तौर पर प्रथम सम मात्रा प्रभार के रूप में कंपनी के कच्चा माल, तैयार माल, प्रक्रियागत स्टॉक, भंडार, अतिरिक्त पुर्जों, घटकों, प्राप्य व्यापार रकमों, बकाया प्राप्त धन, दावों, बिलों, ठेके, वचनबद्धता, वर्तमान एवं भावी, दोनों तरह की प्रतिभूतियों को दृष्टिबंधक रखा गया है और आगे, कंपनी की, वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की चल और अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर द्वितीय सम मात्रा प्रभार के रूप में जमानत दी गई है (समस्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण).

5.2 विदेशी विनिमय में पूंजीकृत अंतर

Ind AS 101 के परिच्छेद D13AA के अनुसार पूंजीकृत विदेशी मुद्रा अंतर के संबंध में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में किए गए परिवर्धन में शामिल है ₹ (173.96) दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 702.71 दशलक्ष. आस्ति वार परिवर्धन / (समायोजन) के ब्यौरे यहां नीचे प्रकट किए गए हैं:-

वर्ष	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**
आस्ति की श्रेणी	**विनिमय में अंतर**	**विनिमय में अंतर**
संयंत्र और उपकरण	(173.96)	702.71
कुल	**(173.96)**	**702.71**

5.3 कंपनी, कुछ आर्थिक लाभ के लिए पात्र है जैसे पूर्व वर्षों में पूंजीगत वस्तुओं के आयात/स्थानीय खरीदारी पर प्रवेश कर, उत्पाद शुल्क आदि से छूट. कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की खरीदारी पर सीमाशुल्क तथा प्रवेश कर के लिए प्राप्त लाभ को सरकारी अनुदान के रूप में लिया था. कंपनी ने 1 अप्रैल 2017 को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत को समायोजित कर ₹ 3,618.21 दशलक्ष की राशि आस्थगित सरकारी अनुदान में जमा की थी. आस्थगित कर अनुदान को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की शेष उपयोगी आयु के दौरान परिशोधित किया जाता है.

6. आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार

निवल रखाव रकम	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
पट्टाधृत भूमि **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी 6.1 और 6.2)**	5,237.51	5,392.21
भवन	211.26	249.60
अन्य (उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियां)	2,231.30	2,306.71
कुल	**7,680.07**	**7,948.52**

कुल रखाव रकम	पट्टाधृत भूमि	भवन	अन्य (उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियां)	कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	**5,503.34**	**288.05**	**2,359.17**	**8,150.56**
परिवर्धन	11.96	-	41.55	53.51
पट्टा संबंधी ठेके का पुन: मापन/समापन करने के लिए समायोजन	6.66	-	(0.40)	6.26
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**5,521.96**	**288.05**	**2,400.32**	**8,210.33**
परिवर्धन	26.68	-	8.60	35.28
पट्टा संबंधी ठेके का पुन: मापन/समापन करने के लिए समायोजन	(52.76)	-	21.72	(31.04)
31 मार्च, 2021 को शेषराशि	**5,495.88**	**288.05**	**2,430.64**	**8,214.57**

परिशोधित मूल्यह्रास	पट्टाधृत भूमि	भवन	अन्य (उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियां)	कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	-	-	-	-
परिवर्धन	129.75	38.45	98.53	266.73
पट्टा संबंधी ठेके का पुन: मापन/समापन करने के लिए समायोजन	-	-	(4.92)	(4.92)
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**129.75**	**38.45**	**93.61**	**261.81**
परिवर्धन	128.62	38.34	105.73	272.69
पट्टा संबंधी ठेके का पुन: मापन/समापन करने के लिए समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 को शेषराशि	**258.37**	**76.79**	**199.34**	**534.50**

6.1 इसमें शामिल है, पट्टाधृत भूमि का, जहां स्वामित्व को, पट्टा अवधि के अंत में कंपनी के नाम हस्तांतरित किया जाएगा. इन पट्टाधृत भूमियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है.

6.2 आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार में शामिल है ऐसी भूमि जिसकी रकम है ₹ 1,247.51 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 1,305.60 दशलक्ष) जो कंपनी के कब्जे में है जिसके प्रति औपचारिक पट्टा संबंधी विलेख अभी निष्पादित नहीं किए गए हैं.

6.3 उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों में प्रभारित मूल्यह्रास के लिए ₹ 37.57 दशलक्ष(31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 43.02 दशलक्ष) का, प्रगति में पूंजीगत कार्य (CWIP) की लागत के घटक के रूप में पूंजीकरण किया गया है **[देखें टिप्पणी 7.3].**

7. प्रगति में पूंजीगत कार्य (CWIP)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
भवन		399.57		249.97
संयंत्र और उपकरण		21,616.27		16,215.07
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		-		15.48
आबंटन होने तक परियोजना व्यय :				
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	440.49		300.29	
वित्त लागत **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 7.1 और 7.2]**	1,100.62		621.90	
मूल्यह्रास संबंधी खर्च **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 7.3]**	80.59		43.02	
अन्य खर्च	60.14		47.74	
घटाएं: वर्ष के दौरान आबंटित/समायोजित	35.28	1,646.56	33.98	978.97
कुल		**23,662.40**		**17,459.49**

7.1 CWIP में किए गए परिवर्धन में शामिल है, उधार लागत के निमित्त ₹ 478.72 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 366.61 दशलक्ष) जिसका विभिन्न श्रेणी की आस्तियों में आबंटन किया गया है/किया जाएगा. पूंजीकरण के लिए योग्य उधार लागत की रकम का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त दर 7.17% रही (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 7.80%) जो उधार पर प्रभावी ब्याज दर है.

7.2 पट्टा संबंधी देयता पर वित्त लागत के प्रति ₹ 89.44 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 101.60 दशलक्ष) का, प्रगति में पूंजीगत कार्य (CWIP) की लागत के घटक के रूप में पूंजीकरण किया गया है.

7.3 उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों में प्रभारित मूल्यह्रास के लिए ₹ 37.57 दशलक्ष(31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 43.02 दशलक्ष) का, प्रगति में पूंजीगत कार्य (CWIP) की लागत के घटक के रूप में पूंजीकरण किया गया है.

7.4 इसमें शामिल है ओआईडीबी के प्रति लिया गया ऋण जिसकी जमानत के तौर पर, ओआईडीबी की ऋण संबंधी प्राप्तियों में से वित्तपोषित सिर्फ़ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / परियोजनाओं पर दृष्टिबंधक / बंधक के रूप में प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है. **[देखें टिप्पणी 23.3.2]** और भारतीय स्टेट बैंक से लिया गया जमानत रहित, विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCNR) (B) कैपेक्स ऋण **[देखें टिप्पणी 23.9].**

8 निवेश संपत्ति

निवल रखाव रकम :	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	77.96	77.96
कुल	**77.96**	**77.96**

कुल रखाव रकम	रकम
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	**77.96**
परिवर्धन	-
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अन्य शीर्षों में अंतरण	-
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	**77.96**
परिवर्धन	-
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अन्य शीर्षों में अंतरण	
31 मार्च, 2021 को शेषराशि	**77.96**

संचित परिशोधित मूल्यह्रास और ह्रास	रकम
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	-
मूल्यह्रास	-
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अन्य शीर्षों में अंतरण	-
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	-
मूल्यह्रास	-
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अन्य शीर्षों में अंतरण	-
31 मार्च, 2021 को शेषराशि	

8.1 पूंजीगत मूल्य वृद्धि के लिए धारित 102.31 एकड़ की भूमि शामिल है.

8.2 निवेश संपत्ति को खरीदने, निर्मित करने अथवा विकसित करने के प्रति कोई संविदागत दायित्व नहीं है.

8.3 चालू वर्ष में निवेश संपत्ति के लिए लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई निवल रकम ₹ शून्य है(31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में ₹ शून्य).

8.4 ऊपर उल्लिखित निवेश संपत्ति में उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्ति शामिल नहीं की गई है.

8.5 उचित मूल्य का बेहतरीन साक्ष्य है, इसी तरह की संपत्तियों के लिए सक्रिय बाज़ार में वर्तमान कीमतें.

8.6 कंपनी ने, दिनांक 30 अक्तूबर, 2020 को स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का उचित मूल्य 31 मार्च, 2021 को ₹ 409.24 दशलक्ष के रूप में निश्चित किया है (31 मार्च, 2020 को ₹ 255.80 दशलक्ष).

9. सुनाम

9.1 नाइट्रोजन संयंत्र के निमित्त सुनाम

विवरण	रकम
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	4.04
क्षति	-
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	4.04
क्षति	-
31 मार्च, 2021 को शेषराशि	4.04

9.2 सुनाम, नाइट्रोजन संयंत्र का अधिग्रहण करने की खातिर निवल आस्तियों पर प्रदत्त अतिशय प्रतिफल दर्शाता है.

9.3 समेकन पर सुनाम

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
समेकन पर सुनाम	3,768.74	3,768.74
कुल सुनाम (9.1+9.3)	3,772.78	3,772.78

10 अन्य अगोचर आस्तियां

निवल रखाव रकम	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	65.41	61.08
लाइसेंस और क्रयाधिकार	20.32	36.85
कुल	85.73	97.93

कुल रखाव रकम	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	लाइसेंस और क्रयाधिकार	कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	171.97	-	171.97
परिवर्धन	19.19	49.53	68.72
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अन्य शीर्षों में अंतरण	-	-	-
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	191.16	49.53	240.69
परिवर्धन	21.88	-	21.88
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अन्य शीर्षों में अंतरण	29.87	-	29.87
31 मार्च, 2021 को शेषराशि	183.17	49.53	232.70

संचित परिशोधन	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	लाइसेंस और क्रयाधिकार	कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	113.20	-	113.20
परिशोधन	16.88	12.68	29.56
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अन्य शीर्षों में अंतरण	-	-	-
31 मार्च, 2020 को शेषराशि	130.08	12.68	142.76
परिशोधन	17.55	16.53	34.08
अन्य शीर्षों में निपटान/कटौती/पुनर्वर्गीकरण/अन्य शीर्षों में अंतरण	29.87	-	29.87
31 मार्च, 2021 को शेषराशि	117.76	29.21	146.97

11. निवेश

11.1 इक्विटी लिखतों में निवेश

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
	संख्या दशलक्ष में	रकम	संख्या दशलक्ष में	रकम
कोट न किए गए निवेश (सभी पूर्णत: प्रदत्त)				
(i) निवेश (उचित मूल्य पर)				
(क) मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड (₹ 10 प्रति शेयर का अंकित मूल्य)	0.48	4.80	0.48	4.80
(ख) मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड (₹ 10 प्रति शेयर का अंकित मूल्य)	0.02	0.28	0.02	0.28
(ii) संयुक्त उद्यम में निवेश (इक्विटी पद्धति) शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (₹ 10 प्रति शेयर का अंकित मूल्य)	15.00	249.86	15.00	287.87
कुल		**254.94**		**292.95**

कोट न किए गए निवेश का कुल वहन मूल्य	254.94	292.95
निवेश के मूल्य में हुई क्षति की कुल रकम	-	-

11.1.1 निवेश के ब्यौरे

कंपनी का नाम	प्रधान गतिविधि	निगमन स्थान और कारोबार का प्रमुख स्थान मूल स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वत्व हित / धारित मताधिकार का अनुपात	
			यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
(क) मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	विशेष आर्थिक अंचल का डेवलपर	भारत	0.96%	0.96%
(ख) मंगलम् रीटेल सर्वीसस लिमिटेड(MRSL)	पेट्रोलियम उत्पादों का, खुदरा केंद्रों और परिवहन टर्मिनल के जरिए वितरण	भारत	18.98%	18.98%

11.1.2 सहायक कंपनी, OMPL द्वारा मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड में किए गए निवेश को प्रारंभ में लागत पर और बाद में लाभ-हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापा गया है. सहायक कंपनी के प्रबंधन ने ऐसे निवेश के उचित मूल्य को (स्तर 3 के सोपान पर), प्रत्येक रिपोर्ट अवधि पर बही मूल्य के समतुल्य माना है.

11.1.3 MRSL में निवेश को लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापा गया है. प्रबंधन ने ऐसे निवेश के उचित मूल्य को (स्तर 3 के सोपान पर), प्रत्येक रिपोर्ट अवधि पर रखाव रकम के समतुल्य माना है.

11.1.4 संयुक्त उद्यम के ब्यौरे

संयुक्त उद्यम का नाम	प्रधान गतिविधि	निगमन स्थान और कारोबार का मूल स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वत्व हित / धारित मताधिकार का अनुपात	
			यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	विमानन ईंधनों का व्यापार	भारत	50.00%	50.00%

संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश की लेखा पद्धति के बारे में जानने के लिए **देखें टिप्पणी 3.6.**

12 ऋण

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(क) बयाना				
(जमानत रहित शोध्य समझे गए)				
संबंधित पक्षकारों के पास	40.59	-	44.17	-
विक्रेताओं के पास	135.14	12.69	156.58	4.51
जमाराशि में ह्रास				
- ऐसी जमाराशियां जिसे जमा करने पर क्षति हुई हो	-	0.71	-	-
घटाएं: संदिग्ध जमाराशियों के निमित्त ह्रास	-	0.71	-	-
	175.73	**12.69**	**200.75**	**4.51**
(ख) कर्मचारियों को दिए गए ऋण				
जमानती, शोध्य समझे गए	1,070.15	138.14	948.11	121.53
जमानत रहित शोध्य समझे गए	-	6.34	-	6.91
जमाराशि में ह्रास				
- ऐसे ऋण जिसे पाने में क्षति हुई हो	-	-	-	0.69
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के निमित्त क्षति	-	-	-	0.69
	1,070.15	**144.48**	**948.11**	**128.44**
(ग) निदेशकों और अन्य अधिकारियों को दिए गए ऋण	**4.34**	**0.80**	**0.58**	**0.09**
(जमानती, शोध्य समझे गए)				
(घ) ग्राहकों को दिए गए ऋण	**4.58**	**0.31**	**1.59**	**0.15**
(जमानती, शोध्य समझे गए)				
[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 12.1]				
कुल	**1,254.80**	**158.28**	**1,151.03**	**133.19**

12.1 कंपनी ने आधारभूत निधि योजना (CFS) के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के व्यापारियों को खुदरा केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना बनाई है. इस योजना के तहत, व्यापारी से कार्यकारी पूंजीगत ऋण/सहायता की मांग करते हुए लिखित दरख्वास्त मिलने पर कंपनी, व्यापारी के पूर्ण प्रचालन चक्र के लिए कार्यकारी पूंजीगत ऋण (सात दिनों की बिक्री की मात्रा के समतुल्य) देती है. यह कार्यकारी पूंजीगत ऋण और उस पर निर्दिष्ट दर से ब्याज, व्यापारी द्वारा चलाया गया खुदरा केंद्र चालू हुए तेरहवें महीने से सौ समान मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा.

13 . अन्य वित्तीय आस्तियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(जमानती, शोध्य समझे गए, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)				
(क) कर्मचारियों/निदेशकों और अन्य अधिकारियों को दिए गए ऋणों पर उपचित ब्याज	**275.52**	**3.45**	**198.57**	**3.04**
(ख) अन्य पर उपचित परंतु देय न हुआ ब्याज,	-	2.62	-	1.84
जमानती, शोध्य समझा गया गैर	-	-	-	-
जमानती, शोध्य समझा गया	**-**	**2.62**	**-**	**1.84**
जमानत रहित शोध्य समझे गया	**-**	**0.05**	**-**	**1.68**
(ग) संबंधित पक्षकारों से प्राप्य (गैर जमानती, शोध्य समझे गए)				
कुल	**275.52**	**6.12**	**198.57**	**6.56**

14 . कर आस्तियां/ (देयताएं) (निवल)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
कर आस्तियां	10,019.31	2,969.12	10,019.29	3,067.90
घटाएं: चालू कर देयताओं के लिए प्रावधान	8,382.75	1,084.76	8,382.75	1,084.76
निवल कर आस्तियां/ (देयताएं) (क)	**1,636.56**	**1,884.36**	**1,636.54**	**1,983.14**
प्रदत्त विवादग्रस्त आय कर (ख)	-	-	-	-
कुल (क+ख)	**1,636.56**	**1,884.36**	**1,636.54**	**1,983.14**

14.1 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत आय कर विवाद निपटाने का विकल्प चुना है और तदनुसार उक्त योजना के तहत देय ₹1,084.76 दशलक्ष की रकम, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में लाभ-हानि विवरण में पूर्व वर्ष के कर के रूप में दर्शाई गई है. इसका अनुसरण करते हुए कर आस्तियों और देयताओं का 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए पुनर्वर्गीकरण किया गया. कर निर्धारण वर्षों की ₹ 2,908.37 दशलक्ष की कर आस्तियां और ₹ 1,084.76 दशलक्ष की देयताएं, जिनके लिए कंपनी ने क्रमश: वर्तमान कर आस्तियों और वर्तमान कर देयताओं के रूप में समझने का विकल्प चुना है क्योंकि इनको एक वर्ष के अंदर निपटाने की उम्मीद है. चालू वित्तीय वर्ष में वही रवैया अपनाया जा रहा है क्योंकि उक्त योजना के अधीन अंतिम आदेश अभी नहीं मिले हैं.

14.2 कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने आय कर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 115BAA अंतर्विष्ट की है जिससे देशी कंपनियों को, कुछ शर्तों पर घटाई गई दर पर कार्पोरेट कर अदा करने का रद्द न करने लायक विकल्प मिला है. ऐसा विकल्प, वित्तीय वर्ष 2019-20 अथवा बाद में किसी वित्तीय वर्ष में चुना जा सकता है. कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कोई विकल्प नहीं लिया. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण, पुरानी कार्पोरेट कर दर पर विचार करते हुए तैयार किए गए हैं. लेकिन, कंपनी, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए नई निम्नतर कर दर का विकल्प, आय कर विवरणी पेश करते समय नियत तारीख तक या उससे पहले चुन सकती है.

15 अन्य आस्तियाँ

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(जमानत रहित, शोध्य समझे गए, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)				
(क) **अन्य को पूंजीगत अग्रिम** जमानती,				
शोध्य समझे गए, गैर जमानती,	548.21	-	1,061.34	-
शोध्य समझे गए	7,035.68	-	7,063.29	-
	7,583.89	**-**	**8,124.63**	**-**
(ख) **सरकारी प्राधिकरण के पास जमाराशि [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 15.1, 15.2 और 15.3]**	**378.73**	**2,472.83**	**378.73**	**2,471.87**
(ग) **वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम**				
संबंधित पक्षकारों से	-	1.96	-	1.48
अन्य से	-	353.95	-	295.11
	-	**355.91**	**-**	**296.59**
(घ) **सरकारी प्राधिकरण के पास शेषराशि**	**-**	**909.74**	**-**	**1,586.20**
(ङ) **पूर्व भुगतान**				
संबंधित पक्षकारों	0.58	0.63	1.22	0.63
से अन्य से	207.36	455.19	217.90	377.92
	207.94	**455.82**	**219.12**	**378.55**
(च) **सोने के सिक्के**	**-**	**0.91**	**-**	**0.91**
(छ) **वापस करने लायक आधार पर स्टॉक**	-	41.39	-	41.39
घटाएं: स्टॉक में क्षति	-	41.39	-	41.39
	-	-	-	-
कुल	**8,170.56**	**4,195.21**	**8,722.48**	**4,734.12**

15.1 विवाद के अधीन प्रदत्त रकम शामिल है.

15.2 माननीय CESTAT के समक्ष लंबित रीफ़ॉर्मेट आयात के वर्गीकरण से संबंधित अपील के संबंध में, ₹ 2,125.25 दशलक्ष शामिल है, जिसमें कंपनी की यथाशीघ्र सुनवाई करने के आवेदन पत्र के जवाब में बारी के बिना जल्द ही मामले की सुनवाई करने के लिए माननीय CESTAT ने आदेश दिया है. Covid-19 फैलने के कारण, इस समय माननीय CESTAT ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मंच के जरिए मामले की सुनवाई करने का फ़ैसला किया है और यह सुनवाई वर्ष के अंदर संपन्न होने की आशा है.

15.3 31 मार्च, 2020 को समाप्त पूर्व वर्ष के दौरान कंपनी ''वित्त अधिनियम 2019 '' के तहत घोषित '' सब का विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 '' के तहत जो 1 सितंबर 2019 से 15 जनवरी 2020 तक लागू थी, विकल्प लिया था. 31 मार्च, 2021 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष के दौरान योजना का अनुसरण करते हुए और नाम निर्दिष्ट प्राधिकारियों के अनुमोदन के आधार पर उन्मोचन प्रमाणपत्र मिलने पर ₹ 2.07 दशलक्ष की रकम का पूर्व-जमाराशि के प्रति समायोजन किया गया है. आगे, 31 मार्च, 2021 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष में लाभ-हानि विवरण में ₹ 0.24 दशलक्ष की रकम दर्शाई गई है.

16. स्टॉक

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
	रकम	कुल	रकम	कुल
कच्चा माल				
(क) हाथ में	20,789.28		8,316.40	
(ख) मार्ग में	11,156.50	31,945.78	6,845.88	15,162.28
प्रक्रिया में स्टॉक		10,041.22		5,160.98
तैयार माल	21,325.60		13,662.03	
घटाएं: स्टॉक हानि के लिए प्रावधान	5.91	21,319.69	5.91	13,656.12
व्यापार में स्टॉक - स्नेहक तेल		0.07		0.07
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे				
(क) हाथ में	7,569.20		8,355.33	
(ख) मार्ग में	205.23		86.76	
घटाएं: ऐसे स्टाक के लिए प्रावधान जिनका ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है/जो बेकार पड़े हैं	53.18	7,721.25	99.33	8,342.76
कुल		**71,028.01**		**42,322.21**

16.1 वर्ष के दौरान खर्च के रूप में दर्शाई गई स्टॉक लागत (बिक्री लागत) ₹ 3,52,105.37 दशलक्ष रही (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 588,854.90 दशलक्ष).

16.2 खर्च के रूप में दर्शाए गए स्टॉक लागत में शामिल है निवल वसूल करने योग्य मूल्य की तुलना में प्रतिलेखित स्टॉक के संबंध में ₹ 300.56 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में ₹ 11,212.40 दशलक्ष). चालू वर्ष और पिछले वर्ष में इस तरह प्रतिलेखित स्टॉक का प्रत्यावर्तन नहीं किया गया है.

16.3 स्टॉक की मूल्यांकन पद्धति के बारे में जानकारी **टिप्पणी 3.21** में दी गई है.

17 प्राप्य व्यापार राशियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
जमानती **[देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 17.4]**		
- जमानत रहित	1,788.23	582.56
शोध्य समझे गया		
- शोध्य समझे गए	22,718.48	9,589.16
जमाराशि में ह्रास	1,094.38	1,142.36
- प्राप्त रकम जिनकी जमाराशि में क्षति हुई हो	1,094.38	1,142.36
घटाएं: प्राप्य संदिग्ध रकम के निमित्त हानि		
कुल	**24,506.71**	**10,171.72**

17.1 सामान्यत:, कंपनी, मुद्दती ठेकों और हाजिर अंतर्राष्ट्रीय टेंडरों और एसईज़ड् ग्राहकों को आपूर्तियों के जरिए उत्पादों का निर्यात करने के अलावा देशी बिक्री के लिए तेल विपणन कंपनियों के साथ दीर्घावधि बिक्री व्यवस्था करती है. बिक्री पर औसत क्रेडिट अवधि 7 से 45 दिन तक होती है (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में 7 से 45 दिन रही). बीजक दिनांक से लागू क्रेडिट अवधि तक प्राप्य व्यापार रकम पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता है. अगर भुगतान करने में विलंब हो तो संबंधित व्यवस्थाओं के अनुसार ब्याज वसूल किया जाता है जो बकाया शेषराशि पर लागू बैंक दर पर 2% प्रति वर्ष तक होता है(31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में 2% प्रति वर्ष).

सहायक कंपनी, OMPL अल्पावधि टेंडर व्यवस्था और साथ ही B2B के जरिए निर्यात से बिक्री नहीं करती है. कंपनी, देश में बिक्री, नियंत्रक कंपनी के साथ करती है और दूसरों के साथ अल्पावधि व्यवस्था करती है. औसत क्रेडिट अवधि 7 से 30 दिन तक होती है (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में 7 से 30 दिन रही). बीजक दिनांक से लागू क्रेडिट अवधि तक प्राप्य व्यापार रकम पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता है. अगर भुगतान करने में विलंब हो तो संबंधित व्यवस्थाओं के अनुसार ब्याज वसूल किया जाता है.

17.2 प्राप्य व्यापार रकम में से 31 मार्च, 2021 को ₹ 23,856.03 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 9,757.04 दशलक्ष) की शेषराशि, नीचे उल्लिखित ग्राहकों से देय है. दूसरे ऐसे कोई ग्राहक नहीं है जिनसे नीचे उल्लिखित से भिन्न, प्राप्य कुल व्यापार शेषराशि के 5% से अधिक रकम देय हो.

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
ग्राहक 1	1,632.26	956.80
ग्राहक 2	13,990.09	5,809.64
ग्राहक 3	1,162.21	1,103.79
ग्राहक 4	2,135.92	393.88
ग्राहक 5	552.06	679.16
ग्राहक 6	1,440.82	339.02
ग्राहक 7	1,514.73	474.75
ग्राहक 8	1,427.94	-
कुल	**23,856.03**	**9,757.04**

नोट: बाजार में गोपनीयता बनाए रखने के लिहाज से प्रमुख ग्राहकों की पहचान प्रकट नहीं की जाती है.

17.3 सामान्यत:, समूह, अपने ग्राहकों से सभी प्राप्य रकम, लागू क्रेडिट अवधि के अंदर ही वसूल करता है. समूह, प्रत्येक लेन-देन से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अपने तमाम ग्राहकों से प्राप्य व्यापार रकम पर ह्रास का निर्धारण करता है.

17.4 ग्राहकों से प्राप्त बैंक गारंटी/ साख पत्र द्वारा प्रतिभूत.

17.5 समूह का, ऋण देने में निहित जोखिम का सांद्रण इस कारण है कि समूह को, ग्राहकों से **टिप्पणी 17.2** में बताए गए तरीके से काफ़ी हद तक रकम प्राप्त होनी है लेकिन ये ग्राहक, प्रतिष्ठित हैं और साख पात्र हैं.

17.6 कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से प्राप्य कोई बकाया रकम नहीं है.

17.7 **प्राप्य व्यापार राशियों की उम्र:**

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
क्रेडिट अवधि के अंदर	24,223.50	9,550.35
1-30 दिन बीत गए, देय दिनांक से	174.86	375.62
31-90 दिन बीत गए, देय दिनांक से	87.64	228.40
देय दिनांक से, 90 दिन से अधिक दिन बीत गए हैं	1,115.09	1,159.71
कुल	**25,601.09**	**11,314.08**

17.8 प्राप्य संदिग्ध रकम के निमित्त क्षति का चलन

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	1,142.36	985.95
जोड़ें: अपेक्षित क्रेडिट हानि के प्रावधान में परिवर्धन (विलोमन)	8.88	158.41
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रति लेखन	56.86	2.00
वर्ष के अंत में शेषराशि	**1,094.38**	**1,142.36**

18 नकद और नकदी समतुल्य

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
बैंकों में शेषराशि	254.30	15.82
हाथ में नकद	3.95	2.18
कुल	**258.25**	**18.00**

19. अन्य बैंक शेषराशि

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
धारणाधिकार के अधीन अन्य बैंक जमाराशियां	0.09	0.09
डिबेंचर खाते पर अदावी ब्याज **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 19.1]**	-	0.01
अदावी लाभांश खाता **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 19.2]**	249.36	249.79
कर्मचारी हितकारी निधि के लिए निर्बंधित बैंक शेषराशि	13.16	12.26
कुल	**262.61**	**262.15**

19.1 डिबेंचरों पर अदावी ब्याज खाते में जमा की गई रकम, ब्याज का भुगतान करने के लिए उद्दिष्ट की गई है, जिसका किसी दूसरे प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

19.2 अदावी लाभांश खाते में जमा की गई रकम, लाभांश का भुगतान करने के लिए उद्दिष्ट की गई है, जिसका किसी दूसरे प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

20 इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	यथा मार्च 31,2021	यथा मार्च 31,2020
प्राधिकृत शेयर पूँजी		
प्रत्येक ₹ 10 के 2,900,000,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2020 को प्रत्येक ₹ 10 के 2,900,000,000 इक्विटी शेयर)	29,000.00	29,000.00
प्रत्येक ₹ 10 के 100,000,000 मोचनीय अधिमानी शेयर (31 मार्च, 2020 को प्रत्येक ₹ 10 के 100,000,000 अधिमानी शेयर)	1,000.00	1,000.00
निर्गमित और अभिदत्त:		
प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2020 को प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर)	**17,525.99**	**17,525.99**
पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर:		
प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2020 को प्रत्येक ₹ 10 के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर)	17,525.99	17,525.99
जोड़ें: जब्त शेयर **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी 20.5)**	0.65	0.65
कुल	**17,526.64**	**17,526.64**

रिपोर्ट अवधि के प्रारंभ में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:

विवरण	कुल शेयर दशलक्ष में	शेयर पूंजी
1 अप्रैल, 2019 को शेषराशि	1,752.60	17,525.99
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2020 को बकाया	1,752.60	17,525.99
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2021 को बकाया	1,752.60	17,525.99

20.1 इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका सममूल्य, ₹ 10 प्रति शेयर है. इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक, प्रति शेयर एक वोट पाने का हकदार है. निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश (यदि हो तो) आगामी वार्षिक महासभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है.

कंपनी का परिसमापन होने पर इक्विटी शेयर धारकों को तमाम अधिमानी रकम वितरण करने के बाद बची कंपनी आस्तियां प्राप्त करने का हक होगा. शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयर की संख्या के अनुपात में वितरण किया जाएगा.

20.2 नियंत्रक कंपनी अथवा उसकी सहयोगी अथवा सहबद्ध कंपनियों द्वारा धारित शेयर, निम्नानुसार हैं:-

इक्विटी शेयरधारकों के नाम	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
	संख्या दशलक्ष में	धारण का %	संख्या दशलक्ष में	धारण का %
आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	1,255.35	71.63	1,255.35	71.63
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297.15	16.96	297.15	16.96

20.3 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

इक्विटी शेयरधारकों के नाम	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
	संख्या दशलक्ष में	धारण का %	संख्या दशलक्ष में	धारण का %
आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	1,255.35	71.63	1,255.35	71.63
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297.15	16.96	297.15	16.96

20.4 विकल्पों और ठेकों अथवा शेयरों की बिक्री के लिए प्रतिबद्धताओं के अधीन निर्गमित करने अथवा विनिवेश के लिए आरक्षित इक्विटी शेयर: कुछ नहीं (31 मार्च, 2020 को: कुछ नहीं).

20.5 प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयरों को(₹ 10 के 303,550 इक्विटी शेयरों के समतुल्य) वर्ष 2009-10 में जब्त किया गया जिसके प्रति मूल रूप से प्रदत्त रकम ₹ 654,000 रही.

21. अन्य इक्विटी

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
(क) मानी गई इक्विटी **(देखें टिप्पणी 3.26)**	44.06	44.06
(ख) आरक्षित निधि और अधिशेष		
(i) पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	91.86	91.86
(ii) प्रतिभूति प्रीमियम	3,463.90	3,463.90
(iii) पूंजीगत आरक्षित निधि	0.07	0.07
(iv) सामान्य आरक्षित निधि	1,192.00	1,192.00
(v) डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित निधि	-	-
(vi) अन्य आरक्षित निधि	(15,462.94)	-
(vii) नकदी प्रवाह बचाव आरक्षित निधि	-	(0.37)
(viii) प्रतिधारित अर्जन	35,625.42	41,280.04
कुल	**24,954.37**	**46,071.56**

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
(क) मानी गई इक्विटी (देखें नीचे दी गई टिप्पणी 21.1)		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	44.06	42.17
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	1.89
वर्ष के अंत में शेषराशि	**44.06**	**44.06**
(ख) आरक्षित निधि और अधिशेष		
(i) पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 21.2]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	91.86	91.86
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**91.86**	**91.86**
(ii) प्रतिभूति प्रीमियम [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 21.3]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	3,463.90	3,466.45
वर्ष के दौरान अंतरण	-	(2.55)
वर्ष के अंत में शेषराशि	**3,463.90**	**3,463.90**
iii) पूंजीगत आरक्षित निधि [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 21.4]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	0.07	0.07
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**0.07**	**0.07**
(iv) सामान्य आरक्षित निधि [देखें टिप्पणी 21.5]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	1,192.00	1,192.00
प्रतिधारित अर्जनों में से अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**1,192.00**	**1,192.00**
(v) डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	-	228.94
प्रतिधारित अर्जनों/गैर नियंत्रक हित में से अंतरण	-	(228.94)
वर्ष के अंत में शेषराशि	-	-

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
(vi) अन्य आरक्षित निधि [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 21.6]		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
गैर-नियंत्रक हित से खरीदे गए शेयरों का प्रभाव	(15,462.94)	-
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**(15,462.94)**	**-**
(vii) नकदी प्रवाह बचाव आरक्षित निधि [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 21.7]		
प्रारंभिक शेषराशि	(0.37)	0.24
लाभ अथवा हानि विवरण का पुनर्वर्गीकरण	0.37	(0.24)
उचित मूल्य में परिवर्तन.	-	(0.37)
वर्ष के अंत में शेषराशि	**-**	**(0.37)**
(viii) प्रतिधारित अर्जन		
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	41,280.04	76,909.40
वर्ष का कर उपरांत लाभ/(हानि)	(5,675.13)	(33,546.31)
वर्ष की अन्य व्यापक आय, निवल आय कर	20.51	(86.96)
लाभांश का भुगतान	-	(1,752.60)
लाभांश पर कर	-	(360.25)
डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित निधि में/से अंतरण	-	116.76
वर्ष के अंत में शेषराशि	**35,625.42**	**41,280.04**

21.1 मानी गई इक्विटी के रूप में दर्शाई गई ₹ 44.06 दशलक्ष (31 मार्च 2020 को ₹ 44.06 दशलक्ष) की रकम, किसी प्रतिफल के बगैर कंपनी के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड से किसी प्रतिफल के बगैर प्राप्त वित्तीय गारंटी के प्रति शुल्क का उचित मूल्य और सहायक कंपनी OMPL द्वारा निर्गमित CCDs पर ब्याज के लिए बैक स्टॉप के प्रति वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य दर्शाती है **[देखें टिप्पणी 50].**

21.2 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान अधिमानी शेयर पूंजी का प्रतिदान होने पर पूंजीगत प्रतिदान आरक्षित निधि निर्मित की.

21.3 कंपनी ने, इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गम करने पर प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि का निर्माण किया जिसका कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार उपयोग किया जा सकेगा.

21.4 वर्ष 2014-15 के दौरान समेकन के निमित्त निर्मित पूंजीगत आरक्षित निधि.

21.5 सामान्य आरक्षित निधि का, समय-समय पर, विनियोजन करने के प्रयोजन से, प्रतिधारित अर्जन से लाभ अंतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है. चूंकि सामान्य आरक्षित का निर्माण करते समय इक्विटी के एक घटक से दूसरे में अंतरण किया जाता है और अन्य व्यापक आय की एक मद नहीं होती है इसलिए सामान्य आरक्षित निधि में सम्मिलित मदों का बाद लाभ-हानि विवरण में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा.

21.6 अन्य आरक्षित निधि, गैर नियंत्रक शेयर धारक अर्थात्; ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. से ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में 1 जनवरी, 2021 को 48.9981% अतिरिक्त शेयरों की खरीदारी के कारण निर्मित गैर-नियंत्रक ब्याज संबंधी आरक्षित निधि दर्शाती है. बाद में अन्य गैर-नियंत्रक शेयरधारकों से शेयरों की और खरीदारी की गई जिससे कुल शेयरधारण 99.99996% हुआ.

21.7 नकदी प्रवाह बचाव संबंधी आरक्षित निधि, संयुक्त उद्यम, शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड द्वारा नकदी प्रवाह बचाव के लिए बनाए गए बचाव लिखतों के नाम निर्दिष्ट अंश के उचित मूल्य में परिवर्तन होने पर उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानियों का संचयी प्रभावी अंश दर्शाता हे.

नकदी प्रवाह बचाव संबंधी आरक्षित निधि शीर्षक के अधीन दर्शाए गए और संचित बचाव लिखतों के नाम निर्दिष्ट अंश के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न संचयी अभिलाभ अथवा हानि का लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाएगा जब बचाया गया लेन-देन, लाभ अथवा हानि को प्रभावित करे अथवा गैर वित्तीय बचाई गई मद में आधार समायोजन के रूप में सम्मिलित किया जाएगा.

21.8 कंपनी द्वारा लाभांश के रूप में अपने इक्विटी शेयरधारकों में वितरित की जानेवाली रकम का निर्धारण करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं और कंपनी लाभांश वितरण नीति पर विचार किया जाता है. इस प्रकार से, सामान्य आरक्षित निधि में दर्शाई गई रकम का समग्र रूप से वितरण करना संभव नहीं होगा.

22 गैर-नियंत्रक हित

22.1

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
वर्ष के प्रारंभ में शेषराशि	(1,319.20)	3,001.36
वर्ष के लाभ का अंश	(1,974.54)	(6,878.86)
OCI का अंश	-	(1.34)
अन्य	-	2,559.64
मूल कंपनी द्वारा अधिग्रहण करने के कारण गैर-नियंत्रक हित में कमी	3,293.74	-
वर्ष के अंत में शेषराशि	**-**	**(1,319.20)**

22.2 समूह की ऐसी गैर पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के ब्यौरे जिसका गैर-नियंत्रक हित हो :

सहायक कंपनी का नाम	ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड निगमन
स्थान और कारोबार का प्रमुख स्थान	भारत

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
स्वत्व हित और गैर नियंत्रक हितों द्वारा धारित मताधिकार का अनुपात	0.00004%	49.00%
गैर-नियंत्रक हितों में आबंटित वर्ष की कुल अन्य व्यापक आय / (हानि)	(1,974.54)	(6,880.20)
संचित गैर-नियंत्रक हित	-	(1,319.20)

22.3 समूह की उस सहायक कंपनी की, जिसका गैर-नियंत्रक हित हो, संक्षिप्त वित्तीय जानकारी नीचे दी गई है. नीचे दी गई संक्षिप्त वित्तीय जानकारी, अंतरा-समूह हटाने से पहले की रकम दर्शाता है.

OMPL	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
गैर-चालू आस्तियां	64,606.11	67,148.47
चालू आस्तियां	8,314.57	4,754.91
गैर-चालू देयताएं	58,246.66	53,177.52
चालू देयताएं	21,941.03	21,436.51
कंपनी के मालिकों के कारण इक्विटी	(7,267.01)	(1,391.45)
गैर-नियंत्रक हित	-	(1,319.20)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
राजस्व	33,986.30	49,549.35
खर्च	39,135.02	64,720.89
वर्ष का लाभ (हानि)	**(4,557.25)**	**(14,038.49)**
कंपनी के मालिकों के कारण लाभ (हानि)	(2,582.71)	(7,159.63)
गैर-नियंत्रक हितों के कारण लाभ (हानि)	(1,974.54)	(6,878.86)
वर्ष का लाभ (हानि)	**(4,557.25)**	**(14,038.49)**
कंपनी के मालिकों के कारण अन्य व्यापक आय	0.89	(1.39)
गैर नियंत्रक हित के कारण अन्य व्यापक आय	-	(1.34)
वर्ष की अन्य व्यापक आय	**0.89**	**(2.73)**
कंपनी के मालिकों के कारण कुल व्यापक आय	(2,581.82)	(7,161.02)
गैर नियंत्रक हितों के कारण कुल व्यापक आय	(1,974.54)	(6,880.20)
वर्ष की कुल व्यापक आय	**(4,556.36)**	**(14,041.22)**
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (बहिर्वाह) निवेश	(7,925.61)	889.57
गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (बहिर्वाह) वित्तीय	(23.90)	(1,401.86)
गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (बहिर्वाह)	7,949.55	491.67
निवल नकदी अंतर्वाह (बहिर्वाह)	**0.04**	**(20.62)**

22.4 गैर नियंत्रक हितों के साथ लेन-देन

1 जनवरी, 2021 को कंपनी ने ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) में 48.9981% शेयर खरीदे थे. बाद में आगे चलकर कंपनी ने 3,356 गैर नियंत्रक शेयर खरीदे. मौजूदा 48.9981% गैर नियंत्रक हित की रखाव रकम, खरीदारी के समय (₹ 3,293.74) थी. समूह ने गैर नियंत्रक हित में ₹ 3,293.74 दशलक्ष की वृद्धि और मूल कंपनी के मालिक के कारण इक्विटी में ₹ 15,462.94 दशलक्ष की गिरावट दर्शाई. वर्ष के दौरान मूल कंपनी के मालिकों के कारण इक्विटी पर प्रभाव का सार यहां नीचे दिया गया है :

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
हासिल किए गए गैर-नियंत्रक हित की रखाव रकम	(3,293.74)	-
गैर-नियंत्रक हितों के निमित्त प्रदत्त प्रतिफल	12,169.20	-
इक्विटी अंदर अन्य आरक्षित निधि में दर्शाया गया प्रदत्त अतिशय प्रतिफल	15,462.94	-

23 उधार

विवरण	यथा मार्च 31, 2021		यथा मार्च 31, 2020	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
जमानती – परिशोधित लागत पर				
सावधि ऋण:–				
बैंकों से				
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.1]**	11,577.78	–	23,066.68	–
विदेशी मुद्रा उधार (FCTL) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.2]**	26,300.00	–	27,182.19	–
अन्य पक्षकारों से				
तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.3]**	3,925.00	–	4,720.00	–
आस्थगित भुगतान देयताएं:–				
आस्थगित भुगतान देयताएं - VAT ऋण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.4]**	418.09	–	360.78	–
बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.5]**	–	–	–	8,632.30
गैर जमानती – परिशोधित लागत पर				
डिबेंचर :–				
अपरिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.6]**	37,752.25	–	25,586.59	–
अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (CCD's)				
संबंधित पक्षकार	4,896.57	–	4,894.79	–
अन्य **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.7]**	5,096.43	–	5,094.58	–
सावधि ऋण:–				
बैंकों से				
घरेलू				
बैंक से रुपया सावधि ऋण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.8]**	9,868.16	–	–	–
विदेशी				
विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCNR) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.9]**	6,214.78	–	–	–
विदेशी मुद्रा उधार (FCTL) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.10]**	10,962.15	–	11,328.69	–
बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण				
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)	39,981.96	–	30,025.03	–
कार्यकारी पूंजी **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.11]**	–	11,698.40	–	11,866.06
विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCTL) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.12]**	–	766.48	–	6,324.45
बिल भुनाई सुविधा : SBI **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.13]**	–	15,405.00	–	3,700.00
अन्य कार्यकारी पूंजीगत ऋण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.14]**				
अन्य पक्षकारों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण				
वाणिज्यिक पत्र **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.15]**	–	26,500.00	–	–
बैंकों से मांगने पर प्रतिदेय ऋण				
अल्पावधि रुपया ऋण **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.16]**	–	16,158.32	–	4,732.16
कुल	156,993.17	70,528.20	132,259.33	35,254.97

23.1 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)र:

23.1.1 कंपनी द्वारा लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार, USD में अंकित ऋण के रूप में होते हैं जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो LIBOR 6 महीने + स्प्रेड है.(31 मार्च, 2021 को ब्याज दर 1.24% है और 31 मार्च, 2020 को 2.90% रही.)

23.1.2 बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए जमानत के तौर पर वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार और चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है (जिसमें संयंत्र और मशीनों, अतिरिक्त पुरज़ों, औजारों, फर्नीचर, जुड़नार, वाहन और समस्त अन्य चल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शामिल हैं जिनकी सीमा यहां तक समाप्त नहीं होती है).

23.1.3 सहायक कंपनी, OMPL ने बाह्य वाणिज्यिक उधार लिए हैं जो USD में अंकित ऋण के रूप में हैं जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो LIBOR दर में घट-बढ़ के कारण 6 महीने + स्प्रेड है. (ब्याज दर, 31 मार्च, 2019 को 2.60% और 31 मार्च, 2020 को 4.46%)

बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए जमानत के तौर पर भूमि और सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम प्रभार और सभी अचल संपत्ति और उपकरण एवं सभी चालू आस्तियों पर दृष्टिबंधक के रूप में द्वितीय प्रभार निर्मित किया गया है.

23.1.4 ₹ 9,463.91 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 9,777.57 दशलक्ष), जिसे एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा जिसे **टिप्पणी 24** के तहत '' दीर्घावधि कर्ज (जमानती) की चालू परिपक्वता '' के रूप में दर्शाया गया है.

23.1.5 ECB की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 23.17)	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
2020-21	-	9,785.66
2021-22	9,466.51	11,135.31
2022-23	7,847.54	8,112.10
2023-24	3,767.09	3,894.09
कुल	**21,081.14**	**32,927.16**

23.2 विदेशी मुद्रा उधार (FCTL)

23.2.1 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सहायक कंपनी, OMPL ने USD 360 दशलक्ष के मध्यावधि जमानती विदेशी मुद्रा ऋण लिया है.

23.2.2 USD 360 दशलक्ष की विदेशी मुद्रा उधार राशि की मुद्दत, 3 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि के साथ आठ वर्ष है और इसके लिए कंपनी की अचल आस्तियों पर प्रथम सम मात्रा प्रभार के रूप में जमानत दी गई है. यह ऋण, 20 तिमाही किस्तों में चुकाना होगा जिस पर परिवर्तनीय ब्याज दर लगाई जाएगी जो छह महीने Libor + स्प्रेड है (31 मार्च, 2021 को ब्याज दर की सीमा 2.60% से 2.63% तक और 31 मार्च, 2020 को ब्याज दर की सीमा 3.93% से 4.28% तक रही).

23.2.3 FCTL की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 23.17)	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
2022-23	2,924.60	3,023.20
2023-24	4,942.57	5,109.21
2024-25	5,264.28	5,441.76
2025-26	5,264.28	5,441.76
2026-27	5,995.43	6,197.56
2027-28	1,930.24	1,995.31
कुल	**26,321.40**	**27,208.80**

23.3 तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण:

23.3.1 कंपनी द्वारा OIDB से लिए गए ऋण पर निश्चित ब्याज दर लगाई जाती है (31 मार्च, 2021 को ₹ 2,010.00 दशलक्ष पर ब्याज दर (7.98%), ₹ 1,840.00 दशलक्ष पर (7.00%), ₹ 150.00 दशलक्ष पर (7.50%), 450.00 दशलक्ष पर (7.11%) और ₹ 270.00 दशलक्ष पर (7.03%) तथा ₹ 552.50 दशलक्ष पर (6.01%) और 31 मार्च, 2020 को ब्याज दर 7.00% से 7.98% रही)

23.3.2 ओआईडीबी ऋण के लिए जमानत के तौर पर, ओआईडीबी की ऋण संबंधी प्राप्तियों में से वित्तपोषित सिर्फ़ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / परियोजनाओं पर दृष्टिबंधक / बंधक के रूप में प्रथम सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है.

23.3.3 ₹ 1,347.50 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 670.00 दशलक्ष), जिसे एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा जिसे **टिप्पणी 24 के** तहत " दीर्घावधि कर्ज (जमानती) की चालू परिपक्वता " के रूप में दर्शाया गया है.

23.3.4 OIDB से लिए गए ऋण की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 23.17)	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
2020-21	-	670.00
2021-22	1,347.50	1,347.50
2022-23	1,485.62	1,347.50
2023-24	1,485.62	1,347.50
2024-25	815.63	677.50
2025-26	138.13	-
कुल	**5,272.50**	**5,390.00**

23.4 आस्थगित भुगतान देयताएं - VAT ऋण

23.4.1 VAT ऋण के प्रति आस्थगित भुगतान देयता, कर्नाटक सरकार से प्राप्त “ब्याज मुक्त ऋण” खाते पर देय राशि दर्शाती है. VAT के प्रति दिया गया यह ब्याज मुक्त ऋण 31 मार्च 2018 से प्रतिदेय होगा.

23.4.2 बाजार के कम ब्याज दर पर दिए गए सरकारी ऋण के फायदे को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है (Ind AS 20). ब्याज मुक्त ऋण, Ind AS 109 वित्तीय लिखतों के अनुसार निर्धारित तथा मापा जाता है. ब्याज मुक्त ऋण के लाभ को, Ind AS 109 के अनुसार निर्धारित ऋण के प्रारंभिक रखाव मूल्य और प्राप्त आय के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है. लाभ को इस मानक के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है.

23.4.3 आस्थगित भुगतान देयताएं- VAT ऋण के लिए जमानत के तौर पर कंपनी द्वारा बैंक गारंटी दी गई है.

23.4.4 आस्थगित भुगतान देयता - VAT ऋण की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 23.17)	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
2027-28	132.61	132.61
2028-29	155.16	155.16
2029-30	197.76	197.76
2030-31	208.53	208.53
2031-32	322.83	322.83
2032-33	74.88	-
कुल	**1,091.77**	**1,016.89**

23.5 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण:

23.5.1 संघीय बैंक से लिए कार्यकारी पूंजीगत उधार के लिए जमानत के तौर पर प्रथम सम मात्रा प्रभार के रूप में कंपनी के कच्चा माल, तैयार माल, प्रक्रियागत स्टॉक, भंडार, अतिरिक्त पुर्जों, घटकों, प्राप्य व्यापार रकमों, बकाया प्राप्त धन, दावों, बिलों, ठेके, वचनबद्धता, वर्तमान एवं भावी, दोनों तरह की प्रतिभूतियों को दृष्टिबंधक रखा गया है और आगे, कंपनी की, वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की चल और अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर द्वितीय सम मात्रा प्रभार के रूप में जमानत दी गई है (समस्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण). मीयादी जमाराशियों के प्रति ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में बैंकों से लिए गए कार्यकारी पूंजीगत उधार के लिए जमानत के तौर पर मूल मीयादी जमाराशियों पर दृष्टिबंधक निर्मित किया जाता है.

सहायक कंपनी ओएमपीएल द्वारा बैंक से लिए गए कार्यकारी पूंजीगत ऋण के लिए जमानत के तौर पर कंपनी की, वर्तमान और भावी, दोनों प्रकार की चालू आस्तियों को दृष्टिबंधक रखा गया है और अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर द्वितीय सम मात्रा प्रभार निर्मित किया गया है.

23.6 अपरिवर्तनीय डिबेंचर (NCD):

जमानत रहित मोचनीय अपरिवर्तनीय निश्चित दर पर डिबेंचर (निजी तौर पर रखे गए) :

क्रम सं.	ISIN	प्रति डिबेंचर अंकित मूल्य (₹)	आबंटन तारीख	यथा 31-03-2021	कूपन दर	परिपक्वता [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.17]	
						रकम	दिनांक
1	INE103A08027	1,000,000	13-जनवरी-20	4,999.02	6.64%	5,000.00	14-अप्रैल-23
2	INE103A08019	1,000,000	13-जनवरी-20	9,997.35	7.40%	10,000.00	12-अप्रैल-30
3	INE103A08035	1,000,000	29-जनवरी-20	10,591.92	7.75%	10,600.00	29-जनवरी-30
4	INE103A08043	1,000,000	29-दिसंबर-20	12,163.96	6.18%	12,170.00	29-दिसंबर-25
कुल				**37,752.25**		**37,770.00**	

23.7 जमानत रहित अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (CCD's)

23.7.1 सहायक कंपनी, ओएमपीएल ने 5 मार्च, 2020 को निजी व्यवस्था के जरिए प्रत्येक ₹10 दशलक्ष के 1,000 अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (CCDs) आबंटित किए. कंपनी ने 3 विभिन्न श्रृंखलाओं में CCDs निर्गमित किए हैं. श्रृंखला I डिबेंचरों में शामिल हैं ₹ 2,500 दशलक्ष, कूपन दर 8.35% प्र.व. के साथ, श्रृंखला II डिबेंचरों में शामिल हैं ₹ 2,500 दशलक्ष, कूपन दर 8.50% प्र.व. के साथ और श्रृंखला III डिबेंचरों में शामिल हैं ₹ 5,000 दशलक्ष, कूपन दर 8.75% प्र.व. के साथ. तीनों श्रृंखलाओं के डिबेंचरों पर ब्याज, तिमाही आधार पर दिया जाएगा.

23.7.2 श्रृंखला I डिबेंचर की कूपन दर, वर्ष में एक बार पुन: निर्धारित की जाएगी जब कि ब्याज दर, 364 दिनों के ख़ज़ाना बिलों के साथ लिंक की जाएगी. ब्याज दर में 5 मार्च, 2021 को 8.35% से 6.91% प्र.व. तक पुनर्निर्धारण किया गया. श्रृंखला II और श्रृंखला III CCDs की कूपन दर, डिबेंचरों की मुद्दत पर तय की जाएगी.

23.7.3 CCDs के लेन-देन दस्तावेज के अंतर्गत, कंपनी की बाध्यता है कि वह, निवेशकर्ताओं को वक्त पर ब्याज अदा करें. आगे, CCDs के लिए समर्थन के तौर पर प्रायोजक कंपनी अर्थात्; ओएनजीसी और एमआरपीएल से वचन दिया जाता है कि कंपनी की तरफ़ से डिबेंचरों की कूपन रकम अदा न किए जाने पर उसका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा.

23.7.4 मान लिए गए आबंटन दिनांक से CCDs की अवधि, 36 महीने की है जिसमें 35वें महीने के अंत में आज्ञापक पुट्ट/कॉल विकल्प दिया जाएगा. प्रायोजकों को अनिवार्य तौर पर (ओएनजीसी - 49% और एमआरपीएल - 51% के अनुपात में) आबंटन दिनांक से 35वें महीने के अंत में निवेशकर्ताओं से CCDs खरीदने होंगे. प्रायोजक (ओएनजीसी) को, अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (CCDs) की देयता के प्रति सहायक कंपनी ओएमपीएल के 49% शेयर मिलेंगे जिनका निपटान के समय परिवर्तन किया जा सकेगा.

23.7.5 प्रायोजक (ओएनजीसी - 49% और एमआरपीएल - 51% के अनुपात में), आबंटन दिनांक से 35वें महीने की समाप्ति से पहले किसी भी समय CCDs भी खरीद सकेंगे. निवेशकर्ता, प्रायोजकों पर 35वें महीने के अंत में पुट्ट विकल्प और चूक होने पर प्रायोजकों पर लागू त्वरित पुट्ट विकल्प ले सकते हैं. इसी अनुपात के आधार पर इसे संबंधित पक्षकार के लेन-देन के रूप में प्रकट किया जाता है.

23.7.6 विकल्प करार के अधीन कंपनी की बाध्यता, सिर्फ़ इन डिबेंचरों पर ब्याज देने तक ही सीमित है. CCDs का परिवर्तन होने पर, ओएमपीएल को इक्विटी शेयर प्रायोजकों के नाम जारी करने पड़ेंगे.

23.7.7 CCD की चुकौती/परिवर्तन अनुसूची निम्नानुसार है :

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 23.17)	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
2022-23	10,000.00	10,000.00
कुल	**10,000.00**	**10,000.00**

23.7.8 CCD श्रृंखला I में से एक पर ब्याज दर अस्थिर रही. मार्च 2021 में, इस CCD श्रृंखला I पर ब्याज दर, 144 आधार बिंदुओं तक घटाई गई.

23.8 बैंक से रुपया सावधि ऋण :

23.8.1 कंपनी ने SBI से सावधि ऋण लिया जिस पर परिवर्ती दर, तीन महीने का MCLR + स्प्रेड है (ब्याज दर, 31 मार्च, 2020 को 7.84% रहा).

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सहायक कंपनी, OMPL ने 3 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि के साथ 5 वर्ष के लिए गैर जमानती आधार पर ₹ 9,875.14 दशलक्ष का रुपया सावधि ऋण लिया. यह ऋण, 8 त्रैमासिक किस्तों में चुकाना होगा जिस पर परिवर्ती ब्याज दर देना पड़ेगा जो G-Sec से जुड़ी उधार दर के आधार पर है (31 मार्च, 2021 को ब्याज दर 6.250% रही).

23.8.2 ₹ शून्य (31 मार्च, 2020 को ₹ 6,856.72 दशलक्ष) को एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा जिसे **टिप्पणी 24** के तहत " दीर्घावधि कर्ज (गैर जमानती) की चालू परिपक्वता " के रूप में दर्शाया गया है.

23.8.3 SBI से लिए गए ऋण की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 23.17)	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
2020-21	-	6,856.72
2023-24	3,703.18	-
2024-25	4,937.57	-
2025-26	1,234.39	-
कुल	**9,875.14**	**6,856.72**

23.9 विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCNR):

23.9.1 कंपनी द्वारा SBI से लिए गए FCNR (B) पूंजीगत परिव्यय ऋण पर परिवर्ती दर से ब्याज देना पड़ता है जो छह महीने का Libor + स्प्रेड है (ब्याज दर, 31 मार्च, 2021 1.70% रही).

23.9.2 विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCNR) की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 23.17)	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
2023-24	6,214.78	-
कुल	**6,214.78**	**-**

23.10 विदेशी मुद्रा उधार (FCTL):

23.10.1 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सहायक कंपनी, OMPL ने USD 150 दशलक्ष के मध्यावधि जमानत रहित विदेशी मुद्रा ऋण लिया है.

23.10.2 सहायक कंपनी ओएमपीएल ने जमानत रहित आधार पर तीन वर्ष की मुद्दत के लिए USD 150 दशलक्ष की रकम का विदेशी मुद्रा उधार लिया जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो LIBOR 6 महीने + स्प्रेड है.(31 मार्च, 2021 को ब्याज दर 2.25% और 31 मार्च, 2020 को ब्याज दर की सीमा 3.92% से 3.93% तक रही.)

23.10.3 FCTL की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 23.17)	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
2022-23	10,967.25	11,337.00
कुल	**10,967.25**	**11,337.00**

23.11 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत सावधि ऋण - ECB :

23.11.1 कंपनी द्वारा लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार, USD में अंकित ऋण के रूप में होते हैं जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो LIBOR छह महीने + स्प्रेड है.(31 मार्च, 2021 को ब्याज दर 1.54% है और 31 मार्च, 2020 को 2.37% रही.)

23.11.2 कार्यकारी पूंजीगत ऋण ECB की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 23.17)	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
2023-24	73.12	75.58
2024-25	29,172.88	30,156.42
2025-26	10,967.25	-
कुल	**40,213.25**	**30,232.00**

23.12 विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCTL) :

23.12.1 बैंक से लिए विदेशी मुद्रा सावधि ऋण, USD में अंकित ऋण के रूप में होते हैं जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो तीन महीने LIBOR + स्प्रेड है और इसे प्रत्येक संवितरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर चुकाना पड़ेगा.

23.13 बिल भुनाई सुविधा :

23.13.1 सहायक कंपनी " ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड " (OMPL) पर आहरित गैर एलसी बिल के प्रति भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से गैर जमानती बिल भुनाई सुविधा.

23.14 अन्य कार्यकारी पूंजीगत ऋण :

23.14.1 बैंक से गैर जमानती अल्पावधि कार्यकारी पूंजीगत ऋण

23.15 वाणिज्यिक पत्र

23.15.1 जारी किया गया वाणिज्यिक पत्र, जमानत रहित निश्चित दर का अल्पावधि कर्ज लिखत है.

23.16 मांग पर चुकाने लायक जमानत रहित अल्पावधि ऋण:

23.16.1 सहायक कंपनी ओएमपीएल ने 31 मार्च, 2021 को 6 से 7 महीने की मुद्दत के लिए जमानत रहित अल्पावधि रुपया ऋण लिया जिस पर RBI रेपो दर से जुड़ी परिवर्तनीय दर और 3 महीने की ख़जाना बिल दर (31 मार्च, 2021 को ब्याज दर की सीमा 4.25% से 4.50% प्र.व.) लगाई जाती है और 31 मार्च, 2021 को 3 महीने से 1 वर्ष की मुद्दत के लिए जमानत रहित अल्पावधि रुपया ऋण लिया जिस पर एक ही दिन की MCLR और एक महीने की MCLR से जुड़ी परिवर्तनीय ब्याज दर (31 मार्च, 2020 को ब्याज दर की सीमा 7.50% से 7.60% प्र.व) लगाई गई.

23.17 ऊपर प्रकट की गईं चुकौती अनुसूचियां, संविदात्मक नकदी बहिर्वाह पर आधारित हैं और इसलिए इन उधारों की रखाव रकम के अनुरूप नहीं होंगी जिनको परिशोधित लागत पर लेखाबद्ध किया जाता है.

24 अन्य वित्तीय देयताएं

विवरण	यथा 31 मार्च,, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
दीर्घावधि कर्ज की चालू परिपक्वताएं (जमानती) **[देखें टिप्पणी 23.1.4 और 23.3.3]**	-	10,811.41	-	10,447.57
दीर्घावधि कर्ज की चालू परिपक्वताएं (जमानत रहित) **[देखें टिप्पणी 23.8.2]**	-	-	-	6,856.72
अदावी लाभांश **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 24.1]**	-	249.36	-	249.79
परिपक्व डिबेंचरों पर अदावी ब्याज **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 24.2]**	-	-	-	0.01
ब्याज जो उपचित हो परंतु देय न हो	-	657.73	-	653.85
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/अन्य से जमाराशियाँ	-	659.03	-	791.84
पूंजीगत वस्तुओं के प्रति देय **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 24.3]**	-	2,977.47	-	3,240.40
कर्मचारियों के प्रति देयता	-	299.36	-	882.73
पट्टा संबंधी देयता	2,071.78	219.53	2,130.68	280.92
ग्राहकों और विक्रेताओं से संबंधित अन्य देयताएं	-	1,482.00	-	2,233.60
खर्च न की गई सीएसआर देयता **[देखें टिप्पणी 37.3(ग)]**	-	216.77	-	-
देय बिल **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 24.4]**	-	3,258.96	-	-
कुल	**2,071.78**	**20,831.62**	**2,130.68**	**25,637.43**

24.5 निवेशकर्ता शिक्षा संरक्षण निधि को भुगतान करने के लिए कोई रकम देय नहीं है.

24.6 परिपक्व डिबेंचरों के प्रति देय ब्याज दर्शाता है.

24.7 कीमत घटाने संबंधी अनुसूची

पूंजीगत वस्तुओं के प्रति देयता में शामिल है ₹ 242.28 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 234.90 दशलक्ष) जो कीमत घटाने संबंधी अनुसूची का अनुसरण करते हुए विक्रेताओं से रोक रखी गई रकम से संबंधित है जिसे इन विक्रेताओं के साथ कार्रवाई को अंतिम रूप देने के बाद निपटाया जाएगा. रोक रखी गई रकम को अंत में तय करने पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में उत्तर व्यापार प्रभाव से संबंधित समायोजन किया जाएगा.

24.8 नियंत्रक कंपनी द्वारा की गई खरीदारी के संबंध में देय बिलों के प्रति.

25 प्रावधान

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
कर्मचारी संबंधी लाभ के लिए प्रावधान (देखें टिप्पणी 41)				
(क) छुट्टी का नकदीकरण	1,133.12	90.34	926.39	81.73
(ख) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा और अन्य लाभ	128.66	3.66	108.85	3.45
(ग) उपदान:	98.67	3.32	83.56	1.46
अन्य **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 25.1]**	-	5,441.60	-	1,734.53
कुल	**1,360.45**	**5,538.92**	**1,118.80**	**1,821.17**

25.1 अन्य में शामिल है अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान

वर्ष 2020-21 में आवाजाही

विवरण	अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क
1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभिक शेषराशि	1,734.53
घटाएं: प्रावधान का प्रत्यावर्तन करने के निमित्त कटौती	1,734.53
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	5,441.60
31 मार्च, 2021 को अंतिम शेषराशि	5,441.60

कंपनी का अनुमान है, 31 मार्च, 2021 को स्टॉक में पड़ी रही वस्तुएं खाली करने पर देय उत्पाद शुल्क के लिए काफ़ी हद तक किए गए आकलन के आधार पर प्रावधान, ₹ 5,441.60 दशलक्ष है (31 मार्च, 2020 को ₹ 1,734.53 दशलक्ष) जिसे कंपनी ने इसे अन्य प्रावधान में शामिल किया है.
अपेक्षा की जाती है कि इस प्रावधान को जब निपटाया जाएगा तब वस्तुओं को कारखाना परिसर से हटाया जाएगा.

26 आस्थगित कर आस्ति/ देयताएं (निवल)

आस्थगित कर आस्तियों / (देयताओं) में चलन दर्शाने वाला विवरण

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
आस्थगित कर आस्तियां	54,541.41	52,877.83
आस्थगित कर देयताएं	(40,765.96)	(40,630.74)
आस्थगित कर आस्ति/ (देयता)-निवल	**13,775.45**	**12,247.09**

2020-21	प्रारंभिक शेषराशि	लाभ अथवा हानि में दर्शाई गई रकम	MAT पिछले वर्ष से संबंधित MAT क्रेडिट पात्रता	अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई रकम	अंतिम शेषराशि
इनके संबंध में आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(40,604.51)	(140.05)	-	-	(40,744.56)
अगोचर आस्तियां	(14.03)	4.33	-	-	(9.70)
अन्य	(12.20)	0.50	-	-	(11.70)
कुल	**(40,630.74)**	**(135.22)**	**-**	**-**	**(40,765.96)**
आस्थगित कर आस्तियों समेत मदों का कर पर प्रभाव					
अन्य देयताएं	71.17	184.66	-	-	255.83
आगे लाई गई व्यावसायिक हानियां और अनवशोषित मूल्यह्रास	35,171.22	1,480.58	-	-	36,651.80
MAT क्रेडिट संबंधी पात्रता	17,245.39	- (7.68)	10.86	-	17,256.25
निवल पट्टा देयता संबंधी आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार	27.45	(0.24)	-	-	19.77
वित्तीय और अन्य आस्तियां	340.47	(4.60)	-	-	340.23
स्टॉक	22.13	11.20	-	-	17.53
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन	-		-	(11.20)	-
कुल	**52,877.83**	**1,663.92**	**10.86**	**(11.20)**	**54,541.41**
आस्थगित कर आस्ति/ (देयता) (निवल)	**12,247.09**	**1,528.70**	**10.86**	**(11.20)**	**13,775.45**

2019-20	प्रारंभिक शेषराशि	लाभ अथवा हानि में दर्शाई गई रकम	MAT पिछले वर्ष से संबंधित MAT क्रेडिट पात्रता	अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई रकम	अंतिम शेषराशि
इनके संबंध में आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(38,937.68)	(1,666.83)	-	-	(40,604.51)
अगोचर आस्तियां	(11.46)	(2.57)	-	-	(14.03)
अन्य	-	(12.20)	-	-	(12.20)
कुल	**(38,949.14)**	**(1,681.60)**	**-**	**-**	**(40,630.74)**
आस्थगित कर आस्तियों समेत मदों का कर पर प्रभाव					
अन्य देयताएं	60.11	11.06	-	-	71.17
आगे लाई गई व्यावसायिक हानियां और अनवशोषित मूल्यह्रास	18,832.30	16,338.92	-	-	35,171.22
MAT क्रेडिट संबंधी पात्रता	17,192.76	- 27.45	52.63	-	17,245.39
निवल पट्टा देयता संबंधी आस्तियों का उपयोग करने का अधिकार	-		-	-	27.45
वित्तीय और अन्य आस्तियां		(0.04)			
स्टॉक	340.51	- (47.52)	-	-	340.47
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन	22.13		-	- 47.52	22.13
	-		-		-
कुल	**36,447.81**	**16,329.87**	**52.63**	**47.52**	**52,877.83**
आस्थगित कर आस्ति/ (देयता) (निवल)	**(2,501.33)**	**14,648.27**	**52.63**	**47.52**	**12,247.09**

26.1 Ind AS 12-आय कर के अनुसार समूह ने, काटने लायक तमाम अस्थाई अंतर और साथ ही अप्रयुक्त कर संबंधी हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट्स को आगे ले जाने के संबंध में आस्थगित कर आस्ति को दर्शाया है. आस्थगित कर आस्ति (DTA) को मान्यता देते समय यह विचार किया जाता है कि क्या प्रबंधन द्वारा यथा प्रक्षेपित भावी वर्षों में पर्याप्त कर योग्य लाभ कमाने की संभावना है (क्षमता उपयोग और कीमत वसूली पर विधिवत विचार करते हुए) जिसके प्रति काटने योग्य अस्थाई अंतर और अप्रयुक्त कर संबंधी हानि और अप्रयुक्त कर संबंधी क्रेडिट का उपयोग किया जा सके. आस्थगित कर आस्ति को निवल आस्थगित देयता के रूप में दर्शाया गया है.

26.2 सहायक कंपनी के निदेशक मंडल ने नियंत्रक कंपनी, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के साथ कंपनी का समामेलन करने की सहमति दी है. वित्तीय वर्ष के अंत में समामेलन का प्रस्ताव कार्यान्वयन के अधीन है. समामेलन की औपचारिकताएं पूरी होने तक और कंपनी का नियंत्रक कंपनी के साथ समामेलन होने पर कंपनी ने आस्थगित कर आस्तियों को लेखाबद्ध करने के लिए ₹ 66,994.44 दशलक्ष की कर संबंधी हानियों को आगे ले जाने पर विचार किया है. आस्थगित कर आस्तियों को लेखाबद्ध करने के लिए स्वतंत्र पेशेवर निकाय की रिपोर्ट में अपनाए गए प्रक्षेपणों के अनुसार भावी कर योग्य लाभ पर विचार किया है और समामेलन के प्रभाव पर विचार किए बगैर उक्त प्रक्षेपण स्वतंत्र आधार पर किया गया है. आगे, सहायक कंपनी के निदेशक मंडल ने 13 जनवरी, 2012 को संपन्न बैठक में उक्त रिपोर्ट को रेकॉर्ड पर लिया है. तुलन पत्र में दर्शाई गई ₹ 9,379.63 दशलक्ष की आस्थगित कर आस्तियों की समीक्षा करनी है और समामेलन प्रस्ताव पूरा होने पर समामेलित कंपनी (नियंत्रक कंपनी) द्वारा Ind AS 103 के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा करने के बाद उचित परिवर्तन किए जाएंगे.

27 देय व्यापार राशियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं	316.43	368.83
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं	39,714.88	32,396.50
कुल	**40,031.31**	**32,765.33**

27.1 व्यापार देयताओं में शामिल है ₹ शून्य (31 मार्च, 2020 को ₹ 10,268.07 दशलक्ष)जिसके लिए ONGC ने, कंपनी की तरफ से गारंटी दी है.

27.2 क्रूड, भंडार और अतिरिक्त पुर्जे, अन्य कच्चा माल, सेवाएं आदि खरीदने पर औसत क्रेडिट अवधि, 14 से 60 दिन है(31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में 14 से 60 दिन). उसके बाद बकाया शेषराशि पर संबंधित व्यवस्थाओं के अनुसार संबंधित बैंक दर पर 6.75% प्रति वर्ष (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में 6.75% प्रति वर्ष) तक ब्याज लगाया जाता है. कंपनी ने वित्तीय जोखिम प्रबंध नीतियां लागू की है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी देय रकम, सम्मत क्रेडिट संबंधी नियमों के अंदर अदा की जाती है.

सहायक कंपनी, OMPL की, कच्चा माल, भंडार और अतिरिक्त पुर्जे, सेवाएं आदि खरीदने पर औसत क्रेडिट अवधि, 7 से 30 दिन है. उसके बाद बकाया शेषराशि पर संबंधित व्यापार व्यवस्थाओं के अनुसार परिवर्ती दर पर ब्याज लगाया जाता है. कंपनी ने वित्तीय जोखिम प्रबंध नीतियां लागू की है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी देय रकम, सम्मत क्रेडिट संबंधी नियमों के अंदर अदा की जाती है.

27.3 सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों से संबंधित प्रकटन

	विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
i	मूल धनराशि और वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदत्त रही उस पर ब्याज देयताएं (अलग रूप से दर्शाया जाए)	316.43	368.83
i	प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को दिए गए भुगतान की रकम के साथ सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा प्रदत्त ब्याज रकम	-	-
iii	भुगतान करने के लिए विलंब अवधि के लिए (जिसे वर्ष के दौरान अदा तो किया गया हो परंतु नियत दिन के बाद) परंतु सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बगैर देय ब्याज रकम	-	-
iv	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपचित और अदत्त पड़ी रही ब्याज रकम	-	-
v	उत्तरवर्ती वर्षों में भी तब तक देय रही अतिरिक्त ब्याज राशि जब सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत काटने योग्य व्यय शामिल न करने के प्रयोजन से लघु उद्यम को वास्तव में उक्त ब्याज अदा किया गया हो.	-	-

28 अन्य देयताएं

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021		यथा 31 मार्च, 2020	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
अग्रिम में प्राप्त राजस्व	-	1.04	-	1.16
उपदान के प्रति देयता **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 28.1]**	-	235.84	-	151.16
सांविधिक भुगतान के प्रति देयता	-	2,898.45	-	1,309.57
अन्य	-	671.13	-	7,132.02
आस्थगित सरकारी उपदान **[देखें टिप्पणी 5.3 और 23.4.2]**	3,448.43	202.86	3,596.15	196.59
कुल	**3,448.43**	**4,009.32**	**3,596.15**	**8,790.50**

28.1 उपदान न्यास को देय निवल रकम.

29 परिचालन से राजस्व

	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
29.1	**बिक्री**		
	पेट्रोलियम उत्पाद	496,456.98	565,191.83
	क्रूड तेल और अन्य उत्पाद	11,931.73	33,502.12
	कुल	**508,388.71**	**598,693.95**
29.2	**अन्य प्रचालन राजस्व**		
	स्क्रैप की बिक्री	393.67	153.21
	कीमत घटाने संबंधी अनुसूची	26.22	22.87
	निर्यात प्रोत्साहन	143.72	930.01
	कुल	**563.61**	**1,106.09**
	सकल योग	**5,08,952.32**	**5,99,800.04**

30 अन्य आय

	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
30.1	**इन पर ब्याज:**		
	ठेकेदार संग्रहण अग्रिम	56.76	31.55
	अन्य	16.25	8.79
	परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय आस्तियां		
	- बैंक जमाराशियाँ	0.89	151.67
	- प्रत्यक्ष मार्केटिंग ग्राहक	18.18	13.15
	- कर्मचारियों को दिए गए ऋण	88.24	70.66
	कुल	**180.32**	**275.82**

30.2	**इनसे लाभांश आय:-** म्युचुअल फंड में निवेश (FVTPL में मापे गए)	**4.00**	**14.03**

30.3

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
अन्य गैर प्रचालन आय		
रॉयल्टी आय	8.17	11.30
प्रतिलेखित, अब ज़रूरी न पड़ने वाली देयता	184.94	125.42
प्रतिलेखित अतिशय प्रावधान	106.93	2.12
टेंडर फ़ार्म की बिक्री	-	3.77
किराया शुल्क	11.64	8.57
कर्मचारियों से वसूली	11.52	11.15
आस्थगित सरकारी अनुदान का परिशोधन	196.60	187.94
विविध प्राप्तियाँ	264.55	179.99
कुल	**784.35**	**530.26**
सकल योग	**968.67**	**820.11**

31 खपाई गई सामग्री की लागत

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
कच्चा माल: क्रूड तेल		
आयातित	231,491.61	383,220.35
देशी	59,759.87	76,040.65
कच्चा माल: अन्य		
आयातित		
हाइड्रोजन	151.85	132.70
पैराफिन रैफिनेट	63.92	372.06
डी ईथनाइज़र	6.06	-
रीफॉर्मेट	-	3.28
देशी		
CRMB मॉडिफायर	17.73	17.56
पुन: गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (RLNG)	64.00	-
नैफ़्ता / ऐरोमैटिक धारा	45.85	1,878.94
स्नेहक तेल - देशी	0.56	0.64
कुल	**291,601.45**	**461,666.18**

32 व्यापार में स्टॉक की खरीदारी

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
क्रूड तेल और अन्य उत्पाद	11,931.73	33,520.79
कुल	**11,931.73**	**33,520.79**

33 तैयार माल और प्रक्रिया में स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन

	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
33.1	**अंतिम स्टॉक**		
	तैयार माल	21,325.60	13,662.03
	प्रक्रिया में स्टॉक	10,041.22	5,160.98
	कुल अंतिम स्टॉक	**31,366.82**	**18,823.01**
33.2	**प्रारंभिक स्टॉक**		
	तैयार माल	13,662.03	21,420.80
	प्रक्रिया में स्टॉक	5,160.98	9,998.46
	कुल प्रारंभिक स्टॉक	**18,823.01**	**31,419.26**
	निवल(वृद्धि)/अवनति (प्रारंभिक - अंतिम)	**(12,543.81)**	**12,596.25**

34 कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च

विवरण [देखें नीचे दी गई टिप्पणी 34.1]	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
वेतन और मज़दूरी	4,282.72	4,153.69
भविष्य और अन्य निधियों के प्रति अंशदान [देखें टिप्पणी 41.2.2 और 49]	1,211.38	576.32
उपदान	19.79	16.78
सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ - चिकित्सा और अन्य	14.47	13.84
स्टाफ कल्याण खर्च	233.19	243.67
कुल	**5,761.55**	**5,004.30**

34.1 वर्ष के दौरान नियंत्रक कंपनी ने मजदूरी में संशोधन से संबंधित दीर्घावधि समझौता और गैर प्रबंधन स्टाफ के अन्य संबंधित लाभ तय किए जो 1 जनवरी, 2017 से संशोधन करने के लिए बाकी पड़ा था. इनके प्रभाव पर संबंधित वित्तीय वर्षों में विचार किया जा चुका है.

35 वित्त लागत

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय देयताओं के लिए वित्त संबंधी खर्च		
- बैंकों से	5,287.25	8,001.36
- अन्य पक्षकारों से	2,978.45	720.73
	8,265.70	**8,722.09**
पट्टा संबंधी देयताओं पर वित्त लागत वित्तीय	102.28	92.86
गारंटी शुल्क	7.41	27.47
उधार लागत के प्रति समायोजन के रूप में माने गए विनिमय में अंतर	(2,830.67)	3,621.34
कुल	**5,544.72**	**12,463.76**

36 मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास **[देखें टिप्पणी 5]**	11,311.15	10,604.64
उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों का मूल्यह्रास **[देखें टिप्पणी 6]**	235.12	223.71
अगोचर आस्तियों का परिशोधन **[देखें टिप्पणी 10]**	34.08	29.56
कुल	**11,580.35**	**10,857.91**

37 अन्य खर्च

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020	
विद्युत, उपयोगिता और ईंधन शुल्क **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 37.1]**	35,054.33		50,227.97	
घटाए: स्वयं उत्पादन से ईंधन की खपत	33,053.36	2,000.97	48,368.29	1,859.68
मरम्मत और अनुरक्षण				
- संयंत्र और मशीनें	4,384.46		5,404.57	
- भवन	0.95		2.90	
- अन्य	520.42	4,905.83	484.83	5,892.30
भंडार, अतिरिक्त पुर्जे और रासायनिक पदार्थों की खपत		1,643.77		1,858.56
पैकिंग सामग्री की खपत		225.55		269.89
किराया **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 37.4]**		40.98		34.27
बीमा		445.44		436.33
दर और कर		2,322.22		1,027.98
स्टॉक पर उत्पाद शुल्क [देखें टिप्पणी 37.2]		3,511.29		(2,493.88)
विनिमय में घट-बढ़ से हानि/(अभिलाभ) (निवल)		(1,171.56)		8,610.51
निदेशकों का बैठक शुल्क		2.02		4.28
संपत्ति,संयंत्र और उपकरण की बिक्री/निपटान से हानि		71.66		129.21
बैंक शुल्क		32.89		42.93
लेखा परीक्षकों को भुगतान:				
लेखा परीक्षा शुल्क	3.15		3.16	
कराधान संबंधी मामलों	0.68		0.70	
के लिए प्रमाणीकरण शुल्क के लिए	2.44		2.52	
खर्च की प्रतिपूर्ति	0.24	6.51	1.96	8.34
निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी खर्च (CSR) **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 37.3]**		470.40		760.89
प्रावधान / क्षति के लिए:				
संदिग्ध प्राप्य व्यापार राशियां	8.88		158.41	
संदिग्ध अग्रिम / जमाराशियां	0.71		-	
ऐसे स्टाक जिनका ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है/जो बेकार पड़े हैं	3.23	12.82	9.90	168.31
बट्टे खाते लिखे गए:				
व्यापार संबंधी संदिग्ध प्राप्य राशियां	0.04		-	
दावे/अग्रिम	3.77	3.81	-	-
विविध खर्च		2,341.30		2,453.20
कुल		**16,865.90**		**21,062.80**

37.1 नियंत्रक कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कुल 8,005,216 Kwh सौर विद्युत उत्पादन किया है (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में 8,229,787 Kwh) जिसकी सीमित खपत की गई है. सीमित खपत करने के प्रयोजन से उत्पादित इस तरह के विद्युत का मौद्रिक मूल्य, इस वित्तीय विवरण में प्रकट करने के इरादे से दर्शाया नहीं गया है.

37.2 वस्तुओं की बिक्री पर उत्पाद शुल्क को " प्रचालन से राजस्व " में शामिल किया गया है. चालू वर्ष में पेट्रोलियम उत्पादों, क्रूड तेल और अन्य उत्पादों की बिक्री घटने के बावजूद वस्तुओं की बिक्री पर उत्पाद शुल्क, ख़ासकर MS (पेट्रोल) और HSD (डीज़ल) की उत्पाद शुल्क दरों में वृद्धि के कारण अधिक रहा. ऊपर दर्शाया गया उत्पाद शुल्क, तैयार माल के प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के बीच अंतर दर्शाता है.

37.3 CSR के प्रति व्यय में नीचे उल्लिखित समाविष्ट है:

(क) नियंत्रक कंपनी को वर्ष के दौरान कुल मिलाकर ₹ 470.40 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में ₹ 1,226.00 दशलक्ष) की रकम खर्च करनी पड़ी.

(ख) वर्ष के दौरान इन पर किया गया खर्च:

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी नकद में अदा नहीं किया गया है	कुल
i) आस्तियों का निर्माण/अधिग्रहण	159.42	61.57	220.99
ii) ऊपर (i) में निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन	31.82	0.82	32.64
कुल	**191.24**	**62.39**	**253.63**

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी नकद में अदा नहीं किया गया है	कुल
i) आस्तियों का निर्माण/अधिग्रहण	368.04	96.55	464.59
ii) ऊपर (i) में निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन	280.28	16.02	296.30
कुल	**648.32**	**112.57**	**760.89**

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) और 135)6) में संशोधन का अनुसरण करते हुए प्रकटन:-

धारा 135(5) के मामले में खर्च न की गई रकम (चालू परियोजनाओं से भिन्न)				
1/04/2020 को प्रारंभिक शेषराशि	6 महीने के अंदर अनुसूची VII की निर्दिष्ट निधि में जमा की गई रकम	रकम, जिसे 2020-21 वर्ष के दौरान खर्च करना पड़ेगा	2020-21 वर्ष के दौरान इन पर किया गया खर्च	31.03.2021 को अंतिम शेषराशि
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

धारा 135(5) के मामले में खर्च की गई अतिशय रकम			
1/04/2020 को प्रारंभिक शेषराशि	रकम, जिसे 2020-21 वर्ष के दौरान खर्च करना पड़ेगा	2020-21 वर्ष के दौरान इन पर किया गया खर्च	31.03.2021 को अंतिम शेषराशि
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

धारा 135(6) के मामले में (चालू परियोजनाएं)							
वर्ष	प्रारंभिक शेषराशि		रकम, जिसे वर्ष के दौरान खर्च करना पड़ेगा	वर्ष के दौरान इन पर किया गया खर्च		अंतिम शेष	
	कंपनी में	खर्च न किए गए अलग CSR खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	खर्च न किए गए अलग CSR खाते से	कंपनी में #	खर्च न किए गए अलग CSR खाते में
2020-21	कुछ नहीं	कुछ नहीं	216.77	कुछ नहीं	कुछ नहीं	216.77	कुछ नहीं

 # चालू परियोजनाओं पर खर्च न की गई ₹ 216.77 दशलक्ष की रकम का 31 अप्रैल, 2021 को निर्दिष्ट बैंक खाते में अंतरण किया गया है.

37.4 अल्पावधि पट्टे, कम मूल्य के पट्टे और परिवर्तनीय पट्टा संबंधी भुगतान से संबंधित किराया (पट्टा संबंधी खर्च) नीचे दिया गया है:

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
i) अल्पावधि पट्टे	7.85
ii) कम मूल्य की आस्तियों के लिए पट्टे	0.55
iii) पट्टा संबंधी देयताओं में शामिल न किए गए परिवर्तनीय पट्टा संबंधी भुगतान.	32.58
कुल	**40.98**

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
i) अल्पावधि पट्टे	6.70
ii) कम मूल्य की आस्तियों के लिए पट्टे	0.81
iii) पट्टा संबंधी देयताओं में शामिल न किए गए परिवर्तनीय पट्टा संबंधी भुगतान.	26.76
कुल	**34.27**

38 चालू रहे प्रचालन से संबंधित आय कर

38.1 लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया आय कर

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
वर्तमान कर	(10.86)	1,037.36
आस्थगित कर	(1,528.70)	(14,648.27)
कुल	**(1,539.56)**	**(13,610.91)**

38.2 आय कर खर्च का लेखाबद्ध लाभ के साथ समाधान, निम्नानुसार किया गया है:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च,2020
प्रचालन जारी रखने से प्राप्त कर पूर्व लाभ	**(9,189.23)**	**(54,036.08)**
आय कर संबंधी खर्च का परिकलन 34.944% पर किया गया है (2019-20: 34.944%)	(3,211.08)	(18,882.37)
आय कर से छूट प्राप्त आय का प्रभाव	(69.58)	8.88
संयुक्त उद्यम के साथ लेन-देन से प्राप्त लाभ का प्रभाव	13.29	(4.13)
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 32AC के तहत निवेश के लिए प्रावधान का प्रभाव	4.33	2.67
उस खर्च का प्रभाव, जिसे कर योग्य लाभ का निर्धारण करते समय काटा नहीं जाता है	182.99	237.27
पिछले वर्ष का पूर्व वर्ष कर दर्शाने का प्रभाव	(10.86)	1,037.36
समायोजन की सही शेषराशि (टू अप) निकालने के कारण आस्थगित कर शेषराशि में हुए परिवर्तन का प्रभाव	344.51	(139.91)
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10AA के तहत छूट का प्रभाव	1,206.87	4,126.92
अन्य मदों का प्रभाव	(0.03)	2.40
लाभ अथवा हानि में दर्शाया गया आय कर खर्च	**(1,539.56)**	**(13,610.91)**

38.3 अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई आय कर राशि

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
अन्य व्यापक आय में आय और खर्च दर्शाने के कारण उत्पन्न:		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन	(11.08)	47.47
नकदी प्रभाव बचाव में बचाव लिखतों पर प्राप्त अभिलाभ (हानियों) का प्रभावी अंश	(0.13)	0.21
अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई कुल आय कर राशि	**(11.21)**	**47.68**
अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई आय कर राशि का इनमें द्विभाजन:		
ऐसे मद जिनका लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा	(11.08)	47.47
ऐसी मद जिनका लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण किया जाएगा	(0.13)	0.21

39 प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष का कर उपरांत लाभ	(5,675.13)	(33,546.31)
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या, दशलक्ष में)	1,752.60	1,752.60
प्रति इक्विटी शेयर मूल और आंशिक अर्जन (₹)	(3.24)	(19.14)
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

40 पट्टे

40.1 वित्त पट्टे के तहत दायित्व

40.1.1 पिछले वर्ष के दौरान कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से Ind AS 116 'पट्टे' अपनाया. कंपनी ने भूमि के लिए पट्टा संबंधी करारनामों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनका वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है जिसे अब उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों (ROU) के रूप में प्रकट किया गया है. पट्टे की अवधि के अंत में भूमि का स्वामित्व, कंपनी के नाम हस्तांतरित किया जाएगा जिसके लिए नाममात्र प्रशासनिक शुल्क अदा करना पड़ेगा. पट्टे की अवधि 5-44 वर्ष के बीच होगी.

31 मार्च, 2021 को वित्त पट्टा संबंधी दायित्व का कोई महत्व नहीं है, (31 मार्च, 2020 को कोई महत्व नहीं है).

40.2 प्रचालन पट्टा संबंधी व्यवस्थाएं

40.2.1 पट्टा संबंधी व्यवस्थाएं

पिछले वर्ष के दौरान कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से Ind AS 116 'पट्टे' अपनाया. कंपनी ने पाइपलाइनों के लिए मार्गाधिकार और भूमि के पट्टे की खातिर व्यवस्थाओं के लिए करार किए हैं जिनका प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है जिसे अब उपयोग करने का अधिकार संबंधी आस्तियों (ROU) के रूप में प्रकट किया गया है. मार्गाधिकार के लिए पट्टा अवधि 11 महीनों से लेकर 30 वर्ष तक है और भूमि पट्टे की अवधि 5 से 99 वर्ष तक है. पट्टाधृत भूमियों के मामले में, कंपनी के पास, पट्टा अवधि के अंत में भूमि खरीदने का कोई विकल्प नहीं है. सामान्यत:, भूमि के मामले में पट्टे की व्यवस्था करने के लिए कंपनी को वार्षिक आवर्ती शुल्क के साथ पट्टा संबंधी करारनामा निष्पादित करते समय अग्रिम रूप में भुगतान करना पड़ता है जिसके वार्षिक पट्टे के किराए में बढ़त होती रहेगी.

सहायक कंपनी, OMPL ने मंगलूर एसईज़ेड् लिमिटेड के साथ एसईज़ेड् यूनिट स्थापित करने के लिए भूमि के संबंध में पट्टा संबंधी करारनामे पर हस्ताक्षर किए हैं जिसकी पट्टा अवधि 47 वर्ष की है. इसका, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है.

कंपनी के पास, पट्टा अवधि के अंत में भूमि खरीदने का कोई विकल्प नहीं है. आगे, कंपनी ने, वार्षिक आवर्ती शुल्क के साथ पट्टा संबंधी करारनामा निष्पादित करते समय अग्रिम रूप में भुगतान किया है जिसके वार्षिक पट्टे के किराए में कोई बढ़त नहीं होगी. कंपनी के पास, पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद परस्पर सम्मत शर्तों पर पट्टा संबंधी करारनामे का और 47 वर्षों के लिए नवीकरण कराने का विकल्प है. 1 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने आशोधित पूर्व प्रभावी संक्रमण पद्धति के सहारे Ind AS 116 'पट्टे' अपनाया.

सहायक कंपनी, OMPL ने आवासी/कार्यालय परिसर को पट्टे पर लेने और NMPT की भूमि को पट्टे पर लेने के लिए भी करारनामों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनका प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है. औसत पट्टा अवधि 11 महीने से 47 वर्ष तक है.

40.2.2 खर्च के रूप में दर्शाए गए भुगतान

पिछले वर्ष के दौरान समूह ने 1 अप्रैल, 2019 से Ind AS 116 'पट्टे' अपनाया और जहां कहीं पट्टा, अल्पावधि पट्टा हो, कम मूल्य की आस्तियों अथवा परिवर्तनीय पट्टा संबंधी भुगतानों को पट्टा संबंधी देयताओं में शामिल नहीं किया गया है.

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
न्यूनतम किराया (पट्टा संबंधी खर्च)	40.98	34.27
कुल	**40.98**	**34.27**

40.2.3 प्रचालन पट्टे से जुड़ी ऐसी प्रतिबद्धताएं जिनको रद्द नहीं किया जा सकेगा

समूह ने पट्टा संबंधी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है जिसे रद्द न किया जा सके

41 कर्मचारी संबंधी लाभ

41.1 रोजगार उपरांत लाभ

41.1.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाओं के सिलसिले में वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई रकम इस प्रकार है:

परिभाषित अंशदान योजनाएं	दर्शाई गई रकम वर्ष के दौरान		महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी के प्रति अंशदान	
	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
सेवानिवृत्ति निधि में नियोजक का अंशदान	300.82	253.56	1.28	1.34

41.1.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

41.1.2.1 **संक्षित वर्णन:** परिभाषित लाभ योजना के प्रकार का सामान्य वर्णन निम्नानुसार है :

क) **उपदान:**
पूरे किए गए हर एक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन. इसे 5 वर्ष तक रखा जा सकेगा और भुगतान ₹ 2 दशलक्ष तक सीमित किया गया है. इसके अलावा जब कभी IDA में 50% बढ़त हो उपदान में वृद्धि में उच्चतम सीमा 25% तक सीमित है.

एमआरपीएल उपदान निधि न्यास की, 20 अप्रैल, 2007 को स्थापना की गई और बीमांकिक मूल्यांकन के बाद कंपनी से प्राप्त निधि का और 28 जून, 2013 तक निधि का निवेश, समय-समय पर यथा संशोधित आय कर नियम, 1962 के आय कर नियम 67(1) में यथा निर्धारित तरीके से किया गया.

28 जून, 2013 के बाद एमआरपीएल उपदान निधि न्यास की निधि का एलआईसी की सामूहिक उपदान नकद संचयन योजना (परंपरागत निधि), बजाज अलाएंज़, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइन इंश्यूरेंस कं., बिर्ला सन्लाईफ इंश्यूरेंस कं. और इंडिया फस्ट लाइफ इंश्यूरेंस कं. में निवेश किया जाता रहा है.

ख) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

सेवानिवृत्ति के बाद, एक बारगी एकमुश्त अंशदान करने पर, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसकी/उसके आश्रित पत्नी/पति और आश्रित माता-पिता को, कंपनी के नियमों के अनुसार चिकित्सा लाभ के लिए कवर किया जाएगा.

ग) पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी, अपनी पसंदीदा स्थान पर बसने के हकदार होंगे और इसके लिए वे पुन:व्यवस्थापन भत्ता पाने के हकदार हैं.

41.1.2.2 इन योजनाओं की बदौलत कंपनी को इस तरह के बीमांकिक जोखिम उठाने पड़ेंगे जैसे निवेश जोखिम, ब्याज दर जोखिम, दीर्घ आयु संबंधी जोखिम और वेतन जोखिम.

निवेश में निहित जोखिम	निवेश में निहित जोखिम परिभाषित लाभ योजना संबंधी देयता का वर्तमान मूल्य (भारतीय रुपए में अंकित) का परिकलन उस बट्टा दर के आधार पर किया जाएगा जिसका निर्धारण सरकारी बांडों की रिपोर्ट अवधि के अंत में बाज़ार प्रतिफल के संदर्भ में किया जाए, अगर योजना आस्ति पर प्रतिफल, इस दर से कम हो तो योजना घाटा निर्मित होगा. इस समय सरकारी प्रतिभूतियों, बीमा निवेश और अन्य कर्ज लिखतों में निवेश का सापेक्षत: मिला जुला मिश्रण है.
ब्याज में निहित जोखिम	बांड की ब्याज दर घटने से योजना देयता बढ़ जाएगी, लेकिन योजना में कर्ज निवेश पर मिले प्रतिफल से इसमें अंशत: कमी होगी.
दीर्घायु में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय, योजना के सहभागियों की, उनके रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद, दोनों के दौरान मृत्यु के बेहतरीन आकलन का हवाला दिया जाएगा. योजना के सहभागियों की अपेक्षित आयु बढ़ने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.
वेतन में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय, योजना के सहभागियों के भावी वेतन का हवाला दिया जाएगा. बहरहाल, योजना के सहभागियों का वेतन बढ़ने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.

इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत कोई अन्य लाभ नहीं मिलेगा.

योजनाओं के संबंध में, इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चुअरीस ऑफ इंडिया के एक सदस्य फर्म ने 31 मार्च, 2021 को योजना आस्तियों के हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्यांकन किया. परिभाषित दायित्व और संबंधित चालू सेवा लागत एवं गत सेवा लागत के वर्तमान मूल्य का मापन करते समय प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया. परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित देयता को लाभ-हानि खाते में लेखाबद्ध किया जाता है.

41.1.2.3 **बीमांकिक मूल्यांकन करते समय ख़ास तौर पर से नीचे उल्लिखित परिकल्पनाओं का उपयोग किया गया:**

क्रम सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
	उपदान (निधिक)		
1	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	6.90%	6.86%
2	भुनाई दर	6.90%	6.86%
3	वेतन वृद्धि दर	7.50%	7.50%
4	कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर	2.00%	2.00%
5	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत लोगों की मृत्यु दर (2006-08) Ult	भारतीय बीमाकृत लोगों की मृत्यु दर (2006-08) Ult
	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		
1	भुनाई दर	6.90%	6.86%
2	चिकित्सा लागत में वृद्धि	0.00%	0.00%
3	कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर	2.00%	2.00%
4	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत लोगों की मृत्यु दर (2006-08) Ult	भारतीय बीमाकृत लोगों की मृत्यु दर (2006-08) Ult
5	रोजगार के बाद मृत्यु दर	भारतीय व्यक्ति AMT (2012-15)	भारतीय बीमाकृत लोगों की मृत्यु दर (2006-08) Ult
	पुन:व्यवस्थापन भत्ता		
1	भुनाई दर	6.90%	6.86%
2	वेतन वृद्धि दर	7.50%	7.50%
3	कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर	2.00%	2.00%
4	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत लोगों की मृत्यु दर (2006-08) Ult	भारतीय बीमाकृत लोगों की मृत्यु दर (2006-08) Ult

लेखाकरण दिनांक को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार प्रतिफल के आधार पर ऐसा बट्टा दर जो अवधि के अनुरूप हो. वेतन वृद्धि करते समय, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित दीघावधि कारकों पर विचार किया जाता है. योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर, वर्ष के दौरान, संबंधित दायित्व की समग्र अवधि में मिलने वाले प्रतिफल के लिए बाजार की अपेक्षा के आधार पर होती है.

41.1.2.4 **इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई रकम निम्नानुसार हैं:**

उपदान:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
सेवा लागत :		
चालू सेवा लागत	38.60	32.30
निवल ब्याज खर्च	10.69	7.63
गत सेवा लागत	237.25	-
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**286.54**	**39.93**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन		
निवल ब्याज लागत में सम्मिलित योजना आस्तियों पर प्रतिफल ब्याज लागत	(9.52)	(0.76)
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	23.94	98.10
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	(52.03)	18.63
पुन: मापन के घटक	**(37.61)**	**115.97**
कुल	**248.93**	**155.90**

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
सेवा लागत		
चालू सेवा लागत	5.32	5.13
निवल ब्याज खर्च	6.53	6.06
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**11.85**	**11.19**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन		
जन सांख्यिकीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ) / हानियां	7.16	-
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	(0.63)	11.58
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	1.90	4.24
पुन: मापन के घटक	**8.43**	**15.82**
कुल	**20.28**	**27.01**

पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
सेवा लागत		
चालू सेवा लागत	1.44	1.48
निवल ब्याज खर्च	1.17	1.16
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**2.61**	**2.64**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन		
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	(0.10)	2.21
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	(1.43)	(2.22)
पुन: मापन के घटक	**(1.53)**	**(0.01)**
कुल	**1.08**	**2.63**

वर्ष की चालू सेवा लागत और निवल ब्याज खर्च और गत सेवा लागत को लाभ-हानि विवरण में 'कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च' में समाविष्ट किया गया है.

निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन, अन्य व्यापक आय में समाविष्ट किया गया है. अन्य व्यापक आय में दर्शाए गए निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता के घटक, ₹ 30.71 दशलक्ष है (पिछले वर्ष (-) ₹ 131.78 दशलक्ष).

41.1.2.5 परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य में चलन इस प्रकार रहा:

उपदान:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	1,123.55	934.77
चालू सेवा लागत	38.60	32.30
गत सेवा लागत	237.25	-
ब्याज लागत	77.08	72.82
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	23.94	98.10
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	(52.03)	18.63
प्रदत्त लाभ	(23.65)	(33.07)
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**1,424.74**	**1123.55**
चालू दायित्व	248.93	155.90

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	95.22	77.83
चालू सेवा लागत	5.32	5.13
ब्याज लागत	6.53	6.06
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
जन सांख्यिकीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	7.16	-
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	(0.63)	11.58
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	1.90	4.24
प्रदत्त लाभ	(8.53)	(9.62)
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**106.97**	**95.22**
चालू दायित्व	3.11	2.95
गैर-चालू दायित्व	103.86	92.27

पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	17.08	14.88
चालू सेवा लागत	1.44	1.48
ब्याज लागत	1.17	1.16
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	(0.10)	2.21
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	(1.43)	(2.22)
प्रदत्त लाभ	(1.22)	(0.43)
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**16.94**	**17.08**
चालू दायित्व	0.49	0.50
गैर-चालू दायित्व	16.45	16.58

41.1.2.6 अपनी परिभाषित लाभ योजना के संबंध में उद्यम के दायित्व से उत्पन्न तुलन-पत्र में समाविष्ट रकम निम्नानुसार है: उपदान:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
निधिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य	(1,424.74)	(1,123.55)
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,175.81	967.65
निधिक रकम की स्थिति	**(248.93)**	**(155.90)**
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व से उत्पन्न निवल देयता	**(248.93)**	**(155.90)**

कंपनी के अपने वित्तीय लिखतों और रिपोर्ट करने वाले उद्यम के अधिभोग में रही संपत्ति अथवा इस्तेमाल की गई अन्य आस्तियों के संबंध में उपदान निधि की योजना आस्तियों के उचित मूल्य में सम्मिलित रकम ₹ शून्य है (31 मार्च, 2020 को ₹ शून्य).

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ और पुन:व्यवस्थापन भत्ते, गैर निधिक योजना के अधीन आते हैं और इसमें योजना आस्तियों का समावेश नहीं होता है.

41.1.2.7 योजना आस्तियों के उचित मूल्य में चलन इस प्रकार रहा: उपदान:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
योजना आस्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य	967.65	836.79
ब्याज आय	66.38	65.19
योजना आस्तियों पर प्रतिफल (निवल ब्याज खर्च में सम्मिलित रकम को छोड़कर)	9.52	0.76
नियोजक का अंशदान	155.91	97.98
प्रदत्त लाभ	(23.65)	(33.07)
योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य	**1,175.81**	**967.65**

अगले वर्ष, उपदान के संबंध में अपेक्षित अंशदान (निवल) ₹ 235.84 दशलक्ष होगा (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 151.16 दशलक्ष)

कंपनी ने, 31 मार्च, 2021 को ₹ 248.93 दशलक्ष की उपदान देयता लेखाबद्ध की है (31 मार्च, 2020 को ₹ 155.90 दशलक्ष).

41.1.2.8 प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्ट अवधि के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य प्रकार रहा:

योजना आस्तियों का उचित मूल्य

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
नकद और नकदी समतुल्य	0.03	22.92
म्यूचुअल फंड-UTI ख़ज़ाना निधि	20.34	19.21
निर्गमकर्ता की क्रेडिट रेटिंग के आधार पर कर्ज निवेश का श्रेणीकरण		
AAA	10.08	31.12
AA+	1.02	0.30
AA	18.03	-
AA-	1.00	-
A+	2.00	7.01
ई	2.00	-

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
सामूहिक उपदान नकदी संचयन योजना (परंपरागत निधि)		
भारतीय जीवन बीमा निगम	230.27	186.84
बजाज एलाएंज़	215.68	167.93
HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्यूरेंस कं.	216.74	169.01
बिर्ला सन्लाईफ इंश्यूरेंस कं.	134.99	93.29
इंडिया फस्ट लाइफ़ इंश्यूरेंस कं.	134.17	93.34
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	120.63	121.13
अन्य चालू आस्तियां - उपचित ब्याज	68.83	55.55
कुल	**1,175.81**	**967.65**

उपदान की योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल ₹ 66.38 दशलक्ष रहा (31 मार्च, 2020 को ₹ 65.19 दशलक्ष).

परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व निर्धारित करने के लिए उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं हैं, बट्टा दर और वेतन में अपेक्षित वृद्धि. नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण करते समय रिपोर्ट अवधि के अंत में की गईं संबंधित परिकल्पनाओं में होने वाले यथा शक्य परिवर्तनों को ध्यान में रखा गया है जब कि दूसरी सभी परिकल्पनाओं में स्थिरता बनाए रखी गई है.

41.1.2.9 **31 मार्च, 2021 को संवेदनशीलता विश्लेषण**

उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	पुन:व्यवस्थापन भत्ता
भुनाई दर			
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	(72.76)	(7.41)	(1.19)
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	79.05	8.27	1.32
वेतन वृद्धि दर			
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	76.70	-	1.31
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	(73.31)	-	(1.19)
कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर			
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	3.70	(3.00)	-
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	(3.80)	2.76	-

31 मार्च, 2020 को संवेदनशीलता विश्लेषण

उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	पुन:व्यवस्थापन भत्ता
भुनाई दर			
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	(54.57)	(6.51)	(1.24)
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	59.25	7.26	1.38
वेतन वृद्धि दर			
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	18.71	-	1.36
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	(18.99)	-	(1.24)
कर्मचारी व्यापारवर्त दर			
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	15.18	(2.76)	-
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	(16.10)	2.51	-

संभव है कि ऊपर पेश किया गया संवेदनशीलता विश्लेषण, परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व में वास्तविक परिवर्तन न दर्शाए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि एक दूसरे से अलग रहते हुए भी परिकल्पनाओं में परिवर्तन हो क्योंकि कुछ परिकल्पनाओं का सह संबंध हो सकता है.

आगे, उक्त संवेदनशीलता विश्लेषण पेश करते समय परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य परिकलित करने के लिए रिपोर्ट अवधि के अंत में प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया है जो वही है जिसे तुलन-पत्र में दर्शाई गई परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के प्रति देयता का परिकलन करते समय लागू किया गया था.

41.1.2.10 **परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित ब्यौरे, जिनका कंपनी के भावी नकदी प्रवाह पर उल्लेखनीय प्रभाव होगा, नीचे दिए गए हैं:**

उपदान:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,939	1,939
सक्रिय सदस्यों का प्रति माह वेतन	185.30	178.89
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व की भारित औसत अवधि (वर्षों में)	12	12
औसत अपेक्षित भावी सेवा (वर्षों में)	16	16
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व	1,424.74	1123.55
अगले वित्तीय वर्ष के दौरान परिभाषित लाभ योजना में अंशदान	185.30	178.89

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,939	1,939
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या	138	126
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व की भारित औसत अवधि (वर्षों में)	16	15
औसत अपेक्षित भावी सेवा (वर्षों में)	18	17
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व	106.99	95.22

पुन:व्यवस्थापन भत्ता:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,939	1,939
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व की भारित औसत अवधि (वर्षों में)	16	5
औसत अपेक्षित भावी सेवा (वर्षों में)	16	16
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व	16.94	17.08

41.1.2.11 **परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का परिपक्वता प्रोफाइल**

परिभाषित लाभ	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
उपदान		
एक वर्ष से कम	66.73	66.61
एक से तीन वर्ष	129.49	116.46
तीन से पाँच वर्ष	149.23	134.14
पाँच वर्ष से दस वर्ष	610.84	462.47
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		
एक वर्ष से कम	3.11	2.95
एक से तीन वर्ष	6.72	6.27
तीन से पाँच वर्ष	7.79	7.12
पाँच वर्ष से दस वर्ष	28.74	25.25
पुन:व्यवस्थापन भत्ता		
एक वर्ष से कम	0.49	0.50
एक से तीन वर्ष	0.91	0.92
तीन से पाँच वर्ष	1.00	0.97
पाँच वर्ष से दस वर्ष	3.22	3.05

41.2 कर्मचारी संबंधी दीर्घावधि लाभ

41.2.1 छुट्टी का नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण का संक्षिप्त वर्णन यहां नीचे किया गया है:

क) अर्जित छुट्टी संबंधी लाभ (EL):

उपचय - प्रति वर्ष 32 दिन 300 दिनों तक संचित किया जा सकेगा

15 दिन से अधिक संचित EL का, सेवा में रहते समय नकदीकरण किया जा सकेगा बशर्ते कि कम से कम 5 दिन EL का नकदीकरण कराया जाए.

ख) अर्ध वेतन छुट्टी (HPL)

उपचय - प्रति वर्ष 20 दिन

सेवा में रहते समय नकदीकरण नहीं किया जा सकेगा

सेवानिवृत्ति के उपरांत नकदीकरण किया जा सकेगा; जिसे अर्जित छुट्टी के साथ 300 दिनों तक सीमित किया गया है . उक्त छुट्टियों (क और ख) से संबंधित देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.

41.2.2 भविष्य निधि:

भविष्य निधि का संक्षिप्त वर्णन यहां नीचे किया गया है:

(क) भविष्य निधि का शासन, एक अलग ट्रस्ट के जरिए चलाया जाता है. ट्रस्ट का न्यासी बोर्ड, केंद्र सरकार अथवा केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी किए जाने वाले लागू दिशानिर्देशों अथवा निर्देशों के अनुसार काम करता है. न्यासी बोर्ड की जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं :

i. निवेश, आय कर नियम, 1962 के नियम 67 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के आधार पर निवेश स्वरूप के अनुसार किया जाएगा.

ii. न्यासी बोर्ड, ऐसी रकम जुटा सकता है जो बाध्यकर खर्च निभाने के लिए ज़रूरी हो जैसे दावों का निपटान, नियमों के अनुसार अग्रिम देना और नियोजक की सेवा छोड़ने पर सदस्य के भविष्य निधि संचयन और प्रतिभूतियों अथवा निधि के नाम अन्य निवेशों की बिक्री से प्राप्त अन्य प्राप्तियों का, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का पूर्व अनुमोदन लेकर अंतरण करना.

iii. सदस्यों के खातों में जमा करने के लिए ब्याज दर तय करना.

(ख) भविष्य निधि का दीर्घावधि कर्मचारी लाभ, एक अलग न्यास के जरिए दिया जाता है जिसे इस प्रयोजन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार स्थापित किया. भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान, पात्र कर्मचारी के वेतन के निश्चित प्रतिशत के आधार पर इस न्यास में प्रेषित कर लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है. वर्ष के दौरान, कंपनी ने, भविष्य निधि में नियोजक के अंशदान को लाभ-हानि विवरण में नीचे बताए अनुसार दर्शाया है:

विवरण	दर्शाई गई रकम वर्ष के दौरान		महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी के प्रति अंशदान	
	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
भविष्य निधि में नियोजक का अंशदान	293.02	232.98	1.41	1.24

(ग) कानून के तहत, भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम प्रतिफल दर की तुलना में अगर कोई ब्याज दायित्व हो तो उसमें कमी होने पर नियोजक को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी और इसलिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 28.72 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में ₹ शून्य) के लिए प्रावधान कर लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया है. ऐसी कमी, मूल रूप से कुछ कंपनियों के अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (NCD) पर ब्याज संबंधी दायित्व में अधिक चूक होने के कारण उत्पन्न होती है जिसमें न्यास ने उस मोड़ पर निवेश किया है जब इन कंपनियों का क्रेडिट रेटिंग सर्वाधिक थी. मूल धनराशि में संभावित चूक और इन NCDs में चूक की प्रत्याशा में जिसकी रकम ₹ 347.30 दशलक्ष रही, उपलब्ध बेहतरीन आकलन के आधार पर भविष्य निधि न्यास ने सही एवं निष्पक्ष मूल्यांकन दर्शाने की खातिर अपनी बहियों में निवेश को 70% तक दर्शाया है. तदनुसार भविष्य निधि विनियमों के अधीन इन निवेशों के मूल्य में हुई हानि की भरपाई करने की दृष्टि से नियोजक के दायित्व पर विचार करते हुए कंपनी ने भविष्य में अपनी संभावित देयता को ₹ 243.11 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 समाप्त वर्ष में ₹ शून्य) निर्धारित किया जिसके लिए वर्ष के दौरान प्रावधान कर लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया है.

(घ) तुलन पत्र की तारीख को भविष्य निधि न्यास की आस्तियों का उचित मूल्य, हितकारी दायित्व के वर्तमान मूल्य से अधिक है जिसे यहां नीचे दर्शाया गया है.

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,472.05	4,772.87

41.3 सेवा समाप्ति लाभ :

41.3.1 चिकित्सा आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति

कंपनी में चिकित्सा आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुमोदित योजना है. पूरी की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 60 दिनों की परिलब्धियों के समान अथवा सामान्य सेवानिवृत्ति तारीख से पहले बची शेष महीनों की सेवा से गुणन करते हुए सेवानिवृत्ति के समय मासिक परिलब्धियां, जो भी कम हो, अनुग्रह भुगतान, सेवानिवृत्ति लाभ के अलावा किया जाएगा.

41.3.2 एकमुश्त मौद्रिक मुआवजे की स्वयं बीमा योजना

सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ और अलग होने पर लाभ योजना के तहत, अगर दुर्घटना के कारण और रोजगार के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो अथवा वह स्थाई तौर पर पूरी तरह से अपंग हो तो देय किसी न्यूनतम रकम का निर्धारण किए बगैर 100 महीने के मूल वेतन + महंगाई भत्ते के समतुल्य मुआवजा दिया जाएगा.

41.3.3 SABF के तहत अलग होने पर लाभ (जिसका नाम बदलकर अब MDCPS कर दिया गया है)

कंपनी में सेवा करते समय अगर कर्मचारी की मृत्यु हो / वह स्थाई तौर पर पूरी तरह से अपंग हो तो हिताधिकारी को, मृत्यु की तारीख / स्थाई संपूर्ण अपंगता की तारीख से 6 महीने के अंदर नीचे उल्लिखित वांछित विकल्पों में से एक चुनना होगा.

41.3.4 सेवा समाप्ति लाभ, गैर निधिक योजनाएं होती हैं जिनमें योजना आस्तियों का समावेश नहीं होता है.

41.3.5 सेवा समाप्ति संबंधी लाभ को जब कभी खर्च किया जाए लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

सहायक कंपनी OMPL के कर्मचारी संबंधी लाभ का प्रकटन

41.4 परिभाषित लाभ योजनाएं

41.4.1 संक्षित वर्णन: कर्मचारी लाभ संबंधी योजनाओं के प्रकार का सामान्य वर्णन निम्नानुसार है:

41.4.2 उपदान:

पूरे किए गए हर एक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन. इसे 5 वर्ष तक रखा जा सकेगा और भुगतान अधिकतम ₹ 2 दशलक्ष तक सीमित किया गया है.

41.4.3 सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

सेवानिवृत्ति के बाद, एक बारगी एकमुश्त अंशदान करने पर, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसकी/उसके आश्रित पत्नी/पति और आश्रित माता-पिता को, कंपनी के नियमों के अनुसार चिकित्सा लाभ के लिए कवर किया जाएगा.

41.4.4 इन योजनाओं की बदौलत कंपनी को बीमांकिक जोखिम उठाने पड़ेंगे जैसे ब्याज दर जोखिम, दीर्घ आयु संबंधी जोखिम और वेतन जोखिम.

ब्याज में निहित जोखिम	बांड की ब्याज दर घटने से योजना देयता बढ़ जाएगी.
दीर्घायु में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय, योजना के सहभागियों की, उनके रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद, दोनों के दौरान मृत्यु के बेहतरीन आकलन का हवाला दिया जाएगा. योजना के सहभागियों की अपेक्षित आयु बढ़ने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.
वेतन में निहित जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय, योजना के सहभागियों के भावी वेतन का हवाला दिया जाएगा. बहरहाल, योजना के सहभागियों की का वेतन बढ़ने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.

उपदान के संबंध में, मेसर्स के.ए. पंडित सलाहकार और एक्चुअरीस, इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चुअरीस ऑफ इंडिया के सह फर्म ने 31 मार्च, 2021 बीमांकिक मूल्यांकन किया. परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व, संबंधित चालू सेवा लागत एवं गत सेवा लागत के वर्तमान मूल्य का मापन करते समय प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया.

41.4.5 बीमांकिक मूल्यांकन करते समय ख़ास तौर पर से नीचे उल्लिखित परिकल्पनाओं का उपयोग किया गया:

क्रम सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
	उपदान		
1	बट्टा दर	6.96%	6.82%
2	वेतन में वार्षिक वृद्धि	8.00%	8.00%
3	कर्मचारी द्वारा किया गया कुल कारोबार	2.00%	2.00%
	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		
4	बट्टा दर	6.91%	6.81%
5	चिकित्सा लागत में वृद्धि	0.00%	0.00%
6	कर्मचारी द्वारा किए गए कुल कारोबार की दर	2.00%	2.00%

बट्टा दर, अनुरूप अवधि के साथ लेखाकरण दिनांक को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार प्रतिफल के आधार पर है. वेतन वृद्धि करते समय, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित दीघावधि कारकों पर विचार किया जाता है.

41.4.6 इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई रकम निम्नानुसार हैं:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
उपदान:		
चालू सेवा लागत	13.99	12.30
गत सेवा लागत	- 5.80	- 5.00
निवल ब्याज खर्च		
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**19.79**	**17.30**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	(1.57)	4.20
अन्य व्यापक आय में दर्शाए गए पुन: मापन के घटक	**(1.57)**	**4.20**
कुल	**18.22**	**21.50**

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:		
चालू सेवा लागत निवल	0.87	-
सेवा लागत	6.85	-
निवल ब्याज खर्च	0.47	-
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**8.19**	**-**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	0.21	-
अन्य व्यापक आय में दर्शाए गए पुन: मापन के घटक	**0.21**	**-**
कुल	**8.40**	**-**

41.4.7 परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य में चलन इस प्रकार रहा:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
उपदान:		
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	85.02	64.32
चालू सेवा लागत	13.99	12.30
गत सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत	5.80	5.00
सीधे नियोजक द्वारा प्रदत्त लाभ	(1.25)	(0.81)
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	(2.26)	12.02
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	0.69	(7.81)
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**101.99**	**85.02**
चालू दायित्व	3.32	1.46
गैर-चालू दायित्व	98.67	83.56

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:		
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	-	-
चालू सेवा लागत	0.87	-
गत सेवा लागत	6.88	-
ब्याज लागत	0.47	-
सीधे नियोजक द्वारा प्रदत्त लाभ	(0.03)	-
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय पूर्व धारणाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	(0.17)	-
अनुभव के आधार पर किए गए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ और हानियां	0.38	-
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**8.40**	**-**
चालू दायित्व	0.06	-
गैर-चालू दायित्व	8.34	-

41.4.8 अपनी परिभाषित लाभ योजना के संबंध में उद्यम के दायित्व से उत्पन्न तुलन-पत्र में समाविष्ट रकम निम्नानुसार है:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
उपदान:		
निधिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य	(101.99)	(85.02)
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
निधिक रकम की स्थिति (घाटा)	(101.99)	(85.02)
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व से उत्पन्न निवल देयता	(101.99)	(85.02)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:		
निधिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य	(8.40)	-
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
निधिक रकम की स्थिति (घाटा)	(8.40)	-
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व से उत्पन्न निवल देयता	(8.40)	-

उपदान और सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ, गैर निधिक योजना के अधीन आते हैं और इसमें योजना आस्तियों का समावेश नहीं होता है.

41.4.9 परिभाषित दायित्व निर्धारित करने के लिए उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं हैं, बट्टा दर, वेतन में अपेक्षित वृद्धि और कर्मचारी द्वारा किया गया कुल कारोबार. नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण करते समय रिपोर्ट अवधि के अंत में की गईं संबंधित परिकल्पनाओं में होने वाले यथा शक्य परिवर्तनों को ध्यान में रखा गया है जब कि दूसरी सभी परिकल्पनाओं में स्थिरता बनाए रखी गई है.

31 मार्च, 2021 को संवेदनशीलता विश्लेषण

उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान
बट्टा दर	
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	(7.53)
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	8.38
वेतन में वृद्धि	
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	6.61
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	(6.45)
कर्मचारी द्वारा किया गया कुल कारोबार	
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	(0.65)
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	0.69

31 मार्च, 2020 को संवेदनशीलता विश्लेषण

उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान
बट्टा दर	
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	(6.57)
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	7.34
वेतन में वृद्धि	
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	6.18
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	(6.00)
कर्मचारी द्वारा किया गया कुल कारोबार	
- 50 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	(0.81)
- 50 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	0.87

41.4.10 31 मार्च, 2021 को संवेदनशीलता विश्लेषण

उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ
बट्टा दर	
- 100 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	(0.79)
- 100 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	0.90

31 मार्च, 2020 को संवेदनशीलता विश्लेषण

उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ
बट्टा दर	
- 100 आधार बिंदुएं बढ़ने के कारण प्रभाव	-
- 100 आधार बिंदुएं घटने के कारण प्रभाव	-

संवेदनशीलता विश्लेषण, एक ऐसा विश्लेषण है जिससे देयता में चलन का पता चलता है बशर्ते कि परिकल्पनाएं, किसी दूसरे लिहाज से सही साबित न हुई हों. इससे देयता में परिवर्तन का ही पता चलता है क्योंकि परिकल्पित और वास्तविक देयता के बीच का अंतर, संवेदनशीलता विश्लेषण के मापदंडों के अनुरूप नहीं है.

आगे, उक्त संवेदनशीलता विश्लेषण पेश करते समय परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय रिपोर्ट अवधि के अंत में प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया है जो वही है जिसे तुलन-पत्र में दर्शाई गई परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के प्रति देयता का परिकलन करते समय लागू किया गया था.

42 खंडवार रिपोर्ट

रिपोर्ट करने लायक एक ही खंड के रूप में समूह के " पेट्रोलियम उत्पाद " हैं.

42.1 प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

कंपनी के उल्लेखनीय राजस्व, तेल विपणन कंपनियों को उत्पाद बेचने से मिलते हैं जो 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के कुल राजस्व का क्रमश: 70% और 57% है. इन कंपनियों को की गई कुल बिक्री की रकम, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 350,501.95 दशलक्ष और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 328,952.62 दशलक्ष रही.

कंपनी के राजस्व में 10% या उससे अधिक योगदान देने वाले ग्राहकों की संख्या, 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शून्य रही.

सहायक कंपनी, OMPL के उल्लेखनीय राजस्व, निर्यात ग्राहकों को बिक्री करने से मिलते हैं जो कंपनी के कुल राजस्व का 92% बनते हैं (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में 87%). इन ग्राहकों को की गई कुल बिक्री की रकम, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 30,966.61 दशलक्ष और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 42,352.65 दशलक्ष रही.

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सहायक कंपनी ओएमपीएल के तीन ग्राहकों ने (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में तीन ग्राहकों ने), कंपनी के राजस्व में 10% अथवा उससे अधिक योगदान दिया. इन ग्राहकों को की गई कुल बिक्री की रकम, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 25,350.65 दशलक्ष और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 42,348.10 दशलक्ष रही.

42.2 भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी:

क) समूह, भारत में बसा है. ग्राहकों के स्थान के आधार पर ग्राहकों से प्राप्त उसकी राजस्व रकम, नीचे की तालिका में दर्शाई गई है:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
भारत	421,929.09	397,339.93
अन्य देश	86,459.62	201,354.02
कुल	**508,388.71**	**598,693.95**

ख) गैर-चालू आस्तियां (वित्तीय आस्तियों और आस्थगित कर आस्तियों को छोड़कर), ग्राहकों के स्थान के आधार पर नीचे की तालिका में दर्शाई गई हैं:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
भारत	229,433.95	232,132.63
अन्य देश	-	-
कुल	**229,433.95**	**232,132.63**

42.3 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

अपने प्रमुख उत्पादों का लगातार प्रचालन करने से कंपनी के राजस्व का विश्लेषण निम्नानुसार है:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
हाई स्पीड डीज़ल (HSD)	296,199.50	303,698.47
मोटर स्पिरिट (MS)	71,457.67	75,719.55
कुल	**367,657.17**	**379,418.02**

प्रमुख उत्पादों से राजस्व के बारे में रिपोर्ट करते समय प्रत्येक उत्पाद के कुल कारोबार के 10% की देहली सीमा अपनाई जाती है.

43 संबंधित पक्षकार के बारे में प्रकटन

43.1 संबंधित पक्षकारों के नाम और संबंध का वर्णन:

अ कंपनी पर नियंत्रण रखने वाला उद्यम (नियंत्रक कंपनी)

आयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड [ONGC]

आ कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाला उद्यम

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)

इ संयुक्त उद्यम

शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (SMAFSL)

ई न्यास (सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभ संबंधी न्यास सहित) जिस पर एमआरपीएल का नियंत्रण है

1 एमआरपीएल उपदान निधि न्यास

2 एमआरपीएल भविष्य निधि न्यास

उ.1 गैर कार्यपालक निदेशक

श्री शशि शंकर, अध्यक्ष

उ.2 अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक

1 श्री सुभाष कुमार, नामिती निदेशक (ओएनजीसी)

2 श्री विनोद एस. शेणै, नामिती निदेशक (HPCL)

3 श्री रोहित माथुर, निदेशक (सरकारी नामिती) 10 दिसंबर, 2020 से

4 सुश्री ईशा श्रीवास्तव, निदेशक (सरकारी नामिती) 10 दिसंबर, 2020 से

5 श्री आर टी अगरवाल, स्वतंत्र निदेशक

6 श्री विजय शर्मा, सरकारी नामिती, 04 अगस्त, 2020 तक

7 श्री वी.पी. हरन, स्वतंत्र निदेशक, 07 सितंबर, 2020 तक

8 श्री सेवा राम, स्वतंत्र निदेशक, 07 सितंबर, 2020 तक

9 डॉ. जी. के. पटेल, स्वतंत्र निदेशक, 07 सितंबर, 2020 तक

10 श्री बलबीर सिंह यादव, स्वतंत्र निदेशक, 07 सितंबर, 2020 तक

11 श्री सुनील कुमार, निदेशक (सरकारी नामिती) 10 दिसंबर, 2020 तक

ऊ महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी

ऊ.1 कार्यपालक निदेशक

1 श्री एम. वेंकटेश, प्रबंध निदेशक

2 श्रीमती पोमिला जसपाल, निदेशक (वित्त)

3 श्री संजय वर्मा, निदेशक (रिफ़ाइनरी) 09 जून, 2020 से

ऊ.2 मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्रीमती पोमिला जसपाल, निदेशक (वित्त) और सीएफओ

ऊ.3 कंपनी सचिव

श्री दिनेश रंजन मिश्रा, कंपनी सचिव

43.2 लेन-देनों के ब्यौरे:

43.2.1 नियंत्रक कंपनी के साथ लेन-देन

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड [ONGC]	लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
उत्पादों की बिक्री	उत्पादों और सहबद्ध सेवाओं का विक्रय	10,243.33	5,649.26
क्रूड की खरीदारी	क्रूड तेल आदि की खरीदारी	39,254.75	41,538.37
प्राप्त सेवाएँ	क) ONGC कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	-	2.53
	ख) मुंबई और दिल्ली कार्यालय का किराया और विद्युत शुल्क और खर्च और बिल भुनाई शुल्क की प्रतिपूर्ति	129.24	74.32
गारंटी शुल्क	साउदी अरैमेको को दी गई गारंटी के लिए शुल्क	9.73	34.24
मानी गई इक्विटी	गारंटी के प्रति मानी गई इक्विटी	-	1.89
अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर CCD's (देखें टिप्पणी सं.50.1)	CCD - ओएनजीसी का अंश	-	4,894.79
लाभांश	प्रदत्त लाभांश	-	1,255.35
OMPL के शेयरों की खरीदारी	एमआरपीएल द्वारा ओएनजीसी से शेयरों की खरीदारी	12,167.34	-

43.2.2 नियंत्रक कंपनी के पास बकाया शेषराशि

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड [ONGC]	लेन-देन का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
प्राप्य रकम	उत्पादों और सहबद्ध सेवाओं का विक्रय	552.06	679.16
देय रकम	क्रूड तेल की खरीदारी	2,904.94	1,746.97
देय रकम	खर्च के लिए अन्य	13.69	18.22
गारंटी के प्रति पूर्व भुगतान	CCDs पर ब्याज के लिए गारंटी देयता	1.21	1.85
अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर CCD's [देखें टिप्पणी 23.7.4]	CCD - ओएनजीसी का अंश	4,896.57	4,894.79
प्रतिबद्धताएं	ओएनजीसी को वसूली का अधिकार होते हुए ओएनजीसी द्वारा एमआरपीएल के नाम बनाए गए बीजकों की बिल भुनाई के निमित्त	3,258.96	-

43.2.3 कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाले उद्यम के साथ लेन-देन

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)	लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
बिक्री	तेल उत्पादों की बिक्री आदि	247,324.63	148,663.53
प्रदान की गईं सेवाएँ	क) लोडिंग आर्म, पाइपलाइन प्रभार आदि	-	1.64
	ख) खर्च, सुकरण प्रभार की प्रतिपूर्ति	5.66	8.01
	ग) संदूषित उत्पादों की प्राप्तियां, आतिथ्य शुल्क, घाट शुल्क	6.64	10.24
लाभांश	प्रदत्त लाभांश	-	297.15

43.2.4 कंपनी पर उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाले उद्यम के पास बकाया शेषराशि

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)	लेन-देन का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
प्राप्य रकम	तेल उत्पादों की बिक्री आदि	13,956.40	5,769.37
	अन्य प्रतिपूर्तियां	22.19	40.27
देय रकम	खर्च के प्रति अन्यों को	0.27	4.94

43.2.5 संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन:

शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लि (SMAFSL)	लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
उत्पादों की बिक्री	पेट्रोलियम उत्पाद	2,226.71	7,409.25
उत्पादों की खरीदारी	संदूषित पेट्रोलियम उत्पाद और खर्च की प्रतिपूर्ति	0.14	
प्रदान की गईं सेवाएँ	क) खर्च की प्रतिपूर्ति	-	0.07
	ख) रॉयल्टी आय	9.15	12.65
लाभांश आय	प्राप्त लाभांश	37.50	6.00

43.2.6 संयुक्त उद्यमों के पास बकाया शेषराशि:

शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लि (SMAFSL)	लेन-देन का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
प्राप्य रकम	रॉयल्टी और टर्मिनलिंग शुल्क आदि	342.32	318.56

43.2.7 अन्य संबंधित पक्षकारों की सहबद्ध कंपनियों के साथ लेन-देन:

सहबद्ध कंपनी का नाम	लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
क) इनसे प्राप्त सेवाएँ:			
1. मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	नदी जल, STP जल और सड़क की मरम्मत	710.22	692.69
2. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	पाइपलाइन परिवहन शुल्क और अन्य खर्च	23.57	110.95
3. ONGC नाइल गंगा BV	क्रूड तेल आदि की खरीदारी	-	0.11
4. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	क्रूड तेल आदि की खरीदारी	3,197.02	-
ख) इनको प्रदान की गईं सेवाएँ:			
1. ONGC नाइल गंगा BV	टेंडरिंग सेवाएं	-	0.70
2. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	विद्युत शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति	18.14	28.78

43.2.8 अन्य संबंधित पक्षकारों के सहयोगियों के पास बकाया शेषराशि:

सहबद्ध कंपनी का नाम	लेन-देन का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
प्राप्य रकम:			
1. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	विद्युत शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति	0.01	-
2. ONGC नाइल गंगा BV	सेवाओं के निमित्त बकाया	0.12	0.12
3. ONGC कैंपोस LTDA	सेवाओं के निमित्त बकाया	0.10	0.10
4. मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	नदी जल, STP जल और सड़क की मरम्मत	-	129.30
देय रकम:			
1. मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	नदी जल, STP जल और सड़क की मरम्मत	65.62	-
2. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	पाइपलाइन परिवहन शुल्क और अन्य खर्च	2.46	15.38
3. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	क्रूड की खरीदारी के निमित्त बकाया शेषराशि	0.14	-

43.2.9 न्यासों के साथ लेन-देन

न्यासों के नाम	लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
भुगतान का प्रेषण:			
एमआरपीएल की भविष्य निधि	अंशदान	684.86	525.98
एमआरपीएल की भविष्य निधि	कमी होने पर भविष्य निधि में अंशदान	271.83	- 33.07
			159.90
एमआरपीएल उपदान निधि न्यास	न्यास से एमआरपीएल में प्रतिपूर्ति	23.65	
एमआरपीएल उपदान निधि न्यास	एमआरपीएल से न्यास में अंशदान	248.93	

43.2.10 न्यासों के पास बकाया शेषराशि

न्यासों के नाम	लेन-देन का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
देय रकम: एमआरपीएल की भविष्य निधि	कमी की भरपाई के लिए भविष्य निधि न्यास को देय रकम	271.83	-
एमआरपीएल उपदान निधि न्यास	न्यास में देय अंशदान (निवल)	235.84	151.16

43.2.11 महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारियों को दिया गया मुआवजा:

पूर्णकालिक निदेशक / कंपनी सचिव मुख्य वित्तीय अधिकारी	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
विवरण		
कर्मचारी को अल्पावधि लाभ	22.86	15.86
रोजगार उपरांत लाभ (छुट्टी, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ के लिए प्रावधान शामिल हैं)	15.15	16.72
अन्य दीर्घावधि लाभ (भविष्य निधि के प्रति अंशदान शामिल है)	3.81	2.59
कुल	**41.82**	**35.17**

निदेशकों और अन्य अधिकारियों को दिए गए ऋण/ऋणों पर उपचित ब्याज

पूर्णकालिक निदेशक और कंपनी सचिव	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
विवरण		
निदेशक और कंपनी सचिव को दिए गए ऋण	5.14	0.67
निदेशक और कंपनी सचिव को दिए गए ऋणों पर उपचित ब्याज	0.47	0.12
कुल	**5.61**	**0.79**

स्वतंत्र निदेशक

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
बैठक शुल्क	2.02	4.28

43.3 सरकार से जुड़े उद्यमों के संबंध में प्रकटन (देखें नीचे दी गई टिप्पणी 43.3.4):

43.3.1 सरकार से जुड़े उन उद्यमों के नाम जिनके साथ उल्लेखनीय प्रमाण में लेन-देन किए गए:

	सरकार से जुड़े उद्यम	संबंध
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)	केंद्रीय PSU
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	केंद्रीय PSU
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (BHEL)	केंद्रीय PSU
4	ओरिएण्टल इंश्यूरेंस कं. लिमिटेड	केंद्रीय PSU
5	ब्रिज एण्ड रूफ कं (इंडिया) लिमिटेड	केंद्रीय PSU
6	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	केंद्रीय PSU
7	भारतीय जहाजरानी निगम लि.	केंद्रीय PSU
8	कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	केंद्रीय PSU
9	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	केंद्र सरकार
10	उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र	केंद्र सरकार
11	भारतीय रेलवे	केंद्र सरकार
12	कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	राज्य सरकार
13	कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड	राज्य सरकार
14	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	केंद्रीय पोर्ट ट्रस्ट

43.3.2 सरकार से जुड़े उद्यमों के साथ लेन-देन (देखें नीचे दी गई टिप्पणी 43.3.4):

	उद्यम का नाम	लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
अ	**वर्ष के दौरान इनको की गई उत्पादों, अन्यों की बिक्री:**			
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	क्रूड तेल, पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	57,178.30	1,13,002.64
2	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	28,814.32	49,974.93
3	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	0.82	2.99
4	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	क्रूड तेल, पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	22,042.85	11,931.73
5	भारतीय रेलवे	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	3,097.00	1,077.89
आ	**वर्ष के दौरान इनसे उत्पादों की खरीदारी:**			
1	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	अन्य आपूर्तियां	84.11	101.94
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	नैफ़्ता/संदूषित उत्पाद/चिकने पदार्थों की खरीदारी	135.96	17.05
3	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)	संदूषित उत्पाद आदि की खरीदारी	2.08	1.00
4	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	क्रूड तेल आदि की खरीदारी	988.45	28,766.70
इ	**प्रदान की गई सेवा**			
1	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)	एमआरपीएल कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	8.73	8.03
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	पाइपलाइनों,लोडिंग आर्म शुल्क आदि के निमित्त	-	1.08
ई	**इनसे प्राप्त सेवाएँ:**			
1	कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	विद्युत की खरीदारी	196.48	207.34
2	ओरिएण्टल इंश्यूरेंस कं. लि.	बीमा प्रीमियम	400.89	378.24
3	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	पोर्ट सेवाएं अन्य	1,072.83	1,273.29
4	ब्रिज एण्ड रूफ कं (इंडिया) लिमिटेड	छोटे-मोटे कार्य	925.14	1,304.88
5	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	तकनीकी सेवाएं	92.20	288.56
6	भारतीय जहाजरानी निगम लि.	सेवा	2,204.37	3,034.08
7	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	रेलवे साइडिंग माल भाड़ा शुल्क	617.34	177.27
8	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (BPCL)	PT कार्यक्रम सेवाएं	0.12	0.18
9	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	अन्य सेवाएँ	24.06	67.80
उ	**भूमि खरीदने के लिए अग्रिम**			
1	कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड	भूमि की खरीदारी	7.24	-

43.3.3 सरकार से जुड़े उद्यमों के पास बकाया शेषराशि (देखें नीचे दी गई टिप्पणी 43.3.4):

	उद्यम का नाम	लेन-देन का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
	प्राप्य रकम:			
1	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां	1,580.07	935.79
2	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां	1,143.19	1,084.60
3	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड(ISPRL)	व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां	1.42	6.78
4	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां	220.78	300.18
5	भारतीय रेलवे	व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां	415.82	356.02
	विक्रेताओं को अग्रिम:			
1	उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र	अग्रिम	29.82	28.57
2	कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड	भूमि आदि के लिए अग्रिम और बयाना	6,955.25	6,951.99
3	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड(ISPRL)	अग्रिम	-	0.39
	देय रकम:			
1	ब्रिज एण्ड रूफ कं (इंडिया) लिमिटेड	व्यापार और अन्य देयताएं	54.12	135.95
2	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	व्यापार और अन्य देयताएं	154.95	143.69
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	व्यापार और अन्य देयताएं	882.59	883.41
4	भारतीय जहाजरानी निगम लि.	व्यापार और अन्य देयताएं	-	131.41
5	कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार और अन्य देयताएं	16.87	16.85
6	कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार और अन्य देयताएं	19.26	17.62
7	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार और अन्य देयताएं	106.81	0.08
8	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड(ISPRL)	व्यापार और अन्य देयताएं	-	6,462.22

सरकार से जुड़े उद्यमों के साथ किए गए लेन-देनों में ऐसे लेन-देन शामिल हैं जो वैयक्तिक और सामूहिक रूप से उल्लेखनीय हैं. कंपनी ने ऊपर उल्लिखित और सरकार से जुड़े अन्य विभिन्न उद्यमों के साथ दूसरे लेन-देन भी किए हैं जैसे टेलीफोन खर्च, हवाई जहाज से यात्रा, ईंधन की खरीदारी ओर जमाराशि आदि. वैयक्तिक और सामूहिक दृष्टि से ये लेन-देन उल्लेखनीय नहीं है और इसलिए इनको प्रकट नहीं किया गया है.

43.3.4 ONGC, HPCL, PMHBL, ONGC नाइल गंगा BV तथा ओएनजीसी विदेश लि. के साथ रिश्तेदारी, इनके साथ किए गए लेन-देन और इनके पास बकाया शेषराशि, उक्त टिप्पणी 43.2.1 से 43.2.10 में प्रकट की गई है.

43.4 सहायक कंपनी, OMPL के संबंधित पक्षकारों के बारे में प्रकटन

43.4.1 संबंधित पक्षकारों के नाम और संबंध का वर्णन:

अ अंतिम नियंत्रक कंपनी

आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड [ONGC]

आ अंतिम नियंत्रक कंपनी की सहायक कंपनी

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)

इ अंतिम नियंत्रक कंपनी का संयुक्त उद्यम

मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड (MSEZL)

ई महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी

ई.1 गैर-कार्यपालक निदेशक

श्री शशि शंकर, अध्यक्ष (31 मार्च, 2021 तक)

श्री एम. वेंकटेश, निदेशक (01 अप्रैल 2015 से)

श्री राजेश श्यामसुंदर कक्कड़ (15 मई 2018 से)

श्री संजय कुमार मोइत्रा (31 मई 2020 तक)

श्रीमती अलका मित्तल, निदेशक (28 फरवरी 2018 से)

श्री विनयकुमार, निदेशक (31 मई 2020 तक)

श्रीमती पोमिला जसपाल, निदेशक (26 नवंबर 2019 से)

श्री अनुराग शर्मा, निदेशक (05 जून 2020 से)

श्री संजय वर्मा, निदेशक (26 जून 2020 से)

ई.2 श्री सुजिर एस नायक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (1 अक्तूबर, 2018 से)

ई.3 श्री सुरेंद्र नायक, मुख्य वित्तीय अधिकारी (नियंत्रक कंपनी से प्रतिनियुक्त 30 सितंबर 2020 तक)

ई.4 श्री के.बी. श्याम कुमार, कंपनी सचिव (13 अगस्त 2014 से)

ई.5 श्री सुरिंदर पाल सिंह चावला, मुख्य वित्तीय अधिकारी (नियंत्रक कंपनी से प्रतिनियुक्त 23 अक्तूबर 2020 से)

43.5 लेन-देनों के ब्यौरे:

43.5.1 अंतिम नियंत्रक कंपनी और संयुक्त उद्यम एवं अंतिम नियंत्रक कंपनी की सहायक कंपनी के साथ लेन-देन

संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड*	इक्विटी में निवेश	-	2,449.90
	प्रदान की गईं सेवाएँ	-	0.32
मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड**	प्राप्त आपूर्तियां और सेवाएं	432.05	386.83
	अंचल ओ एण्ड एम पावर के लिए बयाना	-	9.38
	पट्टा किराया	23.40	23.40
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	उत्पादों की खरीदारी	1.23	361.26

* कंपनी ने निजी व्यवस्था के जरिए प्रत्येक ₹ 10 दशलक्ष के 1,000 अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (CCDs) आबंटित किए. कंपनी ने 3 विभिन्न श्रृंखलाओं में CCDs निर्गमित किए हैं. CCDs, बैक स्टॉप के रूप में होते हैं जिनके लिए समर्थन प्रायोजक कंपनियों अर्थात् ओएनजीसी (49%) और एमआरपीएल (51%)से मिलता है जिसके तहत डिबेंचर न्यास और विकल्प करारनामे के नियमों और शर्तों पर डिबेंचरों को खरीदना पड़ता है. . आगे, प्रायोजक कंपनियों ने यह सुनिश्चित करने का वचन दिया है कि ओएमपीएल, ब्याज का भुगतान करेगी.

** पाइपलाइन-सह-रोड कॉरिडॉर उपयोग के प्रति कंपनी को देय अन्य पक्षकार अंश के रूप में MSEZ द्वारा अंकित ₹ 62.76 दशलक्ष की रकम जिस पर चालू अवधि के दौरान विचार नहीं किया गया है क्योंकि पाइपलाइन कॉरिडॉर परियोजना की लागत पर रोक लगाए जाने तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है. प्रदत्त स्टाइपेंड और निर्वाह भत्ते के प्रति MSEZL द्वारा दावा की गई ₹ 3.02 दशलक्ष की रकम पर, चालू अवधि में विचार नहीं किया गया है क्योंकि इसे भी अभी तय नहीं किया गया है.

43.5.2 अंतिम नियंत्रक कंपनी और संयुक्त उद्यम एवं अंतिम नियंत्रक कंपनी की सहायक कंपनी के पास बकाया शेषराशि

संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देन का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
अ. देय रकम:			
मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	देय व्यापार और अन्य राशि	53.54	126.63
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	देय व्यापार और अन्य राशि	0.05	0.05
आ. प्राप्य रकम:			
मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	प्राप्य व्यापार और अन्य राशियां	-	52.72
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	प्राप्य व्यापार और अन्य राशियां	0.05	0.37
इ. ऋण और अन्य आस्तियां:			
मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड	बयाना (विद्युत्)	-	3.59
	बयाना (विद्युत्)	15.40	15.40
	बयाना (जल)	3.13	3.13
	बयाना (अंचल ओ एण्ड एम)	9.38	9.38

43.5.3 महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारियों को दिया गया मुआवजा

अ **मुख्य कार्यपालक अधिकारी***

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
कर्मचारी को अल्पावधि लाभ	6.13	4.85
रोजगार उपरांत लाभ (उपदान और PRMB) और दीर्घावधि लाभ (क्षतिपूर्त अनुपस्थितियां)	3.23	2.43
भविष्य निधि में अंशदान	0.59	0.54
कुल	**9.95**	**7.82**

आ **मुख्य वित्तीय अधिकारी**

कंपनी ने श्री सुरेंद्र नायक, मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियंत्रक कंपनी से 30.09.2020 तक प्रतिनियुक्ति के प्रति वर्ष के दौरान ₹ 2.79 दशलक्ष (31 मार्च 2020 को ₹ 4.79 दशलक्ष) की क्षतिपूर्ति की.

आगे, कंपनी ने नियंत्रक कंपनी से श्री सुरिंदर पाल सिंह चावला की, 23.10.2020 से प्रतिनियुक्ति के प्रति वर्ष के दौरान ₹ 3.09 दशलक्ष (31 मार्च 2020 को ₹ शून्य) की क्षतिपूर्ति की.

इ **कंपनी सचिव**

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
कर्मचारी को अल्पावधि लाभ	3.52	3.06
रोजगार उपरांत लाभ (उपदान और PRMB) और दीर्घावधि लाभ (क्षतिपूर्त अनुपस्थितियां)	0.93	0.97
भविष्य निधि में अंशदान	0.37	0.34
कुल	**4.82**	**4.37**

43.6 सरकार से जुड़े उद्यमों के संबंध में प्रकटन :

43.6.1 सरकार से जुड़े उन उद्यमों के नाम जिनके साथ उल्लेखनीय प्रमाण में लेन-देन किए गए (43.5 में प्रकट किए गए उद्यमों से भिन्न) :

क्रम सं.	सरकार से जुड़े उद्यम	संबंध
i	ब्रिज एण्ड रूफ कं (इंडिया) लिमिटेड	केंद्रीय PSU
i	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	केंद्रीय PSU
iii	नैशनल इंश्यूरेंस कंपनी लि.	केंद्रीय PSU
iv	कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	राज्य सरकार
v	नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	न्यास
vi	बालमेर लॉरी एण्ड कं. लि.	केंद्रीय PSU
vii	दी न्यू इंडिया अश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड	केंद्रीय PSU
viii	केंद्रीय भण्डारण निगम	केंद्र सरकार
ix	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन	केंद्रीय PSU
x	गेल इंडिया लि.	केंद्रीय PSU
xi	स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	केंद्र सरकार
xii	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	केंद्र सरकार
xiii	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	केंद्र सरकार
xiv	युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कं. लि.	केंद्रीय PSU

43.6.2 सरकार से जुड़े उद्यमों के साथ लेन-देन (43.5.1 में प्रकट किए गए उद्यमों से भिन्न)

संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	सेवाएँ	0.68	21.27
नैशनल इंश्यूरेंस कंपनी लि.	सेवाएँ	0.23	0.43
कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सेवाएँ	0.14	0.00
नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	पोर्ट संबंधी सेवाएं	52.23	53.56
बालमेर लॉरी एण्ड कं. लि.	सेवाएँ	0.71	12.44
न्यू इंडिया अश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड	सेवाएँ	179.70	117.18
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति	-	0.56
गेल इंडिया लि.	वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति	432.83	11.20
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	सेवाएँ	-	5.00
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	सेवाएँ	-	1.61
स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	सेवाएँ	0.00	5.00
युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कं. लि.	सेवाएँ	0.38	15.30

43.6.3 **सरकार से जुड़े उद्यमों के पास बकाया शेषराशि (43.5.2 में प्रकट किए गए उद्यमों से भिन्न)**

संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देन का स्वरूप	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
(देय)/प्राप्य रकम			
नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट	व्यापार और अन्य देयताएं	0.91	0.96
नैशनल इंश्यूरेंस कंपनी लि	सेवाएँ	0.01	0.25
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	सेवाएँ	(3.21)	(2.60)
गेल इंडिया लि.	वस्तुओं की आपूर्ति	(145.42)	9.28
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	सेवाएँ	0.47	1.61

सरकार से जुड़े उद्यमों के साथ किए गए लेन-देनों में ऐसे लेन-देन शामिल हैं जो वैयक्तिक और सामूहिक रूप से उल्लेखनीय हैं. कंपनी ने ऊपर उल्लिखित और सरकार से जुड़े अन्य विभिन्न उद्यमों के साथ दूसरे लेन-देन भी किए हैं जैसे टेलीफोन खर्च, हवाई जहाज से यात्रा, ईंधन की खरीदारी ओर जमाराशि आदि. वैयक्तिक और सामूहिक दृष्टि से ये लेन-देन उल्लेखनीय नहीं है और इसलिए इनको प्रकट नहीं किया गया है.

44 वित्तीय लिखत

44.1 पूंजी प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन करते समय समूह का उद्देश्य है, समुत्थान उद्यम की तरह जारी रखने की उसकी क्षमता की हिफ़ाजत करना ताकि समूह, हिस्सेदारों को अधिकतम प्रतिफल और अन्य हिस्सेदारों को लाभ दिला सके और पूंजी लागत घटाने के लिए इष्टतम पूंजी संरचना बरकरार रख सके.

समूह, अपना वित्तीय ढांचा बरकरार रखता है जिससे कि सुरक्षित वित्तीय आधार सुनिश्चित करने के साथ-साथ शेयरधारकों की मूल्य वृद्धि हासिल करने के प्रति समर्थन दिया जा सके. पूंजी संरचना को बरकरार रखने अथवा उसका समायोजन करने की दृष्टि से समूह, शेयरधारकों को लाभांश के वितरण में फेर-बदल कर सकता है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकता है, नए शेयरों का निर्गमन कर सकता है अथवा कर्ज घटाने के लिए आस्तियां बेच सकता है.

समूह की पूंजीगत संरचना में समाविष्ट है, निवल कर्ज (टिप्पणी 23 और 24 में विस्तार से उल्लिखित उधार, जिसकी कमी पूरी की गई है, नकद और बैंक शेषराशियों से) और समूह की कुल इक्विटी.

समूह का प्रबंधन, समूह की पूंजीगत संरचना का तिमाही आधार पर समीक्षा करता है. इस समीक्षा के अंग के तौर पर, प्रबंधन, पूंजी लागत और प्रत्येक श्रेणी की पूंजी की आवश्यकता से जुड़े जोखिमों और पर्याप्त नकदी बनाए रखने पर विचार करता है.

44.1.1 गेरिंग अनुपात

रिपोर्ट अवधि के अंत में गेरिंग अनुपात का परिकलन निम्नानुसार किया जाता है:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
i) कर्ज *	238,332.78	184,818.59
ii) कुल नकद और बैंक शेषराशि	520.86	280.15
घटाएं: कार्यकारी पूंजी के लिए आवश्यक नकद और बैंक शेषराशि	520.62	279.95
निवल नकद और बैंक शेषराशि	0.24	0.20
iii) निवल कर्ज	238,332.54	184,818.39
iv) कुल इक्विटी	42,481.01	62,279.00
v) इक्विटी की तुलना में निवल कर्ज का अनुपात	5.61	2.97
*** कर्ज का मतलब है, टिप्पणी 23 और टिप्पणी 24 में वर्णन किए गए अनुसार दीर्घावधि और अल्पावधि उधार**		

44.2 वित्तीय लिखतों की श्रेणियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
वित्तीय आस्तियां		
परिशोधित लागत पर मापे गए		
(क) प्राप्य व्यापार राशियां	24,506.71	10,171.72
(ख) नकद और नकदी समतुल्य	258.25	18.00
(ग) अन्य बैंक शेषराशि	262.61	262.15
(घ) ऋण	1,413.08	1,284.22
(ङ) अन्य वित्तीय आस्तियां	281.64	205.13
लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापा गया		
(क) निवेश	5.08	5.08
वित्तीय देयताएं		
परिशोधित लागत पर मापे गए		
(क) उधार	227,521.37	167,514.30
(ख) देय व्यापार राशियां	40,031.31	32,765.33
(ग) अन्य वित्तीय देयताएं	22,903.40	27,768.11

44.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

समूह की जोखिम प्रबंधन समिति, समूह का प्रचालन करने में निहित महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों पर निगरानी रखकर उसे संभालती है जिसके लिए जोखिम की तीव्रता और उसके प्रमाण के आधार पर एक्सपोशर का विश्लेषण किया जाता है. इन जोखिमों में शामिल है, बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम सहित), ऋण जोखिम और नकदी जोखिम.

44.4 बाजार में निहित जोखिम

बाजार में निहित जोखिम ऐसा जोखिम अथवा अनिश्चितता है जो संभवत: बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव से और व्यवसाय के भावी निष्पादन पर उसके प्रभाव से उत्पन्न होती हैं. बाजार में निहित जोखिम के प्रमुख घटक हैं, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और ब्याज दर जोखिम.

44.5 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

समूह, विदेशी मुद्रा में अंकित लेन-देन, मूल रूप से क्रूड तेल की खरीदारी और निर्यात बिक्री के सिलसिले में करता है और उसके उधार, विदेशी मुद्रा में अंकित होते हैं; फलस्वरूप वह विनिमय दर में घट-बढ़ का सामना करता है. रिपोर्ट अवधि के अंत में समूह की विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक आस्तियों और मौद्रिक देयताओं का बही मूल्य, निम्नानुसार है :-

लेन-देन की मुद्रा	देयताएं		आस्तियां	
	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
USD	151,844.56	142,114.17	7,085.94	2,903.95
यूरो	0.13	1.10	-	-
CAD	0.19	-	-	0.76

44.5.1 विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

समूह को, ख़ास तौर से संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा (USD) में व्यवहार करना पड़ता है. लाभ अथवा हानि में संवेदनशीलता, ख़ास तौर से USD में अंकित प्राप्य और देय राशियों से उत्पन्न होती है.

प्रबंधन के निर्धारण के अनुसार, USD-INR मुद्राओं के बीच विनिमय दर में +/- 5% का परिवर्तन होने की संभावना है, इसलिए अवधि के अंत में सिर्फ़ विदेशी मुद्रा में अंकित बकाया मौद्रिक मदों पर लाभ अथवा हानि की संवेदनशीलता, यहां नीचे प्रस्तुत की गई है:

वर्ष के अंत में USD की संवेदनशीलता	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2020
प्राप्य राशियां:		
INR का, 5% तक कमज़ोर पड़ना	354.30	145.20
INR का, 5% तक सुदृढ़ होना	(354.30)	(145.20)
देय व्यापार राशियां:		
INR का, 5% तक कमज़ोर पड़ना	(7,451.81)	(6,781.67)
INR का, 5% तक सुदृढ़ होना	7,451.81	6,781.67

44.5.2 वायदा विदेशी मुद्रा ठेके

कंपनी, अल्पावधि वायदा ठेके, अधिकतम 30 दिन तक सीमित मात्रा में बुक करती है जब निर्यात संबंधी प्राप्य रकम की तारीख और आयात भुगतान की तारीख, हाजिरी तारीख के दिन न पड़े.

सहायक कंपनी ओएमपीएल ने, रिपोर्ट अवधि के दौरान, किसी वायदा विदेशी मुद्रा ठेके पर हस्ताक्षर नहीं किए.

44.6 ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

समूह ने, निश्चित और अस्थाई ब्याज दरों पर उधार लिए हैं इसलिए उसे ब्याज दर में निहित जोखिम उठाना पड़ेगा. समूह ने ब्याज दर में कोई अदला-बदली नहीं की और इसलिए समूह को ब्याज दर में निहित जोखिम का सामना करना पड़ेगा.

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण, रिपोर्ट अवधि के अंत में ब्याज दर के प्रति एक्सपोशर के आधार पर किया गया है. अस्थाई दर पर लिए गए उधारों के संबंध में, विश्लेषण करते समय यह परिकल्पना की गई है कि रिपोर्ट अवधि के अंत में बकाया उधार राशि, समग्र वर्ष में बकाया रही. संवेदनशीलता विश्लेषण में प्रकटन करते समय 50 आधार बिंदु को घटाया या बढ़ाया गया है.

अगर ब्याज दर, 50 आधार बिंदु पर अधिक/कम हुआ होता और सभी अन्य परिवर्तनीय कारकों को स्थिर रखा गया होता तो समूह का, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष में ₹ 728.98 दशलक्ष तक बढ़/घट गया होता (31 मार्च, 2020 में: ₹ 669.11 दशलक्ष तक वृद्धि/अवनति). इसका प्रमुख कारण है, समूह का, उसके परिवर्तनीय दरों पर लिए गए उधार के प्रति कंपनी का एक्सपोशर (वर्ष के अंत में उधार पर अंतिम शेषराशि पर विचार किया जाता है).

44.7 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण संबंधी जोखिम एक ऐसा जोखिम है जब कोई प्रति पक्षकार, अपने संविदात्मक दायित्व निभाने से मुकर जाता है जिसके चलते समूह वित्तीय हानि होती है. ऋण संबंधी जोखिम, नकद और नकदी समतुल्य, प्राप्य रकम सहित बैंकों एवं ग्राहकों के पास रखी गईं जमाराशियों से उत्पन्न होता है. ऋण जोखिम प्रबंधन, उपलब्ध उचित और समर्थक अग्रदर्शी सूचना के साथ-साथ ऐसे संकेतकों पर विचार करता है जैसे बाह्य क्रेडिट रेटिंग (जहां तक उपलब्ध हो), समष्टि-आर्थिक जानकारी (जैसे विनियामक परिवर्तन, सरकारी निदेश, बाजार ब्याज दर आदि).

चूंकि अधिकतर ग्राहक, सर्वाधिक क्रेडिट रेटिंग प्राप्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियां हैं इसलिए ऋण में निहित जोखिम न के बराबर है. किसी दूसरे प्रति पक्षकार के प्रति ऋण जोखिम का सांद्रण, वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मौद्रिक आस्तियों के 10% के परे न रहा.

सहायक कंपनी ओएमपीएल, नियंत्रक कंपनी और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ बिक्री लेन-देन के अलावा साख पत्र की जमानत पर अपने ग्राहकों के साथ बिक्री लेन-देन करता है.

जमाराशि रखते समय सिर्फ़ उच्च रेटिंग प्राप्त बैंकों पर विचार किया जाता है. बैंक शेषराशियां, प्रतिष्ठित एवं साख पात्र बैंकिंग संस्थाओं में रखी जाती हैं.

44.8 नकदी जोखिम प्रबंधन

समूह, नकदी जोखिम संभालने के लिए बैंक जमाराशियों पर पर्याप्त नकद और नकदी समतुल्य रखता है और रकम देय होने पर दायित्व निभाने की खातिर प्रतिबद्ध पर्याप्त रकम में ऋण सुविधाओं के जरिए निधि उपलब्ध कराता है. प्रबंधन, अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी स्थिति, नकद एवं नकदी समतुल्य का पूर्वानुमान लगाने की खातिर उस पर नज़र रखता है. इसके अलावा, चल निधि प्रबंधन में वित्तीय आस्तियों और देयताओं के परिपक्कता प्रोफाइल का मिलान करते हुए और तुलन-पत्र के चल निधि अनुपात पर नज़र रखते हुए दायित्त्व निभाने के लिए ज़रूरी नकदी आस्तियों के स्तर पर विचार करते हुए नकदी प्रवाह का प्रक्षेपण किया जाता है. समूह, चल निधि संबंधी जोखिम संभालते समय, पर्याप्त आरक्षित निधि बरकरार रखता है और लगातार पूर्वानुमान पर और वास्तविक नकदी प्रवाह पर नज़र रखने के साथ-साथ वित्तीय आस्तियों और देयताओं के परिपक्कता प्रोफाइल का मिलान करता है.

नीचे उल्लिखित तालिका में समूह की, सम्मत चुकौती अवधि के लिए गैर व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए बची हुई संविदात्मक परिपक्कता दर्शाई गई है. यह तालिका, कंपनी द्वारा शीघ्रातिशाघ्र जिस तारीख को भुगतान करना पड़ेगा उस तारीख को ध्यान में रखते हुए वित्तीय देयताओं के बट्टा रहित नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार की गई है. इस तालिका में ब्याज और मूल नकदी प्रवाह, दोनों समाविष्ट किए गए हैं. संविदात्मक परिपक्कता, कंपनी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र जिस तारीख को भुगतान करना पड़ेगा उस तारीख के आधार पर निर्धारित की गई है.

विवरण 31 मार्च, 2021 को	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 माह से कम	1 माह - 1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	कुल रखाव रकम
(i) उधार *	दीर्घावधि - 3.94% अल्पावधि - 3.18% सहायक कंपनी, OMPL दीर्घावधि - 4.29% अल्पावधि - 5.82%	18,245.14	52,283.06	58,411.37	99,581.86	228,521.43	227,521.37
(ii) देय व्यापार राशियां	देखें टिप्पणी 27.2	30,773.88	9,257.43	-	-	40,031.31	40,031.31
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं		6,093.36	14,764.64	516.80	4,878.88	26,253.68	22,903.40

विवरण 31 मार्च, 2020 को	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 माह से कम	1 माह - 1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	कुल रखाव रकम
(i) उधार *	दीर्घावधि - 4.80% अल्पावधि - 7.74% सहायक कंपनी, OMPL दीर्घावधि - 4.61% अल्पावधि - 8.22%	2,470.32	32,792.76	46,302.62	86,953.57	168,519.27	167,514.30
(ii) देय व्यापार राशियां	देखें टिप्पणी 27.2	27,570.92	5,194.41	-	-	32,765.33	32,765.33
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं		6,679.39	19,171.13	485.88	5,218.16	31,554.56	27,768.11

* देखें टिप्पणी 23.7

नीचे दी गई तालिका में समूह की गैर व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियों के लिए अपेक्षित परिपक्वता के ब्यौरे दिए गए हैं. यह तालिका, वित्तीय आस्तियों पर अर्जित किए जाने वाले ब्याज सहित इन आस्तियों की बट्टा रहित संविदात्मक परिपक्वताओं के आधार पर तैयार की गई है. समूह के चलनिधि जोखिम प्रबंधन को समझने के लिए गैर-व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियों पर जानकारी समाविष्ट करना आवश्यक है क्योंकि चलनिधि को, निवल आस्ति और देयता के आधार पर संभाला जाता है.

विवरण 31 मार्च, 2021 को	भारित भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 माह से कम	1 माह -1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	वर्ष से अधिक	कुल	कुल बही मूल्य
(i) निवेश		-	-	-	254.94	254.94	254.94
(ii) ऋण							
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	7.74%	17.61	127.67	271.01	803.48	1,219.77	1,219.77
ग्राहकों को दिए गए ऋण	8.39%	-	0.31	1.00	3.58	4.89	4.89
अन्य		11.74	0.95	0.11	366.93	379.73	188.42
(iii) प्राप्य व्यापार राशियां	देखें टिप्पणी 17.1	24,300.05	206.66	-	-	24,506.71	24,506.71
(iv) नकद और नकदी समतुल्य		258.25	-	-	-	258.25	258.25
(v) बैंक शेषराशि उक्त (iv) से भिन्न		262.52	0.09	-	-	262.61	262.61
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियां		2.91	3.21	16.11	259.41	281.64	281.64

विवरण 31 मार्च, 2020 को	भारित भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 माह से कम	1 माह -1 वर्ष	1 वर्ष - 3 वर्ष	वर्ष से अधिक	कुल	कुल बही मूल्य
(i) निवेश		-	-	-	292.95	292.95	292.95
(ii) ऋण							
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	7.40%	15.43	113.10	246.99	701.70	1,077.22	1,077.22
ग्राहकों को दिए गए ऋण	9.55%	0.01	0.14	0.35	1.24	1.74	1.74
अन्य		3.40	1.11	0.10	394.37	398.98	205.26
(iii) प्राप्य व्यापार राशियां	देखें टिप्पणी 17.1	10,095.35	76.37	-	-	10,171.72	10,171.72
(iv) नकद और नकदी समतुल्य		18.00	-	-	-	18.00	18.00
(v) बैंक शेषराशि उक्त (iv) से भिन्न		262.06	0.09	-	-	262.15	262.15
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियां		3.70	2.86	13.30	185.27	205.13	205.13

समूह को नीचे वर्णित वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच है जिसमें से ₹ 5,000.00 दशलक्ष का रिपोर्ट अवधि के अंत में उपयोग नहीं किया गया था (31 मार्च, 2020 को ₹ 3,838.02 दशलक्ष). समूह उम्मीद करता है कि वह प्रचालन नकदी प्रवाह और परिपक्व होने वाली वित्तीय आस्तियों से अपने अन्य दायित्व निभा पाएगा.

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
मांग पर देय जमानती बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा :	5,000.00	10,000.00
- उपयोग की गई रकम	-	6,161.98
- उपयोग न की गई रकम	5,000.00	3,838.02

44.9 उचित मूल्य का मापन

प्रबंधन समझता है कि वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं का रखाव रकम, उनके उचित मूल्य दर्शाता है. वित्तीय देयताओं को परिशोधित लागत के रूप में मापा जाता है जिनका उचित मूल्य के सोपान के परिप्रेक्ष्य में स्तर II के रूप में वर्गीकरण किया जाता है.

45. संयुक्त उद्यम की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण (31 मार्च, 2021 को)	चालू आस्तियां	गैर-चालू आस्तियां	चालू देयताएं	गैर-चालू देयताएं	कुल राजस्व	प्रचालन जारी न रखने से लाभ या हानि	प्रचालन रुकने से लाभ अथवा हानि	अन्य व्यापक आय	कुल व्यापक आय
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	1,984.11	91.79	1,563.43	5.87	2,604.95	8.00	-	0.03	8.03
कुल	**1,984.11**	**91.79**	**1,563.43**	**5.87**	**2,604.95**	**8.00**	**-**	**0.03**	**8.03**

विवरण (31 मार्च, 2020)	चालू आस्तियां	गैर-चालू आस्तियां	चालू देयताएं	गैर-चालू देयताएं	कुल राजस्व	प्रचालन जारी न रखने से लाभ या हानि	प्रचालन रुकने से लाभ अथवा हानि	अन्य व्यापक आय	कुल व्यापक आय
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	2,405.41	98.63	1,921.35	9.12	8,307.54	15.19	-	(0.91)	14.28
कुल	**2,405.41**	**98.63**	**1,921.35**	**9.12**	**8,307.54**	**15.19**	**-**	**(0.91)**	**14.28**

45.1 संयुक्त उद्यम से संबंधित अतिरिक्त वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण (31 मार्च, 2021 को)	नकद और नकदी समतुल्य	चालू वित्तीय देयताएं	गैर-चालू वित्तीय देयताएं	मूल्यह्रास और परिशोधन	ब्याज आय	ब्याज खर्च	आय पर आय कर खर्च
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	87.95	1,444.32	5.59	15.02	76.18	27.00	4.48
कुल	**87.95**	**1,444.32**	**5.59**	**15.02**	**76.18**	**27.00**	**4.48**

विवरण (31 मार्च, 2020 को)	नकद और नकदी समतुल्य	चालू वित्तीय देयताएं	गैर-चालू वित्तीय देयताएं	मूल्यह्रास और परिशोधन	ब्याज आय	ब्याज खर्च	आय पर आय कर खर्च
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	533.12	1,836.11	9.12	15.31	41.50	12.04	1.60
कुल	**533.12**	**1,836.11**	**9.12**	**15.31**	**41.50**	**12.04**	**1.60**

45.2 समूह के संयुक्त उद्यम की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी

विवरण	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	
	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
संयुक्त उद्यम की निवल आस्तियां	506.60	573.76
संयुक्त उद्यम में समूह के स्वत्व हित का अंश	50%	50%
संयुक्त उद्यम में समूह के स्वत्व हित का अंश (INR)	253.30	286.88
घटाएं: अप्राप्त लाभ और अन्य समायोजन	3.44	(0.99)
समायोजन के बाद संयुक्त उद्यम में समूह के हित की रखाव रकम	249.86	287.87

46 आकस्मिक देयताएं

46.1 कंपनी के खिलाफ ऐसे दावे/विवादग्रस्त मांगें, जिनको कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

क्रम सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
1.	माध्यस्थम् / अदालत में ठेकेदारों / विक्रेताओं के दावे		
क)	उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना करने वाले कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पर दावे पेश करते हुए निर्णीत हर्जाने, बढाई गई अवधि के लिए मुआवजे के बगैर ठेका पूरा करने की अवधि बढ़ाने की मांग की है और अतिरिक्त दावे आदि किए गए हैं जिनकी अभ्यापत्ति करते हुए कंपनी ने संबंधित ठेकों के प्रावधानों के अनुसार उनको कबूल नहीं किया है. अगर निर्णय नकारात्मक निकला तो देय रकम, ₹ 1,258.72 दशलक्ष को पूंजीकृत किया जाएगा/ ₹ 10.88 दशलक्ष को राजस्व खाते में प्रभारित किया जाएगा. (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में ₹ 1,248.03 दशलक्ष और ₹ 35.86 दशलक्ष).	1,269.60	1,283.89
ख)	सहायक कंपनी ओएमपीएल - कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पर दावे पेश करते हुए निर्णीत हर्जाने, बढाई गई अवधि के लिए कीमत में समायोजन के बगैर ठेका पूरा करने की अवधि बढ़ाने की मांग की है और अतिरिक्त दावे आदि किए हैं जिनकी अभ्यापत्ति करते हुए कंपनी ने तथ्यों और ठेका संबंधी नियमों के अनुसार उनको कबूल नहीं किया है. चूंकि Ind AS 37 के अधीन अपेक्षित कुछ अथवा तमाम जानकारी का प्रकटन करने से, प्रासंगिक देयता के विषय में पक्षकारों के साथ विवाद में कंपनी की स्थिति पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है इसलिए ऐसे कथित दावों को चालू वर्ष में प्रकट नहीं किया गया है.	3,548.26	2,958.38
2.	अन्य		
क)	भूमि और पुनर्वास एवं पुन:व्यवस्थापन कार्य के लिए प्रदत्त अग्रिम से अधिक मंगलूर एसईज़ड् लि. का दावा	20.05	20.05
	कुल	**4,837.91**	**4,262.32**

इन तमाम दावों को अस्वीकार करते हुए समूह द्वारा इनको चुनौती दी जा रही है. माध्यस्थम्/अदालत से समाधान/फैसला मिलने तक ऐसे दावे निपटाने के लिए अगर संसाधनों का बहिर्वाह हो तो उसका वस्तुनिष्ठ आकलन करना व्यवहार्य नहीं होगा.

46.2 यथा 31 मार्च, 2021 अपील में लंबित विवादित कर / शुल्क संबंधी मांगे

46.2.1 31 मार्च, 2021 को आय कर: ₹ 228.76 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 116.52 दशलक्ष). इसके प्रति 31 मार्च, 2021 को ₹ शून्य का (31 मार्च, 2020 को ₹ शून्य), अभ्यापत्ति के तहत समायोजन/भुगतान किया गया है जिसे कर आस्तियों/देयताओं के अधीन शामिल किया गया है **(देखें टिप्पणी 14).**

46.2.2 31 मार्च, 2021 को उत्पाद शुल्क: ₹ 7,633.38 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 7,310.93 दशलक्ष). इसके प्रति, 31 मार्च, 2021 को ₹ 186.39 दशलक्ष को (31 मार्च, 2020 को ₹ 182.10 दशलक्ष), अभ्यापत्ति के तहत पूर्व जमा/भुगतान किया गया है जिसे अन्य आस्तियों के अधीन शामिल किया गया है **[टिप्पणी 15].**

46.2.3 31 मार्च, 2021 को सीमा शुल्क: ₹ 956.02 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 916.31 दशलक्ष). इसके प्रति 31 मार्च, 2021 को ₹ 379.48 का (31 मार्च, 2020 को ₹ 379.48 दशलक्ष), अभ्यापत्ति के तहत समायोजन/भुगतान किया गया है जिसे अन्य आस्तियों के अधीन शामिल किया गया है **(देखें टिप्पणी 15).**

46.2.4 आयात शुल्क अदा करने के प्रयोजन से रीफ़ॉर्मेट के प्रशुल्क के वर्गीकरण के संबंध में ब्याज के साथ ₹ 2,121.14 दशलक्ष की रकम के उत्पाद शुल्क और कुल मिलाकर ₹ 6,168.37 दशलक्ष की रकम के जुर्माने को लेकर सीमा शुल्क विभाग से दावा है. समग्र मांग को चुनौती देते हुए अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दर्ज की गई है. अपील की कार्यवाही का निष्कर्ष निकलने तक बहियों में उक्त मांग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

47 प्रतिबद्धताएं

47.1 पूंजीगत प्रतिबद्धताएं:

47.1.1 पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए बचे हुए ठेकों की अनुमानित रकम और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 31 मार्च, 2021 को ₹ 6,464.09 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 10,786.69 दशलक्ष).

47.1.2 कंपनी ने KIADB से चरण IV विस्तार के लिए 1,050 एकड़ भूमि आबंटित करने की दरख्वास्त ही है. इस संबंध में कुल पूंजीगत प्रतिबद्धता है करीब ₹ 6,407.14 दशलक्ष (31 मार्च, 2020 को ₹ 6,407.14 दशलक्ष).

47.2 अन्य प्रतिबद्धताएं

47.2.1 रिफाइनरी की तरफ़ से प्रतिबद्धता पूरी होने तक-एमआरपीएल के पास कुछ भूमि है जिसका अनंतिम रूप से माप 36.69 एकड़ है जिसे HPCL ने एमआरपीएल चरण III और उन्नयन कार्य के सिलसिले में उपयोग करने की खातिर सत्तांतरित किया है. इस भूमि के लिए प्रतिफल स्वरूप, परस्पर सम्मति के आधार पर एमआरपीएल/ HPCL के कब्ज़े में रही भूमि की अदला-बदली की जाएगी. इस संबंध में अंतिम प्रलेखन, अभी निष्पादित नहीं किया गया है.

47.2.2 मेसर्स शेल्ल ग्लोबल इंटरनैशनल सोल्यूशन (मेसर्स शेल्ल GIS) द्वारा रिफाइनरी निष्पादन में सुधार करने के कार्यक्रम के निमित्त किया गया वायदा पूरा होने तक, 31 मार्च, 2021 को निवल अग्रिम USD 1.46 दशलक्ष रहा (31 मार्च, 2020 को USD 1.46 दशलक्ष निवल अग्रिम)

48 वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का समाधान

नीचे दी गई तालिका में, नकदी तथा गैर नकदी प्रभारों, दोनों सहित वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न कंपनी की देयताओं में परिवर्तन के ब्यौरे दिए गए हैं. वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न देयताएं ऐसी देयताएं हैं जिनके लिए नकदी प्रवाह या भावी नकदी प्रवाह को वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह के रूप में कंपनी के नकदी प्रवाह विवरण में वर्गीकृत किया जाएगा.

क्रम सं.	विवरण	01/04/2020 को प्रारंभिक शेषराशि	नकदी प्रवाह का वित्तपोषण	नकदेतर परिवर्तन	31/03/2021 को अंतिम शेषराशि
I	उधार - दीर्घावधि				
	1 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)	32,844.25	(11,135.30)	(667.26)	21,041.69
	2 तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण	5,390.00	(117.50)	-	5,272.50
	3 अपरिवर्तनीय डिबेंचर				
	4 आस्थगित भुगतान देयताएं - VAT ऋण	25,586.59	12,170.00	(4.34)	37,752.25
	5 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण (ECB)	360.78	74.88	(17.57)	418.09
	6 विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCTL)	30,025.03	11,165.63	(1,208.70)	39,981.96
	7 रुपया सावधि ऋण	38,510.88	6,167.23	(1,201.18)	43,476.93
	8 अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर(CCDs)#	6,856.72	3,010.92	0.52	9,868.16
		9,989.37	-	3.63	9,993.00
	कुल	**149,563.62**	**21,335.86**	**(3,094.90)**	**167,804.58**

क्रम सं.	विवरण	प्रारंभिक 01/04/2020 को प्रारंभिक शेषराशि	नकदी प्रवाह का वित्तपोषण	नकदेतर परिवर्तन	31/03/2021 को अंतिम शेषराशि
ii	**उधार - अल्पावधि**				
	1 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण	8,632.30	(8,632.31)	0.01	-
	2 विदेशी मुद्रा गैर प्रत्यावर्तनीय ऋण (FCNR)	11,866.06	(215.70)	48.04	11,698.40
	3 वाणिज्यिक पत्र	-	26,500.00	-	26,500.00
	4 अल्पावधि रुपया ऋण	4,732.16	11,426.16	-	16,158.32
	5 बिल भुनाई सुविधा	6,324.45	(5,557.97)	-	766.48
	6 अन्य कार्यकारी पूंजीगत ऋण	3,700.00	11,705.00	-	15,405.00
	कुल	**35,254.97**	**35,225.18**	**48.05**	**70,528.20**

क्रम सं.	विवरण	01/04/2019 को प्रारंभिक शेषराशि	नकदी प्रवाह का वित्तपोषण	नकदेतर परिवर्तन	31/03/2020 को अंतिम शेषराशि
I	**उधार - दीर्घावधि**				
	1 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)	34,500.76	(4,349.10)	2,692.59	32,844.25
	2 तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण	2,680.00	2,710.00	-	5,390.00
	3 अपरिवर्तनीय डिबेंचर				
	4 आस्थगित भुगतान देयताएं - VAT ऋण	19,999.61	5,600.00	(13.02)	25,586.59
	5 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण (ECB)	225.56	423.85	(288.63)	360.78
	6 आस्थगित भुगतान देयताएं - CST	68.52	27,752.88	2,203.63	30,025.03
	7 विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (FCTL)	218.63	(218.63)	-	-
	8 रुपया सावधि ऋण	3,458.00	32,399.92	2,652.96	38,510.88
	9 अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (CCDs) *#	11,999.70	(5,142.98)	-	6,856.72
		-	9,989.10	0.27	9,989.37
	कुल	**73,150.78**	**69,165.04**	**7,247.80**	**149,563.62**
ii	**उधार - अल्पावधि**				
	1 बैंकों से कार्यकारी पूंजीगत ऋण	4,654.87	3,977.44	(0.01)	8,632.30
	2 विदेशी मुद्रा गैर प्रत्यावर्तनीय ऋण (FCNR)	49,795.20	(38,169.83)	240.69	11,866.06
	3 वाणिज्यिक पत्र	4,000.00	(4,000.00)	-	-
	4 खरीदार ऋण और पोत लदान पूर्व/उपरांत निर्यात निर्यात ऋण	24,206.00	(24,206.00)	-	-
	5 अल्पावधि रुपया ऋण	370.00	4,362.16	-	4,732.16
	6 बिल भुनाई सुविधा	-	6,324.45	-	6,324.45
	7 अन्य कार्यकारी पूंजीगत ऋण	-	3,700.00	-	3,700.00
	कुल	**3026.07**	**(48,011.78)**	**240.68**	**35,254.97**

*** पुन: कथित: देखें टिप्पणी सं.50**

प्रायोजक (ओएनजीसी) को, अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (CCDs) की देयता के प्रति सहायक कंपनी ओएमपीएल के 49% शेयर मिलेंगे जिनका निपटान करते समय परिवर्तन किया जा सकेगा.

बैंक ऋणों से नकदी प्रवाह, संबंधित पक्षकारों से ऋण और अन्य उधार राशियां, नकदी प्रवाह विवरण में उधार राशियां तथा उधार राशियों की चुकौती से आय की निवल राशि है.

49 Ind AS 8 के अनुसार प्रकटन- 'लेखा नीतियां, लेखा आकलनों में परिवर्तन और त्रुटियां' Ind AS 1 'वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण'.

वर्ष के दौरान नियंत्रक कंपनी ने भविष्य निधि में अंशदान से संबंधित कर्मचारी लाभ का वर्गीकरण, परिभाषित अंशदान योजना से बदलकर अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ में पुनर्वर्गीकृत किया. Ind AS 8 'लेखा नीतियां, लेखा आकलनों में परिवर्तन और त्रुटियां' के अनुसार लेन-देन के मामले में लेखा नीति की प्रयोज्यता, पहले हुई घटनाओं अथवा पूर्व घटनाओं अथवा स्थितियों से वाकई भिन्न अन्य घटनाएं अथवा स्थितियां, लेखा नीति में परिवर्तन की तरह नहीं होंगी. लाभ-हानि विवरण पर उसका प्रभाव 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष में ₹ 271.83 दशलक्ष और पिछले वर्ष ₹ शून्य रहा.

अधिक प्रकटन करने, बेहतर ढंग से समझने और स्पष्टता के लिए उल्लेखनीय लेखा नीति के अधीन कुछ नीतियों में कुछ छोटे-मोटे सुधार / परिवर्तन किए गए हैं **[देखें टिप्पणी 3]**. लेकिन इन सुधारों / परिवर्तनों का समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है.

50 Ind AS 8 के अनुसार प्रकटन- 'लेखा नीतियां, लेखा आकलनों में परिवर्तन और त्रुटियां' Ind AS 1 'वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण'.

वित्तीय विवरण का समाधान पंक्ति की मद, जिनका पूर्वव्यापी रूप में निम्नानुसार पुन: कथन किया गया है(जहां तक व्यवहार्य हो):

50.1 सहायक कंपनी, OMPL ने 5 मार्च, 2020 को (प्रत्येक ₹ 10 दशलक्ष के 1000) ₹ 10,000 दशलक्ष के अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (CCDs) निर्गमित किए. इसे कंपाउंड वित्तीय लिखत (CFI) की तरह मानकर तदनुसार Ind AS 32 की लेखा पद्धति अपनाते हुए इक्विटी और कर्ज घटक के रूप में वर्गीकृत किया गया. तदनुसार कंपनी ने स्वतंत्र वित्तीय विवरण में टिप्पणियों के रूप में सिर्फ़ बैक स्टॉपिंग व्यवस्था का प्रकटन किया है. भारतीय नियंत्रक एवं महा लेखा नियंत्रक (सी एण्ड एजी) ने इस संबंध में कमियों का जिक्र करते हुए वित्त 2019-20 में सहायक कंपनी "OMPL" द्वारा अपनाई गई पद्धति और नियंत्रक कंपनी की बहियों में अपनाई गई पद्धति में सुधार कर निवारक कार्रवाई (अगर कोई हो तो) करने का सुझाव दिया. सहायक कंपनी के साथ कंपनी ने आश्वासन दिया है कि वे, यह मामला, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (EAC) के पास निदिष्ट करेंगे. तदनुसार, सहायक कंपनी के साथ कंपनी ने उक्त मामला EAC के पास निर्दिष्ट किया है. उक्त मामले पर EAC ने 5 मई, 2021 को राय व्यक्त की कि सहायक कंपनी द्वारा जारी CCDs को लेखाबद्ध करने की पद्धति, Ind AS 32 की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है और CCDs का वित्तीय देयताओं के रूप में वर्गीकरण करना होगा (इक्विटी में परिवर्तन करने की खूबी को इक्विटी शेयरों के निर्गमन के जरिए ही निपटाया जा सकता है, लेकिन इसमें परिवर्तनशील शेयर निर्गमित करने का दायित्व होगा जब कि निर्गमित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, परिवर्तन पर शेयर की कीमत पर निर्भर होगी. अर्थात्; परिवर्तन कीमत और इसलिए CCDs का कंपनी के साधारण इक्विटी शेयरों में परिवर्तन अनुपात, CCDs की प्रारंभिक मान्यता के मोड़ पर निश्चित नहीं होगी. इसलिए, लिखत के अंदर परिवर्तन घटक, समग्र रूप से इक्विटी के रूप में वर्गीकरण करने के प्रयोजन से Ind AS 32 में निर्धारित मानदंड के अनुरूप नहीं होगा) और राय व्यक्त की कि पूर्व अवधि वाली त्रुटि के रूप में पूर्वव्यापी रूप से लेखा पद्धति में सुधार किया जाए. तदनुसार, EAC की राय पर विचार करते हुए सहायक कंपनी ने CCDs को वित्तीय देयता के रूप में लेखाबद्ध किया है. आगे कंपनी ने अपने स्वतंत्र वित्तीय विवरण के बारे में भी यह राय प्राप्त की है कि कंपनी के वित्तीय विवरणों में चालू लेखा पद्धति, Ind AS 32 की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है और कंपनी, Ind AS 107 की संबंधित प्रस्तुतीकरण और प्रकटन एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के प्रभाग II का अनुपालन करेगी. समूह, CCDs की लेखा पद्धति में, पूर्वव्यापी रूप से पूर्व अवधि वाली त्रुटि के रूप में भूल सुधार करेगा. अब कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय विवरण का पुन: कथन करते हुए लेखा पद्धति में भूल सुधार किया.

50.2 31 मार्च, 2020 तक के तुलन-पत्र की पुन: कथित मदों का समाधान :

विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च, 2020		
		पिछली बार दर्शाई गई रकम	समायोजन	पुन: कथित
आस्थगित कर आस्तियां [देखें नीचे दी गई टिप्पणी क]	26	13,014.62	(767.53)	12,247.09
अन्य गैर-चालू आस्तियां [देखें नीचे दी गई टिप्पणी ख]	15	8,721.26	1.22	8,722.48
अन्य चालू आस्तियां [देखें नीचे दी गई टिप्पणी ख]	15	4,733.49	0.63	4,734.12
अन्य		279,949.67	-	279,949.67
कुल आस्तियां		**306,419.04**	**(765.68)**	**305,653.36**
अन्य इक्विटी (देखें नीचे दी गई टिप्पणी ग)	21	50,820.47	(4,748.91)	46,071.56
गैर-नियंत्रक हित [देखें नीचे दी गई टिप्पणी घ]		2,490.48	(3,809.68)	(1,319.20)
उधार (गैर-चालू) [देखें नीचे दी गई टिप्पणी ङ]	23	123,777.55	8,481.78	132,259.33
उधार (चालू) [देखें नीचे दी गई टिप्पणी ङ]	23	35,943.84	(688.87)	35,254.97
अन्य		93,386.70	-	93,386.70
कुल इक्विटी और देयताएं		**306,419.04**	**(765.68)**	**305,653.36**

50.3 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि विवरण की पुन: कथित मदों का समाधान :

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष		
		पिछली बार दर्शाई गई रकम	समायोजन	पुन: कथित
वित्त लागत [देखें नीचे दी गई टिप्पणी ज]	35	12,411.48	52.28	12,463.76
संयुक्त उद्यम के लाभ का अंश [देखें नीचे दी गई टिप्पणी छ]	26	11.58	0.24	11.82
आस्थगित कर संबंधी खर्च (देखें नीचे दी गई टिप्पणी झ)		(14,630.11)	(18.16)	(14,648.27)
वर्ष का लाभ / (हानि)		**(40,391.29)**	**(33.88)**	**(40,425.17)**
अन्य व्यापक आय (देखें नीचे दी गई टिप्पणी छ)		(88.67)	(0.24)	(88.91)
वर्ष की कुल व्यापक आय		**(40,479.96)**	**(34.12)**	**(40,514.08)**
प्रति शेयर अर्जन				
मूल और आंशिक (₹ में)	39	(19.13)	(0.01)	(19.14)

50.4 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण का समाधान (देखें नीचे दी गई टिप्पणी ञ)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष		
	पिछली बार दर्शाई गई रकम	समायोजन	पुन: कथित
कर उपरांत लाभ/(हानि)	(40,391.29)	(33.88)	(40,425.17)
कर संबंधी खर्च	(13,592.75)	(18.16)	(13,610.91)
संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) का अंश	(5.58)	(6.24)	(11.82)
विनिमय में घट-बढ़ (निवल)	8,287.25	(2,648.74)	5,638.51
वित्त लागत	12,411.48	52.28	12,463.76
लाभांश आय	(20.03)	6.00	(14.03)
- अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/अवनति	5,519.92	1,900.57	7,420.49
- प्राप्य व्यापार और अन्य देयताओं में वृद्धि/(अवनति)	(12,089.61)	(24.58)	(12,114.19)
प्रदत्त आय कर, निवल धन वापसी	252.82	(1,114.89)	(862.07)
यौगिक वित्तीय लिखत के इक्विटी घटक से प्राप्तियां	8,526.36	(8,526.36)	-
दीर्घावधि उधार से प्राप्तियां/चुकौती	61,372.39	7,792.65	69,165.04
प्रदत्त वित्त लागत	(12,258.87)	2,621.35	(9,637.52)

क. इक्विटी के रूप में CCDs को मान्यता न देने के कारण आस्थगित कर पर प्रभाव.

ख. पूर्व दत्त गारंटी शुल्क को लेखाबद्ध करना (चालू और गैर चालू अंश)

ग. CCDs का इक्विटी से उधार में पुनर्वर्गीकरण, गारंटी कमीशन और आस्थगित कर का उस पर प्रभाव.

घ. CCDs का NCI से उधार में पुनर्वर्गीकरण.

ङ. CCDs का इक्विटी से उधार में पुनर्वर्गीकरण और उसका चालू और गैर चालू देयता में पुनर्वर्गीकरण. **[देखें टिप्पणी 23.7.4]**

च. गारंटी शुल्क सहित CCD के संबंध में ब्याज भुगतान की लेखा पद्धति में परिवर्तन.

छ. नकदी प्रवाह बचाव में बचाव लिखत पर अभिलाभ/(हानियों) के प्रभावी अंश के निमित्त पुनर्वर्गीकरण.

ज. इक्विटी के रूप में CCDs को मान्यता न देने के कारण आस्थगित कर पर प्रभाव.

झ. नकदी प्रवाह विवरण पर प्रभाव, ऊपर उल्लिखित तुलन पत्र और लाभ-हानि विवरण में हुए परिवर्तन से आंका जा सकता है.

51 सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम में निवेश का प्रकटन

समेकित वित्तीय विवरणों में "मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड", उसकी सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम के लेखों का समेकन दर्शाया गया है जिसके ब्यौरे यहां नीचे दिए गए हैं **[देखें टिप्पणी सं. 11 और 45]:**

क्रम सं.	सहायक कंपनी का नाम	निगमन देश	स्वत्व हित का		31 मार्च, 2021 को लेखा परीक्षा की स्थिति
			यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020	
1	ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	भारत	99.99996%	51.00%	लेखा परीक्षित

क्रम सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन देश	स्वत्व हित का अनुपात		31 मार्च, 2021 को लेखा परीक्षा की स्थिति
			यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020	
1	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%	लेखा परीक्षित

52 कंपनी, स्टॉक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पूंजीगत भंडार का, चरणबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष सत्यापन करने की एक आवधिक प्रणाली अपनाती है जिसमें कुछ अवधि में तमाम मदों को इस दायरे में लाया जाएगा. समायोजन में कोई अंतर हो तो उसे समाधान पूरा होने के बाद दूर किया जाएगा.

सहायक कंपनी, OMPL, स्टॉक, संपत्ति, और उपकरण एवं पूंजीगत भंडार का, चरणबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष सत्यापन करने की एक आवधिक प्रणाली अपनाती है जिसमें 3 वर्ष की अवधि में तमाम मदों को इस दायरे में लाया जाएगा. समायोजन में कोई अंतर हो तो उसे समाधान पूरा होने के बाद दूर किया जाएगा.

53 समूह के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घावधि ठेके नहीं हैं जिसके कारण किसी प्रकार की महत्वपूर्ण हानि का पूर्वाभास हो.

54 व्यापार और प्राप्य राशियों, देय व्यापार और अन्य राशियों और ऋणों की कुछ शेषराशियों का पुष्टीकरण / समाधान नहीं किया गया है. पुष्टीकरण मिलने/समाधान होने पर कोई समायोजन करने पड़े तो किया जाएगा जिसका कोई ख़ास असर नहीं होगा.

55 दुनिया भर में COVID-19 महामारी फैलने और परिणामस्वरूप कई देशों में लॉकडाउन जारी करने से समूह के कारोबार पर असर पड़ा.

फलस्वरूप क्रूड तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कम होने के कारण इस दौरान दुनिया भर में इनकी कीमतों और परिष्करण मार्जिन पर प्रभाव पड़ा, नतीजतन समूह की बिक्री में गिरावट आई. बाद में धीरे-धीरे क्षमता उपयोग में बढ़त देखने को मिली. प्रबंधन ने, COVID 19 के संभावित प्रभाव का आकलन किया है और आशा करता है कि लंबे समय तक प्रचालन जारी रखने से कारोबार पर / आस्ति की उपयोगी अवधि पर / दीर्घावधि वित्तीय स्थिति आदि पर उल्लेखनीय प्रभाव नहीं होगा भले ही निकट भविष्य में राजस्व और रिफ़ाइनरी थ्रूपुट की मात्रा में गिरावट आए.

56 सहायक कंपनी, OMPL, मंगलूर में विशेष आर्थिक अंचल (SEZ) में काम करती है, तदनुसार, यह कंपनी, कुछ आर्थिक लाभ पाने के लिए योग्य है जैसे GST, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, प्रवेश कर आदि, जो सरकारी सहायता के रूप में होते हैं. ये लाभ पाने के लिए कंपनी को कुछ दायित्व निभाने होंगे.

57 बोर्ड ने आवश्यक अनुमोदन मिलने पर नियंत्रक कंपनी, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) में सहायक कंपनी, ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का समामेलन करने की सहमति दी थी. कंपनी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से उनके पत्र दिनांक 18 अप्रैल, 2018 के जरिए " अनापत्ति " मिली थी. चूंकि यह मामला अभी प्रारंभिक चरण में है इसलिए वित्तीय विवरणों में इस बारे में कोई प्रकटन नहीं किया गया है.

58 वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें, पिछले वर्षों से संबंधित हैं. पिछले वर्ष के आंकड़ों का, जहां कहीं आवश्यक हो, पुन:समूहन किया गया है.

59 **वित्तीय विवरणों का अनुमोदन**

निदेशक मंडल ने 17 मई, 2021 को जारी करने की खातिर वित्तीय विवरणों के लिए अपना अनुमोदन दिया.

दस वर्ष के निष्पादन की एक झलक

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, ₹ दशलक्ष में है)

	Ind AS 2020-21	Ind AS 2019-20 *	Ind AS 2018-19	Ind AS 2017-18	Ind AS 2016-17	IGAAP 2015-16	IGAAP 2014-15	IGAAP 2013-14	IGAAP 2012-13	IGAAP 2011-12
हमारी देयताएं										
इक्विटी शेयर पूंजी	17,526.64	17,526.64	17,526.64	17,526.64	17,526.64	17,526.64	17,526.64	17,526.64	17,526.64	17,572.57
अन्य इक्विटी	57,757.02	60,141.61	89,743.65	92,804.09	83,178.11	46,677.80	35,522.95	53,162.08	47,150.26	54,719.37
निवल मालियत	75,283.66	77,668.25	1,07,270.29	1,10,330.73	1,00,704.75	64,204.44	53,049.59	70,688.72	64,676.90	72,291.94
उधार	1,62,251.36	1,18,960.72	91,310.39	79,501.65	85,409.61	81,028.40	90,324.65	97,927.21	75,576.54	61,831.10
आस्थगित कर देयता/ आस्ति) (निवल)	(4,187.80)	(3,152.13)	10,155.44	9,061.70	4,766.63	806.31	-	4,702.69	7,343.28	4,531.40
कुल	2,33,347.22	1,93,476.84	2,08,736.12	1,98,894.08	1,90,880.99	1,46,039.15	1,43,374.24	1,73,318.62	1,47,596.72	1,38,654.44
हमारी स्वाधिकृत पूंजी										
PPE, ROU, अगोचर आस्तियां व सुनाम (पूंजीगत WIP सहित)	2,03,472.91	1,94,716.12	1,77,357.71	1,67,426.17	1,57,688.90	2,26,935.30	2,23,190.91	2,08,025.23	1,88,929.44	1,61,134.49
घटाएं: मूल्यह्रास और परिशोधन	42,884.31	35,099.46	27,649.10	20,445.65	13,884.30	75,889.89	68,323.33	62,595.55	55,578.31	49,644.32
इनकी रखाव रकम	1,60,588.60	1,59,616.66	1,49,708.61	1,46,980.52	1,43,804.60	1,51,045.41	1,54,867.58	1,45,429.68	1,33,351.13	1,11,490.17
निवेश	33,948.43	21,779.23	15,026.47	13,496.42	13,496.42	13,496.73	13,496.73	150.02	150.02	422.80
चालू और गैर चालू आस्तियां / (देयता) (निवल)	38,810.19	12,080.95	44,001.04	38,417.14	33,579.97	(18,502.99)	(24,990.07)	27,738.92	14,095.57	26,741.47
कुल	2,33,347.22	1,93,476.84	2,08,736.12	1,98,894.08	1,90,880.99	1,46,039.15	1,43,374.24	1,73,318.62	1,47,596.72	1,38,654.44
आय										
बिक्री (निवल उत्पाद शुल्क)	3,21,370.55	5,09,786.40	6,20,301.12	4,84,340.12	4,31,924.35	3,96,320.40	5,74,381.45	7,18,104.96	6,56,915.16	5,37,633.43
अन्य आय	1,638.14	1,283.38	1,872.90	2,211.39	4,386.38	8,725.24	8,101.56	3,244.67	1,160.36	3,543.09
तैयार माल, प्रक्रिया में स्टॉक और व्यापार में स्टॉक में परिवर्तन	12,028.15	(13,474.20)	5,616.39	7,667.19	2,883.03	(6,831.66)	(18,861.34)	6,740.75	11,161.53	1,502.05
कुल	3,35,036.84	4,97,595.58	6,27,790.41	4,94,218.70	4,39,193.76	3,98,213.98	5,63,621.67	7,28,090.38	6,69,237.05	5,42,678.57
व्यय										
खपाई गई सामग्री की लागत	2,94,072.61	4,66,242.67	5,85,137.08	4,32,481.63	3,74,887.61	3,46,504.26	5,58,860.55	7,07,406.32	6,54,001.82	5,12,367.50
व्यापार में स्टॉक की खरीदारी	11,931.73	33,520.79	5,260.88	-	-	-	-	-	-	-
स्टॉक पर बिक्री कर और उत्पाद शुल्क (निवल)	3,511.29	(2,493.88)	455.39	1,141.16	(675.16)	1,588.96	916.85	199.63	217.99	(606.16)
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	5,109.39	4,401.22	4,286.56	4,173.45	3,520.06	3,061.41	2,407.42	2,154.74	1,845.60	1,606.42
विनिमय में घट-बढ़ (निवल): हानि/(आय)	(1,078.76)	6,872.12	2,919.37	(128.43)	(15,379.74)	11,902.67	6,835.01	19.03	5,364.91	6,482.20
अन्य खर्च	12,891.12	13,348.96	11,638.47	11,926.07	9,575.86	10,519.18	7,103.78	3,935.12	3,245.56	3,221.08
वित्त लागत	3,520.46	7,446.61	4,717.49	4,404.57	5,171.74	5,778.35	4,070.88	3,214.41	3,285.53	2,066.77
मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	8,529.97	7,832.08	7,567.52	6,713.21	6,779.19	7,124.05	4,986.10	7,064.17	6,044.10	4,338.73
कुल	3,38,487.81	5,37,170.57	6,21,982.76	4,60,711.66	3,83,879.56	3,86,478.88	5,85,180.59	7,23,993.42	6,74,005.51	5,29,476.54
कर पूर्व लाभ	(3,450.97)	(39,574.99)	5,807.65	33,507.04	55,314.20	11,735.10	(21,558.92)	4,096.96	(4,768.46)	13,202.03
कर संबंधी खर्च	**(1,046.40)**	**(12,171.53)**	**2,488.09**	**11,265.81**	**18,877.33**	**253.51**	**(4,436.58)**	**(1,914.86)**	**2,800.65**	**4,116.25**
कर उपरांत लाभ	(2,404.57)	(27,403.46)	3,319.56	22,241.23	36,436.87	11,481.59	(17,122.34)	6,011.82	(7,569.11)	9,085.78
कुल व्यापक आय	(2,384.59)	(27,489.19)	3,274.35	22,274.43	36,386.53					
लाभांश (देखें नीचे दी गई टिप्पणी)	-	-	**1,752.60**	**5,257.80**	**10,515.59**	-	-	-	-	**1,752.60**
लाभांश वितरण कर	-	-	**360.25**	**1,080.76**	**2,140.73**	-	-	-	-	**284.32**
-GRM ($/bbl)	**3.71**	**(0.23)**	**4.06**	**7.54**	**7.75**	**5.20**	**(0.64)**	**2.67**	**2.45**	**5.60**

(आंकड़ों का, जहां कहीं ज़रूरी हो पुन:समूहन और पुन: आयोजन किया गया है)
वित्त 2019-20 के आंकड़ों का पुन: कथन किया गया है
नोट: निदेशक मंडल ने वित्त 2020-21 के दौरान कोई लाभांश देने की सिफ़ारिश नहीं की है.

तीन वर्ष के निष्पादन की एक झलक

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, $ दशलक्ष में है)

	2020-21	2019-20 *	2018-19
हमारी देयताएं			
इक्विटी शेयर पूंजी	239.70	231.90	253.42
अन्य इक्विटी	789.89	795.73	1,297.62
निवल मालियत	1,029.59	1,027.63	1,551.04
उधार	2,218.97	1,573.97	1,320.28
आस्थगित कर देयता/ आस्ति) (निवल)	-57.27	(-41.71)	146.84
कुल	3,191.29	2,559.89	3,018.16
हमारी स्वाधिकृत पूंजी			
PPE, ROU आस्तियां, अगोचर आस्तियां व सुनाम (पूंजी WIP सहित)	2,782.73	2,576.29	2,564.46
घटाएं: मूल्यह्रास और परिशोधन	586.49	464.40	399.78
इनका रखाव रकम	2,196.24	2,111.89	2,164.68
निवेश	464.28	288.16	217.27
चालू और गैर चालू आस्तियां / (देयता) (निवल)	530.77	159.84	636.21
कुल	3,191.29	2,559.89	3,018.16
आय			
बिक्री (निवल उत्पाद शुल्क)	4,330.56	7,192.25	8,877.93
अन्य आय	22.07	18.11	26.81
तैयार माल, प्रक्रिया में स्टॉक और व्यापार में स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन	162.08	(190.10)	80.38
कुल	4,514.71	7,020.26	8,985.12
व्यय			
खपाई गई सामग्री की लागत	3,962.71	6,577.92	8,374.65
व्यापार में स्टॉक की खरीदारी	160.78	472.92	75.30
स्टॉक पर बिक्री कर और उत्पाद शुल्क (निवल)	47.32	(35.18)	6.52
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	68.85	62.09	61.35
विनिमय में घट-बढ़ (निवल): हानि/(आय)	(14.54)	96.95	41.78
अन्य खर्च	173.71	188.33	166.57
वित्त लागत	47.44	105.06	67.52
मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	114.94	110.50	108.31
कुल	4,561.21	7,578.59	8,902.00
कर पूर्व लाभ	(46.50)	(558.33)	83.12
कर संबंधी खर्च	(14.10)	(171.72)	35.61
कर उपरांत लाभ	**(32.40)**	**(386.61)**	**47.51**
कुल व्यापक आय	**(32.13)**	**(387.83)**	**46.86**
लाभांश (देखें नीचे दी गई टिप्पणी)	-	-	25.08
लाभांश वितरण कर	-	-	5.16
-GRM ($/bbl)	3.71	(0.23)	4.06

(आंकड़ों का, जहां कहीं ज़रूरी हो पुन:समूहन और पुन: आयोजन किया गया है)

* वित्त 2019-20 के आंकड़ों का पुन: कथन किया गया है.

नोट: निदेशक मंडल ने विव 2020-21 के दौरान कोई लाभांश देने की सिफ़ारिश नहीं की है.

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

(आयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि. की सहायक कंपनी)

CIN: L23209KA1988GOI008959

पंजीकृत कार्यालय: मुडपदव कुत्तेतूर डाक घर, वाया काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030

वेबसाइट:www.mrpl.co.in, ई-मेल : investor@mrpl.co.in

33वीं वार्षिक महासभा (AGM) की नोटिस

एतद्वारा **नोटिस** दी जाती है कि मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की तैंतीसवीं वार्षिक महासभा, **शनिवार, 4 सितंबर, 2021** को **अपराह्न 4.00 (IST)** बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("VC") / अन्य श्रवण दृश्य माध्यमों ("OAVM") के जरिए होगी जिसमें नीचे उल्लिखित कारोबार किया जाएगा:

सामान्य कारोबार

1. **31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ उस पर बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(2)(i), 143(6) और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त करना, उन पर विचार और उनको अपनाना और नीचे उल्लिखित संकल्पों को साधारण संकल्पों के रूप में पारित करना:**

   "**यह संकल्प पारित किया गया कि** 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के समेकित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ उस पर **बोर्ड** की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर विचार कर उनको अपनाया जाए तथा एतद्वारा विचार कर उनको अपनाया जाता है ".

2. श्री सुभाष कुमार (DIN: 07905656) के स्थान पर, जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते निदेशक के रूप में अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं, निदेशक नियुक्त करना और इस संबंध में नीचे उल्लिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

   " **यह संकल्प पारित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए श्री सुभाष कुमार (DIN: 07905656) को, जो इस बैठक में आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं, कंपनी के निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाए और एतद्वारा इनको पुनर्नियुक्त किया जाता है जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे ".

3. **श्री विनोद एस. शेणै (DIN: 07632981) के स्थान पर, जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते निदेशक के रूप में अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं, निदेशक नियुक्त करना और इस संबंध में नीचे उल्लिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:**

   " **यह संकल्प पारित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 का अनुसरण करते हुए श्री विनोद एस. शेणै (DIN: 07632981) को, जो इस बैठक में आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं, कंपनी के निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाए और एतद्वारा इनको पुनर्नियुक्त किया जाता है जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे ".

4. **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139 (5) के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने और साधारण संकल्प के रूप में नीचे उल्लिखित संकल्प पारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना:**

   " **यह संकल्प पारित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139(5) का अनुसरण करते हुए, कंपनी के निदेशकों को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाए और दिया जाता है कि वह, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के लेखा परीक्षा कार्य के सिलसिले में फुटकर खर्च की प्रतिपूर्ति सहित पारिश्रमिक और अन्य नियम एवं शर्तें तय करे."

विशिष्ट कारोबार:

5. **श्री रोहित माथुर (DIN:08216731) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) के साथ अथवा आशोधन(नों) के बगैर नीचे उल्लिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:**

   " **यह संकल्प पारित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों और अगर कोई अन्य लागू प्रावधान हों तो उनका और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुसरण करते हुए, श्री रोहित माथुर (DIN:08216731)को, जिन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी), भारत सरकार द्वारा, उनके पत्र सं.C-31033/ 1/2016-CA/FTS:42979 दिनांक 11/12/2020 के जरिए सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 10/12/2020 से निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार इस वार्षिक महासभा की तारीख तक पद संभालने के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और इनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में, श्री रोहित माथुर (DIN:08216731)को कंपनी के निदेशक पद के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में पेशकश करने का अपना इरादा स्पष्ट करते हुए एक नोटिस मिली है, कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे."

6. **सुश्री ईशा श्रीवास्तव (DIN:08504560) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) के साथ अथवा आशोधन(नों) के बगैर नीचे उल्लिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:**

   " **यह संकल्प पारित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों और अगर कोई अन्य लागू प्रावधान हों तो उनका और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुसरण करते हुए, सुश्री ईशा श्रीवास्तव (DIN:08504560)को, जिन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी), भारत सरकार द्वारा, उनके पत्र सं.C-31033/1/2016-CA/FTS:42979 दिनांक 11/12/2020 के जरिए सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 10/12/2020 से निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार इस वार्षिक महासभा की तारीख तक पद संभालने के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और इनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में, सुश्री ईशा श्रीवास्तव (DIN:08504560)को कंपनी के निदेशक पद के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में पेशकश करने का अपना इरादा स्पष्ट करते हुए एक नोटिस मिली है, कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगी."

7. **श्री ओम प्रकाश सिंह (DIN:08704968) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) के साथ अथवा आशोधन(नों) के बगैर नीचे उल्लिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:**

   " **यह संकल्प पारित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों और अगर कोई अन्य लागू प्रावधान हों तो उनका और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुसरण करते हुए, श्री ओम प्रकाश सिंह (DIN:08704968)को, जिन्हें ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) द्वारा, उनके ई-मेल दिनांक 25/05/2021 के जरिए नामिती निदेशक के रूप में नामित किया गया था और बाद में 07/06/2021 से निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार इस वार्षिक महासभा की तारीख तक पद संभालने के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और इनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में, श्री ओम प्रकाश सिंह (DIN:08704968)को कंपनी के निदेशक पद के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में पेशकश करने का अपना इरादा स्पष्ट करते हुए एक नोटिस मिली है, कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे."

8. **वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना और इस संबंध में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) के साथ अथवा आशोधन(नों) के बगैर नीचे उल्लिखित संकल्प, साधारण संकल्पों के रूप में पारित करना:**

"**यह संकल्प पारित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों एवं कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (उसमें किसी सांविधिक आशोधन(नों) अथवा पुन:अधिनियमन सहित) का अनुसरण करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के लागत संबंधी रेकॉर्डों की लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षकों को, पारिश्रमिक + लागू करों के रूप में ₹ 1,75,000/- और लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट की ई-फाइलिंग + लागू करों के प्रति ₹ 20,000/- अदा किया जाए. यह बैठक बुलाए जाने की नोटिस के साथ संलग्न विवरण में यथा निर्दिष्ट ई-फाइलिंग के लिए MCA को देय शुल्क, लागू करों के साथ वास्तविक यात्रा खर्च, लॉजिंग, बोर्डिंग और अन्य खर्च अदा करना होगा.

आगे यह संकल्प पारित किया गया कि निदेशक मंडल को प्राधिकार दिया जाए और एतद्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह ऐसे तमाम कार्य करे और ऐसे समस्त कदम उठाए तो इस संकल्प को लागू करने और कंपनी के किसी दूसरे अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए आवश्यक, उचित अथवा समीचीन हों. "

9. **बोर्ड का उधार लेने का अधिकार ₹ 25,000 करोड़ से ₹ 33,500 करोड़ तक बढ़ाना और इस संबंध में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) के साथ अथवा आशोधन(नों) के बगैर नीचे उल्लिखित संकल्प, विशेष संकल्पों के रूप में पारित करना:**

" **यह संकल्प पारित किया गया कि** कंपनी की व्यावसायिक ज़रूरतों, विस्तार और आधुनिकीकरण योजनाओं को ध्यान में रखते हुए और 08/08/2015 को संपन्न 27वीं वार्षिक सभा में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1) (ग) के तहत पारित पूर्व संकल्प का अधिक्रमण करते हुए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के प्रावधान एवं कंपनी के अंतर्नियमों के तहत निदेशक मंडल को यह सहमति दी जाए और एतद्वारा यह सहमति दी जाती है कि वह, कंपनी के बैंकरों से अथवा किसी दूसरे बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अथवा उधार देने वाली दूसरी संस्थाओं अथवा कंपनी निकायों अथवा अन्य व्यक्तियों से, उन नियमों और शर्तों और प्रसंविदाओं पर जो निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं और उचित समझे जाएं, समय-समय पर कंपनी द्वारा पहले ही उधार ली गई उधार राशि के साथ कोई राशि अथवा राशियां (कारोबार के सामान्य क्रम में लिए गए अथवा लिए जाने वाले अस्थाई ऋण के अलावा) या तो रुपया ऋणों या विदेशी मुद्रा ऋणों के रूप में अथवा डिबेंचरों के निर्गमन के रूप में अथवा अन्य लिखत जारी करते हुए उधार ले बशर्ते कि इस तरह से उधार ली गई कुल रकम, किसी भी समय कुल मिलाकर ₹ 33,500 करोड़ (तैंतीस हजार पांच सौ करोड) से अधिक न हो भले ही, कारोबार के सामान्य क्रम में कंपनी के बैंकर से प्राप्त अस्थाई ऋण के अलावा कंपनी द्वारा उधार ली गई रकम, कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी और उसकी निर्बंध आरक्षित निधियों से अर्थात्; किसी निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अलग न रखी गई आरक्षित निधि से अधिक हो. "

" **यह संकल्प पारित किया गया कि** संकल्प प्रभावी बनाने के प्रयोजन से, कंपनी के निदेशक मंडल को यह प्राधिकार दिया जाए और एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि वह, उन सभी दस्तावेजों/विलेखों/करारनामों को, जिनकी ज़रूरत पड़े, अंतिम रूप दे, निपटाएं और निष्पादित करे और सामान्यत: सारे अन्य आवश्यक कदम उठाए और ऐसे तमाम कार्य, कृत्य, मामले और चीजें संभाले जो वह अपने परम विवेकानुसार, आवश्यक, युक्तियुक्त, उचित अथवा वांछनीय समझे और उपरोक्त बंधक, प्रभार निर्मित करते समय अथवा निदेशक मंडल द्वारा अन्यथा कंपनी के सर्वोत्तम हित में समझे गए किसी सवाल का जवाब दे, मुश्किल अथवा संदेह दूर करे. "

10. **उधार के संबंध में कंपनी की, वर्तमान और भावी, दोनों प्रकार की चल और अचल संपत्तियों पर प्रभार निर्मित करना और इस संबंध में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) के साथ अथवा आशोधन(नों) के बगैर नीचे उल्लिखित संकल्पों को, विशेष संकल्पों के रूप में पारित करना:**

" **यह संकल्प पारित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत लिए गए उधार के संबंध में प्रभार, बंधक और दृष्टिबंधक निर्मित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क) के तहत पारित पूर्व संकल्पों का अधिक्रमण करते हुए, समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क) के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल को (जिसे इसके आगे " बोर्ड " कहा गया है, जिस शब्द के बारे में यह मान लिया जाएगा कि उसमें उसकी समिति को सम्मिलित किया गया है) कंपनी की सहमति दी जाए और एतद्वारा सहमति दी जाती है कि वह, वर्तमान और भावी, दोनों प्रकार की चल और अचल संपत्तियों पर कंपनी द्वारा निर्मित मौजूदा प्रभार, बंधक और दृष्टिबंधक के अतिरिक्त ऐसे प्रभार, बंधक और दृष्टिबंधक निर्मित करे और इस तरीके से निर्मित करे जिसे बोर्ड, कंपनी के लिए और उसकी

तरफ से गारंटी, क्षतिपूर्ति, वचन देते हुए भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनें, अन्य अचल आस्तियां, व्यापार में स्टॉक, बही ऋण, बैंक जमाराशियां, शेयर, प्रतिभूतियां और वर्तमान में धारित और/अथवा भविष्य में खरीदी जाने वाली किसी दूसरी आस्तियों सहित तमाम अथवा किसी भी संपत्ति पर, कंपनी द्वारा उन नियमों और शर्तों पर उस रूप में और उस तरीके से और प्राथमिकता के लिए ऐसी रैंकिंग और हर समय निर्मित/निर्मित किए जाने वाले बंधकों/प्रभारों के अतिरिक्त जो निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए जाएं, उक्त ऋणों/उधारों/डिबेंचरों के संबंध में या तो बंधक (साम्यक बंधक सहित), दृष्टिबंधक, गिरवी और/अथवा ग्रहणाधिकार के रूप में कंपनी और उधारदाता(ओं) एजेंट(टों) न्यासी(न्यासियों) के बीच निष्पादित /निष्पादित किए जाने वाले ऋण संबंधी क़रारनामों/डिबेंचर न्यासी विलेखों के अनुसार विनिमय दरों के अव मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन/उसमें घट-बढ़ और कंपनी द्वारा देय दूसरी समस्त राशियों के परिणामस्वरूप किसी बढ़त सहित संबंधित सम्मत दरों पर ब्याज, वायदा प्रभार, एजेंट(टों/न्यासी(न्यासियों) के पूर्व भुगतान, प्रतिदान, पारिश्रमिक पर प्रीमियम और समस्त अन्य लागतों, प्रभारों और खर्चों के साथ कंपनी के उधारों की सुरक्षा के लिए उचित समझे बशर्ते कि जिन ऋणों के संबंध में प्रभार करना होगा उन ऋणों के संबंध में कंपनी द्वारा देय ब्याज, परिसमाप्त हर्जाने, वायदा प्रभारों, खर्चों के साथ कुल ऋण राशि और दूसरी समस्त राशियां, किसी भी समय ₹ 33,500 करोड़ अथवा कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी और निर्बंध आरक्षित निधियों, जो भी अधिक हो, से अधिक न हो."

" **यह संकल्प पारित किया गया कि** संकल्प प्रभावी बनाने के प्रयोजन से, कंपनी के निदेशक मंडल को यह प्राधिकार दिया जाए और एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि वह, उन सभी दस्तावेजों/विलेखों/करारनामों को, जिनकी ज़रूरत पड़े, अंतिम रूप दे, निपटाएं और निष्पादित करे और सामान्यत: सारे अन्य आवश्यक कदम उठाए और ऐसे तमाम कार्य, कृत्य, मामले और चीजें संभाले जो वह अपने परम विवेकानुसार, आवश्यक, युक्तियुक्त, उचित अथवा वांछनीय समझे और उपरोक्त बंधक, प्रभार निर्मित करते समय अथवा निदेशक मंडल द्वारा अन्यथा कंपनी के सर्वोत्तम हित में समझे गए किसी सवाल का जवाब दे, मुश्किल अथवा संदेह दूर करे. "

11. अपरिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs)/बांड निर्गमित करते हुए ` 5,000 करोड़ तक धनराशि जुटाना और इस संबंध में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) के साथ अथवा आशोधन(नों) के बगैर नीचे उल्लिखित संकल्प, विशेष संकल्पों के रूप में पारित करना:

" **यह संकल्प पारित किया गया कि** कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा और अन्य लागू प्रावधानों एवं किन्हीं अन्य लागू सांविधिक प्रावधानों (उसमें किन्हीं सांविधिक आशोधनों अथवा पुन: अधिनियम सहित) का अनुसरण करते हुए, कंपनी (the "Board")को यह प्राधिकार दिया जाए और यह प्राधिकार दिया जाता है कि वह, समय-समय पर यथा लागू नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और अधिनियम के अनुरूप, विशिष्ट संकल्प पारित करने की तारीख से लेकर एक वर्ष पूरा होने तक अथवा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अगली वार्षिक महासभा की तारीख तक, जो भी पहले हो, देशी बाजार में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के तहत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित कंपनी की उधार लेने की कुल शक्ति के अधीन एक अथवा उससे अधिक ट्रांचस/श्रृंखलाओं में ₹ 5,000 करोड़ तक अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (NCDs)/बांडों में अभिदान करने की पेशकश/पेशकशें करे अथवा आमंत्रण दे."

" **आगे यह संकल्प पारित किया गया कि** निदेशक मंडल को यह प्राधिकार दिया जाए और एतद्वारा दिया जाता है कि वह, समय-समय पर ऐसे तमाम कार्य और कृत्य करें अथवा कराएं जो अंकित मूल्य, निर्गम कीमत, निर्गम आकार, मुद्दत, समय, रकम, जमानत, कूपन/ब्याज दर, प्रतिफल, लिस्टिंग, आबंटन और NCDs/बांड जारी करने संबंधी ऐसे अन्य नियम और शर्तें, जो उसके परम विवेकानुसार आवश्यक समझे जाएं, निर्धारित करने सहित जो उस हद तक सिमित नहीं हैं, इन बांडों का निजी स्थानन करने के लिए आवश्यक समझे जाएं."

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता
के बी श्याम कुमार
कंपनी सचिव

स्थान : मंगलूरु

दिनांक : 29/07/2021

नोटिस का अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) का अनुसरण करते हुए व्याख्यात्मक बयान

नीचे उल्लिखित व्याख्यात्मक बयान में, संलग्न की गई नोटिस में उल्लिखित विशिष्ट कारोबार के सिलसिले में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया गया है.

मद सं.5

श्री रोहित माथुर (DIN:08216731)को, जिन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी), भारत सरकार द्वारा, उनके पत्र सं.C-31033/2016-CA/FTS:42979 दिनांक 11/12/2020 के जरिए सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 10/12/2020 से निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार इस वार्षिक महासभा की तारीख तक पद संभालने के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और इनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में, श्री रोहित माथुर (DIN:08216731)को कंपनी के निदेशक पद के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में पेशकश करने का अपना इरादा स्पष्ट करते हुए एक नोटिस मिली है, कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे."

निर्दिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता का स्वरूप, कंपनी में शेयरधारण, अन्य निदेशक पद, समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता और अन्य विवरणों के साथ-साथ इनका संक्षिप्त सारवृत्त अन्यत्र दिया गया हो तो वह नोटिस का एक भाग है. श्री रोहित माथुर, बोर्ड के निदेशकों में से किसी के रिश्तेदार नहीं हैं. इन्होंने इस कंपनी में कोई इक्विटी शेयर नहीं खरीदे हैं.

श्री रोहित माथुर को छोड़कर बाकी के किसी भी निदेशक, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी और उनके रिश्तेदारों को इस संकल्प से न कोई सरोकार है न ही इसमें कोई दिलचस्पी है.

बोर्ड, आपके अनुमोदनार्थ संकल्प की सिफ़ारिश करता है.

मद सं.6

सुश्री ईशा श्रीवास्तव (DIN:08504560)को, जिन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी), भारत सरकार द्वारा, उनके पत्र सं.C-31033/2016-CA/FTS:42979 दिनांक 11/12/2020 के जरिए सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 10/12/2020 से निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार इस वार्षिक महासभा की तारीख तक पद संभालने के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और इनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में, ईशा श्रीवास्तव (DIN:08504560)को कंपनी के निदेशक पद के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में पेशकश करने का अपना इरादा स्पष्ट करते हुए एक नोटिस मिली है, कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगी."

निर्दिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता का स्वरूप, कंपनी में शेयरधारण, अन्य निदेशक पद, समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता और अन्य विवरणों के साथ-साथ इनका संक्षिप्त सारवृत्त अन्यत्र दिया गया हो तो वह नोटिस का एक भाग है. सुश्री ईशा श्रीवास्तव, बोर्ड के निदेशकों में से किसी की रिश्तेदार नहीं हैं. इन्होंने इस कंपनी में कोई इक्विटी शेयर नहीं खरीदे हैं.

सुश्री ईशा श्रीवास्तव को छोड़कर बाकी के किसी भी निदेशक, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी और उनके रिश्तेदारों को इस संकल्प से न कोई सरोकार है न ही इसमें कोई दिलचस्पी है.

बोर्ड, आपके अनुमोदनार्थ संकल्प की सिफ़ारिश करता है.

मद सं.7

श्री ओम प्रकाश सिंह (DIN:08704968)को, जिन्हें ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) द्वारा, उनके ई-मेल दिनांक 25/05/2021 के जरिए नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 07/06/2021 से निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार इस वार्षिक महासभा की तारीख तक पद संभालने के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और इनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में, श्री ओम प्रकाश सिंह (DIN:08704968)को कंपनी के निदेशक पद के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में पेशकश करने का अपना इरादा स्पष्ट करते हुए एक नोटिस मिली है, कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे."

निर्दिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता का स्वरूप, कंपनी में शेयरधारण, अन्य निदेशक पद, समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता और अन्य विवरणों के साथ-साथ इनका संक्षिप्त सारवृत्त अन्यत्र दिया गया हो तो वह नोटिस का एक भाग है. श्री ओम प्रकाश सिंह, बोर्ड के निदेशकों में से किसी के रिश्तेदार नहीं हैं. इन्होंने इस कंपनी में कोई इक्विटी शेयर नहीं खरीदे हैं.

श्री ओम प्रकाश सिंह को छोड़कर बाकी के किसी भी निदेशक, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी और उनके रिश्तेदारों को इस संकल्प से न कोई सरोकार है न ही इसमें कोई दिलचस्पी है.

बोर्ड, आपके अनुमोदनार्थ संकल्प की सिफ़ारिश करता है.

मद सं.8:

कंपनी अधिनियम, 2013 (the Act) की धारा 148 और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (the Rules) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के लागत संबंधी रेकॉर्डों की लेखा परीक्षा कराने के लिए लागत लेखा परीक्षक को नियुक्त करना पड़ेगा. लेखा परीक्षा समिति की सिफ़ारिश के आधार पर, बोर्ड ने, मेसर्स मुसीब एण्ड कं, लागत लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लागत लेखा परीक्षा के संबंध में अगर कोई लागू कर हो तो उसके साथ ₹ 1,75,000/- के पारिश्रमिक और लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट का ई-फ़ाइलिंग करने के प्रति ₹ 20,000/- + लागू कर के साथ लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया. ई-फाइलिंग के लिए MCA को देय शुल्क, लागू करों के साथ वास्तविक यात्रा खर्च, लॉजिंग, बोर्डिंग और अन्य खर्च अदा करना होगा.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के साथ पठित कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक का शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थन दिया जाएगा. तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करें.
किसी भी निदेशक, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी और उनके रिश्तेदारों को इस संकल्प से न कोई सरोकार है न ही इसमें कोई दिलचस्पी है. बोर्ड, सदस्यों के अनुसमर्थन के लिए संकल्पों की सिफ़ारिश करता है.

मद सं. 9 और 10:

08/08/2015 को संपन्न कंपनी 27वीं वार्षिक महासभा में सदस्यों ने कंपनी के उधार लेने के अधिकारों को ₹ 25,000 करोड़ तक अनुमोदित किया था. कंपनी की निधि संबंधी और विस्तार एवं आधुनिकीकरण योजनाओं से संबंधित ज़रूरतें पूरी करने की दृष्टि से कंपनी, समय-समय पर या तो रुपया ऋण या विदेशी चालू ऋण के रूप में अथवा डिबेंचर का निर्गमन करते हुए अथवा कोई दूसरे लिखत निर्गमित करते हुए उधार ले सकती है और मौजूदा अनुमोदित सीमा, निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना है और इसलिए कंपनी की उधार लेने की सीमा को बढ़ाने की सिफ़ारिश की जाती है जो किसी भी समय कुल मिलाकर ₹ 33,500 करोड़ (तैंतीस हजार पांच सौ करोड़ रुपए) से अधिक न हो.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के अनुसार अगर कंपनी को अपनी कुल प्रदत्त पूंजी और अपनी निर्बंध आरक्षित

निधियों के परे (कारोबार के सामान्य क्रम में कंपनी के बैंकरों से लिए गए अस्थाई ऋणों के अलावा) उधार लेना पड़े तो उसके लिए उसे कंपनी के शेयरधारकों का अनुमोदन लेना पड़ेगा. इसलिए उधार लेने की सीमा को ₹ 33,500 करोड़ तक बढ़ाने के लिए (कारोबार के सामान्य क्रम में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त अस्थाई ऋणों के अलावा) विशेष संकल्प के रूप में शेयरधारकों का अनुमोदन मांगने का प्रस्ताव रखा जाता है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (क) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि सार्वजनिक कंपनी के निदेशक, सदस्यों की सहमति के बगैर, कंपनी के उपक्रम को पूरी तरह से अथवा काफ़ी हद तक अथवा जहां कंपनी के एक से अधिक उपक्रम हों, वहां इनमें से किसी उपक्रम को पूरी तरह से अथवा पर्याप्त रूप से बेचे, पट्टे पर दे अथवा अन्यथा निपटाए. चूंकि उधारदाता (ओं) के पक्ष में अपनी चल और/अचल आस्तियों पर कंपनी द्वारा बंधक और/अथवा प्रभार निर्मित करना, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1)(क) के अर्थ के अंदर कंपनी के उपक्रम को निपटाने की तरह माना जा सकता है इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1)(क) के अधीन विशेष संकल्प पारित करना वांछनीय है. तदनुसार निदेशकों ने आपके अनुमोदनार्थ संलग्न नोटिस की इस मद में निर्दिष्ट संकल्प की सिफ़ारिश करते हैं.

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180)1)(ग) और धारा 180)1)(क) का अनुसरण करते हुए कंपनी के सदस्यों के अनुमोदनार्थ संलग्न नोटिस के विशेष संकल्पों की सिफ़ारिश करता है.

मद सं.11

कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार, जब तक प्रतिभूतियों की प्रस्तावित पेशकश अथवा प्रतिभूतियों में अभिदान करने के आमंत्रण के लिए कंपनी के शेयरधारकों ने प्रत्येक पेशकश अथवा आमंत्रण के मामले में एक विशिष्ट संकल्प के जरिए इससे पहले अनुमोदन न दिया हो कंपनी, अपनी प्रतिभूतियों का निजी स्थानन नहीं कर सकेगी. लेकिन अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की पेशकश अथवा आमंत्रण के मामले में, वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचर से संबंधित तमाम पेशकश अथवा आमंत्रण के लिए कंपनी द्वारा वर्ष में एक बार एक विशिष्ट संकल्प पारित करना पर्याप्त होगा.

इन बातों के मद्दे नज़र, कंपनी के सदस्यों का इस आशय का अनुमोदन लिया जा रहा है कि वह निदेशक मंडल को यह प्राधिकार दे कि इन बातों के मद्दे नज़र, कंपनी के सदस्यों का इस आशय का अनुमोदन लिया जा रहा है कि वे निदेशक मंडल को यह प्राधिकार दें कि वह, विशिष्ट संकल्प पारित करने की तारीख से लेकर एक वर्ष पूरा होने तक अथवा वित्तीय वर्ष 2020-21 में अगली वार्षिक महासभा की तारीख तक, जो भी पहले हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) के तहत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित उच्चतम सीमा के अधीन ₹ 5,000 तक जमानत रहित अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (NCDs)/बांडों में अभिदान करने के प्रति पेशकश अथवा आमंत्रित करे."

बहरहाल, किसी भी निदेशक, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी और उनके रिश्तेदारों को, सिवाय कंपनी में उनके इक्विटी धारण की सीमा तक, या तो वित्तीय दृष्टि से या अन्यथा, इस संकल्प से न कोई सरोकार है न ही इसमें कोई दिलचस्पी है.

कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रस्ताव के लिए अनुमोदन देकर प्रस्तावित विशिष्ट संकल्प पारित करने की सिफ़ारिश की थी.

अनुबंध 'अ'

33वीं वार्षिक महासभा में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के ब्यौरे

निदेशक का नाम	श्री सुभाष कुमार	श्री विनोद एस. शेणै	श्री रोहित माथुर	श्रीमती ईशा श्रीवास्तव	श्री ओम प्रकाश सिंह
DIN	07905656	07632981	08216731	08504560	08704968
जन्म दिनांक	01-01-1962	09-09-1962	20-09-1968	09-06-1980	15-12-1964
बोर्ड पर नियुक्ति तारीख	15-05-2018	08-11-2016	10-12-2020	10-12-2020	07-06-2021
अर्हता और विशेषज्ञता	श्री सुभाष कुमार, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अतिरिक्त प्रभार) और निदेशक (वित्त), ओएनजीसी है. श्री कुमार, ICMAI के अधि सदस्य हैं और ICSI के सह सदस्य भी हैं. ये, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के पूर्व छात्र हैं जहां इन्होंने स्वर्ण पदक के साथ स्नातक पदवी और मास्टर डिग्री हासिल की. निदेशक (वित्त), ओएनजीसी के रूप में कार्यग्रहण करने से पहले श्री कुमार ने थोड़े से समय तक पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के साथ काम किया जहां इन्होंने अगस्त 2017 में निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य ग्रहण किया. श्री कुमार, व्यावसायिक विकास, वित्त और बजट के प्रमुख रहें और साथ ही अप्रैल 2010 से मार्च 2015 तक ओएनजीसी विदेश में ख़ज़ाना आयोजना और संविभाग प्रबंधन समूह की भी बागडोर संभाली.	श्री विनोद एस. शेणै ने, IIT, मुंबई से केमिकल इंजीनियर में डिग्री हासिल की है और अपना करियर जून 1985 में HPCL के साथ शुरु किया. अपने 30 वर्ष से अधिक करियर में इन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के रिफ़ाइनरी प्रभाग और कार्पोरेट विभाग में विभिन्न पदों पर काम किया एवं इनको पेट्रोलियम उद्योग में व्यापक अनुभव है.	श्री रोहित माथुर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MOP&NG) में संयुक्त सचिव (सामान्य) हैं, थापर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटियाला से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ फाइनांस एण्ड कंट्रोल (MFC) भी पूरा किया है. यह कार्य संभालने से पहले ये निदेशक (S, CC & FP), MOP&NG थे जहां रिफाइनरी क्षेत्र, जैव ईंधन, पेट्रोकेमिकल्स, क्रूड तेल आपूर्ति और फ्लैगशिप कार्यक्रम से जुड़े मामले संभाल रहे थे. इन्होंने अन्य मंत्रालयों में भी जैसे कृषि मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में भी काम किया है.	सुश्री ईशा श्रीवास्तव (आईएफएस), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoP&NG) में मार्च 2019 से निदेशक (प्रभारी) हैं. सुश्री श्रीवास्तव ने विदेश मंत्रालय में थिंफू में मिशन के उप मुख्य के रूप में, पेरिस में तीसरे सचिव के रूप में काम किया. सुश्री श्रीवास्तव, भारत पेट्रो संसाधन लिमिटेड और गेल (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड पर भी थीं.	श्री ओम प्रकाश सिंह, निदेशक (T & FS), ओएनजीसी हैं. श्री ओम प्रकाश सिंह एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं जिनको 32 वर्षों से भी अधिक अनुभव है. श्री सिंह को उद्योग की गहरी समझ है और अपनी करियर के दौरान निभाई गई तकनीकी और वाणिज्यिक भूमिकाओं में प्रबंधन में सिद्ध अनुभव है. एक ड्रिलिंग इंजीनियर के नाते श्री सिंह का ट्रैक रेकॉर्ड असाधारण है जिन्होंने कंपनी में तरह-तरह की भूमिकाएं अदा करते हुए अपनी प्रगति के मार्ग पर ऊर्जस्वी नेतृत्व और दूरदर्शिता का प्रदर्शन किया है. ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण एवं उत्पादन कारोबार से अच्छी तरह वाकिफ हैं और इनको अपतटीय एवं तटवर्ती प्रचालनों का व्यापक तजुरबा है.

	बाद में इन्होंने मानसरोवर एनर्जी कोलंबिया लिमिटेड में, जो ओएनजीसी विदेश और चीन के सिनोपैक का 50:50 संयुक्त उद्यम है, सितंबर 2006 से मार्च 2010 तक मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में काम किया. श्री कुमार ने, जुलाई 2016 में वापस ओएनजीसी में मुख्य वाणिज्यिक और खजाने के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला जहां इन्होंने संगठन के बाकी मुद्दों का मूल्यांकन करने, उनको बातचीत से सुलझाने और उनको अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.				इनको उद्योग का असीम ज्ञान है और वैश्विक व्यवसाय का अनुभव है. इन्होंने भारत में गहरे पानी में ड्रिलिंग परियोजना की चुनौतियां संभालने और वियतनाम, इरान, कतार और ब्राजिल में समुद्रपारीय परियोजनाओं में ख़ासा भूमिकाएं निभाई हैं.
अन्य सरकारी कंपनियों में धारित निदेशक के पद (विदेशी निजी और कंपनी अधिनियम की धारा 8 को छोड़कर)	1. आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड 2. ओएनजीसी पेट्रो एडिशन्स लिमिटेड 3. ओएनजीसी त्रिपुरा कंपनी लिमिटेड 4. मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड 5. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड 6. ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	1. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड 2. HPCL - मित्तल एनर्जी लिमिटेड 3. प्राइज़ पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड 4. रत्नागिरी रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड 5. HPCL राजस्थान रिफ़ाइनरी लिमिटेड 6. HPCL बायो फ्यूएल्स लिमिटेड	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1. आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड 2. ओएनजीसी त्रिपुरा कंपनी लिमिटेड 3. नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 4. ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
समितियों के अध्यक्ष/सदस्य	1. हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति - सदस्य ओएनजीसी.	सदस्य (एमआरपीएल) 1. लेखा परीक्षा समिति 2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति	सदस्य (एमआरपीएल) 1. लेखा परीक्षा समिति 2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति 3. हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति	सदस्य (एमआरपीएल) 1. लेखा परीक्षा समिति 2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति	1. लेखा परीक्षा समिति - सदस्य, ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड 2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति - सदस्य, नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

					3. सदस्य (एमआरपीएल) क) लेखा परीक्षा समिति ख) नामांकन और पारिश्रमिक समिति
निदेशकों का शेयरधारण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
निदेशकों के बीच परस्पर संबंध	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पिछली बार आहरित पारिश्रमिक	कुछ नहीं ओएनजीसी के नामिती निदेशक के नाते	कुछ नहीं HPCL के नामिती निदेशक के नाते	कुछ नहीं सरकारी नामिती निदेशक के नाते	कुछ नहीं सरकारी नामिती निदेशक के नाते	कुछ नहीं ओएनजीसी के नामिती निदेशक के नाते
प्रदत्त पारिश्रमिक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कितनी बैठकों में भाग लिया	जैसे कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में उल्लेख किया गया हो				

टिप्पणियां:

1. सिर्फ़ लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति से संबंधित सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया गया है.

टिप्पणियां:

1. जारी रही COVID-19 सर्वव्यापी महामारी को देखते हुए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("MCA") ने, COVID-19 के खतरों के निमित्त कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत कंपनियों द्वारा साधारण और विशेष संकल्प पारित करने पर स्पष्टीकरण के संबंध में अपने परिपत्र संख्याएं 14/2020 और 17/2020 दिनांक 08/04/2020 तथा 13/04/2020, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) अथवा अन्य श्रवण दृश्य माध्यमों (OAVM)" के जरिए वार्षिक महासभा (AGM) चलाने पर स्पष्टीकरण" के संबंध में परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05/05/2020 और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) अथवा अन्य श्रवण दृश्य माध्यमों (OAVM)" के जरिए वार्षिक महासभा (AGM) चलाने पर स्पष्टीकरण" के संबंध में परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13/01/2021 (जिसे सामूहिक रूप से "MCA Circulars" कहा जाता है) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("SEBI") ने " सेबी (लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के कुछ प्रावधानों के अनुपालन से अतिरिक्त छूट-COVID-19 सर्वव्यापी महामारी " के संबंध में अपने परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12/05/2020 और COVID -19 सर्वव्यापी महामारी के कारण सेबी (लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के कुछ प्रावधानों के अनुपालन से छूट" के संबंध में परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15/01/2021 (जिनको सामूहिक रूप से "SEBI Circulars" कहा जाता है), के जरिए एक साझा स्थान पर सदस्यों की प्रत्यक्ष मौजूदगी के बगैर VC / OAVM के जरिए वार्षिक महासभा ("AGM") चलाने की अनुमति दी. MCA परिपत्रों और सेबी परिपत्रों का अनुपालन करते हुए कंपनी के सदस्यों की वार्षिक महासभा(AGM), VC/OAVM के जरिए आयोजित की जा रही है. कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, एजीएम का स्थान माना जाएगा.

2. सदस्य, नोटिस में दी गई क्रियाविधि का पालन करते हुए महासभा की शुरुआत के अनुसूचित समय से 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद AGM में, VC/OAVM मोड में भाग ले सकते हैं. VC/OAVM के जरिए AGM में भाग लेने की सुविधा 1000 सदस्यों को पहले आए पहले पाएं आधार पर उपलब्ध होगी. यह नियम उन बड़े शेयरधारकों को लागू नहीं होगी (ऐसे शेयरधारक जिनका शेयरधारण 2% अथवा उससे अधिक हो) जैसे प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकर्ता, निदेशक, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा हिस्सेदारों के साथ रिशेदारी संबंधी समिति, लेखा परीक्षक आदि, जिनको पहले आए पहले पाएं जैसे प्रतिबंधों के बगैर AGM में भाग लेने दिया जाता है.

3. जैसे कि नोटिस में कहा गया है, किए जाने वाले विशिष्ट कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 का अनुसरण करते हुए व्याख्यात्मक बयान इसके साथ संलग्न किया गया है.

4. रिमोट ई-मतदान करने के लिए अनुदेशों के साथ 33वीं वार्षिक महासभा की नोटिस, सदस्यों, निदेशकों, लेखा परीक्षकों और पात्र दूसरों को अनुमत माध्यम से भेजी गई है.

5. अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए एजीएम में भाग लेकर मतदान करने के लिए पात्र सदस्य, अपने स्थान पर किसी प्रॉक्सी को नियुक्त करने और उससे मतदान कराने के लिए भी पात्र होगा जब कि यह ज़रूरी नहीं है कि ऐसा प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य हो. चूंकि यह एजीएम, MCA परिपत्रों का अनुसरण करते हुए VC / OAVM के जरिए आयोजित की जा रही है इसलिए सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति ज़रूरी नहीं है. तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सियों की नियुक्ति की सुविधा, एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फ़ार्म, उपस्थिति पर्ची और मार्ग मानचित्र इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया गया है.

6. संस्थागत / कॉरपोरेट सदस्यों (अर्थात्; व्यक्तियों, HUF, NRI, आदि से भिन्न) से अपेक्षा की जाती है कि वे, अपने संबंधित बोर्ड अथवा शासी निकाय के उस संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की गई प्रतिलिपि (PDF/JPG प्रारूप में) भेजे जिसमें उनके प्रतिनिधि को उनकी तरफ से VC/OAVM के जरिए एजीएम में भाग लेकर रीमोट ई-मतदान के जरिए मतदान करने का प्राधिकार दिया गया हो. उक्त संकल्प/प्राधिकार पत्र, संवीक्षक को ई-मेल से उसके पंजीकृत ई-मेल के पते पर e-voting@rmgcs.com भेजा जाएगा और उसकी एक प्रतिलिपिevoting@nsdl.co.in.को अंकित की जाएगी.

7. सेबी (लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 205 ('' सेबी लिस्टिंग संबंधी विनियम'') के विनियम 36(3) तथा इस एजीएम में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर साचिविक मानक का अनुसरण करते हुए संबंधित ब्यौरे इस नोटिस के साथ संलग्न किए गए हैं. कंपनी के निदेशकों में से कोई भी आपस में रिश्तेदार नहीं है.

8. वार्षिक महासभा के प्रयोजन से, कंपनी ने घोषित किया है कि बहियां, 27/08/2021 से 04/09/2021 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगी.

9. तमाम पत्राचार, कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, - मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड., सी-101, 247 पार्क, एल बी एस मार्ग, विख्रोली पश्चिम मुंबई - 400 083, ई-मेल mrplirc@linkintime.co.in के पास भेजे जाएं.

10. यथा संशोधित सेबी लिस्टिंग संबंधी विनियम के विनियम 40 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों का 01/04/2019 से सिर्फ़ अमूर्त रूप में हस्तांतरण किया जा सकेगा जब कि प्राप्त प्रेषण अथवा स्थानांतरण की तथा प्रतिभूतियों का हस्तांतरण करने के लिए दोबारा पेश की गई दरख्वास्तों पर विचार किया जाएगा. आगे, सेबी ने अपने परिपत्र सं. SEBI/HO/MIRSD/RTAMB/CIR/P/2020/236 दिनांक 02/12/2020 के जरिए, विलेखों को दोबारा पेश करने के लिए अंतिम तारीख 31/03/2021 तय की है और हस्तांतरण करने के लिए दोबारा पेश किए गए शेयरों को अमूर्त रूप में ही निर्गमित किया जाएगा. इस बात के मद्दे नज़र और मूर्त शेयरों में अंतर्निहित तमाम जोखिमों को मिटाने और संविभाग प्रबंधन को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से मूर्त रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से दरख्वास्त है कि वे अपने शेयरों को अमूर्त रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें. सदस्य, इस संबंध में सहायता के लिए कंपनी अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (LIIPL), मुंबई से संपर्क कर सकते हैं.

11. अगर किसी सदस्य को, इस बैठक के कारोबार की किसी मद के बारे में कोई जानकारी चाहे तो वह ऐसी दरख्वास्त, 28/08/2021 से पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर कंपनी सचिव के पास, ई-मेल investor@mrpl.co.in, पर भेजे जिससे कि उन पर ठीक तरह से गौर किया जा सके. सदस्य, संलग्न नोटिस में यथा निर्दिष्ट संबंधित दस्तावेजों का, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, सभी कार्य दिवस अर्थात्; सोमवार से शुक्रवार तक, दोपहर 3.30 बजे से श्याम 5.00 बजे तक, 04/09/2021 तक अर्थात्; 33वीं वार्षिक महासभा की तारीख तक निरीक्षण कर सकते हैं.

12. दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी सुसाध्य बनाने की खातिर कारपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा किए गए '' हरित पहल '' के उपाय के प्रति समर्थन के रूप में और साथ ही दिनांक 05-11-2011 के परिपत्र सं. CIR/CFD/DIL/7/2011 का और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित बातों का अनुसरण करते हुए, कंपनी ने उन शेयरधारकों को, जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी का रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंटों अथवा निक्षेपागारों के साथ पंजीकरण कराया हो, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वार्षिक रिपोर्ट भेजी हैं. जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते, कंपनी के पास पंजीकृत नहीं कराए हैं, वे अब उसका पंजीकरण करा सकता है जिसके लिए कंपनी के वेबसाइट www.mrpl. co.in पर उपलब्ध ई-सूचना पंजीकरण फार्म भरकर उसे मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा कंपनी के निवेशकर्ता संबंध विभाग के पास भेज सकते हैं. डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे, अपने ई-मेल पते का, सिर्फ़ निक्षेपागार सहभागी(गियों) के पास पंजीकरण कराएं. अपने ई-मेल पते का पंजीकरण करा चुके सदस्य भी, अनुरोध करने पर मूर्त रूप में ऐसी सूचना पाने के हकदार हैं.

13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और SEBI(लिस्टिंग बाध्यता और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम का अनुसरण करते हुए 33वीं AGM में पारित किए जाने वाले संकल्पों पर अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान करने के लिए सदस्यों को रिमोट ई-मतदान सुविधा प्रदान की गई है. जिन सदस्यों के नाम, 28/08/2021 को अर्थात.; बही बंद होने की प्रक्रिया शुरु होने से एक दिन पहले, सदस्यों के रजिस्टर/हितकारी मालिकों की सूची में नज़र आए उनको इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्पों पर अपना मतदान करने का हक है.

सदस्य, महासभा के स्थान से भिन्न (रिमोट ई-मतदान) स्थान से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के जरिए अपना मतदान कर सकते हैं. रिमोट ई-मतदान, 01/09/2021 को शुरु होकर 03/09/2021 को खत्म होगा. 33वीं AGM में भाग लेने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई-मतदान से अपना मतदान न किया हो वे भी 33वीं वार्षिक महासभा के दौरान अपना मतदान करने के लिए पात्र होंगे.

14. निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) नियमों के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कंपनी ने 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 वर्षों के अदत्त अथवा अदावी लाभांश का, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) में नियत तारीखों को अंतरण किया. निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (कंपनियों के पास पडी अदत्त एवं अदावी रकम के बारे में सूचना का अपलोडिंग) नियम, 2012 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कंपनी ने 18/09/2020 तक (पिछली वार्षिक महासभा की तारीख) कंपनी के पास पड़ी रही अदत्त एवं अदावी लाभांश रकम के ब्यौरे, कंपनी के वेबसाइट (www.mrpl.co.in) पर और साथ ही कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए हैं.

15. MCA ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05/09/2016 के जरिए 28.02.2017 को निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियम, 2016 और निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन वापसी) संशोधन, नियम, 2017 अधिसूचित किए हैं. इन नियमों के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए उन शेयरों को, जिनके संबंध में शेयरधारकों ने अब तक लाभांश का दावा न किया हो, प्राधिकरण के डीमैट खाते में जमा किया जाएगा. तदनुसार, कंपनी ने उन प्रत्येक शेयरधारकों से, जिन्होंने पिछले 7 वर्षों में लाभांश का दावा नहीं किया है, निवेदन किया है कि वे, वर्ष 2015-16 से आगे अदावी लाभांश का दावा करने के लिए अपने आवेदन पत्र, कंपनी/आरटीए के पास भेजें क्योंकि कंपनी ने विव 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया था. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे, अदावी लाभांश का दावा करें जिससे शेयरों का IEPF प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरण न किया जा सके. कृपया नोट करें कि IEPF प्राधिकरण में अंतरित अदावी लाभांश और शेयरों के संबंध में कंपनी के पास कोई दावा नहीं किया जा सकेगा. लेकिन अदावी शेयरों और लाभांश का, IEPF से दावा करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वेबसाइट www.iepf. gov.in. पर उपलब्ध निर्धारित फार्म (e-IEPF-5) में आवश्यक आवेदन पत्र देना होगा.

16. मूर्त रूप से शेयर रखने वाले सदस्य, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अनुसार नामांकन सुविधा का उपभोग करते हुए कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में यथा निर्धारित फार्म SH-13 में किसी ऐसे व्यक्ति के नाम, जिसके पास उनके शेयर, फार्म में उल्लिखित घटना होने पर रहेंगे, नामांकन कर सकते हैं. मूर्त रूप से शेयर रखने वाले व्यक्ति, कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in से फ़ार्म SH-13 डाउनलोड करते हुए उसकी दो प्रतियां, कंपनी के आरटीए को भेज सकते हैं. अगर शेयर अमूर्त रूप में हों तो संबंधित DP के पास नामांकन दर्ज कराना होगा.

17. मूर्त रूप में शेयर रखने वाले उन सदस्यों से, जिनके नामों के एक समान क्रम में एक से अधिक फोलियो हो, दरख्वास्त की जात है कि वे कंपनी अथवा LIIPL को इन फोलियो के साथ शेयर प्रमाणपत्रों के ब्यौरे भेजें जिससे कि उनके शेयरों का एक ही फोलियो में समेकन किया जा सके. अपेक्षित परिवर्तन करने के बाद समेकित शेयर प्रमाणपत्र, इन सदस्यों को जारी किए जाएंगे.

18. सदस्यों से अनुरोध है कि पते में परिवर्तन होते ही इनको अधिसूचित करें:

    i) अमूर्त रूप में रखे गए शेयरों के मामले में DP को, और

    ii) अगर कोई शेयर मूर्त रूप में हों तो उनकी फोलियो संख्या के साथ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा उसके RTA को.

    अनिवासी सदस्यों से अनुरोध है कि वे आरटीए को इस बारे में सूचित करें:

i) स्थाई तौर पर निवास करने की खातिर भारत लौटने पर अपनी निवासीय स्थिति में हुए परिवर्तन के बारे में.

ii) भारत में रखे गए उनके बैंक खाते के विवरण अगर इससे पहले न दिए गए हों तो पेश करें जैसे पूरा नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता संख्या, IFSC कूट संख्या, MICR संख्या और पिन कूट संख्या के साथ बैंक का पता जिससे कि कंपनी, उक्त खाते में लाभांश सीधे प्रेषित कर सके.

19. सेबी (लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 12 के अनुसार, सेबी ने सभी संबंधितों को सलाह दी है कि वे, नकद भुगतान अर्थात्; निवेशकर्ताओं के लाभांश, ब्याज, प्रतिदान अथवा चुकौती रकम का भुगतान करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति का उपयोग करें. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति का प्रयोग करना संभव न हो तो सममूल्य पर देय वारंट अथवा चेक अथवा मांग ड्राफ़्ट जारी किए जाएं. उस/उन शेयरधारक/कों के संबंध में जहां इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करना संभव न हो सेबी ने उनको जारी किए गए लाभांश वारंट लिखतों पर बैंक के ब्यौरे मुद्रित कराने की सलाह दी है. लेकिन उन शेयरधारकों के मामले में जिनके बैंक के ब्यौरे उपलब्ध न हों, कंपनी, इस तरह के भुगतान लिखतों पर निवेशकर्ताओं के पते अनिवार्य तौर पर मुद्रित करेगी.

मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से हमारी कंपनी ने अपने वेबसाइट www.mrpl.co.in पर मेनू "Investors" और सब-मेनू "Shareholders" के अधीन ई-भुगतान अधिदेश फार्म सहित विभिन्न फ़ार्म उपलब्ध कराए हैं. शेयरधारक, अपेक्षित फ़ार्म डाउनलोड करने के बाद उसमें दिए गए निर्देश के अनुसार भर कर उसे अनुलग्नकों के साथ आर एण्ड टी एजेंट के पास भेज सकते हैं. फ़ार्म, हमारे आर एण्ड टी एजेंटों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं.

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे, अपने बैंक के ब्यौरे अद्यतन बनाते समय सिर्फ़ अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागियों (DP) से संपर्क करें. यह भी सलाह दी जाती है कि ये, अपने संबंधित DP से 'Client Master Advice' की मांग करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके रेकॉर्ड में सही अद्यतन किया गया है. यह नोट किया जाए कि निक्षेपागारों द्वारा प्रदान किए गए बैंक के ब्यौरों का कंपनी, लाभांश का भुगतान करने के लिए ही इस्तेमाल करती है. इसलिए शेयरधारकों को यह सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है कि DP में बैंक के सही ब्यौरों को अद्यतन बनाया जाता है.

20. रिमोट ई-मतदान की संवीक्षा करने के लिए कंपनी ने श्री मनीश गुप्ता, पेशेवर कंपनी सचिव, नई दिल्ली को संवीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है. रिमोट ई-मतदान के जरिए मतदान करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे, इसके आगे दी गई विस्तृत क्रियाविधियों पर गौर करें.

21. " रिमोट ई-मतदान " से संबंधित विस्तृत क्रियाविधि संलग्न की गई है जो इस नोटिस का ही एक भाग है.

22. महासभा में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, वही संयुक्त धारक, जिसका नाम क्रम में सब से पहले हो, महासभा में मतदान करने का हकदार होगा.

23. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत रखे गए निदेशकों और महत्वपूर्ण कर्मचारियों और उनके शेयरधारण का रजिस्टर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत ठेकों अथवा व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिसमें निदेशकों का हित हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 33वीं वार्षिक महासभा में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा जो महासभा की अवधि के दौरान किसी भी सदस्य के लिए खुला रहेगा और पहुंच योग्य होगा.

24. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 का अनुसरण करते हुए सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा की जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 का अनुसरण करते हुए उनका पारिश्रमिक, कंपनी द्वारा, वार्षिक महासभा में या इस तरह से तय करनी होगी जो कंपनी, वार्षिक महासभा में निर्धारित करे. कंपनी के सदस्यों ने, 18/09/2020 को संपन्न 32वीं वार्षिक महासभा में निदेशक मंडल को, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने का प्राधिकार दिया. तदनुसार, निदेशक मंडल ने,

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सांविधिक लेरीक्षकों का पारिश्रमिक, लागू सेवा कर, शिक्षा उपकर और वास्तविक यात्रा और फुटकर खर्च की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त ₹ 25,00,000/- (मात्र पच्चीस लाख रुपए) तय किया है. वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के मामले में C&AG से अब तक अनुमोदन नहीं मिला है. तदनुसार, सदस्य, बोर्ड को यह प्राधिकार दे सकते हैं कि वह, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का ऐसा पारिश्रमिक निश्चित करे जो वह ठीक समझे.

25. ऊपर उल्लिखित MCA परिपत्रों और सेबी परिपत्रों का अनुपालन करते हुए वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के साथ एजीएम की नोटिस सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ई-मेल के पते कंपनी/निक्षेपागारों में पंजीकृत किए गए हों. सदस्यों द्वारा नोट किया जाए कि विव 2020-21 की नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in, शेयर बाजार अर्थात्; BSE लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के वेबसाइट क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और NSDL के वेबसाइट www.evoting.nsdl.com. पर भी उपलब्ध होगी.

26. VC/OAVM के जरिए एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को, अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना करने के लिए गिनती में लिया जाएगा.

27. VC/OAVM के जरिए एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए अनुदेश

अ. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान

i. सूचीबद्ध उद्यमों द्वारा प्रदान की गई ई-मतदान की सुविधा के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108, सेबी लिस्टिंग संबंधी विनियमों के विनियम 44 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए तथा सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांक 09/12/2020 के अनुसार सदस्यों को, इस नोटिस में निर्दिष्ट समस्त संकल्पों पर NSDL द्वारा प्रदान की गई ई-मतदान सेवाओं के जरिए अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने की सुविधा प्रदान की गई है. रीमोट ई-मतदान करने के लिए अनुदेश नीचे दिए गए हैं.

ii. रिमोट ई-मतदान, बुधवार 01/09/2021 को (प्रातः 9.00 बजे IST) शुरु होकर शुक्रवार, 03/09/2021 को (श्याम 5.00 बजे 03/09/2021) खत्म होगा. इस अवधि के दौरान, रविवार, 28/08/2021 अर्थात्; अंतिम तारीख को यातो मूर्त रूप में या अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना मतदान कर सकते हैं. उसके बाद NSDL द्वारा रिमोट ई-मतदान मॉड्यूल अक्षम किया जाएगा. सदस्यों को विकल्प है कि वे, रीमोट ई-मतदान सुविधा का उपयोग करते हुए संकल्पों में से किसी पर 01/09/2021 से 03/09/2021 तक अपना मतदान करें अथवा एजीएम के दौरान ई-मतदान करें. उक्त मतदान अवधि के दौरान कुछ संकल्पों पर मतदान कर चुके सदस्य, एजीएम के दौरान शेष संकल्पों पर मतदान करने के लिए भी पात्र हैं.

iii. जिन सदस्यों एजीएम से पहले अपना रिमोट ई-मतदान किया हो वे भी VC / OAVM के जरिए एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन वे, इन संकल्पों पर दोबारा मतदान करने के हकदार नहीं होंगे.

iv. निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से रीमोट ई-मतदान और ई-मतदान की संवीक्षा करने के लिए निदेशक मंडल ने श्री मनीश गुप्ता (सदस्यता संख्या.5123), पेशेवर कंपनी सचिव, नई दिल्ली को संवीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है.

v. एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने अथवा सवाल उठाने की इच्छा रखने वाले सदस्य, अपने पंजीकृत ई-मेल से अपना नाम, DP ID और क्लाएंट ID / फोलियो संख्या, PAN, मोबाइल संख्या का उल्लेख करते हुए अपनी दरख्वास्त investor@mrpl.co.in को 30/08/2021 तक या उससे पहले (श्याम 5:00 बजे IST) भेजते हुए वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं. वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण करा चुके सदस्यों को ही एजीएम में अपने विचार व्यक्त करने / सवाल उठाने की अनुमति दी जाएगी. कंपनी, एजीएम में समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अपना अधिकार आरक्षित रखती है.

vi. सदस्यों के मतदान अधिकार, अंतिम तारीख को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के अनुपात में होंगे.

vii. मूर्त रूप से शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक, जो कंपनी के शेयर खरीदकर नोटिस देने के बाद कंपनी का सदस्य बने और अंतिम तारीख को शेयर रखे, evoting@nsdl.co.in. पर अपनी दरख्वास्त भेजकर उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है. लेकिन अगर उसने रीमोट ई-मतदान करने के लिए NSDL के पास पहले से पंजीकरण कराया हो तो वह मतदान करने के लिए अपना मौजूदा उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड इस्तेमाल कर सकता/सकती है. अमूर्त रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले ऐसे व्यक्तिगत सदस्य, जो कंपनी के शेयर खरीदकर नोटिस देने के बाद कंपनी के सदस्य बनें और अंतिम तारीख को शेयर रखें, इसके अधीन नीचे उल्लिखित कदम उठा सकते हैं

" अमूर्त रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए रीमोट ई-मतदान और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति. "

viii. ई-मतदान करने की प्रक्रिया और उसका तरीका, यहां नीचे दिया गया है:

कदम 1. NSDL ई-मतदान प्रणाली में पहुंच प्राप्त करना

कदम 2: NSDL ई-मतदान प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना मतदान करें और वर्चुअल बैठक में शामिल हों.

कदम (i) के ब्यौरे यहां नीचे दिए गए हैं:

I) अमूर्त रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए रीमोट ई-मतदान और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति.

" सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-मतदान सुविधा " पर सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांक 09/12/2020 का अनुसरण करते हुए सभी व्यक्तिगत अमूर्त खाता धारकों के लिए उनके अमूर्त खातों/निक्षेपागारों के वेबसाइटों / DPs के जरिए एक ही लॉगिन क्रेडेंशियल के रूप में ई-मतदान प्रक्रिया सक्षम बनाई गई है जिससे कि मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाई जा सके. व्यक्तिगत अमूर्त खाता धारक, ई-मतदान सेवा प्रदाता (ESP) के पास दोबारा पंजीकरण कराए बगैर अपना मतदान कर सकेंगे, इस तरह से न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण सुसाध्य होगा बल्कि ई-मतदान प्रक्रिया में आसानी से और सहूलियत के मुताबिक भी भाग लेना संभव होगा. शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे, ई-मतदान सुविधा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अपनी मोबाइल संख्या और अपने DPs के साथ ई-मेल ID को अद्यतन बनाएं.

सदस्यों से अनुरोध है कि बेहतर अनुभव पाने के लिए वे लैपटॉप के जरिए बैठक में शामिल हों. आगे, सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे कैमरा तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति दें और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग जिससे कि बैठक के दौरान कोई अड़चन उत्पन्न न हो. कृपया नोट करें कि मोबाइल हॉट स्पॉट के जरिए कनेक्ट करते हुए मोबाइल साधनों अथवा टैबलेटों से कनेक्ट होते हुए अथवा लैपटॉप के जरिए भाग लेने वाले सहभागी, अपने संबंधित नेटवर्क में अस्थिरता के कारण श्रवण/दृश्य में खराबी महसूस कर सकते हैं. इसलिए स्थिर Wi-Fi अथवा LAN कनेक्शन की सिफ़ारिश की जाती है जिससे कि ऊपर बताई गई किसी भी प्रकार की गड़बड़ न हो.

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन पद्धति
NSDL के पास अमूर्त रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयर धारक	**अ. NSDL IDeAS सुविधा, अगर आपने पहले से ही पंजीकरण कराया हो तो नीचे उल्लिखित कदम उठाएँ :** 1. NSDL की e-Services वेबसाइट देखें. वैयक्तिक कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर URL: https://eservices.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउज़र खोलें. 2. e-Services को मुख पृष्ठ लाँच होने पर **"IDeAS"** खंड के अधीन उपलब्ध **"Login"** के अधीन **"Beneficial Owner"** आइकॉन पर क्लिक करें. 3. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड डालना होगा. सफल प्रमाणीकरण के बाद आप ई-मतदान प्रक्रिया देख सकेंगे. 4. e-Voting services के अधीन बाई ओर नजर आने वाले "Access to e-Voting" पर क्लिक करें जिस पर e-Voting पृष्ठ देख पाएंगे.

	5. कंपनी के नाम अथवा ई-मतदान सेवा प्रदाता NSDL के सामने options पर क्लिक करें जिसके बाद आपको रीमोट ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मतदान करने के लिए अथवा बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक में शामिल होने और ई-मतदान करने के लिए NSDL e-Voting वेबसाइट की तरफ री डायरेक्ट किया जाएगा. **अगर आपने पंजीकरण न कराया हो तो नीचे उल्लिखित कदम उठाएं:** 1. https://eservices.nsdl. com. पर रजिस्टर करने का विकल्प उपलब्ध है. 2. "Register Online for IDeAS" पोर्टल को चुनने के बाद https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें 3. कृपया बिंदु 1-5 में दिए गए नीचे उल्लिखित कदम उठाएं **आ. NSDL का ई-मतदान वेबसाइट** 1. वैयक्तिक कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर URL:www.evoting.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउज़र खोलें. 2. e-Voting system का मुख पृष्ठ लाँच होने पर 'Shareholder/Member' खंड के अधीन उपलब्ध **"Login"** आइकॉन पर क्लिक करें. शेयरधारकों की लॉगिन पद्धति का प्रकार 3. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको उपयोगकर्ता ID (अर्थात्; NSDL में रखे गए सोलह अंकों वाले अमूर्त खाते की संख्या), पासवर्ड / OTP और स्क्रीन पर दर्शाया गया सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा. 4. सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको NSDL के वेबसाइट की तरफ री डायरेक्ट किया जाएगा जिसमें आप ई-मतदान प्रक्रिया देख सकेंगे. कंपनी के नाम अथवा ई-मतदान सेवा प्रदाता NSDL के सामने options पर क्लिक करें जिसके बाद आपको रीमोट ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मतदान करने के लिए अथवा बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक में शामिल होने और ई-मतदान करने के लिए NSDL के e-Voting वेबसाइट की तरफ री डायरेक्ट किया जाएगा.
CDSL के पास अमूर्त रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयर धारक	1. Easi / Easiest का विकल्प चुनने वाले मौजूदा उपयोगकर्ता, अपने उपयोगकर्ता id और पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर सकते हैं. और कोई प्रमाणीकरण किए बगैर e-Voting पृष्ठ तक पहुंचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा. Easi / Easiest में लॉगिन करने के लिए URL है https://web.cdslindia.com/ myeasi/home/login अथवा www.cdslindia.com जि स में New System Myeasi पर क्लिक करें. 2 Easi / Easiest का सफल लॉगिन करने के बाद उपयोगकर्ता, e-Voting मेनू भी देख पाएगा. मेनू में ESP के लिंक अर्थात्; NSDL पोर्टल के लिंक होंगे. अपना मतदान करने के लिए NSDL पर क्लिक करें. 3. अगर उपयोगकर्ता ने Easi/Easiest के लिए पंजीकरण न कराया हो तो पंजीकरण कराने के लिए https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/ EasiRegistration. पर विकल्प उपलब्ध है. वैकल्पिक रूप से उपयोगकर्ता, www.cdslindia.com मुख पृष्ठ में उपलब्ध लिंक से अपना अमूर्त खाता संख्या और PAN देते हुए सीधी तरह से e-Voting पृष्ठ तक पहुंच प्राप्त कर सकता है. सिस्टम, अमूर्त खाते में रेकॉर्ड किए गए पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर OTP भेजकर उपयोगकर्ता का प्रमाणीकरण करेगा. सफल प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता को, संबंधित ESP अर्थात्; NSDL के लिए जहां ई-मतदान चल रहा हो, लिंक प्रदान किए जाएंगे.

व्यक्तिगत शेयर धारकों (अमूर्त रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले) द्वारा अपने निक्षेपागार सहभागियों के जरिए लॉगिन करना	1. आप, ई-मतदान सुविधा पाने के लिए NSDL / CDSL के पास पंजीकृत अपने DP के जरिए अमूर्त खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए भी लॉगिन कर सकते हैं. 2. लॉगिन होने के बाद आप e-Voting विकल्प देख पाएंगे. e-Voting विकल्प पर क्लिक करने पर सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको NSDL/ CDSL के वेबसाइट की तरफ री डायरेक्ट किया जाएगा जिसमें आप ई-मतदान सुविधा देख सकेंगे. 3. कंपनी के नाम अथवा ई-मतदान सेवा प्रदाता NSDL के सामने options पर क्लिक करें जिसके बाद आपको रीमोट ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मतदान करने के लिए अथवा बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक में शामिल होने और ई-मतदान करने के लिए NSDL के e-Voting वेबसाइट की तरफ री डायरेक्ट किया जाएगा.

महत्वपूर्ण नोट:

उपयोगकर्ता ID / पासवर्ड पुन: प्राप्त करने में नाकाम हुए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित वेबसाइटों पर Forgot User ID और Forgot Password विकल्प का उपयोग करें.

निक्षेपागार अर्थात्; NSDL और CDSL के जरिए लॉगिन से संबंधित तकनीकी मुद्दों के लिए, अमूर्त रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्प डेस्क:

लॉगिन प्रकार	हेल्प डेस्क संबंधी ब्यौरे
NSDL के पास रखी गईं प्रतिभूतियां	कृपया evoting@nsdl.co.in पर दरख्वास्त भेजकर अथवा 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करते हुए NSDL हेल्प डेस्क से संपर्क करें.
CDSL के पास रखी गईं प्रतिभूतियां	कृपया helpdesk.evoting@cdslindia.com पर दरख्वास्त भेजकर 022-23058738 अथवा 022-23058542-43 पर कॉल करते हुए CDSL हेल्प डेस्क से संपर्क करें.

II) अमूर्त रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों और मूर्त रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के लिए ई-मतदान और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति.

NSDL के ई-मतदान वेबसाइट में लॉगिन कैसे करें?

1. NSDL का ई-मतदान वेबसाइट देखें. वैयक्तिक कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर URL: https:// www.evoting.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउज़र खोलें.
2. e-Voting system का मुख पृष्ठ लाँच होने पर 'Shareholder/Member' खंड के अधीन उपलब्ध "Login" आइकॉन पर क्लिक करें.
3. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना उपयोगकर्ता ID, अपना पासवर्ड / OTP और स्क्रीन पर दर्शाया गया सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा.
4. वैकल्पिक रूप से, अगर आपने NSDL eservices अर्थात्; IDEAS के लिए पंजीकरण कराया हो तो आप अपने मौजूदा IDEAS लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉगिन हो सकते हैं. अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ NSDL e-services में लॉगिन करने पर आप e-Voting पर क्लिक करें और बाद में कदम 2 की तरफ अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान करने की तरफ कदम उठा सकते हैं.
5. उपयोगकर्ता ID के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

शेयर रखने का तरीका अर्थात्; अमूर्त (NSDL अथवा CDSL) अथवा मूर्त रूप में	आपका उपयोगकर्ता ID है
क) NSDL के पास अमूर्त खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए.	8 अक्षर वाले DP ID के बाद 8 अंकों वाला Client ID उदाहरण के लिए अगर आपका DP ID, IN300*** हो और Client ID, 12****** हो तो आपका उपयोगकर्ता ID है IN300***12******
ख) CDSL के पास अमूर्त खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए.	16 अक्षर वाला हिताधिकारी ID उदाहरण के लिए अगर आपका हिताधिकारी ID, 12************** हो तो आपका उपयोगकर्ता ID है 12**************
ग) मूर्त रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	सम संख्या के बाद कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो संख्या उदाहरण के लिए अगर सम संख्या 123456 हो और फोलियो संख्या 001*** हो तो आपका उपयोगकर्ता ID है 123456001***

6. आपके पासवर्ड के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

   क) अगर आपने ई-मतदान के लिए पहले से ही पंजीकरण कराया हो तो, आप लॉगिन कर मतदान करने के लिए अपना मौजूदा पासवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं.

   ख) अगर आप पहली बार NSDL e-Voting प्रणाली का उपयोग कर रहे हों तो आपको, NSDL द्वारा आपको सूचित किया गया 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुन: प्राप्त करना होगा. 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुन: प्राप्त करने के बाद आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा जिसके बाद सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए मजबूर करेगा.

   ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुन: प्राप्त कैसे करें?

   i) अगर आपका ई-मेल ID, आपके अमूर्त खाते में अथवा कंपनी के पास पंजीकृत किया गया हो तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपके ई-मेल ID पर भेजा गया होगा. आप evoting@nsdl.com से अपने मेल बॉक्स में NSDL से आपको भेजे गए ई-मेल का पता लगाएं, ई-मेल खोलें और अनुलग्नक अर्थात .pdf फाइल खोलें. .pdf फाइल खोलें. .pdf फाइल खोलने के लिए पासवर्ड है NSDL खाते का आपका 8-अंकों वाला client ID, CDSL खाते के मामले में client ID के अंतिम 8 अंक अथवा मूर्त रूप में रखे गए शेयरों के मामले में फोलियो संख्या. .pdf फाइल में आपका ‘User ID’ और आपका ‘initial password’ होगा.

   ii) अगर आपने कंपनी/निक्षेपागार के पास अपने ई-मेल पते का पंजीकरण न कराया हो तो कृपया इस नोटिस में नीचे दिए गए अनुदेशों का पालन करें.

7. अगर आपने ‘initial password’ प्राप्त न किया हो अथवा आप, ‘initial password’ पुन: प्राप्त करने में असमर्थ हो अथवा अपना पासवर्ड भूल चुके हो:

   क) **“Forgot User Details / Password?”** पर क्लिक करें (अगर आपने NSDL अथवा CDSL के पास अपने अमूर्त खाते में शेयर रखे हों तो) www.evoting.nsdl.com. पर विकल्प उपलब्ध है

   ख) **“Physical User Reset Password?”** (अगर आपने मूर्त रूप में शेयर रखे हों तो) www.evoting.nsdl.com. पर विकल्प उपलब्ध है

   ग) अगर आप अभी भी ऊपर उल्लिखित दो विकल्पों के जरिए पासवर्ड पाने में असमर्थ हो तो आप अपनी अमूर्त खाता संख्या/फोलियो संख्या, अपना PAN, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता देते हुए evoting@nsdl.co.in पर अपनी दरख्वास्त भेजे सकते हैं.

   घ) NSDL की e-Voting प्रणाली पर अपना मतदान करने के लिए सदस्य, एक बारगी पासवर्ड (OTP) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं.

8. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद चेक बॉक्स चुनते हुए Agree to “Terms and Conditions” पर क्लिक करें.

9. अब आपको “Login” बटन पर क्लिक करना होगा.

10. “Login” बटन पर क्लिक करने के बाद ई-मतदान का मुख पृष्ठ खुलेगा.

कदम 2 के ब्यौरे यहां नीचे दिए गए हैं:

NSDL ई-मतदान प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना मतदान कैसे करें?

1. कदम 1 पर सफलता से लॉगिन करने के बाद आप उन सभी कंपनियों "EVEN" को देख सकेंगे जिनमें आपने अपने शेयर रखे हों और जिनका मतदान चक्र और जिनकी सामान्य बैठक सक्रिय स्थिति में हो.
2. कंपनी का "EVEN" चुने जिसके लिए आप, रीमोट ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मतदान और सामान्य बैठक के दौरान अपना मतदान करना चाहे. वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए "Join General meeting" मेनू के अधीन दिए गए "VC / OAVM" पर क्लिक करें. एमआरपीएल का EVEN है: 116635.
3. अब आप Voting पृष्ठ खुलते ही ई-मतदान करने के लिए तैयार हैं.
4. उचित विकल्प अर्थात्; सहमति अथवा असहमति, चुनते हुए अपना मतदान करें, जितने शेयरों के लिए अपना मतदान करना चाहेंगे उनकी संख्या का सत्यापन करें / संख्या में आशोधन करें और संकेत मिलने पर "Submit" और साथ ही "Confirm" पर क्लिक करें.
5. पुष्टीकरण मिलने के बाद संदेश "Vote cast successfully" प्रदर्शित होगा और आपको निक्षेपागार से अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के रूप में पुष्टीकरण मिलेगा.
6. आप, confirmation पृष्ठ पर print विकल्प पर क्लिक करते हुए डाले गए अपने मतों की मुद्रित प्रति भी निकाल सकते हैं.
7. संकल्प पर एक बार CONFIRM चुनने के बाद आपको अपना मत बदलने का मौका नहीं मिलेगा.

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेअर न करें और अपना पासवर्ड गुप्त रखने के लिए अति सावधानी बरतें. सही पासवर्ड डालने के लिए पांच असफल प्रयत्नों के बाद ई-मतदान वेबसाइट में लॉगिन को अक्षम किया जाएगा.

   ऐसी सूरत में आपको "Forgot User Details/ Password?" अथवा **"Physical User Reset Password?"** पर गौर करना होगा. पासवर्ड रीसेट करने के लिए https://www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है.
2. अगर रीमोट ई-मतदान को लेकर कोई सवाल हों तो आप, शेयरधारकों के उपयोगार्थ अकसर पूछे गए सवाल और शेयरधारकों के उपयोगार्थ ई-मतदान उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं जो https://www.evoting.nsdl.com के 'Downloads' खंड में उपलब्ध है अथवा टोल फ्री संख्या 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in. पर दरख्वास्त कर सकते हैं.
3. सदस्य, अमूर्त खाता संख्या / फोलियो संख्या, क्लाएंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रतिलिपि, PAN (PAN की स्वयं अनुप्रमाणित स्कैन की गई प्रतिलिपि), AADHAR (Aadhar कार्ड की स्वयं अनुप्रमाणित स्कैन की गई प्रतिलिपि) प्रदान करते हुए ई-मतदान के लिए उपयोगकर्ता id और पासवर्ड हासिल करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर दरख्वास्त भेज सकते हैं. **अगर आप व्यक्तिगत शेयरधारक हो और आपके पास प्रतिभूतियां अमूर्त रूप में हों तो अनुरोध है कि ऊपर बताई गई लॉगिन पद्धति, पर गौर करें.**
4. एजीएम के दिन ई-मतदान करने के लिए सदस्यों को अनुदेश, बिंदु संख्या 27 (अ) में दिए गए हैं.
5. एजीएम से पहले अथवा एजीएम के दौरान सहायता चाहने वाले सदस्य NSDL से evoting@nsdl.co.in/ 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा अमित विशाल, सहायक उपाध्यक्ष - NSDL से evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं/अथवा सुश्री सरिता मोटे, सहायक प्रबंधक- NSDL से evoting@nsdl.co.in. पर संपर्क कर सकते हैं.

उन शेयरधारकों के मामले में जिन्होंने निक्षेपागारों/कंपनी के पास ई-मेल Id का पंजीकरण न कराया हो, इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्पों पर ई-मतदान करने के लिए उपयोगकर्ता Id और पासवर्ड हासिल करने तथा ई-मेल Id का पंजीकरण कराने की प्रक्रिया:

1. अगर शेयर मूर्त रूप में हों तो कृपया फोलियो सं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रतिलिपि (सामने और पीछे का हिस्सा) PAN (PAN की स्वयं अनुप्रमाणित स्कैन की गई प्रतिलिपि), AADHAR (Aadhar कार्ड की स्वयं अनुप्रमाणित स्कैन की गई प्रतिलिपि) ई-मेल से investor@mrpl.co.in. के पास भेजें.

2. अगर शेयर अमूर्त रूप में हों तो कृपया DPID-CLID (16 अंकों वाला DPID + CLID अथवा 16 अंकों वाला हिताधिकारी ID), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रतिलिपि, PAN (PAN की स्वयं अनुप्रमाणित स्कैन की गई प्रतिलिपि), AADHAR (Aadhar कार्ड की स्वयं अनुप्रमाणित स्कैन की गई प्रतिलिपि) ई-मेल से investor@mrpl.co.in.के पास भेजें. अगर आप व्यक्तिगत शेयरधारक हो और आपके पास प्रतिभूतियां अमूर्त रूप में हो तो अनुरोध है कि आप, **कदम 1 (अ)** में - समझाई गई लॉगिन पद्धति अर्थात्; **अमूर्त रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-मतदान की लॉगिन पद्धति,** पर गौर करें.
3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/सदस्य, ऊपर उल्लिखित दस्तावेज प्रदान कर ई-मतदान करने की दृष्टि से उपयोगकर्ता id और पासवर्ड हासिल करने के लिए evoting@nsdl.co.in को अपनी दरख्वास्त कर सकते हैं.
4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-मतदान सुविधा पर सेबी परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, अमूर्त रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागारों और निक्षेपागार सहभागियों के पास रखे गए उनके अमूर्त खाते के जरिए मतदान करने की इजाज़त है. शेयरधारकों को ई-मतदान सुविधा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अपने अमूर्त खाते में अपनी मोबाइल संख्या और ई-मेल ID को अद्यतन बनाना पड़ेगा.

VC/OAVM के जरिए एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. सदस्य, VC / OAVM के जरिए एजीएम में भाग ले पाएंगे अथवा NSDL ई-मतदान प्रणाली में पहुंच प्राप्त करने के लिए ऊपर उल्लिखित कदम उठाकर NSDL द्वारा https://www.evoting.nsdl.com में प्रदान किए गए एजीएम का लाइव वेबकास्ट देख सकते हैं. सफलता से लॉगिन करने के बाद कंपनी के नाम के सामने Join General meeting मेनू के अधीन दिया गया VC / OAVM का लिंक देख सकते हैं. अनुरोध है कि आप Join General meeting मेनू के अधीन दिया गया VC / OAVM लिंक पर क्लिक करें. ई-मतदान करने के लिए जिन सदस्यों के पास उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड न हो अथवा जो उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड भूल चुके हों वे, इस नोटिस में उल्लिखित रीमोट ई-मतदान संबंधी अनुदेशों का पालन करते हुए उसे पुन: प्राप्त कर सकते हैं. आगे, सदस्य, NSDL की ई-मतदान प्रणाली में लॉगिन करने के लिए OTP आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं.
2. VC / OAVM के जरिए एजीएम में शामिल होने की सुविधा, एजीएम के लिए तय किए गए समय से पहले 30 मिनट तक खुली रहेगी.
3. एजीएम से पहले अथवा एजीएम के दौरान सहायता चाहने वाले सदस्य NSDL से evoting@nsdl.co.in/ 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा अमित विशाल, सहायक उपाध्यक्ष - NSDL से evoting@nsdl.co.in पर अथवा सुश्री सरिता मोटे, सहायक प्रबंधक-NSDL से evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं.
4. एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने अथवा सवाल उठाने की इच्छा रखने वाले सदस्य, अपने पंजीकृत ई-मेल से अपना नाम, DP ID और क्लाइंट ID / फोलियो संख्या, PAN, मोबाइल संख्या का उल्लेख करते हुए अपनी दरख्वास्त investor@mrpl.co.in को 29/08/2021 तक या उससे पहले भेजते हुए वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं. वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण करा चुके सदस्यों को ही एजीएम में अपने विचार व्यक्त करने / सवाल उठाने की अनुमति दी जाएगी. कंपनी, एजीएम में समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अपना अधिकार आरक्षित रखती है.

अन्य अनुदेश

1. एजीएम में मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद संवीक्षक, रीमोट ई-मतदान के जरिए डाले गए मतों (एजीएम के दौरान डाले गए मत और रीमोट ई-मतदान के जरिए डाले गए मत) अनब्लॉक करेगा और एजीएम समाप्त हुए कम से कम 48 घंटे पहले, पक्ष में अथवा विरोध में, अगर कोई हो तो, डाले गए कुल मतों के बारे में एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट, अध्यक्ष अथवा लिखित रूप में उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के पास भेजेगा जो उस पर अपने प्रति हस्ताक्षर करेगा.
2. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम, कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in और NSDL के वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर फौरन प्रदर्शित किए जाएँगे. कंपनी, साथ ही साथ परिणाम, BSE लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हों, अग्रेषित करेगी.

टिप्पणियां

एमआरपीएल का निष्पादन

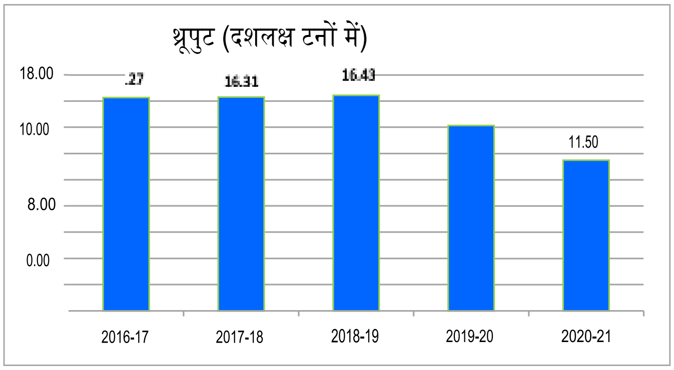

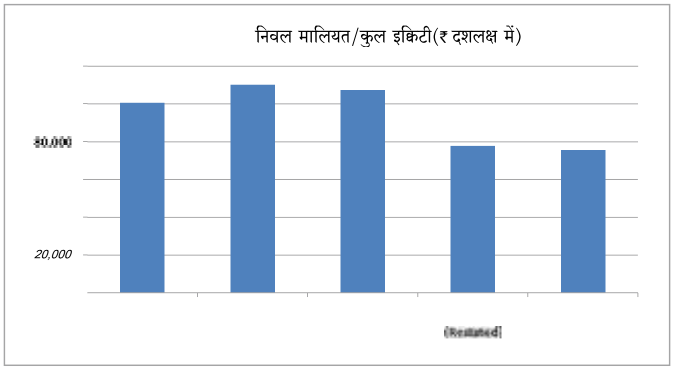

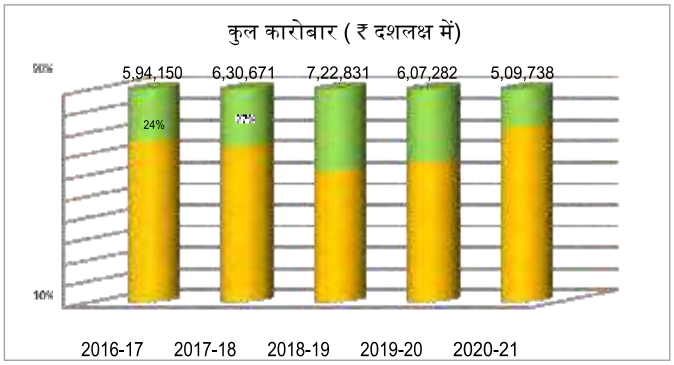

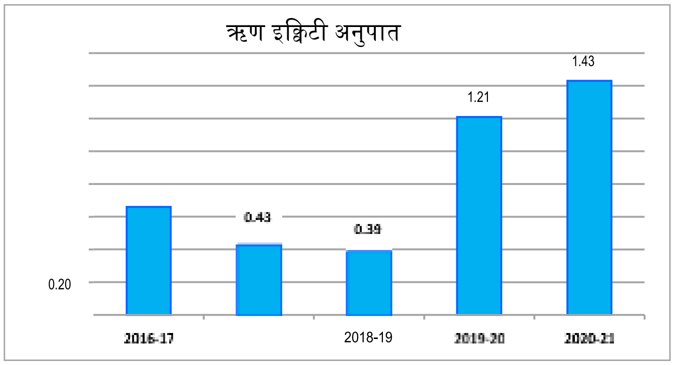

Book - Post

मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि.,

C-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग

विखोली (पश्चिम), मुंबई- 400 083

टेलीफोन : 022 - 49186060 I फैक्स : 022- 4912 86270
ई-मेल: mrplirc@linkintime.com.in

वेबसाइट: www.linkintime.co.in